

भारत के संविधान में संशोधन

संपादक
उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2024

- सह संपादक :** नीरज सेमवाल, संयुक्त सचिव
सत्य विजय राम, निदेशक
- सहायक संपादक :** नीरज कुमार, संयुक्त निदेशक
आशीष मलिक, उपनिदेशक
आनंद मिश्रा, अनुसंधान सहायक
अभिजीत कुमार मल्ल, अनुसंधान सहायक
अक्राति गोस्वामी, अनुसंधान सहायक
आनंद सिंह प्रकाश, अनुसंधान सहायक
धीरेन्द्र कुमार साहू, अनुसंधान सहायक
प्रदीप वर्मा, अनुसंधान सहायक
शुभा तिवारी, अनुसंधान सहायक
शुभम जायसवाल, अनुसंधान सहायक

कीमत: 409/- रु.

- प्रथम संस्करण : जून, 1986
द्वितीय संस्करण : जनवरी, 1995
तृतीय संस्करण : फरवरी, 2008
चतुर्थ संस्करण : फरवरी, 2024

© 2024, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सत्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली-110 001 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

मुझे 'भारत के संविधान में संशोधन' नामक प्रकाशन का संशोधित संस्करण प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है। यह प्रकाशन लोक सभा सचिवालय के शोध और सूचना प्रभाग के गहन शोध का परिणाम है और इसका उद्देश्य संविधान और समय के साथ इसमें किए गए संशोधनों के गहन बोध को बढ़ावा देना है।

भारत का संविधान इस पवित्र दस्तावेज के निर्माताओं की दूरदर्शी सोच और विधायी सक्षमता का जीवंत प्रमाण है। इसका श्रेय न केवल संविधान निर्माताओं को जाता है जिन्होंने ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसकी प्रासंगिकता और भारत के लोगों के बीच स्वीकार्यता समय के साथ बढ़ती गई है बल्कि इसका श्रेय राजनीतिक नेताओं की उत्तरोत्तर पीढ़ियों को भी जाता है जिन्होंने एक संवैधानिक गणराज्य के रूप में भारत के उथल पुथल से भरे विगत दशकों के दौरान संविधान में निहित मूल्यों की तत्परता से रक्षा की और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखा।

भारत का संविधान अपनी शुचिता और वैधता इस दृढ़ विश्वास से प्राप्त करता है कि इसका मौलिक स्वरूप अलंघनीय है जो हमारे गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के संग्रह और संरक्षक के रूप में कार्य करता है और साथ ही, असंख्य मांगों को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता रखता है, जो वर्तमान समय में बदलती परिस्थितियों को परिलक्षित करती हैं। संविधान में संशोधन लोकतांत्रिक राजनीति के रूप में हमारे विकास का इतिवृत्त और शासन के हमारे सहभागी स्वरूप की परिपक्वता का प्रतिबिंब हैं।

यह इस प्रकाशन का आठवां संस्करण है जो इन संशोधनों की विधायी यात्रा को दर्शाता है। आशा है कि अब तक हुए 106 संवैधानिक संशोधनों के स्वरूप, दायरे और उनके प्रवर्तन पर एक व्यापक और विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने का प्रयास एक ऐसे संसाधन के रूप में काम करेगा जो महज प्रलेखन से परे है। पाठक पाएंगे कि इन संशोधनों की सुव्यवस्थित जानकारी उन्हें संवैधानिक विचार-विमर्श, ऐतिहासिक संदर्भ, विधायी आशय और प्रत्येक संशोधन को आकार देने वाले सूक्ष्म भेदों को गहराई से समझने में सक्षम करेगी। क्यूआर कोड सहित डिजिटल रूप में संसदीय वाद-विवाद तक आसान पहुंच प्रदान करके इस व्यापक दृष्टिकोण को और समृद्ध किया गया है। इसके अलावा, इन संशोधनों की रूपरेखा तैयार करने वाले न्यायिक निर्णयों को भी इसमें पहली बार शामिल किया गया है।

(iv)

मुझे इस बात की जानकारी है कि आम लोगों, विद्वानों, नीति निर्माताओं और विधि व्यवसायियों की संसद के वाद-विवाद और उसकी कार्यवाही में अत्यधिक रुचि रहती है और मुझे विश्वास है कि उन्हें यह खंड हमारी विधायी प्रक्रियाओं को समझने में बहुत उपयोगी लगेगा। मुझे यह भी आशा है कि 'भारत के संविधान में संशोधन' का यह संशोधित संस्करण प्रबुद्ध चर्चा को प्रोत्साहित करेगा और सुविचारित निर्णय लेने और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को गहराई से समझने में सहायता करेगा।

मैं इस प्रकाशन के लिए श्री उत्पल कुमार सिंह, महासचिव- लोक सभा; श्री नीरज सेमवाल, संयुक्त सचिव और विधिक और संवैधानिक मामले स्कंध की टीम के सदस्यों; रिसर्च एसोसिएट्स और मुद्रण शाखा का आभारी हूँ, जिन्होंने पहली बार उपयोगकर्ता के अनुकूल विशेषताओं से युक्त डिजिटल इंटरफ़ेस की शुरुआत की है।

नई दिल्ली;
फरवरी, 2024

ओमबिरला
अध्यक्ष
लोक सभा

आमुख

भारत का संविधान उत्तर-औपनिवेशिक युग में निरूपित और अंगीकृत सबसे लंबे समय तक लागू रहने वाले संविधानों में से एक है। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा तैयार किए गए संविधान के अस्तित्व को एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच एक अद्वितीय उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है जहां संविधानों का स्थायित्व कल्पना ही रहा। भारत के संविधान की इस उल्लेखनीय जीवंतता के केंद्र में न केवल गणतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं बल्कि इस संविधान को कार्यान्वित करने के लिए राज्य के सभी अंगों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता भी है। संवैधानिकता के लोकाचार ने विभिन्न विचारधाराओं और उभरती मौजूदा समस्याओं से उत्पन्न चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है और यह संवैधानिक पदाधिकारियों की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है जिन्होंने अपने निर्धारित संवैधानिक कार्यों के माध्यम से मूल्यों और शासन के प्रतिदर्श में आम लोगों के बीच उस आशा और विश्वास को बनाए रखने में मदद की जिसका संविधान प्रतिनिधित्व करता है। संविधान आम भारतीयों को प्रेरित करता है क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित इसका नैतिक मूल स्पष्ट है; न्याय दिलाने की इसकी क्षमता; और दशकों से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की इसकी सामर्थ्य जिसकी पुष्टि असंख्य प्रत्यक्ष अनुभवों से होती है। यह एक ऐसा संविधान है जो भारतीयों की क्रमिक पीढ़ियों के लिए समान रूप से प्रासंगिक बना हुआ है। बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने में अपनी सिद्ध कुशलता और लचीलेपन के कारण यह भारतीयों की वर्तमान पीढ़ी के लिए उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जितना कि यह अतीत की पीढ़ियों के लिए था।

संविधान सभा और उसकी समितियों के मसौदे, संशोधन और वाद-विवाद, विविध विचारों और मतों के संगम को दर्शाते हैं। संविधान में संशोधन के मुद्दे पर सदस्यों की राय स्पष्ट तौर पर अलग-अलग थी। 'कठोर संविधान' बनाम 'लचीला संविधान' की बहस में सदस्यों ने सभा में दोनों में से एक मत के पक्ष में बात की। मसौदा तैयार करने के चरण में, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने तुलनात्मक रूप से सरल ढंग से कुछ खंडों में संशोधनों को प्रभावी करने के लिए कुछ सरल संक्रमणकालीन प्रावधानों को अपनाने का सुझाव दिया जो कि एक उभरते गणराज्य के आरंभिक दौर में आने वाली कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक था। हालांकि, कई सदस्य, विशेषकर पं. जवाहरलाल नेहरू, ब्रजेश्वर प्रसाद, महावीर त्यागी और अन्य ने संविधान को अधिक लचीलापन प्रदान करने की वकालत की। संविधान के मसौदे पर प्रारंभिक बहस में बोलते हुए, पंडित नेहरू ने कहा था कि 'हालांकि हम चाहते हैं कि यह संविधान उतना ही

तोस और स्थायी हो जितना हम इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं है। संविधान में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। यदि आप किसी भी वस्तु को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र के विकास को रोकते हैं...' 'लचीलेपन' के विरोध में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, बी.जी. खेर, के.एम. पणिकर आदि सदस्य थे जिन्होंने संवैधानिक संशोधनों के मामले में कठोर प्रक्रियाओं को लागू करने का समर्थन किया और कुछ सदस्यों जैसे राजकुमारी अमृत कौर, के.टी. शाह और अन्य ने कतिपय प्रावधानों में संशोधन के किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय करने के लिए जनमत संग्रह के प्रावधानों को शामिल करने का सुझाव तक दिया।

इसका श्रेय प्रारूप समिति को जाता है जो डॉ. अम्बेडकर के कुशल नेतृत्व में संवैधानिक संशोधनों के विषय पर विचारों में इतनी भिन्नता के बाद भी एक कार्यप्रणाली तैयार करने में सक्षम रही। संविधान सभा में बोलते हुए डॉ. अम्बेडकर ने विश्व के अन्य संविधानों में प्रदत्त संशोधन की व्यवस्थाओं की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने विस्तार से बताया कि विभिन्न प्रक्रियात्मक जटिलताओं के साथ उपयुक्त और विभेदित अनुच्छेद—विशिष्ट समाधानों के माध्यम से विषम स्थितियों के बीच संतुलन के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। अपने संबोधन में, उन्होंने हमारे संविधान में सम्मिलित प्रक्रियात्मक तंत्र को प्रस्तुत किया जिसके तहत चुनिंदा अनुच्छेदों में संशोधन केवल साधारण विधान के तरीके से संसद के सदनों में साधारण बहुमत से किया जा सकता था, जबकि अन्य सभी अनुच्छेदों में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विशेष प्रावधानों के अनुपालन के माध्यम से ही किया जा सकता था। यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 368(2) के परंतुक में विशेष रूप से संदर्भित अनुच्छेदों के मामलों को छोड़कर पूर्ण बहुमत अर्थात् सभा की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा संविधान में संशोधन की अनुमति देता है। उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट अनुच्छेदों में संशोधन के लिए, अनुच्छेद 368(2) में यथा उपबधित सभा में पूर्ण बहुमत के अलावा राज्य विधानमंडलों के बहुमत द्वारा संपुष्टि भी अनिवार्य मानी गयी।

संविधान सभा में बोलते हुए, डॉ. अम्बेडकर इस विषय को लेकर स्पष्ट थे जब उन्होंने यह कहा कि 'यह कहना कि पूरे संविधान को बहुमत द्वारा संशोधित करने का प्रावधान किया जाए मेरे विचार में अतिशयोक्तिपूर्ण और अनावश्यक है और यह बात स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। "संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 304 (जिसे बाद में भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया) पर बहस पर अपनी प्रतिक्रिया के दौरान उन्होंने मतदाताओं को अधिक लचीलेपन की याद दिलाई कि 'संविधान एक मूलभूत दस्तावेज है। यह एक दस्तावेज है जो राज्य के तीन अंगों की शक्ति और स्थिति को परिभाषित करता है' और स्थिरता और स्थायित्व आम तौर पर भारत के

संविधान जैसे 'बुनियादी' दस्तावेज़ की विशेषता होनी चाहिए। उनकी राय में, संशोधन प्रयोजनपूर्ण होने चाहिए और जब आवश्यक हो, पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही किए जाएं।

संविधान के पाठ को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान का कोई भी भाग परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन के माध्यम से संशोधन करने की भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति के दायरे से बाहर नहीं है। हालाँकि, समय-समय पर न्यायिक निर्णयों ने इस शक्ति को पुनः परिभाषित करने और कुछ हद तक, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की निर्बाध प्रतीत होने वाली संवैधानिक शक्ति को सीमित किया है। केशवानंद भारती *बनाम* केरल राज्य (1973) मामले में मौलिक निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि संशोधन करने की शक्ति संविधान की 'बुनियादी संरचना' को बदलने तक विस्तारित नहीं है। बाद के वर्षों में, उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधनों को 'बुनियादी संरचना' के सिद्धांत की कसौटी पर परखना जारी रखा है। यह कुछ हद तक अस्पष्ट सिद्धांत हैं जो न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित होता रहा है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक संविधान की उन विशेषताओं की एक निश्चित सूची पेश नहीं की है जो उसके विचार में इसकी 'बुनियादी संरचना' का गठन करती है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक संशोधन जो संविधान की 'बुनियादी संरचना' का उल्लंघन करने के आधार पर न्यायिक चुनौती का विषय है, वह पूरी तरह से न्यायालयों द्वारा मामले के विशिष्ट गुणावगुण के विश्लेषण के आधार पर न्यायनिर्णयन का विषय बन जाता है न कि स्पष्ट और विहित सिद्धांतों के आधार पर।

जहां पहला संवैधानिक संशोधन पहली लोक सभा के अस्तित्व में आने से पहले ही वर्ष 1951 में अंतरिम संसद द्वारा पारित किया गया था, वहीं ऐतिहासिक 106वां संशोधन सितंबर, 2023 में एक विशेष सत्र में भारत की संसद के नए भवन में पारित होने वाली प्रथम विधि के रूप में पारित किया गया था जिसके माध्यम से लोक सभा और राज्य विधानमंडलों और विधान सभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। संविधान लागू होने के सात दशकों के दौरान, कुल 106 संशोधन अर्थात् प्रति वर्ष औसतन 1.5 से कुछ कम संशोधन अधिनियमित किए गए हैं। पहले चार दशकों में 60 से अधिक संशोधन अधिनियमित किए गए जिनमें से 1970 के दशक में ऐसे अधिनियमों की संख्या सबसे अधिक अर्थात् बाईस थी। हमारे गणतंत्र के सात दशकों में संसद द्वारा पारित संशोधनों की विषय-वस्तु बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के इतिहास और एक परिपक्व और समतावादी राजव्यवस्था के रूप में भारत के विकास का एक अध्ययन प्रस्तुत करती है।

प्रकाशन का वर्तमान संस्करण जो इस श्रृंखला में चौथा है — इससे पहले के संस्करण वर्ष 1986, 1995 और 2008 में प्रकाशित हुए थे — भारत के संविधान के 106 संशोधनों के स्वरूप और दायरे पर सुव्यवस्थित प्रलेखित अध्ययन है। इस संशोधित संस्करण को उपयोगकर्ता

अनुकूल के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। 'भारत के संविधान में संशोधन, 2024' विधायी आशोधनों का मात्र कालानुक्रमिक विवरण नहीं है। इस प्रकाशन में उस संदर्भ का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है जिसके लिए एक विशेष संशोधन की आवश्यकता हुई है। क्यूआर कोड की मदद से पाठकों को संसद में प्रासंगिक वाद-विवाद देख पाने में सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया है। संविधान में प्रत्येक संशोधन के विधिक आधार के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करने के लिए जहां भी उपयुक्त हो, न्यायिक निर्णयों का संदर्भ दिया गया है।

अब जब यह संस्करण प्रकाशन के लिए तैयार है, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमेशा उन विषयों पर अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित किया है जो न केवल सांसदों और विधायी कर्मचारियों के लिए अपितु सामान्य पाठकों के लिए भी उपयोगी हो।

मैं संयुक्त सचिव श्री नीरज सेमवाल और विधिक और संवैधानिक मामले स्कंध के रिसर्च एसोसिएट्स और अनुभवी कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूं। बहुत कम समयावधि में कार्य पूरा करने के लिए मुद्रण शाखा की टीम की भी सराहना की जानी चाहिए।

अंत में, यह आशा की जाती है कि 'भारत के संविधान में संशोधन 2024' का संशोधित संस्करण हमारे गणतंत्र के सात दशकों में संवैधानिक लोकतंत्र की यात्रा के एक प्रमाण के रूप में काम करेगा। हम विश्वास करते हैं कि यह प्रकाशन सांसदों, नीति निर्माताओं, विद्वानों, विधिक व्यवसायियों और उन सभी लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन सिद्ध होगा जो संसद के विधायी कार्यों के माध्यम से हमारे समाज और राजनीति के विकास को समझना चाहते हैं।

नई दिल्ली;
फरवरी, 2024

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्राक्कथन	(iii)
आमुख	(v)
अध्याय-एक. संविधान संशोधन: संशोधन प्रक्रिया का स्वरूप और विस्तार क्षेत्र	1
अध्याय-दो. संविधान संशोधन अधिनियम (पहला से एक सौ छठा)	1
1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951	23
2. संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1952	35
3. संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1954	38
4. संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955	41
5. संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955	50
6. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956	54
7. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956	61
8. संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960	99
9. संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960	102
10. संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961.....	111
11. संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961.....	114
12. संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1962	117
13. संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962	120
14. संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962	130
15. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963	134
16. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963	143
17. संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964	148
18. संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966	157
19. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966	160

	पृष्ठ
20. संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966	163
21. संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967	167
22. संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969	169
23. संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969	174
24. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971	178
25. संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971	183
26. संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971	189
27. संविधान (सत्ताइसवां संशोधन) अधिनियम, 1971	195
28. संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972	202
29. संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972	208
30. संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972	212
31. संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973	216
32. संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973	221
33. संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974	230
34. संविधान (चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974	234
35. संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974	238
36. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975	246
37. संविधान (सैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975	256
38. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975	259
39. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975	266
40. संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976	277
41. संविधान (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976	285
42. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976	288
43. संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977	337
44. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978	343

	पृष्ठ
45. संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980	370
46. संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982	373
47. संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984	384
48. संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984	388
49. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984	391
50. संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984	396
51. संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984	399
52. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985	402
53. संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986	415
54. संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986	418
55. संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986	422
56. संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987	426
57. संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987	429
58. संविधान (अट्ठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987	434
59. संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988	438
60. संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988	443
61. संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988	446
62. संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989	449
63. संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989	452
64. संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990	455
65. संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990	458
66. संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990	466
67. संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990	474
68. संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991	477
69. संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991	480

	पृष्ठ
70. संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	487
71. संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	490
72. संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	493
73. संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	497
74. संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	515
75. संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994	535
76. संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994	538
77. संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995	542
78. संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995	546
79. संविधान (उन्नासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999	551
80. संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000	554
81. संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000	561
82. संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000	566
83. संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000	569
84. संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001	572
85. संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001	578
86. संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002	582
87. संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003	587
88. संविधान (अट्ठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003	590
89. संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003	594
90. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003	601
91. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003	604
92. संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003	610
93. संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005	614
94. संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006	618

	पृष्ठ
95. संविधान (पचानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2009	621
96. संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011	624
97. संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011	627
98. संविधान (अट्ठानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2012	642
99. संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014	646
100. संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015	655
101. संविधान (एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016	677
102. संविधान (एक सौ दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018	692
103. संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019	700
104. संविधान (एक सौ चौथा संशोधन) अधिनियम, 2019	705
105. संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021	708
106. संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023	713

अनुबंध

पारित किए गए/निराकृत किए गए/व्यपगत हुए/वापस लिए गए/अस्वीकृत हुए/ पुरःस्थापित नहीं किए गए/लंबित संविधान संशोधन विधेयकों (पहला से एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन विधेयक) की स्थिति दर्शाने वाली सारणी	719

अध्याय एक

संविधान संशोधन

संशोधन प्रक्रिया का स्वरूप और विस्तार क्षेत्र

किसी देश का संविधान उस देश की मूल विधि होती है- जिसके आधार पर उस देश में सभी अन्य विधियां बनाई और प्रवृत्त की जाती हैं। इसे “सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वोच्च विधि”¹ कहा गया है, जो “अधिक प्रभावी और प्राधिकार प्राप्त”, “परम पावन”² तथा सामान्य विधान से अधिक स्थायी है। किन्तु फिर भी इसके संशोधन के लिए पर्याप्त उपबन्ध किया जाना किसी संविधान के स्वरूप में अन्तर्निहित समझा जाता है। एक लोकतांत्रिक संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होना चाहिये क्योंकि लोक प्रभुता के सिद्धान्त पर आधारित शासन को “लोगों की बदलती हुई इच्छा के अनुसार उनकी नई आकांक्षाओं को साकार करना और संभव बनाना चाहिये”³।

कठोर अथवा लचीला संविधान

संविधानों को प्रायः उस प्रक्रिया के आधार पर, जिसके द्वारा उनमें संशोधन किया जा सकता है, ‘लचीला’ अथवा ‘कठोर’ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रो. ए.वी. डायसी दो प्रकार के संविधान परिभाषित करते हैं— ‘ऐसा संविधान, जिसके अंतर्गत हर प्रकार की विधि को एक ही संस्था द्वारा उतनी ही सरलता से और उसी रीति से वैध रूप से परिवर्तित किया जा सकता है’, लचीला कहलाता है और ‘ऐसा संविधान जिसके अंतर्गत सामान्यतः संवैधानिक अथवा मूल विधियों के रूप में ज्ञात कतिपय विधियों को उसी प्रकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता जिस प्रकार सामान्य विधियां की जा सकती हैं’, कठोर संविधान कहलाता है⁴।

अलिखित संविधान वाला युनाइटेड किंगडम अत्यंत लचीले संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है क्योंकि वहां विधायी शक्तियों तथा सांविधानिक शक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है। ब्रिटिश संसद

-
1. के.सी. व्हीयर: माडर्न कॉन्स्टिट्यूशन्स, लंदन, 1951, पृष्ठ 91, हावर्ड ली मेक बी.इन: दि लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूयार्क, 1948, पृ. 7-10 भी देखिए।
 2. जे. क्विक एण्ड बी.आर. गैरेन: द एन्नोटेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आफ दि आस्ट्रेलियन कामनवेल्थ, सिडनी, 1991, पृ. 316।
 3. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्सेज, न्यूयार्क, 1951, खंड-दो, पृ. 21।
 4. ए.वी. डायसी: इंट्रोडक्शन टु द स्टडी ऑफ द लॉ आफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लंदन, 1952, पृष्ठ 127।

के पास विधान की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति है। युनाइटेड किंगडम की प्रणाली के विपरीत लिखित संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जैसा कि अमरीका में है। इसका महत्व वहां और बढ़ जाता है जहां संघीय प्रणाली है। अधिकांश लिखित संविधानों में संविधान में संशोधन करने की शक्ति या तो सामान्य विधानमंडल से भिन्न किसी निकाय में निहित होती है अथवा यह किसी विशेष प्रक्रिया के अध्यक्षीन, सामान्य विधानमंडल में निहित होती है। संघीय प्रणाली में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघीय ढांचा केवल संघीय विधानमंडल की इच्छा से ही परिवर्तित न किया जा सके, राज्य स्तर पर विधानमंडलों की भागीदारी जैसे अतिरिक्त सुरक्षोपाय के भी प्रावधान किए जाते हैं।

संविधान में लचीलेपन की आवश्यकता

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में लचीलेपन का तत्व रखने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए संविधानसभा में कहा था:

हालांकि हम इस संविधान के स्वरूप को जितना भी हो सके सुदृढ़ और स्थायी बनाना चाहते हैं, किन्तु फिर भी संविधानों में स्थायित्व नहीं होता। इसमें कुछ लचीलापन होना ही चाहिये। यदि आप किसी चीज को कठोर तथा स्थायी बनाते हैं, तो आप राष्ट्र का विकास रोकते हैं-सजीव, जीवन्त और गतिशील लोगों का विकास अवरुद्ध करते हैं। अतः इसे लचीला होना ही चाहिए।..... किसी भी परिस्थिति में हमें अपने संविधान को कुछ अन्य बड़े देशों के संविधानों की भांति, जो इतने कठोर हैं कि उनमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कठोर नहीं बनाना चाहिये। विशेष रूप से आज, जब कि विश्व में खलबली मची हुई है और हम तेजी से परिवर्तन के युग से गुजर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जो हम आज करें, कल वह बिल्कुल लागू ही न हो। इसलिए, हमें अपने संविधान को यथासंभव ठोस और बुनियादी तो बनाना ही चाहिए साथ ही यह लचीला भी होना चाहिए.....⁵

संविधानसभा और भारत में संविधान संशोधन

भारतीय संविधान के निर्माता न तो संघवाद के पारम्परिक सिद्धान्त, जो संवैधानिक संशोधन का कार्य विधानमंडल से इतर किसी अन्य निकाय को सौंपता है, के पक्ष में थे और न ही ऐसे संशोधनों के लिए कठोर एवं विशेष प्रक्रिया निर्धारित करने के पक्ष में थे। इसी तरह, वे कभी भी ब्रिटिश ढांचे जैसी व्यवस्था नहीं चाहते थे जहां संसद सर्वोच्च है और वह सब कर सकती है जो मनुष्य के लिए संभव है। 'मूल विधि का सिद्धांत' जो अमरीका के लिखित संविधान को रेखांकित करता है और 'संसदीय प्रभुता का सिद्धांत' जैसा कि ब्रिटेन में विद्यमान है, के संयोजन को स्वीकार करके भारत का संविधान उसमें निर्धारित विशेष प्रक्रिया के अध्यक्षीन सांविधानिक शक्तियों को संसद में निहित करता है।

5. संविधानसभा वाद-विवाद, खंड-सात, 8 नवम्बर, 1948, पृष्ठ 322-323।

इस पहलू पर संविधानसभा में विचार-विमर्श के दौरान कुछ सदस्य प्रारम्भिक पांच से दस वर्षों के लिए और सरल संशोधन प्रक्रिया अपनाने के पक्ष में थे। डॉ. पी.एस. देशमुख का मत था कि संविधान के संशोधन सरल बनाये जाने चाहिए क्योंकि कुछ स्थानों पर विरोधाभासी उपबंध हैं जो कि उपबंधों की व्याख्या किए जाने पर और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। यदि संविधान में संशोधन को सरल नहीं बनाया जाता है तो पूरे प्रशासन को परेशानी होगी। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद भी लचीले संविधान के पक्ष में थे ताकि यह समय की कसौटी पर खरा उतर सके। उनकी राय थी कि कठोरता से प्रगतिशील विधान अथवा क्रमिक परिवर्तन पर रोक लगेगी।

दूसरी ओर, श्री एच.वी. कामत संविधान में जल्दबाजी में संशोधन की संभावना से बचने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षोपायों की व्यवस्था करने के पक्ष में थे।⁶

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवम्बर, 1948 को संविधानसभा में बोलते हुए संविधान में संशोधन से संबंधित उपबंधों के संबंध में कुछ टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा:

यह कहा गया है कि मसविदे के इन उपबंधों से विधान में संशोधन करना बड़ा कठिन हो गया है। यह सुझाया गया है कि संविधान को ऐसा होना चाहिए कि कम-से-कम कुछ वर्षों तक उसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सके। यह तर्क विलक्षण और चातुर्यपूर्ण है। कहा जाता है कि संविधानसभा वयस्क मताधिकार आधार पर नहीं चुनी गई है, जब कि भविष्य की संसद वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जायेगी; किन्तु फिर भी संविधानसभा को साधारण बहुमत द्वारा विधान पारित करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि संसद को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इस बात का चारों ओर शोर मचाया जाता है कि यह प्रारूप संविधान की असंगत बातों में से एक है। मैं इस दोषारोप का खण्डन करता हूँ, क्योंकि यह बिल्कुल निराधार है। संविधान में संशोधन से संबंध रखने वाले प्रारूप संविधान के उपबंध कितने सहज हैं, यह जानने के लिये, हमें अमरीका और आस्ट्रेलिया के संविधानों के संशोधन संबंधी उपबंधों का अध्ययन ही पर्याप्त है। इनकी तुलना में हमारे प्रारूप संविधान में अंतर्विष्ट उपबंध बहुत ही सरल हैं। प्रारूप संविधान में परिपाटी या जनमत संग्रह द्वारा इस संबंध में निर्णय जैसी विस्तृत और कठिन पद्धति को हटा दिया गया है। विशेष विषयों के संबंध में ही और इनकी संख्या बहुत ही कम है, राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन अपेक्षित रखा गया है। संविधान के अन्य सभी अनुच्छेदों के संबंध में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। इस संबंध में एक मात्र प्रतिबन्ध यह रखा गया है कि प्रत्येक सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अन्यून तथा प्रत्येक सभा की सम्पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से स्वीकृत होने पर ही संशोधन होगा। संविधान में संशोधन वाली इससे सरल प्रक्रिया के बारे में सोचना कठिन है।

संशोधन संबंधी उपबंधों की कई बातों को जो असंगत कहा गया है, इसका कारण यह है कि संविधानसभा की स्थिति को तथा संविधान के अंतर्गत चुनी जाने वाली भावी संसद की स्थिति

6. संविधानसभा वाद-विवाद, खंड-नौ, 17 सितम्बर, 1949, पृष्ठ 1644-1667।

को ठीक-ठीक नहीं समझा गया है। संविधान के निर्माण के पीछे संविधानसभा की कोई पक्षपातपूर्ण भावना नहीं है। एक सुन्दर और सुचारू रूप से व्यवहृत होने योग्य संविधान बनाने के अतिरिक्त इसे कोई अपना विशेष अभिप्राय सिद्ध नहीं करना है। संविधान के अनुच्छेदों पर विचार करते समय इसकी दृष्टि इस बात पर नहीं है कि किसी विशेष उपबंध को पारित कराया जाए। भावी संसद अगर संविधानसभा के रूप में समवेत हुई, तो इसके सदस्य वहां पक्षपात की भावना से ही कार्य करेंगे और संविधान में ऐसे संशोधन पास करना चाहेंगे, जिनसे वे अपने दल के उन उपबंधों को स्वीकार करा सकें, जिन्हें संसद से मंजूर कराने में वे इस कारण असफल रहे कि संविधान का कोई अनुच्छेद उनकी राह में बाधक होता था। संसद का तो अपना विशेष उद्देश्य होगा, जिसे वह सिद्ध करना चाहेगी, पर संविधानसभा को अपना कोई विशेष अभिप्राय सिद्ध नहीं करना है। संविधानसभा में तथा भावी संसद में यही अन्तर है। यही मुख्य कारण है कि संविधानसभा, यद्यपि वह सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी गई है, द्वारा साधारण बहुमत द्वारा संविधान पारित किये जाने पर तो हम भरोसा कर सकते हैं, पर संसद को साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिए जाने पर हमें चिन्ता हो जाती है; यद्यपि वह वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी।⁷

***अन्य देशों में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया**

1. यूएसए

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-पांच से प्राप्त होता है। संविधान में प्रावधान है कि संशोधन या तो कांग्रेस द्वारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत के साथ प्रस्तावित किया जा सकता है या राज्य विधानमंडलों के आवेदनों पर कांग्रेस द्वारा बुलाई गई सभा द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। उपरोक्त दो उपायों में से किसी एक में प्रस्तावित संशोधन को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित अनुसमर्थन की एक या अन्य विधि के अनुसार, (क) राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, या (ख) राज्यों द्वारा बुलाई गई सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त दो तरीकों में से किसी एक में प्रस्तावित संशोधन की संपुष्टि होने के बाद, यह संविधान का अंग बन जाता है। प्रस्ताव के दो तरीकों और अनुसमर्थन के दो वैकल्पिक तरीकों के संयोजन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन के चार संभावित तरीके हैं।

अनुसमर्थन के संबंध में, अनुसमर्थन के तरीके का चुनाव – चाहे विधानमंडलों द्वारा या सभाओं द्वारा हो, कांग्रेस के विवेक पर ही निर्भर करता है।

7. संविधानसभा वाद-विवाद, खंड-सात, 4 नवम्बर 1948, पृष्ठ 43-44।

* डी.डी. बसु: कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 9वां संस्करण, खंड 14, 2019, पृ. 15420-15436।

2. ऑस्ट्रेलिया

कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, 1900 की धारा 128 में उपबंध है कि संविधान में निम्नलिखित रीति के सिवाय परिवर्तन नहीं किया जाएगा:-

(एक) इसके लिए या तो संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत से या एक सदन में कम से कम तीन महीने के अंतर पर होने वाले अलग-अलग दो बार के मतदानों में पूर्ण बहुमत से सहमति होनी चाहिए, और

(दो) तत्पश्चात् इसे अधिकांश राज्यों और राष्ट्रमंडल दोनों में मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

लेकिन किसी राज्य के आनुपातिक या न्यूनतम प्रतिनिधित्व को कम करने वाला कोई परिवर्तन या उसकी क्षेत्रीय सीमाओं में बदलाव करने वाला संशोधन, या किसी राज्य के संबंध में संविधान के उपबंधों को प्रभावित करने वाला कोई परिवर्तन तब तक विधि नहीं बन सकता जब तक कि उस राज्य के अधिकांश मतदाताओं द्वारा अनुमोदित न हो।

इसके बाद विधेयक को गवर्नर-जनरल के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

हालांकि, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की विभिन्न धाराएँ राष्ट्रमंडल संसद को विधान की सामान्य प्रक्रिया में विस्तृत मामलों से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के कतिपय उपबंधों में संशोधन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं, जैसे-

‘(I) संघीय सीनेटर्स के लिए मतदान की विधि (धारा 7); (II) संघीय प्रतिनिधियों की संख्या और उनकी अर्हताएं (धारा 27, 34); (III) सदन के विशेषाधिकार (धारा 49); (IV) राज्य के संघीय मंत्रियों की संख्या (धारा 65); (V) संघीय सिविल सेवकों की नियुक्ति और पदच्युति (धारा 67); (VI) संघीय न्यायालयों का सृजन (धारा 71); (VII) सीमाओं के भीतर, उच्च न्यायालयों को अतिरिक्त मूल अधिकारिता प्रदान करना और राज्य न्यायालयों को संघीय क्षेत्राधिकार सौंपना (धारा 77); (VIII) नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (धारा 121); (IX) राष्ट्रमंडल द्वारा अर्जित या स्वीकृत राज्यक्षेत्रों का शासन (धारा 122); और (X) सरकार का स्थान (धारा 125)।’

3. स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड के संविधान का शीर्षक VI ‘संघीय संविधान और संक्रमणकालीन उपबंधों के संशोधन’ से संबंधित है। शीर्षक VI का अध्याय एक संशोधन से संबंधित है।

अध्याय एक का अनुच्छेद 192 (सामान्य सिद्धांत) कहता है, (1) संघीय संविधान किसी भी समय पूर्ण या आंशिक संशोधन के अधीन हो सकता है। (2) जहां संघीय संविधान और कार्यान्वयनकारी विधि द्वारा यह अन्यथा उपबंधित न हो, संशोधन के लिए विधायी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

अनुच्छेद 193 (पूर्ण संशोधन) यह उपबंध करता है:

- (1) संघीय संविधान का पूर्ण संशोधन लोगों द्वारा या किसी एक चैंबर द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है या संघीय संसद द्वारा आदेशित किया जा सकता है।
- (2) यदि पहल लोगों की ओर से होती है या यदि चैंबर असहमत हैं, तो लोग तय करेंगे कि पूर्ण संशोधन किया जाएगा या नहीं।
- (3) लोगों द्वारा पूर्ण संशोधन स्वीकार किए जाने पर दोनों चैंबर को नये सिरे से निर्वाचित किया जाएगा।
- (4) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया जाए।

अनुच्छेद 194 (आंशिक संशोधन) यह उपबंध करता है:

- (1) संघीय संविधान के आंशिक संशोधन का अनुरोध लोगों द्वारा किया जा सकता है या इसके लिए संघीय संसद द्वारा आदेश दिया जा सकता है।
- (2) आंशिक संशोधन को विषय वस्तु की एकरूपता के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए और यह अंतरराष्ट्रीय विधि के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
- (3) इसके अलावा, आंशिक संशोधन के लिए लोगों की पहल को स्वरूप की एकरूपता के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए।

अनुच्छेद 195 (प्रवृत्त होना) के अनुसार:

संपूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित संविधान लोगों और कैंटॉन द्वारा स्वीकार किए जाते ही लागू हो जाएगा।

शीर्षक IV लोगों और कैंटॉन से संबंधित है – अध्याय II “पहल और जनमत संग्रह” से संबंधित है। अनुच्छेद 138 ‘संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन के लिए जनता की पहल’ से संबंधित है और अनुच्छेद 139 ‘संघीय संविधान के आंशिक संशोधन के लिए जनता की पहल’ से संबंधित है। इसके अलावा, अनुच्छेद 140 ‘अनिवार्य जनमत संग्रह’ के बारे में है और अनुच्छेद 141 ‘वैकल्पिक जनमत संग्रह’ से संबंधित है।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि स्विट्जरलैंड के संविधान संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में संवैधानिक जनमत संग्रह और संवैधानिक पहल की विधि को शामिल किया गया है।

4. फ्रांस

पांचवें फ्रांसीसी गणराज्य, 1958 के संविधान के अनुच्छेद 89 में प्रावधान है कि—

- (क) संशोधन के लिए विधेयक सरकार या संसद सदस्य द्वारा लाया जा सकता है।

(ख) संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को समान रूप से पारित करने के बाद, विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए परन्तु यदि राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लेते हैं तो उस दशा में यह संयुक्त सत्र द्वारा किए गए मतदान के तीन बटा पाँचवें हिस्से के बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए।

संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सीनेट को एक प्रभावी वीटो देती है क्योंकि अनुच्छेद 89 के तहत संशोधन के पहले चरण में संसद के दोनों सदनों में समान रूप से मतदान होना आवश्यक है। यदि सीनेट संशोधन से सहमत नहीं है तो यह विफल हो जाता है। स्थायी आदेश का अनुच्छेद 126, हालांकि, यह वैधता प्रदान करता है कि संसद के दोनों सदनों में पारित होने के लिए संशोधन के लिए सामान्य विधायी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा अर्थात् साधारण बहुमत की आवश्यकता है।

भारत के संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया

विश्व के प्रमुख संविधानों की तुलना में भारत के संविधान में संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया का उपबन्ध है। इसे आंशिक रूप से लचीला तथा आंशिक रूप से कठोर कहा जा सकता है। भारत के संविधान में विभिन्न संशोधन प्रक्रियाओं की व्यवस्था है—जो एक ऐसी विशेषता है, जिसकी प्रो. के.सी. व्हीयर ने इस आधार पर प्रशंसा की है कि संशोधन प्रक्रिया एक समान होने से संविधान के भागों में संशोधन करने पर “काफी अनावश्यक निबंधन” लग जाते हैं⁸।

भारत के संविधान में संशोधनों की तीन श्रेणियों का उपबन्ध किया गया है⁹। पहले, वे, जिन्हें संसद द्वारा साधारण बहुमत से अमल में लाया जा सकता है उसी प्रकार जैसे किसी सामान्य विधि को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की अपेक्षा होती है— अनुच्छेद 4¹⁰, 169¹¹

8. प्रो. व्हीयर: उद्धृत कृति, पृ. 143।

9. शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ए आई आर 1951 एस सी 455।

10. अनुच्छेद 4 में उपबन्ध है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 (नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित) और अनुच्छेद 3 (नये राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने से संबंधित) के अधीन बनाई गई विधियाँ, जो संविधान की पहली अनुसूची अथवा चौथी अनुसूची में संशोधन करती हैं और अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक मामले अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझे जायेंगे। इस प्रकार, उदाहरण के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, जिसके द्वारा भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, संसद द्वारा एक साधारण विधान के रूप में पारित किया गया था।

यह निर्णय दिया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या को अनुच्छेद 170 (1) के अंतर्गत विहित न्यूनतम सीमा से कम करने की शक्ति अनुच्छेद 4 के अंतर्गत विधि बनाने के प्राधिकार में अन्तर्निहित है (मंगल सिंह बनाम भारत संघ, ऑल इण्डिया रिपोर्टर 1967 उच्चतम न्यायालय 944)।

11. अनुच्छेद 169 संसद को विधि द्वारा राज्यों में विधान परिषदों के उत्सादन अथवा सृजन की शक्ति प्रदान करता है और यह घोषित करता है कि यद्यपि ऐसी विधि में संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट होंगे, फिर भी अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जायेगा। विधान परिषद अधिनियम, 1957, संसद द्वारा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग

पांचवीं अनुसूची के पैरा 7 (2)¹² और छठी अनुसूची के पैरा 21(2)¹³ में अनुध्यात संशोधन इस श्रेणी में आते हैं और इन्हें अनुच्छेद 368, जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित विशिष्ट उपबंध हैं; के क्षेत्राधिकार से विशेष रूप से बाहर रखा गया है; दूसरे, वे संशोधन, जिन्हें संसद द्वारा विहित “विशेष बहुमत” से अमल में लाया जा सकता है और तीसरे, वे, जिनके लिये इस प्रकार के “विशेष बहुमत” के अलावा राज्य विधानमंडलों में से कम-से-कम आधे विधानमंडलों द्वारा उनका अनुसमर्थन किये जाने की अपेक्षा होती है। अन्तिम दो श्रेणियां अनुच्छेद 368 से शासित होती हैं।

इस बारे में यह भी उल्लेखनीय है जैसाकि डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि “संविधान में ऐसे बहुत से अनुच्छेद हैं, जिनके अंतर्गत संबंधित विषयों के बारे में संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया है”¹⁴। उदाहरण के लिये अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद, अनुच्छेद 5 से 10 में किसी बात के होते हुए भी नागरिकता के बारे में कोई भी उपबन्ध कर सकती है¹⁵। इस प्रकार, संसद सामान्य विधि पारित करके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के कुछ उपबन्धों में वास्तव में संशोधन किये बिना उनके प्रवर्तन में वस्तुतः रूपभेद कर सकती है या उन्हें रद्द कर सकती है। तथापि, चूंकि ऐसी विधियां वास्तव में संविधान की भाषा में कोई भी परिवर्तन नहीं करती हैं, इन्हें न तो संविधान का संशोधन समझा जा सकता है और न ही इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

करते हुए पारित विधि का एक उदाहरण है। इस अधिनियम में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के सृजन और कुछ अन्य राज्यों में विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि करने का उपबन्ध किया गया था।

12. पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबन्ध अंतर्विष्ट हैं। अनुसूची का पैरा 7 संसद को, अनुसूची में संशोधन करने वाली विधियों का अधिनियमन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है और उसमें यह उपबन्ध है कि ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये संविधान का संशोधन नहीं समझा जायेगा।
13. पैरा 21 (छठी अनुसूची) के अंतर्गत, संसद को छठी अनुसूची में, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, संशोधन करने वाली विधियां अधिनियमित करने की पूर्ण शक्ति है। तथापि, इस प्रकार की किसी भी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।
14. संविधानसभा वाद-विवाद, खण्ड-9, 17 सितम्बर 1949, पृष्ठ 1660।
15. इसी प्रकार के और उदाहरणों के लिए संविधान का भाग 21— “अस्थायी, अन्तर्कालीन तथा विशेष उपबंध” देखें जिसके द्वारा “इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी” संसद को राज्य सूची में कुछ विषयों के बारे में विधि बनाने की शक्ति दी गई है (अनुच्छेद 369); अनुच्छेद 370(1) (घ) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के उपबन्ध लागू करने के बारे में राष्ट्रपति को उनमें आदेश द्वारा रूपभेद करने की शक्ति प्रदान करता है: अनुच्छेद 83(2) तथा 172(1) के परन्तुक संसद को आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान लोक सभा तथा प्रत्येक राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करते हैं; तथा अनुच्छेद 83(1) और 172(2), जिनमें यह उपबन्ध है कि राज्य सभा/राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

जहां तक औपचारिक संशोधन करने हेतु संविधानिक शक्ति का संबंध है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इसमें अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार करने की शक्ति प्रदान करता है जो सामान्य विधायी प्रक्रिया से भिन्न है। अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971¹⁶ तथा संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा संशोधन किया गया है, का पाठ निम्नलिखित है:-

368: संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिये प्रक्रिया:-

- (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्धन, परिवर्तन अथवा निरसन के रूप में संशोधन, इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।
- (2) इस संविधान के संशोधन का आरम्भ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिये विधेयक पुरःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संशोधित हो जायेगा:

परन्तु यदि ऐसा संशोधन:

- (क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, ¹⁷[अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, या अनुच्छेद 279क में]; या

16. 24वें संशोधन अधिनियम तथा 42वें संशोधन अधिनियमद्वारा अनुच्छेद 368 के संशोधन से पूर्व यह इस प्रकार था: अनुच्छेद 368, संविधान के संशोधन के लिये प्रक्रिया:-

इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरःस्थापित कर के ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब संविधान उस विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा:

परन्तु यदि ऐसा संशोधन-

- (क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241 में, या
- (ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में, या
- (ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या
- (घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या
- (ङ) इस अनुच्छेद के उपबंधों में,

कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये प्रस्तुत किये जाने से पहले उस संशोधन के लिये कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

17. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016, धारा 15 द्वारा शब्दों और अंकों "अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241" (16.9.2016 से) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, या भाग 11 के अध्याय 1 में, या
- (ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या
- (घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या
- (ङ) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में,

कोई परिवर्तन करने के लिए है, तो ऐसे संशोधन के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये प्रस्तुत किये जाने से पहले उस संशोधन के लिये कम-से-कम आधे राज्यों¹⁸ के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

- (3) अनुच्छेद 13¹⁹ की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।
- (4) *इस संविधान का (जिसके अंतर्गत भाग-3 के उपबंध हैं) इस अनुच्छेद के अधीन [संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारम्भ से पहले या उसके पश्चात्] किया गया या तात्पर्यित कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
- (5) *शंकाओं को दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबन्धों का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बन्धन नहीं होगा।

संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया के विश्लेषण से पता चलता है कि:

- (एक) संशोधन का आरम्भ संसद के किसी भी सदन में विधेयक पुरःस्थापित करके ही किया जा सकता है;
- (दो) इस प्रकार आरम्भ किये गये विधेयक को प्रत्येक सदन के द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत²⁰ तथा सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों

18. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 तथा अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट" शब्दों तथा अक्षरों का लोप कर दिया गया।

19. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के द्वारा खंड 3 अंतःस्थापित किया गया और इसमें अनुच्छेद 13 में एक नया खण्ड (4) भी जोड़ा गया; इस का पाठ इस प्रकार है, "इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी"।

* संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा धारा 55 के द्वारा अनुच्छेद में खंड (4) और (5) अंतःस्थापित किए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य (1980) 2 एस.सी.सी. 591 के मामले में इस धारा को अविधिमान्य घोषित कर दिया है।

20. इस प्रसंग में परिभाषा के अनुसार समस्त सदस्य संख्या से तात्पर्य सदस्यों की उस समस्त संख्या से है जिससे सभा संनिर्मित हो, चाहे किसी भी कारण से कुछ रिक्तियां या अनुपस्थितियां हों, जैसा कि लोक सभा

के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया जाना चाहिए²¹। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है;

(तीन) विधेयक के इस प्रकार पारित हो जाने के पश्चात् इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करेगा;

(चार) जब संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के परन्तुक में उल्लिखित किसी उपबन्ध²² में कोई परिवर्तन करना होता है, तो इसका राज्यों के आधे से अन्यून विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन²³ किया जाना चाहिए;

के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 159 की व्याख्या में कहा गया है।

21. किसी भी प्रश्न के परिणाम की घोषणा करते समय किसी भी मतदान में मतदान से "विरत" रहने वाले सदस्यों की संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। कोई सदस्य, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र के द्वारा या मतदान पर्ची पर या किसी अन्य रीति में "विरत" मतदान करता है, केवल सदन में अपनी उपस्थिति तथा मतदान से विरत रहने का अपना इरादा प्रकट करने के लिए ऐसा करता है, "उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों" शब्दों के अर्थ के अनुसार वह अपना मत नहीं देता। "उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों" पदावलि का अभिप्राय "पक्ष" या "विपक्ष" में मतदान करने वाले सदस्यों से होता है। लोक सभा नियम समिति का 8-9 सितम्बर, 1970 का कार्यवृत्त (श्री एम.एन. कौल तथा श्री एस.एल. शकधर द्वारा लिखित प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिजर आफ पार्लियामेंट, 2001, पृ. 608)।
22. ये उपबन्ध संघीय ढांचे अथवा संघ और राज्यों दोनों के सामान्य हित के संबंध में कतिपय मामलों से संबंधित हैं, अर्थात्—
 - (क) राष्ट्रपति का चुनाव (अनुच्छेद 54 और 55);
 - (ख) संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73 और 162);
 - (ग) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 241);
 - (घ) संघ न्यायपालिका और राज्यों के उच्च न्यायालय (भाग 5 का अध्याय 4 और भाग 6 का अध्याय 5);
 - (ङ) संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन (भाग 11 का अध्याय 1 और सातवीं अनुसूची);
 - (च) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व; और
 - (छ) अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान के संशोधन का उपबन्ध।
23. संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1954; संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956; संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956; संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960; संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962; संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962; संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963; संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963; संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969; संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969; संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971; संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971; संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972; संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972; संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973; संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973; संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974; संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975; संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975; संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975; संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976; संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977; संविधान (चवालीसवां संशोधन)

(पांच) ऐसा अनुसमर्थन राज्य विधानमंडलों द्वारा संकल्प पारित करके किया जाता है;

(छः) राज्य विधानमंडलों द्वारा ऐसे संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन करने हेतु कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं है; तथापि, प्रस्तावित संशोधन का अनुसमर्थन करने वाले संकल्प, संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति हेतु प्रस्तुत किए जाने से पूर्व पारित किये जाने चाहिए²⁴; और

(सात) संविधान में संशोधन (1) केवल संसद द्वारा और (2) निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। संसद के अतिरिक्त किसी अन्य विधानमंडल द्वारा और निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा संविधान संशोधन का प्रयास अमान्य और प्रभावहीन होगा²⁵।

यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अनुसमर्थन के अभाव में सम्पूर्ण संविधान संशोधन अमान्य है अथवा अनुच्छेद 368 के खंड (2) के उपबंधों के अधीन केवल संशोधित उपबंध को ही अनुसमर्थित किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1992 में विनिश्चित एक मामले में इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में बहस हुई थी, जो अब दल-बदल विरोधी मामले²⁶ के रूप में जाना जाता है तथा जिसमें संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा अंतःस्थापित संविधान की दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई थी। इस मामले में, उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्हरता के संबंध में अध्यक्षों/सभापतियों के विनिर्णयों, जिन्हें

अधिनियम, 1978; संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980; संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982; संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984; संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986; संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988; संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989; संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992; संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992; संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992; संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994; संविधान (उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999; संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001; संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 को अनुमति हेतु राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने से पहले संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने के बाद सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था।

24. अमरीकी संविधान में तत्संबंधी उपबंध अर्थात् अनुच्छेद 5 के संबंध में, जिसमें भी अनुसमर्थन के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुसमर्थन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, एक उचित समय के भीतर होना चाहिये (डिलियन बनाम ग्लोस, 65, विधि संस्करण 9945) लेकिन इस न्यायालय को यह निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि उचित समय कितना होगा (कोलमैन बनाम मिलर, 83, विधि संस्करण 1385)। उसने यह भी निर्णय दिया है कि राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थनों की, पूर्व में अस्वीकृत किये जाने अथवा प्रयत्नित प्रत्याहरण के प्रकाश में, प्रभावकारिता का प्रश्न राजनैतिक विभागों से संबंधित राजनैतिक प्रश्न के रूप में माना जाए जो संशोधन की स्वीकृति के प्रख्यापन के मामले में कांग्रेस के एकमात्र अधिकार के अंतर्गत आता है। (कोलमैन बनाम मिलर, 83, विधि संस्करण 1385)

25. अब्दुल रहिमन जमालुद्दीन बनाम विट्टल अर्जुन, ए.आई.आर. 1958, बम्बई, 94।

26. किहोटा होलोहॉन बनाम जैचिल्लहू और अन्य, (1992) 1 एस.सी.सी. 309।

विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी, को सुना। संविधान पीठ ने अपने बहुमत निर्णय में दसवीं अनुसूची की वैधता को उचित ठहराया परन्तु अनुसूची के पैरा 7 को अवैध घोषित किया क्योंकि इसका राज्यों के अपेक्षित विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया था और इससे संविधान के अनुच्छेद 136, 226 और 227 में संशोधन करना पड़ता। ऐसा निर्णय देते समय बहुमत ने पैरा 7 को अनुसूची के शेष भाग से अलग माना। तथापि, आधे से कम न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि सम्पूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम अनुसमर्थन के अभाव में अवैध है।

संसद की संविधायी एवं विधायी शक्तियां

1. विधायी शक्ति का तात्पर्य राज्य के कानून बनाने वाले अंग की नागरिकों के एक-दूसरे के प्रति और राज्य के प्रति आचरण को विनियमित करने के लिए सामान्य कानून या संविधि बनाने की शक्ति से है। चूँकि ऐसे कानून बनाने वाली विधायिका स्वयं संविधान द्वारा उपबंधित व्यवस्था है इसलिए यह अधिकारातीत के सामान्य सिद्धांत के कारण सामान्य कानून बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करके संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है।

भारत में, संघ की विधायी शक्ति संसद में निहित है और राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है तथा संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच इस शक्ति का विभाजन संविधान के अनुच्छेद 245-250 द्वारा प्रभावी होता है।

यदि केंद्रीय संसद अनुच्छेद 107-117 में निर्धारित 'विधायी प्रक्रिया' का अनुपालन करती है तो वह उपरोक्त विधायी शक्ति का प्रयोग करके कानून बना सकती है लेकिन उस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन नहीं कर सकती है।

2. दूसरी ओर, संविधायी शक्ति का अर्थ संविधान बनाने या बदलने की वह शक्ति है जिसके द्वारा स्वयं विधानमंडल सहित राज्य के विभिन्न अंग उपबंधित होते हैं। अतः जब तक संविधायी शक्ति किसी स्पष्ट सीमा द्वारा सीमित नहीं की जाती है, संवैधानिक निकाय निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अधिकारातीत के सिद्धांत को आकर्षित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है।

विधायी और संविधायी शक्ति के बीच अंतर करने के लिए 'सामान्य विधि' और 'संवैधानिक विधि' के बीच भेद को अवश्य याद रखना चाहिए। एक सामान्य कानून किसी राष्ट्र के संविधान द्वारा स्थापित विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है जबकि संवैधानिक कानून उस संविधान से उत्पन्न होने वाला कानून है जो स्वयं विधानमंडल सहित राज्य के विभिन्न अंगों को स्थापित करता है। विधायी शक्ति वह शक्ति है जिसके प्रयोग से विधानमंडल

सामान्य कानून बनाता है; संविधायी शक्ति वह शक्ति है जिसके प्रयोग से संविधान स्वयं निर्मित, निरस्त या परिवर्तित होता है।

विधायी प्रक्रिया और संविधान संशोधन

अनुच्छेद 368 विभिन्न प्रक्रमों में अपनाई जाने वाली विधायी प्रक्रिया के संबंध में “पूर्ण संहिता” नहीं है। प्रक्रिया में इस संबंध में कमियां हैं कि किस प्रकार और कितने समय की सूचना के पश्चात् किसी विधेयक को पुरःस्थापित किया जायेगा, प्रत्येक सदन द्वारा इसको किस प्रकार पारित किया जायेगा और राष्ट्रपति की अनुमति किस प्रकार प्राप्त की जायेगी²⁷। इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय द्वारा शंकर प्रसाद के मामले में भी विनिश्चित किया गया था। न्यायालय का निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री जे. ने बताया²⁸:

संसद के गठन का प्रावधान करके और इसके सामान्य विधायी कार्य के संचालन की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करके प्रत्येक सदन द्वारा बनाये गये नियमों (अनुच्छेद 118) द्वारा अनुपूरित किया जायेगा, संविधान के निर्माताओं ने यह परिकल्पना की होगी कि संसद द्वारा जब वह अपने आप को संविधान के संशोधन का अधिकार दे, उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, जहां तक कि वह अनुच्छेद 368 में व्यक्त विशिष्ट उपबंधों के अनुरूप लागू हो सके।

अतः, विशेष बहुमत, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन और राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य अनुमति की अपेक्षाओं को छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा एक सामान्य विधान पर लागू विधायी प्रक्रिया द्वारा ही निपटाया जाता है।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कुछ विशिष्ट उपबंध किये गये हैं: वे (क) अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के संदर्भ में ऐसे विधेयकों के विभिन्न प्रक्रमों में सदन में मतदान की प्रक्रिया, और (ख) ऐसे विधेयकों को गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रायोजित करने की स्थिति में पुरःस्थापित करने से पूर्व प्रक्रिया के संबंध में हैं।

यद्यपि, अनुच्छेद 368 में उल्लिखित “विशेष बहुमत” प्रथम दृष्टया केवल अन्तिम प्रक्रम में मतदान हेतु ही लागू है, तथापि लोक सभा नियमों में विधेयक के सभी प्रभावी प्रक्रमों के लिये इस संवैधानिक अपेक्षा का पालन करना निर्धारित है, अर्थात्, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कि विधेयक पर विचार किया जाये; कि विधेयक पर, प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये, यदि विधेयक समिति को भेजा गया है, विधेयक के प्रत्येक खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में खंड या अनुसूची को स्वीकृत करने के लिये; या कि विधेयक या संशोधित रूप में विधेयक, यथास्थिति पारित किया जाये²⁹। यह उपबंध, जो महान्यायवादी के परामर्श

27. शंकर प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1951 एस.सी. 458।

28. वही।

29. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 155 और 157, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2004, पृ. 56।

और नियम समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त की स्थिति दर्शाता है, आवश्यकता से अधिक सावधानी प्रमाणित करता है। यह न केवल अनुच्छेद 368 का कड़ाई से पालन करना और पालन की गई प्रक्रिया की वैधता को ही सुनिश्चित करता है, बल्कि संविधान का संशोधन करने वाले एक विधेयक, जिसमें इस पर खण्डवार विचार सम्मिलित है, जिसे सदन में केवल आवश्यक गणपूर्ति द्वारा ही पारित कर दिया जाता है, के समग्र विचारण द्वारा उस अनुच्छेद की भावना और योजना के संभावित उल्लंघन के विरुद्ध भी रक्षा करता है³⁰। उपरोक्त सभी स्तरों पर मतदान, मत-विभाजन द्वारा होता है³¹। तथापि, अध्यक्ष, सदन की सहमति से खण्डों अथवा अनुसूचियों के किसी समूह को एक साथ मतदान के लिये रख सकता है, बशर्ते कि यदि कोई सदस्य यह निवेदन करता है कि किन्हीं खण्डों अथवा अनुसूचियों को पृथक-पृथक मतदान के लिये रखा जाये तो अध्यक्ष ऐसे किसी निवेदन को स्वीकार करेगा³²। संक्षिप्त नाम, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं³³। विधेयक के खण्डों या अनुसूचियों में संशोधनों को स्वीकार करने हेतु उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उसी रीति से, पर्याप्त होगा जिस रीति से किसी अन्य विधेयक के मामले में होता है³⁴।

संविधान में संशोधन के लिये गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में वही नियम लागू होते हैं, जो सामान्य रूप से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर लागू होते हैं। अतः एक महीने की सूचना की अवधि ऐसे विधेयक के मामले में भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में ऐसे विधेयक को कार्यसूची में सम्मिलित करने से पूर्व इसकी 'गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति' द्वारा जांच और सिफारिश की जानी अपेक्षित होती है³⁵। समिति ने इन विधेयकों के संबंध में अपनी सिफारिशें करने के उद्देश्य से मार्गदर्शी निर्देशों के रूप में निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित किए हैं³⁶:

(एक) संविधान को एक पवित्र दस्तावेज समझा जाना चाहिये एक ऐसा दस्तावेज, जिसके संबंध में हल्के ढंग से हस्तक्षेप न किया जाये और इसमें तब ही संशोधन किया जाना चाहिये, जब ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक हो। ऐसे संशोधन सामान्य रूप से तब ही पेश किए जाने चाहिये, जब यह पाया जाए कि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और उपबंधों की व्याख्या ऐसे उपबंधों में निहित उद्देश्य के अनुकूल नहीं है तथा कमी अथवा भारी

30. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन, अप्रैल 1956, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

31. नियम 158, प्रक्रिया नियम, उद्धृत कृति।

32. नियम 155, वही।

33. वही।

34. नियम 156, उद्धृत कृति।

35. नियम 294, उद्धृत कृति।

36. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन, दिसम्बर 1953, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

असंगति के मामले प्रकाश में आये हों। तथापि, सरकार द्वारा ऐसे संशोधन, साधारणतः मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने और विशेषज्ञों से परामर्श करने तथा अन्य ऐसी सलाह, जिसे वह उचित समझे, प्राप्त करने के बाद ही पेश किए जाने चाहिये।

- (दो) संविधान के कार्यकरण और इसके सामान्य प्रभाव का उचित मूल्यांकन करने से पहले कुछ समय व्यतीत होना चाहिये, ताकि कोई भी संशोधन, जो आवश्यक समझे जाएं, पर्याप्त अनुभव के आधार पर सुझाए जाएं।
- (तीन) सामान्यतः गैर-सरकारी सदस्यों से प्राप्त विधेयकों की सूचना की उन प्रस्तावों या उपायों की पृष्ठभूमि में जांच की जानी चाहिये जिनके विषय में उस समय सरकार विचार कर रही हो, ताकि पर्याप्त सामग्री एकत्र करके और विशेषज्ञ सलाह लेकर सरकार द्वारा सभा के समक्ष समेकित प्रस्ताव पेश किये जाएं।
- (चार) जब कभी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक में दूरगामी महत्व और जनहित के मुद्दे उठाए जायें, तो विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए, ताकि मामले पर आगे विचार करने के लिये सभा को समर्थ बनाने हेतु जनता की राय का पता कर लिया जाये और इस बारे में अनुमान लगा लिया जाये। यह निर्धारित करने के लिये कि कोई मामला पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का है या नहीं, इस बात की जांच की जानी चाहिये कि क्या संविधान में विशेष उपबंध उस समय की प्रचलित धारणाओं और जनता की मांग को सन्तुष्ट करने के लिये पर्याप्त है। अन्य शब्दों में, संविधान समकालीन आवश्यकताओं और प्रगतिशील समाज की मांगों के अनुकूल होना चाहिए और किसी भी ऐसी कठोरता से, जो प्रगति में बाधक हो, बचना चाहिए।

राज्य सभा में, सभा के नियमों में, संविधान में संशोधन के लिये विधेयकों के संबंध में किन्हीं विशेष उपबंधों का उल्लेख नहीं है और सामान्य विधेयकों से संबंधित नियम, अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए, लागू होते हैं।

संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का क्षेत्राधिकार

एल.सी. गोलकनाथ *बनाम* पंजाब राज्य³⁷ के मुकदमे तक, उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि संविधान का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, जिसमें संशोधन न किया जा सकता हो और यह कि संसद, संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके, अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं का पालन करते हुए, मूल अधिकारों और अनुच्छेद 368 सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है³⁸।

37. ऑल इंडिया रिपोर्टर 1967 एस.सी. 1643।

38. शंकर प्रसाद सिंह देव *बनाम* भारत संघ के मुकदमे में (ऑल इंडिया रिपोर्टर 1951 एस.सी. 458), उच्चतम न्यायालय ने एकमत से यह निर्णय दिया था: अनुच्छेद 368 की भाषा पूर्णतः सामान्य है तथा यह संसद को, किसी भी अपवाद के बिना, संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में, "विधि" का अर्थ साधारण विधायी शक्ति का प्रयोग करके बनाए गए नियमों अथवा विनियमों से लिया जाना चाहिये, न कि संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके संविधान में किए गए संशोधनों से, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 13(2) प्रभावित नहीं करता है।

लेकिन गोलकनाथ के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने (6:5 के बहुमत से) अपने पूर्व निर्णयों को बदल दिया।

गोलकनाथ के मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय दिया: संविधान में संशोधन करना एक विधायी प्रक्रिया है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 13³⁹ के अर्थ में “विधि” है। अतः, ऐसा संवैधानिक संशोधन, जो भाग तीन द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को ‘छीनता या न्यून करता हो’, शून्य होगा।

न्यायालय की यह भी राय थी कि संविधान के भाग तीन में शामिल मूल अधिकारों को संविधान के अंतर्गत सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है तथा उन्हें संसद की पहुंच से बाहर रखा गया है। भाग तीन में मूल स्वतंत्रता का उपांतरण करने, उसे सीमित करने अथवा उसका हास करने में संसद की अक्षमता संविधान की योजना तथा स्वतंत्रता के स्वरूप से उद्भूत होती है।

गोलकनाथ के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, संसद ने संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम 1971 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा संविधान में संशोधन करके यह स्पष्ट उपबंध किया गया है कि संसद को मूल अधिकारों के उपबंधों सहित संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा अनुच्छेद 13 और 368 का संशोधन करके यह स्पष्ट करने के लिये किया गया है कि अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को न्यून करने या छीनने के विरुद्ध उल्लिखित प्रतिबन्ध अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संवैधानिक संशोधन के मामले में लागू नहीं होगा।

महामहिम केशवानन्द भारती श्रीपादगलवरू बनाम केरल राज्य के मुकदमे में⁴⁰ उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मुकदमे में दिए गए निर्णय का पुनरीक्षण किया और 24वें, 25वें, 26वें और 29वें संवैधानिक संशोधनों की वैधता की जांच की। इस मुकदमे की सुनवाई अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की गई। इस पीठ ने ग्यारह निर्णय दिए, जो कुछ मुद्दों पर एक-दूसरे के विचारों से सहमत थी और कुछ मुद्दों पर उसके विचार भिन्न थे। नौ न्यायाधीशों ने न्यायालय की “बहुमत राय” का इस प्रकार संक्षिप्त व्यौरा दिया:—

1. गोलकनाथ मुकदमे के निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था दी जाती है।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मुकदमे में (ऑल इंडिया रिपोर्टर 1965 एस.सी. 845), उच्चतम न्यायालय ने (3:2 के बहुमत से) यह निर्णय दिया था: जब अनुच्छेद 368, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है, तो इस शक्ति का संविधान के सभी उपबन्धों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है। इसे स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं होगा कि अनुच्छेद 13 (2) में “विधि” शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संविधान संशोधन अधिनियम भी शामिल है।

39. अनुच्छेद 13 (2): राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई कोई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

40. ऑल इंडिया रिपोर्टर 1973 एस.सी., 1461।

2. अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के बुनियादी ढांचे या रूपरेखा में परिवर्तन में सक्षम नहीं बनाता है।
3. संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम, 1971 वैध है।
4. संविधान (25वां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 2(क) और 2(ख) वैध है।
5. संविधान (25वां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 3 का पहला भाग वैध है। दूसरा भाग अर्थात् “और ऐसी घोषणा वाले किसी कानून को, कि यह ऐसी नीति को प्रभावी बनाने के लिये है, इस आधार पर किसी भी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकेगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं बनाता”, अवैध है।
6. संविधान (29वां संशोधन) अधिनियम, 1971 वैध है।

पूर्ण खण्डपीठ ने बहुमत द्वारा संविधान (24वां संशोधन) अधिनियम को वैध ठहराया तथा गोलकनाथ मामले के फैसले के विरुद्ध यह व्यवस्था दी कि संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ में “विधि” नहीं है। अनुच्छेद 13 के खण्ड (4) तथा 24वां संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368(3) में अंतर्विष्ट संगत प्रावधान को वैध ठहराते हुए न्यायालय ने इस मत के पक्ष में निर्णय देते हुए बताया कि संसद को मूल अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। परन्तु, न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में एक अन्य प्रतिपादना की भी पुष्टि की। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 में इस संविधान में संशोधन, का तात्पर्य उद्देशिका तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्व में विहित उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु उद्देशिका एवं संविधान की व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में कोई परिवर्धन या परिवर्तन है। मूल अधिकारों के मामले में इसका तात्पर्य होगा कि यद्यपि मूल अधिकारों को निराकृत नहीं किया जा सकता पर सार्वजनिक हित में मूल अधिकारों का तर्कसंगत न्यूनीकरण किया जा सकता है। वास्तविक स्थिति यह है कि संविधान के प्रत्येक उपबंध में संशोधन किया जा सकता है परन्तु यह तब जबकि संविधान का मूल आधार और स्वरूप वही बना रहे।

श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण के मुकदमे⁴¹, जिसमें संविधान के कतिपय संशोधनों को शून्य किया गया था⁴², में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल स्वरूप के सिद्धान्त की पुनः पुष्टि की गई और इसे लागू किया गया।

41. ऑल इंडिया रिपोर्टर 1975 एस.सी. 2299।

42. इस मुकदमे में संविधान (39वां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 329क को चुनौती दी गई थी। अनुच्छेद 329क में प्रधान मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था तथा यह व्यवस्था की गई थी कि उनके चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा संसदीय विधि द्वारा गठित एक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 329क के खण्ड (4) और (5) को, जिसमें विद्यमान निर्वाचन विधि को प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के चुनावों के लिये अनुपयुक्त बना दिया गया था, रद्द कर दिया तथा ऐसे चुनावों से संबंधित मामलों को अकृत और शून्य घोषित कर दिया था।

तदुपरान्त, केशवानन्द भारती के मुकदमे में न्यायालय की राय के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55⁴³ को असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ⁴⁴ के मुकदमे में यह निर्णय दिया कि:—

- चूंकि संविधान ने संसद को संशोधन करने संबंधी सीमित शक्ति प्रदान की थी, अतः संसद उस सीमित शक्ति का प्रयोग करके उस शक्ति का पूर्ण शक्ति के रूप में विस्तार नहीं कर सकती। वास्तव में, संशोधन करने संबंधी सीमित शक्ति हमारे संविधान की एक मुख्य विशेषता है और इसलिये, उसकी सीमाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, संसद, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, संशोधन करने संबंधी अपनी शक्ति का इस प्रकार विस्तार नहीं कर सकती, जिससे संविधान के निरसन या निराकरण संबंधी अधिकार को स्वयं ग्रहण कर ले या इसके मूल और आवश्यक तत्वों को नष्ट कर दे। सीमित शक्ति का अदाता उसी शक्ति का प्रयोग कर के सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता।

उच्चतम न्यायालय ने बाद के मामलों यथा वामन राव मामला⁴⁵, भीम सिंहजी मामला⁴⁶ न्यायाधीशों के स्थानान्तरण का मामला⁴⁷ एस.पी. सम्पत कुमार का मामला⁴⁸, पी. सम्बामूर्ति का मामला⁴⁹, किहोटा होलोहोन का मामला⁵⁰, एल. चन्द्र कुमार का मामला⁵¹, पी.वी. नरसिंह राव का मामला⁵², आई.आर. कोएल्हो का मामला⁵³, और संसद में प्रश्न पूछने के बदले पैसा लेने के मामले⁵⁴ में मूल ढांचे की अवधारणा विकसित की। सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णयों ने इस अवधारणा को और पुष्ट किया है।

43. संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 में उपखण्ड (4) और (5) अंतःस्थापित किये गये जिसमें प्रावधान था कि संसद की संविधायी शक्ति पर कोई निर्बंधन नहीं होगा और यह कि भाग-तीन का संशोधन करने वाले अधिनियम सहित किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर शंका प्रकट नहीं की जाएगी।
44. ऑल इंडिया रिपोर्टर 1980 एस.सी. 1789।
45. वामन राव बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 271।
46. भीम सिंह जी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 234।
47. एस.पी. गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति, ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 149।
48. एस.पी. सम्पत कुमार बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 386।
49. पी. सम्बामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 663।
50. किहोटा होलोहोन बनाम जाचिल्लहू और अन्य, (1992) 1 एस.सी.सी. 309।
51. एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1125।
52. पी.वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (सी.बी.आई/एस.पी.ई.), ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 2120।
53. आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, (2007) 2 एस.सी.सी. 1।
54. राजाराम पाल बनाम माननीय लोक सभा अध्यक्ष और अन्य, जे.टी. 2007 (2) एस.सी. 1।

भारत संघ *बनाम* राजेंद्र एन. शाह, 2021 एसएससी ऑनलाइन एससी 474⁵⁵ में, संविधान के भाग 9-ख की संवैधानिक वैधता, जिसमें 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतर्विष्ट अनुच्छेद 243-य, ज से 243-य, न शामिल हैं, को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ भाग 9-ख को अंतर्स्थापित किया गया है, अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अधीन अपेक्षित अनुसमर्थन के अभाव में संविधान के अधिकारातीत है। तथापि, इस मामले में पृथक्करणीयता का सिद्धांत भाग 9-ख को उस सीमा तक बनाए रखने के लिए लागू किया गया था, जहाँ तक इसका संबंध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बहु-राज्य सहकारी समितियों से है।

99वें संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य *बनाम* भारत संघ, 2016 5 एससीसी 1⁵⁶ के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम संविधान की मूल संरचना के अधिकारातीत है⁵⁷। न्यायालय ने 99वें संशोधन और एनजेएसी अधिनियम को भी असंवैधानिक करार दिया।

जनहित अभियान *बनाम* भारत संघ 2022 एसएससीऑनलाइन एससी1540⁵⁸ में 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौजूदा आरक्षणों के अलावा नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण, 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने के नाते मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह सीमा स्वयं अनम्य नहीं है और किसी भी मामले में केवल संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) से संबंधित आरक्षण पर लागू होती है।

संविधान की मूल विशेषताएं नियत नहीं हैं। अब तक मूल ढांचे की सूची में लगभग 20 बातें⁵⁹ जोड़ी गई हैं जिन्हें अनेक मामलों में 'मूल' अथवा 'अनिवार्य' दर्शाया गया है। इंदिरा नेहरू

55. भारत संघ *बनाम* राजेंद्र एन. शाह, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 474।

56. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य *बनाम* भारत संघ 2016 एससीसी 51।

57. <https://www.scconline.com/blog/post/2016/06/06/2016-scc-vol-5-may-28-2016-part-1/>।

58. जनहित अभियान *बनाम* भारत संघ 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1540।

59. न्यायपालिका ने संविधान की मूल विशेषताओं को स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया है। तथापि, संविधान की सर्वोच्चता; विधि का शासन; शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त; संविधान की उद्देशिका में विहित उद्देश्य; न्यायिक समीक्षा; अनुच्छेद 32 और 226; संघवाद; पंथनिरपेक्षता; संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्यात्मक स्वरूप; वैयक्तिक स्वतंत्रता और गरिमा; राष्ट्र की एकता और अखंडता; समानता का सिद्धान्त, समानता का प्रत्येक तत्व नहीं, बल्कि समान न्याय का सार; भाग तीन मंच अन्य मौलिक अधिकारों का 'सार'; कल्याणकारी राष्ट्र के निर्माण हेतु सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा; समस्त भाग चार; मौलिक

गांधी बनाम राज नारायण, जिसे चुनाव मामले⁶⁰ के नाम से जाना जाता है, तथा मिनर्वा मिल्स⁶¹ के मामले में यह कहा गया है कि इस बात का निर्णय न्यायालय अपने समक्ष आने वाले प्रत्येक मामले में स्वयं करेगा कि संविधान का कौन सा विशेष पहलू “मूल” है अथवा मूल नहीं है।

भारत में संवैधानिक संशोधन संबंधी शक्ति और प्रक्रिया की कुछ विशेष रुचिकर बातें हैं:-

- (एक) संविधान में संशोधन के प्रयोजनों के लिये कोई पृथक् संविधायी निकाय नहीं है; विधान मंडल में संविधायी शक्ति भी निहित है।
- (दो) यद्यपि संसद को संविधान के मूल ढांचे को बनाये रखना है, किन्तु संशोधन की शक्ति में कोई अन्य निर्बंधन नहीं है, अर्थात् संविधान का कोई ऐसा उपबंध नहीं है जिसमें संशोधन न किया जा सकता हो।
- (तीन) संविधान में संशोधन के मामले में राज्यों की भूमिका सीमित है। राज्य विधान मंडल संविधान में संशोधन करने हेतु कोई विधेयक अथवा प्रस्ताव नहीं ला सकते। अनुच्छेद 368 के परन्तुक में उल्लिखित उपबंधों में से किसी भी उपबंध में कोई परिवर्तन करने हेतु संशोधन के मामले में वे अनुच्छेद 368 में निर्धारित अनुसमर्थन प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक संशोधन करने की प्रक्रिया से सम्बद्ध होते हैं। इसके अलावा, उनका अधिकार होता है: (1) अपने विधान मंडलों में विधान परिषदों के सृजन अथवा उत्सादन हेतु प्रक्रिया आरंभ करना⁶² और (2) किसी राज्य अथवा राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं अथवा नाम को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित संसदीय विधेयक, जो अनुच्छेद 3⁶³ के परन्तुक

अधिकारों और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन; संसदीय शासन प्रणाली; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का सिद्धान्त; अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति पर निर्बंधन; न्यायपालिका की स्वतंत्रता; सुलभ न्याय; अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियां; किसी अधिनियम के अंतर्गत गठित माध्यस्थम अधिकरण द्वारा राज्य की न्यायिक शक्ति के प्रयोग में बनाए गए पंचाट को अकृत करने वाले विधान, आदि संविधान की कुछ मूल विशेषताएं कहलाती हैं।

60. ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 2299 (पृ. 2465, चंद्रचूड़ जे.)।
61. ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1789 (पैरा 88, भगवती जे.)।
62. अनुच्छेद 169 (1): अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा, किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिये अथवा वैसी परिषद से रहित राज्य में वैसी परिषद के सृजन के लिये, उपबंध कर सकेगी, यदि राज्य की विधानसभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अनुमूल बहुमत से पारित कर दिया हो।
63. अनुच्छेद 3 के परन्तुक में यह उपबंध है कि इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, तथा जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं अथवा नाम पर पड़ता हो, संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा.... विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल को उस पर संदर्भ में उल्लिखित अवधि अथवा आगे की अवधि जो राष्ट्रपति द्वारा अनुमत्य हो और इस तरह उल्लिखित अवधि अथवा स्वीकृत अवधि जो समाप्त हो गई है, के भीतर अपने विचार व्यक्त करने हेतु भेज दिया गया है।

के अंतर्गत राज्यों को भेजा गया है, पर अपने विचार देना । यह ऐसा संदर्भ है जो विधेयक में और आगे कोई संशोधन करने हेतु संसद की शक्ति में बाधा नहीं डालता⁶⁴ ।

संविधान संशोधन (1950-2023): संक्षिप्त पुनरीक्षा

संविधान के कार्यान्वयन के गत तिहत्तर वर्षों के दौरान इसमें 106 संशोधन किए गए हैं: पहला-1951; दूसरा-1952; तीसरा-1954; चौथा और पांचवां 1955; छठा और सातवां-1956; आठवां और नौवां 1960; दसवां और ग्यारहवां-1961; बारहवां, तेरहवां और चौदहवां-1962; पन्द्रहवां और सोलहवां-1963; सत्रहवां-1964; अठारहवां, उन्नीसवां और बीसवां-1966; इक्कीसवां-1967; बाईसवां और तेईसवां-1969; चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां और सत्ताईसवां-1971; अट्ठाईसवां, उनतीसवां और तीसवां-1972; इकतीसवां और बत्तीसवां-1973; तैंतीसवां, चौंतीसवां और पैंतीसवां-1974; छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां और उनतालीसवां-1975; चालीसवां, इकतालीसवां और बयालीसवां-1976; तैंतालीसवां-1977; चवालीसवां-1978; पैतालीसवां-1980; छियालीसवां-1982; सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां और इक्यावनवां-1984; बावनवां-1985; तिरपनवां, चौवनवां और पचपनवां-1986; छप्पनवां, सत्तावनवां और अट्ठावनवां-1987; उनसठवां, साठवां और इकसठवां-1988; बासठवां और तिरसठवां-1989; चौंसठवां, पैंसठवां, छियासठवां और सड़सठवां-1990; अड़सठवां और उनहत्तरवां-1991; सत्तरवां, इकहत्तरवां, बहत्तरवां, तिहत्तरवां और चौहत्तरवां-1992; पचहत्तरवां और छिहत्तरवां-1994; सतहत्तरवां और अठहत्तरवां-1995; उनासीवां-1999; अस्सीवां, इक्यासीवां, बयासीवां और तिरासीवां-2000; चौरासीवां और पचासीवां-2001; छियासीवां-2002; सतासीवां, अट्ठासीवां, नवासीवां, नब्बेवां, इक्यानवेवां और बानवेवां-2003; तिरानवेवां-2005; चौरानवेवां-2006; पचानवेवां-2009; छियानवेवां और सत्तानवेवां-2011; अट्ठानवेवां-2012; निन्यानवेवां-2014; एक सौवां-2015; एक सौ एकवां-2016; एक सौ दोवां-2018; एक सौ तीनवां, और एक सौ चारवां-2019; एक सौ पाँचवां-2021; एक सौ छठवां-2023 ।

64. देखिए लोक सभा में अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय लोक सभा वाद-विवाद (ii) 7 अगस्त 1956 । ऐसा ही निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा बाबूलाल बनाम बम्बई राज्य (ऑल इंडिया रिपोर्टर 1960 एस.सी. 51) के मामले में किया गया था ।



वाद-विवाद का लिंक

अध्याय दो

संविधान संशोधन अधिनियम (पहला से एक सौ छठवां तक)

संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951⁶⁵

विधायी इतिहास

संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 को संविधान के लागू होने के एक वर्ष के भीतर अधिनियमित किया गया था। प्रथम संशोधन ने कुछ मौलिक अधिकारों में कई आशोधन किए।

संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में पहले से मौजूद आधारों में तीन नए आधार जोड़े, जैसे 'लोक व्यवस्था', 'विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध' और 'अपराध-उद्दीपन', जिसके द्वारा वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने के लिए विधायिका की शक्ति का विस्तार किया गया।⁶⁶

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1950 एससी 124 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 'लोक व्यवस्था' और 'लोक सुरक्षा' की तुलना में 'राज्य की सुरक्षा' एक निर्बंधित अवधारणा है। इस प्रकार केवल 'लोक व्यवस्था' और 'लोक सुरक्षा' बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में तब तक कटौती नहीं की जा सकती जब तक कि राज्य की सुरक्षा को भी खतरा न हो। इस आधार पर कई विधियों को अधिकारातीत घोषित कर दिया गया क्योंकि वे 'लोक व्यवस्था' बनाए रखने के लिए वाक्-स्वातंत्र्य को निर्बंधित करती थीं न कि 'राज्य की सुरक्षा' के लिए। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि जब तक वाक्-

65. 1951 का विधेयक संख्यांक 48: प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 मई 1951 को संसद (अंतरिम) में पुरःस्थापित किया गया; प्रवर समिति को सौंपा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया: 25 मई 1951; वाद-विवाद: 12 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, 23 मई, 25 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून 1951; राष्ट्रपति की अनुमति: 18 जून 1951; राजपत्र में अधिसूचना की तारीख: 18 जून 1951; प्रारंभ की तारीख: 18 जून 1951।

66. संसदीय वाद-विवाद, (इसमें इसके पश्चात् "सं. वा." के रूप में उद्धृत किया गया है) 18 मई 1951, कॉ. 9070।

स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करने वाली कोई विधि पूरी तरह से राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने के विरुद्ध निर्देशित नहीं होती है तब तक ऐसी विधि अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अधीन निर्बंधन के तहत नहीं आ सकती है। यह भी कि मद्रास लोक व्यवस्था का अनुरक्षण अधिनियम, 1949 की धारा 9(1-क) जो लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने या लोक व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक उद्देश्य के लिए निर्बंधन लगाने को अधिकृत करती है, खंड (2) के तहत अधिकृत निर्बंधनों के दायरे से बाहर है और इसलिए शून्य तथा असंवैधानिक है।

बिहार राज्य *बनाम* शैलबाला देवी, एआईआर 1951 पीएटी 12 के मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल राजनीतिक हत्याएं, या हत्याएं, या राज्य के अस्तित्व को समाप्त करने के इरादे से हिंसा के अपराध करने के लिए उकसाना ही राज्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है लेकिन अन्यथा किसी भी अपराध के लिए उकसाना इसमें शामिल नहीं होता है।

हालाँकि, 1952 में, बिहार राज्य *बनाम* शैलबाला देवी मामले में उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 1952 को एआईआर 329 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया।

मूल रूप से, अनुच्छेद 19(2) में निर्बंधन शब्द से पहले “युक्तियुक्त” शब्द नहीं था जिसे संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतःस्थापित किया गया था।

संशोधनकारी अधिनियम ने मोतीलाल *बनाम* उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1951 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अनुच्छेद 19(6) में एक स्पष्टीकारक उप-खंड जोड़ा। सभी 257 यूपी राज्य सरकार के निर्णय के कारण उत्पन्न हुए थे जो राज्य बस परिवहन निगम के माध्यम से राज्य संचालित बस सेवाएँ संचालित करने के संबंध में था।

इस अधिनियम ने कृषि सुधार के त्वरित कार्यान्वयन की दृष्टि से अनुच्छेद 19 और 31 द्वारा गारंटीकृत संपत्ति के मौलिक अधिकार को और सीमित कर दिया। इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद, 31क और 31ख जोड़े गए और एक नई अनुसूची नामतः नौवीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि जमींदारी अधिग्रहण संबंधी विधियों को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।

कामेश्वर सिंह *बनाम* बिहार राज्य, एआईआर 1951 पीएटी 91 में पटना उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विवादित अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उपबंधों का उल्लंघन करता है और तदनुसार शून्य है। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद 31, खंड (4) के तहत राष्ट्रपति की सहमति किसी अधिनियम को इस आधार पर किसी आलोचना के विरुद्ध संरक्षण प्रदान नहीं करती है कि उसका कोई लोक प्रयोजन नहीं है।

इसके अलावा अनुच्छेद 15(4) को मद्रास राज्य *बनाम* श्रीमती चंपकम दोराईराजन, 1951 एआईआर 226 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अंतर्विष्ट किया गया था जिसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 29(2) के बारे में अपनी समझ और निर्वचन को प्रस्तुत किया

था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग III में दिए गए उपबंधों के अध्यारोही नहीं हो सकते।

संविधान (पहला संशोधन) विधेयक, 1951 संसद (अन्तरिम) में 12 मई, 1951⁶⁷ को पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक का आशय (i) संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन करना और (ii) संविधान में नए अनुच्छेद 31क, 31ख और नौवीं अनुसूची अन्तःस्थापित करना था। सदन में 16 मई को पेश किए गए और 18 मई 1951 को स्वीकार किए गए प्रस्ताव पर यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया गया⁶⁸। प्रवर समिति का प्रतिवेदन 25 मई 1951⁶⁹ को सदन में पेश किया गया। समिति ने सदन में यथा पुरःस्थापित विधेयक के कुछ खण्डों में संशोधन करने के सुझाव दिए।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर 29, 30, 31 मई और 1 तथा 2 जून को सभा में विचार किया गया और कुछ संशोधनों के साथ यह 2 जून 1951 को पारित किया गया⁷⁰।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के कार्यकरण के गत पन्द्रह महीने के दौरान न्यायालयों के निर्णयों के परिणामस्वरूप विशेषतः मूल अधिकारों के अध्याय के संबंध में कतिपय कठिनाइयां उजागर हुईं। अनुच्छेद 19(1) (क) के अधीन नागरिकों के वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य को कुछ न्यायालयों द्वारा इतना व्यापक ठहराया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा हत्या और हिंसा के अन्य अपराधों के पक्ष में बोलने पर भी उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता था। अन्य देशों में जहां लिखित संविधान है, वाक्-स्वातंत्र्य और प्रेस की स्वतंत्रता का आशय यह नहीं माना गया है कि राज्य इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग को दंडित नहीं कर सकता अथवा रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन नागरिकों को कोई वृत्ति अथवा उपजीविका, व्यापार अथवा कारबार करने का अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधनों के अध्यधीन होगा जिसे राज्य की विधि 'साधारण जनता के हितों में' अधिरोपित करती है। ये शब्द राज्य द्वारा लागू की जाने वाली किसी राष्ट्रीयकरण की योजना को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त हैं। तथापि, इस मामले को अनुच्छेद 19(6) में स्पष्टीकरण हेतु वाक्यांश जोड़कर इस विषय के संबंध में किसी भी संशय को समाप्त करना वांछनीय समझा गया। एक अन्य अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 31 के संबंध में अप्रत्याशित कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं। गत तीन वर्षों में राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कृषि सुधार संबंधी उपायों की विधि मान्यता को अनुच्छेद 31 के खंड (4) और (6) के उपबंधों के बावजूद विलंबकारी मुकदमे का विषय बनाया गया जिसके

67. संसदीय वाद-विवाद (इसके पश्चात् "सं. व.वि." के रूप में उद्धृत), 12 मई 1951, कॉ. 8584।

68. वही, 16 और 18 मई 1951, कॉ. 8814, 9089।

69. वही, 25 मई 1951, कॉ. 9307।

70. वही, 2 जून 1951, कॉ. 10106।

परिणामस्वरूप इन महत्वपूर्ण उपायों के कार्यान्वयन, जिससे काफी संख्या में लोग प्रभावित होते, को स्थगित कर दिया गया।

तदनुसार इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 19 में संशोधन करना तथा जमींदारी उत्सादन विधियों को सामान्य रूप से तथा कतिपय विनिर्दिष्ट राज्य अधिनियमों को विशेष रूप से संवैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु उपबंध करना था। इस विधेयक का आशय अन्य अनुच्छेदों में कुछ छोटा-मोटा संशोधन करना भी था ताकि उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का निवारण किया जा सके।

अनुच्छेद 46 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में यह उल्लिखित है कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय से उनकी संरक्षा करेगा। इस उद्देश्य से कि कोई विशेष उपबंध जो राज्य किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के शैक्षिक, आर्थिक अथवा सामाजिक उन्नति के लिए कर सकता है, उसे विभेदकारी होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यह प्रस्ताव किया गया था कि अनुच्छेद 15 (3) में समुचित परिवर्धन किया जाना चाहिए। संसद के सदनों को सत्र के लिए आहूत करने और सत्रावसान से संबंधित अनुच्छेदों से जुड़े कतिपय संशोधन भी आवश्यक पाए गए और इन्हें इस विधेयक में समाहित किया गया। इसलिए, अनुच्छेद 341, 342, 372 और 376 में भी कुछ संशोधन किए गए।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम में अनुच्छेद 15 में एक नया खंड (4) जोड़ने का उपबंध किया गया है ताकि राज्य इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 29 के खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सके। (धारा 2)

अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) में वाक्-स्वातंत्र्य पर निर्बंधन के आधारों के बारे में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:-

- (i) निर्बंधन के तीन नए आधार सम्मिलित किए गए हैं; अर्थात् (1) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध; (2) लोक व्यवस्था; (3) अपराध उद्दीपन।
- (ii) “राज्य को उलटने की प्रवृत्ति” आधार का लोप कर दिया गया है।
- (iii) “राज्य की सुरक्षा को आघात पहुंचाने या दुर्बल करने” वाले शब्दों के स्थान पर “राज्य की सुरक्षा के हित में” शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।
- (iv) “अपमान लेख, अपमान वचन” शब्दों का लोप कर दिया गया है और केवल सामान्य शब्द “मानहानि” रहने दिया गया है।

(v) “युक्तियुक्त निर्बंधन” पद अन्तःस्थापित किया गया है और उपर्युक्त सभी आधारों पर लागू होता है।

(vi) उपर्युक्त सभी परिवर्तनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है (धारा 3(क))।

अनुच्छेद 19 के खण्ड (6) में व्यापार, वृत्ति आदि के स्वातंत्र्य पर निर्बंधन का एक नया आधार सम्मिलित किया गया है, अर्थात् राज्य द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से संबंधित कोई विधि बनाने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान करना। [धारा 3(ख)]

अधिनियम की धारा 4 द्वारा एक नया अनुच्छेद 31क अन्तःस्थापित किया गया है, जिसमें किसी ‘सम्पदा’ के या उसमें किन्हीं अधिकारों के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों को संविधान के भाग तीन, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, के किसी उपबंध के प्रवर्तन से छूट देने का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 31क को भूतलक्षी प्रभाव के साथ अन्तःस्थापित किया गया है। किन्तु, किसी राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि पर इस अनुच्छेद के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो गई हो।

धारा 5 द्वारा एक नया अनुच्छेद 31ख अन्तःस्थापित किया गया है जिसके द्वारा एक नई अनुसूची अर्थात् नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय अधिनियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य किए जाने से संरक्षण प्रदान किया गया है कि ये संविधान के भाग-तीन द्वारा प्रदत्त अधिकारों से असंगत हैं अथवा उसे छीनते हैं, अथवा न्यून करते हैं। किसी न्यायिक निर्णय के होते हुए भी ये निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधान मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बने रहेंगे।

पुनः अधिनियमित अनुच्छेद 85 में यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को उसके एक सत्र की अंतिम बैठक से छह मास के भीतर अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। (धारा 6)

यथासंशोधित अनुच्छेद 87 के अधीन राष्ट्रपति प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा और न कि “प्रत्येक सत्र” के आरंभ में जैसाकि मूल अनुच्छेद में उपबंध था। (धारा 7)

राज्य विधान मंडलों के लिए तदनुसूची उपबंधों अर्थात् अनुच्छेद 174 और 176 में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। (धारा 8 और 9)

संशोधन का पाठ

संविधान (पहला संशोधन)

अधिनियम, 1951

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[18 जून, 1951]

संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 है ।

अनुच्छेद 15 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाएगा:-

“(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।”

अनुच्छेद 19 का
संशोधन और
कुछ विधियों का
मान्यकरण ।

3. (1) संविधान के अनुच्छेद 19 में-

(क) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उक्त खंड सदा ही निम्नलिखित रूप में अधिनियमित रहा है, अर्थात्:-

“(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।”

(ख) खंड (6) में, “उक्त उपखंड की कोई बात” शब्दों से आरंभ होने वाले और “उपजीविका, व्यापार या कारबार” शब्दों से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“उक्त उपखंड की कोई बात-

(एक) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या

(दो) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से, जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।”

(2) संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य-क्षेत्र में प्रवृत्त विधि की बाबत, जो संविधान की इस धारा की उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित अनुच्छेद 19 के उपबंधों से संगत है, केवल इस कारण से यह नहीं समझा जाएगा कि वह शून्य है या कभी शून्य थी कि वह उक्त अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीन लेने या न्यून करने वाली विधि है और उसके प्रवर्तन की व्यावृत्ति मूल रूप से यथा अधिनियमित उस अनुच्छेद के खंड (2) द्वारा नहीं की गयी थी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में “प्रवृत्त विधि” पदावलि का वही अर्थ है, जो संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड (1) में है।

4. संविधान के अनुच्छेद 31 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा और सदा से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

नए अनुच्छेद
31क का
अंतःस्थापन।

“31क. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति-

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन

के लिए उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह इस भाग के किसी उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है:

परन्तु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है।

(1) इस अनुच्छेद में,-

(क) “संपदा” पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान भी होगा;

(ख) “अधिकार” पद के अंतर्गत, किसी संपदा के संबंध में, किसी स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भू-धृतिधारक या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू-राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे।”

नये अनुच्छेद
31ख का
अंतःस्थापन।

5. धारा 4 द्वारा जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 31क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“31ख. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण- अनुच्छेद 31क में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, उसे निरसित या संशोधित करने की किसी

सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बना रहेगा।”

6. संविधान के अनुच्छेद 85 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद 85 का संशोधन।

“85. संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन—

(1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।

(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर—

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा।”

7. संविधान के अनुच्छेद 87 में—

अनुच्छेद 87 का संशोधन।

(1) खंड (1) में “प्रत्येक सत्र के आरंभ में” शब्दों के स्थान पर “लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) खंड (2) में “और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

8. संविधान के अनुच्छेद 174 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद 174 का संशोधन।

“174. राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन—

(1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर—

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) विधानसभा का विघटन कर सकेगा।”

अनुच्छेद 176
का संशोधन।

9. संविधान के अनुच्छेद 176 में—

(1) खंड (1) में, “प्रत्येक सत्र के आरंभ में” शब्दों के स्थान पर “विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) खंड (2) में, “तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 341
का संशोधन।

10. संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) में, “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “किसी राज्य के संबंध में और जहां वह पहली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में विनिर्दिष्ट कोई राज्य है, उसके राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 342
का संशोधन।

11. संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) में, “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “किसी राज्य के संबंध में, और जहां वह पहली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में विनिर्दिष्ट कोई राज्य है, उसके राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 372
का संशोधन।

12. संविधान के अनुच्छेद 372 के खंड (3) के उपखंड (क) में “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 376
का संशोधन।

13. संविधान के अनुच्छेद 376 के खंड (1) के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:

“ऐसा न्यायाधीश इस बात के होते हुए भी कि वह भारत का नागरिक नहीं है, ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा।”

14. संविधान की आठवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित नौवीं अनुसूची
अनुसूची जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:— का जोड़ा जाना।

नौवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 31ख]

1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार अधिनियम सं. 30)।
2. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 (1948 का मुंबई अधिनियम 67)।
3. मुंबई मालिकी भूधृति उत्सादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 61)।
4. मुंबई तालुकदारी भूधृति उत्सादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 62)।
5. पंच महल मेहवासी भूधृति उत्सादन अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम 63)।
6. मुंबई खोती उत्सादन अधिनियम, 1950 (1950 का मुंबई अधिनियम 6)।
7. मुंबई परगना और कुलकर्णी वतन उत्सादन अधिनियम, 1950 (1950 का मुंबई अधिनियम 60)।
8. मध्य प्रदेश सांपत्तिक अधिकार (संपदा, महल, अन्यसंक्रांत भूमि) उत्सादन अधिनियम, 1950 (1951 का मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 1)।
9. मद्रास संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1948 (1948 का मद्रास अधिनियम 26)।
10. मद्रास संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम, 1950 (1950 का मद्रास अधिनियम 1)।
11. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (1951 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 1)।
12. हैदराबाद (जागीर उत्सादन) विनियम, 1358फ (1358 फसली का सं. 69)।
13. हैदराबाद जागीर (परिवर्तन) विनियम, 1359फ (1359 फसली का सं. 25)।

संशोधन के पश्चात् न्यायिक घोषणाएं

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, [1952] एससीआर 89 (1951)

(पहला संवैधानिक संशोधन) अधिनियम की वैधता को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, [1952] मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 द्वारा संसद् को संशोधन करने की जो शक्ति दी गई है, वह बहुत व्यापक शक्ति है और इसमें भाग III द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति भी शामिल है। इसमें आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 13 (2) के संदर्भ में, "विधि" का अर्थ सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाए गए नियम या विनियम होना चाहिए न कि संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में किए गए संविधान में संशोधन। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1965 एससी 845 मामले में शीर्ष अदालत ने इस दृष्टिकोण को दोहराया था।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1952⁷¹

विधायी इतिहास

संविधान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1952 लोक सभा में 18 जून 1952⁷² को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन करना था। 11 नवम्बर 1952 को सदन में प्रस्तुत किए गए और उसी दिन स्वीकार किए गए एक प्रस्ताव पर विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया था⁷³। प्रवर समिति का प्रतिवेदन 18 नवम्बर 1952 को सदन में प्रस्तुत किया गया था⁷⁴।

प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित रूप में विधेयक पर लोक सभा द्वारा 9, 10 और 15 दिसम्बर को विचार किया गया और 15 दिसम्बर, 1952 को पारित किया गया। राज्य सभा ने विधेयक 19 दिसम्बर, 1952 को पारित किया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

अनुच्छेद 81(1) (क) में लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सीमा 500 नियत की गई थी। अनुच्छेद 81(1) (ख) में उपबंध था कि राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को बांट दिए जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित रहे कि प्रति 7,50,000 जनसंख्या के लिए कम से कम एक सदस्य तथा प्रति 5,00,000 जनसंख्या के लिए एक से अनधिक सदस्य होगा।

संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के प्राक्कलन पर आधारित था जिसे संविधान के अनुच्छेद 387 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विधिक मान्यता दी

71. 1952 का विधेयक संख्यांक 54; विधि और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री सी.सी. विश्वास द्वारा 18 जून 1952 को लोक सभा में पुरःस्थापित; प्रवर समिति को सौंपा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया: 18 नवम्बर 1952; वाद-विवाद, लोक सभा: 18 जून, 8 और 9 जुलाई, 11 और 18 नवम्बर, 9, 10 और 15 दिसम्बर 1952; वाद-विवाद, राज्य सभा: 15, 18 और 19 दिसम्बर 1952; राष्ट्रपति की अनुमति: 1 मई 1953; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 2 मई 1953; प्रारंभ की तारीख: 1 मई 1953।

72. संसदीय वाद-विवाद, लोक सभा, 18 जून 1952, कॉ. 2013।

73. वही, 11 नवम्बर 1952, कॉ. 309, 374।

74. वही, 18 नवम्बर 1952, कॉ. 782।

गई थी। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 81(3) में अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और उस तारीख से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। इस अनुच्छेद में संदर्भित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक में वर्ष 1951 की जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन के प्रयोजनार्थ परिसीमन आयोग का गठन करने संबंधी उपबंध सहित संसद में पुरःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया।

राष्ट्रपति के आदेश में अनेक राज्यों की अनुमानित जनसंख्या तथा 1951 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या में काफी अंतर था। लोक सभा में भाग क तथा भाग ख राज्यों को प्रत्येक 7.2 लाख अनुमानित जनसंख्या के लिए एक सदस्य के आधार पर स्थान आबंटित किए गए और इस प्रकार इन राज्यों को कुल 470 सदस्य दिए गए। सभी मामलों में जनसंख्या के आंकड़े बढ़ गए थे और अनुच्छेद 81(1) (क) में उल्लिखित 500 सदस्यों की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को आबंटित स्थानों की कुल संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना संभव नहीं था। तदनुसार, 1951 की जनगणना के अनुसार, प्रतिनिधियों की संख्या कम करने के लिए यह आवश्यक था कि एक सदस्य 7.2 लाख जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के स्थान पर 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुच्छेद 81(1) (ख) के अधीन अधिकतम 7.5 लाख की संख्या अनुमत थी, परंतु ऐसा होने पर भी, यदि किसी राज्य में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या 7,50,000 भी होती तो यह स्पष्ट था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या उससे अधिक होगी। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि अनुच्छेद 81 (1) (ख) में विहित सीमाओं में छूट देते हुए उसमें संशोधन किया जाए जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 81(3) के अंतर्गत यथापेक्षित लोक सभा में प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन के प्रयोजन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में कोई संवैधानिक अनियमितता न हो। तदनुसार, इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 81(1) (ख) में संशोधन करना था ताकि इस अनुच्छेद में उल्लिखित संख्या को क्रमशः 8,50,000 और 6,50,000 से प्रतिस्थापित किया जाए।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अनुच्छेद 81(1)(ख) में संशोधन कर किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 7,50,000 जनसंख्या की ऊपरी सीमा हटा दी गई है।

संशोधन का पाठ संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1952

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[1 मई, 1953]

संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (दूसरा संशोधन) संक्षिप्त नाम।
अधिनियम, 1952 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड (1) के उपखंड (ख) अनुच्छेद 81 का
में, "प्रति 7,50,000 जनसंख्या के लिए एक से कम सदस्य तथा" संशोधन।
शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1954⁷⁵

विधायी इतिहास

संविधान (तीसरा संशोधन) विधेयक, 1954 लोक सभा में 6 सितम्बर 1954 को पुरःस्थापित किया गया⁷⁶। इस विधेयक का आशय संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-तीन की मूल प्रविष्टि 33 के स्थान पर नयी प्रविष्टि प्रतिस्थापित करना था। लोक सभा में 10 सितम्बर को प्रस्तुत किए गए, 13 सितम्बर को स्वीकार किए गए और राज्य सभा द्वारा 16 सितम्बर 1954 को स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के अंतर्गत विधेयक संयुक्त समिति को सौंप दिया गया⁷⁷।

संयुक्त समिति ने 20 सितम्बर 1954 को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में यथापुरःस्थापित विधेयक को प्रस्तावित प्रविष्टि 33 के खंड (क) में मामूली शाब्दिक परिवर्तन के साथ स्वीकृत किया⁷⁸।

संयुक्त समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक को दोनों सदनों ने बिना किसी अन्य परिवर्तन के स्वीकृति प्रदान कर दी। इस पर लोक सभा द्वारा 22 और 23 सितम्बर को तथा राज्य सभा द्वारा 27 और 28 सितम्बर, 1954 को विचार किया गया और तत्पश्चात् स्वीकृत किया गया⁷⁹।

75. 1954 का विधेयक संख्यांक 40; वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा 6 सितम्बर 1954 को लोक सभा में पुरःस्थापित: संयुक्त समिति को सौंपा गया: समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया: 20 सितम्बर 1954; वाद-विवाद, लोक सभा: 6, 10, 11, 13, 20, 22 और 23 सितम्बर 1954; राज्य सभा: 15, 16, 24, 27 और 28 सितम्बर 1954; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षा के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित: राष्ट्रपति की अनुमति: 22 फरवरी 1955; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 22 फरवरी 1955: प्रारंभ की तारीख: 22 फरवरी 1955।
76. लोक सभा वाद-विवाद(इसमें इसके पश्चात् लोक सभा वाद-विवाद के रूप में उद्धृत किया गया है) 6 सितम्बर 1954, कॉलम 1054।
77. लोक सभा वाद-विवाद, 10 और 13 सितम्बर 1954, कॉलम 1355, 1655 और 1666; राज्य सभा वाद-विवाद (इसमें इसके पश्चात् राज्य सभा वाद-विवाद के रूप में उद्धृत किया गया है) 16 सितम्बर 1954, कॉलम 2410
78. समिति ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित प्रविष्टि 33 के खंड (क) में "जिसका नियंत्रण" शब्दों के स्थान पर "जहां ऐसे उद्योग का नियंत्रण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।
79. लोक सभा वाद-विवाद, 23 सितम्बर 1954, कॉलम 2967, 2968 और 2977; राज्य सभा वाद-विवाद, 28 सितम्बर 1954, कॉलम 3751, 3757

विधेयक के उद्देश्य और कारण

हालांकि राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य तथा सामान्यतः माल का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण राज्यों के विधायी और कार्यकारी अधिकार में थे, फिर भी सूची तीन की प्रविष्टि 33 के अधीन संसद को संघ के नियंत्रणाधीन घोषित किए गए, उद्योगों के उत्पादों के संबंध में विधान बनाने की शक्ति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 369 द्वारा संसद को संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के दौरान कतिपय विशिष्ट आवश्यक वस्तुओं के बारे में विधिक शक्ति दी गई। इनमें से कुछ जैसे सूती और ऊनी वस्त्र, कागज, कोयला, लौह और इस्पात, जो संघ के नियंत्रण के अधीन उद्योगों के उत्पाद थे, पर 25 जनवरी 1955 को अनुच्छेद 369 के व्यपगत हो जाने के बाद भी केन्द्रीय विधान द्वारा विनियमित जारी रखा जा सकता था। अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य सामग्री, मवेशियों के लिए चारा, कच्चा कपास और बिनौला उस तारीख के पश्चात् संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाएंगे।

हालांकि खाद्य सामग्री और मवेशियों के लिए चारे के संबंध में स्थिति काफी संतोषजनक थी, फिर भी उनके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण करने संबंधी समस्त विधिक शक्तियों का परित्याग करने की केन्द्र को सलाह नहीं दी गई। कपास, जो हमारे सबसे बड़े उद्योगों में से एक के लिए आधारभूत कच्चा माल है, की आपूर्ति इस अर्थ में कम थी कि हमारा अपना उत्पादन हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं था। चूंकि पटसन का माल हमारे निर्यात व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण मद थी इसलिए यह वांछनीय था कि केन्द्र के पास कच्चे पटसन के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण करने संबंधी शक्ति हो।

तदनुसार विधेयक में संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची तीन की प्रविष्टि 33 को परिवर्द्धित करने का प्रस्ताव किया गया। आवश्यक वस्तुओं के चार वर्गों को उस प्रविष्टि में रखने के अलावा, केन्द्रीकृत उद्योगों के उत्पादों का और इसी प्रकार के आयात किए गए अन्य माल को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया ताकि केन्द्र ऐसे उद्योगों के विकास पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखने की स्थिति में रह सके।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 को आवश्यक वस्तुओं के चार वर्गों अर्थात् (1) खाद्य पदार्थ, जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल; (2) मवेशियों के लिए चारा जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत पदार्थ; (3) कपास, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो और बिनौले; और (4) पटसन, को शामिल करने के लिए पुनः अधिनियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीकृत उद्योगों के उत्पादों को और उसी प्रकार के आयातित किए गए माल को भी इस प्रविष्टि के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है।

संशोधन का पाठ

संविधान (तीसरा संशोधन)

अधिनियम, 1954

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[22 फरवरी, 1955]

भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1954 है ।

सातवीं अनुसूची
का संशोधन ।

2. संविधान की सातवीं अनुसूची में, सूची 3 की प्रविष्टि 33 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“33. (क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किये गये माल का ऐसे उत्पादों के रूप में,

(ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल है,

(ग) मवेशियों के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत पदार्थ हैं,

(घ) कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले का, और

(ङ) पटसन का,

व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण ।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955⁸⁰

विधायी इतिहास

संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 ने अनुच्छेद 31 के कई पहलुओं में संशोधन किया ताकि राज्य को कुछ शर्तों के अधीन प्रतिकर का भुगतान करके निजी संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण करने में सक्षम बनाया जा सके।

अनुच्छेद 31(2) में संशोधन प्रतिकर और प्रतिकर की राशि को गैर-न्याय बनाने के लिए किया गया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 31(2क) अंतःस्थापित किया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी एआईआर 1954 एससी 170 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि हालांकि विधायिका को ऐसे सिद्धांतों को निर्धारित करने की विवेकाधीन शक्ति दी गई है जो विनियोजित संपत्ति के स्वामी के लिए दी जाने वाली राशि को देय के रूप में शासित करे परन्तु ऐसे सिद्धांतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो राशि प्रतिकर में देय के रूप में निर्धारित की गई है वह उस राशि के समतुल्य होनी चाहिए जिससे स्वामी को वंचित किया गया है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि पश्चिम बंगाल भूमि विकास और योजना अधिनियम, 1948 की धारा 8 के परन्तुक ख का अंतिम भाग जो दिसंबर 1946 की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य को अधिनियम के अधीन अधिगृहीत भूमि के लिए अधिकतम प्रतिकर के रूप में निर्धारित करता है, अनुच्छेद 31(2) के उपबंध के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह असंवैधानिक और शून्य है।

अधिनियम ने अनुच्छेद 305 में भी संशोधन किया जिसका आशय मुख्य रूप से राज्य के एकाधिकार या किसी उपक्रम के राष्ट्रीयकरण के सृजन के लिए किसी भी विधि पर अनुच्छेद 301 के प्रचालन से मुक्त करना है। संसद ने सगीर अहमद बनाम यूपी राज्य एआईआर 1954 एससी 728 के निर्णय के पश्चात् राज्य के एकाधिकार के संबंध में उपबंध में स्पष्टता लाने का प्रयास किया।

80. 1954 का विधेयक संख्यांक 64: प्रधानमंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा 20 दिसम्बर 1954 को लोक सभा में पुरःस्थापित; संयुक्त समिति को सौंपा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया: 31 मार्च 1955; वाद-विवाद, लोक सभा: 20 दिसम्बर 1954 और 14, 15 और 31 मार्च तथा 11 और 12 अप्रैल 1955; राज्य सभा: 17 और 19 मार्च तथा 19 और 20 अप्रैल 1955; राष्ट्रपति को अनुमति: 27 अप्रैल 1955; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 28 अप्रैल 1955; प्रारम्भ की तारीख: 27 अप्रैल 1955।

इस प्रकार, संसद ने संशोधन के माध्यम से, राज्य एकाधिकार संबंधी विधि और अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 19(1) (छ) और संशोधित अनुच्छेद 305 के संबंध में उसके प्रचालन के बारे में स्पष्टता लाने का प्रयास किया।

संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक, 1954 लोक सभा में 20 दिसम्बर 1954 को पुरःस्थापित किया गया⁸¹। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 31, 31क और 305 तथा नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था।

लोक सभा में 14 मार्च को प्रस्तुत, 15 मार्च को स्वीकृत और राज्य सभा द्वारा 19 मार्च 1955 को सहमति दिए गए प्रस्ताव के द्वारा विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया⁸²।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 31 मार्च 1955⁸³ को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। समिति ने विधेयक के अधिनियमन सूत्र, खंड 1, 2 और 3 में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया।

लोक सभा ने संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक पर 11 और 12 अप्रैल को विचार किया और कुछ परिवर्तनों के साथ उसे 12 अप्रैल 1955⁸⁴ को पारित किया।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा ने 19 और 20 अप्रैल को विचार किया तथा 20 अप्रैल 1955⁸⁵ को उसे पारित किया।

खण्ड 1, संयुक्त समिति द्वारा औपचारिक तौर पर संशोधित रूप में, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 12 और 20 अप्रैल 1955 को स्वीकृत किया गया⁸⁶।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 31, 31क और 305 तथा नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने अनुच्छेद 31 के खण्ड (1) और (2) को अत्यंत व्यापक अर्थ दिए थे। दोनों खण्डों के शब्दों में अंतर होने के बावजूद, उन्हें एक ही विषय से संबद्ध माना गया। खण्ड (1) में उल्लिखित सम्पत्ति से वंचित किए जाने को व्यापक अर्थ में लिया जाना था, उसमें सम्पत्ति के अधिकार को कम किया जाना भी शामिल माना गया था। यहां तक

81. लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसंबर 1954, कॉलम 3461

82. वही, 14 मार्च 1955, कॉ. 1943, 15 मार्च 1955, कॉ. 2197, 2198; राज्य सभा वाद-विवाद, 19 मार्च 1955, कॉ. 2520

83. लोक सभा वाद-विवाद, 31 मार्च 1955, कॉ. 4005

84. वही, 12 अप्रैल 1955, कॉ. 5128

85. राज्य सभा वाद-विवाद, 20 अप्रैल 1955, कॉ. 5400

86. लोक सभा वाद-विवाद, 12 अप्रैल, 1955, कॉ. 5104; राज्य सभा वाद-विवाद, 20 अप्रैल 1955, कॉ. 5390

कि, जहां यह पूर्णतः विधि के विनियामक उपबंधों के कारण किया गया था और राज्य द्वारा उस या किसी अन्य संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण अथवा उसका कब्जा नहीं लिया गया था, वहां ऐसे निर्णयों के अनुसार उस विधि को वैधता के लिए इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के अंतर्गत प्रतिकर के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक था। इसीलिए निजी संपत्ति का अनिवार्य अर्जन और अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति को अधिक स्पष्ट किया जाना तथा इसमें राज्य की विनियामक अथवा प्रतिबंधात्मक विधियों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप “संपत्ति से वंचित किए जाने” के मामलों के बीच विभेद किया जाना आवश्यक समझा गया। विधेयक के खण्ड 2 में इसी आशय का उपबंध किया जाना था।

जमींदारी उत्सादन विधियां, जो समाज कल्याण विधान कार्यक्रम में सबसे पहले आईं, का उन लोगों द्वारा विरोध किया गया जिनके हित मुख्यतः अनुच्छेद 14, 19 और 31 से प्रभावित हो रहे थे और विलंबकारी तथा अपव्ययकारक मुकदमेबाजी को खत्म करने तथा इन विधियों को न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से ऊपर रखने की दृष्टि से संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31क और 31ख तथा नौवीं अनुसूची का अधिनियमन किया गया। अनुच्छेद 14, 19 और 31 की व्याख्या करने वाले पश्चात्पूर्वी न्यायिक निर्णयों ने संघ और राज्यों, जो वांछित उद्देश्यों अर्थात् निम्नलिखित के लिए अन्य और समान रूप से महत्वपूर्ण समाज कल्याण विधान को पूरा कर रहे थे, की राह में गंभीर कठिनाइयां खड़ी कर दीं:—

- (एक) जबकि अधिकांश हिस्से में जमींदारी तथा राज्य और काश्तकार के बीच के अनेक बिचौलियों का उत्सादन कर दिया गया, भूमि सुधारों के अगले उद्देश्य थे, कृषि भूमि की वे सीमाएं निर्धारित करना जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व में रखी या धारित की जा सकती है, निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मात्रा में धारित भूमि का निपटान और कृषि जोतों में भूस्वामियों और काश्तकारों के अधिकारों में और संशोधन करना।
- (दो) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समुचित योजना के लिए खाली और बेकार भूमि का लाभकारी उपयोग और मलिन बस्तियों वाले क्षेत्रों को खाली करवाना अपेक्षित है।
- (तीन) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में, देश के खनिज और तेल संसाधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए जिसमें विशेष रूप से अन्वेषण अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों और इसी प्रकार के कारणों के निबंधन एवं शर्तों को रद्द अथवा आशोधित करने की शक्ति शामिल है। यह सार्वजनिक उपयोगिता उपक्रमों, जो राज्य द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के अंतर्गत जनता को बिजली, प्रकाश अथवा पानी की आपूर्ति करते हैं, के संबंध में भी आवश्यक था।
- (चार) प्रायः यह आवश्यक समझा गया कि लोकहित में अथवा उपक्रम या संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य संपत्ति को एक अस्थायी अवधि के लिए राज्य प्रबंधन के अंतर्गत लाया जाए। राज्य प्रबंधन को

ऐसे अस्थायी हस्तांतरण का उपबंध करने वाली निधियां संविधान के अंतर्गत अनुमत्य होनी चाहिए।

(पांच) कंपनी विधि में सुधारों, जिन पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है, जैसे कि प्रबंध अभिकरण प्रणाली की क्रमिक समाप्ति, राष्ट्र हित में दो या अधिक कंपनियों के अनिवार्य समामेलन का उपबंध, किसी उपक्रम का एक कंपनी से दूसरी कंपनी को हस्तांतरण आदि को चुनौती से परे रखना आवश्यक था।

तदनुसार विधेयक के खंड 3 में अनुच्छेद 31क के क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया ताकि आवश्यक कल्याण विधान की इन श्रेणियों को शामिल किया जा सके।

अनुच्छेद 31क के प्रस्तावित संशोधन के उपप्रमेय के रूप में, विधेयक के खंड 5 में संविधान की नौवीं अनुसूची में दो और राज्य अधिनियमों और चार केन्द्रीय अधिनियमों, जो संशोधित अनुच्छेद 31क के खंड (1) के उपखंड (घ) और (च) के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। अनुच्छेद 31ख के उपबंधों के अंतर्गत इसका प्रभाव पूर्ण भूतलक्षी विधिमान्यकरण होगा।

सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁸⁷ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या किसी विशिष्ट व्यापार अथवा कारोबार में किसी राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाला अधिनियम अनुच्छेद 301 द्वारा प्रदत्त व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के विपरीत है, लेकिन इस प्रश्न को अनिर्णीत छोड़ दिया गया। ऐसे राज्य एकाधिकारों को अनुच्छेद 19 के खण्ड (1) के उपखण्ड (छ) के कार्यक्षेत्र से बाहर रखने की दृष्टि से संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 के खंड (6) में संशोधन किया गया परंतु अनुच्छेद 301 के प्रारंभिक शब्दों के संदर्भ में संविधान के भाग तेरह में कोई तत्संबंधी उपबंध नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से यह बात सामने आई कि व्यापार अथवा वाणिज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार लागू करने के लिए संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल का स्पष्ट प्राधिकार होते हुए भी, ऐसी विधि का अनुच्छेद 301 के अंतर्गत “लोक हित” में होना अथवा अनुच्छेद 304 (ख) के अंतर्गत “युक्तियुक्त निर्बन्धन” होना न्यायालय के समक्ष सिद्ध करना होगा। यह समझा गया कि ऐसे किसी भी प्रश्न को विधानमंडल के अंतिम निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तदनुसार, इसे स्पष्ट करने के लिए विधेयक के खंड 4 में अनुच्छेद 305 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

अनुच्छेद 31 के खण्ड (2) को पुनः अधिनियमित किया गया है। इसके प्रथम भाग में संशोधन कुछ हद तक शाब्दिक हैं। सामान्य शब्द “सम्पत्ति” को रहने दिया गया है जबकि सम्पत्ति की

87. (1954) एस.सी.ए. 1218

किस्मों का निरूपण करने वाले शब्दों को निकाल दिया गया है। “कब्जाकृत या अर्जित” शब्दों के स्थान पर “अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहीत” शब्द और इसी प्रकार “ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अर्जन का प्राधिकार देती है” शब्दों के स्थान पर “ऐसी विधि के प्राधिकार के सिवाय” शब्द प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं। ये परिवर्तन खण्ड (2) के क्षेत्र में खण्ड (1) से विभेद करने के लिये किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित खण्ड यह स्पष्ट करता है कि कोई भी सम्पत्ति “सार्वजनिक प्रयोजन” के सिवाय राज्य द्वारा अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहीत नहीं की जा सकती है। अंततः, क्षतिपूर्ति की “पर्याप्तता” का प्रश्न अपवादयोग्य बना दिया गया है। (धारा 2)

अनुच्छेद 31 में एक नया खण्ड (2क) अन्तःस्थापित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि खण्ड (2) के अंतर्गत प्रतिकर देने की बाध्यता तब तक पैदा नहीं होगी जब तक कि किसी सम्पत्ति के स्वामित्व का या कब्जा रखने के अधिकार का हस्तांतरण राज्य या ऐसे निगम को, जो कि राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, नहीं किया जाता। (धारा 2)

अनुच्छेद 31क के खण्ड (1) के स्थान पर एक नया खण्ड रखा गया है और संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। संशोधन के परिणामस्वरूप, जमींदारी उत्सादन संबंधी विधियों के अतिरिक्त, कल्याणकारी विधान की कुछ और श्रेणियों को अनुच्छेद 14, 19 और 31, अर्थात् निम्नलिखित के लिये उपबंध करने वाली विधियों के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया है:—

- (1) किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिया जाना;
- (2) दो या अधिक निगमों को समामेलित करना;
- (3) निगमों में हित रखने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का निर्वापन या उनमें परिवर्तन;
- (4) खनिजों संबंधी किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के अंतर्गत प्रोद्भूत होने वाले अधिकारों का निर्वापन या उनमें परिवर्तन।

अनुच्छेद 31(क) के खण्ड (2) में “सम्पदा” की परिभाषा को विस्तृत किया गया है ताकि न केवल कथित “मध्यवर्तियों” के, बल्कि “रैयत और अवर रैयत” के हितों को भी शामिल किया जा सके। (धारा 3)

राज्य द्वारा व्यापार के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विद्यमान तथा भविष्य में बनाई जाने वाली विधियों को अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 303 के उल्लंघन के आधार पर आक्षेप से उन्मुक्त करने के लिये अनुच्छेद 305 में संशोधन किया गया है। (धारा 4)

नौवीं अनुसूची में 7 नये अधिनियमन जोड़े गये हैं। इनका विधि मान्यकरण अनुच्छेद 31(ख) के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव से होगा। (धारा 5)

संशोधन का पाठ संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[27 अप्रैल, 1955]

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 है ।

अनुच्छेद 31
का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 31 में, खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) कोई संपत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के सिवाय, और ऐसी किसी विधि के, जो इस प्रकार अर्जित या अधिगृहीत संपत्ति के लिए प्रतिकर के लिए उपबंध करती है और या तो प्रतिकर की राशि को नियत करती है या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख करती है जिनसे प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है, प्राधिकार के सिवाय अनिवार्यतः अर्जित या अधिगृहीत नहीं की जाएगी; और किसी ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उस विधि द्वारा उपबंधित प्रतिकर पर्याप्त नहीं है ।

(2क) जहां विधि किसी संपत्ति के स्वामित्व का या कब्जा रखने के अधिकार का हस्तांतरण राज्य या किसी ऐसे निगम को, जो कि राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन है, करने के लिए उपबंध नहीं करती है वहां, इस बात के होते हुए भी कि वह किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करती है, उसकी बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण के लिए उपबंध करती है ।” ।

3. संविधान के अनुच्छेद 31क में-

अनुच्छेद 31क
का संशोधन।

खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा और सदा से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

“अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(क) किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ख) किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिये जाने के लिए, या

(ग) दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए, या

(घ) निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेरधारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ङ) किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए, उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31, द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है:

परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को

तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है;" और

(ख) खंड (2) में:-

(i) उपखंड (क) में "अनुदान" शब्द के पश्चात् "और मद्रास और तिरुवांकुर-कोचीन राज्यों में कोई जन्म अधिकार" शब्द अन्तः स्थापित कर दिए जाएंगे, और सदा ही अन्तःस्थापित किए हुए समझे जाएंगे; और

(ii) उपखंड (ख) में "भूधृतिधारी" शब्द के पश्चात् "रय्यत, अवर रय्यत" शब्द अन्तः स्थापित कर दिए जाएंगे और सदा ही अन्तःस्थापित किए हुए समझे जाएंगे।

अनुच्छेद 305 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

4. संविधान के अनुच्छेद 305 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"305. विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति - वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निदेश दे अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और अनुच्छेद 301 की कोई बात संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन पर वहां तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहां तक वह विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जो अनुच्छेद 19 के खंड (6) के उपखंड (दो) में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं रोकेगी।"

नौवीं अनुसूची का संशोधन।

5. संविधान की नौवीं अनुसूची में प्रविष्टि 13 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्-

"14. बिहार विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि-अर्जन) अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार अधिनियम सं. 38)

15. संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने के लिए भूमि प्राप्त करने का अधिनियम, 1948 (1948 का संयुक्त प्रांतीय अधिनियम संख्या 26)

16. विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि-अर्जन) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 60)

17. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम 47) की धारा 42 द्वारा यथा अंतःस्थापित, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम 4) की धारा 52क से धारा 52छ।

18. रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम 51)

19. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम 26) की धारा 13 द्वारा यथा अंतःस्थापित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम 65) का अध्याय 3क।

20. 1951 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम 29 द्वारा यथासंशोधित पश्चिमी बंगाल भूमि विकास और योजना अधिनियम, 1948 (1948 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 21)।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955⁸⁸

विधायी इतिहास

संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955 जब लोक सभा में 9 दिसम्बर 1955 को पुरःस्थापित किया गया, उस समय उसका नाम संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, 1955⁸⁹ था। इसका आशय संविधान के अनुच्छेद 3 को संशोधित करना था, जो विधि द्वारा नये राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं अथवा विद्यमान राज्यों के नामों में परिवर्तन करने को संसद की शक्ति के बारे में है।

इससे पहले, लोक सभा में 21 नवम्बर 1955⁹⁰ को पुरःस्थापित संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक, 1955 का आशय अनुच्छेद 3 का संशोधन करना भी था, हालांकि ठीक इसी रूप में नहीं। चूंकि विधेयक को पूर्णतः निपटाने में काफी समय लगता (बहुत से अनुच्छेदों में संशोधन की अपेक्षा थी), इसलिए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 3 के संशोधन पर शीघ्रता से विचार करने और उसे पारित करने के लिए एक पृथक विधेयक पुरःस्थापित करना उचित समझा। इसलिए संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक, 1955, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 3 को संशोधित करने की अपेक्षा की गयी थी, 28 नवम्बर, 1955⁹¹ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। इस विधेयक का खण्ड 2, जिसका आशय अनुच्छेद 3 को संशोधित करना था, संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक,

88. 1955 का विधेयक संख्यांक 73; विधि मंत्री, श्री एच.वी. पाटस्कर द्वारा 9 दिसम्बर 1955 को संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक के रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 12 और 13 दिसम्बर 1955; राज्य सभा: 15 दिसम्बर 1955; राष्ट्रपति की अनुमति: 24 दिसम्बर 1955; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 26 दिसम्बर 1955; प्रारम्भ की तारीख: 12 दिसम्बर, 1956।

89. लोक सभा वाद-विवाद, 9 दिसम्बर 1955, कॉलम 1946।

90. वहीं, 21 नवम्बर 1955, कॉलम 6। संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक, 1955 के पाठ के लिए देखिए अनुबंध (ख) और विधेयक के विधायी इतिहास के लिए देखिए अध्याय तीन।

91. लोक सभा वाद-विवाद, 28 नवम्बर 1955, कॉलम 658, 661-662। संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक, 1955 के पाठ के लिए देखिए अनुबंध (ख) और विधेयक के विधायी इतिहास के लिए देखिए अध्याय तीन।

1955 के सदृश खण्ड जैसा था। तथापि, संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक, 1955 को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव, जो 30 नवम्बर 1955 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, अस्वीकृत हो गया क्योंकि इसे सदन के प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित विशेष बहुमत प्राप्त नहीं हो सका⁹²।

तत्पश्चात्, सरकार द्वारा संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, 1955 प्रस्तुत किया गया। नया विधेयक, जो कि 9 दिसम्बर 1955 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, अनुच्छेद 3 में संशोधन करने वाले पिछले विधेयकों का संशोधित रूप था। लोक सभा द्वारा 12 और 13 दिसम्बर को इस पर विचार किया गया और इसे मूल रूप में 13 दिसम्बर 1955⁹³ को पारित किया गया। लोक सभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के पश्चात, अध्यक्ष ने एक औपचारिक संशोधन द्वारा विधेयक के खण्ड एक में कोष्ठक और शब्दों “(आठवां संशोधन)” के स्थान पर कोष्ठक और शब्द “(पांचवां संशोधन)”⁹⁴ प्रतिस्थापित किया। इस प्रकार परिवर्तित रूप में विधेयक पर 15 दिसम्बर 1955 को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और उसे पारित किया गया⁹⁵।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अंतर्गत, जैसाकि इसमें संशोधन से पहले था, एक नया राज्य बनाने, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने या सीमाओं में परिवर्तन करने या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने संबंधी कोई भी विधेयक संसद में तब तक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधेयक के उपबंधों के बारे में संबंधित राज्य विधानमंडलों के विचार राष्ट्रपति द्वारा निश्चित रूप से न जान लिये गये हों। इस परन्तुक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पुनर्गठन प्रस्ताव से प्रभावित समस्त राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने का उचित अवसर मिल सके। यह वांछनीय समझा गया कि जब इस प्रयोजन के लिये राज्य विधानमंडलों को लिखा जाये तो राष्ट्रपति द्वारा एक कालावधि निर्धारित की जायेगी जिसके अन्दर राज्य विधानमंडल को अपने विचार भेजने होंगे और राष्ट्रपति को यह छूट है कि यदि वह आवश्यक समझे तो इस कालावधि को बढ़ा सकता है। इस बात का उपबंध करना भी वांछनीय समझा गया कि उक्त कालावधि की समाप्ति से पहले विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद

92. वही, 30 नवम्बर 1955, कॉलम 890।

93. वही, 13 दिसंबर 1955, कॉलम 2477-78।

94. लोक सभा वाद-विवाद, 13 दिसंबर 1955, कॉलम 2469, 2470।

95. राज्य सभा वाद-विवाद, 15 दिसंबर 1955, कॉलम 2819।

3 के परन्तुक में तदनुसार संशोधन करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अनुच्छेद 3 के पुनः अधिनियमित परन्तुक द्वारा (1) संबंधित राज्य को निर्देशित (नये राज्य के गठन आदि के प्रयोजन के लिए) विधेयक के संबंध में अपने विचार भेजने के लिए कालावधि निर्धारित करने; और (2) यदि आवश्यक हो, तो इस कालावधि को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाया गया है। इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि निर्धारित या बढ़ाई गई कालावधि समाप्त होने से पहले ऐसा कोई भी विधेयक संसद में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

संशोधन का पाठ

संविधान (पांचवां संशोधन)

अधिनियम, 1955

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[24 दिसम्बर, 1955]

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप
में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पांचवां संक्षिप्त नाम।
संशोधन) अधिनियम, 1955 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 3 में परन्तुक के स्थान पर अनुच्छेद 3 का
निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्- संशोधन।

“परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की
सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का
प्रभाव पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्यों में
से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस
राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के
भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के
भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के
लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया
है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई
है, संसद के किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956⁹⁶

विधायी इतिहास

संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य पूरे भारत में राज्यों द्वारा बिक्री कर लगाने से संबंधित कुछ कठिनाइयों को दूर करना था। यह संशोधन क्षेत्रीयता के आधार पर राज्यों द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में माल की बिक्री या खरीद पर एकाधिक कराधान की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। यह संशोधन कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित किया गया था।

अनुच्छेद 286 बॉम्बे राज्य *बनाम* यूनाइटेड मोटर्स लिमिटेड, एआईआर 1953 एससी 252 में न्यायिक व्याख्या के अधीन था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 'बाहरी उपभोग परीक्षण' को अपनाया और माना कि केवल डिलीवरी राज्य जहां माल का उपभोग किया जाता है, वह कर का हकदार होगा। अनुच्छेद 286(2) के अर्थ के अंतर्गत कानून में उपबंध के अभाव में बिक्री या खरीद का लेन-देन, न कि वह राज्य जिसके माध्यम से माल गुजरता है।

कराधान का मुद्दा ढाई साल बाद फिर से उठाया गया, जहां बॉम्बे राज्य *बनाम* यूनाइटेड मोटर्स लिमिटेड, एआईआर 1953 एससी 252 में फैसले का दूसरा भाग सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल इम्यूनिटी में उलट दिया गया था। *कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य* (1955) एस.सी.ए. 1140.

संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 जब 3 मई, 1956 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तो इसका शीर्षक संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, 1956⁹⁷ था। इसका आशय अंतरराज्यिक विक्रय और क्रय पर करों से संबंधित कुछ विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 269ए, 286 तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन करना था। लोक सभा में

96. 1956 का विधेयक संख्यांक 35; राजस्व और सिविल व्यय मंत्री, श्री एम.सी. शाह द्वारा 3 मई 1956 को संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक के रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित; संयुक्त समिति को सौंपा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया: 29 मई 1956; वाद विवाद, लोक सभा: 7 और 29 मई 1956; राज्य सभा: 16 और 31 मई 1956; राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, हैदराबाद, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, पंजाब और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक को अपेक्षानुसार अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 11 सितम्बर 1956; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 11 सितम्बर 1956; प्रारंभ की तारीख: 11 सितम्बर 1956

97. लोक सभा वाद-विवाद, 3 मई 1956, कॉ. 7091

9 मई को प्रस्तुत किए गए तथा उसी दिन स्वीकृत हुए प्रस्ताव तथा 16 मई 1956 को राज्य सभा में उस प्रस्ताव पर सहमति दिए जाने के बाद यह विधेयक संसद के सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया⁹⁸।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 23 मई, 1956⁹⁹ को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। समिति ने विधेयक में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा और सिफारिश की कि विधेयक, लोक सभा में यथापुरःस्थापित पारित किया जाए।

विधेयक, यथापुरःस्थापित, पर वित्त मंत्री श्री सी.डी. देशमुख द्वारा खण्ड 1 में कोष्ठक और शब्दों “(दसवां संशोधन)” के स्थान पर कोष्ठक और शब्द “(छठा संशोधन)” प्रतिस्थापित करने के लिए एक औपचारिक संशोधन के साथ लोक सभा में 29 मई, 1956 को विचार किया गया और पारित किया गया। खण्ड 2 (जिसका आशय संघ सूची की सातवीं अनुसूची में एक नयी प्रविष्टि 92क जोड़ना था), खण्ड 3 (अनुच्छेद 269 का संशोधन) और खण्ड 4 (अनुच्छेद 286 का संशोधन) को उनके मूल रूप में स्वीकार किया गया¹⁰⁰। लोक सभा द्वारा यथापारित इस विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 31 मई 1956 को विचार किया गया और उसे पारित किया गया¹⁰¹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

हालांकि “समाचारपत्रों से भिन्न अन्य माल के क्रय या विक्रय पर कर” की प्रविष्टि राज्य सूची में है, संविधान के अनुच्छेद 286 के अधीन राज्य को ऐसे कर चार निबंधनों के अधीन लगाने की शक्ति दी गई है जिनमें से दो पूर्ण और दो आंशिक हैं। अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन, किसी राज्य को ऐसा कर अधिरोपित करने से विवर्जित किया जाता है जब क्रय या विक्रय, राज्य के बाहर, या देश में माल के आयात या उसके बाहर निर्यात के दौरान होता है। पहले निबंधन, अर्थात् राज्य से बाहर विक्रय की गैर-करदेयता के संबंध में खण्ड में यह व्याख्या दी गई है कि “राज्य में क्रय या विक्रय का होना तब समझा जाएगा जब उस राज्य में उपभोग के ऐसे प्रयोजन से माल का ऐसे क्रय या विक्रय के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप वास्तव में परिदान किया गया हो”। तत्पश्चात्, खण्ड (2) के अंतर्गत राज्य को, जहां तक संसद द्वारा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय अंतरराज्यिक विक्रय पर कर अधिरोपित करने से विवर्जित किया जाता है। अंत में, खण्ड (3) के अंतर्गत, संसद को ऐसे माल की घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक है और जब ऐसी कोई घोषणा कर दी गई है तो राज्य विधानमंडल द्वारा उस माल के क्रय या विक्रय पर कर अधिरोपित करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

98. वही, 9 मई 1956, कॉ. 7744, 7826; राज्य सभा वाद-विवाद, 16 मई 1956, कॉ. 2363

99. लोक सभा वाद-विवाद, 23 मई 1956, कॉ. 9255

100. वही, 29 मई 1956, कॉ. 9975 – 9978

101. राज्य सभा वाद-विवाद 31 मई 1956, क. 4193, 4197 और 4202

उच्च न्यायिक प्राधिकारियों ने पाया कि अनुच्छेद की व्याख्या करना एक कठिन कार्य है तथा उन्होंने विशेषकर खण्ड (1) और खण्ड (2) में दिए गए स्पष्टीकरण की व्याप्ति और प्रभाव के बारे में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए। *बम्बई राज्य बनाम यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लि.*¹⁰² मामले में उच्चतम न्यायालय के बहुमत की यह राय थी कि उपखण्ड (क) और खण्ड (1) में दिये गए स्पष्टीकरण से उस राज्य के सिवाय, जिसमें उसमें उपभोग के प्रयोजन के लिए माल का परिदान किया गया है, सभी राज्यों द्वारा अंतर राज्य घटक शामिल होने वाले विक्रय पर कराधान का प्रतिषेध है, इसके अलावा खण्ड (2) उस खण्ड द्वारा लगाए गए प्रतिषेध को हटाने के लिए संसद द्वारा कानून नहीं बनाए जाने पर भी अंतरराज्यिक विक्रय पर कर अधिरोपित करने के लिए उस राज्य की शक्ति को प्रभावित नहीं करता। इसके फलस्वरूप किसी एक राज्य में रहने वाले व्यापारियों, जो अनेक राज्यों से सामान्य तौर पर व्यापार करते हैं, को विक्रय कर की क्षेत्राधिकारिता और प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है। ढाई वर्षों बाद *बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार*¹⁰³ राज्य के मामले में इस निर्णय के दूसरे भाग को उच्चतम न्यायालय ने उलट दिया, परन्तु यहां भी निर्णय सर्वसम्मत नहीं था।

अनुच्छेद के खण्ड (3) के अनुसरण में, संसद ने 1952 में एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कई प्रकार के माल जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, कपड़े, कपास, मवेशियों के लिए चारा, लौह और इस्पात, कोयला आदि को समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक घोषित किया गया। चूंकि यह घोषणा इन माल पर विक्रय कर अधिरोपित करने के लिए राज्य के पूर्व विद्यमान कानूनों को प्रभावित नहीं कर सकी, इसीलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में न केवल छूट प्राप्त माल को श्रेणियों में, अपितु उनके लिए लागू दरों में भी काफी भिन्नता थी।

कराधान जांच आयोग ने इस समस्या को सावधानीपूर्वक और पूरी तरह से जांच करने के पश्चात् कुछ सिफारिशों की जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलतः विक्रय कर को राज्य के राजस्व का स्रोत बने रहना चाहिए और इसका उद्ग्रहण और प्रशासन भी पर्याप्त रूप से राज्य सरकार से संबंधित होना चाहिए। किसी राज्य की शक्ति और उसके उत्तरदायित्व के क्षेत्र की समाप्ति तथा संघ की शक्ति और उसके उत्तरदायित्व के क्षेत्र की शुरुआत उस समय कही जा सकती है जब किसी एक राज्य का विक्रय कर दूसरे राज्य के डीलरों पर प्रशासनिक और उपभोक्ताओं पर वित्तीय प्रभाव डालता है। अतः, मोटे तौर पर उसे अंतरराज्यिक विक्रय संघ से संबंधित होना चाहिए परंतु संघ से संबंधित उत्तरदायित्व का उपयोग राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा सकता है और किसी भी दशा में, उपयुक्त रूप से उनको राजस्व प्राप्त होना चाहिए। दूसरी ओर अंतर-राज्यिक विक्रय को, एक महत्वपूर्ण अपवाद के साथ राज्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

102. (1953) एस.सी.आर. 1069

103. (1955) एस.सी.ए. 1140

उदाहरण के लिए जहां किसी राज्य में उत्पादित कच्चा माल उपभोक्ता या दूसरे राज्य के उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वहां राज्य सरकार को कर लगाने की शक्ति पर कतिपय प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है अन्यथा यह विनिर्मित वस्तुओं की लागत में वृद्धि कर सकता है चाहे ऐसा विनिर्माण कच्चा माल उत्पादित करने वाले राज्य में हुआ हो या किसी दूसरे राज्य में जो उस राज्य से सामग्री का आयात करता है। दोनों ही दशा में चूंकि तैयार माल कच्चे माल पर कर लगाने वाले राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा उपयोग में लाया जाता है इसीलिए कर के कारण कीमत में वृद्धि दूसरे राज्य के उपभोक्ताओं के लिए सीधे-सीधे चिन्ता का विषय बन जाता है। अन्तरराज्यिक विक्रय के ऐसे मामलों को समुचित रूप से संघ के पूर्ण नियंत्रणाधीन लाया जाना चाहिए। आयोग की इन सिफारिशों को सामान्यतः सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य विक्रय कर से संबंधित संवैधानिक उपबंध में संशोधन के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। खण्ड 2 में संघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92क को जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है जो अन्तरराज्यिक क्रय और विक्रय पर कर को संघ के अनन्य विधायी और कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत रखे तथा राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 54 को इस नई प्रविष्टि के 'उपबंधों के अध्याधीन' करे। इस विधेयक के खण्ड 3 में अनुच्छेद 269 के खण्ड (1) में दी गई सूची में इन करों को जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यद्यपि इन्हें संसद के अधिनियम के अनुसार लगाया और संग्रहित किया जाएगा, तथापि वे भारत को संचित निधि का भाग नहीं होंगी बल्कि संसद की विधि द्वारा निश्चित वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार राज्य स्वयं अर्जित करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 269 में एक और उपबंध का प्रस्ताव किया गया जिसमें संसद को स्पष्ट रूप से विधि द्वारा यह सिद्धांत सूचित करने की शक्ति दी गई जिससे यह विनिश्चय हो सके कि अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के समय माल का विक्रय या क्रय कब हुआ।

खण्ड 4 में यह प्रस्ताव किया गया कि अनुच्छेद 286 के खण्ड (1) से उस व्याख्या का लोप किया जाए जिससे कई वैधानिक विरोधाभास और व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं। इस विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्तावित अंतरराज्यिक विक्रय कर के केन्द्रीयकरण की दृष्टि से अनुच्छेद 286 का खण्ड (2) अपने वर्तमान रूप में उपयुक्त नहीं रहेगा। इसीलिए यह प्रस्ताव किया गया कि, इसके स्थान पर एक उपबंध अंतःस्थापित किया जाए जो संसद को माल के (क) राज्य के बाहर, या (ख) भारत की सीमा के भीतर माल के आयात के दौरान, या (ग) भारत की सीमा से बाहर माल के निर्यात के दौरान माल के विक्रय या क्रय की दशा में अवधारण के सिद्धांत सूचित करने की शक्ति प्रदान करे।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि अनुच्छेद 286 के खण्ड 3 के स्थान पर कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक नया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए। इस संशोधित खण्ड के अंतर्गत

संसद के पास विधि द्वारा यह घोषणा करने की शक्ति होगी कि कौन-सा माल अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के लिए विशेष महत्व का है और यह किसी भी राज्य विधि (चाहे वह संसद की विधि से पहले या पश्चात् बनाई गई हो) के प्रतिबंधों और शर्तों को भी विनिर्दिष्ट करेगा जो उस माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्गृहण की पद्धति, दरों और अन्य कर प्रसंगतियों के अधीन होगी।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संघ सूची में 92क एक नई प्रविष्टि शामिल की गई है जिसमें समाचारपत्र से भिन्न माल के अंतरराज्यिक विक्रय और क्रय पर करारोपण की एकमात्र विधायी और कार्यपालिका शक्ति संघ को दी गई है और राज्य सूची की प्रविष्टि 54 को नई प्रविष्टि 'उपबंधों के अधीन' किया गया है। (धारा 2)

अधिनियम की धारा 3(क) के द्वारा अनुच्छेद 269 के खण्ड (एक) में दी गई सूची में एक नया उपखण्ड (1) (च) अंतःस्थापित कर समाचारपत्रों से भिन्न अन्य माल के अंतरराज्यिक विक्रय और क्रय पर कर जोड़ दिए गए हैं। यद्यपि वे कर संसद के अधिनियम के अनुसार लगाये और एकत्रित किये जायेंगे, परन्तु वे भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे और ये वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार राज्यों को ही प्रोद्भूत होंगे जो संसद विधि द्वारा बनाए।

धारा 3(ख) द्वारा अनुच्छेद 269 में एक नया खण्ड (3) अंतःस्थापित किया गया है। यह नया खण्ड स्पष्ट रूप से संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह यह अवधारित करने के लिए कि माल का विक्रय या क्रय कब अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकेगी।

अनुच्छेद 286 के खण्ड (1) से स्पष्टीकरण का लोप कर दिया गया है तथा अनुच्छेद के खंड (2) को प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी (क) राज्य के बाहर या (ख) आयात या (ग) निर्यात के दौरान विक्रय या क्रय होता है तो वह यह अवधारित करने के लिए कि माल का विक्रय या क्रय कब अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, सिद्धांत बना सके। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 286 के संशोधित खण्ड (3) के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा यह घोषित करने का अधिकार होगा कि कौन-सा माल अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का है और वह यह भी निर्दिष्ट कर सकेगी कि किसी राज्य की कोई विधि, चाहे वह संसद के कानून से पहले बनी है या बाद में, उस माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्गृहण की पद्धति, दरों और अन्य प्रसंगतियों के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी। (धारा 4)

संशोधन का पाठ

संविधान (छठा संशोधन)

अधिनियम, 1956

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[11 सितम्बर, 1956]

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छठा संशोधन) संक्षिप्त नाम। अधिनियम, 1956 है।

2. संविधान की सातवीं अनुसूची में-

सातवीं अनुसूची
का संशोधन।

(क) संघ सूची में प्रविष्टि 92 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“92क. समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है”; और

(ख) राज्य-सूची में प्रविष्टि 54 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

“54. सूची 1 की प्रविष्टि 92क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर।”

3. संविधान के अनुच्छेद 269 में-

अनुच्छेद 269
का संशोधन।

(क) खंड (1) में उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(छ) समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है”; और

(ख) खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) संसद, यह अवधारित करने के लिए कि माल का क्रय या विक्रय कब अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकेगी।”

4. संविधान के अनुच्छेद 286 में-

अनुच्छेद 286
का संशोधन।

(क) खंड (1) में स्पष्टीकरण का लोप किया जायेगा, और

(ख) खंड (2) तथा (3) के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(2) संसद, यह अवधारित करने के लिए कि माल का क्रय या विक्रय खंड (1) में वर्णित रीतियों में से किसी रीति से कब होता है, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकेगी।

(3) जहां तक किसी राज्य की कोई विधि ऐसे माल के, जो संसद द्वारा विधि द्वारा अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है, क्रय या विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करती है या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है, वहां तक वह विधि, उस कर के उदगृहण की पद्धति, दरों और अन्य प्रसंगतियों के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956¹⁰⁴

विधायी इतिहास

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 जब 18 अप्रैल 1956¹⁰⁵ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तो इसका शीर्षक संविधान (नौवां संशोधन) विधेयक, 1956 था। यह विधेयक एक प्रकार से राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956, जो उसी दिन लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, का एक पूरक विधेयक था।

संविधान (नौवां संशोधन) विधेयक द्वारा संविधान के कई उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव था ताकि राज्यों के पुनर्गठन की योजना क्रियान्वित की जा सके तथा उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों और विधायी सूचियों से संबंधित आवश्यक परिवर्तनों को कार्यान्वित किया जा सके। इस विधेयक में (i) अनुच्छेद 1, 3, 31क, 49, 58, 66, 72, 73, 80, 101, 112, 131, 151- 153, 168, 171, 208, 209, 214, 216, 217, 219, 222, 239, 241, 244, 246, 254, 255, 259, 267, 270, 280, 283, 291, 299, 308-311, 315-318, 320, 323, 324, 332, 333, 337, 339, 341, 343, 348, 356, 361, 366-368 भाग VI और भाग VIII के शीर्षकों, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम और सप्तम अनुसूचियों को संशोधित करने; (ii) अनुच्छेद 81, 82, 170, 220, 224, 230-232, 239, 264, 290 और 371 के स्थान पर नये अनुच्छेद प्रतिस्थापित करने; (iii) अनुच्छेद 242, 259, 278, 306, 379 से 391; भाग VII और IX का लोप करने; (iv) संविधान में नये अनुच्छेद 258क, 290क और 350क अन्तःस्थापित करने; और (v) संविधान (कठिनाइयों का निवारण) आदेश संख्या VIII में परिणामी संशोधन करने की

104. 1956 का विधेयक संख्यांक 29; 18 अप्रैल 1956 को गृह मंत्री, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा लोक सभा में संविधान (नौवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; संयुक्त समिति को भेजा गया; समिति का प्रतिवेदन 16 जुलाई 1956 को प्रस्तुत किया गया; वाद-विवाद, लोक सभा: 26, 27 अप्रैल और 4, 5 और 6 सितम्बर 1956; राज्य सभा: 2 मई और 10 और 11 सितम्बर 1956; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, हैदराबाद, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र और उत्तर प्रदेश; राष्ट्रपति की अनुमति: 19 अक्तूबर 1956; राजपत्र को अधिसूचना को तारीख: 19 अक्तूबर 1956; प्रारंभ की तारीख: 1 नवम्बर 1956।

105. लोक सभा वाद-विवाद, 18 अप्रैल 1956, कॉ. 5651।

अपेक्षा की गयी है। 26 अप्रैल को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए तथा 27 अप्रैल 1956 को स्वीकृत किए गए प्रस्ताव तथा 2 मई 1956 को राज्य सभा द्वारा उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दिये जाने के बाद विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया¹⁰⁶।

विधेयक-संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 16 जुलाई 1956¹⁰⁷ को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। समिति ने विधेयक के कुछ खण्डों और इसकी अनुसूची में संशोधन करने के सुझावों के अतिरिक्त तीन नये खण्डों के अन्तःस्थापन का प्रस्ताव किया। संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधेयक पर 4, 5 और 6 सितम्बर 1956 को लोक सभा द्वारा विचार किया गया तथा कुछ और संशोधनों के साथ 6 सितम्बर 1956¹⁰⁸ को इसे पारित किया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 10 और 11 सितम्बर 1956 को विचार किया गया और 11 सितम्बर 1956¹⁰⁹ को उसे पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

राज्यों के पुनर्गठन की योजना क्रियान्वित करने के उद्देश्य से संविधान में अनेक संशोधन करना आवश्यक समझा गया था। इस विधेयक में उपर्युक्त आशय के संशोधनों के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति और विधायी सूचियों में कुछ प्रविष्टियों से संबंधित संविधान के कुछ उपबंधों में भी कतिपय अन्य संशोधन करने का प्रस्ताव है। संशोधनों को करने के कारण निम्नलिखित रूप में थे:

खण्ड 2 - पुनर्गठन संबंधी योजना में न केवल नए राज्यों की स्थापना और विद्यमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन शामिल था बल्कि राज्यों की तीन श्रेणियों (भाग क, भाग ख और भाग ग राज्यों) को समाप्त करना और कुछ क्षेत्रों को संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत करना भी शामिल था। इस प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 1 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की जरूरत थी और पहली अनुसूची को पूर्णतः संशोधित किया जाना था।

खण्ड 3 - अनुच्छेद 80 में प्रस्तावित संशोधन औपचारिक और आनुषंगिक स्वरूप के थे। राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956 के भाग-दो में यथाप्रस्तावित सीमा क्षेत्र संबंधी परिवर्तन और नए राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को बनाने में संविधान की चौथी अनुसूची, जिसके द्वारा मौजूदा राज्यों को राज्य सभा में सीटें आवंटित की गई थीं, को पूरी तरह संशोधित करना शामिल था। विद्यमान आवंटन 1941 की जनगणना में सुनिश्चित प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर था और

106. वही, 26 और 27 अप्रैल 1956, कॉ. 4672-4673 और 6595; राज्य सभा वाद-विवाद, 2 मई 1956, कॉ. 1032, 1120।

107. लोक सभा वाद-विवाद, 16 जुलाई 1956, कॉ. 8।

108. वही, 6 सितम्बर 1956, कॉ. 607।

109. राज्य सभा वाद-विवाद, 11 सितम्बर 1956, कॉ. 4219।

भाग क और भाग ख के प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या इस सूत्र के अनुसार थी: पहले पांच मिलियन के लिए प्रत्येक एक मिलियन की जनसंख्या पर एक सीट थी और प्रत्येक अतिरिक्त 2 मिलियन अथवा उसके भाग अर्थात् एक मिलियन से अधिक के लिए एक सीट थी। नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों के आवंटन को संशोधित करने का प्रस्ताव था परन्तु यह पूर्व सूत्र के तहत ही किया जाना था।

खण्ड 4 - इस प्रकार, भाग 'ग' राज्यों का विलोपन तथा संघ राज्यक्षेत्रों की स्थापना की वजह से अनुच्छेद 81 और 82 में व्यापक संशोधन करना अपरिहार्य हो गया था। अनुच्छेद 81(1) (ख) में उपबंध है कि "राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या गठन किया जाएगा जो कि अब उचित नहीं होगा चूंकि पुनर्गठन के पश्चात् प्रत्येक राज्य इतना बड़ा होगा कि उसे अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए उसे अन्य राज्यों के साथ शामिल करने की अथवा एकल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में गठित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 81 के खंड (2) और अनुच्छेद 82 का समायोजन करने तथा संशोधित करने की जरूरत होगी ताकि संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उपयुक्त उपबंध किया जा सके। अनुच्छेदों को छोटे-छोटे रूप में संशोधित करने की बजाय यह प्रस्तावित था कि उनका संशोधन और सरलीकरण किया जाए। इस बीच यह प्रस्ताव किया गया कि संशोधित अनुच्छेद 81 के खंड (1) (ख) में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की जाए, जो संसद द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए तय हो।

खण्ड 5 - अनुच्छेद 131 के परन्तुक का प्रस्तावित संशोधन भाग 'ख' के राज्यों के समाप्त होने का परिणामी था। मौजूदा परन्तुक के दो भागों को मिला दिया गया है।

खण्ड 6 - अनुच्छेद 153 में यह उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। चूंकि कतिपय परिस्थितियों में यह भी वांछनीय होता है कि दो अथवा उससे अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के पद पर एक हो व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, अतः यह प्रस्तावित था कि इस अनुच्छेद में एक परन्तुक को जोड़ा जाए, ताकि ऐसी नियुक्ति के लिए किसी तकनीकी प्रतिबंध को हटाया जा सके।

खण्ड 7 - अनुच्छेद 168 के खंड (1) के उपखंड (क) में कतिपय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडलों का उपबंध है। यह प्रस्तावित था कि पुनर्गठित राज्यों में से पंजाब और मैसूर में ऐसे विधानमंडल चलते रहें तथा विस्तारित मध्य प्रदेश में भी द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था को जाए। चूंकि मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद के गठन में समय लगेगा, अतः यह प्रस्तावित था कि राष्ट्रपति की सरकारी अधिसूचना के माध्यम से अनुच्छेद 168 (1) में संगत संशोधन करके उसे भावी तारीख से लागू किया जाए।

खण्ड 8 - इसका आशय खंड 4 द्वारा यथासंशोधित अनुच्छेद 81 और 82 के अनुरूप बनाने के प्रयोजनार्थ मुख्यतः अनुच्छेद 170 में संशोधन करना था।

खण्ड 9 - अनुच्छेद 171 के खंड (1) के अंतर्गत किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य को विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक-चौथाई निर्धारित है। यद्यपि, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में यह अधिकतम संख्या पर्याप्त थी लेकिन इस उपबंध के कारण छोटे राज्यों के मामले में कठिनाई उत्पन्न हुई। इसलिए, यह प्रस्तावित था कि उस अधिकतम संख्या में संशोधन करके इसे विधानसभा के सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई कर दिया जाए।

खण्ड 10 - अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह पृथक् आदेश के द्वारा किसी उच्च न्यायालय में उतने न्यायाधीशों को नियुक्त करे, जितना वह समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे और इसके साथ ही प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या भी निर्धारित करे। यह परन्तुक व्यावहारिक दृष्टिकोण से कम महत्व का था क्योंकि अधिकतम संख्या को निर्धारित करने के आदेश को राष्ट्रपति, जब भी आवश्यक हो, परिवर्तित कर सकता है। अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए खंड 14 में उपबंध किए जाने का प्रस्ताव था। इसमें यह उपबंध भी शामिल था कि या तो आदेश में बार-बार संशोधन हों अथवा अधिकतम संख्या को बढ़ा कर निर्धारित किया जाए। इसलिए अनुच्छेद 216 के परन्तुक का लोप करना प्रस्तावित था।

खण्ड 11 - इस खंड में प्रस्तावित, अनुच्छेद 217 के खंड (1) का संशोधन उस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप था, जिसमें सीमित अवधि के लिए अपर तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध था।

खण्ड 12 - विधिज्ञों के बीच से (बार से) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक पीठ से उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् विधि व्यवसाय करने के संबंध में अनुच्छेद 220 में अंतर्विष्ट पूर्ण प्रतिषेध है। यह प्रस्तावित था कि अनुच्छेद को संशोधित किया जाए ताकि इस पूर्ण प्रतिषेध में ढील दी जा सके और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय और किसी भी उच्च न्यायालय में, उस न्यायालय को छोड़कर, जिसमें वह स्थायी न्यायाधीश था, वकालत करने की अनुमति मिल सके।

खण्ड 13 - अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण करने की शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद की धारा (2) में यह उपबंध है कि जब किसी न्यायाधीश को इस प्रकार अंतरित किया जाता है तो वह अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। यह महसूस किया गया कि इस प्रकार

से भत्ता प्रदान करने का कोई वास्तविक औचित्य नहीं है और तदनुसार खंड (2) के लोप का प्रस्ताव किया गया।

खण्ड 14 - अनुच्छेद 224 का यह उपबंध कि उच्च न्यायालय के न्यायापीठ में कार्य करने के लिए अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को अल्प अवधियों के लिए बुलाया जा सकता है, न तो उपयुक्त और न ही संतोषजनक प्रतीत होता है। इसलिए यह प्रस्तावित था कि इस अनुच्छेद के स्थान पर यह उपबंध लाया जाए जिसके तहत बकाया कार्य को पूर्ण करने के लिए अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति और अस्थायी रिक्तियों पर कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति हो।

खण्ड 15 - पुनर्गठन के पश्चात् राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति पर ध्यान देते हुए अनुच्छेद 230, 231 और 232 को संशोधित और सरलीकृत करने का प्रस्ताव था। हालांकि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय होना चाहिए किंतु दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार भी होना चाहिए। संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता जहां आवश्यक हो, बढ़ाने और ऐसे क्षेत्र से उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन करने की जरूरत होनी चाहिए। संशोधित अनुच्छेद 230 और 231 को इन उपबंधों के लिए हो बनाया गया था।

खण्ड 16 - संविधान के भाग आठ में भाग ग के राज्यों के प्रशासन के लिए उपबंध है तथा भाग नौ में भाग घ के क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के लिए भाग आठ में संशोधन करने तथा भाग नौ का निरसन करने का प्रस्ताव था।

खण्ड 17 - जबकि अनुच्छेद 258 (1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह राज्य सरकार अथवा उसके अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को सौंप सकता है किन्तु तत्संबंधी ऐसा कोई उपबंध नहीं था जिसमें राज्य का राज्यपाल राज्य के कृत्यों को केन्द्रीय सरकार अथवा उसके अधिकारियों को सौंप सके। राज्यों में कतिपय विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप यह खामी पाई गई थी। नए अनुच्छेद 258 के द्वारा इस खामी को पूरा किया जाना प्रस्तावित था।

खण्ड 18 - त्रावणकोर और कोचीन के संयुक्त राज्य के गठन हेतु मई 1949 में त्रावणकोर और कोचीन के शासकों द्वारा की गई संधि के अनुच्छेद-आठ के तहत यह प्रावधान था कि त्रावणकोर देवस्वम् निधि के लिए 51 लाख रु. की राशि के वार्षिक अंशदान के लिए त्रावणकोर की देयता इस संयुक्त राज्य के प्रति जारी रहे। इस व्यवस्था की पुष्टि संविधान के अनुच्छेद 238 (10) (दो) के द्वारा भी हुई थी। यह प्रस्तावित था कि नए राज्य केरल के गठन के पश्चात् भी विद्यमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए परन्तु इस क्षेत्र के त्रावणकोर-कोचीन से मद्रास में अंतरण को ध्यान में रखते हुए उस राज्य की समेकित निधि से त्रावणकोर देवस्वम् बोर्ड के लिए अंशदान 51 लाख रुपए से कम करके 46.5 लाख रुपए कर दिया जाए।

खण्ड 19 - इस खंड में अनुच्छेद 298 को संशोधित करना तथा उसके कार्य-क्षेत्र का प्रवर्धन करना प्रस्तावित था और मुख्य रूप से यह स्पष्ट करना था कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें किसी भी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कार्य के क्रियान्वयन में सक्षम थीं, चाहे मामला संघ अथवा राज्य, जैसी भी स्थिति हो, के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो या न हो। संवैधानिक अनौचित्य के बिना किसी प्रयोजन के लिए संघ अथवा राज्य के द्वारा संविदाओं को बनाने और संपत्ति की वृत्ति, अधिग्रहण और निस्तारण किया जा सकता है। इसके साथ ही संशोधित अनुच्छेद में यह उपबंध था कि संघ और राज्यों को प्रदान की गई यह कार्यकारी शक्ति क्रमशः राज्य और संसद द्वारा बनाए गए विधान के अधीन होगी।

खण्ड 20 - इस खंड में प्रस्तावित नया अनुच्छेद 350क पुनर्गठन के पश्चात् राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षोपाय संबंधी राज्य पुनर्गठन आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए लाया गया था।

खण्ड 21 - यह प्रस्ताव था कि अनुच्छेद 371 के स्थान पर दूसरा अनुच्छेद लाया जाए ताकि आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध बनाया जा सके। इस अनुच्छेद से राष्ट्रपति राज्य विधानसभा की क्षेत्रीय समितियों का गठन कर सकेगा और सरकारी कार्यों के नियमों और राज्य को विधानसभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों में उपयुक्त परिवर्तनों के निदेश देकर समितियों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित कर सकेगा।

खण्ड 22 - त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय नियत तिथि से नए राज्य केरल का उच्च न्यायालय होगा और मैसूर तथा राजस्थान उच्च न्यायालय विस्तारित 'नए' राज्यों के लिए क्रमशः इसी नाम के तहत उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत रहेंगे। इन राज्यों में बार में आय तथा न्यायिक सेवाओं के लिए दिए जाने वाले वेतन के स्तर को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया कि इन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले वेतन को अन्य उच्च न्यायालयों के स्तर तक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव किया गया कि संविधान की दूसरी अनुसूची के पैरा 10 के उप-पैरा (1) में संशोधन किया जाए जिसमें इन तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए 3000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों के लिए 2500 रुपये वेतन का उपबंध था। कभी-कभी सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे न्यायाधीश के मामले में पेंशन को रोकने हेतु, विधिक उपबंध की अनुपस्थिति में, ऐसी प्रथा रही है कि उनसे एक वचनपत्र प्राप्त किया जाए जिसमें यह लिखा हो कि जिस अवधि में वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा उस अवधि की पेंशन का वह दावा नहीं करेगा। चूंकि यह स्पष्ट रूप से असंतोषजनक था अतः इसमें उसी तरह की परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन को विनियमित करने वाले तत्संबंधी पैरा 9(1) के परन्तुक की तर्ज पर दूसरी अनुसूची के पैरा 10(1) के परन्तुक को जोड़ना प्रस्तावित था।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में किए गए समुचित उपबंध को देखते हुए पैराग्राफ 10 के उप-पैराग्राफ (3) और (4) की अब और आवश्यकता नहीं थी।

खण्ड 23 - विधायी सूचियों में तीन प्रविष्टियों के विद्यमान होने के कारण (सूची-एक की 33, सूची-दो की 36 तथा सूची-तीन की 42) सरकार द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण और मांग के मुख्यतः एकल विषय से संबंधित विधान में अनावश्यक तकनीकी कठिनाइयां बढ़ रही थीं। इन कठिनाइयों से बचने एवं संवैधानिक स्थिति का सरलीकरण करने के लिए यह प्रस्ताव था कि संघ और राज्य सूचियों की प्रविष्टियों का लोप किया जाए तथा समग्र विषय को शामिल करके व्यापक प्रविष्टि के द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टि को बदला जाए।

खण्ड 24 - संघ सूची की प्रविष्टि 67 “संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष” का हवाला देती है। संसद के एक अधिनियम द्वारा बड़ी संख्या में प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों आदि को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। उस अधिनियम में सूचियों में मामूली तब्दीली अथवा परिवर्धन करने के लिए संसद के एक और अधिनियम की जरूरत थी जो कि एक जटिल प्रक्रिया थी। इसलिए यह प्रस्तावित था कि “संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित” शब्दों के स्थान पर “संसद द्वारा अथवा संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत घोषित” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। इसी तरह का संशोधन राज्य सूची की प्रविष्टि 12, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 40 और अनुच्छेद 49 में करना भी प्रस्तावित था।

खण्ड 25 - यद्यपि, संघ सूची में उद्योगों से संबंधित दो प्रविष्टियां 7 और 52 हैं, इसमें बाद वाली प्रविष्टि का ही सूची-दो को प्रविष्टि 24 में उल्लेख है। सूची-एक की प्रविष्टि 7 का लोप गलती से हुआ होगा जिसे इस खंड में ठीक करने का प्रस्ताव था।

खण्ड 26 और अनुसूची - इनमें संविधान में असम जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित संविधान (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश संख्या आठ में किए जाने वाले पारिणामिक तथा लघु संशोधन और निरसन शामिल हैं।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

अधिनियम 1 नवम्बर, 1956 को प्रवृत्त हुआ। (धारा 1)

संशोधित अनुच्छेद 1 राज्यों की तीन श्रेणियों (भाग क, भाग ख और भाग ग राज्यों) को समाप्त करता है और कुछ क्षेत्रों को संघ राज्यक्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत करता है। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के क्षेत्रों और सीमाओं को निर्धारित किया गया है जिसे पुनर्गठन योजना से होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने के लिये पूर्णतः संशोधित किया गया है। (धारा 2)

अनुच्छेद 80 में कुछ औपचारिक और आनुषंगिक संशोधन किये गये हैं जबकि चौथी अनुसूची को, जो राज्य सभा में स्थानों का आवंटन निर्धारित करती है, पूर्णतः संशोधित किया गया है। (धारा 3)

अनुच्छेद 81 और 82 को पुनः अधिनियमित किया गया है। संशोधित अनुच्छेद 81 में यह व्यवस्था है कि राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए अधिकतम 500 सदस्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये ऐसी रीति से, जो संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, चुने हुए अधिकतम 20 सदस्यों से मिलकर लोक सभा बनेगी। मूल अनुच्छेद 81ख के “राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा” उपबन्ध को हटा लिया गया है। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने संबंधी एक उपबन्ध किया गया है। (धारा 4)

अनुच्छेद 131 को यह उपबन्ध करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रवर्तन में है या जो यह उपबन्ध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। (धारा 5)

अनुच्छेद 153 में एक परन्तुक जोड़ा गया है जिससे यह सम्भव हो गया है कि दो या उससे अधिक राज्यों के लिये राज्यपाल के पद पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा। (धारा 6)

अनुच्छेद 168(1) (क) को यह व्यवस्था करने के लिये संशोधित किया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में उस तारीख से द्विसदनीय विधानमण्डल होगा जब से राष्ट्रपति सरकारी अधिसूचना जारी करेंगे। अनुच्छेद 170 को, जो राज्य विधानमंडलों के गठन से संबंधित है, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित अनुच्छेद 81 और 82 के अनुरूप बनाने के लिये संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 171 में संशोधन करके किसी राज्य के विधान परिषदों के सदस्यों की अधिकतम संख्या, जो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक-चौथाई होती थी, को बढ़ा कर एक-तिहाई कर दिया गया है। (धारा 8, 9 और 10)

अनुच्छेद 217 (1) में यह संशोधन किया गया है कि उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबन्धित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। (धारा 11)

अधिनियम में उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों द्वारा की जाने वाली वकालत पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध पर अनुच्छेद 220 में संशोधन करके छूट दी गई है। अब कोई भी अवकाश

प्राप्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और किसी भी उच्च न्यायालय में, उस न्यायालय को छोड़कर जिसमें वह स्थायी न्यायाधीश था, वकालत कर सकता है। (धारा 13)

धारा 15 द्वारा अनुच्छेद 224 में संशोधन किया गया है ताकि राष्ट्रपति बकाया कार्य को निपटाने के लिये अतिरिक्त न्यायाधीशों और अस्थायी रिक्त पदों पर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकें।

अनुच्छेद 230 में संशोधन किया गया है ताकि संसद किसी संघ राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सके अथवा किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सके। अनुच्छेद 231 में संशोधन करके संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिये एक संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। (धारा 16)

राष्ट्रपति द्वारा किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था उसके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक, जितना कि वह उचित समझे, करने के लिये मूल अनुच्छेद 239 को पुनः अधिनियमित किया गया है। तथापि, यह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अध्यधीन होगा।

राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को पार्श्वस्थ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाये वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों को अपनी मंत्रिपरिषद् से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। अनुच्छेद 240 को भी पुनः अधिनियमित किया गया है ताकि संघ राज्यक्षेत्र (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों, और (ख) लक्षद्वीप, मिनिक्ॉय और अमीनदीव समूहों को शान्ति, प्रगति और अच्छी सरकार बनाने हेतु विनियम बनाने के लिये राष्ट्रपति को अधिकार दिये जा सकें। इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद द्वारा बनाये गये किसी अधिनियम अथवा संघ राज्यक्षेत्र में लागू किसी विद्यमान कानून को कुछ समय के लिये रद्द अथवा संशोधित कर सकता है। (धारा 17)

अधिनियम में एक नया अनुच्छेद 258 जोड़ा गया है जिसमें व्यवस्था है कि भारत सरकार की सम्मति से किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के किसी कृत्य को केन्द्रीय सरकार अथवा उसके अधिकारियों को सौंप सकता है। (धारा 18)

कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय देने के लिए एक नया अनुच्छेद 290क अंतःस्थापित किया गया है। (धारा 19) अनुच्छेद 298 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है जो यह स्पष्ट करता है कि संघ सरकार और राज्य सरकारें कोई व्यापार या कारोबार करने और किसी प्रयोजन के लिये सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन तथा संविदा करने के लिये सक्षम हैं, चाहे मामला संघ अथवा राज्य, जैसी भी स्थिति हो, के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो या न

हो। तथापि, संघ और राज्यों की इस प्रकार बढ़ाई गई कार्यकारी शक्ति पूर्ववर्ती मामले में राज्य द्वारा विधान के अधीन होगी तथा उत्तरवर्ती मामले में संसद द्वारा विधान के अधीन होगी। (धारा 20)

नये अनुच्छेद 350क में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये सुविधाएं जुटाने हेतु प्रत्येक राज्य को आदेश दिये गये हैं और यह राष्ट्रपति को ऐसी सुविधाओं के उपबंधों की सुरक्षा के लिये किसी राज्य को आदेश जारी करने का अधिकार देता है। एक दूसरे नये अनुच्छेद 350ख में राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है जिनका यह कर्तव्य होगा कि वे संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन विषयों के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दें। ये प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन में रखे जायेंगे और संबद्ध राज्यों की सरकारों को भेजे जायेंगे। (धारा 21)

अनुच्छेद 371 के स्थान पर एक दूसरा अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य की विधानसभाओं की प्रादेशिक समितियों का गठन और सरकार के कार्यसंचालन नियमों और विधानसभा के प्रक्रिया नियमों में किये जाने वाले समुचित संशोधनों के बारे में निदेश देकर उनका समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिये उपबंध कर सकेगा। बम्बई राज्य के मामले में भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग विकास बोर्डों की स्थापना, विभिन्न क्षेत्रों के विकास संबंधी व्यय के लिए निधियों का न्यायसंगत आवंटन और तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएं देने हेतु न्यायसंगत व्यवस्था, राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरियों में विभिन्न क्षेत्रों को रोजगार के पर्याप्त अवसर देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिये उपबंध कर सकेगा। (धारा 22)

एक नया अनुच्छेद 372क अंतःस्थापित किया गया है जिसमें राष्ट्रपति को किसी विधि में अनुकूलन और उपांतरण करने की शक्तियां दी गई हैं ताकि इन्हें सातवां संशोधन अधिनियम द्वारा यथासंशोधित भारत के संविधान के अनुरूप बनाया जा सके। (धारा 23)

सम्पत्ति के अर्जन और अधिग्रहण से संबंधित विधायी सूची की तीन प्रविष्टियों में से संघ सूची की प्रविष्टि 33 और राज्य सूची की प्रविष्टि 36 का लोप कर दिया गया जबकि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 को एक अधिक व्यापक प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण विषय को शामिल किया गया है। (धारा 26)

संशोधन का पाठ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[19 अक्तूबर, 1956]

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा।

2. (1) संविधान के अनुच्छेद 1 में-

अनुच्छेद 1 और पहली अनुसूची का संशोधन।

(क) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;” और

(ख) खंड (3) में, उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र; और”।

(2) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 द्वारा यथासंशोधित संविधान की पहली अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

पहली अनुसूची
(अनुच्छेद 1 और 4)

क्रमांक	नाम	राज्यक्षेत्र
एक. राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (i) में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।
2.	असम	वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले असम प्रांत, खासी राज्यों और असम जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे, लेकिन आसाम (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों को छोड़कर।
3.	बिहार	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो बिहार प्रांत में शामिल थे या ऐसे प्रशासित किए जा रहे थे जैसे कि वे उस प्रांत का हिस्सा थे परन्तु ऐसे राज्यक्षेत्र बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से इतर थे।
4.	बम्बई	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।
5.	केरल	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।

क्रमांक	नाम	राज्यक्षेत्र
6.	मध्य प्रदेश	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।
7.	मद्रास	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो मद्रास प्रांत में शामिल थे या ऐसे प्रशासित किए जा रहे थे मानो वे उस प्रांत का हिस्सा हों और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 4 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र हों, लेकिन ऐसे राज्यक्षेत्र आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 6 और की धारा 7 की उपधारा (1) का खंड (घ) में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से इतर हैं।
8.	मैसूर	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।
9.	उड़ीसा	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो उड़ीसा प्रांत में शामिल थे या इस तरह प्रशासित किए जा रहे थे मानो वे उस प्रांत का हिस्सा हों।
10.	पंजाब	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 11 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।
11.	राजस्थान	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 10 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।

क्रमांक	नाम	राज्यक्षेत्र
12.	उत्तर प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो संयुक्त प्रांत के रूप में जाने जाने वाले प्रांत में शामिल थे या उन्हें इस तरह प्रशासित किया जा रहा था मानो वे उस प्रांत का हिस्सा हों।
13.	पश्चिम बंगाल	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो पश्चिम बंगाल प्रांत में शामिल थे या उन्हें इस तरह प्रशासित किया जा रहा था मानो चंद्रनगर (विलयन) अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित चंद्रनगर का राज्यक्षेत्र और साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र भी उस प्रांत का हिस्सा हों।
14.	जम्मू और कश्मीर	राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले के भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में शामिल था।
दो. संघ राज्यक्षेत्र		
1.	दिल्ली	राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले दिल्ली के मुख्य आयुक्त के प्रांत में शामिल था।
2.	हिमाचल प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जिनका प्रशासन इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार किया जा रहा था मानो वे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के नाम से मुख्य आयुक्त के प्रांत हों।

क्रमांक	नाम	राज्यक्षेत्र
3.	मणिपुर	राज्यक्षेत्र जिसका प्रशासन इससंविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार किया जा रहा था मानो वह मणिपुर के नाम से मुख्य आयुक्त का प्रांत हो।
4.	त्रिपुरा	राज्यक्षेत्र जिसका प्रशासन इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार किया जा रहा था मानो वह त्रिपुरा के नाम से मुख्य आयुक्त का प्रांत हो।
5.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्व अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह मुख्य आयुक्त के प्रांत में शामिल था।
6.	लक्षदीव, मिनिक्ॉय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।"

3. (1) संविधान के अनुच्छेद 80 में—

(क) खंड (1) के उपखंड (ख) में, “राज्यों के” शब्दों के पश्चात् “और संघ राज्यक्षेत्रों के” शब्द जोड़ दिये जाएंगे,

(ख) खंड (2) में, “राज्यों के” शब्दों के पश्चात् “और संघ राज्यक्षेत्रों के” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे,

(ग) खंड (4) में, “पहली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा, और

(घ) खंड (5) में, “पहली अनुसूची के भाग (ग) में विनिर्दिष्ट राज्यों” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “संघ राज्यक्षेत्रों” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अनुच्छेद 80
और चौथी
अनुसूची का
संशोधन।

(2) संविधान के राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 द्वारा यथासंशोधित चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्—

चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 4(1) और 80(2)]

राज्य सभा में स्थानों का आवंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आवंटित किये जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं:

सारणी	
1. आंध्र प्रदेश	18
2. असम	7
3. बिहार	22
4. बंबई	27
5. केरल	9
6. मध्य प्रदेश	16
7. मद्रास	17
8. मैसूर	12
9. उड़ीसा	10
10. पंजाब	11
11. राजस्थान	10
12. उत्तर प्रदेश	34
13. पश्चिम बंगाल	16
14. जम्मू-कश्मीर	4
15. दिल्ली	3
16. हिमाचल प्रदेश	2
17. मणिपुर	1
18. त्रिपुरा	1
कुल	220

4. संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

अनुच्छेद 81 और 82 के स्थानों पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

“81. लोक सभा की संरचना-

(1) अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा-

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक सदस्यों, और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए बीस से अनधिक सदस्यों, से मिलकर बनेगी।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए-

(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जायेगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, और

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।

(3) इस अनुच्छेद में “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।

82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन-

प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे:

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है।”

अनुच्छेद 131
का संशोधन।

5. संविधान के अनुच्छेद 131 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।”

अनुच्छेद 153
का संशोधन।

6. संविधान के अनुच्छेद 153 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किये जाने से निवारित नहीं करेगी।”

अनुच्छेद 158
का संशोधन।

7. संविधान के अनुच्छेद 158 के खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3क) जहां एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किये जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।”।

अनुच्छेद 168
का संशोधन।

8. (1) संविधान के अनुच्छेद 168 के खंड (1) में उपखंड (क) में “मद्रास” शब्द के पश्चात् “मैसूर” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा।

(2) उक्त उपखंड में ऐसी तारीख से, जैसी कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे, “बंबई” शब्द के पश्चात् “मध्य प्रदेश” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

9. संविधान के अनुच्छेद 170 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद 170 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

“170. विधानसभाओं की संरचना—

(1) अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्त्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।

स्पष्टीकरण— इस खंड में “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।

(3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे:

परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है।”

10. संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड (1) में, “एक-चौथाई” शब्दों के स्थान पर “एक-तिहाई” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 171 का संशोधन।

11. संविधान के अनुच्छेद 216 में परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 216 का संशोधन।

अनुच्छेद 217
का संशोधन।

12. संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) में “तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।”

13. संविधान के अनुच्छेद 220 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“220. स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन— कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद में, “उच्च न्यायालय” पद के अंतर्गत संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग (ख) में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय शामिल नहीं है।”

अनुच्छेद 222
का संशोधन।

14. संविधान के अनुच्छेद 222 में—

(क) खंड (1) में, “भारत राज्यक्षेत्र में के” शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) खंड (2) का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 224
के स्थान पर नए
अनुच्छेद का
प्रतिस्थापन।

15. संविधान के अनुच्छेद 224 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“224. अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति—

(1) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य के बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है तब राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है।

(3) उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा”।

16. संविधान के अनुच्छेद 230, 231 और 232 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्—

अनुच्छेद 230, 231 और 232 के स्थान पर नये अनुच्छेदों का प्रतिस्थापन।

“230. उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार—

(1) संसद, विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन कर सकेगी।

(2) जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है वहां—

(क) इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधानमंडल को उस अधिकारिता में वृद्धि, उसका निबंधन या उत्सादन करने के लिए सशक्त करती है; और

(ख) उस राज्यक्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्ररूपों या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है।

231. दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना—

(1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

(2) किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में,—

(क) अनुच्छेद 217 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में वह उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है;

(ख) अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्ररूपों या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश है जिसमें वे अधीनस्थ न्यायालय स्थित हैं; और

(ग) अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे उस राज्य के प्रति निर्देश है, जिसमें उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है:

परंतु यदि ऐसा मुख्य स्थान किसी संघ राज्यक्षेत्र में है तो अनुच्छेद 219 और अनुच्छेद 229 में राज्य के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग, विधानमंडल और संचित निधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, संसद और भारत की संचित निधि के प्रति निर्देश हैं।

17. संविधान के भाग 8 में—

भाग 8 का
संशोधन।

(क) “पहली अनुसूची के भाग (ग) में राज्य” शीर्षक के स्थान पर “संघ राज्यक्षेत्र” शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, और

(ख) अनुच्छेद 239 और 240 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन—

(1) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किये गये प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है।

(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद् से स्वतंत्र रूप से करेगा।

240. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति—

(1) राष्ट्रपति—

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह,

(ख) लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह, संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का, जो उस संघ राज्यक्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किये जाने पर, उसका वही बल और प्रभाव होगा, जो संसद के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस राज्यक्षेत्र को लागू होता है।”

नये अनुच्छेद
258क का
अंतःस्थापन।

18. संविधान के अनुच्छेद 258 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“258क. संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति-
इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।”

अनुच्छेद 290क
का अंतःस्थापन।

19. संविधान के अनुच्छेद 290 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“290क. कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय-

प्रत्येक वर्ष छियालीस लाख पचास हजार रुपए की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से त्रावणकोर देवस्वम् निधि को संदत्त की जाएगी और प्रत्येक वर्ष तेरह लाख पचास हजार रुपए की राशि मद्रास राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से 1 नवंबर, 1956 को उस राज्य को त्रावणकोर-कोचीन राज्य से अंतरित राज्यक्षेत्रों के हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों के अनुरक्षण के लिए उस राज्य में स्थापित देवस्वम् निधि को संदत्त की जाएगी।”

अनुच्छेद 298
के स्थान पर नए
अनुच्छेद का
प्रतिस्थापन।

20. संविधान के अनुच्छेद 298 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“298. व्यापार करने आदि की शक्ति-

संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, व्यापार या कारबार करने और किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन तथा संविदा करने पर, भी होगा:

परंतु—

(क) जहां तक ऐसा व्यापार या कारबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में संसद विधि बना सकती है वहां तक संघ की उक्त कार्यपालिका शक्ति प्रत्येक राज्य में उस राज्य के विधान के अधीन होगी; और

(ख) जहां तक ऐसा व्यापार या कारबार या ऐसा प्रयोजन वह नहीं है जिसके संबंध में राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है वहां तक प्रत्येक राज्य की उक्त कार्यपालिका शक्ति संसद के विधान के अधीन होगी।”

21. संविधान के अनुच्छेद 350 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्—

नए अनुच्छेद
350क और
350ख का
अंतःस्थापन।

“350क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं— राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

350ख. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी—

(1) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन

विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।”

अनुच्छेद 371
के स्थान पर नए
अनुच्छेद का
प्रतिस्थापन।

22. संविधान के अनुच्छेद 371 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“371. आंध्र प्रदेश, पंजाब और बंबई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध— (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी आंध्र प्रदेश या पंजाब राज्य के संबंध में किये गये आदेश द्वारा राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा की प्रादेशिक समितियों के गठन और कृत्यों के लिए, राज्य की सरकार के कार्य संबंधी नियमों में और विधानसभा की प्रक्रिया संबंधी नियमों में किये जाने वाले परिवर्तनों के लिए तथा प्रादेशिक समितियों का उचित रूप से कृत्य करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति बम्बई राज्य के संबंध में किये गये आदेश द्वारा:—

(क) विदर्भ, मराठवाड़ा, शेष महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक् विकास बोर्डों की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा,

(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए, और

(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए,

राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।”

23. संविधान के अनुच्छेद 372 के पश्चात् निम्नलिखित नये अनुच्छेद अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्- 372क का अंतःस्थापन।

“372क. विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति— (1) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों को उस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रपति, 1 नवम्बर, 1957 से पहले किये गये आदेश द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हों और यह उपबंध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) खंड (1) की कोई बात, किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को, राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी।”

24. संविधान के अनुच्छेद 378 के पश्चात् निम्नलिखित नये अनुच्छेद अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्- 378क का अंतःस्थापन।

“378क. आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध— अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 28 और धारा 29 के उपबंधों के अधीन गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, उक्त धारा 29 में निर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं

और उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस विधानसभा का विघटन होगा।”

दूसरी अनुसूची
का संशोधन।

25. संविधान की दूसरी अनुसूची में—

(क) भाग (घ) के शीर्षक में, “पहली अनुसूची के भाग (क) में राज्यों के” शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(ख) पैरा 9 के उप-पैरा (1) में, “उस पेंशन की रकम घटा दी जाएगी” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा—

“निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात्—

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन;”

(घ) पैरा 10 में—

(एक) उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित, उप-पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्—

“(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात्:—

मुख्य न्यायमूर्ति	4000 रुपए
कोई अन्य न्यायाधीश	3500 रुपए

परंतु यदि किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती

सरकारों में से किसी की पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्च न्यायालय में सेवा के लिए उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन"; और

(दो) उप-पैरा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले, पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, यदि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले अपने वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में कोई रकम प्राप्त कर रहा था तो, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में वही रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।”

26. संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 33 और राज्य सूची की प्रविष्टि 36 का लोप किया जाएगा और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

संपत्ति के अर्जन और अधिग्रहण से संबद्ध सूचियों में प्रविष्टियों का परिवर्तन।

“42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण।”

प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों आदि से संबद्ध कुछ उपबंधों का संशोधन।

27. संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रत्येक में, अर्थात्—

(एक) संघ सूची की प्रविष्टि 67,

(दो) राज्य सूची की प्रविष्टि 12,

(तीन) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 40, तथा

(चार) अनुच्छेद 49,

में “संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के” शब्दों के स्थान पर “संसद द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

राज्य सूची की प्रविष्टि 24 का संशोधन।

28. संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 24 में “प्रविष्टि 52” शब्द और अंकों के स्थान पर “प्रविष्टि 7 और 52” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

पारिणामिक और लघु संशोधन तथा निरसन और व्यावृत्तियां।

29. (1) अनुसूची में निर्दिष्ट पारिणामिक और लघु संशोधन तथा निरसन संविधान में और संविधान के अनुच्छेद 392 के अधीन बनाए गए संविधान (कठिनाइयां दूर करना) आदेश, संख्या 8 में किए जाएंगे।

(2) उक्त अनुसूची द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 का निरसन होते हुए भी, उस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए सब विनियम, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थे, जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दिये जाते, प्रवर्तन में बने रहेंगे।

अनुसूची

(देखिए धारा 29)

संविधान में पारिणामिक और लघु संशोधन और निरसन

अनुच्छेद 3— परंतुक में, “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप करें।

अनुच्छेद 16- खंड (3) में “पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित करें:-

“किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।”

अनुच्छेद 31क- खंड (2) के उपखंड (क) में, “त्रावणकोर-कोचीन” के स्थान पर “केरल” शब्द प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 58क- स्पष्टीकरण में, “या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 72- खंड (3) में, “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 73- खंड (1) के परंतुक में, “प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 101- खंड (2) में “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप करें और “ऐसे किसी राज्य” के स्थान पर “किसी राज्य” प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 112- खंड (3) के उपखंड (घ) (III) में, “पहली अनुसूची के भाग (क) में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी प्रांत में” के स्थान पर “भारत डोमीनियन के राज्यपाल वाले प्रांत” शब्दों को प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 143- खंड (2) में, “के खंड (1)” का लोप करें और “उक्त खंड” के स्थान पर “उक्त परंतुक” शब्दों को प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 151- खंड (2) में, “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप करें।

भाग 6- शीर्षक में, “पहली अनुसूची के भाग क में” का लोप करें।

अनुच्छेद 152- “का अर्थ पहली अनुसूची के भाग (क) में विनिर्दिष्ट राज्य है” के स्थान पर “के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है” प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 214- “(1)” तथा खंड (2) और (3) का लोप करें।

अनुच्छेद 217- खंड (2) के उपखंड (ख) में, “पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में के” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 219- “किसी राज्य में” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 229- खंड (1) के परंतुक में और खंड (2) के परंतुक में, “जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है” शब्दों का लोप करें।

भाग VII का लोप करें।

अनुच्छेद 241- (क) खंड (1) में, “पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्य” के स्थान पर “संघ राज्यक्षेत्र” प्रतिस्थापित करें और “ऐसे राज्य” के स्थान पर “ऐसे राज्यक्षेत्र” प्रतिस्थापित करें।

(ख) खंड (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें, अर्थात्—

“(3) इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा या इसके अधीन समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाई गई उस विधानमंडल की किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारंभ

के पश्चात् उस राज्यक्षेत्र के संबंध में उस अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा।

(4) इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।”

अनुच्छेद 242 का लोप करें।

भाग IX का लोप करें।

अनुच्छेद 244- “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप करें।

अनुच्छेद 246- खंड (2) और (3) में, “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप करें और खंड (4) में, “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख” के स्थान पर “जो किसी राज्य” प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 254- खंड (2) में, “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप करें।

अनुच्छेद 255- “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में” शब्दों और अक्षरों का लोप करें।

अनुच्छेद 259 का लोप करें।

अनुच्छेद 264- अनुच्छेद 264 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित करें, अर्थात्—

“**264 निर्वचन-** इस भाग में ‘वित्त आयोग’ से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है।”

अनुच्छेद 267- खंड (2) में “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 268- खंड (1) में, “पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्य” के स्थान पर “संघ राज्यक्षेत्र” प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 269- खंड (2) में, “पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्यों” के स्थान पर “संघ राज्यक्षेत्रों” प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 270- खंड (3) में उपखंड (ग) का लोप करें और उपखंड (घ) को उपखंड (ग) के रूप में पुनः अक्षरांकित करें।

अनुच्छेद 278 का लोप करें।

अनुच्छेद 280- खंड (3) में, उपखंड (ग) का लोप करें और उपखंड (घ) को उपखंड (ग) के रूप में पुनः अक्षरांकित करें।

अनुच्छेद 283- खंड (2) में, “याराजप्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 291- “(1) और खंड (2) का लोप करें।

अनुच्छेद 299 – खंड (1) में, “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें और खंड (2) में “न ही राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 304- खंड (क) में, “अन्य राज्यों” के पश्चात् “या संघ राज्य क्षेत्रों” अंतःस्थापित करें।

अनुच्छेद 306 का लोप करें।

अनुच्छेद 308- “पहली” अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत हैं” के स्थान पर “के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है” प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 309- “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 310- खंड (1) में, “यथास्थिति, उस राज्य के राज प्रमुख का लोप” करें तथा खंड 2 में जहां भी “या राज प्रमुख” शब्द हों, उनका लोप करें।

अनुच्छेद 311- खंड (2) में, “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 315 - खंड (4) में, “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 316- खंड (1) और (2) में, “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 317-खंड (2) में, “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 318- “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 320-खंड (3) में, “या राज प्रमुख” करें और “या यथास्थिति राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें तथा खंड (5) में, “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 323-खंड (2) में, “या राज प्रमुख” तथा “यथास्थिति या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 324-खंड (6) में “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 330-खंड (2) में, जहां भी “राज्य” शब्द हो, उसके पश्चात् “या संघ राज्यक्षेत्र” अंतःस्थापित करें।

अनुच्छेद 332-खंड (1) में, “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 333- “या राज प्रमुख” का लोप करें।

अनुच्छेद 337- “पहली अनुसूची के भाग क और भाग (ख) में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप करें।

अनुच्छेद 339-खंड (1) में, “पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप करें और खंड (2) में, “ऐसे किसी राज्य” के स्थान पर “किसी राज्य” प्रतिस्थापित करें।

अनुच्छेद 341-खंड (1) में, “किसी राज्य” के पश्चात् “या संघ राज्यक्षेत्र” अंतःस्थापित करें, “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप करें, “या राज प्रमुख” शब्दों का लोप करें और “उस राज्य के पश्चात्” यथास्थिति, या संघ राज्यक्षेत्र” अंतःस्थापित करें।

अनुच्छेद 342-खंड (1) में, “किसी राज्य” के पश्चात् “या संघ राज्यक्षेत्र” अंतःस्थापित करें, “पहली अनुसूची के भाग क

या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप करें, "या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें, "और उस राज्य" के पश्चात् "यथास्थिति, या संघ राज्यक्षेत्र" अंतःस्थापित करें।

अनुच्छेद 348- "या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 356- खंड (1) में, "या राज प्रमुख" शब्दों का और "यथास्थिति, या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 361- खंड (2), (3) और (4) में, "या राज प्रमुख" का लोप करें।

अनुच्छेद 362- "के खंड (1) का" लोप करें।

अनुच्छेद 366- खंड (21) का लोप करें और खंड (30) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें, अर्थात्—

"(30) "संघ राज्यक्षेत्र" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य राज्यक्षेत्र है जो भारत के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट है किन्तु उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।"

अनुच्छेद 367- खंड (2) में, "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" तथा "या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें।

अनुच्छेद 368- "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" का लोप करें।

378 से 391 तक के अनुच्छेद, जिनके अंतर्गत ये दोनों अनुच्छेद भी हैं, का लोप करें।

दूसरी अनुसूची - (क) भाग क के शीर्षक में और पैरा 1 में "पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट" का लोप करें।

(ख) पैरा 2 में, "ऐसे विनिर्दिष्ट" शब्दों का लोप करें;

(ग) पैरा 3 में, "ऐसे राज्यों" के स्थान पर "राज्यों" प्रतिस्थापित करें;

(घ) भाग ख का लोप करें;

(ङ) भाग ग के शीर्षक में, "पहली अनुसूची के भाग (क) में के

किसी राज्य का" का लोप करें तथा "किसी ऐसे राज्य" के स्थान पर "राज्य" प्रतिस्थापित करें; और

(च) पैरा 8 में, "पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट किसी राज्य का" लोप करें तथा "ऐसा राज्य" के स्थान पर "राज्य" प्रतिस्थापित करें; और

पांचवीं अनुसूची - (क) पैरा 1 में, "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है परन्तु" का लोप करें।

(ख) पैरा 3 में, "या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें।

(ग) पैरा 4 के उप-पैरा (2) में, "यथास्थिति, या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें" और उप-पैरा (3) में "या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें।

(घ) पैरा 5 के उप-पैरा (1) और (2) में, "यथास्थिति, राज्यपाल या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें।

उप-पैरा (3) में "या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें, और

उप-पैरा (5) में "या राज प्रमुख" शब्दों का लोप करें।

छठी अनुसूची - पैरा 18 के उप-पैरा (2) में, "भाग-IX" के स्थान पर "अनुच्छेद 240" प्रतिस्थापित करें और "पहली अनुसूची के भाग (घ) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र हैं" के स्थान पर "उस अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र" प्रतिस्थापित करें।

सातवीं अनुसूची - सूची 1 में—

(क) प्रविष्टि 32 में, "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप करें; और

(ख) प्रविष्टि 79 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:

"79. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण और उससे अपवर्जन।"

संविधान (कठिनाइयां दूर करना) में पारिणामिक संशोधन

आदेश संख्या VIII

संविधान (कठिनाइयां दूर करना) आदेश संख्या VIII में पैरा 2 के उप-पैरा (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें,—

“(1) अनुच्छेद 81 में—

(क) खंड (1) के उप खंड (ख) में, “संघ राज्यक्षेत्रों” शब्दों के पश्चात् “और छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारिणी के भाग (ख) में विनिर्दिष्ट आदिम जाति-क्षेत्रों” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे, और

(ख) खंड (2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“परंतु असम राज्य जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाए उनमें छठी अनुसूची के पैरा 20 के संलग्न सारिणी के भाग (ख) में विनिर्दिष्ट आदिम जाति-क्षेत्र समाविष्ट नहीं होंगे।”

(2) अनुच्छेद 170 के खंड (2) में, “यथा साध्य एक ही हो” शब्दोंके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु असम राज्य जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाए उनमें छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारिणी के भाग (ख) में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र समाविष्ट नहीं होंगे।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960¹¹⁰

विधायी इतिहास

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, 1959 को लोक सभा में 16 नवम्बर 1959 को पुरःस्थापित किया गया¹¹¹। इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 333 और 334 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था। लोक सभा द्वारा विधेयक पर 30 नवंबर और 1 दिसंबर को विचार किया गया था तथा खंड 2 का लोप करते हुए उसे 1 दिसम्बर 1959 को पारित कर दिया गया¹¹²। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 7 दिसंबर 1959 को विचार किया गया और उसे पारित किया गया¹¹³। लोक सभा द्वारा विधेयक पर विचार करने के दौरान खंड 2 को स्वीकार करने का प्रस्ताव, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 333 को संशोधित करने का विचार था, अस्वीकृत हो गया क्योंकि इसे सभा के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ (हालांकि सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अधिक सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था)। अतः विधेयक से उक्त खंड का लोप कर दिया गया¹¹⁴। विधेयक के खण्ड 3 को जिसमें अनुच्छेद 334 का संशोधन करने का प्रस्ताव था, लोक सभा द्वारा 1 दिसम्बर 1959 को मूल रूप में स्वीकार कर लिया गया¹¹⁵। इसे खण्ड 2 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया और राज्य सभा द्वारा इसे 7 दिसम्बर 1959 को स्वीकार कर लिया गया¹¹⁶।

110. 1959 का विधेयक संख्यांक 79; लोक सभा में गृह मंत्री पंडित जी.बी. पंत द्वारा 16 नवम्बर 1959 को पुरःस्थापित, वाद-विवाद, लोक सभा: 30 नवम्बर और 1 दिसम्बर 1959; राज्य सभा: 7 दिसंबर 1959: संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बम्बई, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित: राष्ट्रपति की अनुमति: 5 जनवरी 1960; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 6 जनवरी 1960: प्रारंभ की तारीख: 5 जनवरी 1960।

111. लोक सभा वाद-विवाद, 16 नवम्बर 1959, कॉलम 120।

112. वही, 1 दिसम्बर 1959, कॉलम 2759।

113. राज्य सभा वाद-विवाद, 7 दिसम्बर 1959, कॉलम 1642।

114. लोक सभा वाद-विवाद, 1 दिसम्बर 1959, कॉलम 2759।

115. वही, कॉलम 2763।

116. राज्य सभा वाद-विवाद, 7 दिसम्बर 1959, कॉलम 1634।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 334 अधिकथित करता है कि लोक सभा में और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदाय को नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व देने संबंधी संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ होने से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। यद्यपि, विगत दस वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने पर्याप्त प्रगति की है, तथापि, जिन कारणों से संविधानसभा द्वारा सीटों के उक्त आरक्षण और सदस्यों के नामनिर्देशन के प्रावधान किए गए थे, वे अभी भी विद्यमान हैं। इसलिए, अधिनियम में आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदाय को नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व को और दस वर्ष तक जारी रखने का प्रस्ताव किया गया। आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामनिर्देशन की अवधि बढ़ाने के लिए राज्य विधानसभाओं के लिए राज्यपालों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव था और तदनुसार अनुच्छेद 333 के संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम, लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों को नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व देने की समय अवधि को और दस वर्षों तक बढ़ाने का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 334 को संशोधित करता है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[5 जनवरी, 1960]

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (आठवां संक्षिप्त नाम।
संशोधन) अधिनियम, 1960 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में, “दस वर्ष” शब्दों के स्थान अनुच्छेद 334
पर “बीस वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। का संशोधन।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960¹¹⁷

विधायी इतिहास

संविधान (नौवां संशोधन) विधेयक, 1960 लोक सभा में 16 दिसम्बर 1960¹¹⁸ को पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुये करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कुछ राज्यक्षेत्रों का अन्तरण प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इस विधेयक पर लोक सभा में 19 और 20 दिसम्बर को विचार किया गया और 20 दिसम्बर 1960¹¹⁹ को इसे मूल रूप में पारित किया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित इस विधेयक पर राज्य सभा ने 22 और 23 दिसम्बर को विचार किया और 23 दिसम्बर 1960 को इसे पारित कर दिया।¹²⁰

विधेयक के उद्देश्य और कारण

10 सितम्बर 1958, 23 अक्तूबर, 1959 और 11 जनवरी, 1960 के भारत-पाक सरकारों के बीच करारों के द्वारा असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र की सीमाओं से संबंधित कुछ सीमा विवादों का निपटारा किया गया था। इन करारों के अनुसार, सीमांकन के पश्चात् पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र आबंटित किए जाने थे। वर्ष 1959 के विशेष संदर्भ सं. 1 में उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी विचार के आलोक में इन क्षेत्रों के आवंटन को प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 368 से संबद्ध विधि के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम में संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित करने का उपबंध किया गया है ताकि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कुछ क्षेत्रों का अंतरण केन्द्र सरकार द्वारा नियत किए गए दिन से प्रभावी किया जा सके। (धारा 2-3)

117. 1960 का विधेयक संख्यांक 90; 16 दिसम्बर 1960 को प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 19 और 20 दिसम्बर, 1960; राज्य सभा: 22 और 23 दिसम्बर 1960; राष्ट्रपति की अनुमति: 28 दिसम्बर 1960; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 29 दिसम्बर 1960; प्रारंभ की तारीख: 28 दिसम्बर 1960।

118. लोक सभा वाद-विवाद, 16 दिसम्बर 1960, कॉलम 6013-14।

119. लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1960, कॉलम 6609।

120. राज्य सभा वाद-विवाद, 23 दिसम्बर 1960, कॉलम 3387।

संशोधन का पाठ

संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960

**भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के
अनुसरण में पाकिस्तान को कुछ राज्यक्षेत्रों का
अन्तरण प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ भारत
के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[28 दिसम्बर, 1960]

भारत गणराज्य के ग्यारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (नौवां संशोधन) संक्षिप्त नाम। अधिनियम, 1960 है।

2. इस अधिनियम में,—

परिभाषाएं।

(क) “नियत दिन” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे पाकिस्तान को भारत-पाकिस्तान करारों के अनुसरण में राज्यक्षेत्रों के अंतरण की तारीख के रूप में, ऐसे अंतरित किये जाने वाले और पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र इस प्रयोजन के लिए सीमांकित कर दिए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों से और त्रिपुरा संघ राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्रों के अंतरण के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी;

(ख) “भारत-पाकिस्तान करार” से 1958 के सितंबर के 10वें दिन, 1959 के अक्तूबर के 23वें दिन और 1960 की जनवरी के 11वें दिन की तारीखों वाले वे करार अभिप्रेत हैं, जो भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए हैं; और जिनके सुसंगत उद्धरण द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं;

(ग) “अंतरित राज्यक्षेत्र” से भारत-पाकिस्तान करारों में समाविष्ट और पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के उतने भाग अभिप्रेत हैं जितने कि उक्त करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को अंतरित किये जाने के प्रयोजन के लिए सीमांकित किये जाएं।

संविधान की
पहली अनुसूची
का संशोधन।

3. संविधान की पहली अनुसूची में नियत दिन से—

(क) असम राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबद्ध पैरा में, शब्द, कोष्ठक और अंक “तथा वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट हैं” अंत में जोड़े जाएंगे;

(ख) पंजाब राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबद्ध पैरा में, शब्द, कोष्ठक और अंक “किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं”, अंत में जोड़े जाएंगे;

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबद्ध पैरा में, शब्द, कोष्ठक और अंक “किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट हैं” अंत में जोड़े जाएंगे;

(घ) त्रिपुरा संघ राज्य के राज्यक्षेत्र के विस्तार से संबद्ध पैरा में, शब्द, कोष्ठक और अंक “किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की पहली अनुसूची के भाग 4 में विनिर्दिष्ट हैं” अंत में जोड़े जाएंगे।

पहली अनुसूची

[धारा 2(क), 2(ग) और 3 देखिए]

भाग-1

1958 के सितम्बर के 10वें दिन की तारीख वाले करार के पैरा 2 की मद (7) और 1959 के अक्तूबर के 23वें दिन की तारीख वाले करार के पैरा 6 की मद (1) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र।

भाग-2

1960 की जनवरी के 11वें दिन की तारीख वाले करार के पैरा 1 की मद (1) और मद (4) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र।

भाग-3

1958 के सितंबर के 10वें दिन की तारीख वाले करार के पैरा 2 की मद (3), (5) और (10) तथा 1959 के अक्तूबर के 23वें दिन की तारीख वाले करार के पैरा 4 के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र।

भाग-4

1958 के सितंबर के 10वें दिन की तारीख वाले करार के पैरा 2 की मद (8) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र।

दूसरी अनुसूची**[धारा 2(ख) देखिए]**

1. 1958 के सितम्बर के 10वें दिन की तारीख वाले करार को अंतर्विष्ट रखने वाले नोट से उद्धरण।

* * * * *

2. चर्चाओं के परिणामस्वरूप निम्नलिखित करार हुए:-

(3) बेरूबारी यूनियन सं. 12

इसे इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि आधा क्षेत्र पाकिस्तान को मिले और भारत से संलग्न दूसरा आधा क्षेत्र भारत के पास रह जाए। बेरूबारी यूनियन सं. 12 का विभाजन देबीगंज थाने के उत्तर-पूर्वी कोने से प्रारम्भ कर, अनुप्रस्थतः किया जाएगा।

यह विभाजन ऐसे किया जाना चाहिए कि कूच बिहार के जो घिरे इलाके पूर्वी पाकिस्तान के पाचागर थाने और पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी थाने के बेरूबारी यूनियन सं. 12 के बीच स्थित हैं, वे भारतीय राज्यक्षेत्र से वैसे ही संलग्न बने रहें, जैसे कि वे अब हैं और वे भारत में बने रहेंगे। जो कूच बिहार के घिरे इलाके पूर्वी पाकिस्तान के बोड़ा थाने और बेरूबारी यूनियन सं. 12 के बीच नीचे की ओर हैं, उनका विनिमय घिरे इलाकों के साधारण विनिमय के साथ हो जाएगा और वे पाकिस्तान को जाएंगे।

* * * * *

(5) 24 परगना-खुलना सीमा

24 परगना-जैसूर विवाद

करार किया गया है कि भारत और पाकिस्तान, दोनों के अपने-अपने दावों का मध्यक, अपना लिया जाए जिसमें कि पश्चातकथित विवाद की अवस्था में जहां तक संभव हो, नदी (इच्छामती नदी) को आधार माना जाए।

* * * * *

(7) पियार्यी और सूरमा नदी-प्रदेशों का सीमांकन सुसंगत अधिसूचनाओं, भू-कर-सर्वेक्षण नक्शों और, यदि आवश्यक हो तो, अधिकार अभिलेख के अनुरूप किया जाएगा। इस सीमांकन का परिणाम चाहे कुछ हो, दोनों सरकारों के राष्ट्रियों को इन दोनों नदियों में नौ-परिवहन की सुविधा मिलती रहेगी।

* * * * *

(8) भारत सरकार रेल मार्ग के पश्चिम की ओर की त्रिपुरा राज्य की भूमि तथा भागलपुर में रेल मार्ग से अनुलग्न भूमि पर शाश्वत अधिकार पाकिस्तान को देने का करार करती है।

* * * * *

(10) यह करार किया गया है कि पुराने कूच बिहार के जो घिरे इलाके पाकिस्तान में स्थित हैं उनका विनिमय पाकिस्तान के उन घिरे इलाकों से, जो भारत में स्थित हैं, कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को जो अतिरिक्त क्षेत्र इसके परिणामस्वरूप मिलेगा उसके लिए किसी प्रतिकर का दावा न किया जाएगा।

* * * * *

(हस्ता.) एम.एस.ए. बेग
विदेश सचिव,
विदेश तथा
राष्ट्रमंडलीय संबंध मंत्रालय,
पाकिस्तान सरकार।
नई दिल्ली,
10 सितम्बर, 1958

(हस्ता.) एम.जे. देसाई
राष्ट्रमंडल सचिव,
विदेश मंत्रालय,
भारत सरकार।

2. 1959 के अक्तूबर के 23वें दिन की तारीख वाले उस करार से उद्धरण जिसका शीर्षक निम्नलिखित है—

“भारत-पूर्वी पाकिस्तान सीमाओं पर होने वाले विवादों और घटनाओं की समाप्ति के लिए सहमतिपूर्ण विनिश्चय और प्रक्रियाएं”

* * * * *

4. पश्चिमी बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा

इस सीमा-रेखा का 1,200 मील से अधिक भाग पहले ही सीमांकित किया जा चुका है। जहां तक कि महानन्दा, बरुंग और कारातोआ नदियों के क्षेत्रों में पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सीमा-रेखा का प्रश्न है, यह करार हुआ था कि यह सीमांकन उन अंतिम भूकर-सर्वेक्षण नक्शों के अनुसार किया जाएगा जो सुसंगत अधिसूचनाओं और अधिकार-अभिलेखों से समर्थित हैं।

* * * * *

6. असम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा

* * * * *

(i) पथरिया वन अभ्यारण्य क्षेत्र में निम्नलिखित युक्तिसंगत सीमा को अपनाकर बागे अधिनिर्णय तीन से संबंधित विवाद का निपटारा किया गया है:

पुरानी पथरिया रिजर्व सीमा पर रैंडक्लिफ लाइन बीए के साथ चिह्नित एक्स (एच 522558) बिंदु से, जैसा कि स्थलाकृतिक मानचित्र शीट संख्या 83डी/5 में दिखाया गया है, सीमा रेखा कार्ट रोड के निकट और समानांतर से इसके दक्षिण में एक बिंदु ए (एच 531554) तक जाएगी; वहां से दक्षिण दिशा में स्पर तक और रिज के साथ-साथ बी (एच 523539) चिह्नित पहाड़ी की चोटी तक; वहां से दक्षिण-पूर्व दिशा में एक धारा के पार स्पर से नीचे सी (एच 532523) चिह्नित पहाड़ी की चोटी तक; वहां से दक्षिण

दिशा में बिंदु डी (एच 530517) तक; वहां से दक्षिण-पश्चिम दिशा में समतल शीर्ष की दिशा ई (एच 523507) तक; वहां से दक्षिण दिशा की ओर बिंदु एफ (एच 524500) तक; वहां से दक्षिण-पूर्व दिशा में एक सीधी रेखा में गंडई नाला के मध्य धारा चिह्नित बिंदु जी (एच 540494) तक; वहां से दक्षिण-पश्चिम दिशा में गंडई नाला के मध्य धारा बिंदु एच (एच 533482) तक; वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में एक स्पर तक और साथ-साथ एक बिंदु आई (एच 517460) तक; वहां से दक्षिण दिशा में रिज पर एक बिंदु पर चिह्नित जे (एच 518455) तक; वहां से दक्षिण-पश्चिम दिशा में रिज के साथ ऊंचाई 364 वाले बिंदु तक फिर उसी दिशा में उसी रिज के साथ के (एच 500428) चिह्नित बिंदु तक; वहां से दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में उसी रिज के साथ एल (एच 496420) चिह्नित बिंदु तक; वहां से दक्षिण-पूर्व दिशा में उसी रिज के साथ-साथ एम (एच 499417) चिह्नित बिंदु तक; वहां से रिज के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में ब्रिडल पथ पर 587 ऊंचाई वाले बिंदु तक; फिर पहाड़ी की चोटी पर एन (एच 487393) चिह्नित स्पर तक; फिर रिज के साथ दक्षिण-पूर्व और दक्षिण दिशा में 692 ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी तक; वहां से दक्षिणी दिशा में स्पर के नीचे बुराचेर पर चिह्नित ओ (एच 484344) बिंदु तक; वहां से दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्पर तक रिज के साथ 690 ऊंचाई वाले त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण स्टेशन तक; वहां से दक्षिण दिशा में रिज के साथ 490 ऊंचाई वाले बिंदु (एच 473292) तक; वहां से दक्षिण में एक सीधी रेखा में पथरिया रिजर्व फॉरेस्ट की पूर्वी सीमा पर वाई (एच 473263) चिह्नित बिंदु तक; रैडक्लिफ लाइन बीए के साथ-साथ ।

ऊपर वर्णित रेखा को स्थलाकृतिक मानचित्र शीट क्रमांक 83 डी/5, 83/6 और 83डी/2 की दो प्रतियों पर अंकित किया गया है । भूमि सीमांकन के लिए उत्तरदायी तकनीकी विशेषज्ञों के पास सीमा संरेखण को वर्णित भौतिक विशेषताओं के समरूप बनाने के लिए मामूली समायोजन करने का अधिकार होगा ।

मानचित्र पर अंकित रेखा के संबंध में इन समायोजनों के परिणामस्वरूप किसी भी देश को होने वाली क्षति और लाभ को तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संतुलित किया जाएगा।

(हस्ता.) जे.जी. खारस
कार्यवाहक विदेश सचिव,
विदेश और राष्ट्रमंडल
संबंध मंत्रालय, कराची
नई दिल्ली;

(हस्ता.) एम.जे. देसाई,
राष्ट्रमंडल सचिव,
विदेश मंत्रालय,
भारत सरकार
नई दिल्ली।

23 अक्तूबर, 1959

3. “भारत - पश्चिमी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में विवादों और घटनाओं को समाप्त करने के लिए सहमत निर्णय और प्रक्रियाएं” दिनांक 11 जनवरी, 1960 शीर्षक वाले समझौते से उद्धरण।

“1. पश्चिमी पाकिस्तान-पंजाब सीमा—

इस क्षेत्र में कुल 325 मील सीमा में से लगभग 252 मील सीमा का सीमांकन पूरा हो चुका है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर सिरिल रैंडक्लिफ द्वारा प्रस्तुत पंजाब सीमा आयोग के निर्णय और अधिनिर्णय की व्याख्या के संबंध में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच मतभेदों के कारण लगभग 73 मील सीमा का अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है। समायोजन की भावना से नीचे दिए गए बिन्दुओं के अनुसार इन मतभेदों को सुलझा लिया गया है:

(i) सरजा मेरजा रख हरदित सिंह और पठानके (अमृतसर-लाहौर सीमा) – भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि इस क्षेत्र में भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच की सीमा पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 2183-ई, दिनांक 2 जून, 1939 के अन्तर्गत निर्धारित लाहौर और कसूर की तहसीलों के बीच की सीमा के अनुरूप हो।

इसके परिणामस्वरूप, ये तीन गांव पाकिस्तान सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में होंगे।

*

*

*

*

*

(iv) सुलेमानके (फ़िरोज़पुर-मोंटगोमरी सीमा) – भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस क्षेत्र में जिला सीमाओं को समायोजित करने के लिए सहमत हैं जैसा कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जैसा कि अनुबंध 1 के रूप में संलग्न मानचित्र में दिखाया गया है।

(हस्ता.) एम.जे. देसाई,
राष्ट्रमंडल सचिव,
विदेश मंत्रालय,
भारत सरकार।
नई दिल्ली;
11 जनवरी 1960

(हस्ता.) जे.जी. खारस
संयुक्त सचिव,
विदेश
एवं राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय,
पाकिस्तान सरकार।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961¹²¹

विधायी इतिहास

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, 1961 को लोक सभा में 11 अगस्त 1961 को पुरःस्थापित किया गया था¹²²। इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव था। लोक सभा द्वारा इस विधेयक पर 14 अगस्त 1961¹²³ को और राज्य सभा द्वारा 16 अगस्त 1961 को विचार किया गया और इसे मूल रूप में पारित किया गया¹²⁴।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली के लोगों तथा वरिष्ठ पंचायत ने उनके क्षेत्रों का भारत संघ में जहां के वे वास्तव में रहने वाले हैं, विलय करने का अनुरोध भारत सरकार से बार-बार किया। उनके अनुरोध को वरिष्ठ पंचायत द्वारा हाल ही में 12 जून, 1961 को औपचारिक संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली के लोगों की उनके क्षेत्रों का भारत संघ में विलय करने संबंधी इच्छा और अनुरोध के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय किया कि ये क्षेत्र भारत संघ का अंग बनें। यह प्रस्ताव किया गया कि संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन कर इन क्षेत्रों को दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए। दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र को शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति को प्राधिकार देने के लिए उसे संविधान में शामिल करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) में आगे संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। इस विधेयक का आशय इन प्रस्तावों को प्रभावी करना था।

121. 1961 का विधेयक संख्यांक 43; गृह मंत्री पंडित जी.बी. पंत द्वारा लोक सभा में 11 अगस्त 1961 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 14 अगस्त 1961; राज्य सभा: 16 अगस्त 1961; राष्ट्रपति की अनुमति: 16 अगस्त 1961; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 17 अगस्त 1961; प्रारंभ की तारीख: 11 अगस्त 1961।

122. लोक सभा वाद-विवाद, 11 अगस्त 1961, कॉलम 1658।

123. वही, 14 अगस्त 1961, कॉलम 2157।

124. राज्य सभा वाद-विवाद, 16 अगस्त 1961, कॉलम 403।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम को 11 अगस्त, 1961 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। (धारा 1)

दादरा और नगर हवेली को सातवें संघ राज्यक्षेत्र के रूप में शामिल करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित किया गया है। दादरा और नगर हवेली क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने हेतु राष्ट्रपति को प्राधिकार देने के लिए उसे संविधान में शामिल करने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) में भी संशोधन किया गया। (धारा 2 और 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (दसवां संशोधन)

अधिनियम, 1961

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[16 अगस्त, 1961]

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 11 अगस्त, 1961 को प्रवृत्त समझा जाएगा।

2. संविधान की पहली अनुसूची में “संघ राज्यक्षेत्र” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

“7. दादरा और नगर हवेली: वह राज्यक्षेत्र जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली में समाविष्ट था।”

3. संविधान के अनुच्छेद 240 में, खंड (1) में, प्रविष्टि (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- अनुच्छेद 240 का संशोधन।

“(ग) दादरा और नगर हवेली।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961¹²⁵

विधायी इतिहास

संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 1961 लोक सभा में 30 नवम्बर, 1961 को पुरःस्थापित किया गया¹²⁶। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन करना था। लोक सभा द्वारा इस विधेयक पर 5 दिसम्बर, 1961 को और राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 1961 को विचार किया गया और इसे मूल रूप में पारित किया गया¹²⁷।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अंतर्गत उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनकी एक संयुक्त बैठक से होता था। यह अपेक्षा, कि उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य एक संयुक्त बैठक में एकत्रित हों, नितांत अनावश्यक प्रतीत हुई और इसमें व्यावहारिक कठिनाइयों की भी संभावना थी। इसलिए, अनुच्छेद में यह संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया कि उप-राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा होगा। संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के चुनाव राष्ट्रपति चुनाव की तिथि से पहले पूरा किए जाने के प्रयासों के बावजूद यह संभव था कि राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के पूर्व संसद के दोनों सदनों के चुनाव सम्पन्न न हों। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 71 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया ताकि उपयुक्त निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जाए।

इस विधेयक का आशय इन उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

125. 1961 का विधेयक संख्यांक 66; विधि मंत्री श्री ए.के. सेन द्वारा लोक सभा में 30 नवम्बर 1961 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 5 दिसम्बर 1961; राज्य सभा: 12 दिसम्बर 1961; राष्ट्रपति की अनुमति: 19 दिसम्बर 1961; राजपत्र की अधिसूचना को तारीख: 20 दिसम्बर 1961; प्रारंभ की तारीख: 19 दिसम्बर 1961।

126. लोक सभा वाद-विवाद, 30 नवम्बर 1961, कॉलम 2402।

127. वही, 5 दिसम्बर 1961, कॉलम 3351; राज्य सभा वाद-विवाद, 12 दिसम्बर 1961, कॉलम 2116।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 66 में उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है। इस अनुच्छेद का संशोधन यह उपबंध करने के लिए किया गया है कि उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा होगा और इस प्रकार उक्त प्रयोजन के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक की पूर्व आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। (धारा 2)

संविधान के अनुच्छेद 71 में यह स्पष्ट करने के लिए एक नए खण्ड (4) का अन्तःस्थापन किया गया है कि उपयुक्त निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (ग्यारहवां संशोधन)

अधिनियम, 1961

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[19 दिसम्बर, 1961]

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961 है ।

अनुच्छेद 66 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 66 में, खंड (1) में, “संयुक्त बैठक में एकत्र संसद दोनो सदनों के सदस्य” शब्दों के स्थान पर, “संसद के दोनो सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 71 का
संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 71 में, खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्रुत नहीं किया जाएगा ।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1962¹²⁸

विधायी इतिहास

संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, 1962 लोक सभा में 12 मार्च, 1962 को पुरःस्थापित किया गया¹²⁹। इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इस विधेयक पर लोक सभा द्वारा 14 मार्च 1962 को और राज्य सभा द्वारा 20 मार्च, 1962 को विचार किया गया और इसे मूल रूप में पारित किया गया¹³⁰।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

20 दिसम्बर 1961 से गोवा, दमण और दीव के क्षेत्र का अर्जन करने पर संविधान के अनुच्छेद 1 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में यह क्षेत्र उसी तारीख से भारत के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार वहां का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में चलाया जा रहा है। तथापि, यह वांछनीय समझा गया कि गोवा, दमण और दीव को विशेष रूप से संविधान की पहली अनुसूची में संघ राज्यक्षेत्र के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस बात पर भी विचार किया गया था कि अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) में समुचित संशोधन करके राष्ट्रपति को गोवा, दमण और दीव की शान्ति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति दी जाए जैसाकि दादरा और नागर हवेली के मामले में किया गया था। इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उपबंध करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम को 20 दिसम्बर, 1961 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया। (धारा 1)

128. 1962 का विधेयक संख्यांक 3; प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोक सभा में 12 मार्च 1962 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 14 मार्च 1962; राज्य सभा: 20 मार्च 1962; राष्ट्रपति की अनुमति: 27 मार्च 1962; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 28 मार्च 1962; प्रारंभ की तारीख: 20 दिसम्बर 1961।

129. लोक सभा वाद-विवाद, 12 मार्च 1962; कॉलम 37।

130. वही, 14 मार्च 1962, कॉलम 327; राज्य सभा वाद-विवाद, 20 मार्च 1962, कॉलम 842।

गोवा, दमण और दीव को आठवें संघ राज्यक्षेत्र के रूप में सम्मिलित करने के लिये संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है। (धारा 2)

राष्ट्रपति को गोवा, दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र के लिये शान्ति, प्रगति और सुशासन के लिये विनियम बनाने की शक्ति देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) में संशोधन किया गया है जिससे कि उसमें इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सके। (धारा 3)

संशोधन का पाठ संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1962

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

[27 मार्च, 1962]

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संविधान की
पहली अनुसूची
का संशोधन ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 है ।

(2) यह 20 दिसम्बर, 1961 को प्रवृत्त समझा जाएगा ।

अनुच्छेद 240
का संशोधन ।

2. संविधान की पहली अनुसूची में “संघ राज्यक्षेत्र” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“8. गोवा, दमण और दीव वे राज्यक्षेत्र जो 20 दिसम्बर, 1961 से ठीक पहले गोवा, दमण और दीव में समाविष्ट थे”

3. संविधान के अनुच्छेद 240 में, खंड (1) में, प्रविष्टि (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(घ) गोवा, दमण और दीव” ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962¹³¹

विधायी इतिहास

संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, 1962 लोक सभा में 21 अगस्त 1962 को पुरःस्थापित किया गया¹³²। इस विधेयक में: (एक) भाग-21 में संशोधन करने और (दो) संविधान में एक नया अनुच्छेद 371क अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव था। इस विधेयक पर लोक सभा द्वारा 28 अगस्त 1962 को और राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर 1962 को विचार किया गया और इसे मूल रूप में पारित किया गया¹³³।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा नागा पीपुल्स कन्वेंशन के नेताओं के साथ जुलाई, 1960 में एक करार हुआ था जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि नागा पहाड़ियां त्थुएनसांग क्षेत्र (नागालैंड), जो असम राज्य के भीतर के भाग 'ख' जनजातीय क्षेत्र का भाग है, को एक पृथक राज्य बनाया जाएगा।

अन्य बातों के साथ-साथ करार में यह भी उपबंध किया गया था कि:

- (क) नागालैंड के क्षेत्र के अन्दर विद्रोही गतिविधियों के कारण अशांति बने रहने तक राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व होगा।
- (ख) भारत सरकार द्वारा नए राज्य के लिए धन उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यपाल का सामान्य उत्तरदायित्व होगा।

131. 1962 का विधेयक संख्यांक 72; 21 अगस्त 1962 को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 28 अगस्त 1962; राज्य सभा: 3 सितम्बर 1962; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 28 सितम्बर 1962; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 29 दिसम्बर 1962; प्रारम्भ की तारीख: 2 दिसम्बर 1963।

132. लोक सभा वाद-विवाद, 21 अगस्त 1962, कॉलम 3181।

133. वही, 28 अगस्त 1962, कॉलम 4645; राज्य सभा वाद-विवाद, 3 सितम्बर 1962, कॉलम 4731।

(ग) राज्यपाल नागालैंड के त्याुएनसांग जिले के प्रशासन के निर्वहन के लिए दस वर्ष की अवधि तक उत्तरदायी होगा। यह भी आशा की जाती है कि इस अवधि के दौरान उस क्षेत्र के लोग प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व उठाने में सक्षम हो जाएंगे। उक्त त्याुएनसांग जिले के लिए एक प्रादेशिक परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें वहां के जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह प्रादेशिक परिषद उस जिले में गांव, रेंज और क्षेत्र परिषदों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करेगी और नागालैंड विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि का विस्तार उस जिले पर तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रादेशिक परिषद द्वारा उसके लिए संस्तुति न की गई हो;

(घ) निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड विधानमंडल ऐसा विनिश्चय नहीं करती है:-

(एक) नागाओं की धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथाएं;

(दो) नागा रुढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया;

(तीन) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय नागा रुढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं;

(चार) भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण।

चूंकि ये मामले प्रस्तावित नए राज्य नागालैंड के लिए विशिष्ट प्रकार के थे, अतः तत्संबंधी उपबंध संविधान में ही किए गए थे। तदनुसार इस विधेयक का आशय उपरोक्त मामलों और तत्संबंधी आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए संविधान में संशोधन करना है। अनुच्छेद 3 से संबंधित नए राज्य के गठन के लिए एक पृथक विधेयक पुरःस्थापित किया जाना भी आशयित था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के भाग इक्कीस (अनुच्छेद 369-392) में, “अस्थाई और संक्रमणकालीन उपबंध” शीर्षक के स्थान पर “अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध” प्रतिस्थापित किया गया है। [धारा 2 (क)]

अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित विशेष उपबंधों का प्रावधान करने के लिये नया अनुच्छेद 371क अन्तःस्थापित किया गया है:-

संसद का कोई अधिनियम जो नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा रुढ़िजन्य विधियां और प्रक्रिया, सिविल और दाण्डिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय नागा रुढ़िजन्य विधि के अनुसार होते हैं; और भूमि और उसकी सम्पत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अन्तरण को प्रभावित

करता है, नागालैण्ड राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैण्ड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है।

नागालैण्ड के राज्यपाल का नागालैण्ड राज्य में कानून और व्यवस्था के बारे में तब तक विशेष उत्तरदायित्व होगा जब तक उसकी राय में, नागा पहाड़ी त्युएनसांग क्षेत्र में होने वाली आंतरिक अशान्ति बनी रहती है। राज्यपाल को इस बारे में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में, मंत्रिपरिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम होगा। राष्ट्रपति को यदि यह समाधान हो जाता है कि राज्य में विशेष परिस्थितियाँ अब विद्यमान नहीं हैं, तो वह राज्यपाल के इन विशेष उत्तरदायित्वों को वापिस ले सकता है।

राज्यपाल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विशिष्ट सेवा या प्रयोजन के लिये भारत की संचित निधि में से भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई धन उस सेवा या प्रयोजन से संबंधित अनुदान की मांग में ही सम्मिलित हो।

राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा त्युएनसांग जिले के लिए पैंतीस सदस्यों की एक प्रादेशिक परिषद् स्थापित करेगा और वह अपने विवेक से नियम बनाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रादेशिक परिषद् की रचना और वह रीति जिससे सदस्य चुने जायेंगे, उनकी अर्हतायें और पदावधि, वेतन आदि और प्रादेशिक परिषद् की प्रक्रिया और कार्य संचालन आदि की व्यवस्था होगी।

त्युएनसांग जिले का प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जायेगा और उसे जिले की शान्ति, प्रगति और सुशासन के लिये दस वर्ष की कालावधि के लिये और यदि आवश्यक हो तो उससे अधिक अवधि के लिये विनियम बनाने का अधिकार है। नागालैण्ड के विधानमंडल का कोई अधिनियम उस जिले पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्यपाल प्रादेशिक परिषद् की सिफारिश पर वैसा निदेश नहीं देता। भारत सरकार द्वारा नागालैण्ड सरकार को उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये दिये गये धन को राज्यपाल अपने विवेक से इस जिले और शेष राज्य के जिलों के बीच साम्यपूर्ण आवंटन करने के भी निदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानमंडल में त्युएनसांग जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य को त्युएनसांग जिले के लिये मंत्री नियुक्त कर सकता है। तथापि, इस जिले से संबंधित सभी विषयों पर अन्तिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा स्व-विवेक से किया जायेगा।

संविधान के अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 तथा अनुच्छेद 80 (4) में राज्य को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के या ऐसे प्रत्येक सदस्य के प्रति निर्देशों के अंतर्गत नागालैण्ड की विधानसभा के सदस्यों या सदस्य के प्रति निर्देश शामिल हैं।

नागालैण्ड की विधानसभा के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 170 का खण्ड (1) इस प्रकार प्रभावी होगा मानो “साठ” शब्द के स्थान पर, “छियालीस” शब्द रख दिया गया हो। उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रति निर्देश के अंतर्गत इस नये अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 170 के खण्ड (2) और (3) में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति निर्देशों से कोहिमा और मोकोकचूंग जिलों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति निर्देश अभिप्रेत होंगे।

नागालैण्ड राज्य के निर्माण की तारीख से तीन वर्ष तक नये अनुच्छेद के किसी उपबंध को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह स्वविवेक से उसे दूर कर सकता है। [खण्ड (3)]

संशोधन का पाठ

संविधान (तेरहवां संशोधन)

अधिनियम, 1962

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[28 दिसम्बर, 1962]

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. संविधान के भाग इक्कीस में-

भाग इक्कीस का संशोधन।

(क) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध”

(ख) अनुच्छेद 371 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“371क. (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-

नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात्:-

(i) नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ;

(ii) नागा रुढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया;

(iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहाँ विनिश्चय नागा रुढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं;

(iv) भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण;

(ख) नागालैंड के राज्यपाल का नागालैंड राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में तब तक विशेष उत्तरदायित्व रहेगा जब तक उस राज्य के निर्माण के ठीक पहले नागा पहाड़ी त्थुएनसांग क्षेत्र मंत्र विद्यमान आंतरिक अशांति, उसकी राय में, उसमें या उसके किसी भाग में बनी रहती है और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग, मंत्रि-परिषद से परामर्श करने के पश्चात् करेगा:

परंतु यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस उपखंड के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए था या नहीं:

परंतु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि नागालैंड राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ग) अनुदान की किसी माँग के संबंध में अपनी सिफारिश करने में, नागालैंड का राज्यपाल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विनिर्दिष्ट सेवा या प्रयोजन के लिए भारत की संचित निधि में से

भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई धन उस सेवा या प्रयोजन से संबंधित अनुदान की माँग में, न कि किसी अन्य माँग में, सम्मिलित किया जाए;

(घ) उस तारीख से जिसे नागालैंड का राज्यपाल इस निमित्त लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, त्यानसांग जिले के लिए एक प्रादेशिक परिषद स्थापित की जाएगी जो पैंतीस सदस्यों से मिलकर बनेगी और राज्यपाल निम्नलिखित बातों का उपबंध करने के लिए नियम अपने विवेक से बनाएगा, अर्थात् :--

(i) प्रादेशिक परिषद की संरचना और वह रीति जिससे प्रादेशिक परिषद के सदस्य चुने जाएंगे:

परंतु त्यानसांग जिले का उपायुक्त प्रादेशिक परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और प्रादेशिक परिषद का उपाध्यक्ष उसके सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा;

(ii) प्रादेशिक परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अर्हताएँ;

(iii) प्रादेशिक परिषद के सदस्यों की पदावधि और उनको दिए जाने वाले वेतन और भत्ते, यदि कोई हों;

(iv) प्रादेशिक परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन;

(v) प्रादेशिक परिषद के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें; और

(vi) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में प्रादेशिक परिषद के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए नियम बनाने आवश्यक हैं।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, नागालैंड राज्य के निर्माण की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जिसे राज्यपाल, प्रादेशिक परिषद की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,—

(क) त्याुएनसांग जिले का प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा;

(ख) जहाँ भारत सरकार द्वारा नागालैंड सरकार को, संपूर्ण नागालैंड राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई धन दिया जाता है वहाँ, राज्यपाल अपने विवेक से त्याुएनसांग जिले और शेष राज्य के बीच उस धन के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए प्रबंध करेगा;

(ग) नागालैंड विधानमंडल का कोई अधिनियम त्याुएनसांग जिले को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल, प्रादेशिक परिषद की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं देता है और ऐसे किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते हुए राज्यपाल यह निर्दिष्ट कर सकेगा कि वह अधिनियम त्याुएनसांग जिले या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगा जिन्हें राज्यपाल प्रादेशिक परिषद की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट करे:

परंतु इस उपखंड के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो;

(घ) राज्यपाल त्याुएनसांग जिले की शांति, उन्नति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए विनियम उस जिले को तत्समय लागू संसद के किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का, यदि आवश्यक हो तो भूतलक्षी प्रभाव से निरसन या संशोधन कर सकेंगे;

(ङ) (i) राज्यपाल, नागालैंड विधानसभा में त्याुएनसांग जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य को मुख्यमंत्री की सलाह पर त्याुएनसांग कार्य मंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री अपनी सलाह देने में पूर्वोक्त सदस्यों की बहुसंख्या की सिफारिश पर कार्य करेगा;

(ii) त्‍युएनसांग कार्य मंत्री त्‍युएनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों की बाबत कार्य करेगा और उनके संबंध में राज्यपाल के पास उसकी सीधी पहुँच होगी किंतु वह उनके संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देता रहेगा;

(च) इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, त्‍युएनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल अपने विवेक से करेगा;

(छ) अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में तथा अनुच्छेद 80 के खंड (4) में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के या ऐसे प्रत्येक सदस्य के प्रति निर्देशों के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद द्वारा निर्वाचित नागालैंड विधानसभा के सदस्यों या सदस्य के प्रति निर्देश होंगे;

(ज) अनुच्छेद 170 में--

(i) खंड (1) नागालैंड विधानसभा के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होगा मानो “साठ” शब्द के स्थान पर “छियालीस” शब्द रख दिया गया हो;

(ii) उक्त खंड में, उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रति निर्देश के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा;

(iii) खंड (2) और खंड (3) में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति निर्देश से कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति निर्देश अभिप्रेत होंगे ।

(3) यदि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कोई ऐसी बात (जिसके अंतर्गत किसी अन्य अनुच्छेद का कोई अनुकूलन या उपांतरण है) कर सकेगा जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होती है:

परंतु ऐसा कोई आदेश नागालैंड राज्य के निर्माण की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद में, कोहिमा, मोकोकचुंग और त्युएनसांग जिलों का वही अर्थ है जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 में है।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962¹³⁴

विधायी इतिहास

संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, 1962 लोक सभा में 30 अगस्त 1962 को पुरःस्थापित किया गया था¹³⁵। इस विधेयक में (एक) अनुच्छेद 81 और 240 तथा संविधान को पहली और चौथी अनुसूचियों का संशोधन और (दो) संविधान में एक नया अनुच्छेद 239क अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव था। इस विधेयक पर लोक सभा द्वारा 4 सितम्बर 1962 को विचार किया गया और कुछ परिवर्तनों के साथ इसे पारित कर दिया गया¹³⁶। विधेयक लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में राज्य सभा द्वारा 7 सितम्बर 1962 को पारित किया गया¹³⁷। इस विधेयक के खंड 1, 2, 3 और 5 से 7 मूल रूप में लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 4 और 7 सितम्बर 1962¹³⁸ को स्वीकार किए गए।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत और फ्रांस सरकारों द्वारा 16 अगस्त 1962 को सत्तान्तरण सन्धि को स्वीकृत किए जाने पर पांडिचेरी, करइकल, माही और यनम नामक फ्रांसीसी बस्तियां उस तिथि से भारतीय संघ के क्षेत्र बन गए। इस विधेयक में इन प्रदेशों को संविधान में “पांडिचेरी” के नाम से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करने का उपबंध है। संविधान के अनुच्छेद 81(1) (ख) के अंतर्गत लोक सभा में बीस से अधिक सदस्य संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चूंकि इतनी संख्या में

134. 1962 का विधेयक संख्यांक 86; 30 अगस्त 1962 को गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 4 सितम्बर 1962; राज्य सभा: 7 सितम्बर 1962; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 28 दिसंबर 1962; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 29 दिसम्बर 1962; प्रारंभ की तारीख: 28 दिसंबर 1962।

135. लोक सभा वाद-विवाद, 30 अगस्त 1962, कॉलम 5307।

136. वही, 4 सितम्बर 1962, कॉलम 5962।

137. राज्य सभा वाद-विवाद, 7 सितम्बर 1962, कॉलम 5758।

138. लोक सभा वाद-विवाद, 4 सितम्बर 1962, कॉलम 5913, 5930 और 5971; राज्य सभा वाद-विवाद, 7 सितम्बर 1962, कॉलम 5696, 5712, 5730, 5743, 5748 और 5752।

लोक सभा में पहले ही प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है। इसीलिए, विधेयक में इस संख्या को पच्चीस तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि लोक सभा में पांडिचेरी को तुरंत प्रतिनिधित्व दिया जा सके और भावी आकस्मिकताओं के लिए उपबंध किया जा सके। इस विधेयक में राज्य सभा में उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का उपबंध भी है। राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व मोटे तौर पर भाग 'ग' के कुछ राज्यों में प्रवृत्त प्रशासनिक ढांचे पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के सृजन का प्रस्ताव किया गया था। इस विधेयक में नए अनुच्छेद 239क, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व प्रवृत्त अनुच्छेद 240 के उपबंधों का अनुसरण किया गया है, के द्वारा इस प्रयोजनार्थ विधि के अधिनियम हेतु संसद को आवश्यक विधायी शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

लोक सभा में संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 को बढ़ाकर 25 करने के लिए अधिनियम की धारा 2 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81(1) (ख) में संशोधन किया गया है और इस प्रकार संघ राज्यक्षेत्र "पांडिचेरी" को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

16 अगस्त 1962 से "पांडिचेरी" के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया है। (धारा 3 और 7)

संविधान में एक नया अनुच्छेद 239क अंतःस्थापित करके संसद को हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमण और दीव और पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्रों में विधि के द्वारा विधानमंडल और मंत्रिपरिषदों के सृजन की शक्तियां प्रदत्त हो गयी हैं। इस प्रयोजन के लिए पारित की गई कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ संविधान में संशोधन नहीं मानी जाएगी। (धारा 4)

राष्ट्रपति को संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी में शान्ति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करने हेतु इस क्षेत्र को भूतलक्षी प्रभाव से 16 अगस्त 1962 से शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) में भी संशोधन किया गया है। तथापि, जब संघ राज्यक्षेत्र, गोवा, दमण और दीव अथवा पांडिचेरी के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए नए अनुच्छेद 239क के अंतर्गत कोई निकाय बनाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा विनियम बनाने की शक्तियां उसी तारीख से समाप्त हो जाएंगी जो तारीख विधानमंडल की पहली बैठक के लिए नियत की गई है। (धारा 5 और 7)

राज्य सभा में संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी को एक स्थान आवंटित करने के लिए संविधान की चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया है। (धारा 6)

संशोधन का पाठ संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[28 दिसम्बर, 1962]

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 है ।
अनुच्छेद 81 का संशोधन ।	2. संविधान के अनुच्छेद 81 में, खंड (1) के उप-खंड (ख) में, “बीस सदस्य” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस सदस्य” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
पहली अनुसूची का संशोधन ।	3. संविधान की पहली अनुसूची में “2. संघ राज्यक्षेत्र” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:- “9. पांडिचेरी वे राज्यक्षेत्र जो 16 अगस्त, 1962 से ठीक पहले भारत में पांडिचेरी, कारिकल, माही और यनम के नाम से ज्ञात फ्रांसीसी बस्तियों में समाविष्ट थे ।”
नए अनुच्छेद 239क का अंतःस्थापन ।	4. संविधान के अनुच्छेद 239 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “239क. (1) संसद विधि द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमण और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में से किसी के लिए,— (क) उस संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नामनर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का, या

कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन ।

(ख) मंत्रिपरिषद् का, या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।

5. संविधान के अनुच्छेद 240 में, खंड (1) में—

अनुच्छेद 240
का संशोधन।

(क) प्रविष्टि (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ड) पांडिचेरी”;

(ख) अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह कि जब गोवा, दमण और दीव या पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239क के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है तब राष्ट्रपति विधान-मंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा।”

6. संविधान की चौथी अनुसूची में, सारणी में—

चौथी अनुसूची
का संशोधन।

(क) प्रविष्टि 20 के पश्चात्, प्रविष्टि, “21. पांडिचेरी.1” अंतःस्थापित की जाएगी;

(ख) अंकों “225” के स्थान पर, अंक “226” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. धारा 3 और धारा 5 का खंड (क) 16 अगस्त, 1962 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

कतिपय उपबंधों
का भूतलक्षी
प्रवर्तन।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963¹³⁹

विधायी इतिहास

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, 1962, लोक सभा में 23 नवम्बर 1962 को पुरःस्थापित किया गया था¹⁴⁰। विधेयक का आशय (एक) संविधान के अनुच्छेद 124, 128, 217, 220, 222, 224, 226, 276, 297, 311 और 316 तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन करना; और (दो) संविधान में एक नया अनुच्छेद 224क अंतःस्थापित करना था। लोक सभा में 8 दिसम्बर 1962 को पेश किये गये और 11 दिसम्बर, 1962 को स्वीकार किये गये एक प्रस्ताव जिस पर राज्य सभा ने 12 दिसम्बर 1962 को सहमति दी, के पश्चात् विधेयक संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंप दिया गया¹⁴¹।

विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 8 मार्च 1963 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। समिति ने विधेयक के (क) खण्ड 2, 4, 6, 9 और 12 में महत्वपूर्ण संशोधन करने और (ख) खण्ड 5 और 10 का लोप करने का सुझाव दिया। लोक सभा ने संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित रूप में विधेयक पर 29, 30 अप्रैल और 1 मई 1963 को विचार किया और उसे यथासंशोधित रूप में 1 मई 1963 को पारित कर दिया। राज्य सभा ने विधेयक पर, लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में, 7 और 9 मई 1963 को विचार किया और उसे 9 मई 1963 को पारित कर दिया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

काफी लम्बे समय से संविधान में अनेक संशोधन विचाराधीन थे। संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक को नवम्बर, 1955 में लोक सभा में पुरःस्थापित करके इनमें से कुछ संशोधनों को प्रभावी

139. 1962 का विधेयक संख्यांक 111; 23 नवम्बर 1962 को विधि मंत्री, श्री ए.के. सेन द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित; संयुक्त समिति को भेजा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया: 8 मार्च 1963; वाद-विवाद, लोक सभा: 8 और 11 दिसम्बर 1962, 29 और 30 अप्रैल और 1 मई 1963; राज्य सभा: 12 दिसम्बर 1962, 7 और 9 मई 1963; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित: राष्ट्रपति की अनुमति: 5 अक्तूबर 1963; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 7 अक्तूबर 1963; प्रारम्भ की तारीख: 5 अक्तूबर 1963।

140. लोक सभा वाद-विवाद, 23 नवम्बर 1962, कॉलम 3188।

141. वही, 11 दिसम्बर 1962, कॉलम 5023-5024; राज्य सभा वाद-विवाद, 12 दिसम्बर 1962, कॉलम 3998, 4026।

बनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित एक संशोधन को छोड़कर यह विधेयक, विभिन्न कारणों से आगे नहीं बढ़ सका और व्यपगत हो गया। यह अनुच्छेद संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955 द्वारा पृथक रूप से संशोधित किया गया। वर्तमान विधेयक में संविधान में संशोधन के लिए कुछ नए प्रस्तावों के अलावा संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक सहित कुछ प्रस्ताव अंतर्विष्ट हैं। संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 276, 297, 311 और 316 से संबंधित प्रस्ताव अंतर्विष्ट हैं और इन्हें आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया है। ये नए प्रस्ताव अनुच्छेद 124, 128, 217, 220, 222, 224क, 226 और संघ सूची की प्रविष्टि 78 के बारे में हैं। इन प्रस्तावों में अनुच्छेद 217 का संशोधन शामिल है ताकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु साठ वर्ष से बढ़ाकर बासठ वर्ष की जा सके। उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सही आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न के बारे में राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चय अपेक्षित है। यह प्रस्ताव किया गया था कि अनुच्छेद 124 और 217 में विशिष्ट उपबंध करके स्थिति को स्पष्ट किया जाए। जनहित में यह वांछनीय माना गया कि न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाना चाहिए। ऐसे अंतरण से इस रीति से अंतरित न्यायाधीश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है। अतः, उसे उसके वेतन के अलावा कुछ क्षतिपूर्ति भत्ता भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया। जब किसी न्यायाधीश का किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है तो अनुच्छेद 220 के उपबंधों के मद्देनजर ऐसे किसी उच्च न्यायालय, जिसमें उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य का निर्वाह किया हो, वकालत नहीं कर सकता है। अतः, अनुच्छेद 220 के उपबंधों के द्वारा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अंतरण के प्रस्ताव पर रोक लगाई गई है। अतः, अनुच्छेद 220 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था ताकि वकालत करने के बारे में रोक केवल उसी उच्च न्यायालय में लागू होगी जहां से वह न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो बशर्ते उसने सेवानिवृत्ति से तत्काल पूर्व कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक उस उच्च न्यायालय में कार्य किया हो। ऐसे उपबंध से न्यायाधीशों के अंतरण में सुविधा हो जाएगी। संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत पंजाब उच्च न्यायालय ही एक ऐसा उच्च न्यायालय है जो केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। इससे दूरस्थ स्थानों के वादियों को अत्यधिक कठिनाई होती है। अतः, अनुच्छेद 226 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था ताकि कभी किसी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध जब कोई सहायता मांगी जाए तो उस उच्च न्यायालय को जिसके क्षेत्राधिकार में वाद का कारण उत्पन्न होता है, समुचित निदेश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त हो। अन्य नए प्रस्ताव गौण प्रकृति के थे।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

अनुच्छेद 124 में अन्तःस्थापित नए खण्ड (2क) में यह उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जैसीकि संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। (धारा 2)

यथासंशोधित अनुच्छेद 128 में किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए नियुक्त करने का उपबन्ध किया गया है। (धारा 3)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का उपबन्ध करने के लिए अनुच्छेद 217 के खंड (1) में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 217 में भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित नए खंड (3) से राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। (धारा 4)

अनुच्छेद 222 में एक नया खंड (2) अंतःस्थापित किया गया है। इसमें किसी न्यायाधीश को, उसके एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित होने पर प्रतिकरात्मक भत्ता दिए जाने का उपबन्ध किया गया है। (धारा 5)

एक नया अनुच्छेद 224क अंतःस्थापित किया गया है जिसमें किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का उपबन्ध है। (धारा 7)

अनुच्छेद 226 में अंतःस्थापित नए खंड (1क) में यह उपबन्ध किया गया है कि उस न्यायालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाद का कारण उत्पन्न होता है, किसी सरकार, प्राधिकारी अथवा व्यक्ति को निर्देश, आदेश अथवा रिट जारी करने का भी अधिकार होगा, चाहे उस सरकार अथवा प्राधिकारी का स्थान उस व्यक्ति का निवास स्थान उच्च न्यायालय के सीमा क्षेत्र के बाहर पड़ता हो। (धारा 8)

अनुच्छेद 297 में “राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड” शब्दों के पश्चात् “अथवा महाद्वीपीय मग्नतट भूमि” शब्द अंतःस्थापित किए गए हैं। (धारा 9)

अनुच्छेद 311 के वर्तमान खंड (2) और (3) के स्थान पर नए खंड अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध करने के लिए अंतःस्थापित किए गए हैं कि सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध पदच्युति अथवा नौकरी से हटाने अथवा उसको पंक्ति में अवनत करने का प्रस्ताव है, उसके खिलाफ आरोपों से अवगत कराया जाएगा और जांच की अवस्था पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, और जब जांच के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उसको युक्तियुक्त अवसर दिया जाना जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के ही आधार पर केवल अभ्यावेदन देने तक ही सीमित होगा। यह उपबन्ध उसमें यथाउपबन्धित कतिपय अपवादों के अध्यधीन है। (धारा 10)

अनुच्छेद 316 में नया खंड (1क) अन्तःस्थापित किया गया है जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली होने अथवा स्थायी अध्यक्ष के अवकाश पर जाने अथवा अपने पद के कार्यों को करने में असमर्थ होने पर आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार देता है। (धारा 11)

सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 78 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया है जिसमें शब्द “संगठन” के पश्चात् कोष्ठक शब्द “(जिसके अंतर्गत दीर्घावकाश है)” अंतःस्थापित किए गए हैं। (धारा 12)

संशोधन का पाठ

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन)

अधिनियम, 1963

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[5 अक्तूबर, 1963]

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 है ।

अनुच्छेद 124
का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 124 में खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(2क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे ।”

अनुच्छेद 128
का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 128 में “फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है” शब्दों के पश्चात् “या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित है ।” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 217
का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 217 में-

(क) खंड (1) में “साठ वर्ष” शब्दों के स्थान पर “बासठ वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और सदा से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा।”

5. संविधान के अनुच्छेद 222 में खंड (1) के पश्चात्, अनुच्छेद 222 निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्— का संशोधन।

“(2) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है, या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 के प्रारंभ के पश्चात् दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, प्राप्त करने का हकदार होगा।”

6. संविधान के अनुच्छेद 224 के खण्ड (3) में “साठ वर्ष” अनुच्छेद 224 शब्दों के स्थान पर “बासठ वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। का संशोधन।

7. संविधान के अनुच्छेद 224 के पश्चात् निम्नलिखित नये अनुच्छेद अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 224क का अन्तःस्थापन।

“224क. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां उच्चन्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।

और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा:

परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।”

8. संविधान के अनुच्छेद 226 में-

अनुच्छेद 226
का संशोधन।

(क) खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(1क) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट निकालने की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वादहेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्यक्षेत्रों के भीतर नहीं है।”

(ख) खंड (2) में, “खंड (1) “ शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर “खंड (1) या खंड (1क)” शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 297
का संशोधन।

9. संविधान के अनुच्छेद 297 में “राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड” शब्दों के पश्चात् “या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 311
का संशोधन।

10. संविधान के अनुच्छेद 311 में खंड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2) यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी जांच के पश्चात् ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है,

पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है, वहां प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का पर्याप्त अवसर न दे दिया जाए, किंतु ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर ही होगी:

परंतु यह खंड वहां लागू नहीं होगा—

(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, वह युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए; या

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए; या

(घ) यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।”

11. संविधान के अनुच्छेद 316 में खंड (1) के पश्चात् अनुच्छेद 316 निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— का संशोधन।

“(1क) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो,

यथास्थिति, जब तक रिक्त पद पर खंड (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य, जिसे संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।”

सातवीं अनुसूची
का संशोधन।

12. संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची 1 में प्रविष्टि 78 में, “संगठन” शब्द के पश्चात् “(जिसके अंतर्गत दीर्घावकाश है)” कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और सदा से अंतःस्थापित समझे जाएंगे।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963¹⁴²

विधायी इतिहास

संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, 1963 लोक सभा में 21 जनवरी, 1963 को पुरःस्थापित किया गया था¹⁴³। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 19, 84 और 173 तथा तीसरी अनुसूची में संशोधन करना था। लोक सभा में 22 जनवरी को पेश किए गए एक प्रस्ताव, जो उसी दिन स्वीकृत हो गया था और 25 जनवरी 1963 को राज्य सभा द्वारा उस पर सहमति दिए जाने पर, विधेयक को संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंप दिया गया¹⁴⁴। विधेयक पर संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 18 मार्च 1963 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया¹⁴⁵। समिति ने विधेयक के अधिनियमन सूत्र में एक औपचारिक परिवर्तन के अलावा किसी संशोधन की सिफारिश नहीं की। विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, पर विचार किया गया और इसे 2 मई 1963 को लोक सभा द्वारा तथा 9 मई 1963 को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया¹⁴⁶।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता तथा प्रादेशिकता संबंधी समिति ने यह सिफारिश की थी कि संविधान के अनुच्छेद 19 को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिससे कि संघ

142. 1963 का विधेयक संख्यांक 1: 21 जनवरी 1963 को विधि मंत्री श्री ए.के. सेन द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित: संयुक्त समिति को सौंपा गया: 18 मार्च 1963 को समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया: वाद-विवाद, लोक सभा: 22 जनवरी और 2 मई 1963: राज्य सभा: 25 जनवरी और 9 मई 1963: संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात्: आंध्र प्रदेश, असम, केरल, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित: राष्ट्रपति की अनुमति: 5 अक्तूबर 1963: राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 7 अक्टूबर 1963; प्रारम्भ की तारीख: 5 अक्टूबर 1963।

143. लोक सभा वाद-विवाद, 21 जनवरी 1963, कॉलम 5495।

144. लोक सभा वाद-विवाद, 22 जनवरी 1963, कॉलम 5759, 5840 और 5841: राज्य सभा वाद-विवाद, 25 जनवरी 1963, कॉलम 4952।

145. लोक सभा वाद-विवाद, 18 मार्च 1963, कॉलम 4438।

146. वही, 2 मई 1963, कॉलम 13503; राज्य सभा वाद-विवाद, 9 मई 1963, कॉलम 2896।

को अखण्डता तथा संप्रभुता को सुरक्षित रखने तथा बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध हों। समिति का आगे यह भी विचार था कि किसी राज्य विधानमंडल अथवा संसद की सदस्यता के लिए और सार्वजनिक पद के लिए आकांक्षी तथा पदधारी प्रत्येक उम्मीदवार को संविधान की मर्यादा को बनाए रखने तथा संघ की अखण्डता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने की शपथ लेनी चाहिए और इस प्रयोजनार्थ संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रपत्रों का यथोचित संशोधन किया जाए। भारत की संप्रभुता और अखण्डता के हित में यह प्रस्ताव किया गया था कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 19 के खंड (2), (3) तथा (4) का इस प्रकार संशोधन किया जाए कि उक्त अनुच्छेद के खंड (1) में उपखंड (क), (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार कोई भी कानून बना सके। यह भी प्रस्ताव किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 84 तथा 173 और तीसरी अनुसूची में दिए गए शपथ प्रपत्रों में भी संशोधन किया जाए ताकि यह उपबंध किया जा सके कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए प्रत्येक उम्मीदवार, केन्द्रीय तथा राज्य मंत्री, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारत की संप्रभुता और अखण्डता बनाए रखने की शपथ लेंगे। इस विधेयक का आशय इन उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

धारा 2 ने अनुच्छेद 19 के खंड (2), (3) तथा (4) का इस प्रकार से संशोधन किया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उपर्युक्त अनुच्छेद के खण्ड 1 में उपखण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार कोई भी कानून बना सके।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 84, 173 तथा तीसरी अनुसूची के संशोधनों में यह उपबंध है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए प्रत्येक उम्मीदवार केन्द्रीय तथा राज्य मंत्री, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शपथ लेंगे। तीसरी अनुसूची में दिए गए शपथ प्रपत्रों में तदनुसार संशोधन किया गया है। (धारा 3 से 5)

संशोधन का पाठ

संविधान (सोलहवां संशोधन)

अधिनियम, 1963

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[5 अक्तूबर, 1963]

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (सोलहवां संक्षिप्त नाम। संशोधन) अधिनियम, 1963 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 19 में-

अनुच्छेद 19 का
संशोधन।

(क) खंड (2) में “ अधिकार के प्रयोग पर” शब्दों के पश्चात् “भारत की प्रभुता और अखंडता” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (3) और (4) में “अधिकार के प्रयोग पर” शब्दों के पश्चात् “भारत की प्रभुता और अखंडता या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. संविधान के अनुच्छेद 84 में खंड (क) के स्थान पर अनुच्छेद 84 का निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

अनुच्छेद 84 का
संशोधन।

“(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है।”

4. संविधान के अनुच्छेद 173 में खंड (क) के स्थान पर अनुच्छेद 173 निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुच्छेद 173
का संशोधन।

“(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में

इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है।”

तीसरी अनुसूची
का संशोधन।

5. संविधान की तीसरी अनुसूची में—

(क) प्ररूप 1 में “श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा” शब्दों के पश्चात् “मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा”, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) प्ररूप 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

3

क

संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमुक, जो राज्य सभा (या लोक सभा) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।”

ख

संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमुक, जो राज्य सभा (या लोक सभा) का सदस्य निर्वाचित (या नामनिर्देशित) हुआ हूँ,

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों

का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।”

(ग) प्ररूप 4, 5 और 8 में “श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा” शब्दों के पश्चात् “मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) प्ररूप 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

7

क

किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं अमुक जो विधानसभा (या विधान परिषद्) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।”

ख

किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमुक, जो विधानसभा (या विधान परिषद्) का सदस्य निर्वाचित (या नामनिर्देशित) हुआ हूँ

ईश्वर की शपथ लेता हूँ

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964¹⁴⁷

विधायी इतिहास

संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964 जब 27 मई 1964 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तो उसका नाम संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 1964 था¹⁴⁸। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 31क और नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 1 और 2 जून को विचार किया गया और 2 जून, 1964 को सभा द्वारा यथासंशोधित रूप में पारित किया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा में 4 और 5 जून को विचार किया गया और 5 जून, 1964 को पारित किया गया¹⁴⁹। विधेयक के खण्ड 1 में एक औपचारिक संशोधन द्वारा विधेयक का संक्षिप्त नाम बदलकर “संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम” कर दिया गया¹⁵⁰। विधेयक का खण्ड 2, जिसमें अनुच्छेद 31क में संशोधन करने का प्रस्ताव था, लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा क्रमशः 2 तथा 5 जून 1964 को, इसके मूल रूप में, स्वीकार कर लिया गया¹⁵¹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 31क के अंतर्गत किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के संबंध में कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 अथवा अनुच्छेद 31

147. 1964 का विधेयक संख्यांक 46; संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में 27 मई 1964 को विधि मंत्री श्री ए.के. सेन द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 1 और 2 जून 1964; राज्य सभा: 4 और 5 जून 1964; राष्ट्रपति की अनुमति: 20 जून 1964; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 20 जून 1964; प्रारम्भ की तारीख: 20 जून 1964।

148. लोक सभा वाद-विवाद, 27 मई 1964, कॉलम 107। संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 1963 भी देखिए: विधायी इतिहास के लिए अध्याय तीन; तथा पाठ के लिए अनुबंध (ख) भी देखिए।

149. लोक सभा वाद-विवाद, 2 जून 1964, कॉलम 719; राज्य सभा वाद-विवाद, 5 जून 1964, कॉलम 1050।

150. वही, कॉलम 681; वही, कॉलम 1039।

151. वही, कॉलम 661; वही, कॉलम 1031।

द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के असंगत है या उन्हें छीनती है या न्यून करती है। इस अनुच्छेद का संरक्षण केवल ऐसी धृतियों के संबंध में उपलब्ध था जो 26 जनवरी 1950 को संपदाओं के रूप में थी, जब संविधान लागू हुआ था। 'संपदा' शब्द की अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग परिभाषा दी गई है। राज्यों के पुनर्गठन के कारण भूमि के एक राज्य से दूसरे राज्य को अन्तरण के परिणामस्वरूप इस शब्द का, यहां तक कि एक ही राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में अलग-अलग अर्थ निकलने लगा। इसके अलावा, बहुत सारे भूमि सुधार अधिनियम उस भूमि से संबंधित थे जो किसी संपदा में शामिल नहीं थी। भूमि सुधार से संबंधित कई राज्य अधिनियम इस आधार पर निरस्त कर दिए गए कि उन अधिनियमों के उपबंधों से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता था और उन्हें अनुच्छेद 31क का संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। अतः, यह प्रस्ताव किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 31क में "संपदा" की परिभाषा में संशोधन किया जाए जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन धारित भूमि और अन्य भूमि, जिसके संबंध में भूमि सुधार अधिनियम में सामान्यतः उपबंध किए गए थे, को शामिल किया जा सके। आगे यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया कि जहां कोई विधि राज्य द्वारा किसी संपदा के अधिग्रहण के लिए उपबंध करती है तथा जहां उसमें समाविष्ट किसी भूमि को कोई व्यक्ति अपनी काश्त में धारण करता है तो वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, अथवा किसी भवन या ढांचे का जो उस भूमि पर खड़ा है, अथवा उससे संलग्न है, का अर्जन करना उस दशा के सिवाय विधि संगत नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमि, भवन या ढांचे के अर्जन से संबंधित विधि में ऐसी दर पर, जो बाजार मूल्य से कम न हो, प्रतिकर की अदायगी का उपबंध न हो। यह भी प्रस्ताव किया गया था कि इनकी विधिमान्यता के बारे में उठने वाली किसी अनिश्चितता अथवा संदेह को दूर करने के लिए भूमि सुधार से संबंधित कतिपय राज्य अधिनियमों को शामिल करके नौवीं अनुसूची में संशोधन किया जाए। इस विधेयक का आशय इन उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 31क के खंड (2) के उपखण्ड (क) में दी गई "संपदा" की परिभाषा को इस प्रकार से संशोधित किया गया है कि उसमें अन्य भूमि, जिसके बारे में सामान्यतः भूमि सुधार अधिनियमों में उपबंध किए गए हैं, के अतिरिक्त रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन धारित भूमि को शामिल किया जा सके। (धारा 2)

इस अधिनियम में अनुच्छेद 31क के खण्ड 1 में एक और परंतुक जोड़ा गया है जिसमें यह उपबंध है कि जहां कोई विधि राज्य द्वारा किसी संपदा के अधिग्रहण के लिए उपबंध करती है तथा

जहां उसमें समाविष्ट किसी भूमि को कोई व्यक्ति अपनी काश्त में धारण करता है तो वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के किसी भाग जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, किसी भवन अथवा ढांचे का जो उस भूमि पर खड़ा है अथवा उससे संलग्न है, का अर्जन करना उस दशा के सिवाय विधि- संगत नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमि, भवन या ढांचे के अर्जन से संबंधित विधि में उसके लिए प्रतिकर की अदायगी का उपबंध न हो। (धारा 2)

इस अधिनियम के द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित 44 अतिरिक्त राज्य अधिनियमों को जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उक्त अधिनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग तीन के किन्हीं उपबंधों के असंगत हैं। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (सत्रहवाँ संशोधन)

अधिनियम, 1964

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[20 जून, 1964]

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (सत्रहवाँ संक्षिप्त नाम।
संशोधन) अधिनियम, 1964 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 31क में-

अनुच्छेद 31क
का संशोधन।

(एक) खंड (1) में, वर्तमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित
परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के
राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां
उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है वहां
राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को, जो किसी तत्समय प्रवृत्त
विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या
उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को
अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा
में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर
से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार
मूल्य से कम नहीं होगी।”

(दो) खंड (2) में, उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित
उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा और सदा से प्रतिस्थापित
किया समझा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) “संपदा” पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत-

(एक) कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और मद्रास और केरल राज्यों में कोई जन्म अधिकार भी होगा;

(दो) रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी;

(तीन) कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गयी कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं;”

नौवीं अनुसूची
का संशोधन।

3. संविधान की नौवीं अनुसूची में प्रविष्टि 20 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्-

“21. आंध्र प्रदेश अधिकतम कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 10)

22. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अभिधृति और कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 21)

23. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इजारा और कौली भूमि अनियमित पट्टा रद्दकरण और रियायती निर्धारण उत्सादन अधिनियम, 1961 (1961 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 36)

24. असम राज्य लोक प्रकृति की धार्मिक या पूर्त संस्था भूमि अर्जन अधिनियम, 1959 (1961 का असम अधिनियम 9)

25. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1954 का बिहार अधिनियम 20)

26. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (1962 का बिहार अधिनियम 12) (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 28 नहीं है)

27. बम्बई तालुकदारी भूधृति उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1954 (1955 का बम्बई अधिनियम 1)

28. बम्बई तालुकदारी भूधृति उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1958 का बम्बई अधिनियम 18)

29. बम्बई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उत्सादन अधिनियम, 1958 (1958 का बम्बई अधिनियम 98)

30. बम्बई अभिधृति और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का गुजरात अधिनियम 16)

31. गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 (1961 का गुजरात अधिनियम 27)

32. सगबारा और मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियमन, 1962 (1962 का गुजरात विनियमन 1)

33. गुजरात शेष अन्य-संक्रामण उत्सादन अधिनियम, 1963 (1963 का गुजरात अधिनियम 33), वहां तक के सिवाय जहां तक यह अधिनियम इसकी धारा 2 के खंड (3) के उपखंड (घ) में निर्दिष्ट अन्य-संक्रामण के संबंध में है।

34. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 27)

35. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि (पुनः अधिनियमन, विधिमान्यकरण और अतिरिक्त संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का महाराष्ट्र अधिनियम 45)

36. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 (1950 का हैदराबाद अधिनियम 21)

37. जन्मीकरम संदाय (उत्सादन) अधिनियम, 1960 (1961 का केरल अधिनियम 3)

38. केरल भूमि-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केरल अधिनियम 13)

39. केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 (1964 का केरल अधिनियम 1)

40. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का मध्य प्रदेश अधिनियम 20)
41. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (1960 का मध्य प्रदेश अधिनियम 20)
42. मद्रास खेतिहर अभिधारी संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का मद्रास अधिनियम 25)
43. मद्रास खेतिहर अभिधारी (उचित लगान संदाय) अधिनियम, 1956 (1956 का मद्रास अधिनियम 24)
44. मद्रास कुडीइरुपु अधिभोगी (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 38)
45. मद्रास लोक न्यास (कृषि भूमि प्रशासन विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 57)
46. मद्रास भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) अधिनियम, 1961 (1961 का मद्रास अधिनियम 58)
47. मैसूर अभिवृत्ति अधिनियम, 1952 (1952 का मैसूर अधिनियम 13)
48. कोड़गूअभिधारी अधिनियम, 1957 (1957 का मैसूर अधिनियम 14)
49. मैसूर ग्राम-पद उत्सादन अधिनियम, 1961 (1961 का मैसूर अधिनियम 14)
50. हैदराबाद अभिवृत्ति और कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1961 (1961 का मैसूर अधिनियम 36)
51. मैसूर भूमि सुधार अधिनियम, 1961 (1962 का मैसूर अधिनियम 10)
52. उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का उड़ीसा अधिनियम 16)
53. उड़ीसा विलीन राज्यक्षेत्र (ग्राम-पद उत्सादन) अधिनियम, 1963 (1963 का उड़ीसा अधिनियम 10)
54. पंजाब भू-धृति सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 10)

55. राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3)

56. राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 8)

57. कुमाऊं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 (1960 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 17)

58. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (1961 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 1)

59. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन अधिनियम, 1953 (1954 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 1)

60. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 (1956 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 10)

61. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 8)

62. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 24)

63. मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 33)

64. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 (1960 का केन्द्रीय अधिनियम 43)

स्पष्टीकरण- राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) के अधीन, अनुच्छेद 31क के खंड (1) के दूसरे परंतुक के उल्लंघन में किया गया अर्जन उस उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा।”।

संशोधन के पश्चात् न्यायिक निर्णय:

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1965 एससी 845- सत्रहवें संवैधानिक संशोधन की वैधता से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय ने 17वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद के पास मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग तीन सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966¹⁵²

विधायी इतिहास

संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966 जब 25 जुलाई, 1966 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब इसका नाम संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 था¹⁵³। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन करना था। यथापुरःस्थापित विधेयक पर, इसके खंड 1 में केवल एक औपचारिक संशोधन करके इसका संक्षिप्त नाम बदलकर “संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम” रखा गया और लोक सभा द्वारा 10 अगस्त, 1966 को इस पर विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया और राज्य सभा द्वारा 24 अगस्त, 1966 को इस पर विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया¹⁵⁴।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन की व्यवस्था की गई है। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के अधिनियमित होने के पूर्व, उस अनुच्छेद में शामिल अभिव्यक्ति “राज्यों” से भाग क राज्य, भाग ख राज्य और भाग ग राज्य अभिप्रेत थे। 1956 में संविधान के सातवें संशोधन द्वारा हमारे संविधान में वस्तुतः “संघ राज्यक्षेत्र” की अवधारणा पुरःस्थापित की गई परंतु “संघ राज्यक्षेत्र” को शामिल करने हेतु अनुच्छेद 3 में संशोधन नहीं किया गया। यह स्पष्ट करने के लिए कि उस अनुच्छेद के खंडों (क) से (ड) में (परंतु परंतुक में नहीं) “राज्य” में “संघ राज्यक्षेत्र” भी शामिल है, इस अनुच्छेद का संशोधन करना उचित समझा गया। यह स्पष्ट करना भी उचित समझा गया कि अनुच्छेद 3 के

152. 1966 का विधेयक संख्यांक 39; 25 जुलाई 1966 को विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सी.आर. पट्टाभि रमन द्वारा लोक सभा में संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 10 अगस्त 1966; राज्य सभा: 24 अगस्त 1966; राष्ट्रपति की अनुमति: 27 अगस्त 1966; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 29 अगस्त 1966; प्रारंभ की तारीख: 27 अगस्त 1966।

153. लोक सभा वाद-विवाद, 25 जून 1966, कॉलम 218।

154. वही, 10 अगस्त 1966, कॉलम 3998-4001; राज्य सभा वाद-विवाद, 24 अगस्त 1966, कॉलम 3926-3933।

खंड (क) में दी गई शक्ति में एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के हिस्से को दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में मिलाकर एक नया राज्य या संघ राज्यक्षेत्र बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंत में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह संशोधन किया गया है कि खंड (क) से (ड) में “राज्य” में संघ राज्यक्षेत्र शामिल है, परंतु परंतुक में “राज्य” में संघ राज्यक्षेत्र शामिल नहीं है।

अधिनियम एक और स्पष्टीकरण जोड़ता है कि खंड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर एक नया राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र बनाने की शक्ति सम्मिलित है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (अठारहवां संशोधन)

अधिनियम, 1966

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[27 अगस्त, 1966]

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966 है।
2. संविधान के अनुच्छेद 3 के अंत में निम्नलिखित अनुच्छेद 3 का स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्- संशोधन।

“स्पष्टीकरण 1- इस अनुच्छेद के खंड (क) से खंड (ड) में “राज्य” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र है, किंतु परंतुक में “राज्य” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है।”

“स्पष्टीकरण 2- खंड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर एक नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966¹⁵⁵

विधायी इतिहास

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 जो लोक सभा में संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 के नाम से पुरःस्थापित किया गया था, का आशय संविधान के अनुच्छेद 324 में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा में 29 अगस्त, 1966¹⁵⁶ को विचार-विमर्श किया गया और उसके पश्चात् 8, 9, 10 तथा 22 नवम्बर, 1966 को विचार किया गया तथा खण्ड 1 में केवल औपचारिक संशोधन करके इसका संक्षिप्त नाम “संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम”, रखते हुए इसे 22 नवम्बर 1966 को पारित किया गया¹⁵⁷। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 30 नवम्बर 1966¹⁵⁸ को विचार किया गया तथा पारित किया गया। विधेयक का खण्ड 2, मूल रूप में, लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा क्रमशः 22 तथा 30 नवम्बर 1966 को स्वीकृत किया गया¹⁵⁹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

1962 में भारत में हुए तीसरे आम चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक सिफारिश, जिसे सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, निर्वाचन न्यायाधिकरणों की समाप्ति और उच्च न्यायालयों में निर्वाचन याचिकाओं पर सुनवाई करने से संबंधित थी। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने संबंधी विधान के प्रस्ताव, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचन न्यायाधिकरणों के बजाय उच्च न्यायालयों

155. 1966 का विधेयक संख्यांक 57; संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में विधि मंत्री श्री जी.एस. पाठक द्वारा लोक सभा में 29 अगस्त 1966 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 8, 9, 10 और 22 नवम्बर 1966; राज्य सभा: 30 नवम्बर 1966; राष्ट्रपति की अनुमति: 11 दिसंबर 1966; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 11 दिसंबर 1966; प्रारंभ की तारीख: 11 दिसंबर 1966।

156. लोक सभा वाद-विवाद, 29 अगस्त 1966, कॉलम 7727।

157. लोक सभा वाद-विवाद, 22 नवम्बर 1966, कॉलम 4708-4711।

158. राज्य सभा वाद-विवाद, 30 नवम्बर 1966, कॉलम 3349-3358।

159. लोक सभा वाद-विवाद, 22 नवम्बर 1966, कॉलम 4707-4708; राज्य सभा वाद-विवाद, 30 नवम्बर 1966, कॉलम 3345-3349।

द्वारा निर्वाचन याचिकाओं पर सुनवाई करने का प्रावधान अंतर्विष्ट हो, को संसद द्वारा स्वीकृत किया जाना हो तो “संसद के तथा राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरणों की नियुक्ति भी सम्मिलित है” शब्दों का लोप करने के प्रयोजन से संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (1) में लघु संशोधन करना आवश्यक है।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होने संबंधी उपबंध किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड (1) में संशोधन किया गया है। तदनुसार, संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरणों को नियुक्ति की शक्ति से संबंधित उपबंध का अब लोप कर दिया गया है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (उन्नीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1966

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[11 दिसम्बर, 1966]

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम।	1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 है।
अनुच्छेद 324 का संशोधन।	2. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (1) में आने वाले “जिसके अंतर्गत संसद के तथा राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन-न्यायाधिकरणों की नियुक्ति भी है,” शब्दों का लोप किया जाएगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966¹⁶⁰

विधायी इतिहास

संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 ने चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1966 एससी 1987 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका में की गई नियुक्तियों को अवैध ठहराने के आलोक में संविधान में एक नया प्रावधान, अनुच्छेद 233क जोड़ा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए थे।

संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966, जब 25 नवम्बर, 1966 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया तब इसका नाम "संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक, 1966" था¹⁶¹। विधेयक का आशय संविधान में एक नया अनुच्छेद 233क अंतःस्थापित करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 3 दिसम्बर 1966 को विधेयक के संक्षिप्त नाम में तथा प्रस्थापित नये अनुच्छेद 233क में "तेईसवां" शब्द के स्थान पर "बीसवां" शब्द रखने वाले केवल औपचारिक संशोधनों के साथ विचार किया गया तथा उसे पारित किया गया¹⁶²। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 9 दिसम्बर 1966 को विचार किया गया तथा उसे पारित किया गया¹⁶³।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा इस आधार पर अविधिमान्य और अवैध कर दी गईं कि ऐसी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 233 के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई थीं। उच्चतम न्यायालय ने अन्य एक यह भी निर्णय दिया कि अनुच्छेद 233 के अधीन किसी जिला न्यायाधीश की तैनाती की शक्ति के

160. 1966 का विधेयक संख्यांक 89; संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक के रूप में गृह मंत्री श्री वाई.बी. चव्हाण द्वारा 25 नवंबर 1966 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 3 दिसंबर 1966; राज्य सभा: 9 दिसंबर 1966; राष्ट्रपति की अनुमति: 22 दिसंबर 1966; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 23 दिसंबर 1966; प्रारंभ की तारीख: 22 दिसंबर 1966।

161. लोक सभा वाद-विवाद, 25 नवंबर 1966, कॉलम 5666, 5681।

162. वही, 3 दिसंबर 1966, कॉलम 7318-7335।

163. राज्य सभा वाद-विवाद, 9 दिसंबर 1966, कॉलम 5290-5296।

अंतर्गत ऐसे न्यायाधीश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित किए जाने की शक्ति नहीं आती है और यह कि जिला न्यायाधीश को अंतरित करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित है। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप, एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि इन जिला न्यायाधीशों द्वारा पारित या दिए गए निर्णयों, डिक्लरेशनों, आदेशों और दंडादेशों की विधिमान्यता पर संदेह व्यक्त किया गया तथा उनकी विधिमान्यता को चुनौती देने संबंधी अनेक रिट याचिकाएं और अन्य मामले दायर किए गए। उत्तर प्रदेश में जिला न्यायालयों का कार्यकरण व्यावहारिक रूप से रुक गया। अतः, उन राज्यों में ऐसे सभी जिला न्यायाधीशों द्वारा इससे पूर्व पारित या दिए गए निर्णयों, डिक्लरेशनों, आदेशों और दंडादेशों, तथा केवल उन्हीं थोड़े से जिला न्यायाधीशों को छोड़कर जो अनुच्छेद 233 के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे, ऐसे अन्य जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति और अंतरण को विधिमान्यता प्रदान किया जाना आवश्यक था। इस विधेयक का आशय उक्त प्रस्तावों को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम में एक नए अनुच्छेद 233क को अंतःस्थापित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 233 अथवा 235 के उपबंधों के अनुसरण से अन्यथा उन जिला न्यायाधीशों जिन्हें किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त, तैनात, पदोन्नत अथवा अंतरित किया गया हो, की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि को मान्य समझा जाएगा। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (बीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1966

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[22 दिसम्बर, 1966]

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 233 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— नये अनुच्छेद 233क का अंतःस्थापन।

"233क.—किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश होते हुए भी,— कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किये गये निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण।

(क) (i) उस व्यक्ति की जो राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से ही है या उस व्यक्ति की, जो कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, उस राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की बाबत, और

(ii) ऐसे व्यक्ति की जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत, जो संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारंभ से पहले किसी समय अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार न करके अन्यथा किया गया है, केवल इस तथ्य के कारण कि ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अन्तरण उक्त उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था;

(ख) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में

अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार न करके अन्यथा नियुक्त, पदस्थापित, प्रोन्नत या अंतरित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ से पहले प्रयुक्त अधिकारिता, पारित किए गए या दिए गए निर्णय, डिक्री, दंडादेश या आदेश और किए गए अन्य कार्य या कार्यवाही की बाबत, केवल इस तथ्य के कारण कि ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अन्तरण उक्त उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या अविधिमान्य है या कभी भी अवैध या अविधिमान्य रहा था।"



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967¹⁶⁴

विधायी इतिहास

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967 राज्य सभा में 20 मार्च 1967 को पुरःस्थापित किया गया¹⁶⁵। विधेयक का आशय संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना था। विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 4 अप्रैल 1967 को विचार किया गया तथा उसी दिन उसको मूल रूप में पारित किया गया¹⁶⁶। राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर लोक सभा द्वारा 7 अप्रैल 1967 को विचार किया गया तथा उसे पारित किया गया¹⁶⁷।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

सिंधी-भाषी लोग सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की निरंतर मांग कर रहे थे। यद्यपि सिंधी किसी सु-परिभाषित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा नहीं थी, यह अविभाजित भारत के किसी प्रान्त की भाषा थी तथा विभाजन नहीं होने की स्थिति में उस प्रांत की भाषा बनी रहती। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त ने भी सिंधी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की। 4 नवम्बर 1966 को सरकार द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के निर्णय की घोषणा की गई। इस विधेयक का आशय इस निर्णय को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

“सिंधी” को एक भाषा के रूप में आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। (धारा 2)

164. 1967 का विधेयक संख्यांक 1; 20 मार्च 1967 को गृह मंत्री, श्री वाई.बी. चव्हाण द्वारा राज्य सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, राज्य सभा: 4 अप्रैल 1967; लोक सभा: 7 अप्रैल 1967; राष्ट्रपति की अनुमति: 10 अप्रैल 1967; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 10 अप्रैल 1967; प्रारंभ की तारीख: 10 अप्रैल 1967।

165. राज्य सभा वाद-विवाद, 20 मार्च 1967, कॉलम 177।

166. वही, 4 अप्रैल 1967, कॉलम 2153।

167. लोक सभा वाद-विवाद, 7 अप्रैल 1967, कॉलम 3616।

संशोधन का पाठ

संविधान (इक्कीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1967

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[10 अप्रैल, 1967]

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967 है ।

आठवीं अनुसूची
का संशोधन ।

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में—

(क) प्रविष्टि 12 से 14 तक को क्रमशः प्रविष्टि 13 से 15 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा; और

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि "13" से पूर्व प्रविष्टि "12. सिंधी" अंतःस्थापित की जाएगी ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969¹⁶⁸

विधायी इतिहास

संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 लोक सभा में 10 अप्रैल 1969 को पुरःस्थापित किया गया था¹⁶⁹। विधेयक में (एक) अनुच्छेद 275 का संशोधन करने और (दो) संविधान में नये अनुच्छेद 244क और 371ख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 15 अप्रैल 1969 को विचार किया गया तथा उसे मूल रूप में पारित किया गया और राज्य सभा द्वारा विधेयक पर 30 अप्रैल 1969 को विचार किया गया तथा उसे पारित किया गया¹⁷⁰।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत सरकार ने 11 सितम्बर 1968 को असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य बनाने की मुख्य बातों की घोषणा की जिसके अनुसार संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में संलग्न सारणी के भाग-क में विनिर्दिष्ट कतिपय क्षेत्र समाविष्ट होंगे। विधेयक के खंड 2 का आशय स्वशासी राज्य बनाने के लिए विधि अधिनियमित करने और स्वशासी राज्य में ऐसी शक्तियों और कृत्यों, जो उस विधि द्वारा परिभाषित हों, के साथ विधानमंडल और मंत्रिपरिषद् का उपबंध करने के लिए संसद को आवश्यक विधायी शक्ति सौंपने के लिए संविधान में नए अनुच्छेद 244क का अंतःस्थापन करना है।

विधेयक के खंड 3 में असम राज्य के उन क्षेत्रों के संबंध में, जो स्वशासी राज्य का भाग बन सके, देय कतिपय विशेष अनुदानों के बारे में अनुच्छेद 275 में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव था।

168. 1969 का विधेयक संख्यांक 34; लोक सभा में गृह मंत्री, श्री वाई.बी. चव्हाण द्वारा 10 अप्रैल 1969 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 15 अप्रैल 1969; राज्य सभा: 30 अप्रैल 1969; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षा के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधान मंडलों अर्थात् असम, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 25 सितम्बर 1969; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 26 सितम्बर 1969; प्रारंभ की तारीख: 25 सितम्बर 1969।

169. लोक सभा वाद-विवाद, 10 अप्रैल 1969, कॉलम 180; संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1968 भी देखिए।

170. वही, 15 अप्रैल 1969, पृ. 277; राज्य सभा वाद-विवाद, 30 अप्रैल 1969, कॉलम 780।

विधेयक के खंड 4 में असम विधान सभा की एक समिति के गठन, जिसमें उस विधान सभा के उपर्युक्त जनजातीय क्षेत्रों के सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्य शामिल हों, का प्रस्ताव था, जैसी कि योजना में परिकल्पना की गई थी।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान में एक नए अनुच्छेद 244क को अंतःस्थापित किया गया है जिससे असम राज्य के अंतर्गत स्वशासी राज्य की स्थापना हेतु और उस स्वशासी राज्य के लिए ऐसी शक्तियों और कृत्य सहित, जो उस विधि द्वारा परिभाषित हों, एक विधानमंडल और एक मंत्रिपरिषद् या दोनों के उपबंध के लिए भी विधि अधिनियमित करने हेतु संसद को आवश्यक शक्तियां प्रदान की गई हैं। (धारा 2)

धारा 3 द्वारा स्वशासी राज्य को अनुच्छेद 244क के अधीन राज्य से ही देय राशि और अनुदानों के संबंध में अनुच्छेद 275 में पारिणामिक संशोधन किया गया है।

धारा 4 में नया अनुच्छेद 371ख अंतःस्थापित किया गया है जिसमें असम राज्य की विधान सभा की एक समिति, जिसमें छठी अनुसूची के पैरा 20 में संलग्न तालिका के भाग-क में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्य और उस विधान सभा के अन्य इतने सदस्य, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हों, के गठन और कृत्य का उपबंध है।

संशोधन का पाठ

संविधान (बाईसवां संशोधन)

अधिनियम, 1969

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[25 सितम्बर, 1969]

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के पश्चात् नये अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, 244क का अर्थात्— अंतःस्थापन।

"244क. (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य बना सकेगी, जिसमें छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग क में विनिर्दिष्ट सभी या कोई जनजाति क्षेत्र (पूर्णतः या भागतः) समाविष्ट होंगे और उसके लिए— असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय

(क) उस स्वशासी राज्य के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नामनिर्देशित और भागतः निर्वाचित निकाय का, या विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन।

(ख) मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विधि, विशिष्टतया,—

(क) राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित वे विषय

विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में स्वशासी राज्य के विधानमंडल को संपूर्ण स्वशासी राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति, असम राज्य के विधानमंडल का अपवर्जन करके या अन्यथा, होगी;

(ख) वे विषय परिनिश्चित कर सकेगी जिन पर उस स्वशासी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा;

(ग) यह उपबंध कर सकेगी कि असम राज्य द्वारा उद्ग्रहित कोई कर स्वशासी राज्य को वहां तक सौंपा जाएगा जहां तक उसके आगम स्वशासी राज्य से प्राप्त हुए माने जा सकते हैं;

(घ) यह उपबंध कर सकेगी कि इस संविधान के किसी अनुच्छेद में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत स्वशासी राज्य के प्रति निर्देश है; और

(ङ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपबंध कर सकेगी, जो आवश्यक समझे जाएं।

(3) पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि का कोई संशोधन, जहां तक वह संशोधन खंड (2) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित है, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वह संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले कम-से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है।

(4) इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।"

अनुच्छेद 275 का संशोधन।

3. संविधान के अनुच्छेद 275 में, खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(1क) अनुच्छेद 244क के अधीन स्वशासी राज्य के बनाए जाने की तारीख को, और से—

(i) खंड (1) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के अधीन संदेय कोई राशियां स्वशासी राज्य को उस दशा में संदत्त की जाएंगी जब उसमें निर्दिष्ट सभी जनजाति क्षेत्र उस स्वशासी राज्य में समाविष्ट हों और यदि स्वशासी राज्य में उन जनजाति क्षेत्रों में से केवल कुछ ही समाविष्ट हों तो वे राशियां असम राज्य और स्वशासी राज्य के बीच ऐसे प्रभाजित की जाएंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ii) स्वशासी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उन विकास स्कीमों के खर्चों के बराबर हैं जिन्हें स्वशासी राज्य के प्रशासन स्तर को शेष असम राज्य के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए स्वशासी राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए।"

4. संविधान के अनुच्छेद 371क के पश्चात् निम्नलिखित नए अनुच्छेद 371ख
अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— का अंतःस्थापन।

"371ख. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, असम राज्य के
राष्ट्रपति, असम राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस संबंध में विशेष
राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के उपबंध।
लिए, जो समिति छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी
के भाग 1 में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान
सभा के सदस्यों से और उस विधान सभा के उतने अन्य
सदस्यों से मिलकर बनेगी जितने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं
तथा ऐसी समिति के गठन और उसके उचित कार्यकरण के
लिए उस विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले
उपांतरणों के लिए उपबंध कर सकेगा।"



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969¹⁷¹

विधायी इतिहास

संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक, 1969 लोक सभा में 21 अगस्त 1969 को पुरःस्थापित किया गया था¹⁷²। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 333 और 334 का संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 8 और 9 दिसम्बर, 1969 को विचार किया गया तथा 9 दिसम्बर 1969 को इसे मूल रूप में पारित किया गया¹⁷³। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 16 और 17 दिसम्बर 1969 को विचार किया गया तथा 17 दिसम्बर 1969 को पारित किया गया¹⁷⁴।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 334 में यह उपबंध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से तथा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व से संबंधित संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ से बीस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएंगे। यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने पिछले बीस वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी वे कारण अभी भी विद्यमान हैं जिनको ध्यान में रख कर संविधान सभा ने स्थानों के पूर्वोक्त आरक्षण तथा सदस्यों के नामनिर्देशन के संबंध में उपबंध किया था। अतः यह प्रस्ताव किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों के नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व को अगले दस वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जाए।

171. 1969 का विधेयक संख्यांक 78; 21 अगस्त, 1969 को विधि मंत्री, श्री गोविन्द मेनन द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 8 और 9 दिसम्बर 1969; राज्य सभा: 16 और 17 दिसम्बर 1969; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधान मंडलों अर्थात् असम, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 23 जनवरी 1970; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 23 जनवरी 1970; प्रारंभ की तारीख: 23 जनवरी 1970।

172. लोक सभा वाद-विवाद, 21 अगस्त 1969, कॉलम 270।

173. वही, 9 दिसंबर 1969, कॉलम 416।

174. राज्य सभा वाद-विवाद, 17 दिसंबर 1969, कॉलम 4648।

नागालैंड राज्य, जो 1963 में अस्तित्व में आया था, की 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातीय है। यह विचित्र बात थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानमंडलों में आरक्षण का उपबंध उन राज्यों के विधानमंडलों के लिए किया जाए जहां उनका बहुमत है। अतः यह प्रस्ताव किया गया था कि नागालैंड सरकार की इच्छानुसार नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण न तो लोक सभा में किया जाए और न ही राज्य विधान सभा में। इस प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह राज्य विधान सभा के लिए कितने आंग्ल-भारतीयों को नामनिर्दिष्ट करे। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि इस अनुच्छेद का संशोधन किया जाए ताकि यह उपबंध किया जा सके कि राज्यपाल द्वारा किसी राज्य विधान सभा में एक से अधिक आंग्ल-भारतीय नामनिर्दिष्ट नहीं किया जा सके। इस संशोधन के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि विद्यमान विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उनका विघटन नहीं हो जाता है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन किए गए हैं ताकि नागालैंड में लोक सभा और राज्य विधान सभा, दोनों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को समाप्त करने का उपबंध किया जाए। (धारा 2 और 3)

धारा 4 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 333 का संशोधन किया गया है जिसके द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य की विधान सभा के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय का एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने का उपबंध किया गया है यदि उसकी राय में विधान सभा में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है।

धारा 5 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 का संशोधन किया गया है जिसके द्वारा लोक सभा में तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नामांकन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अगले 10 वर्ष तक जारी रखने का उपबंध किया गया है।

संशोधन का पाठ

संविधान (तेईसवां संशोधन)

अधिनियम, 1969

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[23 जनवरी, 1970]

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 है ।

अनुच्छेद 330 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 330 के खंड (1) के उपखंड (ख) में, "असम के जनजातीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर" शब्दों के स्थान पर "असम और नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, अन्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 332 का
संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 332 के खंड (1) के उपखंड (ख) में, "असम के जनजातीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर" शब्दों के स्थान पर "असम और नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, अन्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 333 का
संशोधन ।

4. (1) संविधान के अनुच्छेद 333 में "उस विधान सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य, वह समुचित समझे, नामनिर्देशित कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "उस विधान सभा में उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात से किसी राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के इस अधिनियम के

प्रारंभ के समय विद्यमान किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न पड़ेगा जब तक उस सभा का विघटन न हो जाए।

5. संविधान के अनुच्छेद 334 में, "बीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 334 का संशोधन।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971¹⁷⁵

विधायी इतिहास

आई. सी. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1967 एससी 1643 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद के पास संविधान के भाग III में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, जिससे मौलिक अधिकारों को वापस लिया जा सके या न्यून किया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग III सहित संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन करने के लिए संसदीय अधिकार को बरकरार रखा गया था।

संसद ने संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह संविधान के भाग III में शामिल किसी भी हिस्से में संशोधन कर सके। इस संशोधन ने इसे प्रभावी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 13 में एक नया खंड (4) जोड़ा। संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 लोक सभा में 28 जुलाई 1971 को पुरःस्थापित किया गया था¹⁷⁶। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 13 और 368 का संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 3 और 4 अगस्त 1971 को विचार किया गया तथा 4 अगस्त 1971 को इसे मूल रूप में पारित किया गया¹⁷⁷। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 10 और 11 अगस्त 1971 को विचार किया गया तथा 11 अगस्त 1971 को पारित किया गया¹⁷⁸।

175. 1971 का विधेयक संख्यांक 105; 28 जुलाई 1971 को विधि और न्याय मंत्री, श्री एच. आर. गोखले द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 3 और 4 अगस्त 1971; राज्य सभा: 10 और 11 अगस्त 1971; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 5 नवम्बर 1971; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 5 नवम्बर 1971; प्रारंभ की तारीख: 5 नवम्बर 1971।

176. लोक सभा वाद-विवाद, 28 जुलाई 1971, कॉलम 292।

177. वही, 4 अगस्त 1971, कॉलम 426।

178. राज्य सभा वाद-विवाद, 11 अगस्त 1971, कॉलम 316।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

उच्चतम न्यायालय ने सुविख्यात *गोलक नाथ* मामले [1967, 2 एस.सी.आर. 762] में अल्प बहुमत द्वारा अपने ही उन पूर्व विनिश्चयों को उलट दिया जिसमें संविधान के सभी भागों जिनमें मूल अधिकारों से संबद्ध भाग-तीन भी है, को संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की गई थी। इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि संसद को अब संविधान के भाग-तीन द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों में से किसी अधिकार को छीन लेने या घटाने की शक्ति नहीं है चाहे ऐसा करना राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए और संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। अतः स्पष्ट रूप से यह उपबंध करना आवश्यक समझा गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन करने की शक्ति है ताकि भाग-तीन के उपबंधों को संशोधनकारी शक्ति की परिधि के भीतर लाया जा सके। विधेयक का आशय यह स्पष्ट करने के प्रयोजन से अनुच्छेद 368 का उपयुक्त रूप से संशोधन करना था कि अनुच्छेद 368 में संविधान के साथ-साथ उससे संबंधित प्रक्रिया में संशोधन का भी उपबंध है। विधेयक में यह भी उपबंध किया गया है कि जब संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वे उस पर अपनी अनुमति दें। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 13 का भी संशोधन करना है ताकि वह इस अनुच्छेद के उपबंध अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होने पाए।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

संविधान के अनुच्छेद 13 में एक नया खंड (4) अंतः स्थापित किया गया है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 13 के उपबंध अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होंगे। (धारा 2)

इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से यह उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 368 का संशोधन किया गया है कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित करने की शक्ति है। संशोधन में यह भी उपबंध किया गया है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वे उस पर अपनी अनुमति दें। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (चौबीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1971

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[5 नवम्बर, 1971]

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 है ।

अनुच्छेद 13 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 13 में, खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी ।”

अनुच्छेद 368 का
संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 368 को उसके खंड (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और

(क) उस अनुच्छेद के पार्श्व-शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व-शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया ।”

(ख) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (2) के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में

संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।"

(ग) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (2) में "तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाएगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर "वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(3) अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।"

संशोधन पश्चात् न्यायिक निर्णय:

24वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को ऐतिहासिक *केशवानंद भारती* बनाम *केरल राज्य* केस, एआईआर 1973 एससी 1461 के मामले में चुनौती दी गई थी, जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से *आई.सी. गोलक नाथ* बनाम *पंजाब राज्य*, एआईआर 1967 एससी 1643 मामले में प्रतिपादित कानून को खारिज कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले में यह निर्णय दिया था कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ के अन्तर्गत विधि नहीं है और यह कि मौलिक अधिकारों से युक्त भाग III सहित संविधान का कोई भी भाग संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने "संविधान की मूल संरचना" के मौलिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके द्वारा संविधान के कुछ प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता था। न्यायालय द्वारा मूल संरचना की विस्तृत व्याख्या नहीं की गई थी, लेकिन केस-टू-केस आधार पर तय किया जाना था। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करते समय संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करती है न कि अपनी साधारण या सामान्य विधायी शक्तियों का और इसलिए अनुच्छेद 13 (2) के अर्थ के भीतर "कानून" नहीं आता है। ऐसी संघटक शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद इस शर्त के अधीन मौलिक अधिकार में संशोधन या संक्षिप्तीकरण कर सकती है कि ऐसा संक्षेपण संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971¹⁷⁹

विधायी इतिहास

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 ने बैंक राष्ट्रीयकरण वाद के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 31 में कई परिवर्तन किए। इस संशोधन द्वारा 'क्षतिपूर्ति' शब्द के स्थान पर 'राशि' शब्द प्रतिस्थापित किया गया। संशोधन में आगे यह विनिर्दिष्ट किया गया कि किसी भी कानून को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाना चाहिए, कि राज्य द्वारा यथा अर्जित संपत्ति हेतु विनिर्धारित राशि पर्याप्त नहीं थी। संशोधन का आशय संविधान के भाग III पर अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को प्रधानता देना था।

आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ, एआईआर 1970 एससी 564, जिसे बैंक राष्ट्रीयकरण मामले के रूप में भी जाना जाता है, 1969 में 11 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न हुआ था। बैंकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए संबंधित कानून में निर्धारित सिद्धांतों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें समुचित क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 10 के मुकाबले 1 के बहुमत से संबंधित कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि संविधान अनिवार्य रूप से अर्जित संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 31 खंड (2) के तहत मुआवजे की गारंटी का उल्लंघन किया। संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971, 28 जुलाई 1971¹⁸⁰ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक का आशय: (i) अनुच्छेद 31 में संशोधन करना व (ii) संविधान में एक नया अनुच्छेद 31ग अंतःस्थापित करना था। विधेयक पर 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोक सभा द्वारा विचार किया गया और संशोधित रूप में,

179. 1971 का विधेयक संख्यांक 106; 28 जुलाई 1971 को विधि और न्याय मंत्री, श्री एच.आर. गोखले द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 30 नवम्बर और 1 दिसम्बर 1971; राज्य सभा: 7 और 8 दिसम्बर 1971; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मैसूर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित: राष्ट्रपति की अनुमति: 20 अप्रैल 1972; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 20 अप्रैल 1972; प्रारंभ की तारीख: 20 अप्रैल 1972।

180. लोक सभा वाद-विवाद, 28 जुलाई 1971, कॉ. 308।

1 दिसंबर 1971¹⁸¹ को पारित किया गया। लोक सभा द्वारा पारित विधेयक पर 7 और 8 दिसंबर को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और 8 दिसंबर 1971¹⁸² को पारित किया गया। विधेयक के खंड 1 और 3 को, मूल रूप में, क्रमशः 1 और 8 दिसंबर 1971 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था¹⁸³।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 31 में विशेष रूप से यह उपबंध है कि यदि किसी विधि में संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण का, ऐसी राशि के बदले जो उस विधि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाए तथा ऐसी रीति से दी जाए जो उस विधि में विनिर्दिष्ट हों, उपबंध है तो ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि विधि द्वारा अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है। बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले (1970, 3 एस.सी.आर. 530) में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिर्धारित किया था कि संविधान द्वारा क्षतिपूर्ति के अधिकारी की गारंटी दी गई है अर्थात् अनिवार्यतः अर्जित की गई संपत्ति के बराबर धनराशि प्रदान किए जाने का उपबंध है। अतः, क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता और क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करने के लिए विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों की प्रासंगिकता वाद-योग्य बन गई थी क्योंकि न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर सकता है कि क्या संपत्ति के मालिक को अदा की गई राशि संपत्ति के बदले में मुआवजे के रूप में उपयुक्त मानी जा सकती है। इसी मामले में न्यायालय ने यह भी विनिर्धारित किया था कि ऐसी विधि को जिसके द्वारा संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हो, उसे अनुच्छेद 19 (1) (च) की अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगा।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त निर्वचन द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान को संशोधित करना था। अनुच्छेद 31(2) से "क्षतिपूर्ति" शब्द का लोप किया गया तथा उसके स्थान पर "राशि" शब्द प्रतिस्थापित किया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि उक्त राशि नकदी के स्थान पर अन्य प्रकार से दी जा सकती है। विधेयक में इस बात का भी उपबंध है कि अनुच्छेद 19 (1) (च) ऐसी किसी विधि पर लागू नहीं किया जाएगा, जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संपत्ति के अर्जन और अधिग्रहण से संबंधित है। विधेयक का आशय आगे एक नए अनुच्छेद 31ग को पुरःस्थापित करना था जिसमें यह उपबंध किया गया था कि अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली यदि कोई विधि पारित की जाती है और इस संबंध में उसमें कोई घोषणा भी शामिल है तो ऐसी विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14,

181. लो.स.वा.वि., 1 दिसम्बर 1971, कॉ. 524।

182. राज्य सभा वाद-विवाद, 8 दिसम्बर 1971, कॉ. 192।

183. लोक सभा वाद-विवाद, 1 दिसम्बर 1971, कॉ. 505-506; राज्य सभा वाद-विवाद, 8 दिसम्बर 1971, कॉ. 173-177।

19 या 31 में निहित अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस आधार पर भी प्रश्रुत नहीं की जाएगी कि वह उन तत्वों को प्रभावी नहीं करती है। यह आवश्यक है कि इस उपबंध को राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के मामले में लागू करने हेतु संगत विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए और उनकी अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

इस अधिनियम ने अनुच्छेद 31 का संशोधन किया है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 31(2) में "क्षतिपूर्ति" शब्द को "राशि" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ताकि किसी ऐसी विधि पर जो किसी संपत्ति के अनिवार्यतः अर्जन अथवा अधिग्रहण के लिए उपबंध करती है, किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति न की जा सके कि इस प्रकार नियत अथवा अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त राशि नकदी के स्थान पर अन्य प्रकार से भी दी जा सकती है। तथापि, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने से संबंधित विधि तैयार करते समय, राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसी विधि द्वारा नियत या अवधारित राशि अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार को निर्बन्धित नहीं करे। अनुच्छेद 31 में अंतःस्थापित नया खंड 2(ख) यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 19(1)(च), जो संपत्ति रखने और बेचने के अधिकार की गारंटी देता है ऐसी किसी विधि पर लागू नहीं किया जाए जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संपत्ति के अर्जन अथवा अधिग्रहण से संबंधित है। (धारा 2)

नये अंतःस्थापित अनुच्छेद 31ग में यह उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 39(ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट राज्य की नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली कोई भी विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 का उल्लंघन करती है तथा किसी ऐसी विधि की, जिसमें यह घोषणा हो कि वह इन निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए हैं, इस आधार पर न्यायिक संवीक्षा नहीं की जाएगी कि वह इन निदेशक तत्वों को प्रभावी नहीं करती है। इस उपबंध को राज्य विधियों के मामले में लागू करने हेतु यह आवश्यक है कि संगत विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया हो और उनकी अनुमति प्राप्त की गयी हो। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (पच्चीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1971

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[20 अप्रैल, 1972]

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 है ।

अनुच्छेद 31 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 31 में—

(क) खण्ड (2क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड
प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“(2) कोई संपत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ही और केवल ऐसी विधि के प्राधिकार से अनिवार्यतः अर्जित या अधिगृहीत की जाएगी, जो संपत्ति के अर्जन या अधिग्रहण का, ऐसी राशि के बदले, जो उस विधि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाए और ऐसी रीति से दी जाये जो उस विधि में विनिर्दिष्ट हो, उपबन्ध करती है; और ऐसी किसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि इस प्रकार नियत या अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है अथवा ऐसी पूरी राशि या उसका कोई भाग नकद न दिया जाकर अन्यथा दिया जाना है:

परन्तु अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबन्ध करने से सम्बद्ध विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी

संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि के अधीन जो राशि नियत या अवधारित की जाए, वह ऐसी हो जो उस खण्ड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार को निबन्धित या निराकृत न करे।"

(ख) खण्ड (2क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(2ख) अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (च) की कोई बात किसी ऐसी विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो खंड (2) में निर्दिष्ट है।"

3. संविधान के अनुच्छेद 31ख के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— नए अनुच्छेद 31ग का अंतःस्थापन।

"31ग. अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो अनुच्छेद 39 के खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है, और कोई विधि, जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है: कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।

परन्तु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनायी जाती है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गयी है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गयी है।"

संशोधन पश्चात् न्यायिक विनिर्णयन:

25वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को *केशवानंद भारती* बनाम *केरल राज्य*, एआईआर 1973 एससी 1461 में चुनौती दी गई थी, जिसमें तेरह-न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से माना था कि संसद के पास संविधान के किसी भी खंड में संशोधन करने का अधिकार है, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता हो।

शीर्षस्थ न्यायालय ने 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रथम भाग (खंड 2) को अधिकारान्तर्गत और दूसरे भाग (खंड 3) को अधिकारातीत माना।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971¹⁸⁴

विधायी इतिहास

संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 का उद्देश्य पूर्ववर्ती रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स (निजी थैलियों) और अन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करना था।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक में, संसद ने पूर्ववर्ती शासकों को दिए गए निजी थैली और अन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करने पर विचार किया, जिसे 2 सितंबर, 1970 को लोक सभा द्वारा विधिवत पारित किया गया। हालांकि विधेयक 5 सितंबर, 1970 को राज्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत के वांछित बहुमत से एक मत कम मिलने के कारण पारित नहीं हो सका।

7 सितंबर, 1970 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 366(22) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन रियासतों के सभी शासकों की मान्यता रद्द करने का सर्वव्यापी आदेश पारित किया। इस आदेश की वैधता को *माधव राव सिंधिया* बनाम *भारत संघ*, एआईआर 1971 एससी 530 वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने माना कि 6 सितंबर, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश, जिसके तहत विभिन्न शासकों की मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें प्रिवी पर्स मिलना बंद हो गया और उनके व्यक्तिगत विशेषाधिकार जारी रहे, अवैध थे और इस कारण निष्क्रिय थे। उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता प्रिवी पर्स के अधिकार सहित अपने सभी पहले से मौजूद अधिकारों और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे। इसके बाद, राज्य को पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त करने में सक्षम बनाने के लिए संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 लागू किया गया था।

184. 1971 का विधेयक संख्यांक 112; प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 9 अगस्त 1971 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 1 और 2 दिसम्बर 1971; राज्य सभा: 7, 8 और 9 दिसम्बर 1971; राष्ट्रपति की अनुमति: 28 दिसम्बर 1971; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 29 दिसम्बर 1971; प्रारंभ की तारीख: 28 दिसम्बर 1971।

संविधान (छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 1971, 9 अगस्त, 1971 को लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया¹⁸⁵। विधेयक का आशय संविधान में (एक) अनुच्छेद 291 और 362 का लोप करना; (दो) एक नया अनुच्छेद 363क अंतःस्थापित करना; और (तीन) अनुच्छेद 366 में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 1 और 2 दिसम्बर, 1971 को विचार किया गया और 2 दिसम्बर, 1971 को इसे मूल रूप में पारित किया गया¹⁸⁶। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 7, 8 और 9 दिसम्बर, 1971 को विचार किया गया और इसे 9 दिसम्बर, 1971 को पारित किया गया¹⁸⁷।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

वर्तमान कृत्यों और सामाजिक हितों से असम्बद्ध निजी थैलियों तथा विशेषाधिकारों सहित शासक संबंधी धारणा समतावादी धारणा के परस्पर विरोधी थी। इसलिए सरकार ने भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का फैसला किया। इस प्रयोजन के लिए यह जरूरी था कि संविधान के सम्बद्ध उपबंधों में संशोधन करने के अलावा उसमें एक नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए ताकि ऐसे शासकों को पहले से दी गई मान्यता और निजी थैलियों को समाप्त करने और निजी थैलियों से संबंधित सभी अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं को स्पष्ट रूप से समाप्त किया जा सके। अतः, यह विधेयक प्रस्तुत किया गया।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

अधिनियम की धारा 2 ने संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 का लोप किया है जो क्रमशः शासकों की निजी थैली की राशि और देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार से संबंधित है। धारा 3 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 363 के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 363क अंतःस्थापित किया गया है। नए अनुच्छेद 363क में यह उपबंध किया गया है कि संविधान में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते भी ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति, जिसे संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, या ऐसा व्यक्ति, जिसे ऐसे प्रारम्भ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता-प्राप्त थी, ऐसे प्रारम्भ को और से ऐसे शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं रह जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के प्रारम्भ को और से निजी थैली का अन्त किया जाता है और निजी थैली की बाबत सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं निर्वापित की जाती हैं और तदनुसार,

185. लोक सभा वाद-विवादः 9 अगस्त 1971, कॉ. 262; संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1970 भी देखें।

186. पूर्वोक्त, 2 दिसम्बर 1971, कॉ. 262।

187. राज्य सभा वाद-विवाद, 9 दिसम्बर 1971, कॉ. 152।

यथास्थिति शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी को या अन्य व्यक्ति को किसी राशि का निजी थैली के रूप में संदाय नहीं किया जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 22 में "शासक" की मौजूदा परिभाषा के स्थान पर एक नई परिभाषा प्रतिस्थापित की गई है। नई परिभाषा के अनुसार, अब "शासक" से अभिप्रेत है ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ से पहले किसी समय, राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे, ऐसे प्रारम्भ से पहले किसी समय, राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। (धारा 4)

संशोधन का पाठ

संविधान (छब्बीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1971

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[28 दिसम्बर, 1971]

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 है ।

अनुच्छेद 291
और 362 का
लोप किया जाना ।
नए अनुच्छेद
363क का
अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 का लोप किया जाएगा ।

3. संविधान के अनुच्छेद 363 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

देशी राज्यों के
शासकों को दी
गयी मान्यता की
समाप्ति और निजी
थैलियों का अंत ।

“363क. इस संविधान का तत्समय प्रवृत्त किसी देशी राज्यों विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(क) ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति, जिसे संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, या ऐसा व्यक्ति, जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ऐसे प्रारंभ को और से ऐसे शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं रह जाएगा;

(ख) संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ को और से निजी थैली का अंत किया जाता है और

निजी थैली की बाबत सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं निर्वापित की जाती हैं और तदनुसार, खंड (क) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी को या अन्य व्यक्ति को किसी राशि का निजी थैली के रूप में संदाय नहीं किया जाएगा।"

4. संविधान के अनुच्छेद 366 में, खंड (22) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— अनुच्छेद 366 का संशोधन।

‘(22) “शासक” से ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय, राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी;’।

संशोधन पश्चात् न्यायिक विनिर्णयन:

संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की संवैधानिक वैधता को रघुनाथ राव बनाम भारत संघ, एआईआर 1993 एससी 1267 वाद में चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या विचाराधीन अधिनियम संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है, जिस पर प्रश्न का उत्तर नहीं में था।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971¹⁸⁸

विधायी इतिहास

संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 1971 को 21 दिसंबर 1971¹⁸⁹ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक का आशय : संविधान में (i) अनुच्छेद 239क व 240 में संशोधन करना और (ii) नए अनुच्छेद 239ख व 371ग का अंतःस्थापन करना था। विधेयक पर 21 दिसंबर 1971 को लोक सभा द्वारा और 23 दिसंबर 1971¹⁹⁰ को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और मूल रूप में पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पुनर्गठन की योजना के एक भाग के रूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि योजना में उल्लिखित मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239क में मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को सम्मिलित करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाए। संघ राज्यक्षेत्रों और पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी के प्रशासन के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग ने, जो अध्ययन-दल नियुक्त किया था, सिफारिश की कि ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधानमंडल हो, के प्रशासक को विधानमंडल के सत्र में न होने के समय अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति होनी चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया कि इस सिफारिश को मान लिया जाए और ऐसे प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदत्त करने वाले एक उपयुक्त उपबंध को संविधान में सम्मिलित किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 240 के साथ पठित उसकी छठी अनुसूची के पैरा 18(2) के अधीन राष्ट्रपति को पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह प्रस्ताव किया गया है कि पुनर्गठन की योजना के अधीन इन

188. 1971 का विधेयक संख्यांक 173; गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के.सी. पंत द्वारा 21 दिसम्बर 1971 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 21 दिसम्बर 1971 और राज्य सभा: 23 दिसम्बर, 1971; राष्ट्रपति की अनुमति: 30 दिसम्बर 1971; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 31 दिसम्बर 1971; प्रारम्भ की तारीख: धारा 1 और 3, 30 दिसम्बर को लागू हुई, तथा धारा 2. 4 और 5, 15 फरवरी 1972 को लागू हुई।

189. लोक सभा वाद-विवाद, 21 दिसम्बर 1971, कॉ. 8।

190. पूर्वोक्त, कॉ. 122; राज्य सभा वाद-विवाद, 23 दिसम्बर 1971, कॉ. 93।

शक्तियों को एजेन्सी के अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र बन जाने के पश्चात् भी जारी रखा जाए। यह प्रस्ताव भी किया गया कि मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में भी ऐसी शक्तियां होनी चाहिए।

जब किसी राज्य के विधानमंडल का विघटन हो जाता है या इसके कृत्यों को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन किसी उद्घोषणा द्वारा निलंबित कर दिया जाता है तो संसद को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 357 (1) के अधीन विधि बनाकर उस राज्य के बारे में विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदत्त कर दें। उन संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिनमें विधानमंडल है, ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। इसका परिणाम यह है कि जब किसी संघ राज्यक्षेत्र का विधानमंडल विघटित हो जाता है अथवा राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा उसके कृत्यों को निलंबित कर दिया जाता है तो उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सभी विधान संसद द्वारा पारित किए जाने होते हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 240 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश निवासी अनुसूचित जनजातियों के हैं। उनके हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 52 में मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा की एक समिति के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र के सदस्यों से गठित हो, विशेष उपबंध किए गए हैं। पुनर्गठन की योजना के अधीन मणिपुर संघ राज्यक्षेत्र बन जाने पर उक्त धारा 52 प्रवर्तन में नहीं रह जाएगी। अतः, यह प्रस्ताव किया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की संरक्षण की योजना के एक भाग के रूप में यह व्यवस्था मणिपुर के राज्य बन जाने के पश्चात् भी बनाई रखी जाए। अतः, ऐसी समिति बनाए जाने के लिए संविधान में विशिष्ट उपबंध का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक का आशय उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

अधिनियम की धारा 2 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239क, जो कतिपय संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों अथवा मंत्रिपरिषद अथवा दोनों के सृजन से संबंधित है, में संशोधन किया गया है। संशोधन में मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को अनुच्छेद 239क के खण्ड (1) में शामिल किया गया है।

धारा 3 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239क के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 239ख अंतःस्थापित किया गया है। नया अनुच्छेद 239ख विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक को अन्य बातों के साथ-साथ विधानमंडल का सत्र न होने के समय अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है। ऐसा अध्यादेश प्रशासक द्वारा राष्ट्रपति से उस निमित्त अनुदेश प्राप्त करने के बाद प्रख्यापित किया जाएगा। तथापि, जब कभी विधानमंडल का विघटन कर दिया जाता है अथवा अनुच्छेद 239क के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी विधि के अधीन की गई किसी कार्यवाही के कारण उसके कृत्यों को निलंबित कर दिया जाता है तो प्रशासक ऐसे विघटन अथवा निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा।

धारा 4 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया है ताकि पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी के अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र बन जाने के पश्चात् भी राष्ट्रपति के पास एजेंसी के लिए विनियम बनाने की शक्ति बनी रहे। मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी ही शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) में एक दूसरा परन्तुक अंतःस्थापित किया गया है जिसमें यह उपबंध है कि जब गोवा, दमण और दीव, पांडिचेरी अथवा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधानमंडल के रूप में कार्यकरण, अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्यवाही के कारण निलंबित रहता है तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलम्बन की अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शान्ति, उन्नति तथा सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। (धारा 4)

धारा 5 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371ख के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 371ग अंतःस्थापित किया गया। अनुच्छेद 371ग राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह मणिपुर राज्य के संबंध में किये गये आदेश द्वारा उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी, राज्य सरकार के कामकाज के नियमों में और राज्य की विधान सभा के प्रक्रिया नियमों में किये जाने वाले उपांतरणों के लिए और ऐसी समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा। राज्यपाल प्रति वर्ष या जब कभी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निदेश देने तक होगा।

संशोधन का पाठ

संविधान (सत्ताईसवां संशोधन)

अधिनियम, 1971

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[30 दिसम्बर, 1971]

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 है ।

(2) यह धारा तथा धारा 3 तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस
अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड
(ख) के अधीन नियत दिन से पूर्व की न हों और जिसे केन्द्रीय
सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 239क
का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 239क में, खंड (1) में, "गोवा,
दमण और दीव और पांडिचेरी" शब्दों के स्थान पर "गोवा,
दमण और दीव, पांडिचेरी और मिजोरम" शब्द प्रतिस्थापित
किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 239ख
का अंतःस्थापन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 239क के पश्चात् निम्नलिखित
नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

विधानमंडल
विश्रांतिकाल के
दौरान अध्यादेश
प्रख्यापित करने
की प्रशासक की
शक्ति ।

"239ख. (1) उस समय को छोड़कर, जब अनुच्छेद
239क के खंड (1) में निर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र का विधानमंडल
सत्र में है, यदि किसी समय प्रशासक का यह समाधान हो
जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत
कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे
अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा, जो उसे उन परिस्थितियों में
अपेक्षित प्रतीत हों:

परंतु प्रशासक कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्रख्यापित करेगा, अन्यथा नहीं:

परंतु यह और, कि जब कभी उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया जाता है या अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गयी किसी कार्यवाई के कारण उसका कार्यकरण निलंबित रहता है, तब प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा।

(2) राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि में उस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् सम्यक रूप से अधिनियमित किया गया है, किन्तु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश—

(क) संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानमंडल उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, और

(ख) राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्रशासक द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में, जिसे अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् बनाया गया है, अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा।"

4. संविधान के अनुच्छेद 240 में—

(क) खंड (1) में

अनुच्छेद 240 का संशोधन।

(i) प्रविष्टि (ड) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

“(च) मिजोरम;

(छ) अरुणाचल प्रदेश”;

(ii) परंतुक में, “गोवा, दमण और दीव या पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर, “गोवा, दमण और दीव, पांडिचेरी अथवा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) इस प्रकार संशोधित परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित और परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु यह और कि जब कभी गोवा, दमण और दीव, पांडिचेरी अथवा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का ऐसे विधानमंडल के रूप में कार्यकरण, अनुच्छेद 239क के खंड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की गई कार्रवाई के कारण निलंबित रहता है तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा।”

(ख) खंड (2) में, “किसी वर्तमान विधि,” शब्दों के स्थान पर “किसी अन्य विधि” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

नये अनुच्छेद 371ग
का अंतःस्थापन।

5. संविधान के अनुच्छेद 371ख के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

मणिपुर राज्य के
संबंध में विशेष
उपबंध।

“371ग. (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी, राज्य की सरकार के कामकाज के नियमों में और राज्य की विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए और ऐसी समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य

से राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।

(2) राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब कभी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निदेश देने तक होगा।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, "पहाड़ी क्षेत्रों" से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, पहाड़ी क्षेत्र घोषित करे।"



वाद विवाद का लिंक

संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972¹⁹¹

विधायी इतिहास

संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 जब 26 मई, 1972 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया, तो उसका शीर्षक "संविधान (इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 1972" था।¹⁹² इस विधेयक का आशय संविधान में (एक) एक नए अनुच्छेद 312क का अंतःस्थापन करना और (दो) अनुच्छेद 314 का लोप करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 29 मई को विचार किया गया और संक्षिप्त नाम तथा प्रस्तावित नए अनुच्छेद 312क में "इकतीसवां संशोधन" शब्दों के स्थान पर "अट्ठाईसवां संशोधन" शब्द प्रतिस्थापित कर केवल औपचारिक संशोधन के साथ उसी दिन पारित कर दिया गया।¹⁹³ लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 30 और 31 मई को विचार किया गया था और उसे 31 मई, 1972 को सभा द्वारा पारित किया गया।¹⁹⁴

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 314 द्वारा ऐसे व्यक्ति की, जो संविधान के प्रारम्भ के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में सम्राट को किसी असैनिक सेवा नियुक्त होने के पश्चात्, संविधान के प्रारम्भ पर और उसके पश्चात् भारत सरकार की या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है, पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन के बारे में सेवा शर्तों में तथा अनुशासन विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का, जैसे कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव हो,

191. 1972 का विधेयक संख्यांक 55; गृह राज्य मंत्री श्री आर.एन. मिर्धा द्वारा लोक सभा में संविधान (इकतीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में 26 मई 1972 को पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 29 मई 1972; राज्य सभा: 30 और 31 मई 1972; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मैसूर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित: राष्ट्रपति की अनुमति: 27 अगस्त 1972; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 28 अगस्त 1972; प्रारम्भ की तारीख: 29 अगस्त 1972।

192. लोक सभा वाद-विवाद, 26 मई 1972, कॉलम 199।

193. लोक सभा वाद-विवाद, 29 मई 1972, कॉलम 313-314, 329 और 345।

194. राज्य सभा वाद-विवाद, 31 मई 1972, कॉलम 194।

हक होगा, जिनका उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले हक था। सेवा की अपरिवर्तनशील शर्तों वाले अधिकारी वर्ग की परिकल्पना बदले हुये सामाजिक परिवेश के परस्पर विरोधी थी। इसलिए अनुच्छेद 314 को हटाने और एक नया अनुच्छेद 312क, जो संसद को उपर्युक्त अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है और जिसमें उपयुक्त पारिणामिक और अनुषंगी उपबंध शामिल हैं, करने के लिये संविधान का संशोधन करना आवश्यक समझा गया। इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे। (धारा 1)

संविधान में अनुच्छेद 312क इस उद्देश्य से अंतःस्थापित किया गया है कि संसद: (क) उन व्यक्तियों के संबंध में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे और जो संविधान (अट्टाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात्, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर बने रहते हैं, पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें तथा अनुशासनिक विषयों संबंधी अधिकार परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंहत कर सकेगी; (ख) उन व्यक्तियों की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा, इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे और जो संविधान (अट्टाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारंभ से पहले किसी समय सेवा से निवृत्त हो गए हैं या अन्यथा सेवा में नहीं रहे हैं। पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंहत कर सकेगी। परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण कर रहा है या कर चुका है, उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह संसद को उस व्यक्ति की उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात्, उसकी सेवा की शर्तों में, वहां तक के सिवाय जहां तक ऐसी सेवा की शर्तें उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति होने के कारण लागू है, उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन करने के लिए या उन्हें प्रतिसंहत करने के लिए सशक्त करती है।

उच्चतम न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को निम्नलिखित विवादों में कोई अधिकारिता नहीं होगी: (क) किसी प्रसंविदा, करार या अन्य ऐसी ही लिखत के जिसे खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किया है या निष्पादित किया है, किसी उपबंध से अथवा उस पर किए गए किसी पृष्ठांकन से उत्पन्न कोई विवाद, अथवा ऐसे व्यक्ति को भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में उसकी

नियुक्ति या भारत डोमिनियन की या उसके किसी प्रांत की सरकार के अधीन सेवा में उसके बने रहने के संबंध में, भेजे गए किसी पत्र के आधार पर उत्पन्न कोई विवाद; और (ख) मूलरूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 के अधीन किसी अधिकार, दायित्व या बाध्यता के संबंध में कोई विवाद। (धारा 2)

धारा 3 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 314 का लोप किया गया।

संशोधन का पाठ

संविधान (अट्टाईसवां संशोधन)

अधिनियम, 1972

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[27 अगस्त, 1972]

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम।
(अट्टाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 312 के पश्चात् निम्नलिखित नए अनुच्छेद 312क
अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— का अंतःस्थापन।

“312क. (1) संसद विधि द्वारा—

(क) उन व्यक्तियों के, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ
से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए
गए थे और जो संविधान (अट्टाईसवां संशोधन) अधिनियम,
1972 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात्, भारत सरकार या
किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर बने
रहते हैं, पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें तथा
अनुशासनिक विषयों संबंधी अधिकार, भविष्यलक्षी या भूतलक्षी
रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंहत कर सकेगी;

कुछ सेवाओं
के अधिकारियों
की सेवा शर्तों में
परिवर्तन करने या
उन्हें प्रतिसंहत
करने की संसद
की शक्ति।

(ख) उन व्यक्तियों की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ

से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे और जो संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारंभ से पहले किसी समय सेवा से निवृत्त हो गए हैं या अन्यथा सेवा में नहीं रहे हैं, पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसंहत कर सकेगी:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण कर रहा है या कर चुका है, उपखंड (क) या उपखंड (ख) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद को, उस व्यक्ति की उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात्, उसकी सेवा की शर्तों में, वहां तक के सिवाय जहां तक ऐसी सेवा की शर्तें उसे सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति होने के कारण लागू हैं, उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन करने के लिए या उन्हें प्रतिसंहत करने के लिए सशक्त करती है।

(2) वहां तक के सिवाय जहां तक संसद, विधि द्वारा, इस अनुच्छेद के अधीन उपबंध करे। इस अनुच्छेद की कोई बात खंड (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने की इस संविधान के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) उच्चतम न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को निम्नलिखित विवादों में कोई अधिकारिता नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) किसी प्रसंगिक, करार या अन्य ऐसी ही लिखत के, जिसे खंड (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किया है या निष्पादित किया है, किसी उपबंध से या उस पर किए गए किसी पृष्ठांकन

से उत्पन्न कोई विवाद अथवा ऐसे व्यक्ति को, भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में उसकी नियुक्ति या 'भारत डोमिनियन की या उसके किसी प्रांत की सरकार' के अधीन सेवा में उसके बने रहने के संबंध में भेजे गए किसी पत्र के आधार पर उत्पन्न कोई विवाद:

(ख) मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 के अधीन किसी अधिकार, दायित्व या बाध्यता के संबंध में कोई विवाद।

(4) इस अनुच्छेद के उपबंध मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 में या इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।"

3. संविधान के अनुच्छेद 314 का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 314 का लोप।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972¹⁹⁵

विधायी इतिहास

संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 जब लोक सभा में 26 मई, 1972 को पुरःस्थापित किया गया था, उस समय उसका पूरा नाम संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1972 था।¹⁹⁶ विधेयक का आशय संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 29 मई, 1972 को विचार किया गया और केवल औपचारिक संशोधन करके संक्षिप्त नाम संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक के स्थान पर संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम करके इसे पारित कर दिया गया।¹⁹⁷ लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 31 मई, 1972 को विचार किया गया और उसे पारित किया गया।¹⁹⁸ लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 29 और 31 मई 1972 को विधेयक के खंड 2 को मूल रूप में स्वीकृत किया गया।¹⁹⁹

विधेयक के उद्देश्य और कारण

केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम 1) केरल राज्य में भूमि सुधार का प्रधान कानून है और उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किन्तु उसे कार्यान्वित करने में राज्य सरकार को बड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा

195. 1972 का विधेयक संख्यांक 56; विधि और न्याय मंत्री, श्री एच. आर. गोखले द्वारा लोक सभा में 26 मई 1972 को संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 29 मई 1972; राज्य सभा: 31 मई 1972: संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मैसूर, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित, राष्ट्रपति की अनुमति: 9 जून 1972: राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 9 जून 1972; प्रारम्भ की तारीख: 9 जून 1972।

196. लोक सभा वाद-विवाद, 26 मई 1972, कॉलम 200।

197. पूर्वोक्त, कॉलम 393, 402 और 410।

198. राज्य सभा वाद-विवाद, 31 मई 1972, कॉलम 246 और 250।

199. लोक सभा वाद-विवाद, 29 मई 1972, कॉलम 393 और 402; राज्य सभा वाद-विवाद, 31 मई 1972, कॉलम 241 और 246।

उन्हें दूर करने के लिये इस अधिनियम में केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम 35) तथा केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम 25) द्वारा व्यापक संशोधन किए गये। यथा संशोधित मूल अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों को केरल उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई जिससे भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन में अनिश्चितता आ गई। यद्यपि केरल उच्च न्यायालय ने यथा संशोधित मूल अधिनियम द्वारा कल्पित भूमि सुधारों की योजना को सामान्यतः वैध ठहराया, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण उपबंध उसके द्वारा अमान्य ठहराए गए। जिन उपबंधों को उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया था उनके बारे में भी प्रभावित पक्षकारों ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। कुछ व्यक्तियों ने उक्त अधिनियम के कतिपय उपबंधों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में मूल याचिकाएं भी दीं। उच्चतम न्यायालय ने 26 और 28 अप्रैल, 1972 को दिये गये अपने निर्णयों में यथा संशोधित मूल अधिनियम द्वारा प्रकल्पित भूमि सुधारों की योजना को सामान्यतः वैध ठहराया, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों को अमान्य ठहराने में उसने उच्च न्यायालय से सहमति व्यक्त की। इस बात का डर था कि इससे राज्य में भूमि सुधारों के कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ेगा तथा कुछ उपबंध अमान्य ठहराये जाने या निष्प्रभावी कर दिये जाने से हजारों काशतकारों पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी आशंका व्यक्त की गई कि निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये कुछ विचारों के कारण मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी जिससे राज्य के हजारों कुडिकडप्पूकरों को बहुत हानि होगी क्योंकि वे लम्बी चलने वाली कानूनी कार्यवाही में अपना बचाव नहीं कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त केरल उच्च न्यायालय ने संशोधित मूल अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों यथा धारा 4क (1) (क) और (ख) धारा 7, 7ख (1) और धारा 106 को यथा अमान्य ठहराने का जो निर्णय दिया था उसके विरुद्ध अपील दायर की गई थी और वे उच्चतम न्यायालय में लंबित थे। अतः यह प्रस्ताव किया गया कि केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किया जाये, जिससे उन्हें अनुच्छेद 31ख का संरक्षण प्राप्त हो जाये तथा उन अधिनियमों की मान्यता विषयक अनिश्चितता और संदेह दूर हो जायें। इस विधेयक का आशय इस उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम द्वारा भूमि सुधार से संबंधित दो अतिरिक्त राज्य अधिनियमितियों को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अधिनियमितियों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 के किसी उपबंध से असंगत हैं। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (उनतीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1972

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[9 जून, 1972]

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 है ।

नौवीं अनुसूची का
संशोधन ।

2. संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 64 के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

“65. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 35) ।

66. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 25)” ।

संशोधन पश्चात् न्यायिक निर्णय:

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एआईआर 1973 एससी 1461 में 29वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। न्यायालय का मानना था कि “केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969” और “केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971” को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 31ख के संरक्षण के हकदार हैं।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972²⁰⁰

विधायी इतिहास

संविधान (तीसवां संशोधन) विधेयक, 1972 लोक सभा में 24 मई, 1972²⁰¹ को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 133 में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 17 अगस्त, 1972 को और राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त, 1972²⁰² को विचार किया गया और उसे मूल रूप में पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

इस विधेयक का आशय उपयुक्तता के प्रमाण पत्र पर उच्चतम न्यायालय को सिविल अपील के संबंध में भारतीय विधि आयोग की चवालीसवीं तथा पैतालीसवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना था। इस समय किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस प्रमाणपत्र पर उच्चतम न्यायालय में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक यह अपील भी दायर है कि विवाद के मामले की राशि अथवा मूल्य बीस हजार रुपये से कम नहीं है अथवा यह कि निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उतनी ही राशि की सम्पत्ति के किसी दावे या उससे संबंधित प्रश्न के बारे में है। अपील करने के अधिकार के लिये मूल्यांकन युक्तिसंगत मानदण्ड नहीं हो सकता है। विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न कम मूल्य केवादों में भी उत्पन्न हो सकता है और मूल्यांकन की कसौटी के परिणामस्वरूप सारहीन मामले भी उच्चतम न्यायालय में पहुंच जाते हैं। विधि आयोग ने सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 133 (1) के खण्ड (क) और (ख) का लोप किया जाना चाहिये तथा यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में विधि का सार्वजनिक महत्व का कोई सारयुक्त प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है, तो अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। तदनुसार अनुच्छेद के इस संशोधन से ऐसी अपीलों की संख्या में कमी आएगी जो किसी गुणागुण

200. 1972 का विधेयक संख्यांक 53; विधि और न्याय मंत्री श्री एच.आर. गोखले द्वारा 24 मई 1972 की लोक सभा में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 17 अगस्त 1972; राज्य सभा: 22 अगस्त 1972; राष्ट्रपति की अनुमति: 22 फरवरी 1973; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 22 फरवरी 1973; प्रारम्भ की तारीख: 27 फरवरी 1973।

201. लोक सभा वाद-विवाद, 24 मई 1972, कॉलम 195।

202. वही, 17 अगस्त 1972, कॉलम 270; राज्य सभा वाद-विवाद, 22 अगस्त 1972, कॉलम 248।

के बिना ग्राह्य मूल्यांकन परीक्षण के आधार पर उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती हैं। इस विधेयक का आशय इस उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 133 के वर्तमान खण्ड (1) के स्थान पर एक नया खण्ड प्रतिस्थापित किया गया है। नये खण्ड में यह उपबंध है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर देता है: (क) कि उस मामले में विधि का सार्वजनिक महत्व का कोई सारयुक्त प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है; और (ख) कि उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। (धारा 2)

यह अधिनियम निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगा: (क) संविधान के अनुच्छेद 133 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) या उपखण्ड (ग) के अंतर्गत कोई अपील, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थी; अथवा (ख) कोई अपील जो इस अधिनियम से पूर्व अनुच्छेद 133 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) या उपखण्ड (ग) के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में किसी निर्णय, डिक्री अथवा अन्तिम आदेश के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिन अथवा उसके बाद प्रस्तुत की गई हो। ऐसी प्रत्येक अपील की उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई और निपटारा, अथवा यथास्थिति, ग्रहण किया जाना, सुनवाई और निपटारा वैसे ही होगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था। उपरोक्त उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय में संस्थित अथवा प्रारम्भ किये गये किसी वाद अथवा अन्य सिविल कार्यवाही से उद्भूत किसी निर्णय, डिक्री अथवा अन्तिम आदेश से उच्चतम न्यायालय में कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 133 के खण्ड (1) के अधीन तब तक के सिवाय नहीं होगी जब तक कि ऐसी अपील इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस खण्ड के उपबंधों को पूरा न करती हो। (धारा 3)

संशोधन का पाठ संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[22 फरवरी, 1973]

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 133 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 133 में, खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है—

“(क) कि उस मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है; और

(ख) कि उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है ।”

लंबित कार्यवाहियों
आदि की बाबत
विशेष उपबंध ।

3. (1) इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित अपीलों पर प्रभाव नहीं डालेगी, अर्थात्—

(क) संविधान के अनुच्छेद 133 के खंड (1) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के अधीन कोई अपील जो इस अधिनियम के आरंभ से ठीक पूर्व उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थी; अथवा

(ख) इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व अनुच्छेद 133 के

खंड (1) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के अधीन किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध इस अधिनियम के आरंभ पर या उसके पश्चात् की गयी कोई अपील तथा ऐसी प्रत्येक अपील की उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई और निपटारा अथवा यथास्थिति, ग्रहण किया जाना, सुनवाई और निपटारा वैसे ही होगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्याधीन, इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व किसी न्यायालय में संस्थित अथवा आरंभ किए गए किसी वाद अथवा अन्य सिविल कार्यवाही से उद्भूत किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से उच्चतम न्यायालय में कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 133 के खंड (1) के अधीन तब तक नहीं होगी जब तक कि ऐसी अपील इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस खंड के उपबंधों को पूरा न करती हो।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973²⁰³

विधायी इतिहास

संविधान (इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973 लोक सभा में 26 अप्रैल, 1973²⁰⁴ को पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 81, 330 और 332 में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 8 मई 1973 को विचार किया गया तथा संशोधित रूप में उसी दिन²⁰⁵ पारित किया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 15 मई, 1973²⁰⁶ को विचार किया गया और पारित किया गया। लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः²⁰⁷ 8 और 15 मई 1973 को विधेयक के खण्ड 1, 2 और 4 को मूल रूप में स्वीकृत किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 81 के खण्ड (1) में यह उपबन्ध है कि लोक सभा में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए अधिकतम 500 सदस्य होंगे और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने हुए अधिकतम 25 सदस्य भी उसमें होंगे जो ऐसी रीति से चुने जाएंगे जिसे संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे। पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप राज्यों को लोक सभा में आबंटित स्थानों की कुल संख्या बढ़ कर 506 हो गई अर्थात् अनुच्छेद 81 के अधीन 500 की जो अनुज्ञेय सीमा है, उससे छह अधिक। तत्कालीन लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों की वास्तविक कुल संख्या 522 थी

203. 1973 का विधेयक संख्यांक 31; विधि और न्याय मंत्री, श्री एच.आर. गोखले द्वारा 26 अप्रैल 1973 को लोक सभा में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 8 मई 1973; राज्य सभा: 15 मई 1973; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 17 अक्तूबर 1973; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 17 अक्तूबर 1973; प्रारंभ की तारीख: 17 अक्तूबर 1973।

204. लोक सभा वाद-विवाद, 26 अप्रैल 1973, कॉलम 161।

205. 8 मई 1973, कॉलम 312।

206. राज्य सभा वाद-विवाद, 15 मई 1973, कॉलम 247 से 248।

207. लोक सभा वाद-विवाद, 8 मई 1973, कॉलम 289 और 302; राज्य सभा वाद-विवाद, 15 मई 1973, कॉलम 235, 241 और 244।

(489 सदस्य 15 बड़े राज्यों से, 17 सदस्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे छह छोटे राज्यों से, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 60 लाख से कम है तथा 16 सदस्य 9 संघ राज्यक्षेत्रों से)। संविधान के अनुच्छेद 81 के खण्ड (2) में उल्लिखित है कि खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य का लोक सभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से होगा कि उस संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात सभी राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद 81 के खण्ड (3) के अधीन “जनसंख्या” पद से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है। अनुच्छेद 82 में यह व्यादेश है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक सभा में राज्यों को स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में पुनः समायोजन किया जाएगा जैसा कि संसद विधि द्वारा अवधारित करें। अनुच्छेद 82 के अनुसरण में संसद ने परिसीमन अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है और अनुच्छेद 82 में परिकल्पित पुनः समायोजन का आवश्यक कार्य हाथ में लेने के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया है। 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर अनुच्छेद 82 द्वारा व्यादिष्ट पुनः समायोजन का कार्य हाथ में लेने में परिसीमन आयोग द्वारा अनुच्छेद 81 के खण्ड (2) में बताए गए सिद्धान्तों का अनुसरण करने के परिणामस्वरूप लोक सभा में राज्यों को आबंटित स्थानों की संख्या पर प्रभाव पड़ सकता है। यह महसूस किया गया कि यह सुनिश्चित करना उचित होगा कि किसी भी पुनः समायोजन अथवा उसके परिणामस्वरूप स्थानों के आबंटन का लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिये आबंटित स्थानों की विद्यमान संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा इस प्रयोजन की पूर्ति के लिये लोक सभा की सदस्य संख्या में उचित वृद्धि करना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्यों में से किसी भी राज्य से लोक सभा में विद्यमान प्रतिनिधित्व में कोई कमी न हो अधिनियम की धारा 2 अनुच्छेद 81 का इस प्रकार संशोधन करती है कि राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर 525 हो जाये। इस अवसर पर संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की सीमा 25 से घटा कर 20 कर दी गई है क्योंकि संघ राज्यक्षेत्रों का विद्यमान प्रतिनिधित्व केवल 16 है। सरकार अनुच्छेद 81 के खण्ड (2) में भी एक संशोधन करना आवश्यक समझती है। यह संशोधन यह उपबंध करने के लिये है कि अनुच्छेद 81 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के उपबंध किसी राज्य पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि उसकी जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती है। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिये है कि ऊपर के पैरा 1 में निर्दिष्ट छोटे राज्यों के लिये लोक सभा में विद्यमान प्रतिनिधित्व बना रहे। संविधान का अनुच्छेद 330 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये लोक सभा में स्थानों के आरक्षण के बारे में है। तथापि, इस अनुच्छेद के उपबंध नागालैंड राज्य पर इस आधार पर लागू नहीं होते कि वहां की जनसंख्या में प्रमुख रूप से जनजातियों के लोग हैं। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या में 88.6% लोग अनुसूचित जनजाति

के हैं। मेघालय राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्यक्षेत्रों की जनसंख्या में क्रमशः 80.5%, 79.0% तथा 94.3% अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। अतः सरकार यह समझती है कि अनुच्छेद 330 के उपबंध मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की प्रमुख जनजातीय इकाइयों पर भी लागू नहीं होने चाहिये। इसी प्रकार से यह भी समझा गया कि जैसा कि नागालैण्ड में है उसी प्रकार मेघालय राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है अतः संविधान के अनुच्छेद 332 में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। इस विधेयक का आशय इन उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

धारा 2 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 का संशोधन किया गया है। लोक सभा में राज्यों से प्रतिनिधित्व की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ा कर 525 करने के लिये तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम सीमा 25 से घटाकर 20 करने के लिये इस अनुच्छेद के खण्ड एक में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त खण्ड 2 में उपखंड (ख) के पश्चात् परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया है कि खण्ड 2 के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य से लोक सभा में स्थान आबंटन के लिये तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती।

धारा 3 के द्वारा लोक सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 330 के खंड (1) के उपखंड (ख) में इस दृष्टि से संशोधन किया गया कि जहां तक लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण का संबंध है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को भी अपवर्जित किया जाए।

यह उपबन्ध करने के लिये अनुच्छेद 330 के खण्ड (2) के बाद खंड (3) को अंतःस्थापित किया गया है कि लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

अनुच्छेद 330 के संशोधन का लोक सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर वर्तमान अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान लोक सभा का विघटन होने तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। (धारा 3)

धारा 4 द्वारा मेघालय राज्य की विधान सभा में भी अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त करने की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 332 के खंड (1) में “असम तथा नागालैण्ड के आदिम जाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर” शब्दों के स्थान पर “असम, नागालैण्ड तथा मेघालय के आदिम जाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर” शब्द प्रतिस्थापित किये गये हैं। तथापि इस संशोधन का मेघालय राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर वर्तमान अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान उस विधान सभा का विघटन होने तक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संशोधन का पाठ संविधान (इकतीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1973

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[17 अक्तूबर, 1973]

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में,—

अनुच्छेद 81 का
संशोधन।

(क) खंड (1) में—

(एक) उपखंड (क) में, “पांच सौ सदस्यों” शब्दों के स्थान
पर “पांच सौ पच्चीस सदस्यों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
और

(दो) उपखंड (ख) में, “पच्चीस सदस्यों” शब्दों के स्थान
पर “बीस सदस्यों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित
परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य
को लोक सभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब
तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ
लाख से अधिक नहीं हो जाती है।”

3. (1) संविधान के अनुच्छेद 330 में—

अनुच्छेद 330 का
संशोधन।

(क) खंड (1) उपखंड (ख) में, “असम के जनजातीय क्षेत्रों

और नागालैंड की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर; तथा,”
शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा;
अर्थात्—

“(एक) असम के जनजातीय क्षेत्र;

(दो) नागालैंड;
 (तीन) मेघालय;
 (चार) अरुणाचल प्रदेश; और
 (पांच) मिजोरम;
 की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर"; तथा
 (ख) खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित
 किया जाएगा, अर्थात्—

"(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।"

(2) उपधारा (1) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 330 में किए गए संशोधन का लोक सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर इस अधिनियम के प्रारंभ से विद्यमान लोक सभा का विघटन होने तक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 332 का
 संशोधन।

4. (1) संविधान के अनुच्छेद 332 के खंड (1) में, "असम के जनजातीय क्षेत्रों और नागालैंड की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर" शब्दों के स्थान पर "असम के जनजातीय क्षेत्रों, नागालैंड और मेघालय की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 332 में किए गए संशोधन का मेघालय-राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर इस अधिनियम के प्रारंभ से विद्यमान उस विधान सभा का विघटन होने तक प्रभाव नहीं पड़ेगा।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973²⁰⁸

विधायी इतिहास

संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973, जब 14 दिसंबर 1973 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया तब इसका नाम “संविधान (तैंतीसवां संशोधन)” विधेयक, 1973²⁰⁹ था। विधेयक का आशय (एक) संविधान के अनुच्छेद 371 और संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन करना; तथा (दो) संविधान में नए अनुच्छेद 371घ और 371ड अंतःस्थापित करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 18 दिसंबर 1973 को यथासंशोधित रूप में विचार किया गया और उसे उसी दिन पारित कर दिया गया²¹⁰। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 20 दिसंबर, 1973²¹¹ को विचार किया गया तथा उसे पारित कर दिया गया। विधेयक के खंड 2 और खंड 4 क्रमशः 18 और 20 दिसंबर 1973 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा मूल रूप में स्वीकृत हुए²¹²। विधेयक का खंड 1 लोक सभा द्वारा एक औपचारिक संशोधन करके अर्थात् “तैंतीसवां” शब्द के स्थान पर “बत्तीसवां” शब्द प्रतिस्थापित कर स्वीकृत किया गया²¹³। विधेयक के खंड 3 में भी इसी प्रकार के संशोधन किए गए जिसका आशय संविधान में नए अनुच्छेद 371 घ और 371 ड को अंतःस्थापित करना था²¹⁴। लोक सभा द्वारा यथा संशोधित खंड 1 और खंड 3, 20 दिसंबर 1973 को राज्य सभा द्वारा स्वीकृत किए गए²¹⁵।

208. 1973 का विधेयक संख्यांक 99; लोक सभा में 14 दिसम्बर 1973 को गृह राज्य मंत्री श्री राम निवास मिर्धा द्वारा संविधान (तैंतीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 18 दिसम्बर 1973, राज्य सभा: 19 और 20 दिसम्बर 1973; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 3 मई 1974; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 3 मई 1974; प्रारंभ की तारीख: 1 जुलाई 1974।
209. लोक सभा वाद-विवाद, 14 दिसंबर 1973, कॉलम 277, 284।
210. वही, 18 दिसंबर 1973, कॉलम 375।
211. राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसंबर 1973, कॉलम 239।
212. लोक सभा वाद-विवाद, 18 दिसंबर 1973, कॉलम 335, 355 और 364; राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसंबर 1973, कॉलम 223, 230।
213. लोक सभा वाद-विवाद, 18 दिसम्बर 1973, कॉलम 355, 364।
214. वही, कॉलम 335-336 और 346।
215. राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1973, कॉलम 226, 234।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

1956 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तब तेलंगाना क्षेत्र के विकास के विषय में और उस क्षेत्र के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर और शिक्षा सुविधाओं के लिए कुछ संरक्षण दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (1) के उपबंध इन संरक्षणों की कतिपय विशेषताओं को लागू करने के लिए बनाए गए थे। लोक नियोजन (निवास के लिए अपेक्षा) अधिनियम, 1957 का अधिनियमन, तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। किन्तु 1969 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उस अधिनियम के कुछ उपबंध जो तेलंगाना क्षेत्र के लिए संरक्षणों से संबंधित हैं; असंवैधानिक हैं। अनेक कारणों के परिणामस्वरूप इन संरक्षणों के कार्यान्वयन से कभी तेलंगाना क्षेत्र में और कभी राज्य के अन्य क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न हुआ। तत्संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए समय-समय पर कुछ उपाय भी किए गए। 1973 के दौरान आंध्र प्रदेश के अनेक नेताओं ने उन बातों का विश्लेषण करने का सम्मिलित प्रयास किया जिन कारणों से यह असंतोष उत्पन्न हुआ था और आंध्र प्रदेश की जनता की भावनात्मक एकता की दृष्टि से उनकी समस्याओं का हल किए जाने का भी प्रयत्न किया। 21 सितम्बर 1973 को उन्होंने कुछ उपाय किए जाने के बारे में (जिसे सामान्यतः छह सूत्री फार्मूला कहा जाता है) सुझाव दिया जिसमें राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए समरूप दृष्टिकोण अपनाए जाने का संकेत दिया गया है ताकि राज्य का समग्र रूप में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके तथा शिक्षा और लोक सेवा में नौकरी और प्रोन्नति के अवसर के मामले में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को साम्ययुक्त अवसर प्रदान किया जा सके। इस फार्मूले को आंध्र प्रदेश में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ और राज्य सरकार ने भी इसका अनुमोदन किया था।

जहां तक यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की जनता को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश और लोक नियोजन के लिए साम्ययुक्त अवसर प्रदान करने से संबंधित है, वर्तमान विधेयक का आशय छह सूत्री फार्मूले, को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकार प्रदान करना था। विधेयक का आशय अन्य बातों के साथ-साथ लोक सेवाओं से संबंधित कतिपय विवादों और शिकायतों को निपटाने के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण का गठन करना भी था। इसका आशय संसद को राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधि बनाने हेतु शक्ति प्रदान करना भी था और इसमें अनुषंगी और परिणामी उपबंध भी थे जिसके अंतर्गत भूतकाल में की गई कुछ नियुक्तियों के विधिमान्यकरण के लिए किए गए उपबंध भी सम्मिलित हैं। इस छह सूत्री फार्मूले के कारण संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (1) के अधीन गठित क्षेत्रीय समिति समाप्त हो गई है। अतएव, विधेयक में उक्त खंड के निरसन का उपबंध भी किया गया था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

धारा 1 में यह उपबंध है कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्र सरकार नियत करे।

धारा 2 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371 का खंड (1) जो आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा की क्षेत्रीय समितियों का गठन करने से संबंधित है, का लोप किया गया है।

धारा 3 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371घ और 371ड अंतःस्थापित किए गए हैं। नए अनुच्छेद 371घ में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध शामिल हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश द्वारा (एक) संपूर्ण आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उस राज्य के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में साम्यापूर्ण अवसरों और सुविधाओं के लिए राज्य के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध कर सकेगा, (दो) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण के गठन के लिए उपबंध कर सकेगा जो अधिकरण कतिपय विशिष्ट विषयों की बाबत ऐसी अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे अर्थात् राज्य की सिविल सेवा ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्त, आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की ऐसी सेवा शर्तें जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

प्रशासनिक अधिकरण का किसी मामले को अंतिम रूप से निपटाने वाला आदेश, राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने पर या आदेश किए जाने की तारीख से तीन माह की समाप्ति पर इसमें जो भी पहले हो, प्रभावी हो जाएगा। तथापि राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा अधिकरण के किसी आदेश को उसके प्रभावी होने के पहले उपांतरित या रद्द कर सकेगी। ऐसे प्रत्येक विशेष आदेश को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

राज्य के उच्च न्यायालय को प्रशासनिक अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी और कोई भी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) या कोई अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण की या उसके संबंध में अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार के अधीन किसी विषय की बाबत किसी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकरण का निरंतर बने रहना आवश्यक नहीं है तो वह इसका उत्सादन कर सकता है। (धारा 3)

विगत में कुछ पदों पर व्यक्तियों की नियुक्तियां, तैनातियां, पदोन्नतियां या स्थानांतरण (एक) 1 नवंबर, 1956 से पहले यथा विद्यमान हैदराबाद राज्य की सरकार के या उसके भीतर किसी स्थानिक प्राधिकारी के अधीन उस तारीख से पहले किसी पद पर की गई थी, या (दो) संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से पहले आंध्र प्रदेश राज्य की

सरकार के अधीन या उस राज्य के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर किया गया था और किसी व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष की गई किसी कार्यवाही या बात की बाबत केवल इस आधार पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति तैनाती, पदोन्नति या स्थानांतरण, ऐसी नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति या स्थानांतरण की बाबत यथास्थिति हैदराबाद राज्य के भीतर या आंध्र प्रदेश के किसी भाग के भीतर निवास के बारे में किसी अपेक्षा का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार यदि नहीं किया गया था तो भी यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था।

अनुच्छेद 371घ और राष्ट्रपति द्वारा इसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंध संविधान के किसी अन्य उपबंध तथा किसी अन्य विधि में तत्समय प्रवृत्त किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। (धारा 3)

नया अनुच्छेद 371ङ संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। “अनुच्छेद 371ङ के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय” को शामिल करने के लिए संविधान की सातवीं (सूची 1, प्रविष्टि 63) में तदनुसार संशोधन किया गया है।” (धारा 3-4)

संशोधन का पाठ

संविधान (बत्तीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1973

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[3 मई, 1974]

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और
(बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 है। प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 371 के खंड (1) का लोप किया अनुच्छेद 371 का
जाएगा और उस अनुच्छेद के पार्श्व शीर्षक में “आंध्र प्रदेश” संशोधन।
शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. संविधान के अनुच्छेद 371ग के पश्चात् निम्नलिखित नए अनुच्छेद
अनुच्छेद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्— 371घ और 371ङ
का अंतःस्थापन।

“371घ. (1) राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में किए आंध्र प्रदेश राज्य
गए आदेश द्वारा, संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य की आवश्यकताओं के संबंध में विशेष
का ध्यान रखते हुए, उस राज्य के विभिन्न भागों के लोगों के संबंध में विशेष
के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में उपबंध।
साम्यापूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर सकेगा
और राज्य के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध किए
जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन किया गया आदेश विशिष्टतया—

(क) राज्य सरकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह
राज्य की सिविल सेवा में पदों के किसी वर्ग या वर्गों का अथवा
राज्य के अधीन सिविल पदों के किसी वर्ग या वर्गों का राज्य
के भिन्न भागों के लिए भिन्न स्थानीय काडरों में गठन करे और

ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों का इस प्रकार गठित स्थानीय काडरों में आबंटन करे;

(ख) राज्य के ऐसे भाग या भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो—

(i) राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर में (चाहे उसका गठन इस अनुच्छेद के अधीन आदेश के अनुसरण में या अन्यथा किया गया है) पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए,

(ii) राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी काडर में पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए, और

(iii) राज्य के भीतर किसी विश्वविद्यालय में या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य शिक्षा संस्था में प्रवेश के प्रयोजन के लिए,

स्थानीय क्षेत्र समझे जाएंगे;

(ग) ऐसी सीमा, ऐसी रीति और ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन, अधिमान दिया जाएगा या जिनके लिए आरक्षण किया जाएगा—

(i) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे काडर में जो इस निमित्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, पदों के लिए सीधी भर्ती के विषय में;

(ii) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था में जो इस निमित्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवेश के विषय में, या यथास्थिति, ऐसे काडर, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था के संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए स्थानीय क्षेत्र में निवास या अध्ययन किया है।

(3) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण के गठन के लिए उपबंध कर सकेगा जो अधिकरण निम्नलिखित विषयों की बाबत ऐसी अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का [जिसके अंतर्गत वह अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार है जो संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से ठीक पहले (उच्चतम

न्यायालय से भिन्न) किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य था] प्रयोग करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्:—

(क) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्ति, आबंटन या प्रोन्नति;

(ख) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्त, आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्येष्ठता;

(ग) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्त, आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) खंड (3) के अधीन किया गया आदेश—

(क) प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के भीतर किसी विषय से संबंधित व्यथाओं के निवारण के लिए ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए, जो राष्ट्रपति आदेश में विनिर्दिष्ट करे और उस पर ऐसे आदेश करने के लिए जो वह प्रशासनिक अधिकरण ठीक समझता है, प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियों और प्राधिकारों और प्रक्रिया के संबंध में ऐसे उपबंध (जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण की अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के संबंध में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे;

(ग) प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले विषयों से संबंधित और उस आदेश के प्रारंभ से ठीक पहले (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) किसी न्यायालय

अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के ऐसे वर्गों के, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगा;

(घ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत फीस के बारे में और परिसीमा, साक्ष्य के बारे में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि को किन्हीं अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू करने के लिए उपबंध है) अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे।

(5) प्रशासनिक अधिकरण का किसी मामले को अंतिम रूप से निपटाने वाला आदेश, राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने पर या आदेश किए जाने की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी हो जाएगा:

परंतु राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा, जो लिखित रूप में किया जाएगा और जिसमें उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, प्रशासनिक अधिकरण के किसी आदेश को उसके प्रभावी होने के पहले उपांतरित या रद्द कर सकेगी और ऐसे मामले में प्रशासनिक अधिकरण का आदेश, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा।

(6) राज्य सरकार द्वारा खंड (5) के परंतुक के अधीन किया गया प्रत्येक विशेष आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(7) राज्य के उच्च न्यायालय को प्रशासनिक अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी और (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) कोई न्यायालय अथवा कोई अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण की या उसके संबंध में अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार के अधीन किसी विषय की बाबत किसी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

(8) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकरण का निरंतर बने रहना आवश्यक नहीं है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रशासनिक अधिकरण का उत्सादन कर सकेगा और ऐसे उत्सादन से ठीक पहले अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों के अंतरण और निपटारे के लिए ऐसे

आदेश में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(9) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(क) किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत जो—

(i) 1 नवंबर, 1956 से पहले यथा विद्यमान हैदराबाद राज्य की सरकार के या उसके भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन उस तारीख से पहले किसी पद पर किया गया था, या

(ii) संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से पहले आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के अधीन या उस राज्य के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर किया गया था, और

(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष की गई किसी कार्रवाई या बात की बाबत, केवल इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण, ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत, यथास्थिति, हैदराबाद राज्य के भीतर या आंध्र प्रदेश राज्य के किसी भाग के भीतर निवास के बारे में किसी अपेक्षा का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था।

(10) इस अनुच्छेद के और राष्ट्रपति द्वारा इसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

371ड. संसद विधि द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी।”

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।

4. संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 63 में “दिल्ली विश्वविद्यालय, तथा” शब्दों के स्थान पर “दिल्ली विश्वविद्यालय: अनुच्छेद 371ड के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय;” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सातवीं अनुसूची का संशोधन।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974²¹⁶

विधायी इतिहास

जब संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974, 3 मई, 1974 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया तो इसका नाम संविधान (पैंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1974²¹⁷ था। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 101 और 190 का संशोधन करना था। विधेयक पर 8 मई, 1974 को लोक सभा में विचार किया गया और इसमें मात्र एक औपचारिक संशोधन कर अर्थात् खंड 1 में “पैंतीसवां संशोधन” शब्दों के स्थान पर “तैंतीसवां संशोधन” प्रतिस्थापित करके उसी दिन पारित कर दिया गया²¹⁸। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 13 और 14 मई को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और 14 मई, 1974 को इसे राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया²¹⁹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 101 (3) (ख) और 190(3) संसद के किसी भी सदन के किसी सदस्य अथवा राज्य के विधान मंडल के किसी सदन के किसी सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा त्यागपत्र देने की अनुज्ञा देते हैं। हाल ही में, ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब विधान सभा के सदस्यों को अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देने को बाध्य करने के लिए बल प्रयोग किया गया। यदि इसे नहीं रोका गया तो विधानमंडलों का संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य करना दुष्कर हो जाएगा। अतः यह प्रस्ताव किया गया कि उपर्युक्त दोनों अनुच्छेदों में संशोधन करके यह अपेक्षा अध्यारोपित की जाए कि त्यागपत्र को अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और यह भी उपबंध किया जाए कि यदि अध्यक्ष या सभापति का ऐसी जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र

216. 1974 का विधेयक संख्यांक 52, लोक सभा में 3 मई 1974 को विधि और न्याय मंत्री श्री एच.आर. गोखले द्वारा संविधान (पैंतीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद लोक सभा: 8 मई, 1974; राज्य सभा: 9 मई, 13 मई और 14 मई 1974; राष्ट्रपति की अनुमति: 19 मई 1974; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 20 मई 1974; प्रारंभ की तारीख: 19 मई 1974।

217. लोक सभा वाद-विवाद, 3 मई 1974, कॉलम 277।

218. वही, 8 मई 1974, कॉलम 403 और 312-319।

219. राज्य सभा वाद-विवाद, 14 मई 1974, कॉलम 26-109।

स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

धारा 2 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (3) में संशोधन किया गया है। यह अनुच्छेद 101 के खंड (3) में मौजूदा उप-खंड (ख) के लिए एक नया उपखंड प्रतिस्थापित करता है और उक्त खंड (3) के अंत में एक परन्तुक अंतःस्थापित करता है। नये अनुच्छेद 101(3) (ख) में यह उपबंध किया गया है कि यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है तथा उसका त्यागपत्र यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। तथापि ऊपर उल्लेख किए गए किसी त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

धारा 3 संविधान के अनुच्छेद 190 के खंड (3) में वही संशोधन करती है जो उपर्युक्त धारा 2 के द्वारा किए गए हैं जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान के बारे में कार्रवाई की जाती है।

संशोधन का पाठ संविधान (तैंतीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1974

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[19 मई, 1974]

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तैंतीसवां
संशोधन) अधिनियम, 1974 है ।

अनुच्छेद 101 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (3) में—

(1) उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर
देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष
द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है”;

(2) अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया
जाएगा, अर्थात्—

“परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि
प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्
जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का यह
समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली
नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा ।”

अनुच्छेद 190 का
संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 190 के खंड (3) में—

(1) उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को संबोधित
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर

देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है" ।

(2) अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्—

“परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा ।”



वाद विवाद का लिंक

संविधान (चौत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974²²⁰

विधायी इतिहास

संविधान (चौत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974, 3 मई 1974 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था²²¹। इस विधेयक का आशय संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था। विधेयक पर 26 अगस्त, 1974 को लोक सभा द्वारा विचार किया गया और यथासंशोधित विधेयक उसी दिन पारित कर दिया गया²²²। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 28 अगस्त, 1974 को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और इसे पारित किया गया²²³।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

23 जुलाई, 1972 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भू-धृति की अधिकतम सीमा के स्तर को घटाने, कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि के आधार पर अधिकतम सीमा लागू करने और छूट को समाप्त करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के सुझाव को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा संबंधी विधियों के पुनरीक्षण के लिए मार्गदर्शन जारी किया गया। इस विधेयक का आशय पुनरीक्षित अधिकतम सीमा संबंधी उन विधियों को सम्मिलित करने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था जो पूर्वोक्त मार्गदर्शन के अनुरूप अधिनियमित की गई थी ताकि इन विधियों की विधिमान्यता संविधान के अनुच्छेद 31 'ख' के अंतर्गत संरक्षित हो सके और इसके बारे में अनिश्चितता या संदेह दूर हो सके।

220. 1974 का विधेयक संख्या 51; लोक सभा में 3 मई 1974 को कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री ए.पी. शिंदे द्वारा पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा 26 अगस्त 1974; राज्य सभा: 28 अगस्त 1974; राष्ट्रपति की अनुमति: 7 सितम्बर 1974; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 7 सितंबर 1974; प्रारंभ की तिथि: 7 सितंबर 1974।

221. लोक सभा वाद-विवाद, 3 मई 1974, कॉलम 247।

222. वही, 26 अगस्त 1974, कॉलम 262-368।

223. राज्य सभा वाद-विवाद, 28 अगस्त 1974, कॉलम 146-258।

इसके अलावा, मध्यवर्ती समयावधि के उत्पादन से संबंधित दो अधिनियमों अर्थात् बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 और गुडलूर जन्मम संपदा (उत्पादन और रैय्यतवारी में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1969 को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव था ताकि उन्हें इसी प्रकार से संरक्षण दिया जा सके। इस विधेयक का आशय इस उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा और भूमि सुधार से संबंधित 20 अतिरिक्त राज्य अधिनियमों (नई प्रविष्टियां 67 से 86 तक) को संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ा गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त अधिनियमों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग तीन के किसी उपबंध से असंगत हैं। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974

**भारत के संविधान का और संशोधन करने के
लिए अधिनियम**

[7 सितम्बर, 1974]

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 है ।

नौवीं अनुसूची का संशोधन ।

2. संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 66 के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“67. आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (अधिकतम कृषि जोत सीमा) अधिनियम, 1973 (1973 का आंध्र प्रदेश अधिनियम 1) ।

68. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का बिहार अधिनियम सं. 1) ।

69. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का बिहार अधिनियम सं. 9) ।

70. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का बिहार अधिनियम सं. 5) ।

71. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1974 का गुजरात अधिनियम 2) ।

72. हरियाणा भूमि-जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1972 का हरियाणा अधिनियम 26) ।

73. हिमाचल प्रदेश अधिकतम भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 19) ।

74. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का केरल अधिनियम 17)।

75. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 12 सन् 1974)।

76. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1972 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13 सन् 1974)।

77. मैसूर भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1974 का कर्नाटक अधिनियम 1)।

78. पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1973 का पंजाब अधिनियम 10)।

79. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम सं. 11)।

80. गुडलूर जन्मम संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, 1969 (1969 का तमिलनाडु अधिनियम 24)।

81. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12)।

82. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1964 (1964 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 22)।

83. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।

84. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1972 (1973 का गुजरात अधिनियम 5)।

85. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उड़ीसा अधिनियम 9)।

86. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का त्रिपुरा अधिनियम 7)।”



वाद विवाद का लिंक

संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974²²⁴

विधायी इतिहास

संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 जब 2 सितम्बर 1974 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974²²⁵ था। इस विधेयक का आशय (एक) अनुच्छेद 80 और 81 का संशोधन करना, तथा (दो) संविधान में एक नये अनुच्छेद 2क तथा एक नई अनुसूची—10वीं अनुसूची अन्तःस्थापित करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 4 सितम्बर, 1974 को विचार किया गया था तथा यथासंशोधित विधेयक उसी दिन पारित²²⁶ कर दिया गया था। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 7 सितम्बर, 1974²²⁷ को विचार किया गया और पारित किया गया। विधेयक के खंड 2 से 4 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा मूल रूप में स्वीकार किया गया। विधेयक के खंड 1 को लोक सभा द्वारा औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकार किया गया जिसके अनुसार उसका संक्षिप्त नाम बदलकर “संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम”²²⁸ कर दिया गया। लोक सभा द्वारा 4 सितम्बर, 1974 को खंड 5 पर विचार करते समय, संसद में सिक्किम के प्रतिनिधित्व के संबंध में नयी दसवीं अनुसूची के पैरा 4 में विद्यमान उप-पैरा (ख) से (घ) तक के लिए नया उप पैरा प्रतिस्थापित करने के लिए विदेश मंत्री, श्री स्वर्ण सिंह द्वारा पेश संशोधनों को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था²²⁹ तथा खंड को इस प्रकार यथासंशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 और 5 को राज्य सभा द्वारा 7 सितम्बर 1974 को

224. 1974 का विधेयक संख्यांक 91; 2 सितंबर 1974 को लोक सभा में संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह द्वारा पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 4 सितंबर 1974, राज्य सभा: 7 सितंबर 1974; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित: राष्ट्रपति को अनुमति: 22 फरवरी 1975; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 22 फरवरी 1975; प्रारम्भ की तारीख: 1 मार्च 1975।

225. लोक सभा वाद-विवाद, 2 सितम्बर 1974, कॉलम 59।

226. वही, 4 सितम्बर 1974, कॉलम 318।

227. राज्य सभा वाद-विवाद, 7 सितम्बर 1974, कॉलम 223।

228. लोक सभा वाद-विवाद, 4 सितम्बर 1974, कॉलम 296।

229. वही, कॉलम 284।

स्वीकार किया गया²³⁰।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

सिक्किम की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं—चोग्याल और भारत सरकार के बीच 8 मई 1973 को हुए समझौते के अनुसरण में सिक्किम में उत्तरोत्तर पूर्णतया उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए 11 मई 1974 को हुई विधान सभा की बैठकों में सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से व्यक्त इच्छा को पूरा करने के लिए तथा भारत से सिक्किम के संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए सिक्किम विधान सभा ने सिक्किम शासन विधेयक, 1974 पर विचार कर एकमत से उसे पारित किया। चोग्याल ने इस विधेयक को सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 के रूप में 4 जुलाई 1974 को प्रख्यापित किया। सिक्किम के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में त्वरित विकास के लिए सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 की धारा 30, अन्य बातों के साथ-साथ सिक्किम सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह भारत की राजनीतिक संस्थाओं में सिक्किम की जनता के भाग लेने और प्रतिनिधित्व के लिए कार्यवाही करे। सिक्किम शासन विधेयक पारित करने के पश्चात् 28 जून 1974 को सिक्किम विधान सभा में अन्य बातों के साथ-साथ सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया कि भारत की संसदीय प्रणाली में सिक्किम की जनता के प्रतिनिधित्व के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सिक्किम शासन अधिनियम प्रख्यापित होने के पश्चात् सिक्किम के मुख्य मंत्री ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार से औपचारिक रूप से यह अनुरोध किया कि भारत सरकार वह सभी कदम उठाये जो विधि या संविधान की दृष्टि से सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 और विधान सभा द्वारा पारित संकल्प तथा विशेष रूप से संसद में सिक्किम की जनता को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक हों। भारत और सिक्किम के बीच सहयोग और परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिये सिक्किम की जनता की इच्छाओं को पूरा करने की दृष्टि से इस विधेयक का आशय संविधान का संशोधन करना था जिससे सिक्किम के भारत संघ के साथ सहयुक्त होने की शर्तों और निर्बन्धनों का उपबंध किया जा सके। यह शर्तें और निर्बन्धन दसवीं अनुसूची में दिए गए हैं जो विधेयक के खंड 5 द्वारा संविधान में जोड़ी गई हैं। इस बारे में अनुसूची में उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करते हुए अनुसूची में राज्य सभा और लोक सभा में सिक्किम को एक-एक सीट आबंटित करने तथा सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा और लोक सभा में सिक्किम के प्रतिनिधियों के निर्वाचन का उपबंध किया गया है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

धारा 1 में उपबंध है कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 2 के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 2क अंतःस्थापित किया गया। अनुच्छेद 2क दसवीं अनुसूची में उल्लिखित शर्तों और निर्बन्धनों के अनुसार सिक्किम को

230. राज्य सभा वाद-विवाद, 7 सितम्बर 1974, कॉलम 205।

भारत संघ के साथ एक सहयुक्त राज्य का दर्जा प्रदान करता है।

धारा 3 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा यह अनुबंध किया गया है कि राज्य सभा का गठन, जैसा कि अनुच्छेद 80 में निर्धारित है, इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा संविधान में जोड़ी गई दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अधीन होगा। इस संशोधन द्वारा राज्य सभा के लिये सिक्किम को एक स्थान आवंटित किया गया है और प्रतिनिधि को सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

धारा 4 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 का संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि लोक सभा का गठन भी, जैसा कि अनुच्छेद 81 में निर्धारित है, दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अधीन होगा। इस संशोधन द्वारा लोक सभा के लिये सिक्किम को एक स्थान आवंटित किया गया और प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जायेगा। लोक सभा के लिए सिक्किम के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के उद्देश्य से समूचे सिक्किम को मिलाकर एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाया जायेगा। यह भी उपबंध किया गया है कि इस अधिनियम के आरंभ होने के समय विद्यमान लोक सभा में सिक्किम के प्रतिनिधि का निर्वाचन सिक्किम विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

धारा 5 द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची—दसवीं अनुसूची जोड़ी गई है। नई अनुसूची में सिक्किम के भारत संघ के साथ सहयुक्त होने की शर्तों और निर्बंधनों का उल्लेख है। इसमें अन्य बातों के अलावा सिक्किम के मामले में भारत सरकार के उत्तरदायित्वों का भी उल्लेख है। भारत सरकार सिक्किम की प्रतिरक्षा और प्रादेशिक अखंडता और इसके विदेशों से संबंधों के संचालन और विनियमन के लिये, चाहे वे संबंध राजनीतिक, आर्थिक या वित्तीय हों, अनन्यतः उत्तरदायी होगी। भारत सरकार को सिक्किम में स्थित रेल, हवाई अड्डों, विमान उतरने के स्थानों और विमान परिवहन सुविधा, डाक, तार, दूरभाष और बेतार प्रतिष्ठानों के निर्माण, अनुरक्षण और विनियमन का अनन्य अधिकार भी होगा। नई अनुसूची में भारतीय संसद में सिक्किम के प्रतिनिधित्व, सिक्किम के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया, सदस्यता के लिये योग्यताएं आदि के लिये भी उपबंध किया गया है।

अनुसूची के उपबंध ऐसी अन्य शक्तियों, अधिकारिता, अधिकारों और प्राधिकारों के अतिरिक्त होंगे, जो भारत सरकार को किसी करार, अनुदान, प्रथा, मौन अनुमतियां या अन्य विधि संगत प्रबंध के अधीन सिक्किम के संबंध में हैं या भविष्य में हों, उनके अल्पीकरण में नहीं।

संशोधन का पाठ संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[22 फरवरी, 1975]

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्— नए अनुच्छेद 2 का अंतःस्थापन।

“2क. सिक्किम, जिसमें दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र समाविष्ट हैं, संघ के साथ उस अनुसूची में अभिकथित निर्बन्धनों और शर्तों पर सहयुक्त होगा”। सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना।

3. संविधान के अनुच्छेद 80 में, खंड (1) में “राज्य सभा” शब्द के स्थान पर “दसवीं अनुसूची में पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सभा” शब्द और अंक रखे जाएंगे। अनुच्छेद 80 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड (1) में “अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्द और अंकों के स्थान पर “अनुच्छेद 331 और दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्द और अंक रखे जाएंगे। अनुच्छेद 81 का संशोधन।

5. संविधान की नौवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित दसवीं अनुसूची का जोड़ा जाना।

अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्—

दसवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 2क, 80(1) और 81(1)]

भाग क

सिक्किम के राज्यक्षेत्र

1. सिक्किम—सिक्किम में निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट हैं अर्थात्—

वे राज्य क्षेत्र जो सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 के प्रवृत्त होने के ठीक पहले सिक्किम में समाविष्ट थे।

भाग ख

सिक्किम के संघ के साथ सहयुक्त होने की निर्बन्धन और शर्तें।

2. भारत सरकार के उत्तरदायित्व—भारत सरकार—

(1) (क) सिक्किम की प्रतिरक्षा और राज्यक्षेत्रीय अखंडता के लिए और सिक्किम के विदेशों से संबंधों के संचालन और विनियमन के लिए, चाहे वे संबंध राजनीतिक हों अथवा आर्थिक या वित्तीय हों, अनन्यतः उत्तरदायी होगी;

(ख) सिक्किम को रेल, विमान क्षेत्र, उतरने के स्थान और विमान परिवहन सुविधा, डाक, तार, दूरभाष और बेतार प्रतिष्ठानों के निर्माण, अनुरक्षण और विनियमन का अनन्य अधिकार होगा;

(ग) सिक्किम के आर्थिक और सामाजिक विकास और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए और सिक्किम में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी;

(घ) सिक्किम के विद्यार्थियों को भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में सुविधाएं देने के लिए और सिक्किम के लोगों को भारत की राज्याधीन सेवाओं में (जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं) भारत के नागरिकों के समकक्ष नौकरी देने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ङ) सिक्किम की जनता को भारत की राजनीतिक संस्थाओं में भाग लेने की और प्रतिनिधित्व करने की सुविधाएं देने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) इस पैरा में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।

3. राष्ट्रपति द्वारा कुछ शक्तियों का प्रयोग—राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्—

(क) भारत के योजना प्राधिकारी द्वारा भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाते समय अपने-अपने प्राधिकार की परिधि के भीतर सिक्किम के योजनाबद्ध विकास को सम्मिलित करने के लिए और ऐसे कार्य में सिक्किम के अधिकारियों को समुचित रूप से सहयुक्त करने के लिए;

(ख) सिक्किम शासन अधिनियम, 1974, के अधीन सिक्किम में या उसके संबंध में भारत सरकार में निहित की जाने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों के प्रयोग के लिए।

4. संसद में प्रतिनिधित्व—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) सिक्किम को राज्य सभा में एक स्थान और लोक सभा में एक स्थान आवंटित किया जायेगा;

(ख) राज्य सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि सिक्किम विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा;

(ग) लोक सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए संपूर्ण सिक्किम एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसे सिक्किम के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जायेगा:

परंतु यह कि संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारंभ होने के समय विद्यमान लोक सभा में सिक्किम का प्रतिनिधि सिक्किम की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(घ) सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी और प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में तत्समय लिखा जा रहा है, सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सामान्य मतदाता

सूची में पंजीकरण कराने के लिए हकदार होगा;

(ड) कोई व्यक्ति जो सिक्किम विधान सभा के स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित है, राज्य सभा या लोक सभा में सिक्किम का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हित होगा; और सिक्किम के ऐसे प्रतिनिधि की दशा में:

(i) अनुच्छेद 84 का खंड (क) इस उपान्तर के साथ लागू होगा कि “भारत का नागरिक हो, और” शब्दों का लोप किया गया है;

(ii) अनुच्छेद 101 का खंड (3) इस उपान्तर के साथ लागू होगा कि उप-खंड (क) का उसमें लोप किया गया है;

(iii) अनुच्छेद 102 के खंड (1) का उप-खंड (घ) इस उपान्तर के साथ लागू होगा कि “भारत का नागरिक नहीं है, अथवा” शब्दों का उसमें लोप लिया गया है;

(iv) अनुच्छेद 103 लागू नहीं होगा;

(च) राज्य सभा या लोक सभा में सिक्किम का प्रत्येक प्रतिनिधि, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़ कर, इस संविधान के सभी प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा का सदस्य समझा जाएगा:

परंतु सिक्किम के ऐसे प्रतिनिधि की दशा में अनुच्छेद 101 का खंड (2) इस उपांतर सहित लागू होगा कि “किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन” शब्दों के स्थान पर “दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं,” और “राज्य के विधानमंडल” शब्दों के स्थान पर “सिक्किम विधान सभा” शब्द प्रतिस्थापित किये गये हैं;

(छ) यदि सिक्किम का कोई प्रतिनिधि जो राज्य सभा या लोक सभा का सदस्य है, सिक्किम विधान सभा की सदस्यता के लिए अथवा राज्य सभा या लोक सभा में सिक्किम राज्य का प्रतिनिधि होने के किसी अनर्हता से ग्रस्त हो जाता है तो ऐसा होने पर, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के सदस्य के रूप में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा;

(ज) यदि यह प्रश्न उठता है कि सिक्किम का कोई प्रतिनिधि जो राज्य सभा या लोक सभा का सदस्य है, इस पैरा के खंड (छ) में वर्णित किसी अनर्हता से ग्रस्त हो गया है, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा;

(झ) इस पैरा के अधीन संसद के लिए सिक्किम के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की तैयारी और संचालन के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण, निर्वाचन आयोग में निहित होगा और अनुच्छेद 324 के खंड (2), (3), (4) और (6) के उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे निर्वाचनों को और उसके संबंध में लागू होंगे;

(ञ) इस पैरा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के लिए ऐसे निर्वाचनों से संबद्ध या संसक्त विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगी;

(ट) संसद के प्रत्येक सदन के लिए ऐसे निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन याचिका के बिना कोई आपत्ति नहीं की जायेगी जो ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गयी है जो संसद द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन उपबंधित है।

स्पष्टीकरण—इस पैरा में “सिक्किम विधान सभा” पद से सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 के अधीन गठित सिक्किम विधान सभा अभिप्रेत है।

5. अनुसूची द्वारा करारों का अल्पीकरण न होना आदि—इस अनुसूची के उपबंध ऐसी अन्य शक्तियों, अधिकारिता, अधिकारों और प्राधिकारों के अतिरिक्त होंगे जो भारत सरकार को किसी करार, अनुदान, प्रथा, सहन की गयी बात, या अन्य विधिसंगत प्रबंध के अधीन सिक्किम के संबंध में है या भविष्य में हो, उनके अल्पीकरण में नहीं।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975²³¹

विधायी इतिहास

संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 जब 21 अप्रैल 1975 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तो इसका नाम संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, 1975 था²³²। इस विधेयक का आशय (एक) संविधान के अनुच्छेद 80 और 81 तथा संविधान की पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन करना; (दो) एक नया अनुच्छेद 371च अंतःस्थापित करना; और (तीन) संविधान के अनुच्छेद 2क और दसवीं अनुसूची का लोप करना था। इस विधेयक पर लोक सभा द्वारा 23 अप्रैल 1975 को विचार किया गया और संशोधित रूप में उसी दिन पारित कर दिया गया²³³। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 26 अप्रैल 1975²³⁴ को विचार किया गया और उसे पारित किया गया। लोक सभा द्वारा विधेयक के खंड 1 को इसके संक्षिप्त नाम को बदलकर “संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम”²³⁵ करके, औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया। सदन द्वारा विधेयक के खंड 2 को भी “अड़तीसवां संशोधन”²³⁶ के स्थान पर “छत्तीसवां संशोधन” प्रतिस्थापित करके औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया।

लोक सभा द्वारा विधेयक के खंड 3 पर विचार के दौरान श्री वेंकटसुब्बया द्वारा किया गया एक संशोधन जिसमें नए अनुच्छेद 371च में उपखंड (ग) के स्थान नया उपखंड लाने का विचार था, सदन

231. 1975 का विधेयक संख्यांक 38; 21 अप्रैल 1975 को विदेश मंत्री, श्री यशवंत राव चव्हाण द्वारा लोक सभा में संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 23 अप्रैल 1975; राज्य सभा: 26 अप्रैल 1975; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित: राष्ट्रपति की अनुमति: 16 मई 1975; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 16 मई 1975; प्रारंभ की तारीख: 26 अप्रैल 1975।

232. लोक सभा वाद-विवाद, 21 अप्रैल 1975, कॉलम 245।

233. वही, 23 अप्रैल 1975, कॉलम 351।

234. राज्य सभा वाद-विवाद, 26 अप्रैल 1975, कॉलम 146।

235. लोक सभा वाद-विवाद, 23 अप्रैल 1975, कॉलम 336-338।

236. वही, कॉलम 296।

में स्वीकार कर लिया गया²³⁷ और यथासंशोधित खंड को, “अड़तीसवां संशोधन” शब्द के स्थान पर “छत्तीसवां संशोधन”²³⁸ शब्द करके अनुच्छेद 371च के उपखंड (ख) और (त) के औपचारिक संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया था। विधेयक के खंड 4 और 5 को लोक सभा²³⁹ और राज्य सभा, दोनों द्वारा मूल रूप में, स्वीकार कर लिया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

सिक्किम विधान सभा ने 10 अप्रैल 1975 को एक संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चोग्याल के लगातार हानिकारक क्रियाकलापों को नोट किया गया, जिनका उद्देश्य 8 मई 1973 के करार और सिक्किम शासन अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन स्थापित उत्तरदायी लोकतांत्रिक सरकार को दुर्बल करना था। संकल्प में यह घोषणा की गई थी कि इस सभा ने इस बारे में अपना समाधान कर लिया है कि चोग्याल की इन गतिविधियों से न केवल 8 मई 1973 के करार के उद्देश्यों का उल्लंघन होता है बल्कि वे सिक्किम की जनता की इच्छाओं के प्रतिकूल भी हैं और इनसे भारत के राजनैतिक और आर्थिक जीवन के लोकतांत्रिक विकास और भागीदारी में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। तदनुसार विधान सभा ने सर्वसम्मति से घोषणा की और संकल्प किया कि “एतद्वारा चोग्याल के पद को समाप्त किया जाता है और अब से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग होगा जिसमें लोकतांत्रिक और पूर्णतः उत्तरदायी सरकार होगी”। विधान सभा ने यह संकल्प भी किया कि इस संकल्प को सिक्किम की जनता के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाए। सिक्किम सरकार ने 14 अप्रैल 1975 को विशेष जनमत कराया जिसमें अनुमानतः 97,000 कुल मतदाताओं में से 59,637 मतदाताओं ने संकल्प के पक्ष में और 1,496 मतदाताओं ने इसके विरुद्ध मत दिए। सिक्किम के मुख्य मंत्री ने इस मतदान के परिणाम से 15 अप्रैल 1975 को भारत सरकार को अवगत करा दिया। मंत्रिपरिषद की ओर से मुख्य मंत्री ने भारत सरकार से पुरजोर शब्दों में अनुरोध किया कि वह 10 अप्रैल 1975 को सभा में पारित संकल्प में किए गए अनुरोध पर अपनी तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करे और उक्त निर्णय को स्वीकार करे और निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक और उपयुक्त उपाय यथाशीघ्र किए जाएं। सिक्किम के मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों ने 16 और 17 अप्रैल 1975 को नई दिल्ली का दौरा भी किया और भारत सरकार से इस निमित्त तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध किया। तदनुसार, इस अधिनियम का उद्देश्य, संविधान की पहली अनुसूची में सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल करना और सिक्किम के लिए राज्य सभा और लोक सभा में एक-एक स्थान आवंटित करना है। इसमें सिक्किम की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे गए उपबन्धों वाले एक नए अनुच्छेद की अंतःस्थापना की व्यवस्था भी की गई।

237. लोक सभा वाद-विवाद, 23 अप्रैल 1975, कॉलम 320-321।

238. वही, कॉलम 320-328।

239. वही, कॉलम 328-336।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

धारा 1 में इस बात का उपबंध है कि इस अधिनियम को उस तारीख को प्रवृत्त माना जाएगा जिस तारीख को इस अधिनियम के संशोधन [लोक सभा में संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, 1975 के रूप में पुरःस्थापित] लोक सभा द्वारा यथापारित को राज्य सभा द्वारा पारित किया जाता है।

धारा 2 द्वारा भारत संघ बाईसवें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित किया गया है। यह सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों को भी विनिर्दिष्ट करती है।

धारा 3 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371ड के बाद नए अनुच्छेद 371च का अंतःस्थापन किया गया है। नया अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में कुछ विशेष उपबंधों की व्यवस्था करता है।

नए अनुच्छेद 371च के खंड (क) में यह उपबंध किया गया है कि सिक्किम राज्य की विधान सभा तीस से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।

खंड (ख) में यह उपबंध किया गया है कि संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ की तारीख से (जिसे इस अनुच्छेद में इसके पश्चात् नियत दिन कहा गया है।) अप्रैल 1974 में सिक्किम में हुए निर्वाचनों के परिणामस्वरूप बनी सिक्किम की वर्तमान विधान सभा संविधान के अधीन सम्यक् रूप से गठित सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी जायेगी।

खंड (ग) में यह उपबंध किया गया है कि मौजूदा सिक्किम विधान सभा के संदर्भ में, अनुच्छेद 172 में उल्लिखित “पांच वर्ष” की अवधि “चार वर्ष” मानी जाएगी और उक्त अवधि नियत दिन से प्रारंभ मानी जायेगी।

खंड (घ) के अंतर्गत लोक सभा में सिक्किम राज्य को एक स्थान आवंटित किया गया है और सम्पूर्ण सिक्किम राज्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र माना जायेगा।

खंड (ङ) में यह उपबंध किया गया है कि नियत दिन को विद्यमान लोक सभा में सिक्किम राज्य का प्रतिनिधि सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

खंड (च) में सिक्किम विधान सभा के निर्वाचन और विभिन्न जनसंख्या वर्गों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का उपबंध किया गया है।

खंड (छ) में सिक्किम के राज्यपाल को सिक्किम की जनता की शांति, सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने का विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। यह उसे ऐसे निदेशों के अध्यक्षीन जो राष्ट्रपति जारी करना उचित समझे, अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।

खंड (ज) में यह उपबंध किया गया है कि सभी संपत्ति और आस्तियां, जो नियत दिन से ठीक पहले सिक्किम राज्य की सरकार में या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति में निहित थीं, नियत दिन से सिक्किम राज्य की सरकार में निहित हो जायेंगी।

खंड (झ) के अंतर्गत सिक्किम में नियत दिन से ठीक पहले कार्यरत उच्च न्यायालय को सिक्किम राज्य का उच्च न्यायालय समझा जायेगा।

खंड (ञ) के अंतर्गत सिक्किम में विद्यमान प्रशासनिक ढांचा संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्य करता रहेगा।

खंड (ट) के अंतर्गत सिक्किम राज्य में नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियां वहां प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि वह किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित अथवा निरसित नहीं कर दी जातीं।

खंड (ठ) के अनुसार राष्ट्रपति, सिक्किम राज्य में प्रवृत्त विधियों में नियत दिन से दो वर्षों की अवधि के भीतर इस प्रकार के अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो किसी ऐसी विधि के उपबंधों को संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हों।

खंड (ड) के अनुसार सिक्किम के बारे में किसी ऐसी संधि, करार, वचनबद्ध या वैसी ही अन्य लिखत से, जो नियत दिन से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और जिसमें भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती कोई सरकार पक्षकार थी, उत्पन्न किसी विवाद या अन्य विषय के बारे में उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।

खंड (ढ) के अनुसार, राष्ट्रपति को भारत के किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी भी कानून को ऐसे संशोधनों अथवा उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझे, सिक्किम राज्य पर विस्तारित करने की शक्ति दी गई है।

खंड (ण) के अनुसार, यदि पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत दिन से दो वर्ष की अवधि के भीतर उस कठिनाई को दूर करने के लिये उपबंध कर सकेगा।

खंड (त) में यह उपबंध किया गया कि नियत दिन को प्रारम्भ होने वाली और उस तारीख से, जिसको संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई सभी बातें अथवा कार्यवाहियां संविधान के अधीन विधिमान्यतः की गई समझी जायेंगी।

धारा 4 राज्य सभा में स्थानों के आवंटन को दर्शाने वाली तालिका “सिक्किम” को 22वीं प्रविष्टि के रूप में शामिल करने के लिए संविधान की चौथी अनुसूची को संशोधित करती है और राज्य सभा में सिक्किम के लिये एक स्थान आवंटित करती है।

धारा 5 द्वारा दसवीं अनुसूची के संदर्भ का लोप करके संविधान के अनुच्छेद 80 और 81 में कतिपय पारिणामिक संशोधन किए गए हैं। संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 2क और दसवीं अनुसूची का लोप किया गया है।

संशोधन का पाठ संविधान (छत्तीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1975

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[16 मई, 1975]

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा जिसको [संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, 1975 के रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित] लोक सभा द्वारा यथा पारित इस अधिनियम के लिए विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किया जाता है।

पहली अनुसूची
की प्रविष्टि 22 का
अंतःस्थापन।

2. संविधान की पहली अनुसूची में, शीर्षक “1. राज्य” के अधीन, प्रविष्टि 21 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी; अर्थात्—

“22. सिक्किम- वे राज्य क्षेत्र जो संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ से ठीक पूर्व सिक्किम में समाविष्ट थे।”

नए अनुच्छेद 371च
का अंतःस्थापन।

3. संविधान के अनुच्छेद 371ड के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

सिक्किम राज्य
के संबंध में विशेष
उपबंध।

“371च. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) सिक्किम राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी;

(ख) संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ की तारीख से (जिसे इस अनुच्छेद में इसके पश्चात् नियत दिन कहा गया है)—

(i) सिक्किम की विधान सभा, जो अप्रैल, 1974 में सिक्किम में हुए निर्वाचनों के परिणामस्वरूप उक्त निर्वाचनों

में निर्वाचित बत्तीस सदस्यों से (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आसीन सदस्य कहा गया है) मिलकर बनी है, इस संविधान के अधीन सम्यक् रूप से गठित सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी जाएगी;

(ii) आसीन सदस्य इस संविधान के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्य समझे जाएंगे; और

(iii) सिक्किम राज्य की उक्त विधान सभा इस संविधान के अधीन राज्य की विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी;

(ग) खंड (ख) के अधीन सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी गई विधान सभा की दशा में, अनुच्छेद 172 के खंड (1) में पांच वर्ष की अवधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे चार वर्ष की अवधि के प्रति निर्देश हैं और चार वर्ष की उक्त अवधि नियत दिन से प्रारंभ हुई समझी जाएगी;

(घ) जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं करती है तब तक सिक्किम राज्य को लोक सभा में एक स्थान आबंटित किया जाएगा और सिक्किम राज्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करेगा जिसका नाम सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा;

(ङ) नियत दिन को विद्यमान लोक सभा में सिक्किम राज्य का प्रतिनिधि सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(च) संसद, सिक्किम की जनता के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए सिक्किम राज्य की विधान सभा में उन स्थानों की संख्या के लिए जो ऐसे वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे और ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, जिनसे केवल ऐसे वर्गों के अभ्यर्थी ही सिक्किम राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए खड़े हो सकेंगे, उपबंध कर सकेगी;

(छ) सिक्किम के राज्यपाल का, शांति के लिए और

सिक्किम की जनता के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए साम्यपूर्ण व्यवस्था करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा और इस खंड के अधीन अपने विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सिक्किम का राज्यपाल ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति समय-समय पर देना ठीक समझे, अपने विवेक से कार्य करेगा;

(ज) सभी संपत्ति और आस्तियां (चाहे वे सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के भीतर हों या बाहर) जो नियत दिन से ठीक पहले सिक्किम सरकार में या सिक्किम सरकार के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति में निहित थीं, नियत दिन से सिक्किम राज्य की सरकार में निहित हो जाएंगी;

(झ) सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों में नियत दिन से ठीक पहले उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत उच्च न्यायालय नियत दिन को और से सिक्किम राज्य का उच्च न्यायालय समझा जाएगा;

(ञ) सिक्किम राज्य के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय तथा सभी न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी नियत दिन को और से अपने-अपने कृत्यों को इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करते रहेंगे;

(ट) सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्र में या उसके किसी भाग में नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियां वहां तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका संशोधन या निरसन नहीं कर दिया जाता है;

(ठ) सिक्किम राज्य के प्रशासन के संबंध में किसी ऐसी विधि को, जो खंड (ट) में निर्दिष्ट है, लागू किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी ऐसी विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, नियत दिन से दो वर्ष के भीतर, आदेश

द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हों और तब प्रत्येक ऐसी विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा;

(ड) उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को, सिविकम के संबंध में किसी ऐसी संधि, करार, वचनबंध या वैसी ही अन्य लिखत से, जो नियत दिन से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और जिसमें भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती कोई सरकार पक्षकार थी, उत्पन्न किसी विवाद या अन्य विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अनुच्छेद 143 के उपबंधों का अल्पीकरण करती है;

(ढ) राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसी अधिनियमिति का विस्तार, जो उस अधिसूचना की तारीख को भारत के किसी राज्य में प्रवृत्त है, ऐसे निर्बंधनों या उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है, सिविकम राज्य पर कर सकेगा;

(ण) यदि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कोई ऐसी बात (जिसके अंतर्गत किसी अन्य अनुच्छेद का कोई अनुकूलन या उपांतरण है) कर सकेगा जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होती है:

परंतु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा;

(त) सिविकम राज्य या उसमें समाविष्ट राज्यक्षेत्रों में या उनके संबंध में, नियत दिन को प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से जिसको संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई सभी बातें और कार्रवाइयां,

जहां तक वे संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथासंशोधित इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप हैं, सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार यथासंशोधित इस संविधान के अधीन विधिमान्यतः की गई समझी जाएंगी।”

चौथी अनुसूची का संशोधन।

4. संविधान की चौथी अनुसूची में, सारणी में,—

(क) प्रविष्टि 21 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“22. सिक्किम.....”;

(ख) 22 से लेकर 25 तक की विद्यमान प्रविष्टियां क्रमशः 23 से लेकर 26 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी;

(ग) अंक “231” के स्थान पर अंक “232” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पारिणामिक संशोधन।

5. संविधान में निम्नलिखित पारिणामिक संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्—

(क) अनुच्छेद 2क का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुच्छेद 80 में, खंड (1) में “दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ग) अनुच्छेद 81 में, खंड (1) में, “और दसवीं अनुसूची के पैरा 4” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(घ) दसवीं अनुसूची का लोप किया जाएगा।

संशोधन के पश्चात् न्यायिक घोषणा:

अनुच्छेद 371(च) की संवैधानिक वैधता को *आर.सी. पौड्याल बनाम भारत संघ*, एआईआर 1993 एससी 1804 में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि विचाराधीन प्रावधान लोकतंत्र के सिद्धांत से हट कर नहीं है या उसे नकारता नहीं है।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (सैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975²⁴⁰

विधायी इतिहास

संविधान (सैंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1975, लोक सभा में 9 अप्रैल 1975 को पुरःस्थापित किया गया²⁴¹। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 239क और 240 का संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 23 अप्रैल 1975²⁴² को और राज्य सभा द्वारा 26 अप्रैल 1975²⁴³ को विचार किया गया और उसे मूल रूप में पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संघ राज्यक्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश परिषद् थी जिसमें अधिकतर जिला परिषदों के प्रतिनिधि थे और वह इस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सलाहकार परिषद् के रूप में कार्य कर रही थी। प्रदेश परिषद् के कुछ सदस्य प्रशासन के दैनिक कार्य में पार्षदों के रूप में मुख्य आयुक्त के साथ सहयोजित थे। विधेयक का आशय अरुणाचल प्रदेश परिषद् के स्थान पर विधान सभा और पार्षदों के स्थान पर मंत्रिपरिषद् की स्थापना करने का था जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 239क में विनिर्दिष्ट कुछ अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में है।

संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन राष्ट्रपति को अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के लिये विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। यह उपबंध किया गया है कि इस संघ राज्यक्षेत्र के लिये विधान सभा का गठन होने के पश्चात् अन्य संघ राज्यक्षेत्रों की भांति, जहां विधान सभाएं हैं, इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जाये, जब विधान सभा विघटित या निलंबित कर दी गई हो। इस विधेयक का आशय इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अनुच्छेद 240 का भी संशोधन करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

धारा 2 द्वारा कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिये स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों के सृजन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 239क का संशोधन किया गया है। इस संशोधन में उस सूची

240. 1975 का विधेयक संख्यांक 32; गृह मंत्री, श्री के. ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा, 9 अप्रैल 1975 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 23 अप्रैल 1975; राज्य सभा: 26 अप्रैल 1975; राष्ट्रपति की अनुमति: 3 मई 1975; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 5 मई 1975; प्रारंभ की तारीख: 3 मई 1975।

241. लोक सभा वाद-विवाद, 9 अप्रैल 1975, कॉलम 244-245।

242. वही, 23 अप्रैल 1975, कॉलम 383।

243. राज्य सभा वाद-विवाद, 26 अप्रैल 1975, कॉलम 190।

में पहले से ही शामिल पांडिचेरी और मिजोरम के साथ, जिनके लिये विधानमंडलों, मंत्रिपरिषदों अथवा दोनों का सृजन किया जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 239क के खंड (1) के अधीन शामिल किया गया है।

धारा 3 द्वारा कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिये विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 240 का संशोधन किया गया है। इस संशोधन द्वारा, अन्य संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् पांडिचेरी और मिजोरम के साथ अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया गया है, जिनके लिये राष्ट्रपति द्वारा विनियम बनाये जा सकते हैं।

संशोधन का पाठ

संविधान (सैंतीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1975

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[3 मई, 1975]

संक्षिप्त नाम ।	1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (सैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 है ।
अनुच्छेद 239क का संशोधन ।	2. संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड (1) में “पांडिचेरी और मिजोरम” शब्दों के स्थान पर “पांडिचेरी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
अनुच्छेद 240 का संशोधन ।	3. संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) के दोनों परंतुकों में “पांडिचेरी अथवा मिजोरम” शब्दों के स्थान पर “पांडिचेरी, मिजोरम अथवा अरुणाचल प्रदेश” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975²⁴⁴

विधायी इतिहास

संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 जब 22 जुलाई 1975 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तो इसका नाम संविधान (उनतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1975 था²⁴⁵। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239ख, 352, 356, 359 और 360 का संशोधन करना था।

विधेयक पर लोक सभा में 23 जुलाई 1975 को विचार किया गया और उसे उसी दिन उसके संक्षिप्त नाम को बदलकर “संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975” करके खंड 1 में केवल औपचारिक संशोधन के साथ पारित कर दिया गया²⁴⁶। लोक सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 24 जुलाई 1975 को विचार किया गया और उसे पारित कर दिया गया²⁴⁷।

विधेयक के खंड 2 से 8 लोक सभा और राज्य सभा द्वारा मूल रूप में स्वीकार कर लिये गये।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि जब दोनों सदन सत्र में न हों तब यदि उनका समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की शक्तियां संविधान में राज्यपाल

244. 1975 का विधेयक संख्यांक 54; 22 जुलाई 1975 को विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री, श्री एच.आर. गोखले द्वारा लोक सभा में संविधान (उनतालीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 23 जुलाई 1975; राज्य सभा: 24 जुलाई 1975; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 1 अगस्त 1975; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 1 अगस्त 1975; प्रारम्भ की तारीख: 1 अगस्त 1975।

245. लोक सभा वाद-विवाद, 22 जुलाई 1975, कॉलम 24-33।

246. वही, 23 जुलाई 1975, कॉलम 141।

247. राज्य सभा वाद-विवाद, 24 जुलाई 1975, कॉलम 90।

को अनुच्छेद 213 के अधीन दी गई हैं। ऐसी ही शक्तियां अनुच्छेद 239ख के अधीन प्रशासक को दी गई हैं जिनका प्रयोग उस समय होता है जब संघ राज्यक्षेत्र का विधानमंडल सत्र में न हो। अनुच्छेद 123, 213 और 239ख की भाषा के आधार पर यह सन्देह से परे है कि उन अनुच्छेदों में जिस समाधान का जिक्र है वे व्यक्तिपरक समाधान हैं और उस पर न्यायालय विचार नहीं कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं का भी यही आशय था। तथापि शंकाएं उठाई जा रही थीं कि मामला न्यायिक समीक्षा के अध्यधीन है और न्यायालय में इस मामले में आपत्ति के बारे में मुकदमेबाजी हो सकती है। सन्देह को दूर करने के लिये, विधेयक का आशय संविधान में यह उपबंध करने का था कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक का समाधान अन्तिम और निश्चयक होगा तथा किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में इस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि यदि उनका समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति से भारत या भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है तो वे आपात स्थिति की घोषणा कर दें। अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य का शासन नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 360 द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपात स्थिति घोषित करने की शक्ति दी गई है, यदि उनका समाधान हो जाता है कि भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। यहां भी इन अनुच्छेदों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि इस समाधान पर न्यायालय विचार नहीं कर सकते। फिर भी चूंकि अनुच्छेद 352 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा की विधिमान्यता पर अनेक कार्यवाहियों में आपत्ति की गई है चूंकि इस प्रकार की मुकदमेबाजी में सार्वजनिक समय और धन का अपव्यय होता है, इसलिये विधेयक का आशय इन तीन अनुच्छेदों का संशोधन करना था ताकि राष्ट्रपति का समाधान अन्तिम और निश्चयक हो जाये और उस पर किसी भी आधार पर न्यायालय में आपत्ति न की जा सके।

कुछ रिट याचिकाओं में अनुच्छेद 352 के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि जब आपात स्थिति की मूल उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब उसके अधीन दूसरी उद्घोषणा नहीं की जा सकती। इस विषय को सन्देह के घेरे से बाहर लाने के लिये विधेयक के अनुच्छेद 352 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं जारी कर सकते हैं चाहे पहले से कोई उद्घोषणा विद्यमान और प्रवृत्त हो या न हो।

जब आपात स्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है तब संविधान के अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वह आदेश जारी करके, भाग 3 द्वारा दिये गये ऐसे अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं जो आदेश में वर्णित हों। यह आशय था कि इस अनुच्छेद द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग आपातकाल में परिस्थितियों के अनुसार किया जायेगा। दूसरी ओर अनुच्छेद 358 का यह प्रभाव है कि

अनुच्छेद 19 के उपबंध आपातकाल उद्घोषणा के दौरान अपने आप निलंबित हो जाते हैं और उस अनुच्छेद की विधि बनाने की शक्ति पर या कार्यपालिका के कार्य करने की शक्ति पर कोई निर्बंधन नहीं लग सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 359 का यह आशय है कि उस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जब कोई आदेश, भाग 3 द्वारा दिये गये आदेश में वर्णित अधिकारों के संबंध में किया जाता है तब सभी व्यावहारिक बातों में इस प्रकार दिये गये आदेशों का उन अधिकारों के संबंध में वही प्रभाव होगा जो अनुच्छेद 358 का अनुच्छेद 19 के संबंध में है। विधेयक का आशय संविधान का संशोधन करना था ताकि अनुच्छेद 358 की भाषा में और अनुच्छेद 359 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश की भाषा में कोई अन्तर न रहे।

विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239ख, 352, 356, 359 और 360 का संशोधन करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

धारा 2 में एक नया खंड (4) अंतःस्थापित करके संविधान के अनुच्छेद 123 का संशोधन किया गया है जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इस खंड की अंतःस्थापना से खंड (1) में वर्णित संसद के सत्र सत्रावसान की अवधि के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधी राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

धारा 3 में एक नया खंड (4) अंतःस्थापित करके संविधान के अनुच्छेद 213 में संशोधन किया गया है जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इस खंड की अंतःस्थापना से विधानमंडल के सत्रावकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में खंड (1) में वर्णित राज्यपाल का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

धारा 4 में एक नया खंड (4) अंतःस्थापित करके संविधान के अनुच्छेद 239ख में संशोधन किया गया है जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। इस खंड की अंतःस्थापना से खंड (1) में वर्णित किसी संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल के सत्रावकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिये प्रशासक का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

संविधान के अनुच्छेद 352 में दो नये खण्ड (4) और (5) अंतःस्थापित किये गये हैं जिनका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। खंड (4) के आधार पर राष्ट्रपति को आपात स्थिति की उद्घोषणा संबंधी शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशांति के विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी चाहे खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पहले से की गई उद्घोषणा हो, या न हो और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में हो। खंड 5 के अंतर्गत खंड (1) और खंड (3) में उल्लिखित राष्ट्रपति के समाधान पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में

आपत्ति नहीं की जायेगी। (धारा 5)

संविधान के अनुच्छेद 356 में एक नया खंड (5) अंतःस्थापित करके संशोधन किया गया है जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है और राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार काम नहीं कर सकती है तो राज्य सरकार के कृत्यों को स्वयं अधिग्रहीत करने के बारे में खंड (1) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी। (धारा 6)

धारा 7 में एक नया खंड (1क) अंतःस्थापित करके संविधान के अनुच्छेद 359 में संशोधन किया गया है जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। खंड (1क) में व्यवस्था है कि जब संविधान के भाग तीन द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों को उल्लिखित करने वाला खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश प्रवर्तन में है तब उस भाग में उन अधिकारों को प्रदान करने वाली कोई बात उस भाग में यथापरिभाषित राज्य की कोई विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की शक्ति को निर्बन्धित नहीं करेगी जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिये सक्षम होता। इसमें आगे कहा गया है कि इस प्रकार बनाई गई कोई विधि पूर्वोक्त आदेश के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरंत प्रभावहीन हो जायेगी जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

धारा 8 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 360 को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधित किया गया है। अनुच्छेद में एक नया खंड (5) अंतःस्थापित किया गया है। इस खंड के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा से संबंधित खंड (1) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

संशोधन का पाठ संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[1 अगस्त, 1975]

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 123 में खंड (3) के पश्चात् अनुच्छेद 123 का
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव से संशोधन।
अंतःस्थापित समझा जाएगा अर्थात्—

“(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी खंड (1)
में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा
और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में
आपत्ति नहीं की जाएगी।”

3. संविधान के अनुच्छेद 213 में खंड (3) के पश्चात् अनुच्छेद 213 का
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव से संशोधन।
अंतःस्थापित समझा जाएगा, अर्थात्—

“(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी खंड (1)
में वर्णित राज्यपाल का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा
उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति
नहीं की जाएगी।”

4. संविधान के अनुच्छेद 239ख में खंड (3) के पश्चात् अनुच्छेद 239ख
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव से का संशोधन।
अंतःस्थापित समझा जाएगा, अर्थात्

“(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी खंड (1)
में वर्णित प्रशासक का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा

और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।”

अनुच्छेद 352 का संशोधन।

5. संविधान के अनुच्छेद 352 में खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव से अंतःस्थापित समझा जाएगा, अर्थात्—

“(4) इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यंतरिक अशांति अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यंतरिक अशान्ति का सन्निकट संकट होने के विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने खंड (1) के अधीन पहले ही कोई उद्घोषणा की है या नहीं और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है या नहीं।

(5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) खंड (1) और खंड (3) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी;

(ख) खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न तो उच्चतम न्यायालय को और न किसी अन्य न्यायालय को निम्नलिखित की विधिमान्यता के बारे में किसी भी आधार पर कोई प्रश्न ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार होगा—

(i) राष्ट्रपति द्वारा की गयी उद्घोषणा द्वारा खंड (1) में वर्णित आशय की घोषणा; या

(ii) ऐसी उद्घोषणा का प्रवृत्त बना रहना।”

अनुच्छेद 356 का संशोधन।

6. संविधान के अनुच्छेद 356 में, खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव से अंतःस्थापित समझा जाएगा, अर्थात्—

“(5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी खंड (1) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।”

अनुच्छेद 359 का संशोधन।

7. संविधान के अनुच्छेद 359 में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव से

अंतःस्थापित समझा जाएगा, अर्थात्—

“(1क) जब भाग 3 द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों को उल्लिखित करने वाला खंड (1) के अधीन किया गया आदेश प्रवर्तन में है तब उस भाग में उन अधिकारों को प्रदान करने वाली कोई बात उस भाग में यथापरिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को, जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता, निर्बंधित नहीं करेगी, किंतु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि पूर्वोक्त आदेश के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरंत प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।”

8. संविधान के अनुच्छेद 360 में, खंड (4) के पश्चात् अनुच्छेद 360 का निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव से संशोधन।
अंतःस्थापित समझा जाएगा; अर्थात्

“(5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) खण्ड (1) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चयक होगा और उस पर किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी;

(ख) खण्ड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, न तो उच्चतम न्यायालय को और न किसी अन्य न्यायालय को निम्नलिखित की विधिमान्यता के बारे में, किसी भी आधार पर, कोई प्रश्न ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार होगा—

(i) राष्ट्रपति द्वारा की गयी उद्घोषणा द्वारा खंड (1) में वर्णित आशय की घोषणा; या

(ii) ऐसी उद्घोषणा का प्रवृत्त बना रहना।”



वाद विवाद का लिंक

संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975²⁴⁸

विधायी इतिहास

राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी और अन्य, एआईआर 1972 इलाहाबाद 41 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोक सभा के लिए प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि इंदिरा गांधी का चुनाव दो आधारों पर अमान्य था, पहला, श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया था और दूसरा चुनाव एजेंट के तौर पर राजपत्रित अधिकारी का प्रयोग किया गया था। इसने संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 को लागू करने के लिए प्रेरित किया।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप देश के चार उच्च अधिकारियों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्धारण करने की पद्धति में बदलाव किया गया।

संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 जब 7 अगस्त 1975 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तो उस समय इसका नाम संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक था²⁴⁹। इस विधेयक का आशय संविधान के (एक) अनुच्छेद 329 का संशोधन करना, (दो) अनुच्छेद 71 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित करना, (तीन) नये अनुच्छेद 329क का अन्तःस्थापन करना, और (चार) संविधान की नौवीं अनुसूची में 38 केन्द्रीय और राज्य कानून शामिल करना था।

इस विधेयक पर लोक सभा द्वारा 7 अगस्त 1975 को विचार किया गया और साथ ही उसी दिन पारित किया गया।²⁵⁰ इसके खण्ड 1 और 4 में “चालीसवां” शब्द के स्थान पर “उनतालीसवां”

248. 1975 का विधेयक संख्यांक 60; 7 अगस्त 1975 को विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री, श्री एच.आर. गोखले द्वारा लोक सभा में संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 7 अगस्त 1975; राज्य सभा: 8 अगस्त 1975; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधान मंडलों अर्थात्, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 10 अगस्त 1975; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 10 अगस्त 1975; प्रारम्भ की तारीख: 10 अगस्त 1975।

249. लोक सभा वाद-विवाद, 7 अगस्त 1975, कॉलम 8।

250. लोक सभा वाद-विवाद, 7 अगस्त 1975, कॉलम 116।

प्रतिस्थापित करके औपचारिक संशोधन किए गए थे²⁵¹। लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 8 अगस्त 1975 को विचार किया गया और पारित किया गया²⁵²।

विधेयक के खंड 2, 3 और 5 को लोक सभा और राज्य सभा, दोनों द्वारा मूल रूप में स्वीकार कर लिया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 71 यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा। इसी अनुच्छेद में यह उपबंध है कि इनके निर्वाचन से संबंधित विषयों का विनियमन संसदीय विधि द्वारा किया जायेगा। प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित मामले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबंधों द्वारा विनियमित होते हैं। इस अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय को यह अधिकारिता है कि वह इन दोनों में से किसी के विरुद्ध दी गई याचिका का विचारण करे।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष उच्च पद धारण करते हैं। जब राष्ट्रपति पदासीन होता है तब अपने पद की शक्तियों के प्रयोग में की गई किसी भी बात के लिये वह किसी न्यायालय का उत्तरदायी नहीं होता है। इसी तर्क के आधार पर उनके निर्वाचन से संबंधित मामले न्यायालय के समक्ष नहीं आने चाहियें, बल्कि न्यायालय से भिन्न किसी अधिकरण को सौंपे जाने चाहियें। यही तर्क उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिये भी समान रूप से लागू होता है। अतएव विधेयक का आशय यह उपबंध करना भी था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद ऐसे अधिकरण द्वारा निपटाये जायें जो संसदीय विधि द्वारा बनाया जाये। प्रधान मंत्री या अध्यक्ष का पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में यथास्थिति संसद के किसी सदन या लोक सभा के लिये निर्वाचन के संबंध में इसी प्रकार के उपबंध का प्रस्ताव किया गया था। विधेयक में प्रस्ताव था कि विद्यमान विधि के अधीन ऐसे निर्वाचन की बाबत लंबित कार्यवाहियां अकृत और शून्य कर दी जायें। विधेयक का आशय यह उपबंध करना भी था कि ऊपर उल्लिखित उच्च पद धारण करने वाले व्यक्तियों के निर्वाचन से संबंधित विषयों के विचारण के लिये जो नया अधिकरण बनाया जायेगा उसकी रचना करने वाली संसदीय विधि पर भी किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

पहले जब कभी ऐसा पाया गया कि किसी ऐसे प्रगतिशील विधान को, जो लोकहित में बनाया गया है, मुकदमेबाजी से खतरा हो सकता है, तो नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। पुनः इस उपाय का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ गई थी। 1971 और 1973 के बीच कोककारी कोयला खानों और अन्य कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के लिए विधि की रचना की गई थी। इन विधियों का उद्देश्य इस्पात उद्योग के हित में कोयले के स्रोतों का संरक्षण करना था। इन विधियों पर

251. वही, कॉलम 104, 191।

252. राज्य सभा वाद-विवाद, 8 अगस्त 1975, कॉलम 64।

न्यायालय में आपत्ति की गई और यह कहा गया कि वे असंवैधानिक हैं। 1974 में जिन रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनके बारे में भी यही स्थिति थी। विदेशी मुद्रा संरक्षण और माल की तस्करी, जिसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा था, को रोकने के लिए संसद ने विधान बनाया। इस विधान पर भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में आपत्ति की गई थी। इन अधिनियमितियों को और कई अन्य महत्वपूर्ण और विशेष अधिनियमितियों को, जिनको अनुच्छेद 31ख के अधीन संवैधानिक संरक्षण देना आवश्यक हो गया था, अब नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया। भूमि सुधार और कृषि भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित राज्य विधानमंडलों की कुछ विधियां पहले से ही नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कर ली गई हैं। इन विधियों में कुछ संशोधन किए गए थे उन्हें भी अनुच्छेद 31ख के उपबन्धों के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

धारा 2 के द्वारा संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 71, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या संसक्त मामलों के बारे में है, के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है। नए अनुच्छेद के खंड (1) में संसद को राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी मामले के विनियमन के बारे में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। खंड (2) के अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच करने और निर्णय देने का कार्य ऐसे अधिकरण या निकाय द्वारा किया जायेगा जो खंड (1) द्वारा संदर्भित किसी विधि के अंतर्गत उपबंधित हो। अनुच्छेद के खंड (3) में यह कहा गया है कि खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विधि की मान्यता और ऐसी विधि के अधीन किसी प्राधिकारी या निकाय के विनिश्चय पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को संगत संसदीय विधि के अधीन शून्य घोषित कर दिया जाता है तो खंड (4) में यह उपबन्ध है कि उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में किए गए कार्य, उसका निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने के कारण अमान्य नहीं होंगे।

धारा 3 के द्वारा अनुच्छेद 329 के उपबन्धों को जो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करते थे और जो अध्यारोही स्वरूप के थे, अनुच्छेद 329क के उपबन्धों के अंतर्गत रखे गये हैं, जिनको इसके पश्चात् इस अधिनियम की धारा 4 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया है।

संविधान में नया अनुच्छेद 329क अंतःस्थापित किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबन्ध अंतर्विष्ट हैं। अनुच्छेद 329क के खंड (1) में यह कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन के समय प्रधान मंत्री का पद धारण किए हुए है या ऐसे निर्वाचन के पश्चात् प्रधान मंत्री

नियुक्त किया जाता है, ऐसे प्राधिकारों [जो अनुच्छेद 329 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी नहीं हैं] या निकाय के समक्ष और ऐसी रीति से ही आपत्ति की जा सकेगी, जैसी संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन उपबन्धित हो। इस खंड में किसी ऐसे व्यक्ति के, जो लोक सभा के निर्वाचन के समय लोक सभा के अध्यक्ष का पद धारण किए हुए है या ऐसे निर्वाचन के पश्चात् उस सदन के लिए अध्यक्ष चुना जाता है, लोक सभा के लिए निर्वाचन के संबंध में इस खंड में इसी प्रकार के उपबन्ध अंतर्विष्ट हैं। खंड (1) के उपबन्ध भाग 5 के अध्याय 2 के [अनुच्छेद 102 (1) (ड) को छोड़कर] उपबन्धों के अध्याधीन हैं। अनुच्छेद 329क के खंड (2) में यह उपबंध है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि, जैसा कि उक्त खंड (1) में कहा गया है और किसी प्राधिकारी या निकाय के विनिश्चय पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी। खंड (3) में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति, उस समय जब, यथास्थिति, संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए उसके निर्वाचन के संबंध में, अनुच्छेद 329 (ख) में निर्दिष्ट निर्वाचन याचिका लम्बित है तो उस व्यक्ति के यथास्थिति, प्रधान मंत्री नियुक्त होने पर या अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर ऐसी निर्वाचन याचिका का उपशमन हो जायेगा। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे निर्वाचन पर संसद की ऐसी किसी विधि के अधीन आपत्ति की जा सकेगी जैसा खंड (1) में निर्दिष्ट है। खंड (4) के अनुसार खंड (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के निर्वाचन को संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करने वाले आदेश के होते हुए भी ऐसा निर्वाचन वर्तमान संशोधन अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व मान्य बना रहेगा। खंड (5) में किसी न्यायालय के खंड (4) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध कोई अपील या प्रति अपील, जो वर्तमान संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले लम्बित है, खंड (4) के उपबन्धों के अनुसार निपटाई जाएगी। खंड (6) के द्वारा अनुच्छेद 329क के उपबन्ध इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। (धारा 4)

धारा 5 के द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में 38 नई प्रविष्टियां अर्थात् प्रविष्टि 87 से प्रविष्टि 124 तक अन्तःस्थापित करके संशोधन किया गया है।

संशोधन का पाठ संविधान (उनतालीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1975

भारत के संविधान का और संशोधन

करने के लिए अधिनियम

[10 अगस्त, 1975]

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 है ।

अनुच्छेद 71 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 71 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय ।

“71. (1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी जिसके अंतर्गत वे आधार भी हैं जिन पर ऐसे निर्वाचन पर आपत्ति की जा सकेगी:

परंतु राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रक्ति के आधार पर प्रश्रुगत नहीं किया जाएगा ।

(2) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा और ऐसी रीति से किया जाएगा जो खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन उपबंधित हो ।

(3) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विधि की मान्यता और ऐसी विधि के अधीन किसी प्राधिकारी या निकाय के विनिश्चय पर

किसी न्यायपालिका में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) यदि खंड (1) में निर्दिष्ट विधि के अधीन किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में ऐसी घोषणा की तारीख को या उससे पूर्व किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य न हो जाएंगे।”

3. संविधान के अनुच्छेद 329 में, “इस संविधान में किसी अनुच्छेद 329 का बात के होते हुए भी,” शब्दों के स्थान पर, “इस संविधान में संशोधन। किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद 329क के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. संविधान के भाग 15 में, अनुच्छेद 329 के पश्चात्, नए अनुच्छेद 329क का निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— अंतःस्थापन।

“329क. (1) भाग 5 के अध्याय 2 के [अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ड) को छोड़कर] अन्य उपबंधों के अधीन प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए रहते हुए,— निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध।

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री का पदधारण किए हुए हैं या ऐसे निर्वाचन के पश्चात् प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन को;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी निर्वाचन के समय लोक सभा के अध्यक्ष का पदधारण किए हुए हैं या ऐसे निर्वाचन के पश्चात् उसके लिए अध्यक्ष चुना जाता है, लोक सभा के लिए निर्वाचन को;

ऐसे प्राधिकारी [जो अनुच्छेद 329 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी नहीं हैं] या निकाय के समक्ष और ऐसी रीति से ही आपत्ति की जा सकेगी जैसा संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित हो, और किसी ऐसी विधि में ऐसे निर्वाचन के बारे में शंकाओं और विवादों से संबंधित अन्य सब विषयों के लिए अपबंध हो सकेगा जिनके

अंतर्गत वे आधार भी हैं जिन पर ऐसे निर्वाचन पर आपत्ति की जा सकेगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विधि की मान्यता और ऐसी विधि के अधीन किसी प्राधिकारी या निकाय के विनिश्चय पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(3) जब कोई व्यक्ति उस समय जब यथास्थिति, संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए या लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के संबंध में, अनुच्छेद 329 के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्वाचन याचिका लंबित है, यथास्थिति, प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाता है या लोक सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुना जाता है तब ऐसे व्यक्ति के यथास्थिति, प्रधान मंत्री नियुक्त किये जाने या लोक सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने जाने पर ऐसी निर्वाचन याचिका का उपशमन हो जाएगा किन्तु ऐसे निर्वाचन पर किसी ऐसी विधि के अधीन आपत्ति की जा सकेगी जैसा खंड (1) में निर्दिष्ट है।

(4) संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ के पहले संसद द्वारा बनायी गयी कोई विधि, जहां तक वह निर्वाचन याचिकाओं और उनसे संसक्त विषयों से संबंधित है, खंड (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन को या, उसके संबंध में लागू नहीं होगी, या यह नहीं समझा जाएगा कि कभी भी लागू थी तथा यह भी समझा जाएगा कि ऐसा निर्वाचन किसी ऐसे आधार पर जिस पर ऐसा निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता था, या ऐसे प्रारंभ से पूर्व किसी विधि के अधीन शून्य घोषित किया गया है, शून्य हो गया है, या कभी भी शून्य हो गया था, और ऐसे प्रारंभ से पूर्व किसी न्यायालय के ऐसे निर्वाचन को शून्य घोषित करने वाले आदेश के होते हुए भी ऐसा निर्वाचन सभी प्रकार से मान्य बना रहेगा और ऐसे आदेश और ऐसे निष्कर्ष के बारे में जिस पर वह आदेश आधारित है, यह समझा जाएगा कि वह सदा से शून्य और निष्प्रभाव था।

(5) किसी न्यायालय के खंड (4) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध कोई अपील या प्रति अपील, जो संविधान (उनतालीसवां

संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, खंड (4) के उपबंधों के अनुसार निपटायी जाएगी।

(6) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपबंध प्रभावी होंगे।”

5. संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 86 के पश्चात् नौवीं अनुसूची का और व्याख्या से पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

“87. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43), लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 58) तथा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 40)।

88. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 65)।

89. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 30)।

90. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67)।

91. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 54)।

92. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 26)।

93. कोककारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 64)।

94. कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 36)।

95. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 57)।

96. इंडियन कॉपर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 58)।

97. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 72)।

98. कोयला खान (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 15)।

99. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 26)।

100. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 46)।

101. एलकाक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1973 (1973 का केन्द्रीय अधिनियम 56)।

102. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 28)।

103. अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 37)।

104. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 52)।

105. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 57)।

106. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, संशोधन) अधिनियम, 1964 (1965 का महाराष्ट्र अधिनियम 16)।

107. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का महाराष्ट्र अधिनियम 32)।

108. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का महाराष्ट्र अधिनियम 16)।

109. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का महाराष्ट्र अधिनियम 33)।

110. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का महाराष्ट्र अधिनियम 37)।

111. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का महाराष्ट्र अधिनियम 38)।

112. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का महाराष्ट्र अधिनियम 27)।

113. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का महाराष्ट्र अधिनियम 13)।

114. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा, संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का महाराष्ट्र अधिनियम 50)।

115. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का उड़ीसा अधिनियम 13)।

116. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1967 का उड़ीसा अधिनियम 8)।

117. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1967 (1967 का उड़ीसा अधिनियम 13)।

118. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का उड़ीसा अधिनियम 13)।

119. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का उड़ीसा अधिनियम 18)।

120. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973)।

121. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975)।

122. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का त्रिपुरा अधिनियम 3)।

123. दादरा और नगर हवेली भूमि सुधार विनियम, 1971 (1971 का 3)।

124. दादरा और नगर हवेली भूमि सुधार (संशोधन) विनियम, 1973 (1973 का 5)।”

संशोधन के पश्चात् न्यायिक घोषणा:

39वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता, जिसने भारत के संविधान में अनुच्छेद 329क अन्तःस्थापित किया था, को *इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण*, एआईआर 1975 एससी 2299 मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उक्त उपबंध में प्रधान मंत्री और लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालयों की जांच से परे रखने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत का सहारा लेते हुए अनुच्छेद 329क के खंड (4) को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह उपबंध स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है जो लोकतंत्र का एक अनिवार्य सिद्धांत है।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976²⁵³

विधायी इतिहास

संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 जब लोक सभा में 21 मई, 1976 को पुरःस्थापित किया गया था, तो उस समय इसका नाम संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 था।²⁵⁴ विधेयक का आशय (i) अनुच्छेद 297 के स्थान पर एक नए अनुच्छेद को प्रति-स्थापित करना; और (ii) संविधान की नौवीं अनुसूची में 64 नई प्रविष्टियां-125 से 188 तक अंतःस्थापित करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 25 मई, 1976 को विचार किया गया और खण्ड 1 में संक्षिप्त नाम को “संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976” करके केवल एक औपचारिक संशोधन के साथ उसी दिन पारित कर दिया गया²⁵⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 27 मई, 1976 को विचार किया गया और पारित किया गया²⁵⁶। विधेयक के खंड 2 और 3 को लोक सभा और राज्य सभा, दोनों द्वारा मूल रूप में स्वीकृत किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 297 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रीय सागरखंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों पर भारत के प्रभुतासम्पन्न अधिकार हैं और वह कतिपय अन्य विषयों के बारे में अधिकार रखने का हकदार है। इस विधेयक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 297 का संशोधन करके यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित और समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें भी संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी। अब तक, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि की सीमाएं राष्ट्रपति द्वारा

253. 1976 का विधेयक संख्यांक 60; लोक सभा में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री श्री एच.आर. गोखले द्वारा 21 मई 1976 को संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 25 मई 1976; राज्य सभा: 27 मई 1976; राष्ट्रपति की अनुमति; 27 मई 1976; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 27 मई 1976; प्रारंभ की तारीख; 27 मई 1976।

254. लोक सभा वाद-विवाद, 21 मई 1976, कॉलम 7-8।

255. वही, 25 मई 1976, कॉलम 179-186।

256. राज्य सभा वाद-विवाद, 27 मई 1976, कॉलम 241-246।

उद्घोषणा द्वारा निश्चित की जाती थीं। प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र और सामुद्रिक क्षेत्र की सीमाएं वह होंगी जिसे समय-समय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

पहले जब कभी यह पाया गया कि जनता के हित में जो किसी ऐसे प्रगतिशील विधान को जो लोक हित में बनाया गया है, मुकदमेबाजी से खतरा हो सकता है तो नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता था। कुछ राज्यों के अधिनियम जो भूमि सुधार और कृषि भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित हैं, पहले ही नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। इन अधिनियमों में किए गए कुछ संशोधनों को भी अनुच्छेद 31ख के उपबन्धों के संरक्षण की आवश्यकता थी क्योंकि बहुत से मामलों में इन अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती दी गई और न्यायालयों में अन्तरिम अनुतोष भी दिया जिसके कारण राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के क्रियान्वयन में रुकावट आ गई थी।

भूमि सुधार से संबंधित इन अधिनियमों के अतिरिक्त प्राइवेट वनों से संबंधित कुछ राज्यों द्वारा बनाए गए कुछ अधिनियमों को भी अनुच्छेद 31ख के संरक्षण की आवश्यकता थी क्योंकि ये अधिनियम भी प्रगतिशील और लाभकारी थे और इनका उद्देश्य जंगल के ठेकेदारों और निहित स्वार्थों के एकाधिकार को समाप्त करना था। ऐसे कुछ विधानों को न्यायालयों में चुनौती दी गई थी और चूंकि न्यायालयों ने इन विधानों के प्रवर्तन पर रोक लगाते हुए अन्तरिम अनुतोष भी दे दिए थे, राज्य सरकार इन विधानों को कार्यान्वित नहीं कर सकी थी।

कुछ केन्द्रीय विधियों जैसे तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और मोटर यान अधिनियम, 1939 के कुछ उपबन्धों को अनुच्छेद 31ख के संरक्षण की आवश्यकता थी। यदि इन विधानों के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती स्वीकार की जाती तो इन विधियों के प्रवर्तन में देर होती। देर होने से इन विधियों को बनाने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता और राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ता। इस अधिनियम और अन्य महत्वपूर्ण और विशेष अधिनियमों जिनको सांविधानिक संरक्षण दिया जाना आवश्यक समझा गया था, इस अधिनियम को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना था।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

संविधान का अनुच्छेद 297 एक नए अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नए अनुच्छेद में यह उपबन्ध है कि राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी। भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों की सीमाएं वही होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जाएंगी। (धारा 2)

धारा 3 के द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में 64 नई प्रविष्टियां अर्थात् 125 से 188 तक जोड़कर संशोधन किया गया है।

संशोधन का पाठ संविधान (चालीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1976

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[27 मई, 1976]

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— अनुच्छेद 297 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

“297. (1) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी। राज्य-क्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना।

(2) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संपत्ति स्रोत भी संघ में निहित होंगे और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण किए जाएंगे।

(3) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों की सीमाएं वे होंगी जो संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।”

3. संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 124 के पश्चात् और व्याख्या के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात्:— नौवीं अनुसूची का संशोधन।

“125. मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 66क और अध्याय 4क।

126. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10)।

127. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति-समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 13)।

128. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 19)।

129. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 20)।

130. आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 27)।

131. लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 31)।

132. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 33)।

133. संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 59)।

134. असम अधिकतम भूमि जोत सीमा नियतन अधिनियम, 1956 (1957 का असम अधिनियम 1)।

135. मुम्बई अभिवृत्ति और कृषि भूमि (विदर्भ-क्षेत्र) अधिनियम, 1958 (1958 का मुम्बई अधिनियम 99)।

136. गुजरात प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1972 (1973 का गुजरात अधिनियम 14)।

137. हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम 17)।

138. हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 8)।

139. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण शामिलाली भूमि निधान और उपयोजन अधिनियम, 1974 (1974 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 18)।

140. कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन और

प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1974 (1974 का कर्नाटक अधिनियम 31)।

141. कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का कर्नाटक अधिनियम 27)।

142. केरल बेदखली निवारण अधिनियम, 1966 (1966 का केरल अधिनियम 12)।

143. तिरुप्पुवारम् संदाय (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 19)।

144. श्री पादम् भूमि विमुक्ति अधिनियम, 1969 (1969 का केरल अधिनियम 20)।

145. श्रीपंडारवका भूमि (निधान और विमुक्ति) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 20)।

146. केरल प्राइवेट वन (निधान और समनुदेशन) अधिनियम, 1971 (1971 का केरल अधिनियम 26)।

147. केरल कृषि कर्मकार अधिनियम, 1974 (1974 का केरल अधिनियम 18)।

148. केरल काजू कारखाना (अर्जन) अधिनियम, 1974 (1974 का केरल अधिनियम 29)।

149. केरल चिट्ठी अधिनियम, 1975 (1975 का केरल अधिनियम 23)।

150. केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अंतरण पर निर्बंधन और अन्य-संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 1975 (1975 का केरल अधिनियम 31)।

151. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का केरल अधिनियम 15)।

152. काणम् अभिधृति उत्सादन अधिनियम, 1976 (1976 का केरल अधिनियम 16)।

153. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1974 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 1974)।

154. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1976)।

155. पश्चिमी खानदेश मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 1961 (1962 का महाराष्ट्र विनियमन 1)।

156. महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियों को भूमि का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1974 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 14)।

157. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाना) और (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 21)।

158. महाराष्ट्र प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 1975 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 29)।

159. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा और संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 47)।

160. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा और संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का महाराष्ट्र अधिनियम 2)।

161. उड़ीसा संपदा उत्सादन अधिनियम, 1951 (1952 का उड़ीसा अधिनियम 1)।

162. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. 27)।

163. राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की संपदा का अर्जन अधिनियम, 1963 (1964 का राजस्थान अधिनियम सं. 11)।

164. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राजस्थान अधिनियम सं. 8)।

165. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राजस्थान अधिनियम सं. 12)।

166. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा घटाना) अधिनियम, 1970 (1970 का तमिलनाडु अधिनियम 17)।

167. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा

नियतन) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का तमिलनाडु अधिनियम 41)।

168. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 10)।

169. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 20)।

170. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) तीसरा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 37)।

171. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) चौथा संशोधन अधिनियम, 1972 (1972 का तमिलनाडु अधिनियम 39)।

172. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) छठा संशोधन अधिनियम, 1972 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 7)।

173. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) पांचवां संशोधन अधिनियम, 1972 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 10)।

174. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 15)।

175. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) तीसरा संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 30)।

176. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 32)।

177. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम 11)।

178. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा

नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का तमिलनाडु अधिनियम 21)।

179. उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 21) तथा उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 34) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (1951 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 1) में किए गए संशोधन।

180. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 20)।

181. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 28)।

182. पश्चिमी बंगाल अन्य संक्रांत भूमि प्रत्यावर्तन अधिनियम, 1973 (1973 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

183. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।

184. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

185. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12)।

186. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 15)।

187. गोवा, दमण और दीव, मुंडकार (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 1975 (1976 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 1)।

188. पांडिचेरी भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) अधिनियम, 1973 (1974 का पांडिचेरी अधिनियम 1)।”



वाद विवाद का लिंक

संविधान (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976²⁵⁷

विधायी इतिहास

संविधान (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 लोक सभा में 26 अगस्त 1976 को जब पुरःस्थापित किया गया था, तो इसका नाम संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 था²⁵⁸। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 316 में संशोधन करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 30 अगस्त 1976 को विचार किया गया और खण्ड 1 में “तैंतालीसवां” शब्द के स्थान पर “इकतालीसवां” शब्द प्रतिस्थापित करते हुए औपचारिक संशोधन के साथ उसी दिन पारित कर दिया गया²⁵⁹। राज्य सभा द्वारा 1 सितम्बर 1976 को, लोक सभा द्वारा यथापारित, विधेयक पर विचार किया गया और पारित कर दिया गया²⁶⁰।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 316(2) में यह उपबंध किया गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 60 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होंगे अथवा सेवा में प्रवेश की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक, इनमें जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे। जब संविधान प्रवृत्त हुआ तब यह स्थिति थी। बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 62 कर दिया गया, किन्तु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु अपरिवर्तित ही रही।

उसी अनुच्छेद में यह उपबंध है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले 55 वर्ष थी, किन्तु बाद में अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया था। अतः उनके लिए आयोग

257. 1976 का विधेयक संख्यांक 85; 26 अगस्त 1976 को लोक सभा में गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री ओम मेहता द्वारा संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 30 अगस्त, 1976; राज्य सभा: 1 सितम्बर 1976; राष्ट्रपति की अनुमति: 7 सितम्बर 1976; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 9 सितम्बर 1976; प्रारंभ की तारीख: 7 सितम्बर 1976।

258. लोक सभा वाद-विवाद, 26 अगस्त 1976, कॉलम 170।

259. वही, 30 अगस्त 1976, कॉलम 250-260।

260. राज्य सभा वाद-विवाद, 1 सितम्बर 1976, कॉलम 71।

की सदस्यता के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि उन्हें आयोग में केवल 2 वर्ष की सेवा करने का ही मौका मिलता था। ऐसी स्थिति आयोग के कुशलतापूर्वक कार्यकरण की दृष्टि से वांछनीय नहीं थी।

शिक्षाविद, जैसे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्ति के पात्र हैं। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया था। यदि सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही रही तो इन शिक्षाविदों के लिए किसी लोक सेवा आयोग में सेवा करने के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन सेवा करने की मनाही है। परिणामतः यदि सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष नहीं कर दिया जाता है तो कोई भी प्रख्यात शिक्षाविद आयोग में नियुक्ति स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं होगा।

विधेयक में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 316 (2) को राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ
संविधान (इकतालीसवां संशोधन)
अधिनियम, 1976
भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[7 सितंबर, 1976]

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम। (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 है।
2. संविधान के अनुच्छेद 316 में, खंड (2) में, "साठ अनुच्छेद 316 का वर्ष" शब्दों के स्थान पर "बासठ वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये संशोधन। जाएंगे।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976²⁶¹

विधायी इतिहास

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 का विधेयक जब लोक सभा में 1 सितम्बर 1976 को पुरःस्थापित किया गया, तो उस समय उसका नाम संविधान (संशोधन चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976²⁶² था। विधेयक का आशय (i) उद्देशिका और अनुच्छेद 31ग, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 105, 118, 145, 166, 170, 172, 189, 191, 194, 208, 217, 225, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 और 371च और सातवीं अनुसूची में संशोधन करना; (ii) अनुच्छेद 103, 150, 192 और 226 के स्थान पर नये अनुच्छेद प्रतिस्थापित करना; और (iii) संविधान में नये भागों 4क, 14क और अनुच्छेद 31घ, 32क, 39क, 43क, 48क, 131क, 139क, 144क, 226क, 228क और 257क अन्तःस्थापित करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 28, 29 और 30 अक्तूबर तथा 1 और 2 नवम्बर 1976 को विचार किया गया और 2 नवम्बर 1976 को यथासंशोधित पारित किया गया²⁶³। राज्य सभा द्वारा, लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 4, 5, 8, 9 और 10 नवम्बर 1976 को विचार किया गया और 11 नवम्बर 1976 को पारित कर दिया गया²⁶⁴।

261. 1976 का विधेयक संख्यांक 91; 1 सितम्बर 1976 को लोक सभा में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री श्री एच.आर. गोखले द्वारा संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 25, 26, 27, 28, 29, 30 अक्तूबर तथा 1 और 2 नवम्बर 1976; राज्य सभा: 4, 5, 8, 9, 10 और 11 नवम्बर 1976; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधान मंडलों अर्थात्: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 18 दिसम्बर 1976; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 18 दिसम्बर 1976; प्रारंभ की तारीख: धाराएं 2 से 5, 7 से 17, 20, 28 से 30, 33, 36, 43 से 53, 55 से 57 और 59, 3 जनवरी 1977 को लागू हुई; धाराएं 6, 23 से 26, 37 से 42, 45 और 58, 1 फरवरी 1977 को लागू हुई तथा धारा 27, 1 अप्रैल 1977 को लागू हुई, धाराएं 58 और 59 संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा लोप कर दी गई।

262. लोक सभा वाद-विवाद, 1 सितम्बर 1976, कॉलम 40।

263. वही, 2 नवम्बर 1976, कॉलम 15, 201।

264. राज्य सभा वाद-विवाद, 11 नवम्बर 1976, कॉलम 88-93।

विधेयक का खंड 1, लोक सभा में यथापुरःस्थापित, संक्षिप्त शीर्षक में “चवालीसवां” शब्द के स्थान पर “बयालीसवां” शब्द रखकर औपचारिक संशोधन के साथ दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर दिया गया²⁶⁵। ऐसा ही संशोधन विधेयक के खंड 5 में किया गया जिसका आशय संविधान में नया अनुच्छेद 31घ अंतःस्थापित करना था²⁶⁶। राज्य सभा ने, लोक सभा द्वारा यथासंशोधित, खंड 5 को 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया²⁶⁷। खंड 29 जिसका आशय संविधान के अनुच्छेद 170, जो विधान सभाओं के गठन से संबंधित है, का संशोधन करना था, जिसे लोक सभा ने 1 नवम्बर 1976 को एक मौखिक संशोधन करते हुए स्वीकृत किया²⁶⁸ कि उप-खंड (क) के प्रारम्भ में शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों को “खंड (2) में” जोड़ दिया जाये। इस यथासंशोधित खंड को राज्य सभा ने 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया²⁶⁹। लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक का खंड 51 भी उसके उप-खंड (2) में “किसी विधि पर लागू होगा” शब्दों के स्थान पर “किसी विधि पर भी लागू होगा” शब्दों को प्रतिस्थापित करके मौखिक संशोधन के साथ स्वीकृत हुआ²⁷⁰। राज्य सभा ने, यथासंशोधित, खंड को 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया²⁷¹।

खंड 2 से 4, 6 से 16, 18 से 20, 22 से 28, 31 से 33, 35 से 41, 43 से 50 और 56 से 59 मूल रूप में स्वीकृत कर लिये गये। शेष खंडों पर, जिनमें कुछ परिवर्तन किये गये, संविधान के उन सम्बद्ध अनुच्छेदों के संदर्भ में विचार किया गया है, जिनको संशोधित, अन्तःस्थापित अथवा प्रतिस्थापित किया जाना था।

अनुच्छेद 83 का संशोधन

विधेयक के खंड 17 (1), लोक सभा में यथापुरःस्थापित, का आशय संविधान के अनुच्छेद 83 के खंड (2) में संशोधन कर लोक सभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करना था। प्रस्तावित खंड 17 (2) का पाठ निम्नलिखित था:

(2) उप खण्ड (1) द्वारा किये गये संशोधन इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान लोक सभा को भी लागू होंगे।

लोक सभा में उपरोक्त खंड में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच.आर. गोखले द्वारा एक संशोधन पेश किया गया जिसमें खंड 17 (2) के स्थान पर एक नया खंड रखने का प्रस्ताव किया गया जिसे स्वीकृत किया गया था²⁷²। नया खंड 17 (2) निम्न प्रकार से है:

265. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 374-383; राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 224-230।

266. लोक सभा वाद-विवाद, 28 अक्तूबर 1976, कॉलम 222-231।

267. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 179-184।

268. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 237-249।

269. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 224।

270. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 311।

271. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 219-224।

272. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 210।

(2) उप-खंड (1) द्वारा अनुच्छेद 83 के खंड (2) में किये गये संशोधन इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान लोक सभा को भी लागू होंगे और इनका उस खंड के परन्तुक के अधीन सदन की कालावधि के विस्तारण के संबंध में संसद की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड राज्य सभा द्वारा 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया गया²⁷³।

अनुच्छेद 105 का संशोधन

लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खंड 21 का आशय संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) के लिए निम्नलिखित नया खंड प्रतिस्थापित करना था।

(3) अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जो संसद के ऐसे सदन द्वारा समय-समय पर विकसित की जायें।

खंड पर लोक सभा द्वारा विचारण के दौरान विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री, श्री एच.आर. गोखले ने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया कि संसद के प्रत्येक सदन की समितियों तथा सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वह होंगी, जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के प्रारम्भ पर उस सदन की और उसके सदस्यों तथा समितियों की हैं और जो संसद के ऐसे सदन द्वारा समय-समय पर विकसित की जाएं। यथासंशोधित खंड लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा क्रमशः 1 तथा 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया गया²⁷⁴।

अनुच्छेद 172 का संशोधन

लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खंड 30 (1) का आशय संविधान के अनुच्छेद 172(1) में राज्य विधान सभा की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने हेतु संशोधन करना था। निम्नलिखित खंड 30 (2) को प्रतिस्थापित करने के बारे में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री, श्री एच. आर. गोखले द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत संशोधन सदन द्वारा 1 नवम्बर 1976 को स्वीकार किया गया²⁷⁵:

(2) उप-खंड (1) द्वारा किये गए संशोधन इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान प्रत्येक विधान सभा को भी लागू होंगे।

संशोधन प्रस्तुत करने का उद्देश्य अनुच्छेद के खंड 1 के परन्तुक के अधीन विधान सभा की कालावधि के विस्तारण के संबंध में संसद की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नये उप-खंड में

273. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 189।

274. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 237-249; राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 224।

275. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 234।

अनुच्छेद 172 (1) के संशोधनों के लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जोड़ना था। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड राज्य सभा द्वारा 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया गया²⁷⁶।

अनुच्छेद 194 का संशोधन

लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खंड 34 का आशय संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित नया खण्ड प्रतिस्थापित करना था:

(3) अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की और ऐसे विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी, जो ऐसे सदन द्वारा समय-समय पर विकसित की जाएं।

लोक सभा में प्रस्तावित खंड में यह उपबन्ध करने के लिए एक सरकारी संशोधन प्रस्तुत किया गया कि ये शक्तियां आदि वही होंगी, जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 34 के प्रारम्भ पर उस सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं और जो राज्य के विधानमण्डल के ऐसे सदन द्वारा यथाशक्य, जहां ऐसा सदन-विधान सभा है वहां लोक सभा की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अनुसरण में और जहां ऐसा सदन-विधान परिषद है वहां राज्य सभा की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अनुसरण में विकसित की जाएं। यथासंशोधित खंड को लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा क्रमशः 1 नवम्बर तथा 10 नवम्बर 1976 को स्वीकार कर लिया गया²⁷⁷।

नये अनुच्छेद 228क का अन्तःस्थापन

लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खंड 42 का आशय, उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता के प्रश्नों का निबटारा करने के लिए व्यवस्था करने हेतु संविधान में एक नया अनुच्छेद 228क अन्तःस्थापित करना था। लोक सभा में पूर्वोक्त खंड में सरकारी संशोधन इसलिए प्रस्तुत किया गया था कि नये अनुच्छेद 228क (2) में “किसी राज्य विधि की सांविधानिक वैधता के प्रश्नों का निर्धारण करने” शब्दों के स्थान पर “किसी राज्य विधि की सांविधानिक वैधता के बारे में सभी प्रश्नों का निर्धारण” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं तथा नये अनुच्छेद के खंड 4 (ख) में आए “उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों” शब्दों के बाद “प्रयोजन के लिए बैठने” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं। संशोधित रूप में खंड को लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा क्रमशः 1 तथा 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया गया था²⁷⁸।

अनुच्छेद 358 का संशोधन

लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खण्ड 52 का आशय आपात उद्घोषणा प्रवर्तन के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलम्बन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 358 में एक परन्तुक

276. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 189-194।

277. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 237-249; राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 219-224।

278. वही।

जोड़ना था। प्रस्तावित परन्तुक में संशोधन करने का प्रस्ताव लोक सभा में श्री सी.एम. स्टीफन द्वारा 1 नवम्बर 1976²⁷⁹ को पेश किया गया जिसमें “किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र” शब्दों के बाद प्रयुक्त “प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट” शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव था। सदन द्वारा इसे उसी दिन स्वीकार कर लिया गया²⁸⁰। खंड, यथासंशोधित, को राज्य सभा द्वारा 10 नवम्बर 1976 को स्वीकार किया गया²⁸¹।

अनुच्छेद 359 का संशोधन

लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खंड 53 का आशय आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों के लागू किये जाने के निलम्बन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (1क) तथा (2) में एक परन्तुक जोड़ना था। विधेयक पर विचारण के दौरान 1 नवम्बर 1976 को श्री सी.एम. स्टीफन ने अनुच्छेद 359 के खंड (1क) के प्रस्तावित परन्तुक में आए “किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में” शब्दों के बाद “प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट” शब्दों का लोप करने का संशोधन प्रस्तुत किया। सदन द्वारा संशोधन 1 नवम्बर 1976 को स्वीकार तथा पारित किया गया²⁸²। यथासंशोधित खंड राज्य सभा द्वारा 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया गया²⁸³।

अनुच्छेद 366 का संशोधन

विधेयक के खंड 54 का आशय संविधान में प्रयुक्त “केन्द्रीय विधि” तथा “राज्य विधि” अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 366 में दो नये खंड (4क) तथा (26क) पुरःस्थापित करना था। लोक सभा द्वारा खंड पर विचारण के दौरान केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री, श्री एच. आर. गोखले द्वारा प्रस्तावित दो संशोधन, जो प्रस्तावित खंड (4क) को प्रतिस्थापित करने तथा अनुच्छेद 366 के खंड (26क) में नया उप-खंड (च) अन्तःस्थापित करने के लिए थे, सभा द्वारा 1 नवम्बर 1976 को स्वीकृत कर लिये गये²⁸⁴। संशोधनों में यह प्रस्ताव किया गया था कि: (एक) मूल खंड अर्थात् (4क) ‘केन्द्रीय विधि’ से अभिप्रेत है, किसी “राज्य विधि” से भिन्न कोई विधि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए; (4क) ‘केन्द्रीय विधि’ से अभिप्रेत है, किसी राज्य विधि से भिन्न कोई विधि किन्तु अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इस संविधान का कोई संशोधन इसके अंतर्गत नहीं है; और (दो) अनुच्छेद 366 में नये खंड (26क) के उप-खंड (ड) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए: “(च) कोई अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, विनियम या उपविधि अथवा विधि के समान प्रभावी कोई अन्य लिखत, जो

279. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 150।

280. लोक सभा वाद-विवाद, कॉलम 311।

281. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 219-224।

282. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 318।

283. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 204-209।

284. लोक सभा वाद-विवाद, 1 नवम्बर 1976, कॉलम 326-334।

उप-खंड (ड) के अंतर्गत नहीं है और जो किसी राज्य सरकार अथवा किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक अथवा ऐसी सरकार या प्रशासक के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा बनायी गयी है;"

खंड, यथासंशोधित रूप में, राज्य सभा द्वारा 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया गया²⁸⁵।

अनुच्छेद 368 का संशोधन

लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खंड 55 का आशय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 368 में एक नया खंड (4) अंतःस्थापित करना था जो इस प्रकार है:

55. संविधान के अनुच्छेद 368 में खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(4) इस संविधान का (जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं) इस अनुच्छेद के अधीन [संविधान (चवालीसवां संशोधन)* अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात्] किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी न्यायालय में इस आधार के सिवाय कि वह इस अनुच्छेद द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में नहीं किया गया है, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त खंड 55 में, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री, श्री एच. आर. गोखले द्वारा 1 नवम्बर 1976 को लोक सभा में पेश किए गए एक संशोधन को स्वीकार कर लिया गया²⁸⁶। यह संशोधन इस आशय का उपबन्ध करने के लिये पेश किया गया था कि किसी भी संविधान संशोधन पर किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा और यह घोषित करने के लिए था कि संविधान में उपबन्धों को जोड़ने, उनमें फेरबदल करने अथवा निरसन करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए संसद की संवैधानिक शक्तियों की कोई सीमा नहीं होगी।

खंड 55 को, यथासंशोधित रूप में, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 1 और 10 नवम्बर 1976 को स्वीकृत किया गया²⁸⁷।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

किसी संविधान के अस्तित्व के लिए उसका निरंतर विकसित होना आवश्यक है। यदि संविधान के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर न किया जाए, तो संविधान वस्तुतः प्रभावहीन हो जाएगा। सामाजिक-आर्थिक क्रांति, जिससे गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता दूर होगी, के उद्देश्य को प्राप्त करने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के बारे में संविधान संशोधन के प्रश्न ने कुछ वर्षों से सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित कर रखा था।

संविधान में जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की व्यवस्था है, वे मूलतः सुदृढ़ हैं तथा इनमें से किसी भी संस्था को अवमानित करने की स्थिति में प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

285. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 219-224।

* संविधान (बयालीसवां संशोधन), अधिनियम के रूप में अधिनियमित।

286. लोक सभा वाद-विवाद, 1 दिसम्बर 1976, कॉलम 159-160।

287. वही, राज्य सभा वाद-विवाद, 10 नवम्बर 1976, कॉलम 219-224।

तथापि, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन संस्थाओं को काफी कठिनाइयों और तनाव में काम करना पड़ रहा था और निहित स्वार्थ वाले अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक अहित करने में लगे थे।

इसलिए समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखण्डता के उच्च आदर्शों की अभिव्यक्ति के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक समझा गया ताकि नीति निदेशक तत्वों को और व्यापक बनाया जा सके और उन्हें मूल अधिकारों पर अग्रता दी जाए क्योंकि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक सुधारों को रोकने के लिए मूल अधिकारों का अवलम्ब लिया जाता है। विधेयक में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करने और व्यक्तियों तथा संस्थाओं की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निबटने के लिए विशेष उपबन्ध करने का प्रस्ताव था।

संसद और राज्य विधानमण्डल जनता की इच्छाओं के प्रतिबिम्ब हैं और लोकतंत्र का सार यह है कि जनता की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 368 इस बारे में बहुत स्पष्ट और असंदिग्ध है कि संशोधन करने की शक्ति बहुत व्यापक है, किन्तु फिर भी यह समझा गया कि इसे ऐसा कर दिया जाए कि शक की गुंजाइश न रहे। विधेयक में संसद और राज्य विधानमण्डलों द्वारा बनाए गए विधान की सांविधानिक वैधता के पक्ष में जो उपधारणा है उसे मजबूत किए जाने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य से विधियों की सांविधानिक वैधता का निर्णय करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की जाए और किसी विधि को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने के लिए अन्यून दो तिहाई विशेष बहुमत को आवश्यक बनाया जाए। यह प्रस्ताव भी किया गया कि केन्द्रीय कानून की सांविधानिक वैधता निश्चित करने के संबंध में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता समाप्त कर दी जाए और इससे संबंधित अधिकारिता केवल उच्चतम न्यायालय को ही सौंपी जाए जिससे विभिन्न उच्च न्यायालयों में एक ही केन्द्रीय कानून की वैधता के संबंध में होने वाली भिन्न-भिन्न कार्यवाहियों से बचा जा सके और उक्त केन्द्रीय कानून के एक राज्य में वैध और दूसरे राज्य में अवैध होने की अनुवर्ती संभाव्यता को दूर किया जा सके।

सामाजिक-आर्थिक विकास तथा प्रगति के संदर्भ में, उच्च न्यायालयों में बढ़ते लम्बित मामलों को निपटाने और सेवा से संबंधित मामलों, राजस्व के मामलों और विशेष महत्व के कुछ अन्य मामलों के त्वरित निपटान के लिए यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के अधिकार को संरक्षित रखते हुए उन पर विचार करने के लिए प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों का प्रावधान हो। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के रिट अधिकारिता में कुछ परिवर्तन करना भी आवश्यक समझा गया।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना तथा संविधान के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कतिपय अन्य संशोधन करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्र सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे। अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए पृथक-पृथक तारीखें निश्चित की जा सकती हैं। (धारा 1)

संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर “सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य” शब्दों के स्थान पर “सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य” शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं; और “राष्ट्र की एकता” शब्दों के स्थान पर “राष्ट्र की एकता और अखण्डता” शब्द जोड़े गए हैं। (धारा 2)

अनुच्छेद 31ग के क्षेत्र, जो अब तक अनुच्छेद 39ख और 39(ग) में विनिर्दिष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्वों, अर्थात् (एक) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो और (दो) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रन न हो, को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को संरक्षित करते थे, का विस्तार किया गया जिससे संविधान के भाग-चार में निर्धारित सभी या किन्हीं नीति निदेशक तत्वों को सम्मिलित किया जा सके। (धारा 4)

नए अनुच्छेद 31घ में राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति और राष्ट्र विरोधी संगमों की रचना का उपबन्ध है। “राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप” से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा की गई कोई ऐसी कार्यवाही:

(एक) जो किसी भी आधार पर भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का विलग हो जाना घटित करने के लिए आशयित है या उसके लिए किसी दावे का समर्थन करती है या जो ऐसे अध्यर्पण या विलग हो जाना घटित करने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को उद्दीप्त करती है;

(दो) जो भारत की प्रभुता और अखण्डता का अथवा राज्य की सुरक्षा का या राष्ट्र की एकता का अन-अंगीकरण करती है, उस पर आक्षेप करती है, उसको संकटापन्न करती है, विच्छिन्न करती है या संकटापन्न करने या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है;

(तीन) जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए आशयित है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो ऐसी सरकार को उलटने के लिए आशयित है;

(चार) जो आन्तरिक उपद्रव करने या लोक सेवाओं को विच्छिन्न करने के लिए आशयित है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो इस प्रकार उपद्रव करने या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है;

(पांच) जो विभिन्न धर्मों, जातीय, भाषाई या प्रदेशों के समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द्र को संकटापन्न करने के लिए या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो इस प्रकार संकटापन्न करने या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है।

“राष्ट्र विरोधी संगम” से ऐसा संगम अभिप्रेत है:

- (1) जिसका उद्देश्य कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि है;
- (2) जो लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए या करने में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करती है या सहायता देती है;

(3) उसके सदस्य कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि प्रारम्भ करते हैं या करने में लगे हुए हैं।

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों अथवा राष्ट्र विरोधी संगम की रचना के निवारण अथवा प्रतिषेध का उपबन्ध लगने वाले नए अनुच्छेद 31घ द्वारा बनाया गया कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता से संबद्ध), 19 (वाक्-स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य, सम्मिलित होने और संगम बनाने, संचरण करने, निवास करने और बस जाने, सम्पत्ति और वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारबार करने से संबद्ध) और 31 (संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबद्ध) द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनता है अथवा उन्हें न्यून करता है। (धारा 5)

नए अनुच्छेद 32क में इस बात का उपबन्ध है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन किसी रिट कार्यवाही में किसी राज्य विधि की सांविधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि किसी केन्द्रीय विधि की सांविधानिक वैधता भी ऐसी कार्यवाही के प्रश्नगत न हो। (धारा 6)

धारा 7 द्वारा अनुच्छेद 39 का खंड (च) प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। नए अनुच्छेद 39क, 43क और 48क द्वारा नए निदेश जोड़े गए हैं जिनमें क्रमशः समान न्याय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा तथा उद्योगों के प्रबन्ध में कामगारों का भाग लेना तथा देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार और वन तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना सम्मिलित है। (धारा 7 से 10)

नया अंतःस्थापित भाग 4क अनुच्छेद 51क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची है। इसमें यह प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह:—

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। (धारा 11)

अनुच्छेद 74(1) में इस बात का स्पष्ट प्रावधान करने के लिये संशोधन किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। (धारा 13)

भारत सरकार के कार्य के संचालन से संबद्ध अनुच्छेद 77 और राज्य सरकार के कार्य के संचालन से संबद्ध अनुच्छेद 166 में इस प्रयोजन से उपबन्ध करने के लिये संशोधन किया गया है कि किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह सरकार का कार्य किये जाने के लिये बनाये गये नियमों को पेश करने की अपेक्षा करे। (धारा 14 और 28)

राज्यों के लिये लोक सभा में आबंटित स्थानों की संख्या, राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या और संसदीय और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और 1971 की जनगणना के आधार पर सुनिश्चित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण की संख्या में परिवर्तन तब तक रोक दिया गया है, जब तक कि सन् 2000 के पश्चात् जनगणना नहीं हो जाती है। संबद्ध अनुच्छेदों, अर्थात् राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति से संबद्ध अनुच्छेद 55 और लोक सभा से संबद्ध अनुच्छेद 81 और 82, राज्यों की विधान सभाओं से संबद्ध अनुच्छेद 170, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण से संबद्ध अनुच्छेद 330 और 332 में तदनुसार संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 82 और 170 में, यथासंशोधित, इस बात का भी उपबन्ध किया गया है कि जब जनगणना के बाद परिसीमन किया जाता है, तो यह उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे। (धारा 12, 15, 16, 29 और 47)

संसद के सदनों की अवधि से संबद्ध अनुच्छेद 83 और राज्य विधानमण्डलों की अवधि से संबद्ध अनुच्छेद 172 में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की अवधि पांच वर्ष से छह वर्ष करने के लिये संशोधन किया गया है। सिक्किम विधान सभा से संबद्ध अनुच्छेद 371च (ग) में आनुषंगिक परिवर्तन भी किया गया है। (धारा 17, 30 और 56)

संसद के सदनों से संबद्ध अनुच्छेद 100 और राज्य विधानमण्डलों के सदनों से संबद्ध अनुच्छेद 189 में से गणपूर्ति संबंधी उपबन्धों का लोप किया गया है। प्रक्रिया के नियमों से संबद्ध

अनुच्छेद 118 और 208 में क्रमशः संसद में और राज्य विधानमण्डलों में नियमों द्वारा सदन की किसी बैठक के लिये गणपूर्ति का उपबन्ध करने के लिये संशोधन किया गया है। (धारा 18, 22, 31 और 35)

अनुच्छेद 102(1) (क) जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने के लिए निरहित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किए हुए है तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा, में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे लाभ का पद धारण करता है जिसे संसद ने विधि द्वारा ऐसा पद घोषित किया है जिसको धारण करने वाला निरहित हो जाएगा तो वह निरहित हो जाएगा। इसी प्रकार का उपबन्ध अनुच्छेद 191(1)(क) में राज्य विधानमण्डलों के संबंध में किया गया है किन्तु निरर्थक पदों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति राज्य विधानमण्डल में निहित न होकर संसद में होगी। (धारा 19 और 32)

अनुच्छेद 103 के स्थान पर प्रतिस्थापित नए अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 में वर्णित निरर्हताओं के अंतर्गत आता है तथा यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए इस आधार पर निरहित हो गया है कि वह भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया था तथा ऐसे व्यक्ति को हटाने या उसकी निरर्हता की अवधि घटाने का प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के, जिसे इस निमित्त जांच करने की शक्ति है, साथ परामर्श के पश्चात् विनिश्चित किया जाएगा। अनुच्छेद 192 के स्थान पर प्रतिस्थापित नए अनुच्छेद में राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों के निरर्हताओं के प्रश्नों पर विनिश्चय करने के लिये इसी प्रकार के उपबन्ध किये गये हैं। (धारा 20 और 33)

अनुच्छेद 105 में यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त संविधान के उपबन्धों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक् स्वातंत्र्य और संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में विधि द्वारा कार्रवाई से उन्मुक्ति संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां जब तक वे संसदीय विधि द्वारा परिभाषित नहीं की जातीं तब तक ऐसी होंगी, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स की तथा संविधान के प्रारम्भ के समय उसके सदस्यों और समितियों की हैं, को संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि पूर्वोक्त शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जो यह संशोधन उपबन्ध करने से पहले सदन की थीं और जो सदन द्वारा समय-समय पर विकसित की जाएं। इसी प्रकार का संशोधन राज्य विधानमण्डलों से संबंधित अनुच्छेद 194 में किया गया है। (धारा 21 और 34)

वर्तमान स्कीम, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय विधि की सांविधानिक वैधता पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आक्षेप किया जा सकता है, में परिवर्तन किया गया है। नए अनुच्छेद 131क

में केन्द्रीय विधि की सांविधानिक वैधता का निर्धारण करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार की व्यवस्था है। जहां किसी मामले में केन्द्रीय विधि और राज्य विधि दोनों की सांविधानिक वैधता का प्रश्न है वहां ऐसी विधियों की सांविधानिक वैधता का अवधारण करने की अधिकारिता केवल उच्चतम न्यायालय को होगी। (धारा 23)

नए अनुच्छेद 144क में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि की वैधता से संबंधित प्रश्नों को निपटाने के लिए विशेष उपबन्ध किए गए हैं। किसी केन्द्रीय विधि या राज्य विधि की सांविधानिक वैधता के प्रश्न का अवधारण करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम सात होगी और कोई केन्द्रीय या राज्य विधि तब तक असांविधानिक घोषित नहीं की जाएगी जब तक कि मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों में से दो तिहाई न्यायाधीश उस विधि को असांविधानिक अभिनिर्धारित नहीं करते हैं। (धारा 25)

नए अनुच्छेद 139क में यह व्यवस्था है कि यदि ऐसे मामले जिनमें व्यापक महत्व के विधि के समान या सारतः समान प्रश्न अंतर्बलित हैं, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लम्बित हैं वहां महान्यायवादी के आवेदन पर उच्चतम न्यायालय उन मामलों को, जो उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लम्बित हैं, स्वयं निपटारे के लिये अपने पास मंगा सकेगा। इसके अतिरिक्त नए अनुच्छेद 139क के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि यदि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह समीचीन हो तो वह किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अन्तरण कर सकेगा। (धारा 24)

अनुच्छेद 150 में संशोधन करके संघ के और राज्यों के लेखाओं को रखने का प्ररूप विहित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से सलाह करने के पश्चात् इस शक्ति का प्रयोग करेंगे। (धारा 27)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद 217 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि पारंगत विधिवेत्ता भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। यथासंशोधित अनुच्छेद के अधीन, दस वर्ष की अवधि जिसके दौरान कोई व्यक्ति अधिवक्ता रहा है, की संगणना करने के प्रयोजनार्थ वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उस व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। (धारा 36)

उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करने से संबंधित अनुच्छेद 226 के लिये नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है। जबकि उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने की शक्ति होगी किन्तु अन्य मामलों: (क) उन मामलों में जहां किसी कानूनी उपबन्ध के उल्लंघन के कारण याची को सारवान क्षति पहुंच रही है और (ख) उन मामलों में जहां किसी अवैधता के कारण न्याय

की सारवान विफलता हो रही है, में उनके क्षेत्राधिकार को सीमित कर दिया गया है। ऐसे मामलों में याची को न्यायालय से यह समाधान कराना होगा कि उसके पास कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 को प्रतिस्थापित करके यह उपबन्ध किया जा रहा है कि सामान्यतः उच्च न्यायालय अन्तरिम आदेश तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि वह दूसरे पक्ष को इसकी सूचना नहीं दे देता और उसको सुनवाई का अवसर नहीं दे देता। उन्हीं मामलों को अपवाद के रूप में रखा गया है जहां याची को होने वाली हानि या नुकसान की क्षतिपूर्ति धन के द्वारा नहीं की जा सकती है। परन्तु उच्च न्यायालय को किसी ऐसे मामले में अन्तरिम आदेश देने की शक्ति नहीं होगी जहां उस आदेश के द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच में या कारावास से दण्डनीय किसी अपराध की जांच या अन्वेषण में अथवा सार्वजनिक उपयोग की परियोजना के किसी कार्य के निष्पादन हेतु किसी कार्यवाई में अथवा सरकार या सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा उक्त निष्पादन के लिये किसी सम्पत्ति के अर्जन में विलम्ब हो जाएगा। (धारा 38)

अनुच्छेद 226 के अंतर्गत लम्बित याचिकाओं को यथाप्रतिस्थापित अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा। तथापि, याची द्वारा किसी अन्य विधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और सीमा संबंधी अवधि की संगणना करते समय उस अवधि को जिसके दौरान याचिका पर कार्यवाही उच्च न्यायालय में लम्बित रही, छोड़ दिया जाएगा। (धारा 58)

नए अनुच्छेद 226क में यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधि की सांविधानिक वैधता पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। (धारा 39)

न्यायालयों और अधिकरणों के अधीक्षण को उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 227 में संशोधन करके न्यायाधिकरणों को दिए जाने वाले निर्देश का लोप कर दिया गया है और यह स्पष्ट करने के लिए कि अनुच्छेद में कुछ भी यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उच्च न्यायालय को किसी ऐसे निचले न्यायालय के किसी निर्णय को प्रश्नगत करने के लिए क्षेत्राधिकार प्रदान करती है जिसके विरुद्ध अन्यथा अपील नहीं की जा सकती है या उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। (धारा 40)

नए अंतःस्थापित अनुच्छेद 228क में राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों को निपटाने की व्यवस्था है। केवल उन प्रश्नों के सिवाय जहां केन्द्रीय और राज्य विधियों, दोनों, की सांविधानिक वैधता का प्रश्न है, वहां राज्य विधियों को सांविधानिक वैधता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय निर्धारण कर सकता है। नए अनुच्छेद 228क में राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता के किसी प्रश्न पर निर्धारण करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या भी निश्चित कर दी गई है। ऐसी न्यूनतम संख्या पांच नियत की गई है किन्तु जहां किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पांच से कम है वहां उस उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश उस प्रकार के प्रश्नों की

सुनवाई कर सकेंगे। किसी ऐसे न्यायाधीश को, जो धन संबंधी या व्यक्तिगत पक्षपात के कारण निरर्थक हो जाता है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जहां सांविधानिक वैधता से संबंधित किसी प्रश्न की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की संख्या पांच से कम नहीं है वहां असांविधानिकता के बारे में विनिश्चय कम से कम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा किया जाएगा और जहां न्यायाधीश की संख्या पांच से कम है वहां प्रश्रुत विधि तब तक असांविधानिक घोषित नहीं की जा सकती है जब तक सभी न्यायाधीश उसे असांविधानिक अभिनिर्धारित न कर दें। (धारा 42)

सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किये जाने, पद से हटाये जाने या पंक्ति में अवनत किये जाने के संबंध में अनुच्छेद 311 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि दण्ड देते समय सरकारी कर्मचारी को अभ्यावेदन देने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। (धारा 44)

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद 312 में संशोधन करके संसदीय विधि द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई है। इस सेवा में जिला न्यायाधीश से नीचे कोई पद नहीं होगा। उपर्युक्त विधि में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित सांविधानिक उपबंधों के संशोधन के लिए आवश्यक उपबंध उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए किए जा सकते हैं। (धारा 45)

नया भाग 14क, जिसमें अधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद 323क और 323ख आते हैं, का अंतःस्थापन किया गया है। अनुच्छेद 323क में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कर्मचारियों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों को भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का निर्धारण करने के लिए संसदीय विधि द्वारा अधिकरणों की स्थापना करने की व्यवस्था है। इस विधि से संघ और प्रत्येक राज्य अथवा दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए अधिकरण के गठन की व्यवस्था हो सकेगी और उससे इस प्रकार के अधिकरणों के क्षेत्राधिकार तथा अधिकारों की व्याख्या हो सकेगी। अनुच्छेद 323ख में समुचित विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित मामलों में विवादों, परिवादों और अपराधों का विनिर्णय करने के लिए अधिकरणों की व्यवस्था है।

(क) किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन;

(ख) विदेशी मुद्रा, सीमा शुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात;

(ग) औद्योगिक और श्रम विवाद;

(घ) किसी सम्पदा या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन या ऐसे किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उपांतरण द्वारा या कृषि भूमि की अधिकतम सीमा द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भूमि सुधार;

(ङ) नगर सम्पत्ति की अधिकतम सीमा;

(च) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन, किन्तु अनुच्छेद 329 और 329क में निर्दिष्ट विषयों को छोड़कर (जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित तथा प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष के मामले में निर्वाचन के बारे में किसी विधि की विधिमान्यता के संबंध में हैं);

(छ) खाद्य पदार्थों का (जिनके अंतर्गत तिलहन और तेल हैं) और ऐसे अन्य माल का उत्पादन, उपापन, प्रदाय और वितरण, जिन्हें राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के प्रयोजन और ऐसे माल की कीमत के नियंत्रण के लिए आवश्यक माल घोषित करे; और

(ज) उपर्युक्त विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और उन विषयों में से किसी की बाबत फीस।

तथापि, कोई प्रशासनिक अथवा अन्य अधिकरण न्यायालय की विशेष अनुमति से अनुच्छेद 136 के अधीन अपील द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। (धारा 46)

नया अंतःस्थापित अनुच्छेद 257क केन्द्र सरकार को किसी राज्य में विधि और व्यवस्था की गम्भीर परिस्थिति का सामना करने के लिए संघ के नियंत्रण के अधीन सशस्त्र बल या किसी अन्य बल का अभिनियोजन करने की शक्ति देता है। ऐसा बल केन्द्र सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा तथा किसी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं होगा। यह भी उपबंध किया गया है कि ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा दायित्वों को संसदीय विधि द्वारा परिभाषित किया जाएगा। (धारा 43)

आपात की उद्घोषणा के संबंध में अनुच्छेद 352 संशोधित किया गया है। राष्ट्रपति को समस्त देश अथवा देश के किसी भाग के बारे में आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति दी गई है। की गई उद्घोषणा को उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को अनुमोदन हेतु संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। (धारा 48)

यह उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 353 का संशोधन किया गया है कि जहां आपात की उद्घोषणा देश के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है, वहां यदि और जहां तक देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा, देश के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है, तो निर्देश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का और किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति का, विस्तार किसी ऐसे राज्य पर भी होगा जो उस राज्य से भिन्न है जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है। (धारा 49)

आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलम्बन से संबंधित अनुच्छेद 358 में यह व्यवस्था करने के लिये कि जहां आपात की उद्घोषणा देश के किसी भाग में ही प्रवर्तन में है वहां यदि और जहां तक देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा, देश या उसके उस भाग में या उसके संबंध में जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलापों के कारण संकट में है तो ऐसे

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई जा सकेगी, या ऐसी कोई कार्यपालिका कार्यवाही की जा सकेगी, संशोधन किया गया है। (धारा 52)

आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 359 में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया है कि जहां आपात की उद्घोषणा देश के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है, वहां यदि देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा, देश के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलापों के कारण संकट में है, तो वहां तक राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों के निलम्बन संबंधी आदेश का विस्तार किया जा सकता है। (धारा 53)

किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने की संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा की प्रवर्तन अवधि बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया है तथा ऐसी अनुमोदित उद्घोषणा की अवधि संसद के दोनों सदनों के संकल्प पर छः महीने से एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। (धारा 50)

अनुच्छेद 357(2) को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया है कि राज्य के विधानमंडल की शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा, राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा के दौरान निर्मित कोई विधि तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वह सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाए। अब तक ऐसी विधियां उचित विधानमंडल द्वारा संशोधन करके या संशोधन किये बिना जब तक शीघ्र निरसित या पुनः अधिनियमित नहीं की जाती, उद्घोषणा का प्रवर्तन समाप्त होने के एक वर्ष बाद प्रभावहीन हो जाती थीं। (धारा 51)

यह व्यवस्था करने के लिये कि संविधान के किसी संशोधन पर किसी न्यायालय में किसी आधार पर आक्षेप नहीं किया जायेगा, अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है। संशोधित अनुच्छेद 368 यह घोषणा भी करता है कि संविधान के उपबन्धों में परिवर्तन, परिवर्द्धन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिये संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बन्धन नहीं होगा। (धारा 55)

अधिनियम सातवीं अनुसूची की सूचियों में कुछ नई प्रविष्टियां करता है तथा कुछ प्रविष्टियों में संशोधन करता है तथा एक सूची की कुछ प्रविष्टियों तथा विषयों को दूसरी सूची में रखता है। सूची दो-राज्य सूची:—

(क) प्रविष्टि 1 “लोक व्यवस्था (किन्तु इसके अंतर्गत नौसेना, सेना या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग शामिल नहीं है)” को संशोधित करके “लोक व्यवस्था (किन्तु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसना, सेना या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का प्रयोग नहीं है)” कर दिया गया है।

(ख) प्रविष्टि 2 “पुलिस, जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस है” को संशोधित कर “सूची 1 की प्रविष्टि 2क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस है)” कर दिया गया है। सूची 1-संघ—सूची में इस अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित नई प्रविष्टि 2क संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल सत्ता की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व के बारे में हैं।

प्रविष्टियां या विषय जो सूची दो-राज्य सूची से सूची तीन-समवर्ती सूची में आ गए हैं, इस प्रकार हैं:— (1) न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन; (2) शिक्षा; (3) बाट और माप जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना शामिल नहीं हैं; (4) वन; और (5) जीव-जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण। सूची तीन में परिवर्धित नई प्रविष्टि 20क “जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन” है। समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर के साथ-साथ रेडियो और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों पर कर को भी सूची दो की प्रविष्टि 55 में अंतःस्थापित कर लिया गया है। (धारा 57)

धारा 59 राष्ट्रपति को यह शक्ति देती है कि यदि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई होती है तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, इस अधिनियम को अपनी अनुमति की तारीख से दो वर्ष के भीतर ऐसे उपबंध कर सकेगा, जिसके अंतर्गत संविधान के किसी उपबंध का अनुकूलन या उपांतरण भी है, तो वह ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया ऐसा प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संविधान का पाठ संविधान (बयालीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1976

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[18 दिसंबर, 1976]

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और
(बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 है। प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम
के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा
सकेंगी।

2. संविधान की उद्देशिका, में,—

उद्देशिका का
संशोधन।

“(क) संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य”
शब्दों के स्थान पर “संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ
निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य” शब्द प्रतिस्थापित किए
जाएँ; और

(ख) “राष्ट्र की एकता” शब्दों के स्थान पर “राष्ट्र की
एकता और अखण्डता” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. संविधान के अनुच्छेद 31 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद 31 के
उपशीर्ष अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् पश्चात् नये उपशीर्ष
का अंतःस्थापन।

“कुछ विधियों की व्यावृत्ति”

4. संविधान के अनुच्छेद 31ग में “जो अनुच्छेद 39 के अनुच्छेद 31ग का
खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को” शब्द, अंक,
कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “जो भाग 4 में अभिकथित
तत्त्वों में से सभी या किन्हीं तत्त्वों को” शब्द और अंक
प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

नये अनुच्छेद 31घ
का अंतःस्थापन।

राष्ट्र विरोधी
क्रियाकलाप के
संबंध में विधियों
की व्यावृत्ति।

5. संविधान के अनुच्छेद 31ग के पश्चात् और “सांविधानिक उपचारों के अधिकार” उपशीर्ष के पहले निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘31घ. (1) अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जिसमें—

(क) राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के निवारण या प्रतिषेध का उपबंध किया गया है; अथवा

(ख) राष्ट्र विरोधी संस्थाओं की रचना का निवारण या उसका प्रतिषेध किया गया है,

इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को खंड (1) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी किन्तु किसी राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के बारे में कोई विधि जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 5 के प्रारंभ के ठीक पहले प्रवृत्त है, तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वह संसद द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित न कर दी जाए।

(4) इस अनुच्छेद में—

(क) “संस्था” से व्यक्तियों की संस्था अभिप्रेत है;

(ख) किसी व्यक्ति या संस्था के संबंध में “राष्ट्र विरोधी गतिविधि” से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई कोई ऐसी कार्यवाही—

(i) जो किसी भी आधार पर भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण या भारत के किसी भाग का विलग हो जाना घटित करने के लिए आशयित है या उसके लिए किसी दावे का समर्थन करती है या जो ऐसा अध्यर्पण या विलग हो जाना घटित करने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को उद्दीप्त करती है;

(ii) जो भारत की प्रभुता और अखंडता का अथवा राज्य की सुरक्षा का या राष्ट्र की एकता का अन-अंगीकरण करती है, उस पर आक्षेप करती है, उसको संकटापन्न करती है, विच्छिन्न करती है या संकटापन्न करने या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है;

(iii) जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए आशयित है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो ऐसी सरकार को उलटने के लिए आशयित है;

(iv) जो आन्तरिक उपद्रव करने या लोक सेवाओं को विच्छिन्न करने के लिए आशयित है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो इस प्रकार उपद्रव करने या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है;

(v) जो विभिन्न धर्मों, मूल वंशों, भाषाओं या प्रदेशों के समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द्र को संकटापन्न करने के लिए या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है या किसी ऐसी स्कीम का भाग है जो इस प्रकार संकटापन्न करने या विच्छिन्न करने के लिए आशयित है;

(ग) “राष्ट्र-विरोधी संस्था” से ऐसी संस्था अभिप्रेत है—

(एक) जिसका उद्देश्य कोई राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है;

(दो) जो लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधि प्रारंभ करने के लिए या करने में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करती है या सहायता देती है;

(तीन) उसके सदस्य कोई राष्ट्र-विरोधी गतिविधि प्रारंभ करते हैं या करने में लगे हुए हैं।’

6. संविधान के अनुच्छेद 32 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“32क. अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय इस अनुच्छेद के अधीन किसी कार्यवाही में किसी राज्य की विधि की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा जब तक कि किसी केन्द्रीय विधि की संवैधानिक वैधता भी ऐसी कार्यवाहियों में प्रश्नगत न हो।”

नए अनुच्छेद 32क का अंतःस्थापन।

राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना।

अनुच्छेद 39 का संशोधन।

7. संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।”

नए अनुच्छेद 39क का अंतःस्थापन।

8. संविधान के अनुच्छेद 39 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।

“39क. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो, और वह, विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।”

नए अनुच्छेद 43क का अंतःस्थापन।

9. संविधान के अनुच्छेद 43 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना।

“43क. राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।”

नए अनुच्छेद 48क का अंतःस्थापन।

10. संविधान के अनुच्छेद 48 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।

“48क. राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।”

नये भाग 4क का अंतःस्थापन।

11. संविधान के भाग 4 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

भाग-4क

मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य।

51क. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

“(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्र-गान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।”

12. संविधान के अनुच्छेद 55 में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

अनुच्छेद 55 का संशोधन।

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।”

अनुच्छेद 74 का संशोधन।

13. संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:”

अनुच्छेद 77 का संशोधन।

14. संविधान के अनुच्छेद 77 में खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(4) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को यह हक नहीं होगा कि वह भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए खंड (3) के अधीन बनाए गए नियमों को पेश करने की अपेक्षा करे।”

अनुच्छेद 81 का संशोधन।

15. संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड (3) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।”

अनुच्छेद 82 का संशोधन।

16. संविधान के अनुच्छेद 82 के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं:

परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात् की

गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन का और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।”

17. (1) संविधान के अनुच्छेद 83 के खंड (1) में “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “छह वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 83 का संशोधन।

(2) उपधारा (1) द्वारा अनुच्छेद 83 के खंड (2) में किए गए संशोधन इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान लोक सभा पर भी लागू होंगे और इनका उस खंड के परंतुक के अधीन लोक सभा की अवधि के विस्तारण के संबंध में संसद की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. संविधान के अनुच्छेद 100 के खंड (3) और (4) का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 100 का संशोधन।

19. संविधान के अनुच्छेद 102 के उपखंड (क) या खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— अनुच्छेद 102 का संशोधन।

“(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है जिसके बारे में संसद ने विधि द्वारा यह घोषणा की है कि उसका धारक निरर्हित हो जाएगा।”

20. संविधान के अनुच्छेद 103 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— अनुच्छेद 103 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

“103. (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि,—

(क) संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, अथवा निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय।

(ख) कोई व्यक्ति, जो संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन संसद के किसी सदन के लिए किसी निर्वाचन में किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य

चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरह हो जायेगा या उस अवधि के बारे में उठता है जिसके लिए वह उस प्रकार निरह हो जाएगा या ऐसी निरहता को हटाने या उसकी अवधि को घटाने के बारे में उठता है, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा तथा उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और निर्वाचन आयोग, इस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे।”

अनुच्छेद 105 का संशोधन।

21. संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(3) अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 के प्रारंभ पर उस सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की है और जो संसद के ऐसे सदन द्वारा समय-समय पर विकसित की जाएं।”

अनुच्छेद 118 का संशोधन।

22. संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (1) में “अपनी प्रक्रिया के” शब्दों के पश्चात् “ (जिसके अंतर्गत सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति भी है)” कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

नए अनुच्छेद 131 का अंतःस्थापन।

23. संविधान के अनुच्छेद 131 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता।

“131क. (1) संविधान के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी किसी केन्द्रीय विधि की सांविधानिक वैधता से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्धारण करने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को होगी और अन्य किसी न्यायालय को नहीं होगी।

(2) जहां किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है,—

(क) कि उसके समक्ष या उसके अधीन किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले में, यथास्थिति केन्द्रीय विधि या

केन्द्रीय और राज्य विधि, दोनों की सांविधानिक वैधता का प्रश्न अंतर्वलित है; और

(ख) कि मामले को निपटाने के लिए ऐसे प्रश्न का अवधारण आवश्यक है, वहां उच्च न्यायालय विनिश्चय के लिए उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को निर्देशित करेगा।

(3) खंड (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां, भारत के महान्यायवादी द्वारा दिए गए आवेदन पर उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि,

(क) उच्च न्यायालय के समक्ष या उसके अधीन किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले में, यथास्थिति, केन्द्रीय विधि या केन्द्रीय और राज्य विधि, दोनों की सांविधानिक वैधता का प्रश्न अंतर्वलित है; और

(ख) मामले को निपटाने के लिए ऐसे प्रश्नों का अवधारण आवश्यक है, वहां उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन प्रश्नों को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करे।

(4) जहां खंड (2) या खंड (3) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है वहां उच्च न्यायालय उस मामले के संबंध में सभी कार्यवाहियों को तब तक रोक देगा जब तक उच्चतम न्यायालय इस प्रकार निर्दिष्ट प्रश्नों का विनिश्चय नहीं कर देता है।

(5) उच्चतम न्यायालय, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, इस प्रकार निर्दिष्ट प्रश्नों का विनिश्चय करेगा, और—

(क) या तो स्वयं मामले का निपटान करेगा; या

(ख) ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित मामले को निर्णय का अनुसरण करते हुए निपटारे के लिए, यथास्थिति, उच्च न्यायालय को या उसके अधीन न्यायालय को लौटा देगा।”

24. संविधान के अनुच्छेद 139 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

नए अनुच्छेद
139क का
अंतःस्थापन।

“139क. (1) यदि भारत के महान्यायवादी द्वारा किए गए आवेदन पर उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाता

कुछ मामलों का
अंतरण।

है कि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारतः समान प्रश्न अंतर्वलित हैं उसके और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान् प्रश्न हैं तो उच्चतम न्यायालय, उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा।

(2) यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही का अन्तरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा।”

नए अनुच्छेद 144क 25. संविधान के अनुच्छेद 144 के पश्चात्, निम्नलिखित का अंतःस्थापन। अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

विधियों की
सांविधानिक
वैधता से संबंधित
प्रश्नों के निपटारे
के बारे में विशेष
उपबंध।

“144क. (1) किसी केन्द्रीय विधि या राज्य विधि की सांविधानिक वैधता से संबंधित किसी प्रश्न के अवधारण के प्रयोजन के लिए बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या सात होगी।

(2) कोई केन्द्रीय विधि या राज्य विधि उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक असांविधानिक घोषित नहीं की जाएगी जब तक सांविधानिक वैधता से संबंधित किसी प्रश्न के अवधारण के लिए बैठने वाले न्यायाधीश दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से ऐसी विधि को असांविधानिक अभिनिर्धारित न करें।”।

अनुच्छेद 145 का
संशोधन।

26. संविधान के अनुच्छेद 145 में—

(क) खंड (1) के उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(गग) अनुच्छेद 131क और 139क के अधीन उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम;”

(ख) खंड (2) में “खंड (3) के उपबंधों” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “अनुच्छेद 144क और खंड (3) के उपबंधों” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ग) खंड (3) में, “न्यूनतम संख्या” शब्दों के स्थान पर “अनुच्छेद 144क के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यूनतम संख्या” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

27. संविधान के अनुच्छेद 150 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्— नए अनुच्छेद 150 का प्रतिस्थापन।

“150. संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात्, विहित करे।” संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप।

28. संविधान के अनुच्छेद 166 में, खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— अनुच्छेद 166 का संशोधन।

“(4) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को यह हक नहीं होगा कि वह राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए खंड (3) के अधीन बनाए गए नियमों को पेश करने की अपेक्षा करे।”

29. संविधान के अनुच्छेद 170 में,—

खंड (2) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्— अनुच्छेद 170 का संशोधन।

“स्पष्टीकरण—इस खंड में ‘जनसंख्या’ पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।”

(ख) खंड (3) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं:

परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गयी पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस खंड के अधीन प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या का और ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।”

अनुच्छेद 172 का संशोधन।

30. (1) संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड (1) में “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “छह वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(2) उपधारा (1) द्वारा अनुच्छेद 172 के खंड (1) में किए गए संशोधन इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान प्रत्येक विधान सभा (जिसके अंतर्गत केरल राज्य की विधान सभा भी है) को भी लागू होंगे और इनका उस खंड के परंतुक के अधीन ऐसी विधान सभा की कालावधि के विस्तारण के संबंध में संसद की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 189 का संशोधन।

31. संविधान के अनुच्छेद 189 में खंड (3) और (4) का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 191 का संशोधन।

32. संविधान के अनुच्छेद 191 में खंड (1) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण करता है जिसे संसद ने विधि द्वारा ऐसा पद घोषित किया है, जिसे धारण करने वाला निरर्थक हो जाएगा;”

अनुच्छेद 192 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

33. संविधान के अनुच्छेद 192 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

निरर्थता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय।

“192. (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि—

(क) किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्थता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के

अधीन राज्य के विधान मंडल के किसी सदन के लिए किसी निर्वाचन में किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्ह हो जायेगा या उस अवधि के बारे में उठता है जिसके लिए वह उस प्रकार निरर्ह हो जाएगा या ऐसी निरर्हता को हटाने या उसकी अवधि को घटाने के बारे में उठता है, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए, निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और निर्वाचन आयोग इस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे।”

34. संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— अनुच्छेद 194 का संशोधन।

(3) अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की और ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 34 के प्रारंभ पर उस सदन की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं और राज्य के विधानमंडल के ऐसे सदन द्वारा, जहां तक हो सके, जहां ऐसा सदन विधान सभा है वहां, लोक सभा की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अनुसरण में और जहां ऐसा सदन विधान परिषद है वहां, राज्य सभा की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अनुसरण में विकसित की जाएं।

35. संविधान के अनुच्छेद 208 के, खंड (1) में “अपनी प्रक्रिया के” शब्दों के पश्चात् “(जिसके अंतर्गत सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति भी है)” कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 208 का संशोधन।

36. संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (2) में,— अनुच्छेद 217 का संशोधन।
(क) उपखंड (ख) के अंत में “या” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।”;

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (क) में “न्यायिक पद धारण किया हो” शब्दों के स्थान पर “न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है” शब्द प्रति स्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 225 का संशोधन।

37. संविधान के अनुच्छेद 225 के परंतुक का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 226 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

38. संविधान के अनुच्छेद 226 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

“226. (1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद 131क और अनुच्छेद 226क के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य न्यायालय क्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं या उनमें से किसी को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निकालने की शक्ति होगी—

(क) भाग 3 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए; अथवा

(ख) इस संविधान के किसी अन्य उपबंध के या किसी अधिनियमन या अध्यादेश के या तद्धीन दिए गए किसी आदेश, नियम, विनियम, उपविधि या अन्य लिखत के उपबंध के उल्लंघन के कारण हुई सारवान् क्षति के प्रतितोष के लिए; अथवा

(ग) उपबंध (ख) में निर्दिष्ट किसी उपबंध के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में किसी

अवैधता के कारण जहां ऐसी अवैधता से न्याय की सारवान् निष्फलता हुई, किसी क्षति के प्रतितोष के लिए।

(2) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट निकालने की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतुक पूर्णतः अथवा भागतः उत्पन्न होता है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्यक्षेत्रों के भीतर नहीं है।

(3) यदि ऐसे प्रतितोष के लिए अन्य उपचार का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंध किया गया है तो खंड (1) के उपखंड (ख) अथवा उपखंड (ग) में निर्दिष्ट किसी क्षति के प्रतितोष के लिए याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी।

(4) खंड (1) के अधीन किसी याचिका में या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में कोई अन्तरिम आदेश तभी दिया जाएगा (चाहे वह व्यादेश के रूप में हो, या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति में) जब—

(क) ऐसी याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिवाक् के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां उस पक्षकार को दे दी जाती हैं जिसके विरुद्ध ऐसी याचिका फाइल की जाती है या फाइल की जाने की प्रस्थापना है; और

(ख) ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का अवसर दे दिया जाता है।

(5) यदि उच्च न्यायालय का ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना याची को ऐसी हानि रोकने के लिए जिसकी धन से पूर्ति न की जा सकती हो, आवश्यक है तो वह खंड (4) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर सकेगा और आपवादिक उपाय के रूप में अंतरिम आदेश कर सकेगा। ऐसा आदेश यदि पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाता है तो उस तारीख से जिसको वह दिया गया था, चौदह दिन की

अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा किन्तु यदि ऐसी अपेक्षाओं का उक्त अवधि की समाप्ति के पहले पालन कर दिया गया है और उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के प्रवर्तन को चालू रखा है तो वह निष्प्रभावी नहीं होगा।

(6) खंड (4) या खंड (5) में किसी बात के होते हुए भी कोई अंतरिम आदेश (चाहे वह व्यादेश के रूप में हो या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रूप में) खंड (1) के अधीन किसी याचिका में या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा जहां ऐसे आदेश का प्रभाव किसी लोक महत्व के मामले की जांच या कारावास से दण्डनीय किसी अन्वेषण या किसी जांच में या किसी लोकोपयोगी संकर्म या परियोजना के निष्पादन की कार्यवाही में या ऐसे निष्पादन के लिए सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम द्वारा किसी संपत्ति के अर्जन में, विलंब करना होगा।

(7) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।”

नए अनुच्छेद 226क 39. संविधान के अनुच्छेद 226 के पश्चात् निम्नलिखित का अंतःस्थापन। अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधियों की संविधानिक वैधता पर विचार न किया जाना। “226क. अनुच्छेद 226 में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय उस अनुच्छेद के अधीन किसी केन्द्रीय विधि की सांविधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा।”

अनुच्छेद 227 का संशोधन। 40. संविधान के अनुच्छेद 227 में—

(क) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले सब न्यायालयों का अधीक्षण करेगा।”;

(ख) खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(5) इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं

किया जाएगा कि वह किसी उच्च न्यायालय को किसी निचले न्यायालय के निर्णय को, जो अन्यथा अपील या पुनरीक्षण के अधीन नहीं है, प्रश्रुत करने का क्षेत्राधिकार देती है।”

41. संविधान के अनुच्छेद 228 में, “मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा”, शब्दों के स्थान पर “मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा अनुच्छेद 131क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 228 का संशोधन।

42. संविधान के अनुच्छेद 228 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अनुच्छेद 228क का अंतःस्थापन।

“228क. (1) किसी उच्च न्यायालय को किसी केन्द्रीय राज्य विधियों की विधि को असांविधानिक घोषित करने की अधिकारिता नहीं होगी।

सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध।

(2) अनुच्छेद 131क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय किसी राज्य विधि की सांविधानिक वैधता से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्धारण कर सकेगा।

(3) किसी राज्य विधि की सांविधानिक वैधता से संबंधित किसी प्रश्न के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी:

परंतु जहां उन न्यायाधीशों की संख्या पांच से कम है जिनसे मिलकर उच्च न्यायालय बनता है वहां उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश बैठकर ऐसे प्रश्न का निर्धारण कर सकेंगे।

(4) उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी राज्य-विधि असांविधानिक घोषित नहीं की जाएगी, जब तक कि—

(क) जहां उच्च न्यायालय पांच या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनता है वहां ऐसी विधि की विधिमान्यता का निर्धारण करने के लिए बैठने वाले न्यायाधीश दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से उसे असांविधानिक अभिनिर्धारित न करें; तथा

(ख) जहां उच्च न्यायालय पांच से कम न्यायाधीशों से मिलकर बनता है वहां जब तक उच्च न्यायालय के इस प्रयोजन के लिए बैठने वाले सभी न्यायाधीश उसे असांविधानिक अभिनिर्धारित न करें।

(5) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपबंध प्रभावी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की संगणना करने में उस न्यायाधीश को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो व्यक्तिगत या धन संबंधी पक्षपात के कारण न्यायाधीश नहीं रहा है।”

नए अनुच्छेद
257क का
अंतःस्थापन।

43. संविधान के अनुच्छेद 257 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

संघ के सशस्त्र
बलों या अन्य बलों
के अभिनियोजन
द्वारा राज्यों की
सहायता।

“257क. (1) भारत सरकार किसी राज्य में विधि और व्यवस्था की गंभीर परिस्थिति का सामना करने के लिए संघ के सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का अभिनियोजन कर सकेगी।

(2) किसी राज्य में खंड (1) के अधीन अभिनियोजित सशस्त्र बल या अन्य बल या उसकी कोई टुकड़ी या इकाई ऐसे निदेशों के अनुसरण में कार्य करेगी, जो भारत सरकार जारी करे और जैसा उन निर्देशों में उपबंधित है उसके सिवाय वह राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन नहीं होगी।

(3) खंड (1) के अधीन अभिनियोजित बल या टुकड़ी या इकाई के सदस्यों की, ऐसे अभिनियोजन की अवधि के दौरान, शक्तियां, कृत्य, विशेषाधिकार और दायित्व संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है।”

अनुच्छेद 311 का
संशोधन।

44. संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) में—

(क) “और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना हो वहां जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति की बाबत अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए, किन्तु उक्त अभ्यावेदन ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के ही आधार पर हो सकेगा:” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “परंतु यह खंड वहां लागू नहीं होगा—” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

अर्थात्—

“परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:

परंतु यह और कि यह खंड वहां लागू नहीं होगा—”

45. संविधान के अनुच्छेद 312 में, खंड (1) में—

अनुच्छेद 312 का संशोधन।

(1) “भाग 11” शब्द और अंक के स्थान पर “भाग 6 के अध्याय 6 या भाग 11” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) “अखिल भारतीय सेवाओं” शब्दों के पश्चात् “(जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है)” कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“(3) खंड (1) में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत अनुच्छेद 236 में परिभाषित जिला न्यायाधीश के पद से अवर कोई पद नहीं होगा।

(4) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।”

46. संविधान के भाग 14 के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

नये भाग 14 का अंतःस्थापन।

भाग 14क

अधिकरण

323क. (1) संसद, विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी प्रशासनिक अधिकरण।

के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगी।

(2) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि—

(क) संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण और प्रत्येक राज्य के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों के लिए एक पृथक् प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी;

(ख) उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, शक्तियां (जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है) और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए (जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध हैं) उपबंध कर सकेगी;

(घ) अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का खंड (1) में निर्दिष्ट विवादों या परिवादों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी;

(ङ) प्रत्येक ऐसे प्रशासनिक अधिकरण को उन मामलों के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और जो, यदि ऐसे वाद हेतुक, जिन पर ऐसे वाद या कार्यवाहियां आधारित हैं, अधिकरण की स्थापना के पश्चात् उत्पन्न होते तो, ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होते;

(च) राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 371घ के खंड (3) के अधीन किए गए आदेश का निरसन या संशोधन कर सकेगी;

(छ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगी जो संसद ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के लिए

और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे।

(3) इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

323ख. (1) समुचित विधानमंडल, विधि द्वारा, अन्य विषयों के ऐसे विवादों, परिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा लिए अधिकरण। न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड (2) में विनिर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित हैं जिनके संबंध में ऐसे विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विषय निम्नलिखित हैं, अर्थात्—

(क) किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन;

(ख) विदेशी मुद्रा, सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात;

(ग) औद्योगिक और श्रम विवाद;

(घ) अनुच्छेद 31क में यथापरिभाषित किसी संपदा या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन या ऐसे किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उपांतरण द्वारा या कृषि भूमि की अधिकतम सीमा द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भूमि सुधार;

(ङ) नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा;

(च) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन, किंतु अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 329क में निर्दिष्ट विषयों को छोड़कर;

(छ) खाद्य पदार्थों का (जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं) और ऐसे अन्य माल का उत्पादन, उपापन, प्रदाय और वितरण, जिन्हें राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए आवश्यक माल घोषित करे और ऐसे माल की कीमत का नियंत्रण;

(ज) उपखंड (क) से उपखंड (छ) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और उन विषयों में से किसी की बाबत फीस;

(झ) उपखंड (क) से उपखंड (ज) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।

(3) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि—

(क) अधिकरणों के उत्क्रम की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी;

(ख) उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, शक्तियां (जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है) और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए (जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध हैं) उपबंध कर सकेगी;

(घ) अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का उन सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी जो उक्त अधिकरणों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं;

(ङ) प्रत्येक ऐसे अधिकरण को उन मामलों के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और जो, यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद या कार्यवाहियां आधारित हैं, अधिकरण की स्थापना के पश्चात् उत्पन्न होते तो ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होते;

(च) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगी जो समुचित विधान मंडल ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे।

(4) इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

“स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में किसी विषय के संबंध में ‘समुचित विधान मंडल’ से यथास्थिति संसद या किसी

राज्य का विधानमंडल अभिप्रेत है, जो भाग 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने के लिए सक्षम है।”

47. संविधान के अनुच्छेद 330 के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— अनुच्छेद 330 का संशोधन।

“स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।”

48. संविधान के अनुच्छेद 352 में—

अनुच्छेद 352 का संशोधन।

(क) खंड (1) में “इस आशय की घोषणा कर सकेगा” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“सम्पूर्ण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा”;

(ख) खंड (2) के उपखंड (क) में “प्रतिसंहत” शब्द के पश्चात् “या परिवर्तित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(2क) जहां खंड (1) के अधीन की गयी उद्घोषणा उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित की जाती है वहां खंड (2) के उपबंध ऐसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा के संबंध में, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे खंड (1) के अधीन की गयी उद्घोषणा के संबंध में लागू होते हैं।”

49. संविधान के अनुच्छेद 353 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्— अनुच्छेद 353 का संशोधन।

“परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के

केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है,—

(i) खंड (क) के अधीन निदेश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का, और

(ii) खंड (ख) के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का विस्तार किसी ऐसे राज्य पर भी होगा जो उस राज्य से भिन्न है जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, और जहां तक भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है।”

अनुच्छेद 356 का संशोधन।

50. संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “एक वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 357 का संशोधन।

51. (1) संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(2) राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा अथवा राष्ट्रपति या खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा, बनाई गई ऐसी विधि, जिसे संसद अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात् तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है।”

(2) उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (2) में निर्दिष्ट ऐसी विधि को भी लागू होंगे जो इस धारा के प्रारम्भ के ठीक पहले प्रवृत्त है।

अनुच्छेद 358 का संशोधन।

52. संविधान के अनुच्छेद 358 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां, यदि और जहां तक भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के

राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है तो और वहां तक, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या उसके संबंध में, जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं है, इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई जा सकेगी या ऐसी कोई कार्यपालिका कार्रवाई की जा सकेगी।”

53. संविधान के अनुच्छेद 359 में—

अनुच्छेद 359 का संशोधन।

(क) खंड (1क) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा,

अर्थात्—

“परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां, यदि और जहां तक भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है तो और वहां तक, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या उसके संबंध में, जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं है, इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई जा सकेगी या ऐसी कोई कार्यपालिका कार्रवाई की जा सकेगी।”

(ख) खंड (2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा,

अर्थात्—

“परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां किसी ऐसे आदेश का विस्तार भारत के राज्यक्षेत्र के किसी अन्य भाग पर तभी होगा जब राष्ट्रपति, यह समाधान हो जाने पर कि भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है, ऐसा विस्तार आवश्यक समझता है।”

54. संविधान के अनुच्छेद 366 में—

अनुच्छेद 366 का संशोधन।

(क) खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात्—

“(4क) ‘केन्द्रीय विधि’ से अभिप्रेत है किसी राज्य विधि से भिन्न कोई विधि किन्तु अनुच्छेद 368 के अधीन इस संविधान का कोई संशोधन इसके अंतर्गत नहीं है”;

(ख) खंड (26) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्—

“(26क) ‘राज्य विधि’ से अभिप्रेत है:—

(क) कोई राज्य अधिनियम या किसी संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल का कोई अधिनियम;

(ख) अनुच्छेद 213 के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा या अनुच्छेद 239ख के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश;

(ग) संविधान के प्रारंभ के पहले बनाए गये किसी केन्द्रीय अधिनियम में राज्य के किसी विषय से संबंधित कोई उपबंध;

(घ) प्रान्तीय अधिनियम में राज्य सूची या समवर्ती-सूची के किसी विषय से संबंधित उपबंध;

(ङ) उपखंड (क), उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) में निर्दिष्ट अधिनियम, अध्यादेश या उपबंधों के अधीन बनायी गयी कोई अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, विनियम या उपविधि अथवा विधि के समान प्रभावी कोई अन्य लिखत;

(च) कोई अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, विनियम या उपविधि अथवा विधि के समान प्रभावी कोई अन्य लिखत, जो उपखंड (ङ) के अंतर्गत नहीं है और जो किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक अथवा ऐसी सरकार या प्रशासक के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा बनायी गयी है; तथा

(छ) राज्य सूची में किसी विषय से संबंधित कोई अन्य विधि (जिसके अंतर्गत विधि के समान प्रभावी कोई प्रथा अथवा रूढ़ि है)।”

अनुच्छेद 368 का संशोधन।

55. संविधान के अनुच्छेद 368 में खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्—

“(4) इस संविधान का (जिसके अंतर्गत भाग 3 के

उपबंध हैं) इस अनुच्छेद के अधीन [संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात्] किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा ।”

56. संविधान के अनुच्छेद 371च के खंड (ग) में, “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “छह वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और “चार वर्ष” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “पांच वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 371च का संशोधन ।

57. संविधान की सातवीं अनुसूची में—

सातवीं अनुसूची

(क) सूची 1-संघ सूची में, प्रविष्टि 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

का संशोधन ।

“2क. संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व ।”

(ख) सूची 2-राज्य सूची में—

(i) प्रविष्टि 1 में “संघ के नवल, स्थल या विमान बलों या किन्हीं अन्य बलों का प्रयोग न करते हुए” शब्दों के स्थान पर “नौसेना, सेना या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का प्रयोग” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

(ii) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“2. सूची 1 की प्रविष्टि 2क के उपबंधों के अधीन रहते हुए

पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस हैं);

(iii) प्रविष्टि 3 में “न्याय प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन;” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) प्रविष्टि 11, 19, 20 और 29 का लोप किया जाएगा;

(v) प्रविष्टि 55 में, “और रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों” शब्द अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) सूची 3—समवर्ती सूची में,—

(i) प्रविष्टि 11 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“11क. न्याय-प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।”

(ii) प्रविष्टि 17 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

“17क. वन।

17ख. वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण।”

(iii) प्रविष्टि 20 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“20क. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजना;”

(iv) प्रविष्टि 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“25. सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं, श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।”

(v) प्रविष्टि 33 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“33क. बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है।”

अनुच्छेद 226 के अधीन लंबित याचिकाओं के विषय में विशेष उपबंध।

58. (1) संविधान में किसी बात के होते हुए भी नियत दिन के ठीक पहले संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन की गयी प्रत्येक याचिका, जो उक्त दिन के पहले किसी उच्च

न्यायालय के समक्ष लंबित है (ऐसी याचिका को इस धारा में लंबित याचिका कहा गया है) और ऐसी याचिका में या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में दिया गया कोई अंतरिम आदेश (चाहे वह व्यादेश के रूप में हो या रोक के रूप में या किसी अन्य रूप में) धारा 38 द्वारा यथाप्रतिस्थापित अनुच्छेद 226 के उपबंध के अनुसरण में बरता जाएगा।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रत्येक याचिका का, जो यदि ऐसी याचिका नियत दिन के पश्चात् की जाती तो धारा 38 द्वारा यथाप्रतिस्थापित अनुच्छेद 226 के उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, उपशमन हो जाएगा और ऐसी याचिका में या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में दिया गया कोई अन्तरिम आदेश (चाहे वह व्यादेश के रूप में हो या रोक के रूप में या किसी अन्य रूप में) समाप्त हो जाएगा:

परंतु कि इस उपधारा की किसी बात से, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ऐसी याचिका जिन विषयों से संबंधित है उनके बारे में अनुतोष प्राप्त करने के याची के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे अनुतोष की प्राप्ति के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में वह अवधि अपवर्जित की जाएगी जिसके दौरान याचिका से संबंधित कार्यवाहियां उच्च न्यायालय में लंबित थीं।

(3) प्रत्येक अंतरिम आदेश (चाहे वह व्यादेश के रूप में हो या रोक के रूप में या किसी अन्य रूप में), जो किसी लंबित याचिका में (जो ऐसी लम्बित याचिका नहीं है जिसका उपधारा (2) के अधीन उपशमन हो गया है) या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में नियत दिन से पहले दिया गया है और जो उस दिन के पहले इस प्रकार लंबित याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिपाक् के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतिलिपियां उस पक्षकार को नहीं दी गयी थीं जिसके विरुद्ध ऐसा अंतरिम आदेश किया गया था और ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था तो उक्त आदेश (यदि

पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो तो) निम्नलिखित रीति से निष्प्रभावी हो जाएगा, अर्थात्—

(क) यदि ऐसी लंबित याचिका की और अंतरिम आदेश के लिए अभिवाक् के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतिलिपियां नियत दिन से एक मास की अवधि की समाप्ति के पहले ऐसे पक्षकार को नहीं दी जाती हैं तो एक मास की उक्त अवधि की समाप्ति पर; अथवा

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिलिपियां ऐसे पक्षकार को उस खंड में निर्दिष्ट एक मास की अवधि के भीतर दे दी गई हैं किन्तु ऐसे पक्षकार को चार मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पहले मामले की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तो नियत दिन से चार मास की समाप्ति की अवधि पर निष्प्रभावी हो जाएगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक अन्तरिम आदेश (चाहे वह व्यादेश के रूप में हो या रोक के रूप में या किसी अन्य रूप में) जो किसी लंबित याचिका में [जो ऐसी लंबित याचिका नहीं है जिसका उपधारा (2) के अधीन उपशमन हो गया है] या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में नियत दिन के पहले दिया गया है जो उस दिन प्रवृत्त है, समाप्त हो जाएगा यदि ऐसे आदेश का प्रभाव किसी लोक महत्व के मामले की या कारावास से दण्डनीय किसी अपराध की जांच में या किसी लोकोपयोगी संकर्म या परियोजना के निष्पादन की कार्यवाई में या ऐसे निष्पादन के लिए सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम द्वारा किसी सम्पत्ति के अर्जन में विलंब करना होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 38 प्रवृत्त होगी।

कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

59. (1) यदि उस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है (जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति की तारीख के पहले जिस रूप में संविधान के उपबंध थे, उनसे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबंधों के

संक्रमण के संबंध में कठिनाइयां भी हैं) तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा, जिसके अंतर्गत संविधान के किसी उपबंध का अनुकूलन या रूपभेद भी है, जो वह ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे:

परंतु ऐसा कोई आदेश ऐसी अनुमति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संशोधन के पश्चात् न्यायिक निर्णय:

42वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को *मिनर्वा लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ*, एआईआर 1980 एससी 1789 मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। 42वें संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा के अपवर्जन का उपबंध किया गया है और संसद को संशोधन करने की असीमित शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह संविधान की 'मूल संरचना' का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है।

न्यायालय ने निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है, जो अपने आप में संविधान की एक मूल विशेषता है। निर्णय में कहा गया कि यह संविधान था, न कि संसद जो सर्वोच्च थी।

इसके अतिरिक्त, *एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य*, एआईआर 1997 एससी 1345 मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अनुच्छेद 323-क के खंड (2) के उप-खंड (घ) या संविधान के अनुच्छेद 323-ख के खंड (3) के उप-खंड (घ), जिसने अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को छोड़कर 'सभी न्यायालयों' के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने की मांग की, अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रतिकूल था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 323-क और अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत बनाए गए न्यायाधिकरण सांविधिक उपबंधों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए सक्षम हैं। तथापि, इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष संवीक्षा के अध्यधीन होंगे।

तथापि, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 323क 2(घ) और 323ख 3(घ) की वैधता को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977²⁸⁸

विधायी इतिहास

संविधान (तैंतालीसवां) संशोधन अधिनियम, 1977 जब 16 दिसम्बर 1977 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक 1977 था²⁸⁹। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 145, 228 और 366 में संशोधन करना तथा अनुच्छेद 31घ, 32क, 131क, 144क, 226क और 228क का लोप करना था।

इस विधेयक पर लोक सभा द्वारा 19 और 20 दिसम्बर 1977 को विचार किया गया और 20 दिसम्बर 1977 को पारित किया गया²⁹⁰ जिसमें नए खंड 6क, जिसे पुनःसंख्यांकित करके 7 किया गया, की अंतःस्थापना करने और खंड 1 में शब्द “चवालीसवां” के स्थान पर शब्द “तैंतालीसवां” प्रतिस्थापित करने संबंधी विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री, श्री शांति भूषण द्वारा प्रस्तुत²⁹¹ संशोधन शामिल हैं। विद्यमान खंड 7 से 10 को क्रमशः खंड 8 से 11 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

नया खंड 7 इस प्रकार है:

7. संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (1) में “किंतु अनुच्छेद 131क और अनुच्छेद 226क के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्द, अंक और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 23 दिसम्बर 1977 को विचार किया गया और उसे उसी दिन पारित किया गया²⁹²।

288. 1977 का विधेयक संख्यांक 148; विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री श्री शांति भूषण द्वारा 16 दिसम्बर 1977 को लोक सभा में संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 19 तथा 20 दिसम्बर 1977; राज्य सभा: 23 दिसम्बर 1977; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 13 अप्रैल 1978; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 13 अप्रैल 1978; प्रारंभ की तारीख: 13 अप्रैल 1978।

289. लोक सभा वाद-विवाद, 16 दिसम्बर 1977, कॉलम 301।

290. वही, 20 दिसम्बर 1977, कॉलम 387-395।

291. वही, 19 दिसम्बर 1977, कॉलम 426-428।

292. राज्य सभा वाद-विवाद, 23 दिसम्बर 1977, कॉलम 244-248।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

विधियों की सांविधानिकता पर पुनः विचार करने के लिये संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से कम करने के लिये संविधान में अनेक अनुच्छेद अन्तःस्थापित किये गये थे। अनुच्छेद 32क उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के लागू करने के लिए कार्यवाहियों में किसी राज्य विधि की सांविधानिक वैधता पर तब तक विचार करने से रोकता है जब तक कि इस प्रकार की कार्यवाहियों में किसी केन्द्रीय विधि की भी सांविधानिक वैधता शामिल न हो। अनुच्छेद 131क उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता पर फैसला देने का अनन्य अधिकार देता है तथा इस प्रकार से उच्च न्यायालय को इस बारे में उनकी अधिकारिता से वंचित करता है। अनुच्छेद 144क में यह कहा गया है कि किसी केन्द्रीय विधि या राज्य विधि की सांविधानिक वैधता के प्रश्न पर निर्णय करने के लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 7 होगी तथा ऐसी विधि की अवैधता के लिये दो-तिहाई विशेष बहुमत चाहिये। अनुच्छेद 226क उच्च न्यायालयों को केन्द्र की किसी विधि की सांविधानिक वैधता पर विचार न करने के बारे में है तथा अनुच्छेद 228क में यह व्यवस्था है कि किसी राज्य विधि की सांविधानिक वैधता का निर्धारण करने के लिये कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिये तथा इस प्रकार की विधि की वैधता का निर्णय देने के लिये विशेष बहुमत को निर्धारित करता है।

यह विचार किया गया कि अनुच्छेद 32क, 131क और 228क भारत के सुदूर भागों में रहने वाले व्यक्तियों के लिये कठिनाइयाँ पैदा करते हैं जबकि अनुच्छेद 32क के अंतर्गत एक साथ बहुत-सी कार्यवाहियाँ चल सकती हैं क्योंकि किसी राज्य विधि की वैधता से संबंधित मामले खुद उच्चतम न्यायालय द्वारा ही निपटाये जा सकते हैं परन्तु ये पहले उच्च न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं। प्रत्येक मामले में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या की अपेक्षा है। जहां किसी विधि की सांविधानिक वैधता अन्तर्ग्रस्त हो, चाहे चुनौती कितनी भी सारहीन क्यों न हो, न्यायाधीशों की आवश्यक न्यूनतम संख्या की अपेक्षा के कारण कीमती न्यायिक समय ऐसे आवेदनों को सुनने और अस्वीकृत करने में बर्बाद हो जाता है, जिसका कोई सार नहीं होता। उच्चतम न्यायालय ने *मै. मिश्रीलाल जैन बनाम उड़ीसा और अन्य*, एआईआर 1977 एससी 1686 के मामले में यह आशा व्यक्त की है कि अनुच्छेद 144 क संसद का त्वरित ध्यान आकर्षित करेगा और इसे इस प्रकार संशोधित किया जाएगा जिसमें इस बात का निर्णय करने का कार्य स्वयं न्यायालय पर ही छोड़ दिया जाए कि किसी विशेष मामले का विनिश्चय करने के लिए पीठ में कितने सदस्य होने चाहिए। वस्तुतः, उपर्युक्त अनुच्छेदों के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनेक मामले लंबित पड़े थे।

अतः, अनुच्छेद 32क, 131क, 144क, 226क और 228क का लोप करने का प्रस्ताव किया गया। विशेष उपबंध करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया गया कि उच्चतम न्यायालय और

उच्च न्यायालयों को लंबित मामलों को उस प्रकार से निपटाने में सक्षम बनाना होगा जैसे कि उक्त अनुच्छेदों का 1 फरवरी 1977 (अर्थात् जिस तारीख को वे अनुच्छेद प्रभावी किए गए थे) से लोप कर दिया गया था। अनुच्छेद 145, 228 और 366 में आवश्यक परिणामी संशोधन करने का प्रस्ताव भी किया गया था।

अनुच्छेद 31घ राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के संबंध में विधि अधिनियमित करने के लिए संसद को विशेष शक्ति प्रदान करता है। यह विचार किया गया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र-विरोधी संगमों से निपटने के लिए विधियां बनाने की संसद की इन शक्तियों का स्वरूप व्यापक है और इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 31घ का लोप करने का प्रस्ताव किया गया था।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

संविधान के अनुच्छेद 31घ, जो संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र-विरोधी संगमों के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है, का लोप कर दिया गया है। (धारा 2)

संविधान का अनुच्छेद 32क यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को लागू करने की याचिका कार्यवाहियों में राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त अनुच्छेद का लोप कर दिया गया है। (धारा 3)

धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 131क का लोप किया गया है, जो केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता के बारे में है।

अनुच्छेद 144क उपबंध करता है कि कोई केन्द्रीय विधि या राज्य विधि उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक असांविधानिक घोषित नहीं की जायेगी जब तक सांविधानिक वैधता से संबंधित किसी प्रश्न के निर्धारण के लिए बैठने वाले न्यायाधीश दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से ऐसी विधि को असांविधानिक अभिनिर्धारित न करें। अनुच्छेद 228क में उच्च न्यायालयों द्वारा राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता को अभिनिर्धारित करने के संबंध में ऐसी ही अपेक्षा का उल्लेख किया गया है। अब इन दोनों अनुच्छेदों का लोप कर दिया गया है। (धारा 5 और 10)

अनुच्छेद 226क जो यह उपबंध करता है कि उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जायेगा, का लोप किया गया है। (धारा 8)

संशोधन का पाठ

संविधान (तैंतालीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1977

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[13 अप्रैल, 1978]

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 है ।

अनुच्छेद 31घ का
लोप ।

2. संविधान के अनुच्छेद 31घ का लोप किया जाएगा ।

अनुच्छेद 32क का
लोप ।

3. (1) संविधान के अनुच्छेद 32क का लोप किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन लंबित कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो उक्त अनुच्छेद 32क का 1 फरवरी, 1977 से ही लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 131क
का लोप ।

4. (1) संविधान के अनुच्छेद 131क का लोप किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले, किसी उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई निर्देश उक्त अनुच्छेद 131क के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है वहां उच्चतम न्यायालय—

(क) उस प्रक्रम को, जिस पर निर्देश इस प्रकार लंबित है; और

(ख) न्याय को, ध्यान में रखते हुए या तो मामले को इस प्रकार निपटायेंगा मानो उस अनुच्छेद का लोप न किया गया

हो या मामले को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को लौटा देगा मानो उस अनुच्छेद का 1 फरवरी, 1977 से ही लोप कर दिया गया हो।

5. (1) संविधान के अनुच्छेद 144क का लोप अनुच्छेद 144क
किया जाएगा। का लोप।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित वाद उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो उक्त अनुच्छेद 144क का 1 फरवरी, 1977 से ही लोप कर दिया गया हो।

6. संविधान के अनुच्छेद 145 में—

अनुच्छेद 145 का
संशोधन।

(क) खंड (1) के उपखंड (गग) में “अनुच्छेद 131क और 139क” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “अनुच्छेद 139क” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (2) में “अनुच्छेद 144क और” शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (3) में “अनुच्छेद 144 क के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

7. संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (1) में “किन्तु अनुच्छेद 131क और अनुच्छेद 226क के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 226 का
लोप।

8. (1) संविधान के अनुच्छेद 226क का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 226क
का लोप।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले किसी उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन लंबित कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटायी जायेगी मानो उक्त अनुच्छेद 226क का 1 फरवरी, 1977 से ही लोप कर दिया गया हो।

9. संविधान के अनुच्छेद 228 के प्रारंभ के भाग में “अनुच्छेद 131क के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 228 का
संशोधन।

10. (1) अनुच्छेद 228क का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 228क
का लोप।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले उच्च

न्यायालय के समक्ष लंबित वाद उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो उक्त अनुच्छेद 228क का 1 फरवरी, 1977 से ही लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 366 का संशोधन।

11. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (4क) और खंड (26क) का लोप किया जाएगा।



वाद विवाद का लिंक

संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978²⁹³

विधायी इतिहास

संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 संबंधी विधेयक जब 15 मई 1978 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया तो इसे संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978 नाम दिया गया था²⁹⁴। विधेयक में (एक) संविधान के अनुच्छेद 19, 22, 30, 31क, 31ग, 38, 74, 77, 83, 105, 123, 132, 133, 134, 139क, 150, 166, 172, 194, 213, 217, 225, 226, 227, 239ख, 329, 352, 356, 358, 359, 360, 366, 368 और 371च तथा सातवीं और नौवीं अनुसूची में संशोधन करने, (दो) अनुच्छेद 71, 103 और 192 के स्थान पर नये अनुच्छेद प्रतिस्थापित करने; (तीन) संविधान में नये अनुच्छेद 134क, 361क तथा भाग-13 में अध्याय चार अंतःस्थापित करने; और (चार) संविधान के अनुच्छेद 31, 275क और 329क तथा भाग-14क और संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 18, 19, 21, 22, 31, 32, 34, 35, 58 और 59 का लोप करने का प्रस्ताव किया गया था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 और 23 अगस्त 1978 को विचार किया गया और यथासंशोधित रूप में 23 अगस्त 1978 को पारित कर दिया गया²⁹⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 28, 29, 30 और 31 अगस्त को विचार किया गया और संशोधन के साथ 31 अगस्त 1978 को पारित किया गया²⁹⁶। राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक पर लोक सभा द्वारा 6 और 7 दिसम्बर, 1978 को विचार किया गया।

293. 1978 का विधेयक संख्यांक 88; विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री श्री शांति भूषण द्वारा 15 मई 1978 को लोक सभा में संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 तथा 23 अगस्त और 6 तथा 7 दिसम्बर 1978; राज्य सभा: 28, 29, 30 और 31 अगस्त 1978; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 30 अप्रैल 1979; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 30 अप्रैल 1979; प्रारंभ की तारीख: धाराएं 2, 4 से 16, 22, 23, 25 से 29, 31 से 42, 44 और 45, 30 अप्रैल 1977 से लागू हुई; धाराएं 17 से 21 और 30, 1 अगस्त 1979 से लागू हुई और धाराएं 24 तथा 43, 6 सितम्बर 1979 से लागू हुई।

294. लोक सभा वाद-विवाद, 15 मई 1978, कॉलम 262।

295. वही, 23 अगस्त 1978, कॉलम 108-116।

296. राज्य सभा वाद-विवाद, 31 अगस्त 1978, कॉलम 320-325।

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से लोक सभा 7 दिसम्बर, 1978 को सहमत हुई²⁹⁷। इस प्रकार सहमत संशोधनों के साथ विधेयक, संशोधित रूप में लोक सभा द्वारा 7 दिसम्बर, 1978 को पारित किया गया²⁹⁸।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

हाल के अनुभव से यह पता चला है कि संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों सहित मौलिक अधिकार अस्थायी बहुमत द्वारा वापस लिए जा सकते हैं। इसलिए, भविष्य में ऐसी किसी आकरिमिकता की पुनरावृत्ति से बचने के लिए यथोचित रक्षोपायों की व्यवस्था करना आवश्यक था और यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि जनता स्वयं उस सरकार का स्वरूप अवधारित करे जिसके अंतर्गत उसे रहना है। यह इस विधेयक के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था।

इसलिए, संविधान में कतिपय परिवर्तन का उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया, जो इसके पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप को हासिल करेंगे अथवा मौलिक अधिकारों का न्यूनन करेंगे या वापस ले लेंगे अथवा वयस्क मताधिकार के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे या उनमें अड़चन डालेंगे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता करेंगे, जो केवल तभी लागू किए जा सकेंगे जब किसी ऐसे जनमत में, जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया हो, भारत की जनता द्वारा बहुमत से अनुमोदन कर दिया जाए। इस विधेयक का आशय यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 368 का संशोधन करना था।

मौलिक अधिकारों के लिए आशयित विशेष स्थिति के दृष्टिगत, संविधान के एक से अधिक संशोधनों द्वारा संशोधित संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहेगा और केवल एक विधिक अधिकार बन जाएगा। इस प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 19 में आवश्यक संशोधन करने और अनुच्छेद 31 को लोप करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाने से अल्पसंख्यकों का अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

इसी प्रकार, निजी खेती के लिए अधिकतम सीमा के अंदर भूमि धारित करने वाले व्यक्तियों का बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

सम्पत्ति को मूल अधिकार न रहते हुए भी विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाएगी और यह उपबंध किया गया कि किसी व्यक्ति को विधि के अनुसरण से इतर उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का वास्तविक प्रभाव उस अवधि के लिए इसे एक ऐकिक राज्य में बदलकर तथा इसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक

297. लोक सभा वाद-विवाद, 7 दिसम्बर 1978, कॉलम 266-323।

298. वही, कॉलम 324-333।

अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने के नागरिकों के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति देकर संविधान का संशोधन करने जैसा था। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपायों की आवश्यकता थी कि इस शक्ति का उचित प्रयोग किया जाए और इसका दुरुपयोग न हो। इसलिए, यह प्रस्ताव किया गया कि आपात की घोषणा केवल तभी की जा सकती है जब भारत अथवा इसके राज्यक्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। आंतरिक अशांति जो सशस्त्र विद्रोह के समकक्ष न हो, को आपात की घोषणा का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उचित विचार-विमर्श के पश्चात् ही आपात की घोषणा की जाए, विधेयक का आशय यह उपबंध करना था कि मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई लिखित सलाह के आधार पर ही आपात की घोषणा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, चूंकि आपात की घोषणा का वास्तविक प्रभाव संविधान संशोधन जैसा ही होता है, इसलिए यह उपबंध किया जा रहा है कि आपात की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसी बहुमत से अनुमोदित कराना होगा जो संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है और ऐसा अनुमोदन एक माह की अवधि के अंदर करना होगा। ऐसी कोई घोषणा केवल छह माह के लिए प्रभावी होगी और इसे उसी बहुमत द्वारा पारित संकल्पों के माध्यम से जारी रखा जा सकता है। यदि लोक सभा आपात की घोषणा को जारी रखने का निरनुमोदन करने वाले संकल्प को पारित कर देती है तो आपात की घोषणा भी प्रभावी नहीं रहेगी। लोक सभा के दस प्रतिशत अथवा अधिक सदस्य आपात की घोषणा का निरनुमोदन करने वाले संकल्प पर विचार करने के लिए एक विशेष बैठक के आयोजन की मांग कर सकते हैं।

आपात उपबंधों के दुरुपयोग पर और रोक लगाने तथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को एक सुरक्षित आधार देने के लिए यह उपबंध किया जाएगा कि किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के अधिकार को यह उपबंध करके और सुदृढ़ किया गया है कि निवारक निरोध के लिए कोई विधि, किसी भी स्थिति में, दो माह से अधिक की अवधि के लिए निरोध को प्राधिकृत नहीं कर सकती जब तक कि किसी परामर्शदात्री बोर्ड ने यह रिपोर्ट न दी हो कि ऐसे निरोध के पर्याप्त कारण हैं। यह अपेक्षा रखकर एक अतिरिक्त रक्षोपाय की व्यवस्था की जाएगी कि परामर्शदात्री बोर्ड का सभापति समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और यह कि बोर्ड का गठन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

विधेयक में एक विशेष उपबंध का प्रस्ताव किया गया जिसमें संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही की स्वतंत्र और बिना सेंसर की हुई रिपोर्ट देने के मीडिया के अधिकार की गारंटी दी गई है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने संबंधी उपबंध को संशोधित करने की भी मांग की

गई ताकि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई आपात की कोई घोषणा एक बार में केवल छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगी और यह कि यह साधारणतया एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं हो सकती। तथापि, यदि कोई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव करवाने में परेशानियों के कारण राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है तो आपात की घोषणा के प्रभावी रहने की अवधि को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह तीन वर्ष की मौजूदा सीमा के अध्यक्षीन है। ये परिवर्तन यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी राज्य में एक न्यूनतम अवधि, जो चुनाव करवाने के लिए आवश्यक होगी, के पश्चात् लोकतांत्रिक शासन पुनःस्थापित हो।

विलंब से बचने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 132, 133 और 134 को संशोधित करने और एक नया अनुच्छेद 134क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया कि उच्च न्यायालय को संबंधित निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश अथवा सजा दिए जाने के तुरंत पश्चात् किसी पक्ष के मौखिक आवेदन अथवा यदि उच्च न्यायालय ऐसा करना उचित समझे तो अपने स्वयं के प्रस्ताव के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति के मामले अनन्य रूप से अनुच्छेद 136 द्वारा विनियमित होंगे।

विधेयक में प्रस्तावित अन्य संशोधन मुख्यतः उन विकारों को दूर करने अथवा सुधारने के लिए थे जो आंतरिक आपात की अवधि के दौरान अधिनियमित किए गए संशोधनों के कारण संविधान में अंतर्विष्ट हो गए थे।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। (धारा 1)

अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार न रह कर केवल विधि का अधिकार रह जायेगा। अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (च) जिसमें नागरिकों को सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन, धारण और इसका निपटान करने का अधिकार है और सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित अनुच्छेद 31 का लोप कर दिया गया है। अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षण संस्थान की सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन से संरक्षण को राज्य इस प्रकार सुनिश्चित

करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिये ऐसी विधि के अधीन जो राशि नियत या निश्चित की जाये वह ऐसी हो जो अल्पसंख्यकों को उनकी इच्छा के अनुसार शैक्षणिक संस्थायें स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। नये अनुच्छेद 300क में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। (धारा 2, 4, 6 और 34)

अनुच्छेद 38 में, जन कल्याण के संवर्धन के लिये एक सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिये राज्य को निदेश से संबंधित एक नया निदेशक सिद्धान्त अंतःस्थापित किया गया है जो इस प्रकार है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। (धारा 9)

अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित उपबंध में संशोधन किया गया। इसके उद्देश्य हैं:—

(क) सलाहकार बोर्ड की राय के बिना किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के लिये अधिकतम अवधि को तीन मास से घटाकर दो मास करना;

(ख) यह उपबंध करना कि सलाहकार बोर्ड में एक अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्य होंगे। सलाहकार बोर्ड का गठन समुचित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार होगा (अर्थात् केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिये गये निरोध आदेशों की दशा में दिल्ली उच्च न्यायालय; राज्य सरकार द्वारा किये गये निरोध आदेशों की दशा में राज्य का उच्च न्यायालय; संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की दशा में वह उच्च न्यायालय जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उल्लिखित किया जाये) और सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष समुचित उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश होगा तथा सलाहकार बोर्ड के अन्य सदस्य उच्च न्यायालयों के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित अधिकतम अवधि की अपेक्षा अधिक अवधि के लिये सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बिना निवारक निरोध की व्यवस्था करने संबंधी संसद के अधिकार को समाप्त करना। (धारा 3)

अनुच्छेद 71 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया नया अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं और विवादों की जांच करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के अधिकार को बहाल करता है। (धारा 10)

अनुच्छेद 74 (1) जो यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा, में संशोधन करके यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् से ऐसी मंत्रणा पर

पुनर्विचार करने की अपेक्षा करेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा। (धारा 11)

अनुच्छेद 77 के खंड (4) और अनुच्छेद 166 के खंड (4) का जो क्रमशः भारत सरकार और राज्य सरकारों के बारे में है, लोप कर दिया गया है। इस प्रकार संघ और राज्य सरकारों के कार्य के संचालन संबंधी नियम पेश करने के लिये बाध्य करने की न्यायालयों की शक्ति बहाल कर दी गई है। (धारा 12 और 23)

क्रमशः लोक सभा और राज्य विधान सभाओं से संबंधित अनुच्छेद 83 और 172 का, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं की अवधि फिर से पांच वर्ष करने के लिये संशोधन कर दिया गया है। (धारा 13 और 24)

क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनर्हता विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन संबंधी वर्तमान अनुच्छेद 103 और 192 को प्रतिस्थापित करके यह उपबंध किया गया है कि अनर्हता के प्रश्न पर संसद सदस्य के मामले में राष्ट्रपति द्वारा और किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के मामले में राज्यपाल द्वारा विनिश्चयन निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार किया जायेगा। (धारा 14 और 25)

क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों में विशेषाधिकारों संबंधी अनुच्छेद 105 और 194 का, इन अनुच्छेदों में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कामन्स के उल्लेख का लोप करने और उसके स्थान पर यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वे ही होंगी, जो वर्तमान अधिनियम के संशोधन उपबंधों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले थीं। (धारा 15 और 26)

अंतःस्थापित नये अनुच्छेद 134क के द्वारा यह उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय विनिर्णय ज्ञाप्ति अंतिम आदेश या दण्डादेश दिये जाने के ठीक पश्चात् किसी पक्षकार के मौखिक आवेदन दिये जाने पर या यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, तो स्वप्रेरणा से अनुच्छेद 132(1), 133(1) या 134(1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उपयुक्तता का प्रमाण पत्र देने के प्रश्न पर विचार करेगा। (धारा 20)

अनुच्छेद 132 में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि अनुच्छेद 134 (क) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के प्रमाणित करने पर कोई भी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। (धारा 17)

अनुच्छेद 139क को प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें यह उपबंध है कि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारतः समान प्रश्न अंतर्विष्ट है, तथा उच्चतम न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षधर द्वारा

किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय के ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय, उस उच्च न्यायालय अथवा उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। यथासंशोधित अनुच्छेद में यह उपबंध भी है कि उच्चतम न्यायालय विधि के प्रश्न का निर्धारण करने के पश्चात् वापस मंगाए मामले को उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए लौटा सकेगा। (धारा 21)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विख्यात विधिवेत्ता होने की पात्रता संबंधी अनुच्छेद 217 के खंड (2) के उपखंड (ग) का लोप कर दिया गया है। (धारा 28)

उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 226 में, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए लेख निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति बहाल करने के लिए संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त संशोधन अनुच्छेद 226 के अधीन कोई पक्षकार, जिसके विरुद्ध एक पक्षीय अन्तरिम आदेश दिया जाता है अथवा रिट याचिका संबंधी किसी कार्यवाही में संबद्ध कोई पक्षकार, ऐसे आदेश विखंडित किये जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, और यदि उच्च न्यायालय उस तारीख से, जिसको उच्च न्यायालय में वह प्राप्त होता है या उस तारीख को, जिसको आवेदन की प्रति दूसरे पक्षकार को दी जाती है, दो सप्ताह के भीतर उसका निपटारा नहीं करता है, तो वह अन्तरिम आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा। (धारा 30)

किसी उच्च न्यायालय की, उसकी अधिकारिता वाले राज्य में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करने की शक्ति बहाल करने के लिए अनुच्छेद 227 का संशोधन किया गया है। (धारा 31)

संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता संबंधी अनुच्छेद 257क का लोप कर दिया गया है। (धारा 33)

प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचन पर आपत्ति संबंधी विशेष उपबंधों से संबद्ध अनुच्छेद 329क का लोप कर दिया गया है। (धारा 36)

आपात की उद्घोषणा संबंधी अनुच्छेद 352 का अनेक प्रकार से संशोधन किया गया है। सर्वप्रथम “आंतरिक अशान्ति” के आधार के स्थान पर “सशस्त्र विद्रोह” का आधार रख दिया गया है। दूसरे, यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक कि संघ के मंत्रिमंडल का यह विनिश्चय कि ऐसी उद्घोषणा की जाए, उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता। तीसरे, यह उपबंध किया गया है कि आपात की उद्घोषणा का एक महीने की अवधि (दो महीने के बजाय) के भीतर संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन आवश्यक होगा और ऐसे संकल्प प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (साधारण बहुमत के स्थान पर) से

पारित किए जाने होंगे। चौथे, यह उपबंध किया गया है कि आपात की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए हर छह महीने के बाद दोनों सदनों का संकल्प द्वारा अनुमोदन आवश्यक होगा। पांचवें, यह उपबंध किया गया है कि यदि लोक सभा आपात की उद्घोषणा का निरनुमोदन करने या उसको जारी रखने का निरनुमोदन करने वाला एक संकल्प पारित करती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अंतर्गत जारी उद्घोषणा को वापस ले सकेगा। यह उपबंध भी किया गया है कि लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य प्रवृत्त ऐसी उद्घोषणा का निरनुमोदन करने या उसके जारी रहने का निरनुमोदन करने वाला संकल्प प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस देकर (यदि सदन सत्र में है तो अध्यक्ष को, या यदि सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को) ऐसे संकल्पों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ सदन के विशेष अधिवेशन कर सकेंगे। लोक सभा द्वारा एक संकल्प पारित करके आपात की उद्घोषणा के प्रतिसंहरण और आपात की उद्घोषणा के जारी रखने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विशेष अधिवेशन बुलाने संबंधी उपबंध आपात की उद्घोषणा में परिवर्तन करने के संबंध में भी लागू होंगे। अनुच्छेद 352 के खंड 5 को, जिसमें आपात की उद्घोषणा जारी करने के लिये आवश्यक आपात की विधिमान्यता के बारे में राष्ट्रपति के समाधान को अन्तिम बनाने वाले अनुच्छेद 352 के खण्ड (5) का लोप कर दिया गया है। (धारा 37)

राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की अवस्था में उद्घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति संबंधी अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया है। यथासंशोधित अनुच्छेद के अधीन ऐसी उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्पों के द्वारा पहले अनुमोदन किये जाने पर, उद्घोषणा जारी किये जाने की तारीख से छह महीने तक (उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे की तारीख से एक वर्ष के बजाय) जारी रहेगी और बाद के अवसर पर इसी प्रकार अनुमोदन किये जाने पर और छह महीने के लिये (एक वर्ष के बजाय) जारी रहेगी। तथापि, ऐसी उद्घोषणा जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी अवधि के लिये इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रवृत्त बने रहने के बारे में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे संकल्प के पारित किये जाने के समय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में न हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित न कर दे कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उद्घोषणा का प्रवृत्त रखना, संबंधित राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है। (धारा 38)

आपात के दौरान अनुच्छेद 19 (नागरिकों के वाक्-स्वातन्त्र्य, सम्मेलन, संचरण, निवास करने और बस जाने, संस्था बनाने और व्यवसाय की स्वतंत्रता के बारे में) के उपबंधों का निलंबन करने संबंधी अनुच्छेद 358 में संशोधन किया गया है। यथासंशोधित अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 19 के उपबंध केवल ऐसे आपात की उद्घोषणा की दशा में निलम्बित होंगे, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी की गई है और ऐसे आपात की उद्घोषणा की दशा

में निलंबित नहीं होंगे जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 358 के अधीन अनुच्छेद 19 का निलंबन ऐसी विधि के संबंध में लागू नहीं होगा जिसमें इस आशय का कथन नहीं है कि ऐसी विधि आपात की उस उद्घोषणा के संबंध में है जो उसके बनाये जाने के समय प्रवृत्त है, या ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही को लागू नहीं होगी जो ऐसी विधि के अधीन नहीं की गई है, जिसमें उपरोक्त कथन है। (धारा 39)

आपात के दौरान संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन संबंधी अनुच्छेद 359 में दो प्रकार के संशोधन किये गये हैं। पहला संशोधन यह उपबंध करने के लिये है कि अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिये दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण के बारे में) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वाधीनता के संरक्षण के बारे में) के अधीन अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरा संशोधन यह उपबंध करने के लिये है कि इस अनुच्छेद के अधीन किसी अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन ऐसी विधि के संबंध में लागू नहीं होगा जिसमें इस आशय का कथन नहीं है कि वह विधि ऐसे आपात की उद्घोषणा के संबंध में है जो उसके बनाये जाने के समय प्रवृत्त है या ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही पर लागू नहीं होगी जो ऐसी विधि के अधीन नहीं की गई है जिसमें उपरोक्त कथन है। (धारा 40)

वित्तीय आपात संबंधी अनुच्छेद 360 में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि उद्घोषणा पश्चात्पूर्वी उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उससे पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। अनुच्छेद 360 के खण्ड (5) जो ऐसी स्थिति पैदा होने के बारे में है, जिसमें देश अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में होने के बारे में राष्ट्रपति का समाधान अन्तिम और निर्णायक बना दिया गया था, का लोप किया गया है। (धारा 41)

नया अनुच्छेद 361क संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के सारतः सही विवरण के प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में सिविल या दांडिक कार्यवाहियों से संवैधानिक संरक्षण देने का उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया गया है। यह संरक्षण गुप्त बैठकों की कार्यवाहियों के बारे में नहीं होगा। (धारा 42)

नौवीं अनुसूची, जिसमें ऐसे अधिनियम और विनियम उल्लिखित हैं, जो मूल अधिकारों के बारे में संविधान के भाग 3 के उपबंधों से किसी विसंगति के आधार पर शून्य नहीं समझे जायेंगे, की प्रविष्टि 87 [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 और निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975], प्रविष्टि 92 (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971) और प्रविष्टि 130 (आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976) का लोप करने के लिए उसमें संशोधन किया गया है। (धारा 44)

संशोधन का पाठ

संविधान (चवालीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1978

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[30 अप्रैल, 1979]

भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

अनुच्छेद 19 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 19 में-

(क) खंड (1) में-

(i) उपखंड (ड) के अंत में "तथा" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपखंड (च) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (5) में "उपखंड (घ), (ङ) और

(च)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "उपखंड (घ) और उपखंड (ङ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 22 का
संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 22 में-

(क) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का दो मास से अधिक की अवधि के लिए तब

तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि समुचित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश के अनुसार गठित सलाहकार बोर्ड ने उक्त दो मास की अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं:

परंतु सलाहकार बोर्ड एक अध्यक्ष और कम-से-कम दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और अध्यक्ष समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे:

परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड (7) के उपखंड (क) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है।

स्पष्टीकरण— इस खंड में, "समुचित उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है-

(i) भारत सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय;

(ii) (संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न) किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय; और

(iii) किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या ऐसे प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में वह उच्च न्यायालय जो संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) खंड (7) में-

(i) उपखंड (क) का लोप किया जाएगा; और

(ii) उपखंड (ख) को उपखंड (क) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा; और

(iii) उपखंड (ग) को उपखंड (ख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित उपखंड में "खंड (4) के उपखंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर "खंड (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 30 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 30 में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए।"

अनुच्छेद 30 के पश्चात् उपशीर्ष का लोप।

5. संविधान के अनुच्छेद 30 के पश्चात् आने वाले "संपत्ति का अधिकार" उपशीर्ष का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 31 का लोप।

6. संविधान के अनुच्छेद 31 का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 31क का संशोधन।

7. संविधान के अनुच्छेद 31क के खंड (1) में "अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 31ग का संशोधन।

8. संविधान के अनुच्छेद 31ग में, "अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 38 का संशोधन।

9. संविधान के अनुच्छेद 38 को उसके खंड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) राज्य, विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।”

10. संविधान के अनुच्छेद 71 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुच्छेद 71 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

“71. (1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय।

(2) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे।

(3) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी।

(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्रुत नहीं किया जाएगा।”

11. संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड (1) के अंत में निम्नलिखित परंतु अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अनुच्छेद 74 का संशोधन।

“परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर

सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।"

अनुच्छेद 77 का संशोधन।

12. संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (4) का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 83 का संशोधन।

13. (1) संविधान के अनुच्छेद 83 के खंड (2) में "छह वर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "पांच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) वे संशोधन जो उपखंड (1) द्वारा अनुच्छेद 83 के खंड (2) में किए गए हैं इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान लोक सभा को भी, उस खंड के परंतुक के अधीन सदन की कालावधि के विस्तार के बारे में संसद की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लागू होंगे।

अनुच्छेद 103 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन।

14. संविधान के अनुच्छेद 103 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा—

सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय।

"103. (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"

अनुच्छेद 105 का संशोधन।

15. संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) में "तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ पर इंगलिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं" शब्दों के स्थान पर "तब तक वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

16. संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (4) का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 123 का संशोधन।

17. संविधान के अनुच्छेद 132 में— अनुच्छेद 132 का संशोधन।

(क) खंड (1) में "यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे" शब्दों के स्थान पर "यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (2) का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (3) में "अथवा ऐसी इजाजत दे दी गयी हो" और "तथा उच्चतम न्यायालय की इजाजत से, अन्य किसी आधार पर" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

18. संविधान के अनुच्छेद 133 के खंड (1) में "यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे" शब्दों के स्थान पर "यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 133 का संशोधन।

19. संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) में "प्रमाणित करता है" शब्दों के स्थान पर "अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 134 का संशोधन।

20. संविधान के अनुच्छेद 134 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अनुच्छेद 134क का अंतःस्थापन।

"134क. प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो अनुच्छेद 132 के खंड (1) या अनुच्छेद 133 के खंड (1) या अनुच्छेद 134 के खंड (1) में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में, यथास्थिति, अनुच्छेद 132 के खंड (1) या अनुच्छेद 133 के खंड (1) या अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाणपत्र दिया जाए या नहीं—

(क) यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा; और

उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र।

(ख) यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात् व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा।"

अनुच्छेद 139क
का संशोधन।

21. संविधान के अनुच्छेद 139क में खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) यदि ऐसे मामले, जिनमें विधि के समान या सारतः समान प्रश्न अंतर्बलित हैं, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं तो, उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा:

परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात् ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को, जिससे मामला मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।"

अनुच्छेद 150 का
संशोधन।

22. संविधान के अनुच्छेद 150 में "से परामर्श के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "की सलाह पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 166 का
संशोधन।

23. संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (4) का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 172 का
संशोधन।

24. (1) संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड (1) में "छह वर्ष" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "पांच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) द्वारा अनुच्छेद 172 के खंड (1) में किए गए संशोधन—

(क) किसी ऐसी वर्तमान राज्य विधानसभा को लागू नहीं होंगे जिसकी उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख तक यथासमय विद्यमान रहने की अवधि (जिसके अंतर्गत दोनों तारीखें हैं) चार वर्ष और आठ मास से अधिक है किन्तु ऐसी प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो-

(I) इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख से चार मास की अवधि की; या

(II) उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से छह वर्ष की अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त हो;

(ख) प्रत्येक अन्य वर्तमान राज्य विधानसभा को, उक्त खंड (1) के परंतुक के अधीन ऐसी विधानसभा की अवधि के विस्तारण के बारे में संसद की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1-संविधान के अनुच्छेद 371च के खंड (ख) में निर्दिष्ट सिक्किम राज्य की विधानसभा को लागू होने में इस उपधारा का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो-

(I) इस विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख 26 अप्रैल, 1975 हो; और

(II) इस उपधारा के खंड (क) में "चार वर्ष और आठ महीने" और "छह वर्ष" के प्रति निर्देश क्रमशः "तीन वर्ष और आठ महीने" और "पांच वर्ष" के प्रति निर्देश हो।

स्पष्टीकरण 2- इस उपधारा में "वर्तमान राज्य विधानसभा" से इस धारा के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान राज्य की विधानसभा अभिप्रेत है।

25. संविधान के अनुच्छेद 192 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

अनुच्छेद 192
के स्थान पर नये
अनुच्छेद का
प्रतिस्थापन।

सदस्यों की
निरहताओं से
संबंधित प्रश्नों पर
विनिश्चय।

“192. (1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरहता से ग्रसित हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।”

अनुच्छेद 194 का
संशोधन।

26. संविधान के अनुच्छेद 194 के खंड (3) में “तब तक वे ही होंगी, जो इस संविधान के प्रारंभ पर इंगलिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं” शब्दों के स्थान पर “तब तक वही होंगी, जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं” शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 213 का
संशोधन।

27. संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (4) का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 217 का
संशोधन।

28. संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (2) में—
(क) उपखंड (ख) में अन्त में आने वाले शब्द “अथवा” का लोप किया जाएगा।

(ख) उपखंड (ग) का लोप किया जाएगा।

(ग) स्पष्टीकरण में खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(क) भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है”।

29. संविधान के अनुच्छेद 225 के अंत में निम्नलिखित अनुच्छेद 225 का संशोधन।
परंतु अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"परंतु राजस्व संबंधी, अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, जिस किसी निर्बन्धन के अधीन था वह निर्बन्धन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् लागू नहीं होगा।"

30. संविधान के अनुच्छेद 226 में—

अनुच्छेद 226 का संशोधन।

(क) खंड (1) में "जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के रिट भी हैं अथवा उनमें से किसी को" "न्याय की सारवान निष्फलता हुई है, किसी क्षति के प्रतितोष के लिए" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए.... रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई।";

(ख) खंड (3), (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(3) जहां कोई पक्षकार, जिसके विरुद्ध खंड (1) के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अंतरिम आदेश-

(क) ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिवाक् के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां; और

(ख) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर, दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है या उसके

काउंसिल को देता है वहां उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ति हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है वहां उसके ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति से पहले जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है, आवेदन को निपटाएगा और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो अंतरिम आदेश, यथास्थिति, उक्त अवधि की या उक्त ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा।"

(ग) खंड (7) को खंड (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

अनुच्छेद 227 का संशोधन।

31. संविधान के अनुच्छेद 227 में-

(क) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा।";

(ख) खंड (5) का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 239ख का संशोधन।

32. संविधान के अनुच्छेद 239ख के खंड (4) का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 257क का लोप।

33. संविधान के अनुच्छेद 257क का लोप किया जाएगा।

भाग 12 में नये अध्याय 4 का अंतःस्थापन।

34. संविधान के भाग 12 में, अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"अध्याय 4 - संपत्ति का अधिकार"

विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना।

"300क-किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 329 का संशोधन।

35. संविधान के अनुच्छेद 329 के प्रारंभिक भाग में आने वाले "किन्तु अनुच्छेद 329क के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

36. संविधान के अनुच्छेद 329क का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 329क का लोप।

37. संविधान के अनुच्छेद 352 में- अनुच्छेद 352 का संशोधन।
(क) खंड (1) में-

(I) "आभ्यन्तरिक अशांति" शब्दों के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द रखे जाएंगे;

(II) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"स्पष्टीकरण- यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी।"

(ख) खंड (2), (2क) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

"(2) खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी पश्चात्पूर्ति उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको वापस लिया जा सकेगा।

(3) राष्ट्रपति, खंड (1) के अधीन उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल का (अर्थात् उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है) यह विनिश्चय कि ऐसी उद्घोषणा की जाए, उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता है।

(4) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां यह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह एक मास की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से

पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है) उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट एक मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(5) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है, तो खंड (4) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, छह मास की और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी:

परंतु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन छह मास की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस

तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(6) खंड (4) और खंड (5) के प्रयोजनों के लिए, संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकेगा।

(7) पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी, यदि लोक सभा खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का, यथास्थिति, अनुमोदन या उसे प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले लेगा।

(8) जहां खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का, यथास्थिति, अनुमोदन या उसको प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दसवें भाग द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में—

(क) यदि लोक सभा सत्र में है तो अध्यक्ष को, या

(ख) यदि लोक सभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को, दी गई है वहां ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए लोक सभा की विशेष बैठक, यथास्थिति, अध्यक्ष या राष्ट्रपति को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर की जाएगी।"

(ग) खंड (4) को खंड (9) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड में "आंतरिक अशांति" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "सशस्त्र विद्रोह" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 356 का
संशोधन ।

(घ) खंड (5) का लोप किया जाएगा ।

38. संविधान के अनुच्छेद 356 में-

(क) खंड (4) में-

(i) "खंड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे के पारित हो जाने की तारीख से एक वर्ष" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उद्घोषणा किए जाने की तारीख से छह मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पहले परंतुक में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) दूसरे परंतुक में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "छह मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब-

(क) ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा, यथास्थिति, संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है; और

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना, संबंधित राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है ।"

अनुच्छेद 358 का
संशोधन ।

39. संविधान के अनुच्छेद 358 को उस अनुच्छेद के खंड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और-

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खण्ड (1) में-

(i) प्रारंभिक भाग में "जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है" शब्दों के स्थान पर "जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट

में होने की घोषणा करने वाली आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) परन्तुक में "जब आपात की उद्घोषणा" शब्दों के स्थान पर "जहां आपात की ऐसी उद्घोषणा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(2) खंड (1) की कोई बात—

(क) किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके बनाए जाने के समय प्रवृत्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है; या

(ख) किसी ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई को लागू नहीं होगी जो ऐसा उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन न करके अन्यथा की गई है।"

40. संविधान के अनुच्छेद 359 में—

अनुच्छेद 359 का संशोधन।

(क) खंड (1) और (1क) में "भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों" शब्दों और अंकों के स्थान पर "(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर) भाग 3 द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों" कोष्ठक, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (1क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(1ख) खंड (1क) की कोई बात,—

(क) किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके बनाए जाने के समय प्रवृत्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है; या

(ख) किसी ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई को लागू नहीं होगी जो ऐसा उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन न करके अन्यथा की गई है।"

41. संविधान के अनुच्छेद 360 में—

अनुच्छेद 360 का संशोधन।

(क) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(2) खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा—

(क) किसी पश्चात्पूर्वी उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी;

(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी;

(ग) दो मास की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है:

परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।"

(ख) खण्ड (5) का लोप किया जाएगा।

नये अनुच्छेद
361क का
अंतःस्थापन।

42. संविधान के अनुच्छेद 361 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण।

"361क. (1) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या, यथास्थिति, किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतः सही विवरण के किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दांडिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि प्रकाशन विद्वेषपूर्वक किया गया है:

परंतु इस खंड की कोई बात संसद के किसी सदन या, यथास्थिति, किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के

विधानमंडल के किसी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाहियों के विवरण के प्रकाशन को लागू नहीं होगी।

(2) खंड (1) किसी प्रसारण केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध किसी कार्यक्रम या सेवा के भागरूप बेतार तारयांत्रिकी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में लागू होता है।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद में, "समाचारपत्र" के अंतर्गत समाचार एजेंसी की ऐसी रिपोर्ट है जिसमें किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री अंतर्विष्ट है।"

43. संविधान के अनुच्छेद 371च के खण्ड (ग) में "छह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे और "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "चार वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 371च का संशोधन।

44. संविधान की नौवीं अनुसूची की प्रविष्टि 87, 92 और 130 का लोप किया जाएगा।

नौवीं अनुसूची का संशोधन।

45. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 18, धारा 19, धारा 21, धारा 22, धारा 31, धारा 32, धारा 34, धारा 35, धारा 58 और धारा 59 का लोप किया जाएगा।

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 का संशोधन।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980²⁹⁹

विधायी इतिहास

संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1980 लोक सभा में 23 जनवरी 1980 को पुरःस्थापित किया गया था³⁰⁰। विधेयक का आशय लोक सभा में तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने और आंग्ल-भारतीय समुदाय को विशेष प्रतिनिधित्व देने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 334 का संशोधन करना था।

इस विधेयक पर लोक सभा द्वारा 24 जनवरी 1980 को विचार किया गया था और उसी दिन मूल रूप में पारित कर दिया गया था³⁰¹। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 25 जनवरी 1980 को विचार कर पारित किया गया³⁰²।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 334 में यह उल्लेख है कि लोक सभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी और नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारम्भ से तीस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। यद्यपि पिछले तीस वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने पर्याप्त उन्नति की है फिर भी वे कारण, जिसकी

299. 1980 का विधेयक संख्यांक 1; गृह मंत्री, श्री जैल सिंह द्वारा 23 जनवरी 1980 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 24 जनवरी 1980; राज्य सभा: 25 जनवरी 1980; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात्: आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 14 अप्रैल 1980; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 14 अप्रैल 1980; प्रारम्भ की तारीख: 25 जनवरी 1980।

300. लोक सभा वाद-विवाद, 23 जनवरी 1980, कॉलम 54-55।

301. वही, 24 जनवरी 1980, कॉलम 110-121।

302. राज्य सभा वाद-विवाद, 25 जनवरी 1980, कॉलम 195-198।

वजह से संविधानसभा ने स्थानों के आरक्षण और सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए उपबंध किए थे, समाप्त नहीं हुए हैं। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आगे और दस वर्षों के लिए जारी रखा जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है ताकि लोक सभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को और आगे दस वर्ष अर्थात् 26 जनवरी 1990 तक जारी रखा जाए। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (पैंतालीसवां संशोधन)

अधिनियम, 1980

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[14 अप्रैल, 1980]

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980 है ।

(2) यह 25 जनवरी 1980 से प्रवृत्त हुआ माना
जायेगा ।

अनुच्छेद 334 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में "तीस वर्ष" शब्दों के
स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982³⁰³

विधायी इतिहास

संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक, 1981 लोक सभा में 3 अप्रैल 1981 को पुरःस्थापित किया गया था³⁰⁴। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 269, 286 और 366 तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन करना है।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 13 और 14 जुलाई 1982³⁰⁵ को विचार किया गया था और खण्ड 1 में तथा अधिनियम सूत्र में औपचारिक संशोधन के साथ क्रमशः “1981” अंक के स्थान पर “1982” और “बत्तीसवां” के स्थान पर “तैंतीसवां” शब्द रखकर 14 जुलाई 1982 को सभा द्वारा पारित किया गया था³⁰⁶। लोक सभा द्वारा यथा पारित, विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 10 अगस्त 1982 को विचार किया गया और पारित किया गया³⁰⁷।

विधेयक के खण्ड 2 से 6 लोक सभा और राज्य सभा दोनों द्वारा मूल रूप में स्वीकार कर लिए गए थे³⁰⁸।

303. 1981 का विधेयक संख्यांक 52; वित्त मंत्री श्री आर. वेंकटरामन द्वारा 3 अप्रैल 1981 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 13 और 14 जुलाई 1982; राज्य सभा: 10 अगस्त 1982; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात्: बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 2 फरवरी 1983; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 3 फरवरी 1983; प्रारम्भ की तारीख: 2 फरवरी 1983।

304. लोक सभा वाद-विवाद, 3 अप्रैल 1981, कॉलम 340।

305. वही, 13 और 14 जुलाई 1982, कॉलम 390-398।

306. वही, कॉलम 387-388।

307. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 अगस्त 1982, कॉलम 346-350।

308. लोक सभा वाद-विवाद, 14 जुलाई 1982, कॉलम 334-387; राज्य सभा वाद-विवाद, 10 अगस्त 1982, कॉलम 318-341।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत शासन अधिनियम, 1935 के अनुसरण में अधिनियमित विक्रय कर विधियाँ और संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात् पारित विक्रय कर से संबंधित विधियाँ इस आधार पर बनाई गई थीं कि विधायी सूचियों की प्रविष्टियों के मोटे तौर पर निर्वाचन से संबंधित नियम को ध्यान में रखते हुए “माल का विक्रय” पद का व्यापकतर अर्थ लिया जाए। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने *गैनान डंकरले के मामले (ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 560)* में यह अभिनिर्धारित किया था कि संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियों में प्रयुक्त “माल का विक्रय” पद का वही अर्थ है जो माल विक्रय अधिनियम, 1930 में है। यह विनिश्चय संकर्म संविदाओं से संबंधित था।

पश्चात्पूर्ती अनेक विनिश्चयों में, उच्चतम न्यायालय ने *गैनान डंकरले* के मामले के विनिश्चय के आधार पर ऐसे अनेक अन्य संव्यवहारों के बारे में, जो सारतः विक्रयों के रूप में संव्यवहारों जैसे प्रतीत होते हैं, यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे संव्यवहारों पर विक्रय कर नहीं लगेगा। इन विनिश्चयों के परिणामस्वरूप किसी संव्यवहार पर कर, संघ सूची की प्रविष्टि 92क या राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के अधीन, तभी उद्ग्रहणीय होगा जब उस संव्यवहार में निम्नलिखित तत्व हों, अर्थात् पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम हों, पारस्परिक सहमति हो और संविदा के एक पक्षकार द्वारा माल के स्वत्व का अन्तरण उस संविदा के दूसरे पक्षकार को किसी मूल्य के लिए हो।

इसका परिणाम यह हुआ है कि कर से बचने के कई तरीके निकल आए हैं। इसका एक उदाहरण है अन्तरराज्यिक परेषण के अन्तरण की पद्धति, अर्थात् एक राज्य में मुख्यालय या मालिक द्वारा दूसरे राज्य में शाखा या अभिकर्ता को माल का अन्तरण या विलोमतः या एक राज्य में शाखा या अभिकर्ता द्वारा दूसरे राज्य में मुख्यालय या मालिक को अन्तरण अथवा परेषण लेखे पर माल का अन्तरण, जिससे कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन अन्तरराज्यिक विक्रयों पर विक्रय कर के संदाय से बचा जा सके। संकर्म संविदा की दशा में, यदि संविदा में किसी सामग्री के विक्रय को श्रम की लागत से अलग माना जाता है तो सामग्री का विक्रय कर योग्य होगा, किन्तु अविभाज्य संकर्म की संविदा की दशा में, ऐसी संविदा के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त माल में के स्वत्व के अन्तरण पर विक्रय कर उद्ग्रहित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस रूप में सामग्री का विक्रय नहीं होता है और उसमें का स्वत्व जंगम रूप में संक्रांत नहीं होता है। यद्यपि अविक्रय करार में क्रेता वस्तुतः माल को अविक्रय की तारीख पर प्राप्त करता है किन्तु यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विक्रय उस समय होता है जब क्रेता किसी भी अति पश्चात्पूर्ती तारीख को क्रय करने के विकल्प का प्रयोग करता है और इसलिए जिस समय क्रय करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है उस समय ऐसे संव्यवहार में अंतर्ग्रस्त माल का अपक्षयित मूल्य पर विक्रय कर निर्धारणीय होता है। इसी प्रकार, व्यक्तियों के किसी रजिस्ट्रीकृत क्लब या अन्य संगम (जब व्यक्तियों के उस क्लब या संगम की निगमित हैसियत हो) द्वारा अपने सदस्यों को किए गए विक्रय, कर योग्य हैं तथा व्यक्तियों के अनिगमित क्लब या संगम द्वारा अपने सदस्यों को किए

गए विक्रय, कर योग्य नहीं होते हैं क्योंकि विधि की दृष्टि से ऐसे क्लब या संगम का अपने सदस्यों से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। *एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया* के मामले (ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1131) में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि होटल में ठहराये गये व्यक्ति को होटल वाले द्वारा खाद्य या पेय का प्रदाय विक्रय नहीं है।

न्यू इंडिया शुगर मिल्स के मामले (ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1207) में उच्चतम न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया था कि नियंत्रण आदेश के अधीन दिए गए निदेश के अनुसरण में नियंत्रित वस्तुओं के अन्तरण में, विक्रेता द्वारा स्वेच्छा का या पारस्परिक सहमति का तत्त्व विद्यमान नहीं है और इसलिए वह माल विक्रय अधिनियम, 1930 में यथा परिभाषित विक्रय नहीं है। किन्तु *आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन बनाम बिहार राज्य* (ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 2478) में उच्चतम न्यायालय को, नियंत्रित वस्तुओं के अन्तरण पर विक्रय कर भारित करने से संबंधित अपने पहले के विनिश्चयों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई कानूनी अनिवार्यता है वहां यह मान लेना चाहिए कि स्वतः कानून मतैक्य प्रदान करता है और मतैक्य के तरीके भी बताता है। *विष्णु एजेन्सीज बनाम कमर्शियल टैक्स आफिसर* (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 449) में सात में से छह न्यायाधीश *न्यू इंडिया शुगर मिल्स* के मामले के विनिश्चय को उलटने में सहमत हुए जबकि सातवें न्यायाधीश ने मामले को विशेषणीय ठहराया। अतः यह वांछनीय समझा गया है कि इस विषय को संदेह से परे कर दिया जाए।

माल के विक्रय पर कर उद्ग्रहित करने की राज्यों की शक्ति और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 से संबंधित विभिन्न समस्याएं भारत के विधि आयोग को निर्देशित की गई थीं। आयोग ने अपनी इक्सठवीं रिपोर्ट में इन विषयों पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि यदि प्रशासनिक नीति की दृष्टि से पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित प्रवृत्ति के संव्यवहारों पर कर उद्ग्रहित करने का विनिश्चय किया जाता है तो संविधान में अन्यो के साथ-साथ कतिपय संशोधन किए जाने चाहिए।

फिल्मों के पट्टे करने के तरीके से भी विक्रय कर से बचा जा रहा है। फिल्म की बाबत मुख्य अधिकार उसका समुपयोजन है और कुछ अवधि तक समुपयोजन करने के पश्चात् अधिकांशतः फिल्मों की कोई कीमत नहीं रह जाती है। इसलिए यह देखा गया है कि फिल्म के नितान्त विक्रय का तरीका अपनाने के बजाय उस फिल्म के समुपयोजन के अधिकार का केवल पट्टा या अन्तरण किया जाता है।

उन राज्य सरकारों से, जिनको विक्रय कर से होने वाला राजस्व समनुदिष्ट किया जाता है, रिपोर्ट मिली थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के परेषण के तरीके से माल के अन्तरराज्यिक विक्रय पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय विक्रय कर बड़े पैमाने पर बचाया जा रहा है और संकर्म संविदाओं, अवक्रय संव्यवहारों, फिल्मों के पट्टे आदि में स्थानीय विक्रय कर की चोरी हो रही है। यद्यपि संसद इन संव्यवहारों पर कर उद्ग्रहित कर सकती है क्योंकि विक्रय कर को सदैव राज्यों को समनुदिष्ट

किए जाने वाले राजस्व की एक मद माना गया है। किन्तु यह महसूस किया गया है कि जो संव्यवहार विक्रय जैसे प्रतीत होते हैं उनके बारे में भी ऐसी ही नीति अपनाई जानी चाहिए।

उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त *नार्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड* बनाम *उपराज्यपाल, दिल्ली* के मामले (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1591) में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। राज्य इस आधार पर कार्यवाही करते रहे हैं कि *एसोसिएटेड होटल्स आफ इंडिया* के मामले का विनिश्चय किसी होटल में ठहरने वाले व्यक्ति को होटल वाले द्वारा खाद्य या पेय के प्रदाय को ही लागू होता है और रेस्तरां द्वारा किए गए खाद्यान्न के विक्रय पर उग्रहणीय है। किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिश्चय का अध्यारोहण करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि होटल या रेस्तरां में भोजन देने की सेवा, विक्रय कर के उग्रहण के प्रयोजन के लिये खाद्य का विक्रय नहीं है और इसे मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए सेवा किया जाना या मानव की शारीरिक आवश्यकता की सेवा किया जाना माना जाना चाहिए। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि रेस्तरां ने आगन्तुक से पूरे भोजन के लिए या बनी हुई अलग-अलग वस्तुओं के लिए दाम वसूल किए हैं।

अतः यह प्रस्ताव है कि संविधान में समुचित संशोधन किया जाए ताकि एक नया खंड (29क) अन्तःस्थापित करके अनुच्छेद 366 में “माल के विक्रय या क्रय पर कर” की परिभाषा को शामिल किया जा सके। इस परिभाषा में विशिष्ट रूप से इस कर शब्द की परिधि के भीतर निम्नलिखित पर कर शामिल होगा:—

- (एक) नियंत्रित वस्तुओं के प्रतिफल के लिए अन्तरण पर;
- (दो) माल में संपत्ति के ऐसे अंतरण पर जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित है;
- (तीन) अवक्रय पर या किस्तों में संदाय की पद्धति से माल के परिदान पर;
- (चार) नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर;
- (पांच) नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के प्रदाय पर जो किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को किया गया है; और
- (छः) ऐसे माल के, जो खाद्य या पेय है, ऐसे प्रदाय पर जो किसी सेवा के रूप में या सेवा के भाग के रूप में किया गया है और जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92ख अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है जिसमें माल के परेषण पर, जहां ऐसा परेषण अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, कर उद्ग्रहण उपबंधित है।

अनुच्छेद 269 के खण्ड (1) में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के परेषण पर उद्ग्रहित कर राज्यों को समनुदिष्ट हों। इस अनुच्छेद के खण्ड (3) में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि संसद को विधि द्वारा ऐसे सिद्धांत निर्धारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके जिससे वह यह अवधारित कर सके कि अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का परेषण कब हो।

अनुच्छेद 286 के खण्ड (3) में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि संसद विधि द्वारा किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त माल के अन्तरण पर, अवक्रय के माल के परिदान पर या किस्तों में संदाय की किसी पद्धति पर और माल का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार पर कर के उद्ग्रहण की पद्धति, दरों और अन्य प्रसंगतियों के संबंध में निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सके।

प्रस्तावित संशोधनों से राज्य के राजस्व में काफी हद तक वृद्धि करने में मदद मिलेगी। विधेयक के खंड 6 का आशय खाद्य अथवा पेय पदार्थ की आपूर्ति पर कर लगाए जाने संबंधी विधि को विधिमान्यता दिए जाने पर विचार करने तथा ऐसी किसी विधि के अन्तर्गत कर द्वारा संग्रहण अथवा वसूली किया जाना भी है। तथापि, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया मामले में अधिनिर्णय होने की तारीख से वर्तमान संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने की अवधि के दौरान होटल में ठहराए गए व्यक्ति को होटल मालिक द्वारा खाद्य या पेय पदार्थ पर कोई विक्रय कर संदेय नहीं होगा यदि विधेयक के खंड 6 के उपखंड (2) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों। रेस्तराओं द्वारा खाद्य अथवा पेय पदार्थ की आपूर्ति किए जाने पर यह राहत नार्दर्न इंडिया केटरर्स (इंडिया) लि. मामले में निर्णय होने की तारीख तथा वर्तमान संशोधन अधिनियम प्रारंभ होने की समयावधि में उपलब्ध होगी।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 269 के खंड (1) में नया उपखंड (ज) अन्तःस्थापित किया गया है जिसमें उपबंध है कि अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के परेषण पर उद्ग्रहित कर राज्यों को समनुदिष्ट हो। इस अनुच्छेद के यथासंशोधित खण्ड (3) में संसद को विधि द्वारा ऐसे सिद्धांत निर्धारित करने के लिए समर्थ बनाया गया है जो यह अवधारित करे कि अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल का परेषण कब होना चाहिए।

अनुच्छेद 286 में खंड (3) के स्थान पर एक नया खंड प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें अनुच्छेद 366 के खण्ड (29क) के उपखंड (ख), (ग) और (घ) में शामिल माल के क्रय अथवा विक्रय पर राज्य द्वारा कर लगाया जा सकता है तथा उस कर के उद्ग्रहण की पद्धति, दरों और प्रसंगतियों के संबंध में विधि ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे (धारा 3)

अनुच्छेद 366 में “माल के क्रय या विक्रय पर कर” की परिभाषा एक नया खंड (29क) अन्तःस्थापित करके शामिल की गई है। इस परिभाषा में विशिष्ट रूप से इस कर शब्द की परिधि के भीतर निम्नलिखित पर कर शामिल हैं: (क) किसी विनिर्दिष्ट संविदा के अनुसरण में संपत्ति अथवा माल के अलावा नियंत्रित वस्तुओं के अन्तरण; (ख) माल में संपत्ति के ऐसे अंतरण जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित हैं; (ग) अवक्रय पर या किस्तों में संदाय की पद्धति से माल का परिदान; (घ) नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार के अंतरण; (ङ) नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के प्रदाय जो किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति- निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को किया गया है; (च) माल के, जो खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय है, ऐसे प्रदाय पर, जो किसी सेवा के रूप में या सेवा के भाग के रूप में किया गया है और सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई है। (धारा 4)

संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92 (ख) अन्तःस्थापित की गई है जिसमें माल के परेषण पर, जहां ऐसा परेषण अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, कर का उद्ग्रहण उपबंधित है। (धारा 5)

अधिनियम की धारा 6 में विचार के लिए खाद्य अथवा पेय पर कर लगाए जाने संबंधी विधि को और ऐसी किसी विधि के अंतर्गत कर के माध्यम से संग्रहण अथवा उद्ग्रहण के लिए भी विधि को विधिमान्यता दी गई है। तथापि, 4 जनवरी, 1972 से लेकर इस अधिनियम के लागू होने की अवधि के दौरान होटल मालिक द्वारा आपूरित खाद्य अथवा पेय पदार्थ पर कोई विक्रय कर संदेय नहीं होगा यदि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तें पूरी की गई हों। रेस्तराओं द्वारा खाद्य अथवा पेय पदार्थ का प्रदाय किए जाने पर, केवल 7 सितम्बर, 1978 से लेकर इस अधिनियम के प्रारंभ होने की समयावधि में ही यह राहत उपलब्ध होगी।

संशोधन का पाठ संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[2 फरवरी, 1983]

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 269 में-

अनुच्छेद 269 का
संशोधन।

(क) खण्ड (1) में, उपखण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“(ज) माल के परेषण पर कर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो), उस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषण अन्तराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।”:

(ख) खण्ड (3) में, “माल का क्रय या विक्रय” शब्दों के स्थान पर “माल का क्रय या विक्रय या परेषण” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. संविधान के अनुच्छेद 286 के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

अनुच्छेद 286 का
संशोधन।

“(3) जहां तक किसी राज्य की कोई विधि-

(क) ऐसे माल के, जो संसद द्वारा विधि द्वारा अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है, क्रय या विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करती है या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है: या

(ख) माल के क्रय या विक्रय पर ऐसा कर अधिरोपित

करती है या ऐसे कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है, जो अनुच्छेद 366 के खंड (29क) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है,

वहां तक वह विधि, उस कर के उद्ग्रहण की पद्धति, दरों और अन्य प्रसंगतियों के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे।”

अनुच्छेद 366 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 366 में खण्ड (29) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“(29 क) ‘माल के क्रय या विक्रय पर कर’ के अंतर्गत

(क) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति के ऐसे अंतरण पर है जो किसी संविदा के अनुसरण में न करके अन्यथा किया गया है,

(ख) वह कर है जो माल में संपत्ति के (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ऐसे अंतरण पर है जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित है,

(ग) वह कर है जो अवक्रय या किस्तों में संदाय की पद्धति से माल के परिदान पर है,

(घ) वह कर है जो नकदी, आस्थगित मंदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार के (चाहे वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) अंतरण पर है,

(ङ) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के प्रदाय पर है जो किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति-निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को किया गया है,

(च) वह कर है, जो ऐसे माल के, जो खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय है (चाहे वह मादक हो या नहीं) ऐसे प्रदाय पर है, जो किसी सेवा के रूप में या सेवा के भाग के रूप में या किसी भी अन्य रीति से किया गया है और ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई है,

और माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय कर रहा है, उस माल का विक्रय है, और उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय किया जाता है, उस माल का क्रय है।”

5. संविधान की सातवीं अनुसूची में, सूची-1, संघसूची में प्रविष्टि 92क के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्-

सातवीं अनुसूची में संशोधन।

“92 ख. माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है, उस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।”

6. (1) संविधान के प्रत्येक उपबंध के प्रयोजन के लिए, जिसमें “माल के क्रय या विक्रय पर कर” पद आता है और किसी ऐसे उपबंध के अनुसरण में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व पारित या बनायी गयी अथवा पारित या बनायी गयी तात्पर्यित किसी विधि के प्रयोजन के लिए—

विधिमान्यकरण और छूट।

(क) उक्त पद के अंतर्गत माल के, जो खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय है (चाहे वह पेय मादक हो या नहीं), नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में, या किसी भी अन्य रीति से प्रदाय पर कर (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् पूर्वोक्त कर कहा गया है) भी समझा जायेगा और सदैव से उक्त पद के अंतर्गत समझा जायेगा; और

(ख) ऐसे प्रारंभ से पूर्व खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति के प्रदाय के रूप में प्रत्येक संव्यवहार विक्रय के रूप में ऐसा संव्यवहार समझा जायेगा और सदैव से विक्रय के रूप में ऐसा संव्यवहार रहा समझा जायेगा, जिसके संबंध में ऐसा प्रदाय करने वाला व्यक्ति विक्रेता है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा प्रदाय किया जाता है, क्रेता है, और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, कोई भी विधि जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व पारित

की गयी थी या बनायी गयी थी और जिसके द्वारा पूर्वोक्त कर का अधिरोपण किया गया था या अधिरोपण प्राधिकृत किया गया था या अधिरोपण करना तात्पर्यित था, या अधिरोपण प्राधिकृत करना तात्पर्यित था, केवल इस आधार पर कि ऐसी विधि पारित करने या बनाने वाला विधान-मण्डल या अन्य प्राधिकरण ऐसी विधि पारित करने या बनाने के लिए सक्षम नहीं था, अमान्य नहीं समझी जायेगी या कभी अमान्य रही नहीं समझी जायेगी, और तदनुसार—

(I) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी विधि के अधीन उद्ग्रहित या संग्रहित या उद्ग्रहित या संग्रहित किये गये तात्पर्यतः पूर्वोक्त सभी कर सदैव विधि के अनुसार विधि-मान्यत उद्ग्रहित या संग्रहित किये गये समझे जायेंगे;

(II) किसी ऐसे पूर्वोक्त कर के, जो संग्रहित किया जा चुका है, प्रतिदाय के लिए किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जायेगी और उसका प्रतिदाय निर्देशित करने वाली किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा कोई प्रवर्तन नहीं किया जायेगा:

(III) ऐसी सभी रकमों की, जो उसके अधीन ऐसे पूर्वोक्त कर के रूप में संग्रहित की जाती, ऐसी विधि के उपबंधों के अनुसार वसूली की जायेगी मानो वह धारा सब तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उसमें निर्दिष्ट प्रकृति के किसी प्रदाय को पूर्वोक्त कर से छूट प्राप्त होगी—

(क) जहां ऐसा प्रदाय किसी रेस्तरां या ढाबे द्वारा (चाहे उसका कोई भी नाम हो) 1978 के सितम्बर के सातवें दिन को या उसके पश्चात् और अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी भी समय किया गया है और ऐसे प्रदाय पर पूर्वोक्त कर इस आधार पर संग्रहित नहीं किया गया है कि उस समय ऐसा कोई कर उद्ग्रहित या संग्रहित नहीं किया जा सकता था; अथवा

(ख) जहां ऐसा प्रदाय, जो किसी रेस्तरां या ढाबे (चाहे उसका कोई भी नाम हो) द्वारा किया गया कोई प्रदाय नहीं है, 1972 की जनवरी के चौथे दिन को या उसके पश्चात् और इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी भी समय किया गया है और ऐसे प्रदाय पर पूर्वोक्त कर इस आधार पर संग्रहित नहीं किया गया है कि उस समय ऐसा कोई कर उद्ग्रहित या संग्रहित नहीं किया जा सकता था:

परन्तु यह साबित करने का भार कि पूर्वोक्त कर, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी प्रदाय पर संग्रहित नहीं किया गया था, इस उपधारा के अधीन छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि—

(क) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी व्यक्ति को—

(1) पूर्वोक्त कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उग्रहण या संग्रहण के बारे में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी विधि के उपबंधों के अनुसार आक्षेप करने से रोकती है; या

(2) ऐसी किसी विधि के अधीन अपने द्वारा देय रकम से अधिक अपने द्वारा दिये पूर्वोक्त कर के प्रतिदाय के लिए दावा करने से रोकती है; और

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य या लोप अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगा, जो कि इस प्रकार दण्डनीय नहीं होता, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ होता।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984³⁰⁹

विधायी इतिहास

लोक सभा में 19 अगस्त 1983 को जब संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 पुरःस्थापित किया गया था, उस समय इसका नाम संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) विधेयक 1983 था³¹⁰। विधेयक में संविधान की नौवीं अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 22 और 23 अगस्त 1984 को विचार किया गया और औपचारिक संशोधनों के साथ³¹¹ इसके संक्षिप्त नाम को “संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984” में बदलकर और अधिनियमन सूत्र में “चौत्तीसवां” शब्द के स्थान पर “पैंतीसवां” शब्द रखकर इसे 23 अगस्त 1984 को सभा³¹² द्वारा पारित किया गया था। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त 1984³¹³ को विचार किया गया था और पारित किया गया था।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 31ख के अंतर्गत संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों को ऐसे किसी संभावित अमान्यीकरण से उन्मुक्ति प्रदान की गई है कि वे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ऐसे अधिनियमों की नौवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के पश्चात् उनमें किये गये संशोधन को यह उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। पहले जब कभी ऐसा पाया गया कि किसी ऐसे प्रगतिशील विधायन को जो लोकहित में बनाया गया है मुकदमेबाजी से खतरा हो सकता है तो उसे नौवीं अनुसूची में डाल दिया गया। भूमि सुधार और कृषि भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित राज्यों

309. 1983 का विधेयक संख्यांक 94; ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हरिनाथ मिश्रा द्वारा 19 अगस्त 1983 को लोक सभा में संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 22 और 23 अगस्त 1984; राज्य सभा: 25 अगस्त 1984; राष्ट्रपति की अनुमति: 26 अगस्त 1984; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 26 अगस्त 1984; प्रारम्भ की तारीख: 26 अगस्त 1984।

310. लोक सभा वाद-विवाद, 19 अगस्त 1983, कॉलम 362-363।

311. वही, 23 अगस्त 1984, कॉलम 351-352।

312. वही, कॉलम 355-366।

313. राज्य सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त, 1984, कॉलम 73-77।

की अनेक अधिनियमितियां पहले से अनुसूची में सम्मिलित कर ली गई हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में यह आश्वासन दिया गया था कि “भूमि सुधार अधिनियमों को, जो अभी तक संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किये गये हैं उक्त अनुसूची में तुरन्त शामिल करने के लिये संसद में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे” और यह कि “भविष्य में बनाये जाने वाले अधिनियमों के मामले में अविलम्ब यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी ताकि इन विधियों को न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से संरक्षण दिया जा सके।” असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों और गोवा, दमण और दीव संघ शासित प्रदेश के प्रशासन ने भूमि सुधार से संबंधित अपने कुछ अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया। इनमें से कुछ अधिनियम पहले ही नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिये जा चुके अधिनियमों के संशोधन के रूप में थे। इस विधेयक का आशय ऐसे ही अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल करना था ताकि उन्हें मुकदमेबाजी से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम द्वारा असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य तथा गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अधिनियमित किए गए भूमि सुधारों आदि से संबंधित 14 अतिरिक्त विधान इस उपबंध के साथ संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कि इन अधिनियमितियों को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वे मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 के किन्हीं भी उपबंधों से असंगत हैं।

संशोधन का पाठ संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[26 अगस्त, 1984]

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 है ।

नौवीं अनुसूची का
संशोधन ।

2. संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 188 के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्-

“189. असम (अस्थायी रूप से व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति अधिनियम, 1971 (1971 का असम अधिनियम 23) ।

190. असम (अस्थायी रूप से व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का असम अधिनियम 18) ।

191. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन) (संशोधी) अधिनियम, 1974 (1975 का बिहार अधिनियम 13) ।

192. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का बिहार अधिनियम 22) ।

193. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का बिहार अधिनियम 7) ।

194. भूमि अधिग्रहण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1979 (1980 का बिहार अधिनियम 2)।

195. हरियाणा भूमि-जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का हरियाणा अधिनियम 14)।

196. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1978 (1978 का तमिलनाडु अधिनियम 25)।

197. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1979 (1979 का तमिलनाडु अधिनियम 11)।

198. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 15)।

199. पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रान्त भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 24)।

200. पश्चिमी बंगाल अन्यसंक्रान्त भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 56)।

201. गोवा, दमण और दीव कृषि अभिधृति अधिनियम, 1964 (1964 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 7)।

202. गोवा, दमण और दीव कृषि अभिधृति (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 17)।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984³¹⁴

विधायी इतिहास

संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 जब लोक सभा में 17 अगस्त, 1984 को पुरःस्थापित किया गया था तो उस समय उसका नाम संविधान (पचासवां संशोधन) विधेयक 1984 था³¹⁵। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 356 का संशोधन करना था।

लोक सभा द्वारा विधेयक पर 23 अगस्त, 1984 को विचार किया गया और एक औपचारिक संशोधन के साथ उसके संक्षिप्त नाम को “संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 में बदलकर उसी दिन पारित कर दिया गया³¹⁶। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त, 1984 को विचार किया गया और पारित किया गया³¹⁷।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

राष्ट्रपति द्वारा 6 अक्तूबर, 1983 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पंजाब राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा एक वर्ष से अधिक समय तक तब तक प्रवृत्त नहीं रह सकती थी जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) में उल्लिखित विशेष शर्तों का समाधान नहीं हो जाता। यद्यपि विधानसभा निलम्बित अवस्था में थी वहां लोकप्रिय सरकार नहीं बनाई जा सकती थी इसलिए राज्य में विद्यमान स्थिति को देखते हुए 5 अक्तूबर, 1984 के पश्चात् उद्घोषणा को जारी रखना आवश्यक समझा गया। उद्घोषणा को 5 अक्तूबर, 1984 के पश्चात् प्रवृत्त रखने संबंधी संकल्प को दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए संविधान के

314. 1984 का विधेयक संख्याक 77, गृह मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 17 अगस्त 1984 को लोक सभा में संविधान (पचासवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित, वाद-विवाद, लोक सभा: 23 अगस्त 1984; राज्य सभा: 25 अगस्त 1984; राष्ट्रपति की अनुमति: 26 अगस्त 1984, राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 26 अगस्त 1984; प्रारम्भ की तारीख: 26 अगस्त 1984।

315. लोक सभा वाद-विवाद, 17 अगस्त 1984, कॉलम 230।

316. वही, 23 अगस्त 1984, कॉलम 468-479।

317. राज्य सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1984, कॉलम 157-161।

अनुच्छेद 356 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया। इसलिए इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) में संशोधन किया गया ताकि उसमें उल्लिखित शर्तों को उक्त उद्घोषणा को, इसके जारी किये जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रखने के प्रयोजनों के लिए अप्रयोज्य बनाया जा सके।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) में अन्तःस्थापित नए परन्तुक में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के संबंध में 6 अक्तूबर, 1983 को जारी की गई उद्घोषणा के संबंध में, संसद उद्घोषणा को दो वर्ष तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रखने संबंधी कोई भी संकल्प पारित कर सकती है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[26 अगस्त 1984]

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984 है ।

अनुच्छेद 356 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (5) के अन्त में,
निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु पंजाब राज्य की बाबत 6 अक्तूबर, 1983 को
खण्ड (1) के अधीन जारी की गयी उद्घोषणा की दशा में इस
खण्ड में ‘एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि’ के प्रति
निर्देश का अर्थ ‘दो वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि’ के
प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा ।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984³¹⁸

विधायी इतिहास

संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984, जब लोक सभा में 17 अगस्त, 1984 को पुरःस्थापित किया गया था तो उस समय उसका नाम संविधान (इक्यावनवां संशोधन) विधेयक, 1984 था³¹⁹। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 244 तथा पांचवीं और छठी अनुसूचियों का संशोधन करना था।

लोक सभा द्वारा विधेयक पर 23 अगस्त, 1984 को विचार किया गया और एक औपचारिक संशोधन के साथ उसके संक्षिप्त नाम को “संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984” में बदलकर उसी दिन पारित कर दिया गया³²⁰। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त, 1984 को विचार किया गया और पारित किया गया³²¹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

त्रिपुरा विधानसभा ने 19 मार्च 1982 को और फिर 11 फरवरी 1983 को एक संकल्प पारित किया था जिसमें भारत सरकार से संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को त्रिपुरा राज्य के जनजाति क्षेत्रों पर लागू करने का अनुरोध किया गया था। अतः त्रिपुरा राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन करने की सिफारिश की। यद्यपि त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम, 1979 के अधीन राज्य में एक स्वशासी जिला परिषद कार्य कर रही थी तब भी यह आवश्यक समझा गया कि जनजाति समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के

318. 1984 का विधेयक संख्यांक 79; गृह मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 17 अगस्त 1984 को लोक सभा में संविधान (इक्यावनवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 23 अगस्त 1984; राज्य सभा: 25 अगस्त 1984; राष्ट्रपति की अनुमति: 11 सितम्बर 1984; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 11 सितम्बर 1984; प्रारम्भ की तारीख: 1 अप्रैल 1985।

319. लोक सभा वाद-विवाद, 17 अगस्त 1984, कॉलम 230।

320. वही, 23 अगस्त 1984, कॉलम 546-556।

321. राज्य सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1984, कॉलम 232-236।

लिए उसे सांविधानिक मान्यता दी जाए। परिषद से जनजाति क्षेत्रों के द्रुत विकास और जनजातियों द्वारा स्वशासन सुनिश्चित करने की अपेक्षा थी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक का आशय संविधान में संशोधन करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 244 को इसकी छठी अनुसूची के उपबंधों को त्रिपुरा राज्य के जनजाति क्षेत्रों पर लागू करने के लिए संशोधित किया गया है। (धारा 2)

संविधान की छठी अनुसूची में अन्तःस्थापित किये गये नये पैरा 12कक में संसद और त्रिपुरा राज्य की विधानसभा के अधिनियमों को राज्य में स्वशासी जिला और स्वशासी क्षेत्रों पर लागू करने का उपबंध किया गया है। (धारा 4)

संशोधन का पाठ संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[11 सितम्बर, 1984]

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 है। प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) और खंड (2) अनुच्छेद 244 का में “और मेघालय” शब्दों के स्थान पर “मेघालय और त्रिपुरा” संशोधन। शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 1 में, “और पांचवीं अनुसूची मेघालय” शब्दों के स्थान पर “मेघालय और त्रिपुरा” शब्द का संशोधन। प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. संविधान की छठी अनुसूची में- छठी अनुसूची

(क) शीर्षक में, “और मेघालय” शब्दों के स्थान पर का संशोधन। “मेघालय और त्रिपुरा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे

(ख) पैरा 1 के उप-पैरा (1) में, “भाग 1 और भाग 2” शब्दों और अंकों के स्थान पर “भाग 1, भाग 2 और भाग 2क” शब्द अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) पैरा 12क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“12कक, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी:-

(क) यदि इस अनुसूची में पैरा 3 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के संबंध में त्रिपुरा राज्य में किसी जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद द्वारा बनाई गयी किसी विधि का कोई उपबन्ध या यदि इस अनुसूची के पैरा 8 या पैरा 10 के अधीन उस राज्य में किसी जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद द्वारा बनाए गए किसी विनियम का कोई उपबन्ध त्रिपुरा राज्य के विधान-मण्डल द्वारा उस विषय के संबंध में बनायी गयी किसी विधि के किसी उपबन्ध के विरुद्ध है, तो यथास्थिति, उस जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद द्वारा बनायी गयी विधि या बनाया गया विनियम, चाहे वह त्रिपुरा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनायी गयी विधि से पहले बनाया गया हो या उसके पश्चात् उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगा और त्रिपुरा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनायी गयी विधि अभिभावी होगी;

(ख) राष्ट्रपति, संसद के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह त्रिपुरा राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश पर लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो”;

(ग) पैरा 17 में, जहां दो स्थानों पर “या मेघालय” शब्द आते हैं उनके पश्चात् “या त्रिपुरा” शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे;

(घ) पैरा 20 में—

(i) उप-पैरा (1) में—

(क) “भाग (1), भाग 2,” शब्दों और अंकों के पश्चात् “भाग 2क” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किये जाएंगे;

(ख) “मेघालय राज्य” शब्दों के पश्चात् “त्रिपुरा राज्य” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-पैरा (2) में, “नीचे दी गयी सारणी में” शब्दों के स्थान पर “नीचे दी गयी सारणी के भाग 1, भाग 2 या भाग 3 में” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) नीचे दी गई सारणी के भाग 2क में “त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला” के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद अधिनियम, 1979 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट राज्य क्षेत्र के प्रति निर्देश है।”;

(ड) सारणी में, भाग 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्

“भाग 2 क

त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला”।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984³²²

विधायी इतिहास

संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 जब लोक सभा में 22 अगस्त 1984 को पुरःस्थापित किया गया, तो उस समय उसका नाम संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक, 1984 था³²³। विधेयक का आशय संविधान के विद्यमान अनुच्छेद 33 के स्थान पर नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 23 अगस्त 1984 को विचार किया गया और उसी दिन³²⁴ विधेयक यथा संशोधित पारित कर दिया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त 1984 को विचार किया गया और पारित किया गया³²⁵।

विधेयक पर विचारण के दौरान, लोक सभा में गृह मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत किया गया एक संशोधन स्वीकार कर लिया गया। संशोधन का प्रस्ताव उप-खंड (ग) का लोप करने तथा संविधान के विद्यमान अनुच्छेद 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने वाले अनुच्छेद के उपखंड (घ) और (ङ) में परिणामिक परिवर्तन करने की दृष्टि से किया गया था। यह खंड, यथासंशोधित, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 23 और 25 अगस्त 1984 को स्वीकृत किया गया था³²⁶।

322. 1984 का विधेयक संख्याक 89: गृह मंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा लोक सभा में 22 अगस्त 1984 को संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 23 अगस्त 1984; राज्य सभा: 25 अगस्त 1984; राष्ट्रपति की अनुमति: 11 सितम्बर 1984; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 11 सितम्बर 1984; प्रारम्भ की तारीख: 11 सितम्बर 1984।

323. लोक सभा वाद-विवाद, 22 अगस्त 1984, कॉलम 363।

324. वही, 23 अगस्त 1984, कॉलम 608-619।

325. राज्य सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1984, कॉलम 306-310।

326. लोक सभा वाद-विवाद, 23 अगस्त 1984, कॉलम 596-607; राज्य सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1984, कॉलम 297-301।

विधेयक के खंड 1 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 23 अगस्त और 25 अगस्त, 1984³²⁷ को एक औपचारिक संशोधन के साथ उसके संक्षिप्त नाम को “संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984” में बदलकर स्वीकृत किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 33 के द्वारा संसद को इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वह विधि बनाकर यह अवधारणा कर सके कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को, सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को लागू होने में, किस परिणाम तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

इस विधेयक का आशय अनुच्छेद 33 का संशोधन इसकी परिधि में:

(एक) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को; और

(दो) किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए किया गया है क्योंकि अनुभव से यह प्रतीत हुआ है कि राष्ट्र के हित में उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना अति महत्व का विषय है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित नये अनुच्छेद में यह उपबन्धित किया गया है कि संसद विधि द्वारा यह अवधारणा कर सकेगी कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों के सदस्यों या लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को या आसूचना या प्रति आसूचना, प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या उपर्युक्त किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस परिणाम तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। (धारा 2)

327. वही, कॉलम 607; वही, कॉलम 301-305।

संशोधन का पाठ संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[11 सितम्बर, 1984]

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 है ।

अनुच्छेद 33 का
प्रति-स्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 33 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

इस भाग द्वारा
प्रदत्त अधिकारों
का, बलों आदि
को लागू होने में,
उपान्तरण करने
की संसद की
शक्ति ।

“33. संसद, विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को; या

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को; या

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को; या

(घ) खण्ड (क) से खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को, लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे ।”।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम 1984³²⁸

विधायी इतिहास

संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 338 के विधेयक पर लागू करने से निलम्बन-संबंधी प्रस्ताव के लोक सभा द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् सभा में 23 अगस्त 1984³²⁹ को संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984 के नाम से पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 को संशोधित करना था।

लोक सभा द्वारा विधेयक पर 23 अगस्त 1984 को विचार किया गया और उसी दिन एक औपचारिक संशोधन के साथ खण्ड 1 में संशोधन करके इसके संक्षिप्त नाम को "संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984" में बदलकर पारित कर दिया गया था³³⁰। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 25 अगस्त 1984 को विचार किया गया और पारित किया गया³³¹।

विधेयक के खण्ड 2 और 3 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों द्वारा क्रमशः 23 और 25 अगस्त 1984 को मूल रूप में स्वीकार कर लिया गया था³³²।

328. 1984 का विधेयक संख्यांक 81; गृह मंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 23 अगस्त 1984 को लोक सभा में संविधान (तिरपनवां संशोधन) के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 23 अगस्त 1984; राज्य सभा: 25 अगस्त 1984; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 29 अप्रैल 1985; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 29 अप्रैल 1985; प्रारम्भ की तारीख: 16 जून 1986।

329. लोक सभा वाद-विवाद, 23 अगस्त 1984, कॉलम 314; संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1982 भी देखें।

330. वही, कॉलम 651-660।

331. राज्य सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1984, कॉलम 256-260।

332. लोक सभा वाद-विवाद, 23 अगस्त 1984, कॉलम 630-641; राज्य सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1984, कॉलम 241-251।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

मेघालय विधानसभा ने 31 मार्च 1980 को एक संकल्प पारित किया जिसमें भारत सरकार से यह आग्रह किया गया था कि राज्य विधानसभा तथा लोक सभा में भी अन्य राज्यों की तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किये जायें। अतः राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 को संशोधित करने की सिफारिश की। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम सरकारों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में इस संशोधन का समर्थन किया था। अतः इस विधेयक का आशय मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में सीटों का आरक्षण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 में संशोधन करना तथा इसी प्रकार का आरक्षण नागालैंड तथा मेघालय की विधानसभाओं में भी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन करना था। स्थानीय जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन संशोधनों का प्रस्ताव किया गया।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। (धारा 1)

मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की अनुसूचित जातियों के लिए लोक सभा में स्थानों का आरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 330 को संशोधित किया गया है। तथापि, यह संशोधन इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान लोक सभा के विघटन होने तक सभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा। (धारा 2)

नागालैंड तथा मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया है। तथापि, यह संशोधन इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान नागालैंड तथा मेघालय राज्य की विधानसभा का विघटन होने तक नागालैंड और मेघालय राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (इक्यावनवां संशोधन)

अधिनियम, 1984

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[29 अप्रैल, 1985]

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 है। प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. (1) संविधान के अनुच्छेद 330 के खंड (1) में, अनुच्छेद 330 का उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित संशोधन। किया जाएगा, अर्थात्-

“(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए; और”

(2) उपधारा (1) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 330 में किया गया संशोधन, लोक सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान लोक सभा का विघटन होने तक, कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

3. (1) संविधान के अनुच्छेद 332 के खंड (1) अनुच्छेद 332 का में, “असम के जनजाति क्षेत्रों, नागालैण्ड और मेघालय की संशोधन। अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर” शब्दों के स्थान पर “असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 332 में किया गया संशोधन, नागालैण्ड राज्य की विधानसभा अथवा मेघालय राज्य की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान नागालैण्ड राज्य की विधानसभा अथवा मेघालय राज्य की विधानसभा का विघटन होने तक, कोई प्रभाव नहीं डालेगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक, 1985³³³

विधायी इतिहास

संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक, 1985 लोक सभा में 24 जनवरी 1985 को पुरःस्थापित किया गया था³³⁴। इस विधेयक का आशय (एक) अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन करना, और (दो) संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के किसी सदस्य का दल परिवर्तन के आधार पर निरह होने संबंधी उपबंधों को शामिल करते हुए संविधान में नयी दसवीं अनुसूची अंतःस्थापित करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 30 जनवरी 1985 को विचार किया गया और उसी दिन कुछ उपांतरणों के साथ पारित कर दिया गया था³³⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को विचार किया गया था और पारित किया गया था³³⁶।

लोक सभा में विधेयक के खण्ड 6, जिसका आशय संविधान में एक नयी दसवीं अनुसूची का अंतःस्थापन करना था, पर चर्चा के दौरान, विधि और न्याय मंत्री, श्री ए.के. सेन द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था³³⁷। नयी दसवीं अनुसूची के पैरा 2 का उप-पैरा (1) (ग), जिसका लोप किये जाने का प्रस्ताव था, इस प्रकार था:

(ग) यदि वह ऐसे राजनीतिक दल के संविधान, नियम या विनियमों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे राजनीतिक दल से निष्कासित कर दिया गया है।

नयी अनुसूची के पैरा 2 में दूसरा संशोधन यह था कि उक्त पैरा (1) (ख) में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें:-

333. 1985 का विधेयक संख्यांक 22; विधि और न्याय मंत्री, श्री ए.के. सेन द्वारा 24 जनवरी 1985 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 30 जनवरी 1985; राज्य सभा: 31 जनवरी 1985; राष्ट्रपति की अनुमति: 15 फरवरी 1985; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 15 फरवरी 1985; प्रारम्भ की तारीख: 1 मार्च 1985।

334. लोक सभा वाद-विवाद, 24 जनवरी 1985, कॉलम 103।

335. वही, 30 जनवरी 1985, कॉलम 264-278।

336. राज्य सभा वाद-विवाद, 31 जनवरी 1985, कॉलम 165-166।

337. लोक सभा वाद-विवाद, 30 जनवरी 1985, कॉलम 225-228।

“और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।”

नयी अनुसूची में पैरा 3 के खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाने वाला नया खण्ड इस प्रकार है:-

“(क) वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि:-

(एक) उसने अपने मूल राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(दो) उसने ऐसे दल द्वारा अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्देश के विरुद्ध, ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान किया है या वह मतदान करने से विरत रहा है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है; और”

नयी अनुसूची के पैरा 8 में निम्नलिखित उप-पैरा (1) (ख) के स्थान पर एक नया उप-पैरा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव था:-

सदन का ऐसा अधिकारी, जिसके पास और ऐसी रीति, जिससे ऐसे राजनीतिक दलों के संविधान, नियम और विनियम तथा उनमें कोई संशोधन और ऐसे दलों के सदस्य को निष्कासित करने के लिये तत्समय शक्ति का प्रयोग करने वाले उसके कृत्याकारियों या अन्य प्राधिकारियों की विशिष्टियां फाइल की जा सकेंगी।

पैरा 8 के नए उप-पैरा (1) (ख) का पाठ निम्नलिखित है:-

“ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधायक दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी, जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा।”

नयी अनुसूची के पैरा 8 (1) (ग) में “के संबंध में” शब्दों के पश्चात् आने वाले “से निष्कासित करने या” शब्दों का लोप करने के लिए एक पारिणामिक संशोधन पेश किया गया था। यथासंशोधित खण्ड 6 लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 30 और 31 जनवरी 1985 को स्वीकार किया गया था³³⁸।

खण्ड 1 से 5, लोक सभा और राज्य सभा, दोनों द्वारा मूल रूप में स्वीकार किये गये। अधिनियमन सूत्र को इसमें “पैंतीसवें” शब्द के स्थान पर “छत्तीसवें” शब्द प्रतिस्थापित करने वाले एक औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकार किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

राजनीतिक दल परिवर्तन की बुराई राष्ट्रीय चिन्ता का विषय बन गई है। यदि इसका मुकाबला न किया गया तो हमारे लोकतंत्र का आधार और उसे बल देने वाले सिद्धांत समाप्त हो जायेंगे। इस उद्देश्य से राष्ट्रपति ने संसद को अपने अभिभाषण में यह आश्वासन दिया था कि सरकार दल 338. वही, कॉलम 228-241; राज्य सभा वाद-विवाद, 31 जनवरी 1985, कॉलम 155-160।

परिवर्तन को रोकने के लिए एक दल परिवर्तनरोधी विधेयक पेश करना चाहती है। इस विधेयक का आशय दल परिवर्तन को विधि विरुद्ध ठहराना और उपर्युक्त आश्वासन की पूर्ति करना था।

विधेयक का आशय संविधान में यह उपबन्ध करने हेतु संशोधन करना था कि संसद अथवा किसी राज्य विधानमण्डल का कोई भी निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़ा किये जाने के परिणामस्वरूप निर्वाचित हुआ हो, तथा संसद अथवा किसी राज्य विधानमण्डल का मनोनीत सदस्य, जो अपना स्थान ग्रहण करते समय किसी राजनीतिक दल का सदस्य है अथवा जो अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास के अन्दर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो वह दल परिवर्तन के आधार पर निरहि्त होगा यदि वह ऐसे राजनीतिक दल से अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है अथवा उस दल के किसी निर्देश के विपरीत सभा में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है अथवा ऐसे दल से निष्कासित कर दिया जाता है। संसद या राज्य विधानमण्डल का कोई निर्दलीय सदस्य भी इस आधार पर निरहि्त होगा यदि वह अपने निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। संसद अथवा राज्य विधानमण्डल का कोई मनोनीत सदस्य, जो अपने मनोनयन के समय किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है और जो अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की अवधि के समाप्त होने के पूर्व किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बना है, इस आधार पर निरहि्त किया जाएगा यदि वह उक्त छह मास की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। विधेयक में राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय के संबंध में भी उचित उपबंध किए गए हैं। विधेयक में ऐसे व्यक्ति जो किसी सभा का पीठासीन अधिकारी निर्वाचित हुआ है, द्वारा अपने राजनीतिक दल से संबंध विच्छेद करने हेतु एक विशेष उपबंध किया गया है। इस प्रश्न का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा कि क्या संसद या राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का कोई सदस्य निरहि्त हो गया है या नहीं। परन्तु जहां यह प्रश्न पीठासीन अधिकारी से ही संबंधित हो वहां उसका विनिश्चय सभा द्वारा इस निमित्त सभा के किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जायेगा।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। (धारा 1)

यह उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 102 को संशोधित किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरहि्त होगा यदि वह संविधान में जोड़ी गई नई दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहि्त हो जाता है। अनुच्छेद 101 में पारिणामिक संशोधन किया गया है। (धारा 2-3)

अनुच्छेद 191 में यह उपबन्ध करने हेतु संशोधन किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को नई दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरहि्त किया गया है तो वह किसी राज्य की विधानसभा या विधान

परिषद का सदस्य होने के लिए निरहित होगा। अनुच्छेद 190 में पारिणामिक संशोधन किया गया है। (धारा 4-5)

अधिनियम की धारा 6 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची का अंतःस्थापन करने का उपबंध किया गया है जिसमें संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को दल परिवर्तन के आधार पर निरह करने संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध किया गया है कि यदि किसी राजनीतिक दल से संबंधित संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या ऐसे राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है तो उसे इसमें यथा उपबंधित शर्तों के अध्यक्षीन दल परिवर्तन के आधार पर निरह कर दिया जाएगा। अधिनियम में यह भी परिभाषित किया गया है कि कोई निर्वाचित सदस्य अथवा नामनिर्देशित सदस्य कब किसी राजनीतिक दल से संबंधित माना जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि कोई निर्दलीय सदस्य अथवा नामनिर्देशित सदस्य (जो नामनिर्देशन के समय किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है और जो अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह माह की समाप्ति के पूर्व किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बना है) दल परिवर्तन के आधार पर निरहता के अध्यक्षीन होगा।

इसमें यह भी उपबंध है कि दल परिवर्तन का आधार किसी दल के कम-से-कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा उस मूल दल के विभाजन की स्थिति में और एक राजनीतिक दल के दूसरे राजनीतिक दल में विलय की स्थिति में भी लागू नहीं होगा।

ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के पद पर निर्वाचित हुआ है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरह करने से छूट देने के लिए विशेष उपबंध किया गया है यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे दल की जिससे वह संबंधित है, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या वह ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

इस प्रश्न कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य निरह हो गया है या नहीं, का अवधारण संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। जहां प्रश्न किसी सदन के सभापति या अध्यक्ष के संदर्भ में हो तो वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरहता से संबंधित किसी मामले के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन करने वाले उपबंध किए गए हैं।

सदन के सभापति या अध्यक्ष को इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ये नियम सदन के समक्ष रखे जाएंगे और सदन के अनुमोदन के अध्यक्षीन होंगे।

संशोधन का पाठ संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[15 फरवरी, 1985]

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अनुच्छेद 101
का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 101 के खण्ड (3) के उपखण्ड
(क) में, “अनुच्छेद 102 के खण्ड (1)” शब्दों, कोष्ठकों और
अंकों के स्थान पर “अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) या खंड (2)”
शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 102
का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 102 में-
(क) “(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए”, कोष्ठकों,
अंकों और शब्दों के स्थान पर, “स्पष्टीकरण- इस खंड के
प्रयोजनों के लिए,” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) अंत में निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया
जाएगा, अर्थात्-

“(2) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने
के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस
प्रकार निरर्हित हो जाता है ।”

अनुच्छेद 190 का
संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 190 के खंड (3) के उपखंड
(क) में, “अनुच्छेद 191 के खंड (1)” शब्दों, कोष्ठकों और
अंकों के स्थान पर “अनुच्छेद 191 के खंड (1) या खंड (2)”
शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

5. संविधान के अनुच्छेद 191 में—

अनुच्छेद 191 का संशोधन।

(क) “(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए,” कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए,” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अंत में निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।”

6. संविधान की नौवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्—

दसवीं अनुसूची का जोड़ा जाना।

“दसवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)]

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. निर्वचन—इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सदन” से, संसद का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधानसभा या, विधानमंडल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो, यथास्थिति, पैरा 2 या पैरा 3 या पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है “विधान- दल” से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है तो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, “मूल राजनीतिक दल” से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;

(घ) “पैरा” से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—

(1) पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का

सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरहित होगा जिसमें—

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण— इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में,

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप से सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए

निरहित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) सदन का कोई नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ पर, सदन का सदस्य है। (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित)–

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां, इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उप-पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है।

3. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का दल विभाजन की दशा में लागू न होना- जहां सदन का कोई सदस्य यह दावा करता है कि वह और उसके विधान-दल के कोई अन्य सदस्य ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह गठित करते हैं जो उसके मूल राजनीतिक दल के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है और ऐसे समूह में ऐसे विधान-दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य हैं वहां–

(क) वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि–

(i) उसने अपने मूल राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ii) उसने ऐसे दल द्वारा अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान किया है या वह मतदान करने से विरत रहा है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है; और

(ख) ऐसे दल विभाजन के समय से, ऐसे गुट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना- (1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य—

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है, और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं।

5. छूट- इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरर्हित नहीं होगा,—

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

6. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय—

(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा

जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधानमंडल की कार्यवाहियां हैं।

7. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन- इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

8. नियम- (1) इस पैरा के उपपैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधायक दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा;

(ग) ऐसे प्रतिवेदन जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जाएंगे; और

(घ) पैरा 6 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए।

(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक

आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे। यदि नियम इस प्रकार अननुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे निष्प्रभावी हो जाएंगे।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबंधों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है।

संशोधन के पश्चात् न्यायिक घोषणा:

किहोता होलोहोन बनाम श्री ज़चिल्हू और अन्य, एआईआर 1993 एससी 412 में (**बावनवां संविधान संशोधन**) अधिनियम द्वारा पुरःस्थापित की गई संविधान की दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

इस अनुसूची में उपबंध है कि किसी भी राजनीतिक दल के संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यदि उसने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या यदि वह पूर्व अनुमति के बिना राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है।

उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 7 को छोड़कर, दसवीं अनुसूची के संशोधन और उपबंधों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के उपबंधों के अनुसार अनुसमर्थन के अभाव में अमान्य घोषित कर दिया गया था।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986³³⁹

विधायी इतिहास

संविधान (53वां संशोधन) विधेयक, 1986, 4 अगस्त, 1986 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया³⁴⁰। इस विधेयक का आशय मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के बारे में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371छ अंतःस्थापित करना था।

लोक सभा द्वारा विधेयक पर 5 अगस्त, 1986 को विचार किया गया और उसे उसी दिन मूल रूप में पारित कर दिया गया³⁴¹। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 7 अगस्त, 1986 को विचार किया गया और पारित किया गया³⁴²।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत सरकार और मिजोरम सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट के साथ 30 जून, 1986 को मिजोरम संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को ज्ञापन में अंतर्विष्ट अन्य अनुबंधों के अध्यधीन राज्य का दर्जा दिये जाने की व्यवस्था थी। ज्ञापन के पैरा 4.2 में यह उपबंध है कि विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए "सभी आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपाय करने होंगे जिनमें राज्य का दर्जा दिये जाने के लिए संविधान और अन्य विधियों के संशोधन के लिए विधेयकों के अधिनियमन के उपाय भी सम्मिलित हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को प्रभावी होंगे"।

ज्ञापन के पैरा 4.3 में निम्नलिखित उपबंध है:

339. 1986 का विधेयक संख्यांक 88; लोक सभा में गृह मंत्री श्री बूटा सिंह द्वारा 4 अगस्त 1986 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा : 5 अगस्त 1986; राज्य सभा : 7 अगस्त 1986; राष्ट्रपति की अनुमति: 14 अगस्त 1986; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 14 अगस्त 1986; प्रारम्भ की तारीख : 20 फरवरी 1987।

340. लोक सभा वाद-विवाद, 4 अगस्त 1986, कॉलम 273।

341. वही, 5 अगस्त 1986, कॉलम 376--410।

342. राज्य सभा वाद-विवाद, 7 अगस्त 1986, कॉलम 220--238।

संसद के अधिनियम नये मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि मिजोरम विधानमंडल—

(एक) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं;

(दो) मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया;

(तीन) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार विनिश्चय होने हैं; और

(चार) भूमि का स्वामित्व और अंतरण के संबंध में कोई विनिश्चय नहीं करता है।

तथापि, उपर्युक्त उपबंध उन केन्द्रीय अधिनियमों पर लागू नहीं होगा जो संविधान (संशोधन) अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक पहले मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त थे।

ज्ञापन में यह भी उपबंध है कि प्रस्तावित नये मिजोरम राज्य की विधानसभा कम-से-कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।

चूंकि पैरा 2 और 3 में विनिर्दिष्ट विषय, प्रस्तावित नये मिजोरम राज्य के लिए असाधारण हैं इसलिए उनके संबंध में उपबंध, संविधान में ही किये जाने हैं। तदनुसार इस विधेयक का आशय पूर्वोक्त विषयों का उपबंध करने के लिए संविधान में संशोधन करना है। अनुच्छेद 2 से संबंधित नये राज्य की स्थापना के लिए एक अलग विधेयक भी पुरःस्थापित किया जा रहा है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। (धारा 1)

संविधान में अंतःस्थापित नये अनुच्छेद 371छ के द्वारा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसमें यह उपबंध है कि (1) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं; (2) मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया; (3) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होते हैं; (4) भूमि का स्वामित्व और अन्तरण, के संबंध में संसद का कोई अधिनियम तब तक मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा संकल्प के द्वारा कोई विनिश्चय नहीं करती तथापि, यह उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केन्द्रीय अधिनियम पर लागू नहीं होगा। मिजोरम राज्य की विधानसभा कम-से- कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

[14 अगस्त, 1986]

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 है। प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 371च के पश्चात् निम्नलिखित नए अनुच्छेद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- नए अनुच्छेद 371छ का अंतःस्थापन।

“371छ. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी:- मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।

(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात्:-

(i) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं;

(ii) मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया;

(iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं;

(iv) भूमि का स्वामित्व और अंतरण:

परंतु इस खंड की कोई बात, संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारंभ से ठीक पहले मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी;

(ख) मिजोरम राज्य की विधानसभा कम से कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986³⁴³

विधायी इतिहास

संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 लोक सभा में 8 अगस्त 1986 को पुरःस्थापित किया गया³⁴⁴। इस विधेयक का आशय अनुच्छेद 125 और 221 तथा संविधान की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 12 अगस्त 1986 को विचार किया गया और उसी दिन यथासंशोधित रूप में पारित किया गया³⁴⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 14 अगस्त, 1986 को विचार किया गया और पारित किया गया³⁴⁶।

विधेयक के खंड 2 से 4, मूल रूप में लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 12 और 14 अगस्त, 1986 को स्वीकृत किए गए³⁴⁷।

विधेयक के खंड 1 को लोक सभा द्वारा "(2) इसे 1 अप्रैल, 1986 को लागू हुआ माना जाएगा।" शब्दों को अंतःस्थापित करने वाले एक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया³⁴⁸। खंड 1, लोक सभा द्वारा यथासंशोधित रूप में राज्य सभा द्वारा 14 अगस्त, 1986 को स्वीकृत किया गया³⁴⁹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को भारत के संविधान की

343. 1986 का विधेयक संख्यांक 95: लोक सभा में विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री एच.आर. भारद्वाज द्वारा 8 अगस्त 1986 को पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 12 अगस्त 1986; राज्य सभा: 14 अगस्त 1986: संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 14 मार्च 1987; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 17 मार्च, 1987; प्रारम्भ की तारीख: 1 अप्रैल 1986।

344. लोक सभा वाद-विवाद, 8 अगस्त 1986, कॉलम 321।

345. वही, 12 अगस्त 1986, कॉलम 753।

346. राज्य सभा वाद-विवाद, 14 अगस्त 1986, कॉलम 321।

347. लोक सभा वाद-विवाद, 12 अगस्त 1986, कॉलम 711, 725; राज्य सभा वाद-विवाद, 14 अगस्त 1986, कॉलम 317।

348. लोक सभा वाद-विवाद, 12 अगस्त 1986, कॉलम 726।

349. राज्य सभा वाद-विवाद, 14 अगस्त 1986, कॉलम 317।

दूसरी अनुसूची के भाग घ के उपबंधों द्वारा शासित किया जाता है जो निम्नलिखित रूप में हैं:

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति	5,000 रुपए प्रतिमाह
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	4,000 रुपए प्रतिमाह
किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति	4,000 रुपए प्रतिमाह
किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	3,500 रुपए प्रतिमाह

1950 से वेतन स्थिर रहे हैं जबकि इन वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति और मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। राज्यों के मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त और 1 सितम्बर, 1985 को हुए संयुक्त सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि सहित उनकी सेवा शर्तों के बारे में विचार-विमर्श किया तथा उनमें सुधार करने की सिफारिश की गई। ऐसा न्यायाधीशों पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने की दृष्टि से ही नहीं अपितु न्यायिक पदों पर नियुक्ति के लिए देश के सबसे प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने की दृष्टि से भी किया गया।

इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् न्यायाधीशों के वेतन में निम्नानुसार वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया:

भारत का मुख्य न्यायमूर्ति	10,000 रुपए प्रतिमाह
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश	9,000 रुपए प्रतिमाह
किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति	9,000 रुपए प्रतिमाह
किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	8,000 रुपए प्रतिमाह

इस विधेयक का आशय संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग घ में संशोधन करना था ताकि न्यायाधीशों के वेतनों में उपर्युक्त वृद्धि की जा सके और भविष्य में संसद द्वारा विधि के जरिये न्यायाधीशों के वेतनों में परिवर्तन हेतु उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 221 में सामर्थ्यकारी उपबंध किया जा सके।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 1 अप्रैल, 1986 से लागू किया गया है। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 125 और 221 में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जायेगा जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करें और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। (धारा 2 और 3)

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का वेतन 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिमाह, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का वेतन 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन 3,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रतिमाह करने के लिए संविधान की दूसरी अनुसूची में धारा 4 के द्वारा संशोधन किया गया है।

संशोधन का पाठ

संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[14 मार्च, 1987]

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

अनुच्छेद 125 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 125 में, खंड (1) के स्थान पर,
निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।”

अनुच्छेद 221 का
संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 221 में, खंड (1) के स्थान पर,
निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।”

दूसरी अनुसूची
का संशोधन ।

4. संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग घ में-

(क) पैरा 9 के उप-पैरा (1) में-

(i) “5,000 रुपये” अंक और शब्द के स्थान पर,

“10,000 रुपये” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) “4,000 रुपये” अंक और शब्द के स्थान पर, “9,000 रुपये” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) पैरा 10 के उप-पैरा (1) में—

(i) “4,000 रुपये” अंक और शब्द के स्थान पर, “9,000 रुपये” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) “3,500 रुपये” अंक और शब्द के स्थान पर, “8,000 रुपये” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986³⁵⁰

विधायी इतिहास

संविधान (55वां संशोधन) विधेयक, 1986, लोक सभा में 5 दिसम्बर, 1986 को पुरःस्थापित किया गया ³⁵¹। इस विधेयक का आशय अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 371ज अंतःस्थापित करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 8 दिसंबर, 1986 को विचार किया गया और उसे मूल रूप में उसी दिन पारित कर दिया गया³⁵²। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 9 दिसंबर, 1986 को विचार किया गया और पारित किया गया³⁵³।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव किया था। सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव भी किया था:

(एक) अरुणाचल प्रदेश की संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नये राज्य के राज्यपाल का राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहेगा और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में भी की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग मंत्रिपरिषद् से परामर्श करने के पश्चात् करेगा तथा राज्यपाल का यह विशेष उत्तरदायित्व तब से नहीं रह जाएगा जब राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी कर ऐसा निदेश दिया जाता है; (दो) अरुणाचल प्रदेश के नये राज्य की विधानसभा में चालीस सदस्य होंगे। परंतु

350. 1986 का विधेयक संख्यांक 145; श्री बूटा सिंह द्वारा लोक सभा में 5 दिसंबर 1986 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 8 दिसंबर 1986; राज्य सभा: 9 दिसंबर 1986; राष्ट्रपति की अनुमति: 23 दिसंबर 1986; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 23 दिसंबर 1986; प्रारंभ की तारीख: 20 फरवरी 1987।

351. लोक सभा वाद-विवाद, 5 दिसम्बर 1986, कॉलम 267।

352. वही, 8 दिसम्बर 1986, कॉलम 132।

353. राज्य सभा वाद-विवाद, 9 दिसम्बर 1986, कॉलम 92।

यह प्रस्ताव किया गया कि अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र की तीस सदस्यों वाली विद्यमान विधानसभा अरुणाचल प्रदेश के नये राज्य के लिए अनंतिम विधानसभा के रूप में तब तक कार्य करती रहेगी जब तक विद्यमान विधानसभा की पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निर्वाचन नहीं करा लिये जाते, अतः यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया कि नए अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा कम-से-कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।

उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक था कि संविधान में विशेष उपबंध किए जाएं। तदनुसार, इस विधेयक का आशय पूर्वोक्त विषयों का उपबंध करने के लिए संविधान में संशोधन करना था। अनुच्छेद 2 से संबंधित नये राज्य की स्थापना के लिए एक अलग विधेयक भी पुरःस्थापित किया जा रहा है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। (धारा 1)

संविधान में अंतःस्थापित नये अनुच्छेद 371ज के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध किया गया है कि राज्य के राज्यपाल का राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहेगा। तथापि, यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल का ऐसा विशेष उत्तरदायित्व रहे तो वह आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये। यह उपबंध भी किया गया है कि राज्य की विधानसभा कम-से-कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[23 दिसंबर, 1986]

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नए अनुच्छेद
371ज का
अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 371छ के पश्चात्, निम्नलिखित
अनुच्छेद अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अरुणाचल प्रदेश
राज्य के संबंध में
विशेष उपबंध ।

“371ज. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-

(क) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अरुणाचल प्रदेश
राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व
रहेगा और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन
करने में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत
निर्णय का प्रयोग मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के पश्चात् करेगा:

परंतु यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला
है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस खंड के अधीन
अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग
करके कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया
विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी
बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी
कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना
चाहिए था या नहीं:

परन्तु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987³⁵⁴

विधायी इतिहास

संविधान (56वां संशोधन) विधेयक, 1987, जब 8 मई, 1987 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया, तो उसका नाम संविधान (57वां संशोधन) विधेयक, 1987 था³⁵⁵। विधेयक का आशय गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 371झ अंतःस्थापित करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 11 मई, 1987 को विचार किया गया और उसे उसी दिन यथासंशोधित रूप में पारित कर दिया गया³⁵⁶। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 12 मई, 1987 को विचार किया गया और पारित किया गया³⁵⁷।

विधेयक का खंड 1 लोक सभा द्वारा “सत्तावनवां” शब्द के स्थान पर “छप्पनवां” शब्द प्रतिस्थापित करने वाले एक औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया³⁵⁸। खंड-1 लोक सभा द्वारा यथासंशोधित रूप में राज्य सभा द्वारा 12 मई, 1987 को स्वीकृत किया गया³⁵⁹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत सरकार ने गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के गोवा जिले में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों को गोवा राज्य बनाए जाने और उस संघ राज्यक्षेत्र के दमण और दीव जिलों में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों को दमण और दीव का एक नया संघ राज्यक्षेत्र बनाए जाने का प्रस्ताव किया था। इस संदर्भ में यह

354. 1987 का विधेयक संख्यांक 54; गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह द्वारा लोक सभा में 8 मई 1987 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 11 मई, 1987; राज्य सभा: 12 मई 1987; राष्ट्रपति की अनुमति: 23 मई 1987; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 25 मई 1987; प्रारंभ की तारीख: 30 मई 1987।

355. लोक सभा वाद-विवाद, 08 मई 1987, कॉलम 297।

356. वही, 11 मई 1987, कॉलम 115।

357. राज्य सभा वाद-विवाद, 12 मई 1987, कॉलम 118।

358. लोक सभा वाद-विवाद, 11 मई 1987, कॉलम 103।

359. राज्य सभा वाद-विवाद, 12 मई 1987, कॉलम 114।

प्रस्ताव किया गया था कि नए गोवा राज्य की विधानसभा में चालीस सदस्य होंगे। गोवा, दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र की विद्यमान विधानसभा में तीस निर्वाचित और तीन नामनिर्दिष्ट सदस्य हैं। इसका यह आशय था कि इस विधानसभा को, इसमें से दमण और दीव जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य अपवर्जित कर, विद्यमान विधानसभा की पांच वर्षों की कालावधि की समाप्ति पर निर्वाचन होने तक नए गोवा राज्य की अनंतिम विधानसभा बना दी जाए। अतः, यह उपबंध करना आवश्यक है कि नए गोवा राज्य की विधानसभा में कम-से-कम तीस सदस्य होंगे। इस विधेयक का आशय संविधान में विशेष उपबंध करके उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)

संविधान में अंतःस्थापित नए अनुच्छेद 371झ के द्वारा गोवा राज्य के संबंध में यह विशेष उपबंध किया गया है कि इसकी विधानसभा कम-से-कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[23 मई, 1987]

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नए अनुच्छेद
371झ का
अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 371ज के पश्चात्, निम्नलिखित
अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

गोवा राज्य के
संबंध में विशेष
उपबंध ।

“371झ. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, गोवा
राज्य की विधानसभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर
बनेगी ।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987³⁶⁰

विधायी इतिहास

संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987, जब 26 अगस्त 1987 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तो उस समय इसका नाम संविधान (अट्ठावनवां संशोधन) विधेयक, 1987³⁶¹ था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन करना था। लोक सभा ने 28 अगस्त 1987 को विधेयक पर विचार किया और उसे संशोधित रूप में उसी दिन पारित कर दिया³⁶²। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा ने 31 अगस्त 1987 को विचार किया और उसे पारित किया³⁶³। “अट्ठावनवां” शब्द के स्थान पर “सत्तावनवां”³⁶⁴ शब्द रखने के औपचारिक संशोधन के साथ लोक सभा ने विधेयक के खंड 1 और 2 को स्वीकार कर लिया। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 और 2 को राज्य सभा ने 31 अगस्त 1987 को स्वीकृत कर दिया³⁶⁵।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984, लोक सभा में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए; और नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के

360. 1987 का विधेयक संख्यांक 93; गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह द्वारा लोक सभा में 26 अगस्त 1987 को संविधान (अट्ठावनवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 27 और 28 अगस्त 1987; राज्य सभा: 31 अगस्त 1987; राष्ट्रपति की अनुमति: 15 सितम्बर 1987; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 15 सितम्बर 1987; प्रारम्भ की तारीख: 21 सितम्बर 1987।

361. लोक सभा वाद-विवाद, 26 अगस्त 1987, कॉलम 378।

362. वही, 28 अगस्त 1987, कॉलम 422।

363. राज्य सभा वाद-विवाद, 31 अगस्त 1987, कॉलम 69।

364. लोक सभा वाद-विवाद, 28 अगस्त 1987, कॉलम 406।

365. राज्य सभा वाद-विवाद, 31 अगस्त 1987, कॉलम 61, 65।

आरक्षण के लिए भी, उपबंध करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में उपर्युक्त संशोधन करके अधिनियमित किया गया था। यद्यपि ये राज्य जनजाति बहुल क्षेत्र हैं किंतु उपर्युक्त अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, समाज के उन्नत वर्गों के साथ मुकाबला कर सकने में अपनी असमर्थता के कारण, न्यूनतम प्रतिनिधित्व हासिल करने में असफल न रहें।

संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम को, इसके औपचारिक रूप से प्रवृत्त हो जाने पर भी, तब तक पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा सका जब तक उन स्थानों का अवधारण करने के लिए समानान्तर कार्रवाई नहीं की गई जो इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने थे। संविधान के अनुच्छेद 332 के अधीन, किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अवधारण संविधान के अनुच्छेद 332(3) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तथापि, उत्तर पूर्वी राज्यों में समाविष्ट क्षेत्रों से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन क्षेत्रों में व्याप्त परिस्थितियां, इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के विकास की स्थितियां तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि इन क्षेत्रों में अस्थायी अवधि के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बाबत विशेष व्यवस्थाओं का उपबंध किया जाए जिससे कि इन क्षेत्रों को संविधान में की गई परिकल्पना के अनुसार, सुगमता से सामान्य क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सके।

अतः, प्रस्तावित विधेयक का आशय अस्थायी उपबंध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 में आगे और संशोधन करना था जब तक कि वर्ष 2000 के पश्चात् पहली जनगणना के आधार पर इन राज्यों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनःसमायोजन नहीं हो जाता ताकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण हो सके। प्रस्तावित संशोधन का आशय यह उपबंध करना था कि यदि इस संविधान संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को अस्तित्व में आने वाले ऐसे राज्यों की विधानसभा की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हों तो एक के अलावा सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी और किसी अन्य दशा में उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या का अनुपात विद्यमान विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से है।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 332 में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि जब तक, अनुच्छेद 170 के अधीन, वर्ष 2000 के पश्चात् पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन नहीं किया जाता है, तब तक किसी ऐसे राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इस प्रकार होगी: (क) यदि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे विद्यमान राज्य की विधानसभा में सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान के सिवाय सभी स्थान; (ख) किसी अन्य दशा में ऐसे स्थान उतने होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं हो जो विद्यमान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथा विद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से है। लेकिन अनुच्छेद 332 में किया गया संशोधन इन राज्यों की किसी विद्यमान विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगा जब तक इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय विद्यमान संबंधित राज्यों की विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (सत्तावनवां संशोधन)

अधिनियम, 1987

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[15 सितम्बर, 1987]

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अनुच्छेद 332 का
संशोधन ।

2. (1) संविधान के अनुच्छेद 332 में, खंड (3) के पश्चात्
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(3क) खंड (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,
वर्ष 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर,
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों
की विधानसभाओं में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के
अधीन, पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे
किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए
आरक्षित किए जाएंगे, वे-

(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम,
1987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान
विधानसभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् विद्यमान
विधानसभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों
के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी

स्थान होंगे, और

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से है।”

(2) उपधारा (1) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 332 में किया गया संशोधन तब तक अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा या मेघालय राज्य की विधानसभा या मिजोरम राज्य की विधानसभा या नागालैंड राज्य की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा जब तक इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा या मेघालय राज्य की विधानसभा या मिजोरम राज्य की विधानसभा या नागालैंड राज्य की विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (अठ्ठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987³⁶⁶

विधायी इतिहास

संविधान (अठ्ठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987, जब 27 फरवरी, 1987 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तो उस समय इसका नाम “संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक, 1987” था³⁶⁷। विधेयक का आशय (एक) भाग बाईस के शीर्षक में संशोधन करना; और (दो) संविधान में नया अनुच्छेद 394क अंतःस्थापित करना था। लोक सभा ने 24 नवंबर, 1987 को विधेयक पर विचार किया और संशोधित रूप में उसे उसी दिन पारित कर दिया³⁶⁸। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 26 नवम्बर 1987 को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया³⁶⁹। लोक सभा द्वारा विधेयक का खंड 1 “छप्पनवें” शब्द को “अठ्ठावनवें” शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया³⁷⁰। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 राज्य सभा द्वारा 26 नवम्बर 1987 को स्वीकृत किया गया³⁷¹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत के संविधान को संविधानसभा ने अंग्रेजी में अंगीकृत किया था। संविधान का हिन्दी अनुवाद भी, जिस पर संविधानसभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे, उस सभा द्वारा अंगीकृत संकल्प के अनुसार संविधानसभा के अध्यक्ष के प्राधिकार से 1950 में प्रकाशित किया गया था। यह सबकी मांग थी कि हिन्दी में संविधान का प्राधिकृत पाठ, जिसमें सभी पश्चात्पूर्ति संशोधन

366. 1987 का विधेयक संख्यांक 8; गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह द्वारा संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक लोक सभा में 27 फरवरी 1987 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 24 नवंबर 1987; राज्य सभा: 26 नवंबर 1987; राष्ट्रपति की अनुमति: 9 दिसम्बर 1987; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 10 दिसम्बर 1987; प्रारम्भ की तारीख: 9 दिसम्बर 1987।

367. लोक सभा वाद-विवाद, 27 फरवरी 1987, कॉलम 251।

368. वही, 24 नवम्बर 1987, कॉलम 471।

369. राज्य सभा वाद-विवाद, 26 नवम्बर 1987, कॉलम 279।

370. लोक सभा वाद-विवाद, 24 नवम्बर 1987, कॉलम 456।

371. राज्य सभा वाद-विवाद, 26 नवम्बर 1987, कॉलम 475।

समाविष्ट हों, प्रकाशित किया जाए। संविधान का प्राधिकृत पाठ होना अनिवार्य है ताकि विधिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जा सके। संविधान का कोई भी हिन्दी संस्करण न केवल संविधानसभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद के अनुरूप होना चाहिए अपितु केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप भी होना चाहिए। अतः, इस अधिनियम का आशय संविधान में संशोधन करना है ताकि भारत के राष्ट्रपति को अपने प्राधिकार से संविधान के हिन्दी भाषा में अनुवाद को, जिस पर संविधानसभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे, ऐसे उपांतरणों के साथ, जो उसे केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हों, प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया जा सके। राष्ट्रपति को संविधान के अंग्रेजी में किये गये प्रत्येक संशोधन का हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

संविधान में नया अनुच्छेद 394क अंतःस्थापित किया गया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को (एक) इस संविधान के हिन्दी भाषा में अनुवाद को, जिस पर संविधानसभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे उपांतरणों के साथ जो उसे केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हैं, और संविधान के ऐसे सभी संशोधनों को उसमें सम्मिलित करते हुए; तथा (दो) अंग्रेजी भाषा में किये गये इस संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिन्दी भाषा में अनुवाद को प्रकाशित कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है। संविधान और उसमें किये गये संशोधनों के ऐसे अनुवाद को सब प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (अठ्ठावनवां संशोधन)

अधिनियम, 1987

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[9 दिसम्बर, 1987]

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अठ्ठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 है ।

भाग 22 के शीर्षक
का संशोधन ।

2. संविधान के भाग 22 के शीर्षक में “प्रारंभ” शब्द के पश्चात् “हिन्दी में प्राधिकृत पाठ” शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे ।

नये अनुच्छेद
394क का
अंतःस्थापन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 394 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

हिन्दी भाषा में
प्राधिकृत पाठ ।

“394क. (1) राष्ट्रपति अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएगा—

(क) इस संविधान के हिंदी भाषा में अनुवाद को, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे उपांतरणों के साथ जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ऐसे प्रकाशन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे सभी संशोधनों को उसमें सम्मिलित करते हुए, तथा

(ख) अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिन्दी भाषा में अनुवाद को,

(2) खंड (1) के अधीन प्रकाशित इस संविधान और इसके प्रत्येक संशोधन के अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसके मूल का है और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग का इस प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त पुनरीक्षण कराएगा।

(3) इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद, सभी प्रयोजनों के लिए, उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988³⁷²

विधायी इतिहास

संविधान (उनसठवां संशोधन) विधेयक, 1988, 14 मार्च 1988 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था³⁷³। इस विधेयक का आशय (एक) अनुच्छेद 356 में संशोधन करना; तथा (दो) संविधान में नया अनुच्छेद 359क अंतःस्थापित करना था। विधेयक पर 15 मार्च, 1988 को राज्य सभा में विचार किया गया और उसे उसी दिन यथासंशोधित रूप में पारित किया गया³⁷⁴। राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 23 मार्च, 1988 को लोक सभा द्वारा विचार किया गया तथा पारित किया गया³⁷⁵। राज्य सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खंड 3 पर विचार करने के दौरान निम्नलिखित उपबंधों में संशोधन श्री बूटा सिंह ने पेश किए³⁷⁶ जिनका पंजाब राज्य के संबंध में यह उद्देश्य था:- (एक) अनुच्छेद 352 के खंड (1) के प्रारंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करना- “यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे: (क) युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, या (ख) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आंतरिक अशांति के कारण भारत की अखंडता संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा सम्पूर्ण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में, जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा।”; (दो) अनुच्छेद 352 के स्पष्टीकरण में “सशस्त्र विद्रोह” शब्दों के पश्चात् “या कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आंतरिक अशांति के कारण अखंडता संकट में है” शब्द अंतःस्थापित करना; और (तीन) अनुच्छेद 358 (1) में “या बाह्य आक्रमण के कारण” शब्दों के पश्चात् “या भारत

372. 1988 का विधेयक संख्यांक 14; गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह द्वारा 14 मार्च 1988 को राज्य सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, राज्य सभा: 14 और 15 मार्च 1988; लोक सभा: 22 और 23 मार्च 1988; राष्ट्रपति की अनुमति: 30 मार्च 1988; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 30 मार्च 1988; प्रारम्भ की तारीख: 30 मार्च 1988।

373. राज्य सभा वाद-विवाद, 14 मार्च 1988, कॉलम 301।

374. वही, 15 मार्च 1988, कॉलम 257।

375. लोक सभा वाद-विवाद, 23 मार्च 1988, कॉलम 611।

376. राज्य सभा वाद-विवाद, 15 मार्च 1988, कॉलम 233-234।

के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में या सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के कारण भारत की अखंडता संकट में है," शब्द अंतःस्थापित करना था।

इसे और स्पष्ट करने के लिए कि विधेयक केवल पंजाब राज्य पर लागू होता है और पर्याप्त सावधानी के तौर पर "भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग" शब्दों के स्थान पर, सभी तीनों स्थानों पर जहां इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, "पंजाब राज्य क्षेत्र के संपूर्ण या किसी भाग" शब्द प्रतिस्थापित करने का संशोधनों में प्रस्ताव था। "भारत" शब्द के स्थान पर 'पंजाब' शब्द रखने का प्रस्ताव था ताकि वह राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, जिसके संबंध में नये अनुच्छेद 359क के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जा सकती थी। संशोधनों को सभा द्वारा स्वीकृत किया गया³⁷⁷। विधेयक के खंड 3 को संशोधित रूप में राज्य सभा और लोक सभा द्वारा क्रमशः 15 मार्च और 23 मार्च 1988 को स्वीकृत किया गया³⁷⁸।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 356(5) के अधीन, ऐसा कोई संकल्प, जो उस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन अनुमोदित की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा जो एक वर्ष की अवधि से आगे प्रवृत्त बनाए रखने के लिए हो, संसद के दोनों में से किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब उस खंड में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों। पंजाब राज्य की बाबत की गई उद्घोषणा की दशा में एक वर्ष की अवधि 10 मई, 1988 को समाप्त होने वाली थी। यह ध्यान में रखते हुए कि पंजाब में अशांति बनी हुई है, आतंकवादियों और राष्ट्रविरोधी ताकतों के क्रियाकलापों में वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष स्त्री, पुरुष और बालक मारे जा रहे थे और इस तथ्य को देखते हुए कि पंजाब राज्य विधानसभा को, वहां विद्यमान परिस्थितियों के कारण भंग करना पड़ा था क्योंकि विद्यमान परिस्थितियों में लोकप्रिय सरकार का गठन करना वास्तव में असंभव था, पंजाब राज्य में उक्त उद्घोषणा को एक वर्ष की अवधि से आगे प्रवृत्त बनाए रखना आवश्यक हो गया था। अतः, संविधान के अनुच्छेद 356(5) में संशोधन करने की मांग की गई जिससे कि, यदि आवश्यक हो तो, उक्त उद्घोषणा का विस्तार, उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन अनुज्ञेय तीन वर्ष की अवधि तक किया जा सके।

ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि 10 मई, 1988 के पश्चात् उक्त उद्घोषणा को बनाए रखना प्रभावपूर्ण नहीं होगा क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। समस्त पंजाब राज्य में या राज्य के कुछ विशेष जिलों में आंशिक आपात की घोषणा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 के उपबंधों का आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ सकती थी। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो, "सशस्त्र विद्रोह" पद, जो उस अनुच्छेद में आपात की घोषणा के आधारों में से एक के रूप में सम्मिलित किया गया है (जिसका आश्रय केवल आंतरिक आपात की दशा में लिया जा सकता

377. राज्य सभा वाद-विवाद, कॉलम 238।

378. वही, कॉलम 244; लोक सभा वाद-विवाद, 23 मार्च 1988, कॉलम 562।

है), पंजाब राज्य में उद्घोषणा घोषित करने के लिए उस राज्य की विद्यमान स्थिति में उपयुक्त नहीं हो सकता। अतः यह अनुभव किया गया कि यदि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में भारत की अखंडता को आंतरिक अशांति के कारण खतरा है तो अनुच्छेद 352 का, पंजाब राज्य की बावत लागू किये जाने में, “आंतरिक अशांति” पद को सम्मिलित करते हुए समुचित संशोधन किया जाए जिससे कि यदि भविष्य में आवश्यक हो जाता है तो उस अनुच्छेद के अधीन कार्रवाई करने में सुविधा हो सके। “आंतरिक अशांति” पद एक ऐसा आधार था जो संविधान के प्रारंभ से उस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया और तब तक रहा जब तक कि संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा इसका संशोधन नहीं किया गया। परिणामतः अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 का भी संशोधन करने का प्रस्ताव था जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 19 के स्वतः निलंबन के लिए और भाग 3 में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों में (अनुच्छेद 20 को छोड़ कर) से किसी के प्रवर्तन का निलंबन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने का उस स्थिति में उपबंध किया जा सके जब पंजाब राज्य के समस्त या उसके किसी भाग के संबंध में आपात की घोषणा जारी करनी पड़े।

चूंकि संशोधन केवल पंजाब राज्य में आतंकवादी क्रियाकलापों पर और प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, अतः इन संशोधनों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों का आश्रय ऐसी किसी अवधि के लिए ही लिया जाएगा जो उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक हो।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई 1987 को उस अनुच्छेद के खंड (1) के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा को खंड (5) के कार्यक्षेत्र से बाहर रखने के लिए धारा 2 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया है।

संविधान में अंतःस्थापित नये अनुच्छेद 359क में अनुच्छेद 352, 358 तथा 359 में उपांतरण सहित भाग अठारह के आपात उपबंधों को पंजाब राज्य पर लागू करने का उपबंध है। अनुच्छेद 352 और 358 में किये गये उपांतरणों में राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा के लिए एक आधार के रूप में तथा ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन के उपरान्त संपूर्ण पंजाब अथवा पंजाब के किसी भाग में भारत की अखंडता को आंतरिक अशांति के कारण संकट सम्मिलित है। पंजाब राज्य पर लागू उपांतरित अनुच्छेद 359 में इस बात का उपबंध है कि जैसाकि राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित करे, भाग-3 (अनुच्छेद 20 को छोड़कर) द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित किया जाये। नया अनुच्छेद 359क इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रवृत्त नहीं रहेगा। (धारा 3)

संशोधन का पाठ संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[30 मार्च, 1988]

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (5) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“परंतु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा को लागू नहीं होगी।”

3. (1) संविधान के अनुच्छेद 359 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

नए अनुच्छेद 359क का अंतःस्थापन।

“359क. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, पंजाब राज्य के संबंध में, यह भाग निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन होगा, अर्थात्—

इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना।

(क) अनुच्छेद 352 के—

(1) खंड (1) के—

(अ) प्रारंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिससे—

(क) युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है; या

(ख) संपूर्ण पंजाब या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आंतरिक अशांति के कारण भारत की अखंडता संकट में है,

तो वह, उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में, जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा,”

(आ) स्पष्टीकरण में—

(1) “सशस्त्र विद्रोह” शब्दों के पश्चात् “या भारत की अखंडता संपूर्ण पंजाब या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आंतरिक अशांति के कारण संकट में है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) “या विद्रोह” शब्दों के पश्चात् “या अशांति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(क) खंड (9) में “सशस्त्र विद्रोह” शब्दों के पश्चात् दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “या आंतरिक अशांति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अनुच्छेद 358 के खंड (1) में “के संकट में होने की” शब्दों के पश्चात् “या संपूर्ण पंजाब या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आंतरिक अशांति के कारण भारत की अखण्डता संकट में होने की” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) अनुच्छेद 359 में “अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21” शब्दों और अंकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “अनुच्छेद 20” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) संविधान में उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, उन बातों के सिवाय प्रभावहीन हो जाएगा जिन्हें इसके इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988³⁷⁹

विधायी इतिहास

संविधान (साठवां संशोधन) विधेयक, 1988, 22 अगस्त 1988³⁸⁰ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक का आशय वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन संबंधी करों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 30 नवम्बर 1988 को विचार किया गया और इसे उसी दिन मूल रूप में पारित किया गया³⁸¹। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 6 दिसम्बर 1988 को विचार किया गया और इसे पारित किया गया³⁸²।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 276 का खंड (2) यह विनिर्दिष्ट करता है कि किसी राज्य को या किसी राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर, उक्त अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा उद्ग्रहणीय करों के रूप में संदेय कुल राशि दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि, उस खंड का परंतुक किसी राज्य, नगरपालिका, आदि में दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक की दर पर ऐसे कर का उद्ग्रहण चालू रखने की शक्ति प्रदान करता है यदि संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस राज्य, नगरपालिका, आदि में ऐसा कोई कर प्रवृत्त था जिसकी दर उक्त दर से अधिक थी। कुछ राज्य

379. 1988 का विधेयक संख्यांक 100; वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री, श्री ए.के. पांजा द्वारा लोक सभा में 22 अगस्त 1988 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 30 नवम्बर 1988; राज्य सभा: 5 और 6 दिसम्बर 1988; राष्ट्रपति की अनुमति: 20 दिसम्बर 1988; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 20 दिसम्बर 1988; प्रारम्भ की तारीख: 20 दिसम्बर 1988।

380. लोक सभा वाद-विवाद, 22 अगस्त 1988, कॉलम 254।

381. वही, 30 नवम्बर 1988, कॉलम 566।

382. राज्य सभा वाद-विवाद, 6 दिसम्बर 1988, कॉलम 230।

सरकारों ने यह अभ्यावेदन किया है कि दो सौ पचास रुपये की इस अधिकतम सीमा को, जो कि 1949 में नियत की गई थी, मूल्य वृद्धि और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में वृत्ति कर उक्त अधिकतम सीमा के कारण लगभग प्रतिगामी हो गया है क्योंकि उच्च वेतन पाने वाले व्यक्तियों तक को भी यह कर केवल दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष देना होता है। वृत्ति कर को बढ़ाने से राज्य सरकारों को आय के अतिरिक्त स्रोतों को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। अतः संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) में संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि वृत्ति कर की अधिकतम सीमा को दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर दो हजार पांच सौ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष किया जा सके। इस खंड का परंतुक क्योंकि अब सुसंगत नहीं रह गया है अतः इसका लोप किया जाये।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर की अधिकतम सीमा को दो सौ पचास रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़ाकर दो हजार पांच सौ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) में संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) के परंतुक का लोप कर दिया गया है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[20 दिसम्बर, 1988]

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) में—

(क) “दो सौ पचास रुपये” शब्दों के स्थान पर “दो हजार
पांच सौ रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 276 का
संशोधन।

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988³⁸³

विधायी इतिहास

संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988, जब 13 दिसम्बर 1988 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब इसका नाम संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 था³⁸⁴। इस विधेयक का आशय वयस्क मताधिकार के आधार पर लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 15 दिसम्बर 1988 को विचार किया गया तथा यथा-संशोधित विधेयक को उसी दिन पारित कर दिया गया³⁸⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 20 दिसम्बर 1988 को विचार किया गया तथा इसे पारित कर दिया गया³⁸⁶। विधेयक के खंड 1 में 'बासठवां' शब्द के स्थान पर 'इकसठवां' शब्द रखा गया और इस औपचारिक संशोधन के साथ यह खंड लोक सभा द्वारा स्वीकृत हुआ³⁸⁷। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1, 20 दिसम्बर 1988 को राज्य सभा द्वारा स्वीकृत हुआ³⁸⁸।

383. 1988 का विधेयक संख्यांक 129; जल संसाधन मंत्री, श्री बी. शंकरानन्द द्वारा लोक सभा में 13 दिसम्बर 1988 को संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 14 और 15 दिसम्बर 1988; राज्य सभा: 16, 19 और 20 दिसम्बर 1988; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 28 मार्च 1989; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 28 मार्च 1989; प्रारम्भ की तारीख: 28 मार्च 1989।

384. लोक सभा वाद-विवाद, 13 दिसम्बर 1988, कॉलम 20।

385. वही, 15 दिसम्बर 1988, कॉलम 175।

386. राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1988, कॉलम 67।

387. लोक सभा वाद-विवाद, 15 दिसम्बर 1988, कॉलम 141।

388. राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1988, कॉलम 62।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 326 यह उपबंध करता है कि लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह देखा गया है कि अनेक देशों ने मतदान की आयु 18 वर्ष विनिर्दिष्ट कर दी है। हमारे देश में कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचनों के लिए 18 वर्ष की आयु को ही अपनाया है। आज के युवक शिक्षित, विवेकशील और राजनीतिक रूप से जागृत हैं तथा मतदान की आयु को कम कर देने से देश के युवकों को, जिनका अभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा और राजनीतिक प्रक्रिया का भाग बनने में सहायता मिलेगी। अतः मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[28 मार्च, 1989]

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 है ।

अनुच्छेद 326 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 326 में, “इक्कीस वर्ष” शब्दों के स्थान पर “अठारह वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

उपर्युक्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तथा इसे उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के परन्तुक के अधीन यथापेक्षित कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी मिल गया है ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989³⁸⁹

विधायी इतिहास

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 राज्य सभा में 20 दिसंबर 1989 को पुरःस्थापित किया गया था³⁹⁰। इस विधेयक का आशय लोक सभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करना था। विधेयक पर 21 दिसम्बर 1989 को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया तथा उसे उसी दिन पारित कर दिया गया³⁹¹। राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर लोक सभा द्वारा 26 दिसंबर 1989 को विचार किया गया तथा उसे पारित किया गया³⁹²।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 334 में यह निर्धारित किया गया है कि लोक सभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ से चालीस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएंगे। यद्यपि विगत चालीस वर्षों

389. 1989 का विधेयक संख्यांक 26; श्रम और कल्याण मंत्री, श्री राम विलास पासवान द्वारा राज्य सभा में 20 दिसम्बर 1989 को पुरःस्थापित; वाद-विवाद, राज्य सभा: 21 दिसम्बर 1989; लोक सभा: 22 और 26 दिसम्बर 1989; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 25 जनवरी 1990; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 25 जनवरी 1990; प्रारम्भ की तारीख: 20 दिसम्बर 1989।

390. राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1989, कॉलम 32।

391. वही, 21 दिसम्बर 1989, कॉलम 161।

392. लोक सभा वाद-विवाद, 26 दिसम्बर 1989, कॉलम 252।

में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने कुछ प्रगति की है किन्तु उपर्युक्त स्थानों के आरक्षण और सदस्यों के नामनिर्देशन की बाबत उपबंध करते समय संविधानसभा के समक्ष निर्णय लेने के लिए जो कारण थे वे अभी विद्यमान हैं। अतः यह विनिश्चय किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण और नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को दस वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखा जाये।

विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

इस अधिनियम के द्वारा लोक सभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा लोक सभा में और राज्यों की विधानसभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को और दस वर्षों तक जारी रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[25 जनवरी, 1990]

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा जिसको इस अधिनियम के लिए विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जाता है।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में "चालीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे। अनुच्छेद 334 का संशोधन।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989³⁹³

विधायी इतिहास

संविधान (तिरसठवां संशोधन) विधेयक, 1989 लोक सभा में 29 दिसम्बर 1989 को पुरःस्थापित किया गया था³⁹⁴। इस विधेयक का आशय अनुच्छेद 356 में संशोधन करने वाले संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 का निरसन करना तथा संविधान में नये अनुच्छेद 359क का अंतःस्थापन करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 29 दिसम्बर 1989 को विचार किया गया तथा यथासंशोधित विधेयक को उसी दिन पारित कर दिया गया³⁹⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 29 दिसम्बर 1989 को विचार किया गया तथा इसे पारित कर दिया गया³⁹⁶। विधेयक के खंड 2 तथा 3 को लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा मूल रूप में स्वीकृत किया गया³⁹⁷। विधेयक के खंड 1 में “यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे” शब्दों के स्थान पर “यह तुरंत प्रवृत्त होगा” शब्द रखे गये और इस संशोधन के साथ यह खंड लोक सभा द्वारा स्वीकृत किया गया³⁹⁸। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 राज्य सभा द्वारा स्वीकृत किया गया³⁹⁹।

393. 1989 का विधेयक संख्यांक 100; गृह मंत्री, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा 29 दिसम्बर 1989 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 29 दिसम्बर 1989; राज्य सभा: 29 दिसम्बर 1989; राष्ट्रपति की अनुमति: 6 जनवरी 1990; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 6 जनवरी 1990; प्रारम्भ की तारीख: 6 जनवरी 1990।

394. लोक सभा वाद-विवाद, 29 दिसम्बर 1989, कॉलम 243।

395. वही, कॉलम 346।

396. राज्य सभा वाद-विवाद, 29 दिसम्बर 1989, कॉलम 383।

397. लोक सभा वाद-विवाद, 29 दिसम्बर 1989, कॉलम 316; राज्य सभा वाद-विवाद, 29 दिसम्बर 1989, कॉलम 374, 377।

398. लोक सभा वाद विवाद, 29 दिसम्बर 1989, कॉलम 331।

399. राज्य सभा वाद-विवाद, 29 दिसम्बर 1989, कॉलम 377।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

पंजाब में आपातकाल की उद्घोषणा करने तथा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के बारे में कतिपय परिवर्तन करने की दृष्टि से मार्च 1988 में संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 पारित किया गया। पुनः विचार करने पर, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पंजाब में आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में उन विशेष शक्तियों की जिनकी संशोधन में कल्पना की गई थी, कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी सोचा गया कि उक्त अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 में किये गये संशोधन की अब कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए उपरोक्त अधिनियम निरस्त कर दिया जाये जहां तक संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई 1987 को जारी की गई उद्घोषणा का संबंध है, इसे संसद की दोनों सभाओं द्वारा अक्तूबर 1989 में अनुमोदित कर दिया गया था।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम तुरंत प्रवृत्त होगा। (धारा 1)

धारा 2 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (5) के परन्तुक, जिसमें पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को उक्त अनुच्छेद के खंड (1) के क्षेत्र से अपवर्जन का उपबन्ध किया था, का लोप करने हेतु उक्त अनुच्छेद में संशोधन किया गया है।

अनुच्छेद 359क, जिसे पंजाब राज्य या उसके किसी भाग में आंतरिक अशांति के कारण भारत की अखंडता को खतरा होने के आधार पर आपातस्थिति की घोषणा करने के लिए संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 के द्वारा, संविधान में अंतःस्थापित किया गया था, का लोप किया गया है। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (तिरसठवां संशोधन)

अधिनियम, 1989

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[6 जनवरी, 1990]

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 356 का
संशोधन।

2. संविधान के अनुच्छेद 356 में खंड (5) में परंतुक का
लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 359क
का लोप।

3. संविधान के अनुच्छेद 359क का लोप किया
जाएगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990⁴⁰⁰

विधायी इतिहास

संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 को 4 अप्रैल 1990 को जब लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब इसका नाम 'संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990' था⁴⁰¹। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करके यह उपबंध करना था कि पंजाब राज्य के संबंध में इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा इसके जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष तथा छह माह की अवधि के लिए लागू रहेगी। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 5 अप्रैल 1990 को विचार किया गया तथा यथासंशोधित विधेयक को उसी दिन पारित कर दिया गया⁴⁰²। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 10 अप्रैल 1990 को विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया⁴⁰³।

लोक सभा द्वारा विधेयक का खंड 1 "पैंसठवें" शब्द को "चौंसठवें" शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया⁴⁰⁴। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 राज्य सभा द्वारा 10 अप्रैल 1990 को स्वीकृत किया गया⁴⁰⁵।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में उपबंध है कि उक्त अनुच्छेद के अधीन जारी और संसद की दोनों सभाओं द्वारा अनुमोदित कोई उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक प्रवृत्त

400. 1990 का विधेयक संख्यांक 49; गृह मंत्री, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा लोक सभा में 4 अप्रैल 1990 को संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 5 अप्रैल 1990; राज्य सभा: 10 अप्रैल 1990; राष्ट्रपति की अनुमति: 16 अप्रैल 1990; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 16 अप्रैल 1990; प्रारम्भ की तारीख: 16 अप्रैल 1990।

401. लोक सभा वाद-विवाद, 4 अप्रैल 1990, कॉलम 964।

402. वही, 5 अप्रैल 1990, कॉलम 599।

403. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 अप्रैल 1990, कॉलम 85।

404. लोक सभा वाद-विवाद, 5 अप्रैल 1990, कॉलम 584।

405. राज्य सभा वाद-विवाद, 10 अप्रैल 1990, कॉलम 80।

नहीं रहेगी। तथापि, उक्त अनुच्छेद के खंड (5) के अधीन कोई संकल्प, जो उस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को एक वर्ष की अवधि से आगे के लिए प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करता है, संसद की किसी सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि संपूर्ण राज्य में अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त आपात की घोषणा और निर्वाचन आयोग का यह प्रमाणपत्र कि खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को राज्य की विधानसभा के आम चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण प्रवृत्त बनाए रखना आवश्यक है, से संबंधित उक्त खंड में विनिर्दिष्ट दोनों शर्तें पूरी नहीं हो जातीं। पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के बारे में तीन वर्ष की अवधि 10 मई 1990 को समाप्त हो जाएगी और उक्त दोनों शर्तें भी पूरी नहीं हुई। राज्य में विद्यमान परिस्थितियों में राज्य की विधानसभा के लिए स्वतंत्र और शांतिपूर्ण निर्वाचन की कोई अच्छी संभावना नहीं थी। चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में जिन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उनका भी यही विचार था कि राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन कराने से पूर्व सर्वप्रथम अनुकूल स्थिति तैयार की जानी चाहिए। अतः संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) और (5) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया ताकि पंजाब राज्य के संबंध में उक्त उद्घोषणा का विस्तार कुल तीन वर्ष और छह मास की अवधि तक करने में सुविधा रहे।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में अंतःस्थापित नए परंतुक में यह उपबंध है कि पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई 1987 को राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा का और छह मास की अवधि के लिए विस्तार किया गया है और ऐसी उद्घोषणा, उद्घोषणा के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष और छह मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। (धारा 2)

संविधान के अनुच्छेद 356 में यह और संशोधन किया गया है जो पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई 1987 को उस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को खंड (5) के क्षेत्र से बाहर रखता है जिसमें इस बात का उपबंध है कि ऐसी उद्घोषणा के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब ऐसे संकल्प के पारित किये जाने के समय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना, संबंधित राज्य की विधानसभा का निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण, आवश्यक है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (चौंसठवां संशोधन)

अधिनियम, 1990

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[16 अप्रैल, 1990]

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 356 में-

अनुच्छेद 356 का

(क) खंड (4) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित संशोधन।

परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“परंतु यह भी कि पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में, इस खंड के पहले परंतुक में “तीन वर्ष” के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो वह “तीन वर्ष छह मास” के प्रति निर्देश हो।”

(ख) खंड (5) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा को लागू नहीं होगी।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990⁴⁰⁶

विधायी इतिहास

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 जब 23 मई, 1990 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1990⁴⁰⁷ था। इस विधेयक का आशय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक रक्षोपायों के संबंध में और अधिक प्रभावी उपाय के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करना था। विधेयक पर 28, 29 और 30 मई, 1990 को लोक सभा में विचार किया गया तथा इसे उसी दिन यथासंशोधित पारित कर दिया गया⁴⁰⁸। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 31 मई, 1990 को राज्य सभा में विचार किया गया तथा पारित किया गया⁴⁰⁹। लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खंड 2 पर विचार के दौरान श्री राम विलास पासवान ने निम्नलिखित संशोधन पेश किये⁴¹⁰ जिनका आशय था:—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित खण्ड 2 (ख) (2) में शब्द “तीन” के स्थान पर शब्द “पांच” का प्रतिस्थापन;

(दो) खंड 2(ख) के उपखंड 5 (ख) में शब्द “परीक्षा” के स्थान पर शब्दावली “की जांच” का प्रतिस्थापन;

(तीन) खंड 2(ख) (5) में निम्नलिखित नए उप-खण्ड का अंतःस्थापन;

406. 1990 का विधेयक संख्यांक 98; श्रम और कल्याण मंत्री, श्री राम विलास पासवान द्वारा लोक सभा में 23 मई 1990 को संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 28, 29 और 30 मई 1990; राज्य सभा: 31 मई 1990; राष्ट्रपति की अनुमति: 7 जून 1990; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 8 जून 1990; प्रारंभ की तारीख: 12 मार्च 1992।

407. लोक सभा वाद-विवाद, 23 मई 1990, कॉलम 424।

408. वही, 30 मई 1990, कॉलम 247।

409. राज्य सभा वाद-विवाद, 31 मई 1990, कॉलम 228।

410. लोक सभा वाद-विवाद, 30 मई 1990, कॉलम 135-136।

(ग) संघ और किसी राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(चार) खंड 2(ख) में निम्नलिखित उपखण्डों का अंतःस्थापन:

(8) आयोग को खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां प्रदत्त होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय के पास हैं, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना और शपथ दिलाकर उसकी जांच कराना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों तथा दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी; और

(पांच) खण्ड 2 (ग) में “(8)” के स्थान पर “(10)” का प्रतिस्थापन।

संशोधन सभा द्वारा स्वीकार किये गये। विधेयक का खण्ड 2, यथासंशोधित, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 30 और 31 मई, 1999 को स्वीकार किया गया⁴¹¹। लोक सभा द्वारा विधेयक का खंड 1 “अडसठवें” शब्द को “पैंसठवें” शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया⁴¹²। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 राज्य सभा द्वारा 31 मई 1999 को स्वीकृत किया गया⁴¹³।

411. लोक सभा वाद-विवाद, 30 मई 1990, कॉलम 216 (1); राज्य सभा वाद-विवाद, 31 मई 1990, कॉलम 219 ॥

412. लोक सभा वाद-विवाद, 30 मई 1990, कॉलम 231।

413. राज्य सभा वाद-विवाद, 31 मई 1990, कॉलम 224।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने के लिए और उनके कार्यकरण के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी का उपबंध करता है। यह अनुभव किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक रक्षोपायों की बाबत एक एकल विशेष अधिकारी की अपेक्षा, जैसाकि वर्तमान में है, अनुच्छेद 338 के अधीन एक उच्चस्तरीय पांच सदस्यीय आयोग अधिक प्रभावी व्यवस्था होगी। यह भी अनुभव किया गया कि उक्त आयोग के कृत्यों को व्यापक बनाना भी आवश्यक है जिससे कि उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किये जाने चाहिए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किये जाने चाहिए, सम्मिलित किया जाए तथा आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यह भी अनुभव किया गया कि उक्त आयोग के प्रतिवेदन संसद और राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखे जाने चाहिए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 338 के पार्श्वशीर्ष में “अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (धारा 2)

संविधान के अनुच्छेद 338 के उक्त अनुच्छेद के खंड (1) और (2) के स्थान पर खंड (1) से (9) प्रतिस्थापित किये गये हैं। नए खंड (1) में उपबंध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में ज्ञात होगा। (इसमें इसके पश्चात् इसे आयोग के रूप में माना जाएगा)। खंड (2) और (3) में उपबंध है कि आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा

करेगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें। खंड (4) में आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। खंड (5) में उपबंध है कि अन्य बातों के साथ-साथ, आयोग के कर्तव्य होंगे: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और उनकी निगरानी करना; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत प्रत्येक शिकायत की परीक्षा करना; उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना; इन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को एक वार्षिक प्रतिवेदन पेश करना और ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाएं, सिफारिश करना; और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। खंड (6) में उपबंध है कि राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से संबंधित किसी मामले के अन्वेषण के दौरान अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत किसी शिकायत की जांच के दौरान आयोग को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल न्यायालय को हैं। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (पैसठवां संशोधन)

अधिनियम, 1990

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[7 जून, 1990]

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 338 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 में,—

(क) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ।”

(ख) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा ।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों

की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे;

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई

गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।”

(ग) विद्यमान खंड (3) को खंड (10) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990⁴¹⁴

विधायी इतिहास

संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक, 1990, 19 अप्रैल, 1990⁴¹⁵ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक का आशय भूमि सुधारों से संबंधित और अधिक राज्य अधिनियमितियों को सम्मिलित करने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था। विधेयक पर 29 और 30 मई, 1990 को लोक सभा द्वारा विचार किया गया और, यथासंशोधित, उसी दिन पारित कर दिया गया ⁴¹⁶। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 1 जून, 1990⁴¹⁷ को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया। लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक के खंड 2 पर विचार के दौरान निम्नलिखित शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों का लोप करने के लिए कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा प्रविष्टि संख्या 208 का एक संशोधन पेश किया गया था⁴¹⁸। “(अध्याय VII की धारा 49 कक से 49थ)” संशोधन सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। विधेयक का खण्ड 2, यथासंशोधित, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 30 मई और 1 जून, 1990 को स्वीकार कर लिया गया⁴¹⁹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 31ख, संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमितियों को इस आधार पर विधिक आक्षेप से उन्मुक्ति प्रदान करता है कि वे संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित

414. 1990 का विधेयक संख्यांक 53; उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री, श्री देवी लाल द्वारा लोक सभा में 19 अप्रैल 1990 को पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 29 और 30 मई, 1990; राज्य सभा: 1 जून 1990; राष्ट्रपति की अनुमति: 7 जून 1990; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 8 जून 1990; प्रारंभ की तारीख: 7 जून 1990।

415. लोक सभा वाद-विवाद, 19 अप्रैल 1990, कॉलम 442।

416. वही, 30 मई 1990, कॉलम 330।

417. राज्य सभा वाद-विवाद, 1 जून 1990, कॉलम 125।

418. लोक सभा वाद-विवाद, 30 मई 1990, कॉलम 265।

419. वही, कॉलम 282; राज्य सभा वाद-विवाद, 1 जून 1990, कॉलम 116।

मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं। पहले जब कभी भी यह पाया गया कि लोक हित में सोचे गये प्रगतिशील विधान को मुकदमेबाजी द्वारा संकट में डाला गया है, तब नौवीं अनुसूची का अवलम्ब लिया गया। भूमि सुधारों और अधिकतम कृषि भूमि जोत सीमा से संबंधित कई राज्य अधिनियमितियों को पहले ही नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया था। चूंकि सरकार भूमि सुधारों को महत्व देने के लिए प्रतिबद्ध थी, अतः यह विनिश्चय किया गया कि सभी भूमि सुधार संबंधी विधियों को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए जिससे कि उन पर न्यायालयों के समक्ष आक्षेप न किया जाए। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की राज्य सरकारों और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन ने भूमि सुधारों से संबंधित अपने कुछ अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। चूंकि ऐसे अधिनियमों के संशोधन, जो पहले ही नौवीं अनुसूची में रखे गये थे, विधिक आक्षेप में स्वतः उन्मुक्त नहीं होते, अतः नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले कुछ प्रस्तावित संशोधनकारी अधिनियमों की भी जांच की गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अधिनियमों का कार्यान्वयन मुकदमेबाजी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो, यह प्रस्ताव किया गया था कि उन्हें नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम भूमि सुधारों से संबंधित 55 अतिरिक्त राज्य अधिनियमितियों (प्रविष्टि संख्या 203 से 257) को संविधान की नौवीं अनुसूची में यह स्पष्ट करने की दृष्टि से सम्मिलित किया गया है कि उक्त अधिनियमितियों को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वे मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 के किन्हीं उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (छियासठवां संशोधन)

अधिनियम, 1990

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[7 जून, 1990]

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 है ।

नौवीं अनुसूची का
संशोधन ।

2. संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 202 के पश्चात्
और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित
की जाएंगी, अर्थात्:-

“203. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियम,
1959 (1959 का आंध्र प्रदेश विनियम 1)।

204. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र विधि (विस्तारण और
संशोधन) विनियम, 1963 (1963 का आंध्र प्रदेश
विनियम 2) ।

205. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन)
विनियम, 1970 (1970 का आंध्र प्रदेश
विनियम 1) ।

206. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन)
विनियम, 1971 (1971 का आंध्र प्रदेश
विनियम 1) ।

207. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन)
विनियम, 1978 (1978 का आंध्र प्रदेश
विनियम 1) ।

208. बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (1885 का बिहार अधिनियम 8)।
209. छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (1908 का बंगाल अधिनियम 6) (अध्याय 8-धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 48क और धारा 49; अध्याय 10-धारा 71, धारा 71क और धारा 71ख; और अध्याय 18 धारा 240, धारा 241 और धारा 242)।
210. संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम 14) धारा 53 को छोड़कर।
211. बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 (1969 का बिहार विनियम 1)।
212. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का बिहार अधिनियम 55)।
213. गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन अधिनियम, 1969 (1969 का गुजरात अधिनियम 16)।
214. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का गुजरात अधिनियम 37)।
215. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति अधिनियम 43)।
216. गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का गुजरात अधिनियम 27)।
217. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का गुजरात अधिनियम 30)।
218. मुम्बई भू-राजस्व (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का गुजरात अधिनियम 37)।

219. मुम्बई भू-राजस्व संहिता और भू-धृति उत्सादन विधि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का गुजरात अधिनियम 8)।
220. हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 15)।
221. हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 16)।
222. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि अंतरण प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 (1979 का कर्नाटक अधिनियम 2)।
223. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का केरल अधिनियम 13)।
224. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का केरल अधिनियम 19)।
225. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का मध्य प्रदेश अधिनियम 61)।
226. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का मध्य प्रदेश अधिनियम 15)।
227. मध्य प्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1981 (1981 का मध्य प्रदेश अधिनियम 11)।
228. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 (1984 का मध्य प्रदेश अधिनियम 1)।
229. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का मध्य प्रदेश अधिनियम 14)।
230. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का मध्य प्रदेश अधिनियम 8)।

231. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 (1966 का महाराष्ट्र अधिनियम 41) धारा 36, धारा 36 क और धारा 36ख ।
232. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता और महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यावर्तन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1977 का महाराष्ट्र अधिनियम 30) ।
233. महाराष्ट्र कतिपय भूमि में खानों और खनिजों के विद्यमान सांपत्तिक अधिकारों का उत्सादन अधिनियम, 1985 (1985 का महाराष्ट्र अधिनियम 16) ।
234. उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) स्थावर संपत्ति अंतरण विनियम, 1956 (1956 का उड़ीसा विनियम 2) ।
235. उड़ीसा भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1975 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 29) ।
236. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 30) ।
237. उड़ीसा भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का उड़ीसा अधिनियम 44) ।
238. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राजस्थान अधिनियम 12) ।
239. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राजस्थान अधिनियम 13) ।
240. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 21) ।
241. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1979 (1980 का तमिलनाडु अधिनियम 8) ।

242. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1980 (1980 का तमिलनाडु अधिनियम 21)।
243. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1981 (1981 का तमिलनाडु अधिनियम 59)।
244. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1983 (1984 का तमिलनाडु अधिनियम 2)।
245. उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 20)।
246. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 18)।
247. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 11)।
248. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1969 (1969 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।
249. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 36)।
250. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व अधिनियम, 1979 (1979 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 44)।
251. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 41)।
252. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)।
253. कलकत्ता ठेका अभिवृत्ति (अर्जन और विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 37)।

254. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।
255. कलकत्ता ठेका अभिवृत्ति (अर्जन और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 41)।
256. माहे भूमि सुधार अधिनियम, 1968 (1968 का पांडिचेरी अधिनियम 1)।
257. माहे भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1981 का पांडिचेरी अधिनियम 1)।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990⁴²⁰

विधायी इतिहास

संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 जब 4 अक्तूबर, 1990 लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब उसका नाम संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990⁴²¹ था। विधेयक का आशय पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का और छह माह की अवधि अर्थात् कुल चार वर्ष की अवधि तक विस्तार हेतु उपबंध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 4 का संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा द्वारा 04 अक्तूबर, 1990 को विचार किया गया था और उसे उसी दिन⁴²², यथासंशोधित, पारित कर दिया गया था। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 4 अक्तूबर, 1990⁴²³ को विचार किया गया और पारित कर दिया गया था। लोक सभा द्वारा विधेयक का खंड 1 “छिहत्तरवें” शब्द को “सड़सठवें⁴²⁴” शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 राज्य सभा द्वारा 4 अक्तूबर 1990⁴²⁵ को स्वीकृत किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में उपबंध है कि उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत जारी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित की गई कोई उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक

420. 1990 का विधेयक संख्यांक 158; गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा लोक सभा में 4 अक्तूबर 1990 को संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 4 अक्तूबर 1990; राज्य सभा: 4 अक्तूबर 1990; राष्ट्रपति की अनुमति: 4 अक्तूबर 1990; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 4 अक्तूबर 1990; प्रारम्भ की तारीख: 4 अक्तूबर 1990।

421. लोक सभा वाद-विवाद, 4 अक्तूबर 1990, कॉलम 11।

422. वही, कॉलम 59।

423. राज्य सभा वाद-विवाद, 4 अक्तूबर 1990, कॉलम 212।

424. लोक सभा वाद-विवाद, 4 अक्तूबर 1990, कॉलम 39।

425. राज्य सभा वाद-विवाद, 4 अक्तूबर 1990, कॉलम 203।

प्रवृत्त नहीं रहेगी। तथापि, उक्त अनुच्छेद के खंड (5) के अधीन कोई संकल्प जो उस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करता है, संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जा सकता है जब उस खंड में विनिर्दिष्ट दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् यह कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण राज्य में अथवा राज्य के किसी भाग में प्रवर्तन में है और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है। पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 जारी की गई उद्घोषणा के मामले में तीन वर्ष की अवधि संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा इस प्रत्याशा से तीन वर्ष छह मास तक विस्तारित की गई थी उस राज्य की विधानसभा का निर्वाचन कराना संभव हो सकेगा। उस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (5) का भी उपयुक्त संशोधन कर दिया गया था। तथापि, राज्य में विद्यमान परिस्थितियों में राज्य की विधानसभा के लिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की कोई संभावना नहीं थी। अतः यह प्रस्ताव किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) का संशोधन किया जाए जिससे कि उक्त उद्घोषणा का विस्तार पंजाब राज्य की बाबत कुल चार वर्ष की अवधि तक किया जा सके। इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

पंजाब राज्य की बाबत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा का विस्तार और छह महीने अर्थात् कुल चार वर्ष की अवधि तक करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के परन्तुक में संशोधन किया गया है (धारा 2)।

संशोधन का पाठ

संविधान (सड़सठवां संशोधन)

अधिनियम, 1990

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[4 अक्तूबर, 1990]

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (सड़सठवां
संशोधन) अधिनियम, 1990 है ।

अनुच्छेद 356 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 356 में खंड (4) के तीसरे
परंतुक में 'तीन वर्ष छह मास' शब्दों के स्थान पर 'चार वर्ष'
शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991⁴²⁶

विधायी इतिहास

संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 को जब 11 मार्च, 1991 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तो इसका नाम संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991⁴²⁷ था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में संशोधन करना था ताकि पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को एक और वर्ष अर्थात् कुल पांच वर्ष की अवधि तक के लिए लागू रखा जा सके। विधेयक पर 11 मार्च, 1991 को लोक सभा द्वारा विचार किया गया था तथा उसे यथासंशोधित रूप में उसी दिन पारित कर दिया गया था⁴²⁸। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 12 मार्च, 1991 को विचार किया गया तथा विधेयक को पारित कर दिया गया था⁴²⁹। लोक सभा द्वारा विधेयक का खंड 1 “पचहत्तरवें” शब्द को “अड़सठवें” शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया⁴³⁰ लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 राज्य सभा द्वारा 12 मार्च, 1991 को स्वीकृत किया गया था⁴³¹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में उपबंध किया गया है कि उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत जारी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित की गई कोई उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक की

426 1991 का विधेयक संख्यांक 48; गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय द्वारा 11 मार्च 1991 को लोक सभा में संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 11 मार्च 1991, राज्य सभा: 12 मार्च 1991; राष्ट्रपति की अनुमति: 12 मार्च 1991; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 12 मार्च 1991; प्रारम्भ की तारीख: 12 मार्च 1991।

427 लोक सभा वाद-विवाद, 11 मार्च 1991, कॉलम 64।

428 वही, कॉलम 362।

429 राज्य सभा वाद-विवाद, 12 मार्च 1991, कॉलम 75।

430 लोक सभा वाद-विवाद, 11 मार्च 1991, कॉलम 347।

431 राज्य सभा वाद-विवाद, 12 मार्च 1991, कॉलम 75।

अवधि तक प्रवृत्त नहीं रहेगी। तथापि, उक्त अनुच्छेद के खंड (5) के अधीन उक्त अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जारी की गई किसी उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक समय तक लागू रखने की स्वीकृति प्रदान करने वाले किसी संकल्प को संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये दो शर्तें पूरी नहीं हो जाती अर्थात् सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में आपात स्थिति की उद्घोषणा का जारी रहना तथा निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना कि खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा लागू रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन, जैसाकि उक्त खंड में विनिर्दिष्ट है, कराने में कठिनाइयां हैं। पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के मामले में तीन वर्ष की अवधि को इस आशा में संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के द्वारा बढ़ाकर तीन वर्ष और छह मास कर दिया गया तथा उक्त अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (5) में भी उपयुक्त संशोधन कर दिया गया था जिससे उक्त राज्य की विधानसभा के निर्वाचन कराना संभव हो सके। अक्तूबर, 1990 में यह महसूस किया गया कि पंजाब राज्य विधानसभा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ठीक नहीं है। अतः संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (4) में पुनः संशोधन किया गया ताकि 11 मई, 1987 को जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा का विस्तार कुल चार वर्ष की अवधि के लिए किया जा सके। सुरक्षा बलों के दबाव के बावजूद पंजाब में आतंकवादी हिंसा जारी रही। अतः, विद्यमान परिस्थितियों में पंजाब विधानसभा के लिए निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन होने की कोई संभावना नहीं थी। अतः, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है ताकि पंजाब राज्य के संबंध में उक्त उद्घोषणा का विस्तार कुल पांच वर्ष की अवधि तक के लिए किया जा सके।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के परन्तुक में पंजाब राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के अंतर्गत 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा का विस्तार और एक वर्ष तक की अवधि के लिए करने हेतु किया गया है और ऐसी उद्घोषणा इसके जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी (धारा 2)।

संशोधन का पाठ

संविधान (अड़सठवां संशोधन)

अधिनियम, 1991

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[12 मार्च, 1991]

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अड़सठवां संक्षिप्त नाम। संशोधन) अधिनियम, 1991 है।
2. संविधान के अनुच्छेद 356 में खंड (4) के तीसरे परंतुक अनुच्छेद 356 में 'चार वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पांच वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित का संशोधन। किये जाएंगे।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991⁴³²

विधायी इतिहास

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 जब 16 दिसम्बर, 1991 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 था⁴³³। विधेयक का आशय संविधान में नए अनुच्छेद 239कक तथा 239 कख को अंतःस्थापित कर दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक नया ढांचा तैयार करने के साथ-साथ एक विधानसभा की स्थापना करने का उपबंध करना था। लोक सभा द्वारा विधेयक पर 20 दिसम्बर, 1991 को विचार किया गया और उसे यथासंशोधित रूप में उसी दिन पारित कर दिया गया⁴³⁴। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा ने 20 दिसम्बर, 1991 को विचार किया और उसे पारित कर दिया⁴³⁵। लोक सभा द्वारा विधेयक का खण्ड 1 “चौहत्तरवें” शब्द को “उनहत्तरवें” शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया⁴³⁶। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खण्ड 1 राज्य सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1991 को स्वीकृत किया गया⁴³⁷। लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के खण्ड 2 पर विचार किये जाने के दौरान गृह मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण द्वारा “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र” के स्थान पर “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” को प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधन पेश किया गया। सभा द्वारा संशोधन स्वीकृत किया गया⁴³⁸। विधेयक का खण्ड 2, संशोधित रूप में लोक सभा तथा राज्य सभा⁴³⁹ द्वारा 20 दिसम्बर, 1991 को स्वीकृत किया गया।

432 1991 का विधेयक संख्यांक 203; गृह मंत्री, श्री एस.बी. चव्हाण द्वारा 16 दिसम्बर, 1991 को संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 20 दिसम्बर 1991; राज्य सभा: 20 दिसम्बर 1991; राष्ट्रपति की अनुमति: 21 दिसम्बर 1991; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 21 दिसम्बर 1991; प्रारंभ की तारीख: 1 फरवरी 1992।

433 लोक सभा वाद-विवाद, 16 दिसम्बर 1991, कॉलम 471।

434 वही, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 919।

435 राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 387।

436 लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 867।

437 राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 380।

438 लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 869।

439 वही, कॉलम 867; राज्य सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 380-387।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। भारत सरकार ने दिल्ली के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु 24 दिसम्बर, 1987 को एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने इस विषय का अत्यंत विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और विभिन्न व्यक्तियों, संगमों, राजनीतिक दलों और अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के पश्चात् तथा संघीय ढांचे वाले अन्य देशों की राष्ट्रीय राजधानियों में व्यवस्थाओं और संविधानसभा में विचार-विमर्शों को भी और पूर्वतर समितियों और आयोगों की रिपोर्टों को भी ध्यान में रखते हुए उक्त मुद्दों पर विचार किया। इतनी विस्तृत जांच और परीक्षा के पश्चात् समिति ने सिफारिश की कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र बना रहना चाहिए और उसकी एक विधानसभा तथा ऐसी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी एक मंत्रिपरिषद् होनी चाहिए जिसके पास जनसाधारण से संबंधित विषयों से निपटने के लिए उपयुक्त शक्तियां हों। समिति ने यह सिफारिश भी की कि संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी को एक विशेष हैसियत प्रदान करने के लिए स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने की दृष्टि से संविधान में ऐसी व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)

धारा 2 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 239कक और 239 कख अंतःस्थापित किए गए।

अनुच्छेद 239कक में यह उपबंध है कि इस संविधान संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से ही, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (इसमें इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) कहा जाएगा और उसके प्रशासक का पदाभिधान उप-राज्यपाल होगा।

अनुच्छेद 239कक (2) में यह उपबंध है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे। विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा विधानसभा से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, किसी राज्य, किसी राज्य की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

विधानसभा को राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रणित किसी भी विषय के संबंध में, जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्यक्षेत्रों को लागू है, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। इसके अलावा, यदि किसी विषय के संबंध में विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध उस विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि के, चाहे वह विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या किसी पूर्वतर विधि के, जो विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, किसी उपबंध के विरुद्ध है तो, दोनों दशाओं में, यथास्थिति, संसद द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पूर्वतर विधि अभिभावी होगी और विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी; परन्तु यदि विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अभिभावी होगी। अनुच्छेद 239कक में उपराज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री सहित एक मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया है। नए अनुच्छेद 239कख में यह प्रावधान भी है कि यदि राष्ट्रपति का उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239कक के सभी उपबंधों या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उसे राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[21 दिसम्बर, 1991]

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और
(उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 है। प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 239क के पश्चात्, निम्नलिखित नए अनुच्छेद
अनुच्छेद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्- 239कक और
239कख का

“239कक. (1) संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अंतःस्थापन।
अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ से, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (जिसे इस भाग में इसके
पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र कहा गया है) कहा जाएगा
और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का
पदाभिधान उप-राज्यपाल होगा।

(2) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक
विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा में स्थान राष्ट्रीय
राजधानी राज्यक्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष
निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे।

(ख) विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित
जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय
राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन
(जिसके अंतर्गत ऐसे विभाजन का आधार है) तथा विधानसभा

के कार्यकरण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा।

(ग) अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, किसी राज्य, किसी राज्य की विधानसभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में “समुचित विधानमंडल” के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश है।

(3) (क) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विधानसभा की राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से, जहां तक उनका संबंध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में, जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्यक्षेत्रों को लागू है, सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी।

(ख) उपखंड (क) की किसी बात से संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।

(ग) यदि विधानसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई विधि के, चाहे वह विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या किसी पूर्वतर विधि के, जो विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, किसी उपबंध के विरुद्ध है तो, दोनों दशाओं में, यथास्थिति, संसद द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पूर्वतर विधि, अभिभावी होगी और विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी:

परंतु यदि विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अभिभावी होगी:

परंतु यह और कि इस उपखंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो विधानसभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उप-राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे उन बातों को छोड़कर, उप-राज्यपाल को, उन विषयों के संबंध में जिनकी बाबत विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री-परिषद् होगी जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा:

परन्तु उप-राज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में उप-राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक उप-राज्यपाल किसी ऐसे मामले में, जहां वह विषय उसकी राय में, इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक है वहां, उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा निदेश देने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, सक्षम होगा।

(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य मंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

(6) मंत्री-परिषद् विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(7) संसद, पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के लिए, या उनमें अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उनके आनुषंगिक या पारिणामिक सभी विषयों के लिए, विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी।

(8) अनुच्छेद 239ख के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, उप-राज्यपाल और विधानसभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे क्रमशः पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं; और उस अनुच्छेद में “अनुच्छेद 239क के खंड (1)” के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239कख के प्रति निर्देश है।

सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।

239कख यदि राष्ट्रपति का, उप-राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239कक के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबित कर सकेगा, तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239कक के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992⁴⁴⁰

विधायी इतिहास

संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 जब राज्य सभा में 3 अप्रैल, 1992 को पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992⁴⁴¹ था। विधेयक का आशय भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने हेतु निर्वाचकगण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 में संशोधन करना था। राज्य सभा द्वारा विधेयक पर 29 अप्रैल, 1992 को विचार किया गया और संशोधित रूप में उसी दिन पारित कर दिया गया⁴⁴²। विधेयक लोक सभा द्वारा 7 मई, 1992 को पारित किया गया⁴⁴³। विधेयक का खण्ड 1 राज्य सभा द्वारा “छिहत्तरवां” शब्द के स्थान पर “इकहत्तरवां”⁴⁴⁴ शब्द प्रतिस्थापित करके औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया। राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित, खंड 1 को लोक सभा द्वारा आगे संशोधित करके “इकहत्तरवां” शब्द के स्थान पर “सत्तरवां”⁴⁴⁵ शब्द प्रतिस्थापित किया गया और उसे सभा ने 7 मई, 1992 को स्वीकृत कर लिया⁴⁴⁶।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन विधेयक, 1991 पर विचार करते समय, संसद के दोनों सदनों में संविधान के अनुच्छेद 54 के

440 1992 का विधेयक संख्यांक 30; विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री, श्री के. विजय भास्कर रेड्डी द्वारा 3 अप्रैल 1992 को राज्य सभा में संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, राज्य सभा: 29 अप्रैल 1992; लोक सभा: 7 मई 1992; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात्, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 12 अगस्त 1992; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 13 अगस्त 1992; प्रारम्भ की तारीख: धारा 2, 1 जून 1995 को लागू हुई; धारा 3, 21 दिसम्बर 1991 को लागू हुई।

441 राज्य सभा वाद-विवाद, 3 अप्रैल 1992, कॉलम 9।

442 राज्य सभा वाद-विवाद, 29 अप्रैल 1992, कॉलम 272-332।

443 लोक सभा वाद-विवाद, 7 मई 1992, कॉलम 434।

444 राज्य सभा वाद-विवाद, 29 अप्रैल 1992, कॉलम 321।

445 लोक सभा वाद-विवाद, 7 मई 1992 कॉलम 408।

446 वही, कॉलम 421।

अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण में संघ राज्यक्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित करने के पक्ष में विचार व्यक्त किये गये थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 में एक निर्वाचकगण का उपबंध है जिसमें केवल संसद के और राज्यों (न कि संघ राज्यक्षेत्रों) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसी प्रकार, अनुच्छेद 55 में भी, जिसमें ऐसे निर्वाचन की रीति का उपबंध है, राज्यों की विधानसभाओं की बात है। तदनुसार, अनुच्छेद 54 में यह उपबंध करते हुए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करना अपेक्षित समझा गया कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में “राज्य” के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकगण गठित करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र होंगे। इससे अनुच्छेद 239क के उपबंधों के अधीन पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के लिए सृजित विधानसभा के और अनुच्छेद 239 कक के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए प्रस्तावित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचकगण में सम्मिलित होने में समर्थ होंगे।

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 को, जिसे संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के रूप में अधिनियमित किया गया था, 21 दिसंबर 1991 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। उक्त विधेयक, जो मूलतः लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, अनुच्छेद 239 कक में खंड (7) के उपखंड (ख) को सम्मिलित करने के लिए था। इस प्रस्तावित उपखंड को बाद में निकाल दिया गया था क्योंकि उक्त उपखंड के सम्मिलित किये जाने से आधे से अन्यान्य राज्यों के विधानमंडलों द्वारा विधेयक का अनुसमर्थन करने की आवश्यकता पड़ती और इससे दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए विधानसभा के शीघ्र गठन में विलम्ब होता। उक्त उपखंड (वर्तमान विधेयक का खंड 3) वर्तमान संविधान (संशोधन) विधेयक में भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 21 दिसम्बर 1991 से अंतःस्थापित करने के लिए था। यह भी प्रस्ताव किया गया था कि विधेयक के अन्य खंड, जो अनुच्छेद 54 का संशोधन करने के लिए हैं, के लिए अनुसमर्थन के साथ-साथ इस खंड के लिए राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त किया जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

जबकि इस अधिनियम की धारा 3, भूतलक्षी प्रभाव से 21 दिसम्बर, 1992 को प्रवृत्त हो गई है, धारा 2 उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)

धारा 2 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन किया गया है जिससे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में शामिल किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 239 कक के खंड 7 के उपखंड (क) के बाद एक नया खंड (ख) अंतःस्थापित किया गया है जिसमें यह उपबंध है कि खंड 7 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[12 अगस्त, 1992]

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का नाम संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) इस अधिनियम की धारा 3, 21 दिसम्बर, 1991 को प्रवृत्त मानी जायेगी और धारा 2 उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(2) संविधान के अनुच्छेद 54 के अंत में, निम्नलिखित अनुच्छेद 54 का स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- संशोधन।

“स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में, “राज्य” के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र हैं।”

(3) संविधान के अनुच्छेद 239कक में—

अनुच्छेद
239कक का
संशोधन।

(i) खण्ड (7) में, कोष्ठक और अंक “(7)” के स्थान पर कोष्ठक, अंक और अक्षर “(7) (क)” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) यथासंशोधित खंड (7) में, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विधि को, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992⁴⁴⁷

विधायी इतिहास

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 जब 20 अगस्त, 1992 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 था⁴⁴⁸। विधेयक का आशय कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना था। लोक सभा द्वारा विधेयक पर 20 अगस्त, 1992 को विचार किया गया और उसे यथासंशोधित रूप में उसी दिन पारित कर दिया गया⁴⁴⁹। लोक सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 20 अगस्त, 1992 को विचार किया गया और पारित किया गया⁴⁵⁰। लोक सभा द्वारा विधेयक का खंड 1 “अठहत्तरवें” शब्द को “इकहत्तरवें” शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया⁴⁵¹। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खण्ड 1 राज्य सभा द्वारा 20 अगस्त 1992 को स्वीकृत किया गया⁴⁵²।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को सम्मिलित करने की मांग की जाती रही है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। इस विधेयक का आशय इस विनिश्चय को प्रभावी बनाना था।

447 1992 का विधेयक संख्यांक 142; गृह मंत्री, श्री एस. बी. चव्हाण द्वारा 20 अगस्त 1992 को लोक सभा में संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 20 अगस्त 1992; राज्य सभा: 20 अगस्त 1992; राष्ट्रपति की स्वीकृति: 31 अगस्त 1992; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 1 सितम्बर 1992; प्रारम्भ की तारीख: 31 अगस्त 1992।

448 लोक सभा वाद-विवाद, 20 अगस्त 1992, कॉलम 8।

449 वही, कॉलम 61।

450 राज्य सभा वाद-विवाद, 20 अगस्त 1992, कॉलम 446-467।

451 लोक सभा वाद-विवाद, 20 अगस्त 1992, कॉलम 47।

452 राज्य सभा वाद-विवाद, 20 अगस्त 1992, कॉलम 446।

नेपाली भाषा को कुछ क्षेत्रों में 'गोरखा भाषा' के नाम से भी जाना जाता है। जनगणना अभियानों में 'गोरखाली'; 'गोरखी'; 'गुरखिया'; 'खस्कुरा' अथवा "नेपाली" जैसी अन्य नाम पद्धतियों का भी उपयोग किया गया है। इस विधेयक का आशय उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रभावी करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्ध

संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन और भाषाओं अर्थात् कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है जिससे भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर अठारह हो गई है।
(धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन)

अधिनियम, 1992

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[31 अगस्त, 1992]

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का नाम संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है ।

आठवीं अनुसूची
का संशोधन ।

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में—

(क) विद्यमान प्रविष्टि 7 को प्रविष्टि 8 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि 8 के पूर्व प्रविष्टि “7, कोंकणी” अंतःस्थापित की जाएगी;

(ख) विद्यमान प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 10 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि 10 के पूर्व, प्रविष्टि “9, मणिपुरी” अंतःस्थापित की जाएगी;

(ग) विद्यमान प्रविष्टि 9 से प्रविष्टि 15 तक को क्रमशः प्रविष्टि 12 से प्रविष्टि 18 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि 12 के पूर्व, प्रविष्टि “11, नेपाली” अंतःस्थापित की जाएगी ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992⁴⁵³

विधायी इतिहास

संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 जब 20 दिसम्बर, 1991 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 था⁴⁵⁴। इस विधेयक का आशय त्रिपुरा की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन करना था। इस विधेयक पर लोक सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1992 को विचार किया गया तथा उसे उसी दिन सभा द्वारा पारित कर दिया गया⁴⁵⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा उसी दिन अर्थात् 3 दिसम्बर, 1992 को विचार किया गया तथा उसे पारित कर दिया गया⁴⁵⁶। लोक सभा द्वारा विधेयक का खंड 1 “पचहत्तरवें” शब्द को “बहत्तरवें” शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया⁴⁵⁷। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित, खंड-1 राज्य सभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1992 को स्वीकृत किया गया⁴⁵⁸।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

त्रिपुरा राज्य के क्षेत्रों, जहां पर अशांत परिस्थितियां विद्यमान थी, में शांति और सौहार्द भाव लाने के लिए, भारत सरकार और त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के साथ दिनांक 12 अगस्त, 1988 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त ज्ञापन में राज्य के शासन में जनजातियों

453 1991 का विधेयक संख्यांक 209; गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री एम.एम. जैकब द्वारा लोक सभा में 20 दिसम्बर 1991 को संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 3 दिसम्बर 1992; राज्य सभा: 3 दिसम्बर 1992; राष्ट्रपति की अनुमति: 4 दिसम्बर 1992; राजपत्र में अधिसूचना की तारीख: 4 दिसम्बर 1992; प्रारंभ की तारीख: 5 दिसम्बर 1992।

454 लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 102।

455 वही, 3 दिसम्बर 1992, कॉलम 535।

456 राज्य सभा वाद-विवाद, 3 दिसम्बर 1992, कॉलम 450।

457 लोक सभा वाद-विवाद, 3 दिसम्बर 1992, कॉलम 517।

458 राज्य सभा वाद-विवाद, 3 दिसम्बर 1992, कॉलम 460।

की एक व्यापक भागीदारिता का उपबंध था। उक्त ज्ञापन में संविधान में एक ऐसा संशोधन करने की परिकल्पना की गई थी, जिससे संविधान में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के होते हुए भी त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या उस अनुपात से कम नहीं होगी, जितनी संविधान संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या होगी। यह भी उपबंध किया गया है कि इस संशोधन का त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर विद्यमान विधानसभा का विघटन होने तक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए, त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही की जानी है। राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 332 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। त्रिपुरा राज्य में विद्यमान विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 332 में यह संशोधन करने के लिए प्रस्ताव किया गया कि जब तक संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत वर्ष 2000 के पश्चात् पहली जनगणना के आधार पर स्थानों का पुनः समायोजन नहीं कर दिया जाता, तब तक अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या के निर्धारण के लिए एक अस्थायी उपबंध किया जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)।

संविधान के अनुच्छेद 332 में एक नया खंड 3 (ख) अंतःस्थापित किया गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि वर्ष 2000 के पश्चात् पहली जनगणना के आधार पर, जब तक स्थानों का पुनःसमायोजन नहीं कर दिया जाता तब तक त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए है तथापि इस संशोधन का त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर, विद्यमान विधानसभा का विघटन होने तक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। (धारा 2-3)

संशोधन का पाठ

संविधान (बहत्तरवां संशोधन)

अधिनियम, 1992

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[4 दिसंबर, 1992]

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(ii) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 332 में, खंड (3क) के पश्चात्, अनुच्छेद 332 का संशोधन।
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“3(ख) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा, जो विद्यमान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से है।”

3. संविधान के अनुच्छेद 332 में उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन का त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व पर, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान विधानसभा का विघटन होने तक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992⁴⁵⁹

विधायी इतिहास

16 सितम्बर, 1991 को जब संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तो इसका नाम संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991⁴⁶⁰ था। विधेयक का आशय ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन के लिए संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची और एक नया भाग-भाग-9 अन्तःस्थापित करना था। लोक सभा में 20 दिसम्बर, 1991 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसे उसी दिन⁴⁶¹ स्वीकार किया गया तथा राज्य सभा⁴⁶² द्वारा 21 दिसम्बर 1991 को इसे स्वीकृति दी गयी और विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया।

14 जुलाई, 1992⁴⁶³ को संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। समिति ने सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के कुछ खंडों में संशोधन का सुझाव दिया। संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सभा ने विधेयक पर 1, 2, 4, 21 और 22 दिसम्बर, 1992 को विचार किया तथा कुछ संशोधनों के साथ इसे 22 दिसम्बर, 1992⁴⁶⁴ को पारित कर

459 1991 का विधेयक संख्यांक 158; लोक सभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री जी. वेंकटस्वामी द्वारा 16 सितम्बर 1991 को संविधान (बहत्तरवां) संशोधन विधेयक के रूप में पुरःस्थापित, संयुक्त समिति को भेजा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत: 14 जुलाई 1992; वाद-विवाद, लोक सभा: 1, 2, 4, 21 और 22 दिसम्बर 1992; राज्य सभा: 23 दिसम्बर 1992; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 20 अप्रैल 1993; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 20 अप्रैल 1993; प्रारंभ की तारीख: 24 अप्रैल 1993।

460 लोक सभा वाद-विवाद 16 सितम्बर 1992, कॉलम 95।

461 वही, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 1097।

462 राज्य सभा वाद-विवाद, 21 दिसम्बर 1991, कॉलम 24।

463 लोक सभा वाद-विवाद, 14 जुलाई 1992, कॉलम 666।

464 वही, 22 दिसम्बर 1992, कॉलम 802।

दिया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा ने 23 दिसम्बर, 1992 को विचार किया और उसी दिन⁴⁶⁵ उसे पारित कर दिया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं लम्बे समय से विद्यमान हैं, तथापि यह देखा गया है कि ये संस्थाएं कई कारणों जैसे नियमित निर्वाचनों का न होना, लम्बे समय तक स्थगित रहना, कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शक्तियों का अपर्याप्त न्यागमन और वित्तीय साधनों का अभाव, से व्यावहारिक और प्रभावशील लोक निकायों की हैसियत और महत्व प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी हैं।

संविधान का अनुच्छेद 40, जो राज्य की नीति के एक निदेशक तत्व को प्रतिष्ठापित करता है, यह स्पष्ट करता है कि राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। गत चालीस वर्षों के अनुभव से और पायी गयी खामियों को ध्यान में रखते हुए इस बात को अत्यावश्यक माना गया कि पंचायती राज संस्थाओं को निश्चितता, निरन्तरता और शक्ति प्रदान करने के लिए उनकी कतिपय आधारभूत और अनिवार्य विशेषताओं को संविधान में प्रतिष्ठापित किया जाए।

तदनुसार, यह प्रस्ताव किया गया कि संविधान में, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राम या ग्राम-समूह में ग्राम सभा: ग्राम स्तर और अन्य स्तर या स्तरों पर पंचायतों के गठन; ग्राम स्तर और मध्यवर्ती स्तर, यदि कोई है, पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए तथा ऐसे स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों की सदस्यता के लिए स्थानों और पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण; स्थानों के एक- तिहाई से अन्यून स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण; पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल नियत करने और किसी पंचायत के अतिष्ठित होने की दशा में 6 मास की अवधि के भीतर निर्वाचन कराने; पंचायतों की सदस्यता के लिए निरर्हताओं; राज्य विधान मंडल द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए और विकास संबंधी स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए योजनाओं को तैयार करने की बाबत शक्तियों और उत्तरदायित्वों के न्यागमन: राज्य विधान मंडलों से पंचायतों को राज्य की संचित निधि में से सहायता अनुदान के लिए प्राधिकरण सुनिश्चित करके और अभिहित करें, शुल्कों, पथकरों और फीसों के राजस्व का पंचायतों को समनुदेशन करके या विनियोग द्वारा पंचायतों के ठोस वित्तपोषण; प्रस्तावित संशोधन के एक वर्ष और उसके पश्चात् प्रत्येक 5 वर्ष के भीतर पंचायतों की वित्तीय

465 राज्य सभा वाद-विवाद, 23 दिसम्बर 1992, कॉलम 221।

स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना; पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने; राज्य विधानमंडलों की पंचायतों के निर्वाचनों के संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन उपबंध करने की शक्तियों; उक्त भाग के उपबंधों के संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होने; कतिपय राज्यों और क्षेत्रों का उक्त भाग के उपबंधों के लागू होने से अपवर्जन करने; विद्यमान विधियों और पंचायतों का प्रस्तावित संशोधन के प्रारंभ से एक वर्ष तक जारी रखने और पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन करने के लिए उपबंध करने हेतु संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया भाग जोड़ा जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)

संविधान में एक नया भाग अर्थात् भाग नौ अंतःस्थापित किया गया है जिसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243क से 243ण अंतर्विष्ट हैं।

परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद 243 में विभिन्न पदों की परिभाषा निम्नवत् दी गई है: “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है; “ग्राम सभा” से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है: “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का स्तर अभिप्रेत है जो किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर विनिर्दिष्ट किया जाए: “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है: “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है; “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं; “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी शामिल है। (धारा 2)

ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्य करने की शक्ति है जो राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 243क के अधीन विधि द्वारा, उपबन्ध करे।

अनुच्छेद 243ख में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का उपबंध है। तथापि, जिस राज्य की जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जायेंगी।

अनुच्छेद 243ग के अनुसार किसी राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंध था कि किसी भी स्तर पर पंचायत के पंचायती क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में एक ही होगा। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र ऐसी रीति से जैसा उपबंधित है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और पंचायत के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। राज्य का विधानमंडल पंचायतों के अध्यक्षों का ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर पंचायतों में; लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों का, जहां वे;

(I) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में;

(II) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित की जाए, किया जाएगा; और मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

अनुच्छेद 243घ में सीटों और अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणी की महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध है।

अनुच्छेद 243 (ड) के अधीन प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

अनुच्छेद 243घ में पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हता का उपबंध है। यदि किसी व्यक्ति को सम्बद्ध राज्य के विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए निरर्ह किया जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए निरर्ह नहीं किया जायेगा यदि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गये किसी कानून द्वारा अथवा इसके अंतर्गत उसे निरर्ह किया गया है। राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी का उपबंध करने का अधिकार है जो किसी भी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न के संबंध में किसी भी मामले का निर्णय करेगा।

अनुच्छेद 243छ के अधीन राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्तशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित योजनाएं कार्यान्वित करने के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे।

अनुच्छेद 243ज के अधीन राज्य विधानमंडल को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस, उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए पंचायत को प्राधिकृत करने; ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस किसी पंचायत को समनुदेशित करने, पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध करने और पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबन्ध करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 243झ के अधीन इस अधिनियम द्वारा राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य द्वारा उग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण; ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो पंचायतों को समनुदेशित किए जाएं या उनके द्वारा विनियोजित किए जाएं; राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान, पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय; किसी अन्य विषय की बाबत, जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्तपोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए, के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने हेतु वित्त आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा विधानमंडल, आयोग की संरचना, सदस्यों की अर्हताएं, और उनके चयन के लिए उपबन्ध कर सकेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा उसे प्रदान करे। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 243ञ के अधीन राज्य का विधानमंडल, पंचायतों द्वारा लेखे बनाए रखने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने की बाबत, विधि द्वारा, उपबन्ध कर सकेगा।

अनुच्छेद 243ट के अधीन, पंचायतों के निर्वाचन कराने के लिए मतदाता सूचियों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का कार्य राज्य चुनाव आयोग को सौंपा जायेगा जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा। आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जायेगा।

अनुच्छेद 243ठ में उपबंध है कि संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993 में नए अंतःस्थापित भाग 9 के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होंगे। तथापि, राष्ट्रपति को यह निदेश देने की शक्ति प्रदत्त है कि वह निदेश दे कि इस भाग के उपबन्ध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।

अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम में अनुच्छेद 243ण के अधीन उपबंध है कि अनुच्छेद 243ट के अधीन बनाई गई या बनाई जानी तात्पर्यित किसी ऐसी विधि को, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, विधिमान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जायेगी। इसके अलावा किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी की ओर ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई हो जिसका राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाए, अन्यथा नहीं।

अधिनियम द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची अंतःस्थापित की गयी है जो उन मामलों से संबंधित है जो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा पंचायतों को शक्तियां और उत्तरदायित्व के रूप में विकसित की जाएं। (धारा 4)

संशोधन का पाठ

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन)

अधिनियम, 1992

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[20 अप्रैल, 1993]

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और
(तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है। प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के भाग 8 के पश्चात् निम्नलिखित भाग नए भाग 9 का
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— अंतःस्थापन।

भाग 9

पंचायतें

243. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित परिभाषाएँ।
न हो —

(क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;

(ख) “ग्राम सभा” से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के
भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में
रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है;

(ग) “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का
ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस
भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती
स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(घ) “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख
के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह
किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है;

(ड) “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(च) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं; और

(छ) “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।

ग्राम सभा।

243क. ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं।

पंचायतों का गठन।

243ख. (1) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है।

पंचायतों की संरचना।

243ग. (1) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा:

परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।

(2) किसी पंचायत के सभी स्थान, पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो।

(3) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा:—

(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में;

(ग) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में;

(घ) राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का, जहां वे—

(i) मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में;

(ii) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(4) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा।

(5) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित की जाए, किया जाएगा; और

(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

243घ. (1) प्रत्येक पंचायत में—

(क) अनुसूचित जातियों; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों;

के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित

स्थानों का
आरक्षण।

स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आबंटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा उपबंधित करे:

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है:

परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:

परन्तु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित की जाएगी।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

243ड. (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं।

पंचायतों की अवधि, आदि।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन,—

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जाएगा:

परन्तु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

सदस्यता के लिए निरर्हताएं। 243च. (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:

परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।

243छ. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्—

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमों भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना।

243ज. किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा,—
(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसों उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा;

पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसों किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी, उपबंध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

243झ. (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात्, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो—

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।

(क) (i) राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्यापनों के बारे में;

(ग) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा।

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा।

243ज. किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

पंचायतों के लिए निर्वाचन।

243ट. (1) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा अवधारित करे:

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया

जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(4) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।

243ठ. इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रति निर्देश हों:

संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना।

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

243ड. (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।

(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात्-

(क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य;

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं।

(3) इस भाग की—

(क) कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान हैं;

(ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) खण्ड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, खंड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय, यदि कोई हों, उस राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है;

(ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार, खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।

243ड. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा:

परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा

में, जिसमें विधान परिषद है, उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

243ण. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी — निर्वाचन संबंधी

(क) अनुच्छेद 243ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने वाले मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।
के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

3. संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— अनुच्छेद 280 का संशोधन।

“(खख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;”

4. संविधान की दसवीं अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित ग्यारहवीं अनुसूची अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— का जोड़ा जाना।

ग्यारहवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 243छ)

1. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास।
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट पालन।

5. मत्स्य उद्योग ।
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी ।
7. लघु वन उपज ।
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं ।
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग ।
10. ग्रामीण आवासन ।
11. पेय जल ।
12. ईंधन और चारा ।
13. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन ।
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है ।
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत ।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
17. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं ।
18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ।
19. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा ।
20. पुस्तकालय ।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप ।
22. बाजार और मेले ।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं ।
24. परिवार कल्याण ।
25. महिला और बाल-विकास ।
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है ।
27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण ।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992⁴⁶⁶

विधायी इतिहास

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 जब 16 सितम्बर, 1991 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया, तब इसका नाम संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991⁴⁶⁷ था। इस विधेयक का आशय स्थानीय नगर निकायों के गठन एवं संरचना से संबंधित भाग-9क तथा बारहवीं अनुसूची को संविधान में शामिल करना था। लोक सभा में 20 दिसम्बर, 1991⁴⁶⁸ को प्रस्तुत तथा उसी दिन स्वीकृत संकल्प पर, जिसे राज्य सभा⁴⁶⁹ द्वारा 21 दिसम्बर, 1991 को सहमति प्रदान की गई, इस विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को भेज दिया गया।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन लोक सभा को 14 जुलाई, 1992⁴⁷⁰ को प्रस्तुत किया गया। समिति ने लोक सभा में यथापुरःस्थापित विधेयक के कुछ खंडों में संशोधन करने का सुझाव दिया। संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक पर सभा द्वारा 1, 2, 4, 21 और 22 दिसम्बर, 1992 को विचार किया गया था और कुछ उपांतरणों के साथ 22 दिसम्बर, 1992⁴⁷¹ को पारित कर दिया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित इस विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 23 दिसम्बर, 1992 को विचार किया गया और उसी दिन⁴⁷² पारित कर दिया गया।

466 1991 का विधेयक संख्यांक 159; शहरी विकास मंत्री, श्रीमती शीला कौल द्वारा लोक सभा में 16 सितम्बर 1991 को संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; संयुक्त समिति को भेजा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत: 14 जुलाई 1992; वाद-विवाद, लोक सभा: 1, 2, 4, 21 और 22 दिसम्बर 1992; राज्य सभा: 23 दिसम्बर 1992; संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित, नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा; राष्ट्रपति की अनुमति: 20 अप्रैल 1993; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 20 अप्रैल 1993; प्रारंभ की तारीख: 1 जून 1993।

467 लोक सभा वाद-विवाद, 16 सितम्बर 1991, कॉलम 100।

468 वही, 20 दिसम्बर 1991, कॉलम 1100।

469 राज्य सभा वाद-विवाद, 21 दिसम्बर 1991, कॉलम 25।

470 लोक सभा वाद-विवाद, 14 जुलाई 1992, कॉलम 666।

471 वही, 22 दिसम्बर 1992, कॉलम 903।

472 राज्य सभा वाद-विवाद, 23 दिसम्बर 1992, कॉलम 213-238।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

बहुत से राज्यों में स्थानीय निकाय अनेक कारणों से, जिनमें नियमित निर्वाचन कराने में विफलता, लम्बे अरसे तक अधिक्रमण और शक्तियों तथा कृत्यों का अपर्याप्त न्यागमन भी हैं, कमजोर और प्रभावहीन हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप नगर निकाय और स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन की जीवन्त लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं हैं।

इन अपर्याप्तताओं को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक समझा गया कि स्थानीय नगर निकायों से संबंधित उपबन्ध संविधान में, विशिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए जोड़े जाएं:

(i) राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों के बीच निम्नलिखित के बारे में संबंधों को सुदृढ़ आधार प्रदान करना, अर्थात्:

- (क) उनके कृत्य और कराधान की शक्तियां; और
- (ख) राजस्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था;
- (ii) निर्वाचनों का नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित करना;
- (iii) अधिक्रमण की दशा में समय पर निर्वाचन कराया जाना सुनिश्चित करना; और
- (iv) दुर्बल वर्गों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबन्ध करना।

तदनुसार, संविधान में स्थानीय नगर निकायों से संबंधित एक नया भाग निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिए जोड़ा जाना प्रस्तावित था:

(क) तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन:

- (i) ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में संक्रमणाधीन क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतें;
- (ii) लघुत्तर नगर क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषदें;
- (iii) बृहत्तर नगर क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

उक्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने के लिए विस्तृत मानदंड का उपबन्ध प्रस्तावित अनुच्छेद 243ण में किया जा रहा है।

(ख) नगरपालिकाओं की संरचना, जिसका विनिश्चय राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित मुख्य बातें होंगी:

- (i) प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति;
- (ii) नगरपालिकाओं में वार्ड या अन्य स्तरों पर समितियों के, यदि कोई हों, अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व;

(iii) नगरपालिकाओं के नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व (मतदान के अधिकारों के बिना);

(ग) नगरपालिका के अध्यक्षों का राज्य विधि में विनिर्दिष्ट रीति से निर्वाचन;

(घ) जैसाकि राज्य विधि में उपबंध किया जाए, नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड स्तर या अन्य स्तर या स्तरों पर समितियों का गठन;

(ड) प्रत्येक नगरपालिका में निम्नलिखित के लिए स्थानों का आरक्षण:

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में जिसमें से कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए होंगे;

(ii) महिलाओं के लिए, जो कुल स्थानों के एक-तिहाई से कम नहीं होगा;

(iii) पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में, यदि राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसा उपबन्ध किया जाए;

(iv) अध्यक्षों के पद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए, जैसाकि राज्य विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(च) नगरपालिका के लिए पांच वर्ष का नियत कार्यकाल और कार्यकाल की समाप्ति के छह माह के भीतर पुनः निर्वाचन। यदि कोई नगरपालिका अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटित कर दी जाती है तो उसके विघटन के छह मास की अवधि के भीतर निर्वाचनों का कराया जाना;

(छ) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए और विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए, जो कि उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हों, योजनाएं तैयार करने के बारे में राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का न्यागमन;

(ज) नगरपालिकाओं द्वारा करों और शुल्कों का उद्ग्रहण, राज्य सरकारों द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसे करों और शुल्कों का समनुदिष्ट किया जाना तथा राज्य द्वारा नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान देना, जैसाकि राज्य विधि में उपबन्ध किया जाए;

(झ) नगरपालिकाओं के वित्तीय साधनों का पुनर्विलोकन करने और निम्नलिखित के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग—

(1) ऐसे करों का अवधारण जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट किए जाएं;

(2) राज्य और नगरपालिकाओं के बीच करों की हिस्सेदारी;

(3) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान;

(ज) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नगर निगमों के लेखाओं की संपरीक्षा और राज्य के विधानमंडल तथा संबंधित नगर निगम के समक्ष रिपोर्ट रखना;

(ट) राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कराए जाने वाले नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के बारे में, राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाना;

(ठ) विधेयक के उपबंधों का किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग को ऐसे उपांतरणों के साथ लागू किया जाना जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ड) अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड (2) में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को विधेयक के उपबंधों के लागू होने से छूट देना। विधेयक के उपबंधों का ऐसे क्षेत्रों में विस्तार संसद द्वारा, विधि द्वारा किया जाना;

(ढ) नगरपालिका की सदस्यता के लिए निरर्हताएं;

(ण) नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)

संविधान में नगरपालिका से संबंधित एक नया भाग अर्थात् भाग 9क जिसमें अनुच्छेद 243त से 243यछ सम्मिलित हैं, अंतःस्थापित किया गया है। (धारा 2)

अनुच्छेद 243त अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न निबंधनों की परिभाषा से संबंधित है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सम्मिलित है: “समिति” से अनुच्छेद 243ध के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है; “जिला” से राज्य का जिला अभिप्रेत है; “महानगर क्षेत्र” से यह अभिप्रेत है कि इस क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख या इससे अधिक हो तथा इसमें एक या दो जिले हों और दो अथवा दो से अधिक नगरपालिकाएं अथवा पंचायतें अथवा अन्य जुड़े हुए क्षेत्र हों, जो राज्यपाल द्वारा भाग-9क के प्रयोजनों हेतु लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जाएं; “नगरपालिका” से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है; “पंचायत” से 243ख के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है; “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।

अनुच्छेद 243थ के अधीन इस अधिनियम में संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, एक नगर पंचायत के गठन का उपबंध है, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र; लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका परिषद और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम। किसी नगरपालिका का

ऐसे नगरीय क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग में गठन नहीं किया जा सकता जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार तथा इस क्षेत्र में औद्योगिक स्थापना द्वारा प्रदान की जा रही अथवा प्रदान की जाने वाली नगरीय सेवाओं और अन्य कारणों, जिन्हें वह उचित समझे, के अनुसार लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट करे।

“संक्रमणशील क्षेत्र”, “लघुतर नगर क्षेत्र” या “बृहत्तर नगर क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृषि एतद् कार्यकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, क्षेत्र का आर्थिक महत्व जैसे कारकों के आधार पर राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अनुच्छेद 243द में उपबंध है कि किसी नगरपालिका के सभी स्थान, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे। किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिका में:

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का (परंतु ऐसे व्यक्ति नगरपालिका की बैठकों में मत देने के पात्र नहीं हैं);

(ii) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं;

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(iv) अनुच्छेद 243ध के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

राज्य विधानमंडल को नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन कराने के तरीके का उपबंध करने का भी अधिकार है।

इस अधिनियम के अनुच्छेद 243ध में तीन लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक वार्डों की वार्ड समिति गठित करने का उपबंध भी है। राज्य विधानमंडल को वार्ड समिति की संरचना और प्रादेशिक क्षेत्र, वार्ड समिति में सीटों को भरने की रीति से संबंधित उपबंध करने का अधिकार है। वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली नगरपालिका का सदस्य इस समिति का भी सदस्य होगा। जहां वार्ड समिति में एक वार्ड हो, वहां ऐसे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला उस वार्ड का अध्यक्ष होगा। यदि उसमें दो या अधिक वार्ड हों तो वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा।

विधानमंडल को वार्ड समितियों के अलावा समिति गठित करने के लिए उपबंध करने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 243 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित करने का उपबंध है तथा इन कुल सीटों में से एक-तिहाई से अन्यून सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ स्त्रियों के लिए कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित की जायेंगी तथा ऐसी सीटें चक्रानुक्रम से आवंटित की जायेंगी। राज्य का विधानमंडल पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए भी सीटों के आरक्षण का उपबंध कर सकेगा।

अनुच्छेद 243प के अधीन प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल, यदि इसे पहले भंग न कर दिया जाये, पांच वर्ष का होगा। नगरपालिका को भंग किये जाने से पहले उसे सुने जाने का उचित अवसर दिया जायेगा। नगरपालिका का निर्वाचन इसके पांच वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले और इसे भंग किये जाने की तिथि से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

अनुच्छेद 243फ के अधीन कोई भी व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए निरर्ह होगा यदि उसे संबंधित राज्य विधानमंडल का निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्ह कर दिया जाता है। परंतु जो व्यक्ति इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो उसे पच्चीस वर्ष की आयु से कम होने के आधार पर निरर्ह नहीं किया जायेगा। किसी व्यक्ति को यदि उसे इस प्रकार या किसी राज्य की विधि के अंतर्गत निरर्ह किया गया हो तब भी निरर्ह किया जाएगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई सदस्य निरर्ह हो गया है तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

अनुच्छेद 243ब में उपबंध है कि राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दे सकेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें; आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए स्कीमें तैयार कर सकें, उन्हें सौंपे गए कार्य कर सकें तथा बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित स्कीमों सहित उन्हें सौंपी गई स्कीमों कार्यान्वित कर सकें।

अनुच्छेद 243भ के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा नगरपालिका को ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों को उद्ग्रहित, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने, ऐसे प्रयोजनों हेतु तथा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित तथा संग्रहित ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को किसी नगरपालिका को समनुदेशित करने के लिए प्राधिकृत करने, राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान देने तथा धन को, जैसा विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए, जमा करने और निकालने के लिए निधियों का गठन करने के अधिकार के लिए प्राधिकृत किया जाए।

अनुच्छेद 243म में उपबंध है कि अनुच्छेद 243झ के अंतर्गत गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन भी करेगा तथा राज्यपाल को उन सिद्धांतों जो, राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वित्तीय संबंधों को विनियमित करने तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपायों, के संबंध में सिफारिशें करेगा। राज्यपाल प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवायेगा।

अनुच्छेद 243य के अधीन राज्य का विधानमंडल नगरपालिकाओं के लेखाओं के रख-रखाव और लेखापरीक्षा के संबंध में उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 243यक में उपबंध है कि नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियां तैयार करने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण तथा निर्वाचन करवाना राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तथापि, राज्य के विधानमंडल को निर्वाचनों से संबंधित सभी विषय के संबंध में उपबंध करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

भाग 9क के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होंगे बशर्ते कि राष्ट्रपति कुछ अपवादों और उपांतरणों सहित ऐसे उपयोजन का लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे। तथापि, भाग 9क के उपबंध अनुच्छेद 244 के खंड (1) में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों तथा खंड (2) में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक संसद इस संबंध में कानून न बना ले तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कार्यों और शक्तियों पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।

अधिनियम में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति गठित करने तथा सम्पूर्ण जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करने का उपबन्ध है। राज्य के विधानमंडल को समिति, आदि की संरचना तथा इसके कार्यों के लिए उपबन्ध करने की शक्ति प्राप्त होगी। इसी तरह, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति गठित की जायेगी जो सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक प्रारूप विकास योजना तैयार करेगी। राज्य के विधानमंडल को समिति, आदि की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 243यच विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं के बने रहने से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 243यछ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप करने पर रोक लगाता है।

अधिनियम में एक नई बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें नगरपालिका द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य और उत्तरदायित्व अंतर्विष्ट हैं।

संशोधन का पाठ

संविधान (चौहत्तरवां संशोधन)

अधिनियम, 1992

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[20 अप्रैल, 1993]

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नए भाग 9क का
अंतःस्थापन।

2. संविधान के भाग 9 के पश्चात् निम्नलिखित भाग
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

भाग 9 क

नगरपालिकाएं

परिभाषाएं।

243त. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा
अपेक्षित न हो,-

(क) “समिति” से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित
समिति अभिप्रेत है;

(ख) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है;

(ग) “महानगर क्षेत्र” से दस लाख या उससे अधिक
जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक
जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या
पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे
राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना
द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(घ) “नगरपालिका क्षेत्र” से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित
किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) “नगरपालिका” से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है;

(च) “पंचायत” से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है; और

(छ) “जनसंख्या” से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं।

243थ. (1) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबंधों के अनुसार,- नगरपालिकाओं का गठन।

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात्, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो);

(ख) किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद का; और

(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का, गठन किया जाएगा:

परंतु इस खण्ड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

(2) इस अनुच्छेद में, “संक्रमणशील क्षेत्र”, “लघुतर नगरीय क्षेत्र” या “वृहत्तर नगरीय क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

243द. (1) खंड (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी नगरपालिका के सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र नगरपालिकाओं की संरचना।

में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे।

(2) किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा,-

(क) नगरपालिका में-

(i) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का;

(ii) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं;

(iii) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं;

(iv) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का,

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा:

परंतु पैरा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा।

वार्ड समितियों,
आदि का गठन
और संरचना।

243ध. (1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी।

(2) राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा,-

(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत;

(ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे,
उपबंध कर सकेगा।

(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।

(4) जहां कोई वार्ड समिति,—

(क) एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या

(ख) दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा,

इस समिति का अध्यक्ष होगा।

(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित करती है।

243न. (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उपबन्धित करे।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

नगरपालिकाओं की अवधि, आदि।

243प. (1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं:

परंतु किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगरपालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(3) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन,-

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जाएगा:

परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती।

243फ. (1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहित होगा- सदस्यता के लिए निरहताएं।

(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है:

परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी नगरपालिका का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

243ब. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा,— नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।

(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में

शक्तियों और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् –

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;

(ii) ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत ये स्कीमों भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना;

(ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अंतर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां।

243भ. किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा—

(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसों उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसों किसी नगरपालिका को, ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, समनुदिष्ट कर सकेगा;

(ग) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध कर सकेगा; और

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

वित्त आयोग।

243म. (1) अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और जो—

(क) (i) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों के राज्य और नगरपालिकाओं के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो नगरपालिकाओं को समनुद्दिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में:

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;

(ग) नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

(2) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

243य. किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा।

243यक. (1) नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, अनुच्छेद 243ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन।

(2) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबन्ध कर सकेगा।

243यख. इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना।

प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रति निर्देश हों:

परन्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबन्ध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।

243यग. (1) इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और इसके खंड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी।

(2) इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है।

(3) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

जिला योजना के लिए समिति।

243यघ. (1) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(2) राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) जिला योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे:

परंतु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम चार बटा पांच सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुद्दिष्ट किए जाएं;

(घ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे।

(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,-

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात् :-

(i) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है:

(ii) उपलब्ध वित्तीय या अन्य साधनों की मात्रा और प्रकार:

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।

243यड. (1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। महानगर योजना के लिए समिति।

(2) राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) महानगर योजना समितियों की संरचना;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे:

परन्तु ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, अपने में से, उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे;

(ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(घ) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं;

(ङ) वह रीति जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे।

(3) प्रत्येक महानगर योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्

(i) महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं;

(ii) नगरपालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है;

(iii) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्विकताएं;

(iv) उन विनिधानों की मात्रा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधन।

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।

243यच. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा:

विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना।

परन्तु ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद है, उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

243यछ. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

(क) अनुच्छेद 243यक के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाए, अन्यथा नहीं।

3. संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (ग) को उपखंड (घ) के रूप में पुनराक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनराक्षरांकित उपखंड (घ) के पूर्व निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अनुच्छेद 280 का संशोधन।

“(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्यापार्यों के बारे में।”

बारहवीं अनुसूची
का जोड़ा जाना।

4. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित
अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्-

**“बारहवीं अनुसूची
(अनुच्छेद 243ब)**

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।
4. सड़कें और पुल।
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध।
7. अग्निशमन सेवाएं।
8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि।
9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा।
10. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।
12. नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।
14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह।
15. कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है।
17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं।
18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994⁴⁷³

विधायी इतिहास

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994 जब 14 जुलाई, 1992 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तो उस समय इसका नाम संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992⁴⁷⁴ था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 323ख में संशोधन करना था।

विधेयक पर 24 और 25 अगस्त, 1993 को लोक सभा द्वारा विचार किया गया और उसे उसी दिन, संशोधित रूप में, पारित कर दिया गया ⁴⁷⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 26 अगस्त, 1993 को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया ⁴⁷⁶।

लोक सभा द्वारा विधेयक का खंड 1 “सतहत्तरवें” शब्द को “पचहत्तरवें” शब्द से प्रतिस्थापित करने वाले औपचारिक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया। लोक सभा द्वारा यथासंशोधित खंड 1 राज्य सभा द्वारा 26 अगस्त 1993 को स्वीकृत किया गया⁴⁷⁷।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

किराया नियंत्रण विधान, आज जिस रूप में विभिन्न राज्यों में लागू हैं, उनमें बड़ी खामियां हैं

473 1992 का विधेयक संख्यांक 103; लोक सभा में: शहरी विकास मंत्री श्रीमती शीला कौल द्वारा 14 जुलाई 1992 को संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 24 और 25 अगस्त 1993; राज्य सभा: 26 अगस्त 1993; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की अपेक्षा के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 5 फरवरी 1994; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 8 फरवरी 1994; प्रारम्भ की तारीख: 15 मई 1994।

474 लोक सभा वाद-विवाद, 14 जुलाई 1992, कॉलम 671।

475 वही, 25 अगस्त 1993, कॉलम 355-365।

476 राज्य सभा वाद-विवाद, 26 अगस्त 1993, कॉलम 326।

477 लोक सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1993, कॉलम 355; राज्य सभा वाद-विवाद, 26 अगस्त 1993, कॉलम 329।

और उनके अनेक अनपेक्षित परिणाम निकले हैं। इन हानिकारक विधिक परिणामों में से कुछ हैं, जैसे बढ़ती हुई और अंतहीन मुकदमों की बढ़ती संख्या, समय पर न्याय प्रदान करने में न्यायालयों की असमर्थता, ऐसे व्यवहारों और पद्धतियों का विकास जिनसे किराया संबंधी विधानों के प्रवर्तन से बचा जा सके, और किराये के मकानों की उपलब्धता में अनवरत कमी।

उच्चतम न्यायालय ने देश में किराया संबंधी मुकदमों की खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, *प्रभाकरण नायर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य* (1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 506 और अन्य रिट याचिकाएं) के मामले में यह मत व्यक्त किया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों पर से किराया संबंधी मुकदमों का भारी बोझ हटाया जाना चाहिए। अपीलों की निःश्रेणियों में कमी की जानी चाहिए। विधि सरल, सुगम्य और स्पष्ट होनी चाहिए। मुकदमे शीघ्र समाप्त होने चाहिए। अखिल भारतीय आधार पर ऐसे राष्ट्रीय किराया अधिकरण की स्थापना के विचार की समीक्षा की जानी चाहिए जिसकी प्रक्रिया द्रुततर हो।

किराया संबंधी मुकदमा लड़ने वालों को समय पर अनुतोष प्रदान करने के लिए संविधान के भाग 14क के अनुच्छेद 322ख का संशोधन करने का प्रस्ताव था जिससे कि अपीलों की निःश्रेणियों को कम करने और संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के सिवाय, सभी न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर किराया अधिकरणों की स्थापना करने के लिए उपबन्ध किया जा सके।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 323ख, जो न्यायाधिकरणों द्वारा कतिपय मामलों के अधिनिर्णयन/विचारण से संबंधित उपबंधों के बारे में है, के खंड (2) में एक नया उप खंड (ज) अंतःस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है ताकि मकान मालिकों और किरायेदारों के अधिकार, हक और हित सहित किराया, इसके विनियमन और नियंत्रण तथा किरायेदारी संबंधी विवादों के बारे में किसी विवाद, शिकायत अथवा अभियोग के अधिनिर्णयन अथवा विचारण के लिए उपबंध किया जा सके। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन)

अधिनियम, 1994

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[5 फरवरी, 1994]

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और
(पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994 है। प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 323ख के खंड (2) में- 323ख का

(क) उपखंड (ज) और उपखंड (झ) को उपखंड (झ)
और उपखंड (ज) के रूप में पुनराक्षरांकित किया जाएगा और
इस प्रकार पुनराक्षरांकित उपखंड (झ) के पूर्व निम्नलिखित
उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

संशोधन।

“(ज) किराया, उसका विनियमन और नियंत्रण तथा
किराएदारी संबंधी विवादक, जिनके अंतर्गत मकान मालिकों
और किराएदारों के अधिकार, हक और हित हैं;”

(ख) इस प्रकार पुनराक्षरांकित उपखंड (झ) में, “(छ)”
कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “(ज)” कोष्ठक और अक्षर
प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) इस प्रकार पुनराक्षरांकित उपखंड (ज) में, “(ज)”
कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “(झ)” कोष्ठक और अक्षर
प्रतिस्थापित किए जाएंगे।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994⁴⁷⁸

विधायी इतिहास

राज्य सभा में 24 अगस्त 1994 को पुरःस्थापित करते समय संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994 का नाम संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 1994 था⁴⁷⁹। इस विधेयक का आशय संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था।

इस विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 24 अगस्त 1994 को विचार किया गया और उसी दिन⁴⁸⁰ संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994 का संक्षिप्त नाम बदलकर औपचारिक संशोधनों⁴⁸¹ के साथ इसे पारित कर दिया गया। राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर लोक सभा ने 25 अगस्त 1994⁴⁸² को विचार किया और पारित कर दिया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण की नीति और लोक सेवाओं में विभिन्न पदों की नियुक्तियों का इतिहास तमिलनाडु में बहुत पुराना है, जो कि वर्ष 1921 में प्रारंभ होता है। आरक्षण की सीमा में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बहुसंख्यक जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप वृद्धि की जाती रही है और अब यह 69% (18% अनुसूचित जातियां, 1% अनुसूचित जनजातियां और 50% अन्य पिछड़े वर्ग) के स्तर तक पहुंच गई है।

478. 1994 का विधेयक संख्यांक 66; कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी द्वारा 24 अगस्त 1994 को राज्य सभा में संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक के रूप में यथापुरःस्थापित, वाद-विवाद, राज्य सभा: 24 अगस्त 1994; लोक सभा: 25 अगस्त 1994; राष्ट्रपति की अनुमति: 31 अगस्त 1994; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 1 सितम्बर 1994; प्रारम्भ की तारीख: 31 अगस्त 1994।

479. राज्य सभा वाद-विवाद, 24 अगस्त 1994, कॉलम 229।

480. वही, 24 अगस्त 1994, कॉलम 230।

481. वही, कॉलम 270।

482. लोक सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1974, कॉलम 460-506।

उच्चतम न्यायालय ने 16 नवम्बर 1992 के *इन्द्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* (ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 477) में यह अभिनिर्धारित करते हुए अपना निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16 (4) के अधीन कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

शैक्षणिक वर्ष 1993-94 के लिए शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में आया। मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तमिलनाडु सरकार उस शैक्षणिक वर्ष के दौरान अब तक अपनाई गई अपनी आरक्षण की नीति को जारी रख सकती थी और यह कि शैक्षणिक वर्ष 1994-95 के दौरान आरक्षण की मात्रा कम करके 50% की जाए। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के विनिर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका फाइल की जिससे कि राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति की अभिपुष्टि की जा सके और जिससे कि पिछड़े वर्गों की उन्नति जारी रखना सुनिश्चित किया जा सके। तथापि भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया कि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

तमिलनाडु विधानसभा के 9 नवम्बर 1993 को हुए विशेष सत्र में एकमत से केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा करने के लिए संकल्प पारित किया गया कि भारत के संविधान में संशोधन में उपयुक्त संशोधन करने के लिए तुरंत उपाय करे जिससे कि तमिलनाडु सरकार को सरकारी सेवाओं में और शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए 69% आरक्षण की नीति, जैसी कि वह इस समय है, जारी रखने के लिए समर्थ बनाया जा सके। तमिलनाडु में 26 नवम्बर 1993 को सभी दलों की एक बैठक भी यह आग्रह करने के लिए आयोजित की गयी कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और उन्नति के लिए 69% आरक्षण का निरंतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में कोई शंका या विलंब नहीं होना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने एक विधान, अर्थात् तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (शिक्षा संस्थाओं में स्थानों का और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) विधेयक, 1993 अधिनियमित किया और उसे भारत सरकार को संविधान के अनुच्छेद 31ग के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा।

विषय की महत्ता और संवेदनशील प्रवृत्ति को देखते हुए संघ के गृह मंत्री द्वारा 13 जुलाई 1994 को राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विधेयक के उपबंधों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक आयोजित की गई। नेताओं के बीच आम सहमति यह थी कि विधेयक पर अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार राष्ट्रपति ने 19 जुलाई 1994 को विधेयक पर अपनी अनुमति दे दी।

तदनुसार, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों का और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 को, 1994 के तमिलनाडु अधिनियम संख्यांक 45 के रूप में 19 जुलाई, 1994 को अधिसूचित किया।

तमिलनाडु सरकार ने 22 जुलाई 1994 को भारत सरकार से अनुरोध किया कि उपर्युक्त 1994 का तमिलनाडु अधिनियम 45, नीचे दिये गये कारणों से संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए:

उक्त अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31ग को आकर्षित करता है, चूंकि यह अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और खंड (ग) तथा अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 46 के क्षेत्र के अंतर्गत आता है- देखें अधिनियम की धारा 2। यह अधिनियम, संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्व और विशिष्टतया संविधान के अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) तथा अनुच्छेद 46 का अवलम्ब लेते हुए पारित किया गया है। चूंकि अधिनियम, अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) में, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्विष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए है, अतः उक्त अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 31ग का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा और इसलिए उस पर संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अधीन आक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 के प्रति निर्देश में, 50% से अधिक आरक्षण को उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि भारत सरकार से इस अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया जाए जिससे कि उस विधि पद संविधान के भाग 3 में अन्तर्विष्ट मूल अधिकारों में से किसी का, जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 हैं, अतिक्रमण करने का आक्षेप नहीं किया जा सके और उसे संविधान के अनुच्छेद 31ख के अधीन संरक्षण प्राप्त हो जाए।

भारत सरकार ने राज्य विधान के उपबन्ध के तमिलनाडु विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति देकर पहले ही समर्थन दे दिया है। इस विनिश्चय के परिणामस्वरूप अब यह आवश्यक है कि तमिलनाडु अधिनियम (1994 का 45) को संविधान की नौवीं अनुसूची के क्षेत्र में लाया जाये, जिससे कि उसे न्यायिक पुनर्विलोकन की बाबत संविधान के अनुच्छेद 31ख के अधीन संरक्षण प्राप्त हो जाए। अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

इस अधिनियम के माध्यम से स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रविष्टि 257क संविधान की नौवीं अनुसूची में जोड़ी गई जिसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि उक्त अधिनियमिति को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि यह मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग तीन के किन्हीं उपबंधों के संगत नहीं है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[31 अगस्त, 1994]

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994 है।

2. संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 257 के पश्चात् नौवीं अनुसूची
और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित
की जाएगी, अर्थात्:-

“257क. तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति (राज्य के अधीन शिक्षा
संस्थाओं में स्थानों और सेवाओं में नियुक्तियों या पदों
का आरक्षण) अधिनियम, 1993 (1994 का तमिलनाडु
अधिनियम 45)।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995⁴⁸³

विधायी इतिहास

उच्चतम न्यायालय ने *इन्द्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* एआईआर 1993 एससी 477 के मामले में संविधान के अनुच्छेद 16 का निर्वचन किया तथा यह निर्णय दिया कि आरक्षण प्रारंभिक नियुक्ति तक सीमित होगा और प्रोन्नति के मामले में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने आगे निर्णय दिया कि नौकरियों में आरक्षण की प्रतिशत सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि इस अभिव्यक्ति का प्रयोग "इस अनुच्छेद में कही गई कोई भी बात राज्य को अनुच्छेद 16(4) में अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत नस्ल, धर्म अथवा जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान नहीं करती हैं। उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 पुरःस्थापित किया गया था।

संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1995 जब 31 मई 1995 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब इसका नाम संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1995⁴⁸⁴ था। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करना था। विधेयक पर 2 जून 1995 को लोक सभा में विचार किया गया था और इसके संक्षिप्त नाम में "छियासीवां" के स्थान पर "सतहत्तरवां"⁴⁸⁵ कर औपचारिक संशोधन से इसे उसी दिन पारित कर दिया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 2 जून 1995⁴⁸⁶ को राज्य सभा द्वारा विचार करके इसे पारित किया गया।

483. वर्ष 1995 का विधेयक संख्यांक 43; कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी द्वारा 31 मई 1995 को लोक सभा में संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक के रूप में यथापुरःस्थापित, वाद-विवाद, लोक सभा: 2 जून 1995, राज्य सभा 2 जून 1995; राष्ट्रपति की अनुमति: 17 जून 1995; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 19 जून 1995; प्रारम्भ की तारीख: 17 जून 1995।

484. लोक सभा वाद-विवाद, 31 मई 1995, कॉलम 209-225।

485. वही, 2 जून 1995, कॉलम 302-419।

486. राज्य सभा वाद-विवाद (हिन्दी), 2 जून 1995, पृष्ठ 278-289।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां वर्ष 1955 से प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाती रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने *इन्द्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* के मामले में तारीख 16 नवंबर 1992 को अपने निर्णय में विचार व्यक्त किया था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन नियुक्तियों या पदों में आरक्षण प्रारंभिक नियुक्ति तक सीमित है और प्रोन्नति के मामले में आरक्षण पर उसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के इस विनिर्णय से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चूंकि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा था, अतः यह आवश्यक हो गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध करने की विद्यमान व्यवस्था को जारी रखा जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह विनिश्चय किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की विद्यमान नीति को जारी रखा जाए। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध करने के लिए उक्त अनुच्छेद में एक नया खंड (4क) अंतःस्थापित करके संविधान के अनुच्छेद 16 का संशोधन किया जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4क अंतःस्थापित किया गया है। नए अंतःस्थापित खंड में उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 16 की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (सतहत्तरवां संशोधन)

अधिनियम, 1995

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[17 जून, 1995]

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 है ।

अनुच्छेद 16 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) के पश्चात्,
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।”

संशोधन पश्चात् न्यायिक निर्णय:

सतहत्तरवें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 8 एससीसी 212 मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने इक्यासीवें, बयासीवें और पचासीवें संवैधानिक संशोधन के साथ सतहत्तरवें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। सतहत्तरवें संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 16(4क) के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "अनुच्छेद 16(4क) और 16(4ख) केवल सक्षम उपबंध हैं; कि, अनुच्छेद 16(4क) और 16(4ख) में सक्षम शक्ति की संवैधानिकता का परीक्षण शक्ति के प्रयोग या ऐसी शक्ति के प्रयोग के तरीके के संदर्भ में नहीं किया जाना है और मौजूदा संशोधनों ने अनुच्छेदों 16(1) से 16(4) की संरचना को बरकरार रखा है"। इसके अलावा यह देखा गया कि अनुच्छेद 16(1) में समानता व्यक्ति-विशिष्ट है जबकि अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4क) में आरक्षण सक्षम बनाता है। हालाँकि, राज्य का विवेक सार्वजनिक रोजगार में "पिछड़ेपन" और "प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता" के अस्तित्व के अधीन है। पिछड़ेपन को वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित होना चाहिए जबकि अपर्याप्तता को तथ्यात्मक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। हालाँकि, किसी मामले में आरक्षण वांछनीय है या नहीं, यह एक नीतिगत मामला है और जब तक अनुच्छेद 16(4) और 16(4क) की शर्तें पूरी होती हैं, तब तक यह निर्णय लेना अदालत का काम नहीं है। समता, न्याय और योग्यता (अनुच्छेद 335)/दक्षता की परिवर्तनशीलता ऐसी है जिन्हें किसी दिए गए संदर्भ में केवल राज्य द्वारा ही पहचाना और मापा जा सकता है।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995⁴⁸⁷

विधायी इतिहास

संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 को जब राज्य सभा में 19 अप्रैल 1994 को पुरःस्थापित किया गया था तो इसका नाम संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1994 था⁴⁸⁸। इसका आशय संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करना था। विधेयक को शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति ने 15 दिसम्बर 1994 को अपना प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया था तथा राज्य सभा के पटल पर रखा। समिति ने संशोधनों की कोई सिफारिश किये बिना विधेयक को अनुमोदित किया।

विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 22 अगस्त 1995 को विचार किया गया तथा इसका संक्षिप्त नाम "इक्यासीवां" से बदलकर "अठहत्तरवां"⁴⁸⁹ करके एक औपचारिक संशोधन के साथ उसे उसी दिन पारित किया गया तथा विधेयक के खंड 2 में "प्रविष्टि 257" के स्थान पर "प्रविष्टि 257क" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा द्वारा एक संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया⁴⁹⁰। राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर लोक सभा द्वारा 25 अगस्त 1995 को विचार किया गया⁴⁹¹ तथा इसे 26 अगस्त, 1995 को पारित कर दिया गया।⁴⁹²

487. 1994 का विधेयक संख्यांक 14; 19 अप्रैल 1994 को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, श्री रामेश्वर ठाकुर द्वारा संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक के रूप में राज्य सभा में पुरःस्थापित; शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया; 15 दिसम्बर 1994 को समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत: वाद-विवाद, राज्य सभा: 22 अगस्त 1995; लोक सभा: 25 और 26 अगस्त 1995; राष्ट्रपति की अनुमति: 30 अगस्त 1995; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 31 अगस्त 1995; प्रारंभ की तारीख: 30 अगस्त 1995।

488. राज्य सभा वाद-विवाद, 19 अप्रैल 1994, कॉलम 197।

489. वही, 22 अगस्त 1995, कॉलम 368-432।

490. वही, कॉलम 409।

491. लोक सभा वाद-विवाद, 25 अगस्त 1995, कॉलम 285-315।

492. वही, 25 अगस्त, 1995 कॉलम 23-47।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 31ख, संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमितियों को इस आधार पर विधिक आक्षेप से उन्मुक्ति प्रदान करता है कि वे संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं। अनुसूची में विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित उन विधियों की सूची है, जो अन्य बातों के साथ-साथ संपत्ति में, जिसके अंतर्गत भूमि भी है, अधिकारों और हितों को प्रभावित करती है।

पहले जब कभी भी यह पाया गया कि लोकहित में सोचे गए प्रगतिशील विधान को मुकदमेबाजी द्वारा संकट में डाला गया है, तो नौवीं अनुसूची का अवलम्ब लिया गया। तदनुसार, भूमि सुधारों और अधिकतम कृषि भूमि जोत सीमा से संबंधित कई राज्य अधिनियमितियों को पहले ही नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जा चुका है। सरकार की भूमि सुधारों को महत्व देने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, भूमि सुधार संबंधी विधियों को नौवीं अनुसूची में शामिल करना आवश्यक हो गया जिससे कि उन पर न्यायालयों के समक्ष आक्षेप न किया जाए। बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों से संबंधित अपने कुछ अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है।

चूंकि ऐसे अधिनियम, जो पहले ही नौवीं अनुसूची में रखे गए हैं, में संशोधन विधिक आक्षेप से स्वतः उन्मुक्त नहीं होते, अनेक संशोधनकारी अधिनियमों को भी कतिपय मूल अधिनियमों सहित नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन अधिनियमों का कार्यान्वयन मुकदमेबाजी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान की नौवीं अनुसूची में इस अधिनियम और भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित 27 अतिरिक्त राज्य अधिनियमितियों (प्रविष्टि सं. 258 से 284) को प्रविष्टि 257क के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पूर्व जोड़े जाने का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि उक्त अधिनियमितियों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि यह मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग-तीन के किन्हीं उपबंधों के अनुरूप नहीं है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (अठहत्तरवां संशोधन)

अधिनियम, 1995

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[30 अगस्त, 1995]

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 है ।

नौवीं अनुसूची
का संशोधन ।

2. संविधान की नौवीं अनुसूची में, प्रविष्टि 257क के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“258. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 4) ।

259. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 (1956 का बिहार अधिनियम 22) ।

260. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का बिहार अधिनियम 7) ।

261. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का बिहार अधिनियम 9) ।

262. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1975 का बिहार अधिनियम 27) ।

263. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1982 का बिहार अधिनियम 35) ।

264. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का बिहार अधिनियम 21)।

265. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का बिहार अधिनियम 11)।

266. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का बिहार अधिनियम 11)।

267. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि अंतरण प्रतिषेध) (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का कर्नाटक अधिनियम 3)।

268. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का केरल अधिनियम 16)।

269. केरल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का केरल अधिनियम 2)।

270. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1990 का उड़ीसा अधिनियम 9)।

271. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 1979 (1979 का राजस्थान अधिनियम 16)।

272. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का राजस्थान अधिनियम 2)।

273. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का राजस्थान अधिनियम 12)।

274. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1983 (1984 का तमिलनाडु अधिनियम 3)।

275. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का तमिलनाडु अधिनियम 57)।

276. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 1987 (1988 का तमिलनाडु अधिनियम 4)।

277. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का तमिलनाडु अधिनियम 30)।

278. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 50)।

279. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 5)।

280. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 19)।

281. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 35)।

282. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)।

283. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1990 (1990 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 24)।

284. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिकरण अधिनियम, 1991 (1991 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 12)।"



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999⁴⁹³

विधायी इतिहास

संविधान (उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999 जब लोक सभा में 26 अक्तूबर, 1999 को पुरःस्थापित किया गया था, तब इसका नाम संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 था⁴⁹⁴। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 27 अक्तूबर, 1999 को विचार किया गया तथा इसका संक्षिप्त नाम "चौरासीवां" से बदलकर "उनासीवां" करके एक औपचारिक संशोधन के साथ उसे उसी दिन पारित कर दिया गया⁴⁹⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 28 अक्तूबर, 1999 को विचार किया गया तथा पारित कर दिया गया⁴⁹⁶।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 334 में अधिकथित है कि लोक सभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से पचास वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। यद्यपि अनुसूचित जातियों और

493. 1999 का विधेयक संख्यांक 67; 26 अक्तूबर 1999 को विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री, श्री राम जेठमलानी द्वारा लोक सभा में संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 27 अक्तूबर 1999; राज्य सभा: 28 अक्तूबर 1999; संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक की अपेक्षाओं के अनुरूप निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 21 जनवरी 2000; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 21 जनवरी 2000; प्रारंभ की तारीख: 25 जनवरी 2000।

494. लोक सभा वाद-विवाद, 26 अक्तूबर 1999, कॉलम 4-5।

495. वही, 27 अक्तूबर 1999, कॉलम 47-66, 67-160।

496. राज्य सभा वाद-विवाद, 28 अक्तूबर 1999, पृष्ठ 19-72, 73-91।

अनुसूचित जनजातियों ने पिछले पचास वर्षों में पर्याप्त प्रगति की है फिर भी स्थानों के पूर्वोक्त आरक्षण और सदस्यों के नामनिर्देशन के संबंध में उपबंध करते समय जिन कारणों ने संविधानसभा को प्रभावित किया वे समाप्त नहीं हुए हैं। अतः, यह प्रस्ताव था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीयों के प्रतिनिधित्व को दस वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम की धारा 1 में यह उपबंध है कि यह अधिनियम 25 जनवरी, 2000 से प्रवृत्त होगा।

लोक सभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीयों के प्रतिनिधित्व को "पचास वर्ष" से बढ़ाकर "साठ वर्ष" तक कर इस अवधि को और आगे दस वर्षों तक जारी रखने का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[21 जनवरी, 2000]

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और
(उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999 है। प्रारंभ।

(2) यह 25 जनवरी, 2000 से प्रवृत्त होगा।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में, "पचास वर्ष" शब्दों के अनुच्छेद 334
स्थान पर "साठ वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। का संशोधन।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000⁴⁹⁷

विधायी इतिहास

संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 को 9 मार्च, 2000 को जब लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (नवासीवां संशोधन) विधेयक, 2005 था⁴⁹⁸। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 272 में संशोधन करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 9 मई 2000 को विचार किया गया तथा इसका संक्षिप्त नाम "नवासीवां" से बदलकर "अस्सीवां" करके एक औपचारिक संशोधन के साथ उसे उसी दिन पारित कर दिया गया⁴⁹⁹। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 16 मई, 2000 को विचार किया गया तथा पारित कर दिया गया⁵⁰⁰।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

दसवें वित्त आयोग ने पंचवर्षीय अवधि अर्थात् 1995-96 से 1999-2000 तक के लिए अपनी रिपोर्ट 26 नवम्बर 1994 को प्रस्तुत की थी। उक्त रिपोर्ट 14 मार्च 1995 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। आयोग की सिफारिशों में से एक सिफारिश जो सरकार के विचाराधीन रही है, संघ और राज्यों के बीच संघ के कतिपय करों और शुल्कों के आगमों के अंश बांटने की आनुकल्पिक स्कीम है।

आनुकल्पिक स्कीम में यह परिकल्पित है कि राज्यों को रेल यात्री किराए पर कर के बदले में आयकर, आधारिक उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क और अनुदानों में विद्यमान अंश के स्थान पर राज्यों को, संघ के करों और शुल्कों के (स्टाम्प शुल्क, औषधीय/प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद

497. 2000 का विधेयक संख्यांक 41: 9 मार्च 2000 को वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा द्वारा लोक सभा में संविधान (नवासीवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित वाद-विवाद, लोक सभा: 9 मई 2000; राज्य सभा: 16 मई 2000; राष्ट्रपति की अनुमति 9 जून 2000 राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 9 जून 2000; प्रारम्भ की तारीख: 9 जून 2000; धारा 3, 1 अप्रैल 1996 से प्रवृत्त।

498. लोक सभा वाद-विवाद, 9 मार्च 2000, कॉलम 272।

499. वही, 9 मई 2000, कॉलम 383-494।

500. राज्य सभा वाद-विवाद, 16 मई 2000, पृष्ठ 175-188, 189-274।

शुल्क, केन्द्रीय विक्रय कर, माल के पारेषण पर कर, संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहित उपकर और अधिभार को छोड़कर) सकल आगम का छब्बीस प्रतिशत सौंपा जाएगा।

इसके अतिरिक्त राज्यों को, तम्बाकू, कपास और चीनी पर विक्रय कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में विद्यमान अंश के स्थान पर, संघ के सभी करों और शुल्कों के (स्टाम्प शुल्क, औषधीय/प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री-कर, माल के पारेषण पर कर, संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहित उपकर और अधिभार को छोड़कर) सकल आगम का तीन प्रतिशत अंश सौंपा जाएगा। आयोग का प्रस्ताव था कि तंबाकू, कपास और चीनी पर विक्रय कर से छूट जारी रह सकती है और इन मदों पर विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को आधारिक उत्पाद शुल्क में मिलाया जा सकता है।

क्या आनुकल्पिक स्कीम केन्द्र या राज्यों के लिए, विद्यमान व्यवस्थाओं के मुकाबले में अधिक लाभकारी रहेगी अथवा नहीं यह पूल किये जाने वाले विभिन्न केन्द्रीय करों और शुल्कों के संग्रहण में संबंधित वृद्धि पर पूर्णतः निर्भर करेगा।

स्कीम के फायदे आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट के पैरा 13.2, 13.3 तथा 13.18 में सूचीबद्ध किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं:-

(एक) केन्द्रीय कर से कुल राजस्व में राज्यों को आवंटित किये जाने के लिए दिये गये अंश के साथ राज्य, केन्द्रीय करों की कुल क्षतिपूर्ति को बांटने में समर्थ होंगे;

(दो) केन्द्रीय सरकार, इस बारे में विचार किये बिना कि कर राज्यों के साथ हिस्सा बांटने के लिए हैं या नहीं, कर सुधार पर अग्रसर हो सकती है;

(तीन) केन्द्रीय कर राजस्व में उतार-चढ़ाव का प्रभाव केन्द्रीय और राज्य सरकारों पर समान रूप से पड़ेगा;

(चार) अनुच्छेद 268 और/या अनुच्छेद 269 में वर्णित कर, यदि इस व्यवस्था के भाग रूप होंगे तो उनको प्राप्त किये जाने की अधिक संभावना होगी; और

(पांच) यदि कर बांटने की व्यवस्था की परिधि का विस्तार किया जाता है तो यह सुधारों की प्रगति को अधिक सुकर बनाएगा जिससे स्रोतों के प्रवाह को अधिक निश्चितता और कर सुधारों को वर्धित लचीलापन प्रदान किया जा सकेगा।

आयोग द्वारा सिफारिश की गई उपरोक्त स्कीम राष्ट्रीय हित में है क्योंकि यह उपकर और अधिभारों को पूल व्यवस्था से बाहर रखकर केन्द्र की अनन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीलापन रखते हुए भारत सरकार के कर संग्रहण प्रयास में बोधगम्य अंतर-कर के पक्षपात को दूर करने में सहायता करती है।

ज्ञानवर्द्धक चर्चा कराने की दृष्टि से एक विचार-विमर्श पत्र 20 दिसम्बर 1996 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था जिसमें उक्त स्कीम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया था।

17 जुलाई 1997 को आयोजित अंतरराज्यिक परिषद् के तीसरे अधिवेशन में हुई आम सहमति के आधार पर तत्कालीन सरकार ने दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीम से कतिपय उपांतरों के अध्यधीन सिद्धांततः सहमति व्यक्त की।

सरकार ने दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीम का सिद्धांततः अनुमोदन करने के लिए पूर्व सरकारों द्वारा किये गये विनिश्चय का कुछ उपांतरों सहित अनुसमर्थन करने का विनिश्चय किया है।

प्रथमतः, राज्यों के अंश के प्रतिशत का, 15 वर्ष तक स्थिर करने के बजाए उत्तरवर्ती वित्त आयोगों द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा जैसाकि दसवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है।

दूसरे, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 279 और अनुच्छेद 280 के बीच सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से "सकल आगमों" के अंशों में परिवर्तन करने का विनिश्चय किया है, जैसाकि "शुद्ध आगमों" के अंश बांटने के बारे में दसवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है। तथापि, इसके परिणामस्वरूप राज्यों को कोई पारिणामिक हानि नहीं होगी क्योंकि सरकार ने साथ ही साथ यह भी विनिश्चय किया है कि राज्यों की 29 प्रतिशत से अधिक उपयुक्त रूप से शेयर के प्रतिशत में वृद्धि करके प्रतिपूर्ति की जाएगी।

तीसरे, जैसाकि आयोग का आशय है कि अनुच्छेद 271 में कोई संशोधन न किये जाने का प्रस्ताव है जो केन्द्रीय सरकार को संघ के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों पर अधिभार उद्ग्रहित करने के लिए प्राधिकृत करता है।

यह स्कीम 1 अप्रैल 1996 से प्रभावी होगी। 1996-97 से 1999-2000 के दौरान शुद्ध आगमों में अंश का प्रतिशत इस प्रकार होगा कि राज्यों का अंश कुल आगमों का 29 प्रतिशत हो। 11वें वित्त आयोग, जिसे 30 जून 2000 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है, की सिफारिशें 1 अप्रैल 2000 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगी।

इस विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 272 का संशोधन करने के लिए है जिससे निगम कर और सीमा शुल्क की तरह के विभिन्न केन्द्रीय करों और शुल्कों को, जहां तक अनेक राज्यों के साथ अंश बांटने की सांविधानिक आज्ञा का संबंध है, निजी आयकर के बराबर लाया जा सके।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 269 के खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर नए खंड प्रतिस्थापित किये गये हैं। नए प्रतिस्थापित खंड (1) में यह उपबंध है कि माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल के पारेषण पर कर केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किये जाएंगे किंतु खंड (2) में उपबंधित

रीति से राज्यों को सौंप दिए जाएंगे और वे 1 अप्रैल 1996 को या उसके बाद सौंप दिये गये समझे जायेंगे। इस खंड के प्रयोजन के लिए "माल के क्रय या विक्रय पर कर" पद से समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, अभिप्रेत होगा; और "माल के पारेषण पर कर" पद से माल के पारेषण पर (चाहे पारेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो) उस दशा में कर जिससे ऐसा पारेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, यथाप्रतिस्थापित खंड (2) में यह उपबंध है कि किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम वहां उसके सिवाय, जहां तक वे आगम संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किंतु उन राज्यों को सौंप दिये जाएंगे जिनके भीतर वह कर उस वर्ष में उद्ग्रहणीय है और वितरण के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो संसद विधि द्वारा बनाए, उन राज्यों के बीच वितरित किये जाएंगे। (धारा 2)

अनुच्छेद 270 के स्थान पर 1 अप्रैल 1996 से नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें उपबंध है कि क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क; अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहित कोई उपकर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा उनमें उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का, ऐसा प्रतिशत जो विहित किया जाए, भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा, किंतु उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वह कर या शुल्क उस वर्ष में उद्ग्रहणीय है और ऐसी रीति से और ऐसे समय से, जो खंड (3) में उपबंधित रीति से विहित किया जाए, उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। इस अनुच्छेद में, "विहित" से अभिप्रेत है: (i) जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित; और (ii) वित्त आयोग का गठन किये जाने के पश्चात् वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित। (धारा 3)

संविधान के अनुच्छेद 272, जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किये जाने वाले तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किये जाने वाले करों से संबंधित है, का लोप किया गया है। ऐसे लोप में किसी बात के होते हुए भी, संघ के उत्पाद शुल्कों के, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी है, जो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1996 के पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उद्ग्रहित और संग्रहित किये जाते हैं; और जो राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में वितरित किये जाते हैं, कुल आगमों के या उनके किसी भाग के बराबर कोई राशि, अनुच्छेद 270 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार वितरित की गई मानी जाएगी मानो अनुच्छेद 272 का 1 अप्रैल 1996 से ही लोप कर दिया गया था। इसके अलावा ऐसे किसी अन्य कर या शुल्क के शुद्ध सम्पूर्ण आगम के या उसके किसी भाग के बराबर कोई रकम जो 1 अप्रैल 1996 के पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में वितरित की गई है, अनुच्छेद 270 के उपबंधों के अनुसार वितरित की गई समझी जाएगी। (धारा 4)

संशोधन का पाठ संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[9 जून, 2000]

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

अनुच्छेद 269
का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 269 में खंड (1) और (2) अनुच्छेद के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल के परेषण पर कर, भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे किन्तु खंड (2) में उपबंधित रीति से राज्यों को 1 अप्रैल, 1996 को या उसके पश्चात् सौंप दिए जाएंगे या सौंप दिए गए समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए-

(क) "माल के क्रय या विक्रय पर कर" पद से समाचार-पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है;

(ख) "माल के परेषण पर कर" पद से माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया हो) उस दशा में कर अभिप्रेत है जिससे ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है ।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम वहां तक के सिवाय, जहां तक वे आगम संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त हुए आगम माने जा सकते हैं, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किन्तु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे जिनके भीतर वह कर उस वर्ष में उद्ग्रहणीय है और वितरण के ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो संसद विधि द्वारा बनाए, उन राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।"

3. संविधान के अनुच्छेद 270 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा और वह 1 अप्रैल, 1996 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

अनुच्छेद 270
के स्थान पर नए
अनुच्छेद का
प्रतिस्थापन।

"270. (1) क्रमशः अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269 में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क; अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहित कोई उपकर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा खंड (2) में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे।

संघ और राज्यों
के बीच करों का
'उद्ग्रहण और
संग्रहण।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का ऐसा प्रतिशत, जो विहित किया जाए, भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगा, किन्तु उन राज्यों को सौंप दिया जाएगा जिनके भीतर वह कर या शुल्क उस वर्ष में उद्ग्रहणीय है और ऐसी रीति से और ऐसे समय से, जो खंड (3) में उपबंधित रीति से विहित किया जाए, उन राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद में, "विहित" से अभिप्रेत है—

(i) जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित; और

(ii) वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात्, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा, आदेश द्वारा विहित।"

अनुच्छेद 272
का लोप ।

4. (1) संविधान के अनुच्छेद 272 का लोप किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, संघ के उत्पाद शुल्कों, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क भी है, जो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1996 के पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उद्ग्रहीत और संग्रहित किए जाते हैं; और जो राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में वितरित किए जाते हैं, के संपूर्ण शुद्ध आगमों के या उनके किसी भाग के बराबर कोई राशि, अनुच्छेद 270 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार वितरित की गई मानी जाएगी मानो अनुच्छेद 272 का 1 अप्रैल, 1996 से ही लोप कर दिया गया था ।

(3) ऐसे किसी अन्य कर या शुल्क के सम्पूर्ण शुद्ध आगम के या उसके किसी भाग के बराबर कोई राशि जो 1 अप्रैल, 1996 के पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में वितरित की गई है, अनुच्छेद 270 के उपबंधों के अनुसार वितरित की गई मानी जाएगी ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000⁵⁰¹

विधायी इतिहास

संविधान के इक्यासीवें संशोधन अधिनियम, 2000 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया खण्ड (4ख) जोड़ा, जिससे एक वर्ष में आरक्षित श्रेणी में न भरी गई रिक्तियों को अगले वर्ष में आगे बढ़ाया जा सके और किसी भी वर्ष में वर्तमान रिक्तियों से भिन्न और पृथक किया जा सके।

टी. देवदासन बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1964 एससी 179 में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि 1955 में यथाउपांतरित अग्रनीत किया जाने वाला नियम असंवैधानिक था। न्यायालय ने यह भी माना कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदों के आरक्षण का विवादित उपबंध संविधान के अनुच्छेद 16(4) का उल्लंघन नहीं करता है। आगे आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1995 एससी 137, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण का निर्धारण कैडर में पदों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए न कि रिक्तियों के आधार पर। पद आधारित आरक्षण का मूल सिद्धांत यह है कि किसी संवर्ग में किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षण से भरे पदों की संख्या उस वर्ग के लिए निर्धारित कोटा के बराबर होनी चाहिए।

इसके अलावा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, एआईआर 2000 एससी 498 में, उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के दायरे से क्रीमी लेयर को बाहर करने के पक्ष में फैसला सुनाया और संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत परिकल्पित प्रशासन में दक्षता के सिद्धांत की भी पुष्टि की।

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 जब 8 मई 2000 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (नब्बेवां संशोधन) विधेयक, 2000 था⁵⁰²। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करना था।

501. वर्ष 2000 का विधेयक संख्यांक 90: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा 8 मई 2000 को लोक सभा में संविधान (नब्बेवां संशोधन) के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 9 और 10 मई 2000; राज्य सभा: 16 मई 2000; राष्ट्रपति की अनुमति: 9 जून 2000; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 9 जून 2000; प्रारम्भ की तारीख: 9 जून 2000।

502. लोक सभा वाद-विवाद, 8 मई 2000, कॉलम 304-309।

विधेयक पर 9 मई 2000 को लोक सभा में विचार किया गया⁵⁰³ और इसे 10 मई 2000 को "नब्बेवां" के स्थान पर "इक्यासीवां"⁵⁰⁴ संक्षिप्त नाम के औपचारिक संशोधन के साथ पारित कर दिया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 16 मई 2000 को विचार तथा पारित किया गया⁵⁰⁵।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

29 अगस्त 1997 से पूर्व, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को जिन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण सीधी भर्ती से नहीं भरा जा सका था, 'पिछली संचित रिक्तियों' के रूप में माना गया था। इन रिक्तियों को एक पृथक समूह के रूप में माना गया था और पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा से बाहर रखा गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय ने *इन्द्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* मामले में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया था कि एक वर्ष में आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या जिनमें अग्रनीत किये गये आरक्षण भी हैं, किसी भी दशा में पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। चूंकि एक वर्ष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को एक साथ सम्मिलित करने पर कुल आरक्षण पहले ही साढ़े उनचास प्रतिशत पर पहुंच चुका है और एक वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या पचास प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती थी, इसलिए 'पिछली संचित रिक्तियों' को भरना और विशेष भर्ती अभियान चलाना कठिन हो गया था। अतः उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए एक शासकीय ज्ञापन तारीख 29 अगस्त 1997 को जारी किया गया जिसमें यह उपबंध किया गया कि पचास प्रतिशत की सीमा वर्तमान और 'पिछली संचित रिक्तियों' पर लागू होगी और विशेष भर्ती अभियान को रोक दिया जाएगा।

तारीख 29 अगस्त 1997 के उपर्युक्त आदेश के प्रतिकूल प्रभाव के कारण विभिन्न संगठनों ने जिनमें संसद सदस्य भी हैं, केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए अभ्यावेदन किए। विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने स्थिति का पुनर्विलोकन किया और यह विनिश्चय किया कि संविधान संशोधन किया जाए जिससे एक वर्ष में न भरी गई रिक्तियों के लिए, जो संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (4) के खंड (4क) के अधीन किये गये आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों को किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरी जाने के लिए माना जाएगा, पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में और ऐसे वर्ग की रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ, जिसमें उन्हें भरा जाना है, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा का अवधारण

503. वही, 9 मई 2000, कॉलम 495-580।

504. वही, 10 मई 2000, कॉलम 336-390।

505. राज्य सभा वाद-विवाद, 16 मई 2000, पृष्ठ 274-288, 289-325।

करने के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा। यह संविधान संशोधन राज्य को 29 अगस्त 1997 से पूर्व की स्थिति प्रत्यावर्तित करने के लिए समर्थ बनाने के लिए है।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उपबंध है। एक नया खंड (4ख) अंतःस्थापित किया गया है जिसमें यह उपबंध है कि अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किये गये आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, रिक्तियों के एक पृथक वर्ग के रूप में किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए विचार में लिये जाने से निवारित नहीं करेगी और रिक्तियों के ऐसे वर्ग को, उस वर्ष की, जिसमें वे भरी जा रही हैं, रिक्तियों के साथ, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

संशोधन का पाठ

संविधान (इक्यासीवां संशोधन)

अधिनियम, 2000

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[9 जून, 2000]

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

अनुच्छेद 16 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 16 में, खंड (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।”

संशोधन पश्चात् न्यायिक निर्णय:

इक्यासीवें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 8 एससीसी 212 मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सतहत्तरवें, बयासीवें और पचासीवें संवैधानिक संशोधनों के साथ इक्यासीवें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4क) और अनुच्छेद 16(4ख) अनुच्छेद 16(4) के क्रम में आते हैं और जब तक इन अनुच्छेदों की शर्तें राज्यों द्वारा पूरी की जाती हैं, तब तक आरक्षण के उपबंध को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 16(4क) और 16(4ख) अनुच्छेद 16(4) के तहत समानता के सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीकरण हैं। इसके अलावा यह भी माना गया कि "जब तक अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित सीमाएं, अर्थात् पिछड़ापन, अपर्याप्तता और प्रशासन की दक्षता अनुच्छेद 16(4क) और 16(4ख) में नियंत्रण कारकों के रूप में बरकरार हैं, हम संवैधानिक अमान्यता का आरोप नहीं लगा सकते हैं।" हालांकि, जब राज्य नियंत्रण कारकों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में विफल रहता है तो अतिरेक आ जाता है, जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना है। किसी दिए गए मामले में, जहां अधिकता के परिणामस्वरूप उलटा भेदभाव होता है, इस न्यायालय को व्यक्तिगत मामलों की जांच करनी होती है और कानून के अनुसार मामले का फैसला करना होता है।"



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000⁵⁰⁶

विधायी इतिहास

संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 ने संविधान के अनुच्छेद 335 में एक परंतुक अंतःस्थापित किया। इस परंतुक को *एस. विनोद कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* (2007) 8 एससीसी 100 में न्यायालय के निर्णय, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रोन्नति में आरक्षण के विषय में ऐसे शिथिलीकरण संविधान के अनुच्छेद 335 में अंतर्विष्ट समादेश की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन अनुज्ञेय नहीं हैं, को ध्यान में रखकर अंतःस्थापित किया गया था। यह *इंदिरा साहनी* मामले में निर्णय, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 335 में अंतर्विष्ट समादेश को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 16(4) के अधीन ऐसे शिथिलीकरण अनुज्ञेय नहीं हैं, के भी अनुरूप था।

संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000, जब 23 दिसम्बर 1999 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 था⁵⁰⁷। इसका आशय संविधान के अनुच्छेद 335 में संशोधन करना था। विधेयक को गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सभा में प्रस्तुत की और इसे लोक सभा के पटल पर 28 जुलाई 2000 को रखा गया। समिति ने सिफारिश की थी कि विधेयक को इसी रूप में पारित कर दिया जाए।

तत्पश्चात्, विधेयक पर 17 अगस्त 2000 को राज्य सभा द्वारा विचार किया गया और इसे उसी दिन 'अठासीवां' के संक्षिप्त नाम को 'बयासीवां' के औपचारिक संशोधन के साथ पारित कर

506. वर्ष 1999 का विधेयक संख्यांक 54; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा 23 दिसम्बर 1999 को राज्य सभा में संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया; समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत: 28 जुलाई 2000; वाद-विवाद, राज्य सभा: 17 अगस्त 2000; लोक सभा: 22 अगस्त 2000; राष्ट्रपति की अनुमति: 8 सितम्बर 2000; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 8 सितम्बर 2000; प्रारम्भ की तारीख: 8 सितम्बर 2000।

507. राज्य सभा वाद-विवाद, 23 दिसम्बर 1999, पृष्ठ 299।

दिया गया⁵⁰⁸। राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर लोक सभा द्वारा 22 अगस्त 2000 को विचार तथा पारित किया गया⁵⁰⁹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां प्रोन्नति में आरक्षण के विषय में अर्हक अंकों और मूल्यांकन के मानक के शिथिलीकरण की सुविधा प्राप्त करती आ रही थीं। उच्चतम न्यायालय ने, *एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ* के मामले में दिनांक 1.10.1996 के अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रोन्नति में आरक्षण के विषय में ऐसे शिथिलीकरण संविधान के अनुच्छेद 335 में अंतर्विष्ट समादेश की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन अनुज्ञेय नहीं थे। शीर्षस्थ न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि प्रोन्नति में आरक्षण के विषय में अर्हक अंकों और मूल्यांकन के मानक में शिथिलीकरण के विषय से संबंधित विधि उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने *इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* के मामले में अधिकथित है। इंदिरा साहनी निर्णय के पैरा 831 में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 335 में अंतर्विष्ट समादेश को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 16(4) के अधीन ऐसे शिथिलीकरण अनुज्ञेय नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए तारीख 22.7.1997 से ऐसे शिथिलीकरण वापस लिये जाने थे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर तारीख 22.7.1997 के आदेश के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से, जिनमें संसद सदस्य भी हैं, अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे थे। विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने स्थिति का पुनर्विलोकन किया और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 22.7.1997 को जारी किये गये अनुदेशों द्वारा वापस लिये गये शिथिलीकरण को बहाल करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का विनिश्चय किया।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 में यह उपबंध है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जाएगा। इसमें एक परंतुक अंतःस्थापित किया गया है जिसमें यह विशेष उल्लेख है कि परंतु इस अनुच्छेद 335 की कोई बात, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, संघ के या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी वर्ग या वर्गों की सेवाओं में या पदों पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में शिथिलीकरण या मूल्यांकन के मानक घटाने का कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(धारा 2)

508. वही, 17 अगस्त 2000, पृष्ठ 711-773।

509. लोक सभा वाद-विवाद, 22 अगस्त 2000, कॉलम 357-438।

संशोधन का पाठ

संविधान (बयासीवां संशोधन)

अधिनियम, 2000

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[8 सितम्बर, 2000]

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 है ।

अनुच्छेद 335
का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 335 के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।”।

संशोधन पश्चात् न्यायिक निर्णय :

बयासीवें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 8 एससीसी 212 मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने सतहत्तरवें और इक्यासीवें संवैधानिक संशोधन के साथ बयासीवें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000⁵¹⁰

विधायी इतिहास

संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 2000, जब 17 दिसम्बर, 1999 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 था⁵¹¹। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 243ड में संशोधन करना था। विधेयक, यथापुरःस्थापित, को शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया और 26 जुलाई, 2000 को राज्य सभा के पटल पर रखा। समिति ने उक्त विधेयक पर सहमति व्यक्त की तथा यह सिफारिश की कि संसद इस विधेयक को यथाशीघ्र पारित करने पर विचार करे ताकि अरुणाचल प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली यथाशीघ्र आरंभ की जा सके।

विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1999 को विचार किया गया⁵¹² तथा उसे उसके नाम में "छियासी" से परिवर्तन कर "तिरासी" करते हुए एक औपचारिक संशोधन सहित 17 अगस्त, 2000 को पारित किया गया⁵¹³। राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर लोक सभा द्वारा 22 अगस्त, 2000 को विचार किया गया और उसे उसी दिन पारित किया⁵¹⁴।

510. 1999 का विधेयक संख्यांक 46; ग्रामीण विकास मंत्री, श्री सुंदर लाल पटवा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को राज्य सभा में संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया: 26 जुलाई 2000; वाद-विवाद, राज्य सभा: 21 दिसम्बर 1999 तथा 17 अगस्त 2000; लोक सभा: 22 अगस्त 2000; राष्ट्रपति की अनुमति: 8 सितम्बर 2000; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 8 सितम्बर 2000; प्रारंभ की तारीख: 8 सितम्बर 2000।

511. राज्य सभा वाद-विवाद, 17 दिसम्बर 1999, पृष्ठ 239।

512. वही, 21 दिसम्बर 1999, पृष्ठ 223-225।

513. वही, 17 अगस्त 2000, पृष्ठ 773-809।

514. लोक सभा वाद-विवाद, 22 अगस्त 2000, कॉलम 438-466।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 को 24 अप्रैल, 1993 से प्रवर्तन में लाया गया था। उक्त अधिनियम में यह उपबंध है कि सभी राज्य उस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी स्थानीय विधियों का, उन्हें संविधान के अधीन नए उपबंधों के अनुरूप लाने के लिए संशोधन करेंगे। यह कार्य 23 अप्रैल, 1994 से पूर्व पूरा किया जाना अपेक्षित था।

अनुच्छेद 243घ में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध है। अरुणाचल प्रदेश स्थानीय जनजाति के लोगों से पूर्णतः बसा हुआ राज्य है। राज्य में कोई अनुसूचित जातियां विद्यमान नहीं हैं। तदनुसार राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया है और उस बारे में किसी विधि के अधीन कोई उपबंध विद्यमान नहीं है। राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षण नहीं है।

बंगाल पूर्वी सीमा विनियम, 1873 और चिन हिल्स विनियम, 1896, में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जनजाति के लोगों को विशेष संरक्षा प्रदान करते हैं और उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व की रक्षा करने का उपबंध है। ये विधियां 'आंतरिक सीमा परमिट' के बिना जनजाति क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिषिद्ध करती हैं। केवल स्थानीय जनजाति के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

अरुणाचल प्रदेश में जनजाति समाज जातिविहीन है जहां सदियों और युगों से पुरुषों और महिलाओं में सामाजिक समानता बनी हुई है। चूंकि राज्य में अनुसूचित जातियां विद्यमान नहीं हैं और अरुणाचल प्रदेश राज्य एकमात्र रूप से जाति प्रथा से मुक्त है, अतः यह प्रस्ताव किया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ड में एक नया खंड (3क) अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि अरुणाचल प्रदेश राज्य को अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243घ के लागू होने से छूट दी जा सके।

इस विधेयक का आशय राज्य के सामाजिक-राजनैतिक लोकाचार के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए विधिक और संवैधानिक आधार प्रदान करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अनुच्छेद 243ड में यह उपबंध है कि पंचायतों के संबंध में भारत के संविधान के भाग 9 के उपबंध कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में स्थानों के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 243घ के लागू होने से अरुणाचल प्रदेश राज्य को छूट देने के लिए उसमें एक नया खंड (3क) अंतःस्थापित किया गया है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[8 सितम्बर, 2000]

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 243ड में, खंड (3) के पश्चात् अनुच्छेद 243ड
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- का संशोधन।

"(3क) अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण
से संबंधित अनुच्छेद 243घ की कोई बात, अरुणाचल प्रदेश
राज्य को लागू नहीं होगी।"



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001⁵¹⁵

विधायी इतिहास

संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001, जब 27 नवम्बर, 2000 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 था⁵¹⁶। इसका आशय संविधान के अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330 और 332 में संशोधन करना था। इस विधेयक को गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने राज्य सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा 26 अप्रैल, 2001 को लोक सभा के पटल पर रखा। समिति ने विधेयक को उसके वर्तमान रूप में पारित किये जाने की सिफारिश की।

तत्पश्चात्, विधेयक पर लोक सभा द्वारा 21 अगस्त, 2001 को विचार किया गया तथा उसे उसके संक्षिप्त नाम में "इक्यानवे"⁵¹⁷ से परिवर्तन कर "चौरासी" करते हुए एक औपचारिक संशोधन सहित उसी दिन पारित कर दिया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 23 अगस्त, 2001⁵¹⁸ को विचार किया गया और उसे पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 (3) के परन्तुक यह उपबंध करते हैं कि निर्वाचनक्षेत्रों का नए सिरे से पुनःसमायोजन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वर्ष 2000 के पश्चात् की

515. 2000 का विधेयक संख्यांक 172; विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री, श्री अरुण जेटली द्वारा 27 नवंबर 2000 को लोक सभा में संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत: 26 अप्रैल 2001; वाद- विवाद, लोक सभा: 21 अगस्त 2001; राज्य सभा: 23 अगस्त 2001; निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक की आवश्यकता के अनुसार अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 21 फरवरी 2002; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 22 फरवरी 2002; प्रारंभ की तारीख: 21 फरवरी 2002।

516. लोक सभा वाद-विवाद, 27 नवम्बर 2000, कॉलम 369।

517. वही, 21 अगस्त 2001, कॉलम 237-322।

518. राज्य सभा वाद-विवाद, 23 अगस्त 2001, पृष्ठ 194-216, 217-248।

गई पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं। ये उपबंध परिवार नियोजन प्रतिमानों को बढ़ावा देने के लिए एक उपाय के रूप में संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अंतःस्थापित किये गये थे। चूंकि वर्ष 2000 के पश्चात् की जाने वाली पहली जनगणना पहले ही आरंभ हो चुकी है, नए सिरे से परिसीमन किये जाने पर लगी सांविधानिक रोक, जैसे ही इस जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो जाते हैं, व्यपगत हो जाएगी।

नए सिरे से परिसीमन की व्यवस्था करने के पक्ष-विपक्ष में, निरन्तर मांग होती रही है। देश के विभिन्न भागों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संबंधी युक्ति के भागरूप में, नए सिरे से परिसीमन करने पर लगी वर्तमान रोक को एक प्रेरणात्मक उपाय के रूप में वर्ष 2026 तक विस्तार करने का विनिश्चय किया है जिससे कि राज्य सरकारें जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी कार्यसूची का अनुसरण करने में समर्थ हो सकें।

सरकार ने प्रत्येक राज्य को लोक सभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में आवंटित स्थानों की संख्या जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र भी हैं, में परिवर्तन किए बिना, वर्ष 1991 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर, राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन और सुव्यवस्थीकरण कराने का भी विनिश्चय किया है, जिससे कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या/निर्वाचकों की असमान वृद्धि के कारण हुए असन्तुलन को दूर किया जा सके।

यह प्रस्ताव भी किया गया कि वर्ष 1991 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर, लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को पुनः नियत किया जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330 और 332 के संबंधित खंडों/परंतुकों/स्पष्टीकरणों में अंक "2000" के स्थान पर अंक "2026" प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन किये गये हैं। अंक "1971" के स्थान पर "1991" प्रतिस्थापित करने के लिए अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 में आगे और संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए जनगणना में लिये जाने के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े वर्ष 2026 के बाद कराई जाने वाली पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना के आधार पर बने रहेंगे। इसके आगे 1991 की जनगणना के आधार पर उनमें स्थानों की कुल संख्या में परिवर्तन किये बिना लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों सहित किसी राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन

क्षेत्रों के पुनः समायोजन का उपबंध है। उनमें यह उपबंध भी है कि जब तक कि वर्ष "2026" के पश्चात् कराई जाने वाली पहली जनगणना के लिए सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिये जाते, लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में "1971" की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा जो "1991" की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किये जा सकते हैं।
(धारा 2 से 7)

संशोधन का पाठ संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[21 फरवरी, 2002]

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के परन्तुक में, "2000" अंकों के स्थान पर "2026" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 55 का संशोधन।

3. संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड (3) के परन्तुक में,- अनुच्छेद 81 का संशोधन।
(i) "2000" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह,-

(i) खंड (2) के उपखंड (क) और उस खंड के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है; और

(ii) खंड (2) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, 1991 की जनगणना के प्रति और निर्देश है।"

4. संविधान के अनुच्छेद 82 के तीसरे परन्तुक में,- अनुच्छेद 82 का संशोधन।
(i) "2000" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन का और इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनःसमायोजन" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन का; और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का, जो 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं पुनः समायोजन ...।"

अनुच्छेद 170
का संशोधन।

5. संविधान के अनुच्छेद 170 में,-

(क) खंड (2) के स्पष्टीकरण के परन्तुक में,

"2000" और "1971" अंकों के स्थान पर, क्रमशः "2026" और "1991" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (3) के तीसरे परन्तुक में,-

(i) "2000" अंकों के स्थान पर, "2026" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या का और इस खंड के अधीन ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनःसमायोजन" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का; और

(ii) ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का, जो 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, पुनः समायोजन ...।"

अनुच्छेद 330
का संशोधन।

6. संविधान के अनुच्छेद 330 के स्पष्टीकरण के परन्तुक में "2000" और "1971" अंकों के स्थान पर, क्रमशः "2026" और "1991" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. संविधान के अनुच्छेद 332 में,—

अनुच्छेद 332
का संशोधन।

(क) खंड (3क) में, “2000” अंकों के स्थान पर, “2026”
अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (3ख) में, “2000” अंकों के स्थान पर, “2026”
अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001⁵¹⁹

विधायी इतिहास

संविधान के 85वें संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अनुच्छेद 16 के खंड (4क) को संशोधित किया गया और इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जिनका राज्य की राय में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, को पदोन्नति में परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करना था।

भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान (1995) 6 एससीसी 684 और अजित सिंह जनुजा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य एआईआर (1996) एससी 1189, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कैच-अप नियम पेश किया और परिणामी ज्येष्ठता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। यह माना गया कि एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार अपने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में पदोन्नति पर अपनी ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा, जिसे आरक्षण नीति के परिणामस्वरूप पूर्व की तुलना में पहले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है। यह भी माना गया कि पदोन्नति पद पर परिणामी ज्येष्ठता अनुच्छेद 16(4क) के अंतर्गत शामिल नहीं है।

संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001, जब 26 नवम्बर, 2001 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, का नाम संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001 था⁵²⁰। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करना था। विधेयक पर लोक सभा में 28 नवम्बर, 2001 को विचार किया गया तथा इसके संक्षिप्त नाम में "बानवेवां" के स्थान पर "पचासीवां"⁵²¹ परिवर्तन कर औपचारिक संशोधन के साथ इसे उसी दिन पारित कर दिया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर 5 दिसम्बर, 2001 को राज्य सभा में विचार कर इसे पारित किया गया⁵²²।

519. 2001 का विधेयक संख्यांक 105; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा 26 नवम्बर 2001 को लोक सभा में पुरःस्थापित; यथासंविधान (बयानवेवां संशोधन) विधेयक, वाद-विवाद, लोक सभा: 28 नवम्बर 2001; राज्य सभा: 5 दिसम्बर 2001; राष्ट्रपति की अनुमति: 4 जनवरी 2002; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 4 जनवरी 2002; प्रारंभ की तारीख: 17 जून 1995।

520. लोक सभा वाद-विवाद, 26 नवम्बर 2001, कॉलम 304-05।

521. वही, 28 नवम्बर 2001, कॉलम 384-472।

522. राज्य सभा वाद-विवाद, 05 दिसंबर 2001, कॉलम 201-228, 229-240 और 241-270।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी सेवक आरक्षण के नियम के आधार पर अपनी प्रोन्नति पर पारिणामिक ज्येष्ठता का फायदा प्राप्त करते रहे हैं। वीरपाल सिंह चौहान (1995) 6 एस.सी.सी. 684 और अजित सिंह सं. 1 ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 1189 के मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों जिनके कारण दिनांक 30 जनवरी, 1997 का कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी करना पड़ा था, उनसे अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति पर ज्येष्ठता के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के सरकारी सेवकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे व्यापक चिन्ता हो गई है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी सेवकों के हित संरक्षण के लिए संसद सदस्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए हैं। सरकार ने, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त राय को ध्यान में रखते हुए, स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी सेवकों का हित संरक्षण करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि दिनांक 30 जनवरी 1997 के कार्यालय ज्ञापन के प्रभाव को तत्काल प्रभाव से नकार दिया जाए। केवल दिनांक 30 जनवरी 1997 के कार्यालय ज्ञापन को वापस ले लेने से वांछित प्रयोजन पूरा नहीं होगा और सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण तथा ऐसे सरकारी सेवकों को पारिणामिक फायदा देना भी आवश्यक होगा। इसके लिए आरक्षण के नियम के आधार पर प्रोन्नति की दशा में, पारिणामिक ज्येष्ठता का उपबंध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) का संशोधन करना अपेक्षित होगा। यह भी आवश्यक है कि अनुच्छेद 16 (4क) के प्रस्तावित संविधान संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव, अनुच्छेद 16 (4क) के प्रवृत्त होने की तारीख, अर्थात् 17 जून, 1995 से ही दिया जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम 17 जून, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी नियोजन के मामले में अवसरों की समता का उपबंध है। अनुच्छेद के खंड (4क) में संशोधन कर "किसी वर्ग के प्रोन्नति के मामलों में" शब्दों के स्थान पर किसी वर्ग के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में उपबंध किया गया ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के लिए राज्य उपबंध कर सके और उनको राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पदों के वर्गों के किसी वर्ग के लिए प्रोन्नति के मामले में, यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पारिणामिक ज्येष्ठता के लाभ दिए जा सकें। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (पचासीवां संशोधन)

अधिनियम, 2001

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[4 जनवरी, 2002]

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 है।

(2) यह 17 जून 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 16
का संशोधन।

2. संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4(क) में," किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में "शब्दों के स्थान पर", "किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर" पारिणामिक ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

न्यायिक निर्णय के पश्चात् संशोधन:

85वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को *एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* (2006) 8 एससीसी 212 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने 77वें, 81वें और 82वें संवैधानिक संशोधनों के साथ 85वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। न्यायालय ने माना कि "कैच-अप" नियम और 'परिणामी ज्येष्ठता' की अवधारणा न्यायिक रूप से विकसित अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं का स्रोत सेवा संबंधी विधिशास्त्र में है। ये अवधारणाएं प्रथाओं पर आधारित हैं। हालांकि, ऐसी प्रथाओं को संवैधानिक सिद्धांत से ऊपर का दर्जा नहीं दिया जा सकता और सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांत संवैधानिक सीमाओं से भिन्न हैं।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002⁵²³

विधायी इतिहास

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002, जब 26 नवम्बर, 2001 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001⁵²⁴ था। इसका आशय संविधान में एक नए अनुच्छेद 21क को अंतःस्थापित करना था।

लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 2001 को विधेयक पर विचार किया गया तथा इसके नाम में "तिरानवेवां" के स्थान पर औपचारिक संशोधन करते हुए, इसे परिवर्तित करके "छियासीवां"⁵²⁵ कर इसे उसी दिन पारित कर दिया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा विचार किया गया था और खंड 1(1) में संशोधनों के साथ "2001" के स्थान पर "2002" प्रतिस्थापित किया गया तथा अधिनियमन सूत्र में "बावनवां" के स्थान पर "तिरपनवां" प्रतिस्थापित कर इसे 14 मई, 2002 को पारित किया गया⁵²⁶। राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक पर 27 नवम्बर, 2002⁵²⁷ को लोक सभा सहमत हुई तथा इसे पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में अंतर्विष्ट नीति के निदेशक तत्व में संविधान के प्रख्यापन से दस वर्ष के भीतर, चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। तथापि इस उपबंध के अंगीकरण के पचास वर्ष के पश्चात् भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। इस आयु समूह के सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने के कार्य को 1986

523. 2001 का विधेयक संख्यांक 106; मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ. मुरली मनोहर जोशी द्वारा 26 नवम्बर 2001 को लोक सभा में पुरःस्थापित: यथासंविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक; वाद-विवाद, लोक सभा: 28 नवम्बर 2001 और 27 नवम्बर 2002; राज्य सभा: 14 मई 2002; राष्ट्रपति की अनुमति: 12 दिसम्बर 2002; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 13 दिसम्बर 2002; प्रारंभ की तारीख: 1 अप्रैल 2010।

524. लोक सभा वाद-विवाद, 26 नवम्बर 2001, कॉलम 349-350।

525. वही, 28 नवम्बर 2001, कॉलम 472-620।

526. राज्य सभा वाद-विवाद, 14 मई 2002, पृ. 196-234, 235-352।

527. लोक सभा वाद-विवाद, 27 नवम्बर 2002, कॉलम 457-507।

में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित किये जाने के पश्चात् बल मिला। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस आदेश को पूरा करने के लिए काफी प्रयास किये हैं और हालांकि अनेक शैक्षिक सूचकों में महत्वपूर्ण सुधार परिलक्षित हुए थे, तथापि व्यापक और क्वालिटी शिक्षा प्रदान करने का अंतिम लक्ष्य अभी पूरा किया जाना शेष है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह महसूस किया गया है कि संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित भाग में एक स्पष्ट उपबंध किया जाना चाहिए।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने की दृष्टि से संसद में संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 एक नया अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 21क जो छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु समूह के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के संबंध में है, अंतःस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया गया था। उक्त विधेयक की मानव संसाधन विकास विषयक संसदीय स्थायी समिति द्वारा संवीक्षा की गई थी और इस विषय पर भारत के विधि आयोग द्वारा भी उसकी एक सौ पैंसठवीं रिपोर्ट में भी विचार किया गया था।

भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट और संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् संविधान के भाग 3, भाग 4 और भाग 4क में प्रस्तावित संशोधन किये गए, जो इस प्रकार हैं:-

(क) छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु समूह के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना और इस प्रयोजन के लिए संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001 के अधिनियमन के पश्चात् एक विधान संसद में पुरःस्थापित किया जाएगा;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उपबंध करना कि राज्य छह वर्ष से कम आयु वाले बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा; और

(ग) संविधान के अनुच्छेद 51क का यह उपबंध करने की दृष्टि से संशोधन करना जिससे कि माता-पिता की बाध्यता अपने बालकों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना होगा।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जैसाकि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात् एक नया अनुच्छेद 21क अंतःस्थापित किया गया है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को, इस प्रकार से, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। (धारा 2)

संविधान के अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें यह उपबंध है कि राज्य, सभी बालकों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। पहले, चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कराने का उपबंध था। (धारा 3)

अनुच्छेद 51क में एक नया खंड (ट) अंतःस्थापित किया गया है जिसमें यह उपबंध है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि "यदि वह माता-पिता या संरक्षक है, तो वह छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे"। (धारा 4)

संशोधन का पाठ

संविधान (छियासीवां संशोधन)

अधिनियम, 2002

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[12 दिसम्बर, 2002]

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और
(छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 है। प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नए अनुच्छेद 21क
अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- का अंतःस्थापन।

“21क. राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु शिक्षा का
वाले सभी बालकों को, ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अधिकार।
अवधारित करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध
करेगा।”

3. संविधान के अनुच्छेद 45 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद 45 के
अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- स्थान पर नए
अनुच्छेद का
प्रतिस्थापन।

“45. राज्य, सभी बालकों को छह वर्ष की आयु पूरी छह वर्ष से कम
करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के लिए आयु के बालकों
के लिए प्रारंभिक
बाल्यावस्था
देखरेख और
शिक्षा के लिए
उपबंध।”

अनुच्छेद 51क
का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 51क में, खंड (ज) के पश्चात्,
निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष
तक की आयु वाले अपने, बालक या प्रतिपाल्य, यथास्थिति,
को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003⁵²⁸

विधायी इतिहास

संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003, जब 2 मई, 2003 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब इसका नाम संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 था⁵²⁹। इस विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 में संशोधन करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 6 मई, 2003 को विचार किया गया तथा इसे उसी दिन "छियानवेवां" से "सतासीवां"⁵³⁰ संक्षिप्त नाम में आंशिक संशोधन करके पारित किया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 8 मई, 2003 को विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया⁵³¹।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 के अधिनियमित हो जाने पर परिसीमन आयोग का गठन करने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 को अधिनियमित किया गया था जिससे कि उक्त संवैधानिक संशोधन के प्रयोजनों को प्रभावी बनाया जा सके। तदनुसार 12.7.2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और श्री बी.बी. टंडन, भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त और संबद्ध राज्य के निर्वाचन आयुक्त उसके पदेन सदस्य बनाए गए। आयोग का मुख्य कार्य प्रत्येक राज्य को आवंटित स्थानों के संबंध में लोक सभा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनःसमायोजन करना और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों

528. 2003 का विधेयक संख्यांक 31; 2 मई 2003 को विधि और न्याय मंत्री, श्री अरुण जेटली द्वारा लोक सभा में संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक के रूप में यथापुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 6 मई 2003; राज्य सभा: 8 मई 2003; राष्ट्रपति की अनुमति: 22 जून 2003; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 24 जून 2003; प्रारंभ की तारीख: 22 जून 2003।

529. लोक सभा वाद-विवाद, 2 मई 2003, कॉलम 322-334।

530. वही, 6 मई 2003, कॉलम 335-422।

531. राज्य सभा वाद-विवाद, 8 मई 2003, पृष्ठ 233-256, 282-309।

का पुनः समायोजन करना है। निर्वाचन क्षेत्रों का सुव्यवस्थीकरण, जैसा अब उपबंधित किया गया है, 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाना था। आयोग को 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या पुनः नियत करने का कार्य भी सौंपा गया। आयोग ने भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुसचिवीय सहायता से कार्य करना प्रारंभ कर दिया और आशा की गई कि वह दो वर्ष के भीतर अपना कार्य पूरा कर लेगा।

परिसीमन आयोग ने सरकार को अपने पत्र में कहा था कि विभिन्न विद्वान व्यक्तियों, जिनमें अधिवक्ता, राजनैतिक विचारक और अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित हैं, द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के परिप्रेक्ष्य में परिसीमन, जो कि तीस वर्ष के अंतराल के बाद किया जा रहा है, 1991 की जनगणना के पुराने आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

परिसीमन आयोग के कार्यकरण के बारे में 13.3.2003 को एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों ने यह विचार व्यक्त किया था कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः उक्त बैठक में यह विनिश्चय किया गया था कि यदि किसी राजनैतिक दल के पास इस संबंध में कोई सुझाव हो कि वर्ष 1991 की लागू जनगणना के स्थान पर वर्ष 2001 की जनगणना को लागू किया जाए, तो वह इसे लिखित रूप में विधि और न्याय मंत्रालय को भेज सकता है। कुछ मुख्य राजनैतिक दलों ने वर्ष 2001 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाने के पक्ष में उत्तर दिया।

तदनुसार यह विनिश्चय किया गया कि वर्ष 2001 के लिए जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हुए, विधायी निकायों में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या पर प्रभाव डाले बिना, पुनः समायोजन करने के लिए उपबंध किया जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

राज्यों की विधानसभाओं और लोक सभा के संबंध में 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों सहित अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन के लिए "1991" अंकों के स्थान पर "2001" अंकों के साथ प्रतिस्थापित कर अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 का संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 82 में संशोधन के अनुसार जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् पहली जनगणना के लिए संगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर लिये जाते, तब तक यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य के विभाजन को पुनः समायोजित किया जाए, जैसाकि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जा सकता है। (धारा 2 से 5)

संशोधन का पाठ संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[22 जून, 2003]

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 81 के खंड (3) के परन्तुक के खंड (ii) में, “1991” अंकों के स्थान पर, “2001” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 81 का संशोधन।

3. संविधान के अनुच्छेद 82 के तीसरे परन्तुक के खंड (ii) में, “1991” अंकों के स्थान पर, “2001” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 82 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 170 में,- अनुच्छेद 170 का संशोधन।

(i) खंड (2) के स्पष्टीकरण के परन्तुक में, “1991” अंकों के स्थान पर, “2001” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (3) के तीसरे परन्तुक के खंड (ii) में, “1991” अंकों के स्थान पर, “2001” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. संविधान के अनुच्छेद 330 के स्पष्टीकरण के परन्तुक में, “1991” अंकों के स्थान पर, “2001” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 330 का संशोधन।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003⁵³²

विधायी इतिहास

संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 जब 7 मार्च 2003 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब इसका नाम संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003⁵³³ था। इस विधेयक का आशय संविधान में नया अनुच्छेद 268क अंतःस्थापित करना था।

विधेयक पर लोक सभा द्वारा 6 मई 2003 को विचार किया गया तथा इसे उसी दिन इसके संक्षिप्त नाम में "पचानवेवां" से "अठासीवां"⁵³⁴ आंशिक संशोधन करके पारित किया गया। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 8 मई 2003 को विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया⁵³⁵।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

वर्तमान में 'सेवाओं पर कर' से संबंधित मद संविधान की सातवीं अनुसूची की न तो संघ सूची में और न ही राज्य सूची में विनिर्दिष्टतया वर्णित है। ऐसे किन्हीं अन्य विषयों के लिए जो सूची-2 या सूची-3 में वर्णित नहीं है, जिनके अंतर्गत ऐसा कोई कर भी है जो उन सूचियों में से किसी सूची में वर्णित नहीं है, संघ सूची की प्रविष्टि 97 के बाबत विधि बनाने की अनन्य शक्ति संसद को है। केन्द्र सरकार ने, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर कतिपय सेवाओं पर मूल्यानुसार पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया है।

राज्यों ने 1 अप्रैल 2003 से अपनी विद्यमान विक्रय कर प्रणाली के स्थान पर मूल्यवर्धित कर

532. 2003 का विधेयक संख्यांक 14; 7 मार्च 2003 को वित्त और कंपनी कार्य मंत्री, श्री जसवंत सिंह द्वारा लोक सभा में संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 6 मई 2003; राज्य सभा: 8 मई 2003; निम्नलिखित राज्य विधानमंडलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुसमर्थित; राष्ट्रपति की अनुमति: 15 जनवरी 2004; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 16 जनवरी 2004; प्रारंभ की तारीख: 16 सितंबर 2016।

533. लोक सभा वाद-विवाद, 7 मार्च 2003, कॉलम 355-57।

534. वही, 6 मई 2003, कॉलम 268-335।

535. राज्य सभा वाद-विवाद, 8 मई 2003, पृष्ठ 205-208, 210-33, 256-81।

(वीएटी) प्रणाली को प्रतिस्थापित करने का सर्वसम्मति से विनिश्चय किया है। इस संदर्भ में राज्यों ने, अपने कर आधार को विस्तारित करने की दृष्टि से, यह सुझाव दिया है कि उनको सेवाओं पर कर संग्रहण करने और उसे विनियोजित करने के लिए समर्थ बनाया जाए।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में "सेवा" सेक्टर से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 48.5 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। अर्थव्यवस्था में इस सेक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समितियों ने बार-बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की है। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच विचार-विमर्श के आधार पर और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संविधान में (1) संघ सूची में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि के रूप में सेवाओं पर कर; (2) नए अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 268क का अंतःस्थापन; और (3) अनुच्छेद 270 में पारिणामिक संशोधन का उपबंध करने के लिए उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे संसद को, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उक्त कर का उद्ग्रहण करने और उनके आगमों का संग्रहण करने के लिए सिद्धांत अवधारित करने हेतु विधि द्वारा सिद्धांत विरचित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावित विधि के अनुसार राज्यों के राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि करने में सहायक होगा और राज्य स्तर के मूल्यवर्धित कर के विस्तार के क्षेत्र में सेवाओं के सम्मिलित किये जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। (धारा 1)

संविधान में एक नया अनुच्छेद 268क अंतः स्थापित किया गया जिसमें यह उपबंध किया गया है कि सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किये जायेंगे। किसी वित्तीय वर्ष में उद्ग्रहित ऐसे किसी कर के आगमों का भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण और विनियोजन, संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, जिसे संसद विधि द्वारा बनाए। अनुच्छेद 270 का संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है। (धारा 2-3)

धारा 4 में संविधान की सातवीं अनुसूची में, सूची 1 संघ सूची में प्रविष्टि "92ग सेवाओं संबंधी करों" को शामिल करने का उपबंध किया गया था।

संशोधन का पाठ

संविधान (अठासीवां संशोधन)

अधिनियम, 2003

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[15 जनवरी, 2004]

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

नए अनुच्छेद
268क का
अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 268 के पश्चात्, निम्नलिखित
अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

संघ द्वारा
उद्ग्रहित किए
जाने वाला और
संघ तथा राज्यों
द्वारा संग्रहित
और विनियोजित
किया जाने वाला
सेवा कर ।

“268क. (1) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा
उद्ग्रहित किए जाएंगे और ऐसा कर खंड (2) में उपबंधित रीति
से भारत सरकार तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित
किया जाएगा ।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में, खंड (1) के उपबंधों के अनुसार,
उद्ग्रहित ऐसे किसी कर के आगमों का-

(क) भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण;

(ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा विनियोजन,
संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिद्धांतों के अनुसार
किया जाएगा, जिन्हें संसद विधि द्वारा बनाए ।”

अनुच्छेद 270
का संशोधन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड (1) में, “अनुच्छेद
268 और अनुच्छेद 269” शब्दों और अंकों के स्थान पर,

“अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268क और अनुच्छेद 269” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. संविधान की सातवीं अनुसूची में, सूची 1- संघ सूची में सातवीं अनुसूची प्रविष्टि 92ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“92ग. सेवाओं पर कर।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003⁵³⁶

विधायी इतिहास

संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 जब 20 दिसम्बर 2002 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002 था⁵³⁷। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करना था। विधेयक को श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति ने 11 मार्च 2003 को अपना प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा। तत्पश्चात्, विधेयक पर 8 अगस्त 2003⁵³⁸ को लोक सभा में विचार किया गया। विधेयक पर विचार करते समय नए प्रस्तावित अनुच्छेद 338क के खण्ड (2) और (3) प्रतिस्थापित करने के लिए समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के समकक्ष अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने के संबंध में "दो" अन्य सदस्यों के स्थान पर "तीन" और "उपसभापति" शब्दों को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया⁵³⁹।

विधेयक, यथासंशोधित, लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर 2003 को संक्षिप्त शीर्षक में "चौरानवे" के स्थान पर "नवासी" प्रतिस्थापित कर औपचारिक संशोधन करके पारित किया गया⁵⁴⁰। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 19 अगस्त 2003 को विचार किया गया और उसे पारित किया गया⁵⁴¹।

536. 2002 का विधेयक संख्यांक 94; 20 दिसम्बर 2002 को जनजातीय कार्य मंत्री, श्री जुएल ओराम द्वारा लोक सभा में संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया; 11 मार्च 2003 को समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत: वाद-विवाद, लोक सभा: 8 अगस्त, 2003; राज्य सभा: 19 अगस्त 2003; राष्ट्रपति की अनुमति: 28 सितम्बर 2003; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 30 सितम्बर 2003; प्रारंभ की तारीख: 19 फरवरी 2004।

537. लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 2002, कॉलम 418-422।

538. वही, 8 अगस्त 2003, कॉलम 273-357।

539. वही, कॉलम 324।

540. वही, कॉलम 357।

541. राज्य सभा वाद-विवाद, 19 अगस्त 2003, कॉलम 207-63।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के पारित होने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया था। उक्त आयोग 1987 के संकल्प के अधीन स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर 12 मार्च 1992 को गठित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान या अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सभी रक्षोपायों की निगरानी करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं और उनकी समस्याएँ भी अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं। अक्टूबर, 1999 में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास को ठीक से व्यवस्थित करने का उपबंध करने के लिए नया जनजातीय कार्य मंत्रालय सृजित किया गया था। यह आवश्यक समझा गया था कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी कार्यकलापों को समन्वित करना चाहिए क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस कार्य का अनुपालन करना प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा। अनुसूचित जनजातियों के हितों को और अधिक प्रभावशाली रूप से सुरक्षित करने के लिए विद्यमान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को द्विभाजित करके पृथक् अनुसूचित जनजाति आयोग भी स्थापित करने का प्रस्ताव था। नया अनुसूचित जनजाति आयोग एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 338 को, उसमें संशोधन द्वारा उपान्तरित करने और नया अनुच्छेद 338क अंतःस्थापित करने की आवश्यकता है।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। (धारा 1)

विद्यमान पार्श्व शीर्ष को "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" द्वारा प्रतिस्थापित कर अनुच्छेद 338 को संशोधित किया गया है। खंड (1) को प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। खंड (5), खंड (9) और खंड (10) में "और अनुसूचित जनजातियों" शब्दों का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया गया है। (धारा 2)

एक नई धारा 338क को अंतःस्थापित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। राष्ट्रपति, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य तीन सदस्यों को नियुक्त करेगा। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि अन्य बातों के साथ-साथ वह अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे; उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे; अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे; उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे, आदि; अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। (धारा 3)

राष्ट्रपति सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ आयोग के पास विषय का अन्वेषण करते समय वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। (धारा 3)

संशोधन का पाठ

संविधान (नवासीवां संशोधन)

अधिनियम, 2003

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[28 सितम्बर, 2003]

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है। प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 में-

अनुच्छेद 338
का संशोधन।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।”;

(ख) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।”

(ग) खंड (5), खंड (9) और खंड (10) में, “और अनुसूचित जनजातियों” शब्दों का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा।

नए अनुच्छेद
338क का
अंतःस्थापन।

3. संविधान के अनुच्छेद 338 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग।

“338क. (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर

सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित

विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।"



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003⁵⁴²

विधायी इतिहास

संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 जब 9 मई 2003 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था तब इसका नाम संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 था⁵⁴³। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन करना था। विधेयक को गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया। समिति ने 22 जुलाई 2003 को अपना प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत किया तथा लोक सभा के पटल पर रखा। समिति ने सिफारिश की थी कि विधेयक को मूल रूप में पारित किया जाए।

विधेयक पर लोक सभा में 8 अगस्त 2003 को विचार किया गया और संक्षिप्त नाम में 'निन्यानवेवां' के स्थान पर 'नब्बेवां' प्रतिस्थापित कर औपचारिक संशोधन करके उसी दिन इसे पारित कर दिया गया⁵⁴⁴। अनुच्छेद 332 के खंड (6) के प्रस्तावित परन्तुतक में दो स्थानों पर "बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र जिला" शब्दों के स्थान पर "बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला" कर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चिन्मयानन्द द्वारा एक प्रस्ताव कर विधेयक के खंड दो को प्रतिस्थापित किया गया⁵⁴⁵। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 19 अगस्त 2003 को विचार किया गया और उसे पारित किया गया⁵⁴⁶।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध करता है। अनुच्छेद 332

542. 2003 का विधेयक संख्यांक 38; 9 मई 2003 को उप प्रधानमंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लोक सभा में संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; गृह कार्यों संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया; 22 जुलाई 2003 को समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत; वाद-विवाद, लोक सभा: 8 अगस्त 2003; राज्य सभा: 19 अगस्त 2003; राष्ट्रपति की अनुमति: 28 सितम्बर 2003; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 30 सितम्बर 2003; प्रारंभ की तारीख: 28 सितम्बर 2003।

543. लोक सभा वाद-विवाद, 9 मई 2003, कॉलम 351।

544. वही, 8 अगस्त 2003, कॉलम 292-301, 357-392।

545. वही, कॉलम 370।

546. राज्य सभा वाद-विवाद, 19 अगस्त, 2003, पृष्ठ 235-263।

का खंड (6) यह अनुबंध करता है कि कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधानसभा के लिए उस जिले के किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच 10 फरवरी 2003 को हस्ताक्षरित समझौते के ज्ञापन के अनुसरण में, और गैर-जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए यह प्रस्ताव था कि असम राज्य की विधानसभा में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जिला से अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों के विद्यमान प्रतिनिधित्व को यथावत बनाए रखा जाए। अतः, यह प्रस्ताव किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 332 के खंड (ख) में एक परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 332 में एक परन्तुक अंतःस्थापित कर यह संशोधन किया गया जिसमें उपबंध है कि असम राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाए रखा जाएगा। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[28 सितम्बर, 2003]

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (नब्बेवां संक्षिप्त नाम।
संशोधन) अधिनियम, 2003 है।

2. संविधान के अनुच्छेद 332 के खंड (6) में निम्नलिखित अनुच्छेद 332 का
परंतु अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- संशोधन।

“परंतु असम राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों के लिए, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाए रखा जाएगा।”



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003⁵⁴⁷

विधायी इतिहास

संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003, 5 मई 2003 को जब लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब इसका नाम संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 था⁵⁴⁸। विधेयक का आशय अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करना तथा संविधान में नया अनुच्छेद 361ख अंतःस्थापित करना था। विधेयक को गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति ने 5 दिसम्बर 2003 को अपना प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत किया और लोक सभा के पटल पर रखा। तत्पश्चात्, 16 दिसम्बर 2003 को लोक सभा में विधेयक पर विचार किया गया⁵⁴⁹। विधेयक पर विचार करते समय विधि और न्याय मंत्री, श्री अरुण जेटली ने गृह कार्य संबंधी समिति द्वारा अनुशासित संशोधनों सहित कतिपय संशोधन पेश किये तथा सभा द्वारा उन्हें स्वीकृत किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

समय-समय पर कुछ वर्गों से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में यथा अंतर्विष्ट दल परिवर्तन विरोधी विधि को सबल बनाने और उसमें संशोधन करने के लिए इस आधार पर मांग की जाती रही है कि ये उपबंध दल परिवर्तन को रोकने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। दसवीं अनुसूची की इस आधार पर भी आलोचना की जाती रही है कि यह बहुसंख्य दल परिवर्तनों को अनुज्ञात करता है किन्तु व्यक्ति दल परिवर्तन को अवैध घोषित करता है। भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 में यथा उपबंधित विघटन की दशा में निरर्हता से छूट का उपबंध सरकार को अस्थिर करने के इसके प्रभाव के संबंध में गंभीर आलोचना का पात्र बना है। निर्वाचन सुधार संबंधी समिति (दिनेश गोस्वामी समिति) ने

547. 2003 का विधेयक संख्यांक 32; विधि और न्याय मंत्री, श्री अरुण जेटली द्वारा 5 मई 2003 को लोक सभा में संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित; गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया; समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत: 5 दिसम्बर 2003; वाद-विवाद, लोक सभा: 16 दिसम्बर 2003; राज्य सभा: 18 दिसम्बर 2003; राष्ट्रपति की अनुमति: 1 जनवरी 2004; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 2 जनवरी 2004; प्रारम्भ की तारीख: 1 जनवरी 2004।

548. लोक सभा वाद-विवाद, 5 मई 2003, कॉलम 363-365।

549. वही, 16 दिसम्बर 2003, कॉलम 313-446।

मई 1990 की अपनी रिपोर्ट में, भारत के विधि आयोग ने "निर्वाचन सुधार संबंधी विधि (1999)" पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में और राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग (एन.सी.आर. डब्ल्यू. सी.) ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विघटन की दशा में निरर्हता से छूट देने से संबंधित भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के उक्त पैरा-3 का लोप करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग का यह भी विचार था कि किसी दल परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को, उसके कार्य के लिए कम से कम विद्यमान विधानमंडल की शेष अवधि के दौरान या अगले नए निर्वाचनों तक, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, किसी मंत्री के रूप में कोई सार्वजनिक पद या कोई अन्य लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने से विवर्जित करके दंडित किया जाना चाहिए। इन सुझावों को स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग का यह भी विचार था कि असामान्यतः विशाल परिषदों का केन्द्र में और राज्यों में विभिन्न सरकारों द्वारा गठन किया जा रहा है। इस प्रथा को विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया जाना था और यह कि किसी राज्य में या संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या की अधिकतम सीमा को विधानमंडल के लोकप्रिय सदन की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम दस प्रतिशत पर नियत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 का लोप करके संविधान में संशोधन करने तथा यह उपबंध करने का प्रस्ताव था कि मंत्रिपरिषद् का आकार संबंधित सदन या सदनों की चाहे वह एकल सदनीय हो या द्विसदनीय कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि सिक्किम, मिजोरम और गोवा जैसे छोटे राज्यों की दशा में, जिनकी विधानसभाओं में क्रमशः 32, 40 और 40 की सदस्य संख्या है, मंत्रियों की न्यूनतम संख्या सात होने का प्रस्ताव किया गया। इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान के अनुच्छेद 75 में, नए खंड (1क) और (1ख) अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया है। खंड (1क) में उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। खंड (1ख) के अधीन किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए भी निरर्हित होगा। (धारा 2)

संविधान के अनुच्छेद 164 में, दो नए खंड (1क) और (1ख) भी अंतःस्थापित किए गए हैं। खंड (1क) में अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि किसी राज्य में, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की

कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी।

खंड (1ख) के अधीन किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है, कोई सदस्य जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरहित है, अपनी निरहता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद् वाले किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए भी निरहित होगा। (धारा 3)

एक नया अनुच्छेद 361ख अंतःस्थापित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि किसी राजनीतिक दल का किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निरहित है, अपनी निरहता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक, जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या उस तारीख तक जिसको वह किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, और निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी निरहित होगा। (धारा 4)

“लाभप्रद राजनीतिक पद” अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद, जहां ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक राजस्व से किया जाता है; या किसी निकाय के अधीन, चाहे निगमित हो या नहीं, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन है, कोई पद और ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय ऐसे निकाय से किया जाता है सिवाय वहां के जहां संदत्त ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिकरात्मक स्वरूप का है। (धारा 4)

अधिनियम में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 3 के लोप के संबंध में उपबंध है जिसके द्वारा राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति में दल परिवर्तन के आधार पर निरहता से संरक्षण हटाया गया है। तदनुसार, पैरा 1 में खंड (ख) से “या पैरा 3” शब्दों और अंकों का लोप किया गया है। पैरा 2 के उप-पैरा (1) में, “पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “पैरा 4 और पैरा 5” शब्द और अंक रखे गये हैं। (धारा 5)

संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[1 जनवरी, 2004]

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान के अनुच्छेद 75 में, खंड (1) के पश्चात् अनुच्छेद 75
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- का संशोधन।

“(1क) मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(1ख) किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा।”

3. संविधान के अनुच्छेद 164 में, खंड (1) के पश्चात्, अनुच्छेद 164
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- का संशोधन।

“(1क) किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पन्द्रह प्रतिशत या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से, जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे, छह मास के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी।

(1ख) किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है, कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, किसी की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा।"

नए अनुच्छेद
361ख का
अंतःस्थापन।

4. संविधान के अनुच्छेद 361क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

लाभप्रद
राजनीतिक पद
पर नियुक्ति के
लिए निरर्हता।

"361ख. किसी राजनीतिक दल का किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या उस तारीख तक जिसको वह किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है और निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की

अवधि के दौरान, कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी निरहित होगा।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सदन" पद का वही अर्थ है जो उसका दसवीं अनुसूची के पैरा 1 के खंड (क) में है;

(ख) "लाभप्रद राजनीतिक पद" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है,—

(i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद, जहां ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक राजस्व से किया जाता है; या

(ii) किसी निकाय के अधीन, चाहे निगमित हो या नहीं, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन है, कोई पद और ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय ऐसे निकाय से किया जाता है,

सिवाय वहां के जहां संदत्त ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिकरात्मक स्वरूप का है।"

5. संविधान की दसवीं अनुसूची में—

दसवीं अनुसूची
का संशोधन।

(क) पैरा 1 के खंड (ख) में, "या पैरा 3" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा;

(ख) पैरा 2 के उप-पैरा (1) में, "पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "पैरा 4 और पैरा 5" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) पैरा 3 का लोप किया जाएगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (बयानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003⁵⁵⁰

विधायी इतिहास

संविधान (बयानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003, जब 18 अगस्त 2003 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया, तब इसका नाम संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक, 2003 था⁵⁵¹। विधेयक का आशय संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना था। यथापुरःस्थापित विधेयक को गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति ने राज्य सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा 5 दिसम्बर 2003 को लोक सभा के पटल पर रखा। समिति ने सिफारिश की थी कि विधेयक को वर्तमान रूप में पारित किया जाए।

22 दिसम्बर 2003 को लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया गया⁵⁵² तथा 23 दिसम्बर 2003 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया⁵⁵³।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान की आठवीं अनुसूची में कतिपय भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए मांग होती रही है। इस विधेयक में यह प्रस्तावित है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो भाषा को सम्मिलित किया जाए।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में विद्यमान प्रविष्टि 3 का प्रविष्टि 5 के रूप में पुनः संख्यांकन किया गया है ताकि इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि 5 से पूर्व क्रमशः प्रविष्टि

550. 2003 का विधेयक संख्यांक 63; उप-प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा 18 अगस्त 2003 को संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक के रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित; गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत: 5 दिसम्बर 2003; वाद-विवाद, लोक सभा: 22 दिसम्बर 2003; राज्य सभा: 23 दिसम्बर 2003; राष्ट्रपति की अनुमति: 7 जनवरी 2004; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 8 जनवरी 2004; प्रारंभ की तारीख: 7 जनवरी 2004।

551. लोक सभा वाद-विवाद, 18 अगस्त 2003, कॉलम 279-280।

552. लोक सभा वाद-विवाद, 22 दिसम्बर 2003, कॉलम 378-428।

553. राज्य सभा वाद-विवाद, 23 दिसम्बर 2003, कॉलम 249-296।

सं. 3 बोडो और प्रविष्टि सं. 4 डोगरी को शामिल करने का उपबंध किया जा सके। विद्यमान प्रविष्टि सं. 8 को प्रविष्टि सं. 11 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया है और प्रविष्टि सं. 10 मैथिली को इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि सं. 11 से पूर्व अंतःस्थापित किया गया है। विद्यमान प्रविष्टि सं. 15 को प्रविष्टि सं. 19 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है और प्रविष्टि सं. 18 संथाली को इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि सं. 19 से पहले अंतःस्थापित किया गया है। अन्य परिवर्तन पारिणामिक प्रकृति के हैं। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (बयानवेवां संशोधन)

अधिनियम, 2003

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[8 जनवरी, 2004]

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(बयानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है ।

आठवीं अनुसूची
का संशोधन ।

2. संविधान की आठवीं अनुसूची में,—

(क) विद्यमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 के रूप में पुनः
संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित
प्रविष्टि 5 के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की
जाएंगी, अर्थात्:—

"3 बोडो ।

4 डोगरी ।";

(ख) विद्यमान प्रविष्टि 4 से प्रविष्टि 7 को क्रमशः प्रविष्टि 6
से प्रविष्टि 9 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) विद्यमान प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 11 के रूप में
पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित
प्रविष्टि 11, के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की
जाएगी, अर्थात्:—

"10 मैथिली ।";

(घ) विद्यमान प्रविष्टि 9 से प्रविष्टि 14 को क्रमशः प्रविष्टि 12
से प्रविष्टि 17 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ड) विद्यमान प्रविष्टि 15 को प्रविष्टि 19 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित प्रविष्टि 19 के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"18 संधाली।";

(च) विद्यमान प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 18 को क्रमशः प्रविष्टि 20 से प्रविष्टि 22 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005⁵⁵⁴

विधायी इतिहास

संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 जब 20 दिसम्बर 2005 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया तब इसका नाम संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) विधेयक, 2005 था⁵⁵⁵। इसका आशय संविधान के अनुच्छेद 15 का संशोधन करना था। लोक सभा द्वारा विधेयक पर 21 दिसम्बर 2005 को विचार किया गया और उसी दिन "एक सौ चारवां" के स्थान पर "तिरानवेवां" शब्दों को प्रतिस्थापित करते हुए संक्षिप्त नाम में औपचारिक संशोधन के साथ पारित किया गया⁵⁵⁶। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 22 दिसम्बर 2003 को विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया⁵⁵⁷।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के विद्यार्थियों के एक बड़े वर्ग के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्च शिक्षा जिसमें वृत्तिक शिक्षा भी है, तक बृहत्तर पहुंच गहन चिन्ता का विषय रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (4) के उपबंधों से व्युत्पन्न हुआ है। वर्तमान में सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं में सहायता प्राप्त न करने वाली निजी संस्थाओं की तुलना में, विशिष्टता वृत्तिक शिक्षा के संबंध में, उपलब्ध स्थानों की संख्या सीमित है।

554. 2005 का विधेयक संख्यांक 160; मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा 20 दिसम्बर 2005 को संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) विधेयक के रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित: वाद-विवाद, लोक सभा: 21 दिसम्बर 2005; राज्य सभा: 22 दिसम्बर 2005; राष्ट्रपति की अनुमति: 20 जनवरी 2006; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 20 जनवरी 2006; प्रारंभ की तारीख: 20 जनवरी 2006।

555. लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 2005, कॉलम 455-462।

556. वही, 21 दिसम्बर 2005, कॉलम 452-641।

557. राज्य सभा वाद-विवाद, 22 दिसम्बर 2005, कॉलम 290-409।

अनुच्छेद 46 में, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में, यह अधिकथित है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष सावधानी से संवर्धन करेगा और उनकी सामाजिक अन्याय से रक्षा करेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के नागरिकों की जिन्हें अन्य पिछड़े वर्ग भी कहा जाता है, उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा तक उनकी पहुंच महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 30 का खंड (1) सभी अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार का उपबंध करता है। यह अनिवार्य है कि अल्पसंख्यकों को उनके द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने से संबंधित उपलब्ध अधिकार संरक्षित हों। तदनुसार अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अधीन राज्य द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में घोषित संस्थाओं का प्रस्ताव के प्रवर्तन से लोप किया गया है।

पिछड़े वर्गों के नागरिकों अर्थात् अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति का संवर्धन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न सहायता प्राप्त न करने वाली शैक्षिक संस्थाओं में इन प्रवर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के विषय में, अनुच्छेद 15 को प्रवर्धित करने का प्रस्ताव है। नया खंड (5) संसद के साथ-साथ राज्य के विधानमंडलों को ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए समुचित विधियां बनाने के लिए समर्थ करेगा।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। (धारा 1)

संविधान के अनुच्छेद 15 में एक नया खंड (5) अंतःस्थापित किया गया है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को, विधि द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने, जहां तक ऐसी शिक्षा संस्थाओं जिनमें निजी संस्था भी शामिल हैं, चाहे वे संबंधित राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, में उनके प्रवेश से संबंधित है, से निवारित नहीं करेगी। 'शिक्षा संस्थाओं' संबंधी अभिव्यक्ति उन संस्थाओं के संदर्भ में है जो अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ

संविधान (तिरानवेवां संशोधन)

अधिनियम, 2005

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[20 जनवरी, 2006]

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय
सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अनुच्छेद 15 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (4) के पश्चात्
निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड
(छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से
पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि
द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां
तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट
अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में,
जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से
सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं ।"

संशोधन के पश्चात् न्यायिक निर्णय:

भारत संघ बनाम अशोक कुमार ठाकुर, (2008) 6 एससीसी 1

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम, 2005 वैध था और, जहां तक यह राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित है, इसने संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन नहीं किया। निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 की वैधता को भविष्य में निर्णय लिए जाने के लिए खुला रखा गया।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006⁵⁵⁸

विधायी इतिहास

संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006, जब 1 मार्च 2006 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया तब इसका नाम संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) विधेयक, 2006 था⁵⁵⁹। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 164 का संशोधन करना था।

विधेयक पर 17 मई 2006 को लोक सभा द्वारा विचार किया गया⁵⁶⁰ और "एक सौ पांचवां" के स्थान पर "चौरानवेवां" प्रतिस्थापित करते हुए संक्षिप्त नाम में औपचारिक संशोधन के साथ 22 मई 2006 को पारित किया गया⁵⁶¹। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 22 मई 2006 को विचार किया गया तथा इसे पारित किया गया⁵⁶²।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड (1) के परन्तुक में यह उपबंध है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का भी प्रभारी होगा।

छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधिनियमन, जो क्रमशः 1 नवम्बर 2000 और 15 नवम्बर 2000 को प्रभावी हुए थे, के साथ अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के सृजन के परिणामस्वरूप तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का काफी बड़ा भाग छत्तीसगढ़ को अंतरित हो गया और पूर्ववर्ती बिहार राज्य के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र नवगठित झारखंड राज्य को अंतरित

558. 2006 का विधेयक संख्यांक 15; गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा 1 मार्च 2006 को संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) विधेयक के रूप में लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद, लोक सभा: 17 और 22 मई 2006; राज्य सभा: 22 मई 2006; राष्ट्रपति की अनुमति: 12 जून 2006; राजपत्र की अधिसूचना की तारीख: 13 जून 2006; प्रारंभ की तारीख: 12 जून 2006।

559. लोक सभा वाद-विवाद, 1 मार्च 2006, कॉलम 235-236।

560. वही, 17 मई 2006, कॉलम 452-460।

561. वही, 22 मई 2006, कॉलम 507-550।

562. राज्य सभा वाद विवाद, 22 मई 2006।

हो गए तथा अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (स.अ. 192) के अनुसार पुनः परिभाषित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चार राज्यों में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता इस प्रकार है:—

राज्य का नाम	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता
बिहार	0.9
झारखंड	26.3
छत्तीसगढ़	31.8
मध्य प्रदेश	20.3

चूंकि अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं था और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का भाग बहुत कम है, अतः उक्त परन्तुक के कार्यक्षेत्र से बिहार को अपवर्जित करने का प्रस्ताव किया गया और नवगठित छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के संबंध में अनुच्छेद 164 के खंड (1) में उपबंधों को विस्तारित करने का भी प्रस्ताव किया गया।

इस विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना था।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164(1) का संशोधन किया गया है जिसमें उपबंध है कि परन्तुक में "बिहार" शब्द के स्थान पर "छत्तीसगढ़, झारखंड" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए। उक्त परन्तुक में कतिपय राज्यों में जनजातीय मामलों के प्रभारी मंत्री का प्रावधान है। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[12 जून, 2006]

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006 है ।

अनुच्छेद 164 का
संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड (1) के परंतुक में "बिहार" शब्द के स्थान पर "छत्तीसगढ़, झारखंड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।



डिबेट का लिंक

संविधान (पिचानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2009⁵⁶³

विधायी इतिहास

संविधान (पिचानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2009 जब 30 जुलाई 2009⁵⁶⁴ को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया तो इसका नाम संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 था। विधेयक 4 अगस्त 2009⁵⁶⁵ को लोक सभा और 3 अगस्त 2009⁵⁶⁶ को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 334 में यह विहित किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण और लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में नामांकन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व से संबंधित संविधान के प्रावधान संविधान के प्रारंभ से साठ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि इन प्रावधानों को आगे नहीं बढ़ाया गया तो ये प्रावधान 25 जनवरी 2010 से प्रभावी नहीं होंगे। यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने पिछले साठ वर्षों में काफी प्रगति की है लेकिन सीटों के उपरोक्त आरक्षण और सदस्यों के नामांकन के संबंध में प्रावधान करने में संविधानसभा ने जिन कारणों को ध्यान में रखा था वे अभी भी विद्यमान हैं। इसलिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए नामनिर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व को दस साल की और अवधि के लिए जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है।

563. 2009 का विधेयक संख्यांक बीस; विधि और न्याय मंत्री श्री एम. वीरप्पा मोइली द्वारा 30 जुलाई 2009 को राज्य सभा में संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया गया; 4 अगस्त, 2009 को लोक सभा द्वारा पारित; 3 अगस्त 2009 को संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा पारित; राष्ट्रपति की सहमति: 18 जनवरी 2010; राजपत्र में अधिसूचना की तारीख: 19 जनवरी 2010।

564. राज्य सभा वाद-विवाद, 30 जुलाई 2009, पृष्ठ 1-6।

565. राज्य सभा वाद-विवाद, 4 अगस्त 2009, पृष्ठ 17-133।

566. राज्य सभा वाद-विवाद, 3 अगस्त 2009, पृष्ठ 1-22।

विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

इस अधिनियम ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीय समुदाय की सीटों के आरक्षण को 60 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया। (धारा 2)

संशोधन का पाठ संविधान (पिचानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2009

भारत के संविधान में और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[18 जनवरी, 2010]

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद द्वारा इसे
निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान संक्षिप्त नाम और
(पिचानवेवां संशोधन) अधिनियम है। प्रारंभ।

(2) यह 25 जनवरी 2010 को लागू होगा।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में, "साठ वर्ष" शब्दों के अनुच्छेद 334 का
स्थान पर "सत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे। संशोधन।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011⁵⁶⁷

विधायी इतिहास

संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 15 मार्च 2010⁵⁶⁸ को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था जिसका नाम संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 था। विधेयक 9 नवंबर 2010⁵⁶⁹ को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और 24 मार्च 2011⁵⁷⁰ को संशोधनों के साथ राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की गई और 6 सितंबर 2011⁵⁷¹ को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य एवं कारण

उड़ीसा सरकार ने 28 अगस्त 2008 को उड़ीसा की विधानसभा द्वारा पारित संकल्प को दिसंबर 2008 में केंद्र सरकार को भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में "उड़िया" के रूप में निर्दिष्ट भाषा को "ओडिआ" के रूप में परिवर्तित किया गया और हिंदी भाषा में "उड़िया" शब्द का अनुवाद तदनुसार "ओडिआ" के रूप में संशोधित किया, राज्य का नाम और राज्य की भाषा में परिवर्तन किया गया और उनके हिंदी अनुवाद में परिवर्तन किया गया तथा इस मामले को भारत सरकार के समक्ष रखने के लिए उड़ीसा सरकार को अधिकृत किया गया।

567. 2010 का विधेयक संख्यांक 28; 15 मार्च 2010 को गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा लोक सभा में संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया गया; 9 नवंबर, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित; 24 मार्च 2011 को संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा पारित; राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन और विधेयक, यथा संशोधित सहमत रूप में, 6 सितंबर 2011 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया: राष्ट्रपति की सहमति: 23 सितंबर 2011; राजपत्र में अधिसूचना की तिथि: 24 सितंबर 2011।

568. लोक सभा वाद-विवाद, 15 मार्च 2010, पृष्ठ 45।

569. वही, 9 नवंबर 2010 पृष्ठ 83-106।

570. राज्य सभा वाद-विवाद, 24 मार्च 2011, पृष्ठ 13-62।

571. लोक सभा वाद-विवाद, 6 सितंबर 2011, पृष्ठ 48-86।

संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा का नाम 'उड़िया' से बदलकर 'ओडिआ' करने का प्रावधान करता है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

अधिनियम की धारा 2 ने प्रविष्टि 15 में 'उड़िया' शब्द को 'ओडिआ' से प्रतिस्थापित करके भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया। हिंदी भाषा में "उड़िया" शब्द का अनुवाद "ओडिआ" के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए।

संशोधन का पाठ

संविधान (छियानवेवां संशोधन)

अधिनियम, 2011

*भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम*

[23 सितंबर, 2011]

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

आठवीं अनुसूची
का संशोधन ।

2. संविधान की आठवीं अनुसूची की प्रविष्टि 15 में,
"उड़िया" शब्द के स्थान पर "ओडिआ" शब्द रखा जाएगा ।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011⁵⁷²

विधायी इतिहास

संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011, 30 नवंबर 2009 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था जिसका नाम संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009⁵⁷³ था। विधेयक को कृषि संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया और इसकी सूचना 29 दिसंबर 2009⁵⁷⁴ को समाचार -भाग दो में प्रकाशित की गई। समिति ने 30 अगस्त 2010 को लोक सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इसे 22 दिसंबर 2011⁵⁷⁵ को लोक सभा द्वारा और 28 दिसंबर 2011⁵⁷⁶ को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

सहकारी सेक्टर ने, वर्षों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण योगदान किया है और उसने बेहद उन्नति की है। तथापि, इसमें सदस्यों के हितों की सुरक्षा करने और ऐसे उद्देश्यों को, जिनके लिए ये संस्थाएं संगठित की गई थीं, पूरा करने में कमी देखी गई है। ऐसे उदाहरण हैं जहां निर्वाचनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है और नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी या प्रशासक एक लम्बे समय के लिए इन संस्थाओं में प्रभारी बने रहे हैं। इससे सहकारी सोसाइटियों के प्रबंधन की उनके सदस्यों के प्रति जवाबदेही कम होती है। बहुत सी सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में अपर्याप्त वृत्तिकता से कमजोर सेवाएं और निम्न उत्पादकता दर्शित हुई

572. 2009 का विधेयक संख्यांक 107; कृषि, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री श्री शरद पवार द्वारा 30 नवंबर 2009 को लोक सभा में संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया गया जिसे कृषि संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया; समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख: 30 अगस्त 2010; चर्चा की गई, लोक सभा: 22 दिसंबर 2011; राज्य सभा: 28 दिसंबर 2011; राष्ट्रपति की अनुमति: 12 जनवरी 2012; राजपत्र में अधिसूचना की तिथि: 13 जनवरी 2012।

573. लोक सभा वाद-विवाद, 30 नवंबर 2009, पृष्ठ 1-2।

574. वही, 29 दिसंबर 2009।

575. वही, 22 दिसंबर, 2011, पृ. 32-140।

576. लोक सभा वाद-विवाद, 28 दिसंबर 2011, पृष्ठ 10-39।

है। सहकारिताओं के, अच्छे प्रकार से स्थापित लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर चलने और निर्वाचनों को समय पर तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से कराए जाने की आवश्यकता है। अतः, देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए मौलिक सुधारों को प्रारंभ करने की आवश्यकता है और सदस्यों तथा सर्वसाधारणों के हितों के लिए और उनके स्वशासी लोकतांत्रिक क्रियाकलाप तथा वृत्तिक प्रबंधन को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

“सहकारी सोसाइटियां” संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 32 में प्रगणित विषय है और तदनुसार राज्य विधान-मंडलों ने सहकारी सोसाइटियों पर विधान अधिनियमित किए हैं। राज्य अधिनियमों की रूपरेखा के भीतर वृहद स्तर पर सहकारिता के उत्थान को सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा विकास के परिणामों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के प्रयत्नों के भागरूप में परिकल्पित किया गया था। तथापि यह अनुभव किया गया है कि सहकारिता के यथेष्ट विस्तार गुणात्मक अनुपालन के होते हुए भी वह वांछित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में सुधार की आवश्यकता पर विचार करते हुए राज्य सरकारों से अनेक अवसरों पर और राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलनों में परामर्श किए गए। संविधान का संशोधन करने की विशेष आवश्यकता महसूस की गई है जिससे सहकारिताओं को अनावश्यक बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जा सके और अनेक स्वशासी संगठनात्मक ढांचे को तथा उनके लोकतांत्रिक कृत्यों को सुनिश्चित किया जा सके।

केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सहकारी सोसाइटियां, लोकतांत्रिक, वृत्तिक, स्वशासी और आर्थिक रूप से सशक्त रीति से कृत्य करें। आवश्यक सुधार करने की दृष्टि से संविधान में एक नया भाग सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है जिससे सहकारी सोसाइटियों के क्रियाकलाप के अत्यावश्यक पहलुओं को सम्मिलित करने वाले कतिपय उपबंधों के लिए उपबंध किया जा सके। सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन के संवर्धन का प्रयास करने को राज्य सरकारों के लिए संविधान (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) के भाग 4 में एक नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है। अन्य बातों के साथ संविधान में प्रस्तावित नया भाग, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में संसद् को और अन्य सहकारी सोसाइटियों की दशा में राज्य विधान-मंडलों को समुचित विधि बनाने के लिए, सशक्त करता है, अर्थात्:-

(क) लोकतांत्रिक, सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वशासी कृत्यों के सिद्धान्तों पर आधारित सहकारी सोसाइटियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के लिए उपबंध;

(ख) इक्कीस सदस्यों से अनधिक होने वाली किसी सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट करना;

(ग) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों के संबंध में निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की नियत अवधि के लिए उपबंध करना;

(घ) छह मास की ऐसी अधिकतम समय-सीमा के लिए उपबंध करना जिसके दौरान सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण या निलंबन किया जा सकेगा;

(ङ) निष्पक्ष वृत्तिक संपरीक्षा के लिए उपबंध करना;

(च) सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों को सूचना के अधिकार के लिए उपबंध करना;

(छ) राज्य सरकारों को सहकारी सोसाइटियों के क्रियाकलाप की आवधिक रिपोर्ट और लेखे अभिप्रास करने के लिए सशक्त बनाना;

(ज) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में, जो ऐसे प्रवर्ग से सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बना हो, एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उपबंध करना;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के संबंध में शास्तियों के लिए उपबंध करना।

यह आशा की जाती है कि ये उपबंध न केवल सहकारिता के स्वशासी और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुनिश्चित करेंगे बल्कि सदस्यों और स्टैकहोल्डर्स के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे तथा विधि के उपबंधों के अतिक्रमण के निवारण के लिए उपबंध करेंगे। विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। (धारा 1)

अधिनियम की धारा 2 में संविधान के अनुच्छेद 19 (1), उप-खंड (ग) में "या सहकारी समितियां" शब्द शामिल किये गये।

धारा 3 ने संविधान का अनुच्छेद 43ख प्रतिस्थापित किया। अनुच्छेद 43-ख में प्रावधान है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

अधिनियम की धारा 4 ने संविधान के भाग IX-क के बाद एक नया भाग IX-ख शामिल किया गया। भाग IX-ख में 243यज से 243यन तक अनुच्छेद शामिल हैं।

अनुच्छेद 243यझ सहकारी समितियों के निगमन का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कामकाज के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के संबंध में प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 243यज में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड, जैसा कि अनुच्छेद 243यज(ख) के तहत परिभाषित है, में उतने ही निदेशक शामिल होंगे जितने राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा परन्तुक प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें सदस्य के रूप में व्यक्ति शामिल होते हैं और ऐसे वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के सदस्य होते हैं। बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से 5 वर्ष का होगा।

अनुच्छेद 243यट बोर्ड के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड का चुनाव बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराया जाएगा। इसके अलावा, किसी सहकारी समिति के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ऐसे प्राधिकारी या निकाय में निहित होगा, जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रावधान में कहा गया है कि ऐसे चुनावों के संचालन के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

अनुच्छेद 243यठ बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन के अधिक्रमण और निलंबन का प्रावधान करता है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी बोर्ड को उसके द्वारा बारम्बार चूक, या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के मामलों को छोड़कर, या बोर्ड द्वारा सहकारी सोसाइटी अथवा उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी कृत्य; अथवा संविधान अथवा बोर्ड के कार्यों में गतिरोध; अथवा राज्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन करवाने में प्राधिकरण या निकाय की विफलता के मामलों को छोड़कर छह महीने से अधिक की अवधि के लिए अतिष्ठित या निलंबित नहीं रखा जाएगा।

अनुच्छेद 243यड एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सहकारी समितियों के खातों की लेखा परीक्षा का प्रावधान करता है। इसके संबंध में प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाएंगे जो अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा फर्मों की न्यूनतम अर्हता और

अनुभव का उपबंध करेंगे जो सहकारी समितियों के खातों के लेखा परीक्षण के लिए पात्र होंगे। शीर्ष सहकारी समिति के खातों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष उस तरीके से रखी जाएगी जैसा राज्य विधानमंडल द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

अनुच्छेद 243यद में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति की वार्षिक सामान्य निकाय बैठक के लिए प्रावधान कर सकता है जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर बुलाई जाएगी।

अनुच्छेद 243यण किसी सदस्य को सहकारी सोसाइटी की ऐसी बहियों, सूचना और लेखाओं के लिए जो ऐसे सदस्य के पास कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गए हैं, तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है। किसी राज्य की विधायिका, कानून द्वारा, अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 243यत में प्रावधान है कि प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी को रिटर्न दाखिल करेगी जिसमें उसकी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट, खातों का लेखापरीक्षित विवरण, सहकारी समिति के उपनियमों में संशोधन के संबंध में सूची, आदि जैसे मामले शामिल होंगे।

अनुच्छेद 243यथ में प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमंडल सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान कर सकता है, जिसमें जानबूझकर गलत रिटर्न देना, समन की अवज्ञा करना, चौदह दिनों की अवधि के लिए सहकारी समितियों की राशि का भुगतान करने में विफलता, भ्रष्ट आचरण आदि अपराध जैसे कार्य शामिल होंगे।

अनुच्छेद 243यद में प्रावधान है कि भाग IX-ख के प्रावधान बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 243यध में प्रावधान है कि इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू होंगे। परन्तु यह कि राष्ट्रपति, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकते हैं कि इस भाग के प्रावधान किसी भी संघ राज्यक्षेत्र या उसके हिस्से पर लागू नहीं होंगे जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

संशोधन का पाठ

संविधान (सत्तानवेवां संशोधन)

अधिनियम, 2011

(संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित)

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[12 जनवरी 2012]

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार
शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अनुच्छेद 19 का
संशोधन ।

2. संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में, खंड (1)
में, उप-खण्ड (ग) में, “अथवा संघों” शब्दों के पश्चात् “अथवा
सहकारी सोसाइटियों” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

नए अनुच्छेद
43ख का
अंतःस्थापन ।

3. संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43क के पश्चात्,
निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सहकारी
सोसाइटियों का
संवर्धन ।

“43ख. राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक
विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण
और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा ।”

नए भाग 9ख का
अंतःस्थापन ।

4. संविधान के भाग 9क के पश्चात्, निम्नलिखित भाग
अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“भाग 9 ख

सहकारी सोसाइटियां

परिभाषाएं ।

243यज. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा
अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकृत व्यक्ति" से अनुच्छेद 243यथ में उस रूप में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:

(ख) "बोर्ड" से किसी सहकारी सोसाइटी का निदेशक बोर्ड या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का निदेशन और नियंत्रण सौंपा गया हो, अभिप्रेत है;

(ग) "सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है;

(घ) "बहुराज्य सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो ऐसी सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है;

(ङ.) "पदाधिकारी" से किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(च) "रजिस्ट्रार" से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार और सहकारी सोसाइटियों के संबंध में किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(छ) "राज्य अधिनियम" से किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है;

(ज) "राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका सम्पूर्ण राज्य पर विस्तारित अपना प्रचालन क्षेत्र है और जिसे किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि में इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

सहकारी
सोसाइटियों
का निगमन।

243यझ. इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के संबंध में स्वैच्छिक विरचना, लोकतान्त्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कृत्यकरण के सिद्धांतों के आधार पर उपबंध कर सकेगा।

बोर्ड के सदस्यों
और उसके
पदाधिकारियों
की संख्या और
पदावधि।

243यअ. (1) बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे, जो राज्य विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित की जाए:

परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में जो सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और उसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा महिलाओं के वर्ग से सदस्य हों, एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा।

(2) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों तथा उसके पदाधिकारियों की पदावधि, निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की अवधि की सहविस्तारी होगी:

परंतु बोर्ड, बोर्ड की आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगा, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है।

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों या उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को बोर्ड के 15 सदस्य के रूप में सहयोजित किए जाने के लिए, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगा:

परंतु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या, खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्य के रूप में उनकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान करने का या बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा:

परंतु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी निदेशक बोर्ड के सदस्य भी होंगे और ऐसे सदस्यों को इस अनुच्छेद के खंड (1) के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

243यट. (1) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का निर्वाचन उसकी अवधि के अवसान से पूर्व संचालित किया जाएगा, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नव निर्वाचित बोर्ड के सदस्य पदावरोही बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के अवसान पर तुरंत कार्यभार ग्रहण कर लें।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ऐसे प्राधिकारी या निकाय, जो राज्य विधान-मंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाए, में निहित होगा:

परंतु किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे निर्वाचनों के संचालन से संबंधित प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उपबंध कर सकेगा।

243यठ. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई बोर्ड छह मास से अधिक अवधि के लिए अतिष्ठित नहीं किया जाएगा या निलंबनाधीन नहीं रखा जाएगा:

बोर्ड का अधिक्रमण तथा निलंबन और अंतरिम प्रबंध।

परंतु बोर्ड को—

- (i) उसके लगातार व्यतिक्रम की दशा में; या
- (ii) अपने कर्तव्यों के अनुपालन में उपेक्षा करने की दशा में; या

(iii) बोर्ड द्वारा सहकारी सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करने की दशा में; या

(iv) बोर्ड के गठन या उसके कृत्यों में कोई गतिरोध उत्पन्न होने की दशा में; या

(v) राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, खंड 243यट के उपखंड (2) के अधीन यथाउपबंधित प्राधिकारी या निकाय के राज्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन कराने में असफल रहने की दशा में, अतिष्ठित किया जा सकेगा या निलंबनाधीन रखा जा सकेगा:

परन्तु यह और कि जहां कोई सरकारी शेयर धारण या सरकार द्वारा कोई उधार या वित्तीय सहायता या गारंटी नहीं है वहां ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अतिष्ठित नहीं किया जाएगा या निलंबनाधीन नहीं रखा जाएगा:

परन्तु यह भी कि बैंककारी कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध भी लागू होंगे:

1949 का 10

परन्तु यह और भी कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से भिन्न बैंककारी कारबार करने वाली सहकारी सोसाइटी की दशा में इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "छह मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे गए हों।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण की दशा में, ऐसी सहकारी सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त प्रशासक, खंड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचनों के संचालन की व्यवस्था करेगा और उसका प्रबंध निर्वाचित बोर्ड को सौंपेगा।

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, प्रशासक की सेवा की शर्तों के लिए उपबंध कर सकेगा।

सहकारी
सोसाइटियों
के लेखाओं की
संपरीक्षा।

243यड (1) किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, सोसाइटियों द्वारा लेखाओं के रखे जाने और ऐसे लेखाओं की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षा किए जाने के बारे में उपबंध कर सकेगा।

(2) किसी राज्य का विधान मंडल ऐसे संपरीक्षकों और संपरीक्षा करने वाली ऐसी फर्मों की, जो सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए पात्र होंगी, न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव अधिकथित करेगा।

(3) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी लेखाओं की संपरीक्षा सहकारी सोसाइटी की साधारण सभा द्वारा नियुक्त खंड (2) में निर्दिष्ट किसी संपरीक्षक या संपरीक्षा करने वाली फर्मों द्वारा करवाएगी:

परंतु ऐसे संपरीक्षकों या संपरीक्षा करने वाली फर्मों को राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल में से नियुक्त किया जाएगा।

(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे वह संबंधित है, समाप्ति के छह मास के भीतर की जाएगी।

(5) राज्य अधिनियम द्वारा यथा परिभाषित किसी सर्वोच्च सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान-मंडल के समक्ष राज्य अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित रीति में रखी जाएगी।

243यद. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, यह साधारण सभा की उपबंध कर सकेगा कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की साधारण बैठक संयोजित सभा की वार्षिक बैठक कारबार का संव्यवहार करने के लिए, करना। जैसा कि ऐसी विधि में उपबंधित हो, वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर संयोजित की जाएगी।

243यण. (1) किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य तक सहकारी सोसाइटी की ऐसी बहियों, सूचना और लेखाओं के लिए जो ऐसे सदस्य के पास कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गए हैं, पहुंच के लिए उपबंध कर सकेगा। सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार।

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने

के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगा, जिनमें सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की न्यूनतम अपेक्षा और सेवाओं के न्यूनतम स्तर का जैसा कि ऐसी विधि में उपबंध किया जाए, उपभोग करने के लिए उपबंध होगा।

(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध कर सकेगा।

विवरणियां।

243यत. प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास के भीतर राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां फाइल करेगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:—

(क) उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) उसके लेखाओं का संपरीक्षित विवरण;

(ग) अधिशेष के व्ययन की योजना, जो सहकारी सोसाइटी की साधारण सभा द्वारा यथा अनुमोदित हो;

(घ) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हों, की सूची:

(ङ) अपनी साधारण सभा की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के संबंध में घोषणा; और

(च) राज्य अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

अपराध और शास्तियां।

243यथ. (1) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों से संबंधित शास्तियों के लिए उपबंध कर सकेगा।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करना या उसका लोप करना अपराध माना जाएगा, अर्थात्:—

(क) कोई सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी तैयार करता है या

मिथ्या जानकारी देता है अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी जानकारी नहीं देता है, जो इस निमित्त राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित हो;

(ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी रामन, अध्यपेक्षा था विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है;

(ग) कोई नियोजक, जो पर्याप्त कारण के बिना, उसके द्वारा अपने कर्मचारी से काटी गई रकम का, उस तारीख से, जिसको ऐसी कटौती की गई है। चौदह दिन की अवधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में असफल रहता है;

(घ) ऐसा कोई अधिकारी या अभिरक्षक, जो ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है, बहियों, लेखाओं दस्तावेजों, अभिलेखों, रोकड़, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति की अभिरक्षा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल रहता है; और

(ङ) जो कोई बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के निर्वाचन से पहले, उसके दौरान या बाद में कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है।

243यद. इस भाग के उपबंध बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि राज्य का विधान मंडल, "राज्य अधिनियम" या "राज्य सरकार" के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः "संसद", "केन्द्रीय अधिनियम" या "केन्द्रीय सरकार" के प्रतिनिर्देश है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना।

243यध. इस भाग के उपबंध, संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र को जिसकी कोई विधानसभा नहीं है। इस प्रकार लागू होंगे मानो किसी राज्य के विधान-मंडल के प्रतिनिर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक के प्रति और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जिसकी कोई विधानसभा है, उस विधानसभा के प्रतिनिर्देश हो: संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना।

परंतु यह कि राष्ट्रपति, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध ऐसे किसी संघ राज्यक्षेत्र को या उसके भाग को जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे लागू नहीं होंगे।

विद्यमान विधियों का जारी रहना।

243यन. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान सत्तावनवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित कर दिए जाने तक या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष व्यतीत हो जाने तक, इनमें से जो भी कम हो, प्रवृत्त बना रहेगा।"।

संशोधन के पश्चात् न्यायिक निर्णय:

भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 474

इस मामले में संविधान के भाग IX-ख की संवैधानिक वैधता, जिसमें **97वें संविधान संशोधन अधिनियम** द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 243यज से 243यन शामिल हैं, को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ भाग IX-ख को अंतःस्थापित किया, अनुच्छेद 368(2) के तहत अपेक्षित अनुसमर्थन के अभाव में संविधान के दायरे से बाहर है।

हालांकि, भाग IX-ख को बनाए रखने के लिए इस मामले में पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू किया गया था, जहां तक यह राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित था।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (अठानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2012⁵⁷⁷

विधायी इतिहास

संविधान (अठानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2012, जब 7 सितंबर 2012 को लोक सभा में पेश किया गया तो इसका नाम संविधान (एक सौ अठारहवां संशोधन) विधेयक, 2012⁵⁷⁸ था। विधेयक 18 दिसंबर 2012⁵⁷⁹ को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और राज्य सभा द्वारा 19 दिसंबर 2012⁵⁸⁰ को संशोधन के साथ पारित किया गया था। राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन और विधेयक, यथा सहमत, 20 दिसंबर 2012⁵⁸¹ को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

कर्नाटक राज्य के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु कर्नाटक विधानसभा द्वारा तारीख 17 मार्च 2010 को एक संकल्प पारित किया गया था और राज्य की विधान परिषद् द्वारा भी तारीख 18 मार्च 2010 को एक संकल्प पारित किया गया था। कर्नाटक सरकार ने भी उस क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध करने की आवश्यकता का समर्थन किया है। ये संकल्प राज्य के अत्यंत पिछड़े क्षेत्र के विकास में गति लाने और राज्य में अंतर-जिला और अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की दृष्टि से समावेशी विकास की अभिवृद्धि करने के लिए हैं।

577. 2012 का विधेयक संख्यांक 106; गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा 7 सितंबर 2012 को लोक सभा में संविधान (एक सौ अठारहवां संशोधन) विधेयक के रूप में पेश किया गया; 18 दिसंबर, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित; 19 दिसंबर 2012 को संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा पारित; राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन पर लोक सभा द्वारा सहमति व्यक्त की गई और विधेयक को उस संशोधन के साथ जिस संशोधन पर सहमति व्यक्त की गई थी, 20 दिसंबर, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया; राष्ट्रपति की सहमति: 1 जनवरी 2013; शासकीय राजपत्र अधिसूचना की तिथि: 2 जनवरी 2013।

578. लोक सभा वाद-विवाद, 7 सितंबर 2012, पृष्ठ 27-46।

579. वही, 18 दिसंबर 2012, पृष्ठ 47।

580. राज्य सभा वाद-विवाद, 19 दिसंबर 2012, पृष्ठ 407-462।

581. वही, 20 दिसंबर 2012, पृ. 407-462।

विशेष उपबंधों का उद्देश्य भारत के संविधान में संशोधन द्वारा उक्त क्षेत्र की विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही मानव संसाधनों की वृद्धि करने तथा उस क्षेत्र से सेवाओं में स्थानीय काडरों के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध करने तथा नियोजन की अभिवृद्धि करने हेतु निधियों के साम्यपूर्ण आबंटन के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का है।

तदनुसार कर्नाटक राज्य के पूर्व हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्रों के लिए, जिसमें गुलबर्ग, बीदर रायचूर कोपला और यादगीर के जिले हैं तथा अतिरिक्त रूप में बेल्लारी जिला सम्मिलित है। विशेष उपबंधों का उपबंध करने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। विशेष उपबंध के रूप में यह अनुच्छेद निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए:

- (क) उपरवर्णित पूर्वोक्त क्षेत्र के लिए एक पृथक् विकास बोर्ड की स्थापना करना;
- (ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र के विकास के लिए निधियों के साम्यपूर्ण आबंटन का उपबंध करना;
- (ग) क्षेत्र के अधिवासियों के लिए स्थानीय काडर का गठन करके लोक नियोजन में आरक्षण का उपबंध करना; और
- (घ) क्षेत्र के अधिवासियों के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध करना।

विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम ने कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करते हुए संविधान में अनुच्छेद 371ज शामिल किया। (धारा 2)

अनुच्छेद 371ज यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा, कर्नाटक राज्य के संबंध में राज्यपाल की कोई विशेष जिम्मेदारी प्रदान कर सकते हैं, जिसमें हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना, धन का न्यायसंगत आवंटन, सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मामलों में उक्त क्षेत्र के लोगों के लिए समान अवसर और सुविधाएं शामिल हैं जो समग्र रूप से राज्य की आवश्यकताओं के अधीन होंगी।

संशोधन का पाठ

संविधान (अठानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2012

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[1 जनवरी, 2013]

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(अठानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

नए अनुच्छेद
371अ का
अंतःस्थापन।

2. संविधान के अनुच्छेद 371अ के पश्चात् निम्नलिखित
अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

कर्नाटक राज्य
के संबंध में विशेष
उपबंध।

“371 अ. (1) राष्ट्रपति कर्नाटक राज्य के संबंध में किए
गए आदेश द्वारा,-

(1) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए इस उपबंध के साथ
कि बोर्ड के कार्यकरण की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्य विधानसभा
के समक्ष रखी जाएगी, एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना
के लिए;

(2) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते
हुए उक्त क्षेत्र के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण
आबंटन के लिए; और

(3) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते
हुए, उक्त क्षेत्र के लोगों के लिए लोक नियोजन, शिक्षा और

व्यावसायिक प्रशिक्षण के विषयों में साम्यापूर्ण अवसर और सुविधाओं के लिए, राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।

(2) खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन किए गए आदेश द्वारा,—

(1) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में, ऐसे छात्रों के लिए जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, स्थानों के आनुपातिक आरक्षण के लिए उपबंध किया जा सकेगा; और

(2) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या संगठन में पदों या पदों के वर्गों की पहचान के लिए और उन व्यक्तियों के लिए, जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, ऐसे स्थानों के आनुपातिक आरक्षण के लिए और उन पदों पर सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा अथवा ऐसी किसी अन्य रीति में, जो आदेश द्वारा विहित की जाए, नियुक्ति के लिए उपबंध किया जा सकेगा।"।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014⁵⁸²

विधायी इतिहास

संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति समिति के निर्माण से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करना और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करना था। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की कॉलेजियम प्रणाली एक न्यायिक रूप से विकसित अवधारणा थी जिसे एस.सी. एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (न्यायाधीश स्थानांतरण मामला II) (1993) 4 एससीसी 441 से देखा जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया और दिशानिर्देश तैयार किये। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) और अनुच्छेद 217 के खंड (1) में 'परामर्श' शब्द की व्याख्या "सहमति" के रूप में की और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्रधान रहा। निर्णय में यह भी निर्दिष्ट किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय वरिष्ठतम सहयोगियों के निकाय से परामर्श करने के बाद तय की जाएगी।

संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 जब 11 अगस्त 2014⁵⁸³ को लोक सभा में पेश किया गया, तो इसका शीर्षक संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 था। यह विधेयक 13 अगस्त 2014⁵⁸⁴ को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। 14 अगस्त 2014⁵⁸⁵ को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।

582. 2014 का विधेयक संख्यांक 97; 11 अगस्त 2014 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा लोक सभा में संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के रूप में पेश किया गया; चर्चा की गई, लोक सभा: 13 अगस्त 2014; राज्य सभा: 14 अगस्त 2014; राष्ट्रपति की सहमति: 31 दिसंबर 2014; राजपत्र अधिसूचना की तिथि: 31 दिसंबर 2014; प्रारंभ की तिथि: 31 दिसंबर 2014।

583. लोक सभा वाद-विवाद, 11 अगस्त 2014, पृ. 150-183।

584. उपरोक्त, 13 अगस्त 2014, पृष्ठ 89-169।

585. राज्य सभा वाद-विवाद, 14 अगस्त 2014, पृ. 229-346।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के अधीन नियुक्त किए जाते हैं और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के खंड (1) के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 127 के खंड (1) और अनुच्छेद 128 के अधीन नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के लिए अपर न्यायाधीशों और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है और उच्च न्यायालयों की बैठकों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में *उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संगम बनाम भारत संघ* के मामले में और तृतीय न्यायाधीश मामले में वर्ष 1998 की अपनी सलाहकारी राय में "सहमति" के रूप में "परामर्श" के अर्थ के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) और अनुच्छेद 217 के खंड (1) का निर्वचन किया था। परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का ज्ञापन तैयार किया गया था और नियुक्ति के लिए उसका अनुसरण किया जा रहा है।

सुसंगत सांविधानिक उपबंधों, उच्चतम न्यायालय की उद्घोषणाओं और विख्यात विधिवेत्ताओं के परामर्शों का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यह महसूस किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक व्यापक आधार वाला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित किया जाए। उक्त आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विख्यात व्यक्तियों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सार्थक भूमिका उपलब्ध कराएगा और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को सम्मिलित करते समय भी प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाएगा।

संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 संविधान के सुसंगत उपबंधों का संशोधन करने के लिए और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने के लिए एक समर्थकारी सांविधानिक संशोधन है। प्रस्तावित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 124 के पश्चात् नए अनुच्छेद 124क, अनुच्छेद 124ख और अनुच्छेद 124ग को अंतः स्थापित करने के लिए है। उक्त विधेयक प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना और कृत्यों के लिए भी उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त यह उपबंध करता है कि संसद, विधि द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी और वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए विनियमन द्वारा प्रक्रिया, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषय, जो आवश्यक समझे जाएं, अधिकथित करने के लिए समर्थ कर सकेगी।

प्रस्तावित विधेयक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति को व्यापक आधारिक बनाने के लिए है, यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विख्यात व्यक्तियों की भागीदारी को समर्थ बनाता है और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करता है।

विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) में "उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श के बाद, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे" शब्दों को "अनुच्छेद 124क में संदर्भित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित करके संशोधित किया।

अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 124क शामिल किया जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की संरचना का प्रावधान करता है। इसमें आयोग के कार्यों के लिए अनुच्छेद 124ख भी शामिल किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना शामिल है; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण शामिल हैं।

अधिनियम ने अनुच्छेद 124 ग को शामिल किया गया है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कानून बनाने और आयोग को अपने कार्यों के निर्वहन की प्रक्रिया को नियमों द्वारा निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए संसद की शक्ति प्रदान करता है।

अधिनियम अनुच्छेद 127(1) में "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसे भेजे गए संदर्भ पर, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से" शब्दों को "भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है।

संविधान के अनुच्छेद 128 में "भारत के मुख्य न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग" शब्द रखे जायेंगे।

अनुच्छेद 217 में अधिनियम ने "परामर्श के बाद" शब्दों से शुरू होने वाले और "उच्च न्यायालय" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के लिए "अनुच्छेद 124क में संदर्भित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया है।

अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 222(1) में "भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद" शब्दों को "अनुच्छेद 124ए में संदर्भित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्दों से प्रतिस्थापित करके संशोधन किया।

अधिनियम ने अनुच्छेद 224(1) में "राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है" शब्दों को "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है" शब्दों से प्रतिस्थापित करके संविधान के अनुच्छेद 224 में संशोधन किया। इसके अलावा खंड (2) में "राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से नियुक्ति कर सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

अधिनियम ने अनुच्छेद 224क में संशोधन करते हुए "किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से" शब्दों के स्थान पर "किसी भी राज्य के लिए, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए संदर्भ पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया।

संशोधन का पाठ

संविधान (निन्यानवेवां संशोधन)

अधिनियम, 2014

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[31 दिसंबर, 2014]

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान
(निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार,
शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 124
का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) में-

(क) "उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च
न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्,
जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक
समझे" शब्दों के स्थान पर "अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय
न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान
पर "परंतु" शब्द रखा जाएगा;

नए अनुच्छेद
124क, अनुच्छेद
124ख और
अनुच्छेद 124ग
का अंतःस्थापन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 124 के पश्चात् निम्नलिखित
अनुच्छेद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“124क. (1) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, अध्यक्ष पदेन;

(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ज्येष्ठता से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश सदस्य, पदेन;

(ग) विधि और न्याय का प्रभारी संघ का मंत्री सदस्य, पदेन;

(घ) प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विरोधी दल के नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां, लोक सभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल का नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति –

सदस्य:

परंतु कोई एक विख्यात व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों या महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे:

परंतु यह और कि कोई विख्यात व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल आयोग के गठन में किसी रक्ति या त्रुटि होने के आधार पर आक्षेपित या अविधिमान्य नहीं होगी।

124ख. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।

(ख) एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करना; और

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सिफारिश किया गया व्यक्ति सक्षम और सत्यनिष्ठ है।

संसद की विधि
बनाने की शक्ति।

124 ग. संसद, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विनियमित कर सकेंगी तथा आयोग को विनियम द्वारा उसके कार्यों के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति और ऐसे अन्य विषयों के लिए जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेंगी।"

अनुच्छेद 127
का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 127 के खंड (1) में" भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसको किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से" शब्द रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 128
का संशोधन।

5. संविधान के अनुच्छेद 128 में" भारत का मुख्य न्यायमूर्ति" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय अनुच्छेद न्यायिक नियुक्ति आयोग" शब्द रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 217
का संशोधन।

6. संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) में "भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से" शब्दों से आरंभ होने वाले और "परामर्श करने के पश्चात्" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर 10 "अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 222
का संशोधन।

7. संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) में, "भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श करने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर "अनुच्छेद 124 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

अनुच्छेद 224
का संशोधन।

8. संविधान के अनुच्छेद 224 में,—

खंड (1) में "तो राष्ट्रपति सम्यक् रूप से" शब्दों के स्थान पर "तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से, सम्यक् रूप से" शब्द रखे जाएंगे;

(2) खंड (2) में "तब राष्ट्रपति सम्यक् रूप से" शब्दों के स्थान पर "तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से, सम्यक् रूप से" शब्द रखे जाएंगे;

9. संविधान के अनुच्छेद 224क में "किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से" शब्दों के स्थान पर पर "किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वह" शब्द रखे जाएंगे। अनुच्छेद 224क का संशोधन।

10. संविधान के अनुच्छेद 231 के खंड(2) के उपखंड (क) का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 231 का संशोधन।

संशोधन के पश्चात् न्यायिक निर्णयः

99वां संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को *सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन* और अन्य बनाम *भारत संघ 2016 एससीसी 51*, में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम संविधान की मूल संरचना के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने विवादित 99वें संशोधन और एनजेएसी अधिनियम को भी असंवैधानिक करार दिया।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015⁵⁸⁶

विधायी इतिहास

संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 जब 18 दिसंबर 2013 को संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 के रूप में राज्य सभा में पेश किया गया, तो 6 मई 2015⁵⁸⁷ को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया, और 7 मई 2015⁵⁸⁸ को लोक सभा द्वारा संशोधनों के साथ पारित किया गया। लोक सभा द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा यथा संशोधित और राज्य सभा द्वारा सहमति व्यक्त किए गए विधेयक को 11 मई 2015⁵⁸⁹ को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर साझा भूमि-सीमा है। भारत-पूर्वी पाकिस्तान भूमि सीमा 1947 रेडक्लिफ पंचाट के अनुसार अवधारित की गई थी। रेडक्लिफ पंचाट में के कुछ उपबंधों से कुछ विवाद पैदा हुए थे, जिनका 1950 के बागे पंचाट के माध्यम से समाधान किए जाने का प्रयास किया गया था। इन विवादों का 1958 के नेहरू-नून करार के द्वारा निपटारा करने के लिए एक और प्रयास किया गया था। किंतु बेरुवारी संघ के विभाजन से संबंधित मुद्दे को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय के अनुपालन के लिए संसद द्वारा संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960 पारित किया गया था। तत्समय सतत मुकदमेबाजी और राजनैतिक घटनाक्रमों के कारण

586. 2013 का विधेयक संख्यांक 15; संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्रिद द्वारा 18 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया था, विधेयक को विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था और इसकी सूचना 16 सितंबर, 2014 को समाचार-भाग II में प्रकाशित हुई थी। विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट 1 दिसंबर 2014 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई, 6 मई 2015 को राज्य सभा द्वारा पारित की गई, 7 मई 2015 को संशोधनों के साथ लोक सभा द्वारा पारित की गई। विधेयक, लोक सभा द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा संशोधित और राज्य सभा द्वारा यथा सहमत रूप में, 11 मई 2015 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया, 28 मई 2015 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई, अधिनियम 29 मई 2015 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

587. राज्य सभा वाद-विवाद, 6 मई 2015, पृष्ठ 1-12। 384-461।

588. लोक सभा वाद-विवाद, 7 मई 2015, पृष्ठ 285-307।

589. राज्य सभा वाद-विवाद, 11 मई 2015, पृष्ठ 168-313।

पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960 को अधिसूचित नहीं किया जा सका।

16 मई, 1974 को भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन और उससे संबंधित मामलों के संबंध में अंतर्वलित सीमा अभ्यंकन की जटिल प्रकृति का समाधान खोजने के लिए दोनों देशों के बीच करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार का अनुसमर्थन नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यक्षेत्र का अंतरण होना था, जिसके लिए संवैधानिक संशोधन किए जाने की आवश्यकता थी। इस संबंध में उस प्रमित क्षेत्र की पहचान करना अपेक्षित था, जो अंतरित किया जाना था। तत्पश्चात्, गैर-अभ्यंकित सीमा के अभ्यंकन, प्रतिकूल कब्जे के राज्यक्षेत्रों और विदेशी अंतःक्षेत्र की अदला-बदली के मुद्दों का पता लगाया गया और 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर जो भारत और बांग्लादेश के बीच, भूमि सीमा करार 1974 का अभिन्न भाग है, हस्ताक्षर करके समाधान किया गया था। यह प्रोटोकॉल असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल की संबंधित राज्य सरकारों के समर्थन और सहमति से तैयार किया गया था।

तदनुसार भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए 1974 के पूर्वोक्त करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में प्रतिकूल कब्जे के प्रतिधारण और विदेशी अंतःक्षेत्रों (एनक्लेवों) की अदला-बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्यक्षेत्रों का अर्जन और बांग्लादेश को राज्यक्षेत्रों का अंतरण किए जाने को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013, संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

यह अधिनियम 16 मई, 1974 को दोनों देशों के बीच क्षेत्रों के अधिग्रहण और अंतरण पर भारत और बांग्लादेश द्वारा किए गए समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करता है। संविधान की पहली अनुसूची प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के क्षेत्र को परिभाषित करती है जो मिलकर भारत का क्षेत्रफल बनाता है।

अधिनियम की धारा 2 (ग) "भारत-बांग्लादेश करार" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ दिनांक 16 मई, 1974 को भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन और संबद्ध मामलों के संबंध में करार है और दिनांक 6 सितंबर, 2011 का उक्त समझौते का प्रोटोकॉल है जिस पर भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच करार किया गया।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 2(घ) "अंतरित राज्यक्षेत्र" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ भारत-बांग्लादेश समझौते और उसके प्रोटोकॉल में शामिल और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र हैं जिन्हें यथा निर्दिष्ट करारों और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश को अंतरित किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है।

संशोधन का पाठ

संविधान (एक सौवां संशोधन)

अधिनियम, 2015

**भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए
करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत
द्वारा राज्यक्षेत्रों का अर्जन और कतिपय राज्य
क्षेत्रों का बांग्लादेश को अंतरण किए जाने
को प्रभावी करने के लिए भारत के
संविधान का और संशोधन
करने के लिए विधेयक**

[28 मई, 2015]

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

2. इस अधिनियम में,-

परिभाषाएं।

(क) "अर्जित राज्यक्षेत्र" से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकॉल में समाविष्ट तथा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड (ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश से अर्जन किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है;

(ख) "नियत दिन" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार राजपत्रमें, अधिसूचना द्वारा, भारत-बांग्लादेश करार तथा उनके प्रोटोकॉल के अनुसरण में पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट कुछ राज्यक्षेत्रों का, जिनका इस प्रकार अर्जन और अंतरण किया जाना है उस प्रयोजन के लिए अभ्यंकन कराए जाने के पश्चात् बांग्लादेश से राज्यक्षेत्रों के

अर्जन और बांग्लादेश को राज्यक्षेत्रों के अंतरण के लिए तारीख नियत करे;

(ग) "भारत-बांग्लादेश करार" से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन और संबद्ध विषयों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच तारीख 16 मई, 1974 को हुआ करार तारीख 26 दिसम्बर 1974, तारीख 30 दिसम्बर 1974, तारीख 7 अक्तूबर 1982 और तारीख 26 मार्च, 1992 का पत्र विनिमय तथा भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच हुए तारीख 6 सितम्बर 2011 के उक्त करार का प्रोटोकॉल अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत उद्धरण तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं;

(घ) "अंतरित राज्यक्षेत्र" से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकॉल में समाविष्ट तथा दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड (ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश को अंतरित किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है।

संविधान की
पहली अनुसूची
का संशोधन।

3. संविधान की पहली अनुसूची में, नियत दिन से ही—

(क) असम राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से है, संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट है" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत में, जोड़े जाएंगे;

(ख) पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "और वे राज्यक्षेत्र भी, जो पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान

(नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों और दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट है" शब्द अंक, कोष्ठक और अक्षर अंत में, जोड़े जाएंगे;

(ग) मेघालय राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "और वे राज्यक्षेत्र, जो पहली अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं" शब्द अंक और कोष्ठक, अंत में, जोड़े जाएंगे;

(घ) त्रिपुरा राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "और वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां तक उनका संबंध संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है. संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं" शब्द कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत में, जोड़े जाएंगे।

पहली अनुसूची

[धारा 2 (क), धारा 2 (ख) और धारा 3 देखिए]

भाग 1

तारीख 16 मई 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर 2011 के प्रोटोकॉल के 5 अनुच्छेद 3 (1) (ख) (ii) (iii) (iv) (v) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र ।

भाग 2

तारीख 16 मई 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 (1) (ग) (1) से संबंधित अर्जित राज्यक्षेत्र ।

भाग 3

10 तारीख 16 मई 1974 के करार के अनुच्छेद 1 (12) और अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 (11) 3(1) (क) (iii) (iv) (v) (vi) के संबंध में अंतर्गत राज्यक्षेत्र ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 2 (ख), धारा 2 (घ) और धारा 3 देखिए]

भाग 1

तारीख 16 मई 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 (1) (प) (i) (ii) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र ।

भाग 2

तारीख 16 मई 1974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 (1) (ख) (i) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र ।

भाग 3

तारीख 16 मई 1974 के करार के अनुच्छेद 1 (12) और 2 और तारीख 6 सितम्बर 2011 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 (11) 3 (1) (क) (i) (ii) (vi) के संबंध में अंतरित राज्यक्षेत्र ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिए]

I. भारत गणराज्य सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन तथा संबद्ध विषयों से संबंधित – तारीख 16 मई 1974 के भूमि सीमा करार से उद्घरण।

अनुच्छेद 1(12): विदेशी अंतः क्षेत्र (एन्क्लेव)

बांग्लादेश स्थित भारतीय एन्क्लेवों और भारत स्थित बांग्लादेश एन्क्लेवों का पैरा 14 में उल्लिखित एन्क्लेवों को छोड़कर, बांग्लादेश को मिलने वाले अतिरिक्त क्षेत्र के लिए प्रतिकर का दावा किए बिना, शीघ्रातिशीघ्र आदान-प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 2:

भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस बात के लिए सहमत हैं कि पहले से अभ्यंकित किए गए क्षेत्रों में 10 प्रतिकूल कब्जे वाले राज्यक्षेत्र, जिनके संबंध में सीमा पट्टी मानचित्र पहले से तैयार किए जा चुके हैं, पूर्णाधिकारियों द्वारा सीमा पट्टी मानचित्रों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद छह मास के भीतर आदान-प्रदान किए जाएंगे। वे यथाशीघ्र सुसंगत मानचित्रों पर और किसी भी दशा में 31 दिसम्बर 1974 के अपश्चात् हस्ताक्षर कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों, जिनकी बाबत सीमांकन कार्य पहले ही किया जा चुका है, के मानचित्रों के मुद्रण हेतु शीघ्र उपाय किए जाएंगे। इनका मुद्रण और इन पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर 31 मई 1975 तक करवा लिए जाने चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों में प्रतिकूलतः धारित कब्जों का आदान-प्रदान 31 दिसम्बर 1975 तक किया जाए। जिन सेक्टरों का अभी भी सीमांकन किया जाना है, राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का हस्तान्तरण संबंधित सीमा पट्टी मानचित्रों पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के छह मास के भीतर किया जाए।

II. भारत गणराज्य सरकार और बांग्लादेश लोक गणराज्य सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन तथा संबद्ध विषयों से संबंधित— तारीख 6 सितम्बर 1974 के भूमि सीमा करार के प्रोटोकॉल से उद्घरण।

अनुच्छेद 2:

(II) 1974 के करार के अनुच्छेद I, खंड (12) का निम्नानुसार कार्यान्वयन किया जाएगा:

एन्क्लेव

संयुक्त रूप से सत्यापित और डीजी एल आर एंड एस, बांग्लादेश तथा डी एल आर एंड एस., पश्चिमी बंगाल (भारत) के स्तर पर अप्रैल 1997 में हस्ताक्षर किए गए बांग्लादेश स्थित

111 भारतीय एन्क्लेवों और भारत स्थित 51 बांग्लादेश एन्क्लेवों को बांग्लादेश को मिलने वाले अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रतिकर का दावा किए बिना आदान-प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद 3:

(I) 1974 के करार के अनुच्छेद 2 का कार्यान्वयन निम्नानुसार किया जाएगा:

भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच यह करार हुआ है कि प्रतिकूल कब्जे में धारित राज्यक्षेत्रों के लिए नियत सीमा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से अवधारण किया गया था और अपने-अपने प्रतिकूल कब्जा भू-क्षेत्र सूचक मानचित्र (एपीएल मानचित्र) में जिसे दिसम्बर 2010 और अगस्त 2011 के बीच दोनों देशों के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है पूर्णतया चित्रित किया गया था, जिनका पूर्णतया वर्णन नीचे खंड (क) से खंड (घ) में किया गया है।

सुसंगत सीमा पट्टी मानचित्रों को मुद्रित किया जाएगा और उन पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का अंतरण एन्क्लेवों के आदान-प्रदान के साथ-साथ पूर्ण किया जाएगा। ऊपर वर्णित सूचक मानचित्रों में यथाचित्रित सीमा का अभ्यंकन निम्नानुसार होगा:

(क) पश्चिमी बंगाल सेक्टर

(i) बौसमारो-मधुगरी (कुशितया-नाडिमा) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.154/5-एस से 157/1-एस से होते हुए मथबंगा नदी के पुराने बहाव मार्ग के मध्य तक जैसा कि 1962 के समेकन मानचित्र में चित्रित है एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(ii) अंधारकोटा (कुशितया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.152/5-एस से सीमा स्तंभ सं. 153/1-एस से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(iii) पकुरिया (कुशितया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.151/1-एस से सीमा स्तंभ सं.152/2-एस सं. होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(iv) चार महिष्कुंडी (कुशितया-नाडिया) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.153/1-एस से सीमा स्तंभ सं.153/9-एस से होते हुए मथबंगा नदी

के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(v) हरिपाल खुतादाह/बोली/सपामेरी/एलएन पुर (पटारी) (नौगांव-मालदा) क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.242/एस/13 से सीमा स्तंभ सं.243/7-एस/5 को जोड़ने वाली रेखा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जून 2011 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(vi) बेरुबाडी (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) क्षेत्र

बांग्लादेश द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी क्षेत्र (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) और भारत द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी और सिंघपारा-खुडीपारा (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) में 1996-1998 के दौरान संयुक्त रूप से किए गए अभ्यांकन के अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी।

(ख) मेघालय सेक्टर

(1) लुभाचेरा-नूनचेरा

लईलांग-बलिचेरा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1315/4-एस से सीमा स्तंभ सं.1315/15-एस तक लईलांग-नूनचेरा में सीमा स्तंभ सं.1316/1-एस से सीमा स्तंभ सं.1316/11-एस तक लईलांग लहिलिंग में सीमा स्तंभ सं.1317 से सीमा स्तंभ सं.1317/13-एस तक और लईलांग लुभाचेरा में सीमा स्तंभ सं.1318/1-एस से सीमा स्तंभ सं.1318/2-एस तक के चाय बागानों के किनारे तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि दिसंबर 2010 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी।

(ii) पिरडीवाह/पहुआ क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1270/1-एस से सीमा स्तंभ सं.1271/1-टी तक, संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण और परस्पर सहमति के अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकारों के बीच सहमति हुई कि पिरडीवाह गांव से भारतीय राष्ट्रिकों को उस मानचित्र जिस पर सहमति हुई है, के बिंदु सं.6 के निकट पियांग नदी से पानी लेने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) लिंगखाट क्षेत्र

(कक) लिंगखाट-I/कुलुमचेरा और लिंगखाट-II/कुलुमचेरा

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1264/4-एस से सीमा स्तंभ सं.1265 और सीमा स्तंभ सं.1265/6-एस से सोना स्तंभ सं.1265/9-एस तक उस रेखा के अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी जैसाकि संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और परस्पर सहमति हुई थी।

(कख) लिंगखाट-III/सोनारहाट

दक्षिण दिशा के नाले के साथ-साथ विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1266/13-एस से होते हुए जहां वह पश्चिम दिशा में दूसरे नाले तक मिलता है सीमा रेखा खींची जाएगी और उसके पश्चात् यह पूर्व में स्थित नाले के उत्तरी किनारे से होते हुए संदर्भ स्तंभ सं० 1267/4-आर-बी और 1267/3-आर-आई के उत्तर में विद्यमान अंतरराष्ट्रीय सीमा तक की होगी।

(iv) दावकी/तमाबिल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1275/1-एस से सीमा स्तंभ सं.1275/7-एस को एक सीधी रेखा से मिलाकर सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकार इस क्षेत्र में "शून्य रेखा" पर बाड़ लगाने पर सहमत हुए।

*(v) नलजूरी/श्रीपुर क्षेत्र**(कक) नलजूरी-I*

दक्षिण दिशा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1277/2-एस से पट्टी मानचित्र सं. 166 में यथा उल्लिखित तीन प्लॉटों तक सीमा एक रेखा होगी, जिसे सीमा स्तंभ सं० 1277/5-टी से बहने वाले नाले से मिलाया जाएगा और तत्पश्चात् उसे दक्षिण दिशा में नाले के पश्चिमी किनारे से होते हुए बांग्लादेश पक्ष में स्थित 2 प्लॉटों तक ले जाया जाएगा। तत्पश्चात् वहां से वह पूर्व की ओर सीमा स्तंभ सं० 1277/4-एस से दक्षिण दिशा में खींची गयी रेखा से मिला दिया जाएगा।

(कख) नलजूरी-III

विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 1278/2-एस से सीमा स्तंभ सं० 1279/3-एस तक एक सीधी रेखा खींची जाएगी।

(vi) मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्र

पक्षकारों के बीच सहमति हुई कि भारतीय राष्ट्रिकों को काली मंदिर में जाने की अनुमति दी जाएगी और मुक्तापुर की ओर के किनारे से मुक्तापुर डिबिर हावोर क्षेत्र में स्थित जलाशय से पानी भरने और उसमें मछली पकड़ने के अधिकार का प्रयोग करने की भी अनुमति दी जाएगी।

(ग) त्रिपुरा सेक्टर*(i) त्रिपुरा/मौलवी बाजार क्षेत्र में चंदन नगर-चंपाराय चाय बागान क्षेत्र*

विद्यमान सीमा स्तंभ सं.1904 से सीमा स्तंभ सं.1905 तक सोनारायछेडा नदी के साथ सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और जुलाई, 2011 में सहमति हुई थी।

(घ) असम सेक्टर**(i) असम सेक्टर में कालाबारी (बोरोईबरी) क्षेत्र**

विद्यमान सीमा स्तंभ 1066/24-टी से सीमा स्तंभ सं० 1067/16-टी तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसा कि संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और अगस्त, 2011 में सहमति हुई थी।

(ii) असम सेक्टर में पल्लाथाल क्षेत्र

विद्यमान सीमा स्तंभ सं० 1370/3-एस से 1371/6-एस से होते हुए चाय बागान के बाहरी किनारे तक और पान बागान के बाहरी किनारे से होते हुए सीमा स्तंभ सं० 1372 से 1373/2-एस तक सीमा रेखा खींची जाएगी।

**III. तारीख 16 मई, 1974 के करार के अनुच्छेद 1(12) और करार के प्रोटोकॉल,
तारीख 6 सितंबर, 2011 के अनुसरण में भारत और बांग्लादेश के बीच
एन्क्लेवों के आदान-प्रदान की सूची**

अ. बांग्लादेश स्थित आदान-प्रदान योग्य भारतीय एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित:—

क्रम सं.	छिटों के नाम	छिट सं	पुलिस स्टेशन बांग्लादेश के भीतर स्थित	पुलिस स्टेशन पश्चिम बंगाल के भीतर स्थित	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
क. स्वतंत्र छिटों वाले एन्क्लेव					
1.	गराटी	75	पोचागर	हल्दीबाड़ी	58.23
2.	गराटी	76	पोचागर	हल्दीबाड़ी	0.79
3.	गराटी	77	पोचागर	हल्दीबाड़ी	18
4.	गराटी	78	पोचागर	हल्दीबाड़ी	958.66
5.	गराटी	79	पोचागर	हल्दीबाड़ी	1.74
6.	गराटी	80	पोचागर	हल्दीबाड़ी	73.75
7.	बिंगीमारी भाग-I	73	पोचागर	हल्दीबाड़ी	6.07
8.	नजीरगंज	41	बोडा	हल्दीबाड़ी	58.32
9.	नजीरगंज	42	बोडा	हल्दीबाड़ी	434.29
10.	नजीरगंज	44	बोडा	हल्दीबाड़ी	53.47
11.	नजीरगंज	45	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.07
12.	नजीरगंज	46	बोडा	हल्दीबाड़ी	17.95
13.	नजीरगंज	47	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.89
14.	नजीरगंज	48	बोडा	हल्दीबाड़ी	73.27
15.	नजीरगंज	49	बोडा	हल्दीबाड़ी	49.05
16.	नजीरगंज	50	बोडा	हल्दीबाड़ी	5.05
17.	नजीरगंज	51	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.77
18.	नजीरगंज	52	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.04
19.	नजीरगंज	53	बोडा	हल्दीबाड़ी	1.02
20.	नजीरगंज	54	बोडा	हल्दीबाड़ी	3.87
21.	नजीरगंज	55	बोडा	हल्दीबाड़ी	12.18

1	2	3	4	5	6
22.	नजीरगंज	56	बोडा	हल्दीबाड़ी	54.04
23.	नजीरगंज	57	बोडा	हल्दीबाड़ी	8.27
24.	नजीरगंज	58	बोडा	हल्दीबाड़ी	14.22
25.	नजीरगंज	60	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.52
26.	पुटीमारी	59	बोडा	हल्दीबाड़ी	122.8
27.	दैखाता छट	38	बोडा	हल्दीबाड़ी	499.21
28.	सल्बरी	37	बोडा	हल्दीबाड़ी	1188.93
29.	काजल दिधी	36	बोडा	हल्दीबाड़ी	771.44
30.	नटकटोका	32	बोडा	हल्दीबाड़ी	162.26
31.	नटकटोका	33	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.26
32.	बेउलाडांगा छट	35	बोडा	हल्दीबाड़ी	0.83
33.	बलापारा लागराबार	3	देबीगंज	हल्दीबाड़ी	1752.44
34.	बरा खनकिखरीजा सितलदहा	30	डिमला	हल्दीबाड़ी	7.71
35.	बरा खनकिखरीजा सितलदहा	29	डिमला	हल्दीबाड़ी	36.83
36.	बराखनगीर	28	डिमला	हल्दीबाड़ी	30.53
37.	नगरजीकोबरी	31	डिमला	हल्दीबाड़ी	33.41
38.	कुचलीबारी	26	पटग्राम	मेकलीगंज	5.78
39.	कुचलीबारी	27	पटग्राम	मेकलीगंज	2.04
40.	बरा कुचलीबारी	थाना मेकलीगंज के जेएल 107 का फ्रेगमेंट	पटग्राम	मेकलीगंज	4.35
41.	जमालोहा-बेलापुरखारी	6	पटग्राम	मेकलीगंज	5.24
42.	उपनचौकी कुचलीबारी	115/2	पटग्राम	मेकलीगंज	0.32
43.	उपनचौकी कुचलीबारी	7	पटग्राम	मेकलीगंज	44.04
44.	भोधनरी	11	पटग्राम	मेकलीगंज	36.83
45.	बालापुरखारी	5	पटग्राम	मेकलीगंज	55.91
46.	बाराखानगीर	4	पटग्राम	मेकलीगंज	50.51
47.	बाराखानगीर	9	पटग्राम	मेकलीगंज	87.42
48.	छठ बोगडोकरा	10	पटग्राम	मेकलीगंज	41.7
49.	रतनपुर	11	पटग्राम	मेकलीगंज	58.91
50.	बोगडोकरा	12	पटग्राम	मेकलीगंज	25.49

1	2	3	4	5	6
51.	पुलकर डाबरी	थाना मेकलीगंज के जेएल 107 का फ्रेगमेंट	पटग्राम	मेकलीगंज	0.88
52.	खरखरीया	15	पटग्राम	मेकलीगंज	60.74
53.	खरखरीया	13	पटग्राम	मेकलीगंज	51.62
54.	लोटामारी	14	पटग्राम	मेकलीगंज	110.92
55.	भूतबारी	16	पटग्राम	मेकलीगंज	205.46
56.	कोमट चांग्रबंधा	16 ए	पटग्राम	मेकलीगंज	42.8
57.	कोमट चांग्रबंधा	17 ए	पटग्राम	मेकलीगंज	16.01
58.	पनीसाला	17	पटग्राम	मेकलीगंज	137.66
59.	द्वारिकामारी खासबाश	18	पटग्राम	मेकलीगंज	36.5
60.	पनीसाला	153/पी	पटग्राम	मेकलीगंज	0.27
61.	पनीसाला	153/ओ	पटग्राम	मेकलीगंज	18.01
62.	पनीसाला	19	पटग्राम	मेकलीगंज	64.63
63.	पनीसाला	21	पटग्राम	मेकलीगंज	51.4
64.	लोटामारी	20	पटग्राम	मेकलीगंज	283.53
65.	लोटामारी	22	पटग्राम	मेकलीगंज	98.85
66.	द्वारिकामारी	23	पटग्राम	मेकलीगंज	39.52
67.	द्वारिकामारी	25	पटग्राम	मेकलीगंज	45.73
68.	छट भोथाट	24	पटग्राम	मेकलीगंज	56.11
69.	बाकाटा	131	पटग्राम	हथभंगा	22.35
70.	बाकाटा	132	पटग्राम	हथभंगा	11.96
71.	बाकाटा	130	पटग्राम	हथभंगा	20.48
72.	भोग्रामगुरी	133	पटग्राम	हथभंगा	1.44
73.	चेनाकाटा	134	पटग्राम	मेकलीगंज	7.81
74.	बांसकाटा	119	पटग्राम	मथबंगा	413.81
75.	बांसकाटा	120	पटग्राम	मथबंगा	30.75
76.	बांसकाटा	121	पटग्राम	मथबंगा	12.15
77.	बांसकाटा	113	पटग्राम	मथबंगा	57.86
78.	बांसकाटा	112	पटग्राम	मथबंगा	315.04
79.	बांसकाटा	114	पटग्राम	मथबंगा	0.77

1	2	3	4	5	6
80.	बांसकाटा	115	पटग्राम	मथबंगा	29.2
81.	बांसकाटा	122	पटग्राम	मथबंगा	33.22
82.	बांसकाटा	127	पटग्राम	मथबंगा	12.72
83.	बांसकाटा	128	पटग्राम	मथबंगा	2.33
84.	बांसकाटा	117	पटग्राम	मथबंगा	2.55
85.	बांसकाटा	118	पटग्राम	मथबंगा	30.98
86.	बांसकाटा	125	पटग्राम	मथबंगा	0.64
87.	बांसकाटा	126	पटग्राम	मथबंगा	30.98
88.	बांसकाटा	129	पटग्राम	मथबंगा	1.37
89.	बांसकाटा	116	पटग्राम	मथबंगा	16.96
90.	बांसकाटा	123	पटग्राम	मथबंगा	24.37
91.	बांसकाटा	124	पटग्राम	मथबंगा	0.28
92.	गोटामारी छिट	135	हातिबंधा	सितलकुची	126.59
93.	गोटामारी छिट	136	हातिबंधा	सितलकुची	20.02
94.	बनापचाई	151	लालमोनि- रहाट	दिनहाटा	217.29
95.	बनापचाई भीतरकुथी	152	लालमोनि- रहाट	दिनहाटा	81.71
96.	दसिआर छारा	150	फुलबारी	दिनहाटा	1643.44
97.	दकुरहाट - दकिनिरकुथी	156	कुरीग्राम	दिनहाटा	14.27
98.	कलामती	141	भुरंगामारी	दिनहाटा	21.21
99.	भाहोबगंज	153	भुरंगामारी	दिनहाटा	31.58
100.	बाओतिकुरसा	142	भुरंगामारी	दिनहाटा	45.63
101.	बरा कोआचुल्का	143	भुरंगामारी	दिनहाटा	39.99
102.	गावचुल्का II	147	भुरंगामारी	दिनहाटा	0.9
103.	गावचुल्का I	146	भुरंगामारी	दिनहाटा	8.92
104.	दिघालतरी II	145	भुरंगामारी	दिनहाटा	8.81
105.	दिघालतरी I	144	भुरंगामारी	दिनहाटा	12.31
106.	छोटू गरलझोरा II	149	भुरंगामारी	दिनहाटा	17.85
107.	छोटू गरलझोरा I	148	भुरंगामारी	दिनहाटा	35.74

1	2	3	4	5	6
108.	जे.एल. नं. 38 के दक्षिणी छोर पर बिना नाम और जे.एल. नं. का 1 छिट* और जे.एल. नं.39 को उत्तर पश्चिमी छोर स्थानीय रूप से अशोक बाड़ी** के रूप में ज्ञात	157	पटग्राम	मथवंगा	3.50
		ख. फ्रेगमेंटेड छिट वाले एक्लेव			
109.	(I) बेवलाडांगा	34	हल्दीबाड़ी	बोडा	862.46
	(II) बेवलाडांगा	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
110.	(I) कोतभाजनी	2	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2012.27
	(II) कोतभाजनी	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(III) कोतभाजनी	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(IV) कोतभाजनी	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
111.	(I) दहाला	खागराबारी	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	2650.35
	(II) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(III) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(IV) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(V) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
	(VI) दहाला	फ्रेगमेंट	हल्दीबाड़ी	देबीगंज	
कुल क्षेत्र					17160.63

*29 सितम्बर से 2 अक्तूबर 2012 तक कोलकाता में आयोजित एक सौ पचासवां (चौवनवां) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित ।

*18 सितम्बर से 20 सितम्बर 2012 तक कूच बिहार में आयोजित एक सौ बावनवां (छप्पनवां) भारत-बांग्लादेश सम्मेलन द्वारा संशोधित ।

**18 सितम्बर से 20 सितम्बर 2012 तक कूच बिहार में आयोजित एक सौ बावनवां (छप्पनवां) भारत-बांग्लादेश सम्मेलन द्वारा संशोधित ।

एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 से 12 अक्तूबर, 1996 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन के दौरान और साथ ही 21 से 24 नवंबर, 1996 के दौरान जलपाइगुड़ी (पश्चिम बंगाल) - पांचागढ़ (बांग्लादेश) में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों के साथ संयुक्त रूप से मिलान किया गया और उन्हें संगत बनाया गया है।

टिप्पणी

फील्ड सीजन 1996-97 के दौरान संयुक्त भूमि सत्यापन द्वारा उपर्युक्त क्रम सं० 108 में के एन्क्लेव अशोकाबाड़ी एन्क्लेव के रूप में के नाम की पहचान की गई।

ह./-9.4.97

बिग्रेडियर जे. आर. पीटर

निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण

(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत

और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र

भारतीय सर्वेक्षण कलकत्ता

ह./-9.4.97

मो. शफी उद्दीन

महानिदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण

बांग्लादेश

आ. भारत स्थित आदान प्रदान योग्य बांग्लादेशी एंक्लेव, क्षेत्रफल सहित, -

क्रम सं.	छिटों के नाम	पुलिस स्टेशन पश्चिम बंगाल के भीतर स्थित	पुलिस स्टेशन बांग्लादेश के भीतर स्थित	जे. एल. सं.	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6
क. स्वतंत्र छिटों वाले एंक्लेव					
1.	छिट कुचलीबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	22	370.64
2.	छिट लैंड इफ कुचलीबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	24	1.83
3.	बालापुरखारी	मेकलीगंज	पटग्राम	21	331.64
4.	पनबारी सं.-2 का छिटलैंड	मेकलीगंज	पटग्राम	20	1.13
5.	छिट पनबारी	मेकलीगंज	पटग्राम	18	108.59
6.	धाबलसाती मिर्गीपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	15	173.88
7.	बामनदल	मेकलीगंज	पटग्राम	11	2.24
8.	छिट धाबलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	14	66.58
9.	धाबलसाती	मेकलीगंज	पटग्राम	13	60.45
10.	श्रीरामपुर	मेकलीगंज	पटग्राम	8	1.05
11.	जोते निज्जमा	मेकलीगंज	पटग्राम	3	87.54
12.	जगतबेर सं. 3 का छिट लैंड	मथबंगा	पटग्राम	37	69.84
13.	जगतबेर सं. 1 का छिट लैंड	मथबंगा	पटग्राम	35	30.66
14.	जगतबेर सं. 2 का छिट लैंड	मथबंगा	पटग्राम	36	27.09
15.	छिट कोकोआबारी	मथबंगा	पटग्राम	47	29.49
16.	छिट भांदाखदाहां	मथबंगा	पटग्राम	67	39.96
17.	धाबलगुरी	मथबंगा	पटग्राम	52	12.5
18.	छिट धावलगुरी	मथबंगा	पटग्राम	53	22.31
19.	धाबलगुरी सं. 3 का छिटलैंड	मथबंगा	पटग्राम	70	1.33
20.	धाबलगुरी सं. 4 का छिटलैंड	मथबंगा	पटग्राम	71	4.55
21.	धाबलगुरी सं. 5 का छिटलैंड	मथबंगा	पटग्राम	72	4.12
22.	धाबलगुरी सं. 1 का छिटलैंड	मथबंगा	पटग्राम	68	26.83
23.	धाबलगुरी सं. 2 का छिटलैंड	मथबंगा	पटग्राम	69	13.95
24.	महिशमारी	सितलकुची	पटग्राम	54	122.77

1	2	3	4	5	6
25.	बुरा सराडुबी	सितलकुची	हातिबधा	13	34.96
26.	पालनापुर	सितलकुची	पटग्राम	64	506.56
27.	अमझोले	सितलकुची	हातिबधा	57	1.25
28.	किसमत भातरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	82	209.95
29.	दुर्गापुर	दिनहाटा	कालीगंज	83	20.96
30.	बंसुआ खामर गितालदाहा	दिनहाटा	लालमोनि- रहाट	1	24.54
31.	पाओतुकुथी	दिनहाटा	लालमोनि- रहाट	37	589.94
32.	पश्चिम बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	38	151.98
33.	मध्य बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	39	32.72
34.	पूरबा बाकालीर छरा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	40	12.23
35.	मध्य मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	3	136.66
36.	मध्य छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	8	11.87
37.	पश्चिम छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	7	7.6
38.	उत्तर मसालडांगा	दिनहाटा	भुरुंगामारी	2	27.29
39.	कछुआ	दिनहाटा	भुरुंगामारी	5	119.74
40.	उत्तर बंसजानी	तूफानगंज	भुरुंगामारी	1	47.17
41.	छत तिलाई	तूफानगंज	भुरुंगामारी	17	81.56
ख. फ्रेगमेंटेड छिट वाले एंक्लेव					
42.	(I) नलग्राम	सितलकुची	पटग्राम	65	1397.34
	(II) नलग्राम (फ्रेगमेंट)	सितलकुची	पटग्राम	65	
	(III) नलग्राम (फ्रेगमेंट)	सितलकुची	पटग्राम	65	
43.	(I) छिट नलग्राम (फ्रेगमेंट)	सितलकुची	पटग्राम	66	49.5
	(II) छिट नलग्राम (फ्रेगमेंट)	सितलकुची	पटग्राम	66	
44.	(I) भतरीगाछ	दिनहाटा	कालीगंज	81	577.37
	(II) भतरीगाछ (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	कालीगंज	81	
	(III) भतरीगाछ (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	कालीगंज	9	

1	2	3	4	5	6
45.	(I) कराला	दिनहाटा	फुलबारी	9	269.91
	(II) कराला (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
	(III) कराला (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	फुलबारी	9	
46.	(I) सिबप्रसाद मुस्तफी	दिनहाटा	फुलबारी	8	373.2
	(II) सिबप्रसाद मुस्तफी (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	फुलबारी	8	
47.	(I) दक्षिण मसालडांगा	दिनहाटा	भुरंगामारी	6	571.38
	(II) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरंगामारी	6	
	(III) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरंगामारी	6	
	(IV) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरंगामारी	6	
	(V) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरंगामारी	6	
	(VI) दक्षिण मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरंगामारी	6	
48.	(I) पश्चिम मसालडांगा	दिनहाटा	भुरंगामारी	4	29.49
	(II) पश्चिम मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरंगामारी	4	
49.	(I) पूरबा छिट मसालडांगा	दिनहाटा	भुरंगामारी	10	35.01
	(II) पूरबा छिट मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरंगामारी	10	
50.	(I) पूरबा मसालडांगा	दिनहाटा	भुरंगामारी	11	153.89
	(II) पूरबा मसालडांगा (फ्रेगमेंट)	दिनहाटा	भुरंगामारी	11	
51.	(I) उत्तर धालदंगा	तूफानगंज	भुरंगामारी	14	24.98
	(II) उत्तर धालदंगा (फ्रेगमेंट)	तूफानगंज	भुरंगामारी	14	
	(III) उत्तर धालदंगा (फ्रेगमेंट)	तूफानगंज	भुरंगामारी	14	
कुल क्षेत्र			7,110.02		

एन्क्लेवों के उपरोक्त व्यौरों का 9 से 12 अक्तूबर, 1996 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन के दौरान और साथ ही 21 से 24 नवंबर, 1996 के दौरान जलपाइगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) पांचागढ़ (बांग्लादेश) में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों के साथ संयुक्त रूप से मिलान किया गया है और उन्हें संगत बनाया गया है।

ह./-

बिग्रेडियर जे. आर. पीटर

निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण

(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत

और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र

भारतीय सर्वेक्षण, कलकत्ता

ह./-

मो. शफी उद्दीन

महानिदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण

बांग्लादेश



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016⁵⁹⁰

विधायी इतिहास

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 जब 19 दिसंबर, 2014 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 था। इस विधेयक को लोक सभा में 19 दिसंबर, 2014⁵⁹¹ को पुरःस्थापित किया गया था और 6 मई, 2015⁵⁹² को सभा द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। विधेयक को 12 मई 2015⁵⁹³ को राज्य सभा की प्रवर समिति के पास भेजा गया। राज्य सभा की प्रवर समिति ने विधेयक के बारे में अपना निष्कर्ष 22 जुलाई, 2015⁵⁹⁴ को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् राज्य सभा ने 3 अगस्त, 2016⁵⁹⁵ को विधेयक पारित कर दिया, इसके पश्चात् लोक सभा ने 8 अगस्त, 2016⁵⁹⁶ को विधेयक के संशोधित संस्करण को पारित कर दिया। 8 अगस्त, 2016 को राष्ट्रपति ने विधेयक को अनुमति प्रदान की और इसी दिन इसे भारत के राजपत्र में आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्रत्येक संव्यवहार पर माल और सेवा कर के उद्ग्रहण की बाबत विधियां बनाने के लिए संघ तथा राज्यों को, जिनके अन्तर्गत विधान- मंडल सहित संघ राज्यक्षेत्र भी हैं, समवर्ती कराचायक शक्तियां प्रदान करने हेतु माल और सेवा कर आरंभ करने के

590. 2014 का विधेयक संख्यांक 192; 19 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। 6 मई, 2015 को लोक सभा में इस पर वाद-विवाद हुआ; 12 मई 2015 को इसे राज्य सभा की प्रवर समिति के पास भेजा गया; 22 मई 2015 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया; 3 अगस्त 2016 को राज्य सभा द्वारा किए गए और 8 अगस्त 2016 को लोक सभा द्वारा किए गए संशोधनों के साथ इसे पारित किया गया; 8 सितम्बर 2016 को राष्ट्रपति ने इसे अनुमति प्रदान की; राजपत्र अधिसूचना की तिथि 8 सितम्बर 2016।

591. लोक सभा वाद-विवाद, 19 दिसम्बर 2014 पृष्ठ सं. 167-175।

592. लोक सभा वाद-विवाद, 6 मई 2015 पृष्ठ सं. 98-127।

593. राज्य सभा वाद-विवाद, 12 मई 2015 पृष्ठ सं. 334-336।

594. राज्य सभा वाद-विवाद, 22 जुलाई 2015 पृष्ठ सं. 3।

595. राज्य सभा वाद-विवाद, 3 अगस्त 2015 पृष्ठ सं. 329-566।

596. लोक सभा वाद-विवाद, 8 अगस्त 2016 पृष्ठ सं. 642--893।

लिए संविधान का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। माल और सेवा कर संघ और राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहित किए जा रहे अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा और इसका आशय करों के क्रमप्रपाती प्रभाव को दूर करना और माल और सेवाओं के लिए समान राष्ट्रीय बाजार का उपबंध करना है। प्रस्तावित केन्द्रीय और राज्य माल तथा सेवा कर ऐसे सभी संव्यवहारों पर जिनमें माल और सेवाओं का प्रदाय अंतर्वर्तित है, उनके सिवाय, जिन्हें माल और सेवा कर की परिधि से बाहर रखा गया है, उद्ग्रहित किए जाएंगे।

प्रस्तावित विधेयक जिसका आशय संविधान का और संशोधन करना है, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिए भी उपबंध करता है –

(क) विभिन्न केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करों और उद्ग्रहणों का जैसे कि औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिशुल्क (सीवीडी) के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात अतिरिक्त सीमा-शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क (एसएडी) और उनको केन्द्रीय अधिभार और उपकर का सन्निवेशन जहां तक उनका संबंध माल और सेवाओं के प्रदाय से है;

(ख) राज्य मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा उद्ग्रहित कर से निम्न) केन्द्रीय विक्रय कर (केन्द्र द्वारा उद्ग्रहित और राज्यों द्वारा संग्रहित), चुंगी तथा प्रवेश कर, क्रय कर विलासिता कर लाटरी, दांव लगाने और द्युत खेलने पर कर; तथा राज्य उपकर और अधिभार जहां तक उनका संबंध माल और सेवाओं के प्रदाय से है;

(ग) संविधान के अधीन 'विशेष महत्व के घोषित माल' की संकल्पना को त्याग देना;

(घ) माल और सेवाओं के अंतरराज्यिक संव्यवहारों पर एकीकृत माल और सेवा कर का उद्ग्रहण;

(ङ) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के प्रदाय पर एक प्रतिशत से अनधिक के अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण जो भारत सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए संग्रहित किया जाएगा और उन राज्यों को, जहां से प्रदाय आरंभ होता है, सौंपा जाएगा;

(च) माल और सेवा कर को शासित करने वाली विधियां बनाने के लिए संसद् और राज्य विधानमंडलों को समवर्ती शक्ति प्रदत्त करना;

(छ) मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर के सिवाय सभी माल और सेवाओं को माल और सेवा कर के उद्ग्रहण के लिए माल और सेवा कर के अधीन लाना। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की दशा में यह उपबंध किया गया है कि ये माल, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित तारीख तक माल और सेवा कर के उद्ग्रहण के अध्यक्षीन नहीं होंगे;

(ज) माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के मद्देनजर उद्भूत राजस्व की हानि के लिए राज्यों को ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, प्रतिकर प्रदान करना;

(झ) माल और सेवा करों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए माल और सेवा कर परिषद् का सृजन करना और संघ और राज्यों की दरों, छूट सूची और अवसीमा, जैसे परिमाणों पर सिफारिशें करना। परिषद् संघ के वित्त मंत्री की अध्यक्षता के अधीन कृत्य करेगी और संघ का राजस्व या वित्त का भारसाधक राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भारसाधक मंत्री और कोई अन्य मंत्री उसके सदस्य होंगे। यह और उपबंधित है कि परिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमान प्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:—

(अ) केन्द्रीय सरकार के मत को उस बैठक में डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा; और

(आ) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर उस बैठक में डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा।

दृष्टान्त:

प्रस्तावित अनुच्छेद 279क के खंड (9) के निबंधनों के अनुसार माल और सेवा कर परिषद् में प्रस्ताव के पक्ष में “उपस्थित और मत देने वाले अधिमानप्राप्त मतों” का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा :

$$\text{डब्ल्यूटी} = \text{डब्ल्यूसी} + \text{डब्ल्यूएस}$$

जहां,

$$\text{डब्ल्यूटी} = \text{डब्ल्यूसी} + \text{डब्ल्यूएस} = (\text{डब्ल्यूएसटी/एसपी}) \times \text{एसएफ}$$

जिसमें

$$\text{डब्ल्यूटी} = \text{प्रस्ताव के पक्ष में सभी सदस्यों के कुल अधिमानप्राप्त मत।}$$

डब्ल्यूसी = संघ के अधिमानप्राप्त मत = $1/3$ अर्थात् 33.33% यदि संघ प्रस्ताव के पक्ष में है और यदि संघ प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है तो उसे “0” (“शून्य”) के रूप में लिया जाएगा।

$$\text{डब्ल्यूएस} = \text{प्रस्ताव के पक्ष में राज्यों के अधिमान प्राप्त मत।}$$

$$\text{एसपी} = \text{उपस्थित और मत देने वाले राज्यों की संख्या।}$$

$$\text{डब्ल्यूएसटी} = \text{उपस्थित और मत देने वाले सभी राज्यों के अधिमानप्राप्त मत} = 2/3 \text{ अर्थात् } 66.67\% \mid$$

$$\text{एसएफ} = \text{प्रस्ताव के पक्ष में मत देने वाले राज्यों की संख्या।}$$

(अ) प्रस्तावित विधेयक के खंड 20 में ऐसी किसी असंगति को, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों के प्रारंभ पर किसी राज्य में माल या सेवाओं या दोनों पर कर से

संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के संबंध में एक वर्ष की अवधि के भीतर उद्भूत हो, दूर करने के लिए संक्रमणकालीन उपबंध किया गया है।

विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करना है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 246 के बाद अनुच्छेद 246क को अंतःस्थापित किया गया जिसमें माल और सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 246क के अनुसार संघ अथवा राज्य द्वारा लगाए गए जीएसटी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। इसके अतिरिक्त उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उपबंध है कि जहां अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल, या सेवाओं, अथवा दोनों का प्रदाय होता है, वहाँ संसद के पास माल और सेवा कर के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

संविधान के अनुच्छेद 248 में "संसद" शब्द को "अनुच्छेद 246क, संसद के अध्यक्ष" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 249 में "के संबंध में" शब्दों के बाद "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर अथवा" को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 250 में "के संबंध में" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर अथवा" को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया।

अनुच्छेद 268 में "तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद शुल्क" शब्दों का लोप करने के लिए संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 268क (अठासीवें संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित) का लोप कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 269 को "माल के परेषण" शब्दों के बाद "अनुच्छेद 269क में उपबंधित को छोड़कर" शब्दों को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया।

अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 269क को भी अंतःस्थापित किया गया जो अंतर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान करारोपण तथा माल और सेवा कर के संग्रहण से संबंधित था। अनुच्छेद 269क में उपबंध है कि अंतर-राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर जीएसटी भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाएगा और इस तरह के कर को केंद्र और राज्यों के बीच उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जैसा कि माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा कानून द्वारा उपबंध किया जाए।

अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 270 में संशोधन करके "अनुच्छेद 268, 268क और 269" को "अनुच्छेद 268, 269 और 269क" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 270 में, खंड 1 के बाद खंड (1क) और (1ख) को क्रमशः अनुच्छेद 246क के खंड (1)

और अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ द्वारा संग्रहित कर के वितरण के तरीके के उपबंध के लिए अंतःस्थापित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 271 में, “उन अनुच्छेदों” शब्दों के बाद, “अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर को छोड़कर” शब्द अंतःस्थापित किए गए थे।

अधिनियम द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद के गठन और संरचना के लिए संविधान में 279क अंतःस्थापित किया गया। अनुच्छेद 279क में उपबंध है कि राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रभावी होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, आदेश द्वारा, माल और सेवा कर परिषद का गठन करेगा। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उपबंध है कि परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। अनुच्छेद 279क के खंड (4) में जीएसटी परिषद के कार्य उपबंधित हैं। इसमें उल्लेख है कि माल और सेवा कर परिषद जीएसटी से संबंधित मामलों जैसे कि किन-किन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी, मॉडल जीएसटी विधियों में छूट दी जा सकती है, सहित केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करेगी।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 14 ने अनुच्छेद 366 में खंड 12क को अंतःस्थापित कर “वस्तु और सेवा कर” को परिभाषित किया, खंड 26क और 26ख को “सेवाओं” और “राज्य” को परिभाषित करने के लिए अंतःस्थापित किया गया।

अधिनियम की धारा 16 द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया गया। खंड (iii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 में एक नई प्रविष्टि नामतः “(ड) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर” को अंतःस्थापित करने का उपबंध करता है।

अधिनियम की धारा 17 द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया। खंड (क) सूची 1 की प्रविष्टि 84 के प्रतिस्थापन और 92 और 92ग का लोप करने का उपबंध करता है। इसके अतिरिक्त, खंड (ख) प्रविष्टि 52 और 55 का लोप करने और प्रविष्टि 54 और 62 के प्रतिस्थापन का उपबंध करता है।

अधिनियम में यह भी उपबंध है कि संसद माल और सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व की हानि के लिए राज्यों को विधि द्वारा पांच वर्ष की अवधि तक प्रतिपूर्ति करेगी। (धारा 18)। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 19 में संक्रमणकालीन उपबंध हैं।

अधिनियम की धारा 20 में कठिनाई निवारण खंड का उपबंध किया गया है जो राष्ट्रपति को तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिनियम को प्रभावी करने से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रदान करता है।

संशोधन का पाठ

संविधान (एक सौ एकवां संशोधन)

अधिनियम, 2016

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[8 सितम्बर, 2016]

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रति निर्देश है ।

नए अनुच्छेद
246क का
अंतःस्थापन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 246 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

माल और सेवा
कर के संबंध में
विशेष उपबंध ।

"246क. (1) अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के होते हुए भी, संसद को, और खंड (2) के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को, संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी ।

(2) जहां माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तर-राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है वहां संसद को, माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है ।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 279क के खंड (5) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में, माल और सेवा कर परिषद द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे।"।

3. संविधान के अनुच्छेद 248 के खंड (1) में "संसद" शब्द के स्थान पर "अनुच्छेद 246क के अध्यक्षीन रहते हुए, संसद" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। अनुच्छेद 248 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 249 के खंड (1) में "समीचीन है कि संसद" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवाकर या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 249 का संशोधन।

5. संविधान के अनुच्छेद 250 के खंड (1) में, "प्रवर्तन में हैं" शब्दों के पश्चात् "अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल या सेवाकर या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 250 का संशोधन।

6. संविधान के अनुच्छेद 268 के खंड (1) में, "तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क" शब्दों का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 268 का संशोधन।

7. संविधान के अनुच्छेद 268क, जो संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है, का लोप किया जाएगा। अनुच्छेद 268क का संशोधन।

8. संविधान के अनुच्छेद 269 के खंड (1) में, "(1) माल के क्रय" कोष्ठकों, शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "(1) अनुच्छेद 269क में यथाउपबंधित के सिवाय, माल के क्रय" कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे। अनुच्छेद 269 का संशोधन।

9. संविधान के अनुच्छेद 269 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- नए अनुच्छेद 269क का अंतःस्थापन।

"269क. (1) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में, जो संसद द्वारा, विधि द्वारा, माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर उपबंधित की जाए, संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा। अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजन के लिए, भारत के राज्यक्षेत्र में आयात के अनुक्रम में माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय को अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय समझा जाएगा।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य को प्रभाजित रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(3) जहां खंड (1) के अधीन उद्ग्रहित कर के रूप में संग्रहित रकम का उपयोग अनुच्छेद 246क के अधीन किसी राज्य द्वारा उद्ग्रहित कर का संदाय करने के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(4) जहां अनुच्छेद 246क के अधीन किसी राज्य द्वारा उद्ग्रहित कर के रूप में संग्रहित रकम का उपयोग खंड (1) के अधीन उद्ग्रहित कर का संदाय करने के लिए किया गया है, वहां ऐसी रकम राज्य की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(5) संसद, विधि द्वारा, प्रदाय के स्थान का और इस बात का कि माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में कब होता है, अवधारण करने संबंधी सिद्धांत बना सकेगी।"

अनुच्छेद 270
का संशोधन।

10. संविधान के अनुच्छेद 270 में,—

(i) खंड (1) में, "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268क और अनुच्छेद 269" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269क" शब्द अंक और अक्षर प्रतिस्थापित जाएंगे;

(ii) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1क) अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा संग्रहित कर भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित किया जाएगा।

(1ख) अनुच्छेद 246क के खंड (2) और अनुच्छेद 269क के अधीन संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसा कर

जिसका उपयोग अनुच्छेद 246क के खंड (1) के अधीन संघ द्वारा उद्ग्रहित कर का संदाय करने के लिए किया गया है, और अनुच्छेद 269क के खंड (1) के अधीन संघ को प्रभाजित रकम भी, संघ और राज्यों के बीच खंड (2) में उपबंधित रीति में वितरित की जाएगी।"।

11. संविधान के अनुच्छेद 271 में, "भी संसद" शब्दों के पश्चात्, "अनुच्छेद 246क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 271 का संशोधन।

12. संविधान के अनुच्छेद 279 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

नए अनुच्छेद 279क का अंतःस्थापन।

"279क. (1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश द्वारा, माल और सेवाकर परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् का गठन करेगा।

माल और सेवा कर परिषद्।

(2) माल और सेवाकर परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) संघ का वित्तमंत्री-अध्यक्ष;

(ख) संघ का राजस्व या वित्त का भारसाधक राज्यमंत्री-सदस्य;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त या कराधान का भार साधक मंत्री या कोई अन्य मंत्री – सदस्य;

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट माल और सेवाकर परिषद् के सदस्य, यथाशीघ्र अपने में से एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो विनिश्चित करें परिषद् का उपाध्यक्ष चुनेंगे;

(4) माल और सेवाकर परिषद् निम्नलिखित के संबंध में संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी—

(क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उद्ग्रहित कर उपकर और अधिभार, जो माल और सेवाकर में सम्मिलित किए जा सकेंगे;

(ख) माल और सेवाएं जो माल और सेवा के अध्यक्षीन हो सकेंगी या जिन्हें माल और सेवाकर से छूट प्राप्त हो सकेगी;

(ग) आदर्श माल और सेवाकर विधियां, अनुच्छेद 269क के अधीन अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय माल पर उद्ग्रहित माल और सेवाकर के उद्ग्रहण, प्रभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय के स्थान को शासित करते हैं;

(घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवाकर से छूट प्रदान की जा सकेगी;

(ङ) माल और सेवाकर के समूहों के साथ दरें जिनके अंतर्गत न्यूनतम दरें भी हैं;

(च) किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध; और

(ज) माल और सेवाकर से संबंधित कोई अन्य विषय, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(5) माल और सेवाकर परिषद् उस तारीख की सिफारिश करेगी जिसको अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवाकर उद्ग्रहित किया जाए।

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करते समय, माल और सेवाकर परिषद् माल और सेवाकर की सामंजस्यपूर्ण संरचना और माल और सेवाओं के लिए सुव्यवस्थित राष्ट्रीय बाजार के विकास की आवश्यकता द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(7) माल और सेवाकर परिषद् की, उसकी बैठकों में, गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी।

(8) माल और सेवाकर परिषद् अपने कृत्यों के पालन के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगी।

(9) माल और सेवाकर परिषद का प्रत्येक विनिश्चय बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के अधिमान प्राप्त मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

उस बैठक में,—

(क) केन्द्रीय सरकार के मत को डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा; और

(ख) सभी राज्य सरकारों के मतों को एक साथ लेने पर डाले गए कुल मतों के दो-तिहाई का अधिमान प्राप्त होगा।

(10) माल और सेवाकर परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि—

(क) परिषद में कोई रिक्ति है या उस के गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) परिषद के किसी सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) परिषद की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण को प्रभावित नहीं करती है।

(11) माल और सेवाकर परिषद् —

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच,

परिषद की सिफारिशों या उनके कार्यान्वयन से उद्भूत किसी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी।"

अनुच्छेद 286
का संशोधन।

13. संविधान के अनुच्छेद 286 में,—

(i) खंड (1) में,—

(अ) “माल के क्रय या विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय” शब्दों के स्थान पर “माल के या सेवाओं के या दोनों के प्रदाय पर जहां ऐसा प्रदाय” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(आ) उपखंड (ख) में, “माल के आयात या उसके” शब्दों के स्थान पर, “माल के या सेवाओं के या दोनों के आयात अथवा माल के या सेवाओं के या दोनों के” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (2) में, “माल का क्रय या विक्रय” शब्दों के स्था पर, “माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (3) का लोप किया जाएगा।

अनुच्छेद 366
का संशोधन।

14. संविधान के अनुच्छेद 366 में,—

(i) खंड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(12क) “माल और सेवाकर” से मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहोली लिकर के प्रदाय पर कर के सिवाय माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय पर कोई कर अभिप्रेत है;”

(ii) खंड (26) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(26क) “सेवाओं” से माल से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है;

(26ख) “राज्य” के अंतर्गत, अनुच्छेद 246क, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269क और अनुच्छेद 279क के संदर्भ में, विधान-मंडल वाला कोई संघ राज्यक्षेत्र भी आता है;”।

अनुच्छेद 368
का संशोधन।

15. संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के खंड (क) में, “अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

16. संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 8 के उप पैरा (3) में,— छठी अनुसूची का संशोधन ।

(i) खंड (ग) के अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के अंत में, "और" शब्द अंतः स्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ङ) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर;”।

17. संविधान की सातवीं अनुसूची में,—

सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

(क) सूची 1 संघ सूची में,—

(i) प्रविष्टि 84 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद- शुल्क,—

(क) अपरिष्कृत पेट्रोलियम;

(ख) उच्च गति डीजल;

(ग) मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात);

(घ) प्राकृतिक गैस;

(ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन; और

(च) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद ।”;

(ii) प्रविष्टि 92 और प्रविष्टि 92ग का लोप किया जाएगा;

(ख) सूची 2 राज्य सूची में,—

(1) प्रविष्टि 52 का लोप किया जाएगा;

(ii) प्रविष्टि 54 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“54. अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात), प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर के विक्रय पर कर किंतु इसके अंतर्गत ऐसे माल का अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय नहीं आता है।”;

(iii) प्रविष्टि 55 का लोप किया जाएगा;

(iv) प्रविष्टि 62 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“62. मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद या किसी जिला परिषद द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किया जाए।”

माल और सेवा
कर के आरंभ किए
जाने के कारण
राज्यों को राजस्व
की हानि के लिए
प्रतिकर।

18. संसद विधि द्वारा, माल और सेवाकर परिषद की सिफारिश पर माल और सेवाकर के कार्यान्वयन के कारण उद्भूत राजस्व की हानि के लिए राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकर प्रदान करेगी।

संक्रमणकालीन
उपबंध।

19. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त माल या सेवाओं या दोनों पर कर से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबंधों से असंगत है तब तक जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका संशोधन या लोप नहीं किया जाता है या जब तक कि ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इनमें जो भी पहले हो, प्रवृत्त बना रहेगा।

कठिनाइयों को दूर
करने की राष्ट्रपति
की शक्ति।

20. (1) यदि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है (जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति की तारीख से ठीक पूर्व यथाविद्यमान संविधान के

उपबंधों से इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित संविधान के उपबंधों में संक्रमण से संबंधित कोई कठिनाई भी है), राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के किसी उपबंध या विधि का कोई अनुकूलन या उपांतरण भी है, जो राष्ट्रपति को कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगा:

परन्तु ऐसी स्वीकृति की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018⁵⁹⁷

विधायी इतिहास

संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम 2018 को 5 अप्रैल, 2017 को जब लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (एक सौ तेईसवां संशोधन) विधेयक, 2017 था। इस विधेयक का आशय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन सी बी सी) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन सी एस सी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बराबर संवैधानिक दर्जा देना था। यह विधेयक लोक सभा में 5 अप्रैल, 2017⁵⁹⁸ को पुरःस्थापित किया गया था और सभा द्वारा 10 अप्रैल, 2017⁵⁹⁹ को इस पर विचार किया गया और इसे पारित किया गया। विधेयक को 11 अप्रैल, 2017⁶⁰⁰ को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया था। राज्य सभा की प्रवर समिति ने 19 जुलाई, 2017⁶⁰¹ को विधेयक के संबंध में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। तत्पश्चात्, राज्य सभा ने 31 जुलाई, 2017⁶⁰² को विधेयक पारित किया और उसके बाद लोक सभा ने 2 अगस्त, 2018⁶⁰³ को विधेयक के संशोधित रूप को पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त, लोक सभा द्वारा वैकल्पिक संशोधन और आगामी संशोधनों के साथ यथापारित विधेयक को राज्य सभा ने 6 अगस्त, 2018⁶⁰⁴ को सहमति प्रदान कर दी। 11 अगस्त, 2018 को राष्ट्रपति ने विधेयक को अनुमति प्रदान की और उसी दिन आधिकारिक तौर पर इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

597. 2017 का विधेयक संख्यांक. 71; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा 5 अप्रैल, 2017 को लोक सभा में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया गया। वाद-विवाद, लोक सभा 10 अप्रैल, 2017 और 2 अगस्त 2018, राज्य सभा 11 अप्रैल 2017, 19 और 31 जुलाई 2017 तथा 6 अगस्त 2018; राष्ट्रपति की अनुमति, 11 अगस्त, 2018; राजपत्र अधिसूचना की तिथि 11 अगस्त 2018।

598. लोक सभा वाद- विवाद, 5 अप्रैल 2017, पृष्ठ----

599. लोक सभा वाद- विवाद, 10 अप्रैल 2017, पृष्ठ----

600. राज्य सभा वाद- विवाद, 11 अप्रैल 2017, पृष्ठ----

601. राज्य सभा वाद- विवाद, 19, जुलाई 2017, पृष्ठ----

602. लोक सभा वाद- विवाद, 31, जुलाई 2017, पृष्ठ----

603. लोक सभा वाद- विवाद, 2 अगस्त 2018, पृष्ठ----

604. राज्य सभा वाद- विवाद, 6 अगस्त 2018, पृष्ठ----

विधेयक के उद्देश्य और कारण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के पारित किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। उक्त आयोग, 1987 के संकल्प के अधीन स्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर 12 मार्च, 1992 को गठित किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान या अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सभी रक्षापायों को मॉनीटर करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन गठित किया गया था।

संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 338क अंतःस्थापित करके पृथक् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन निर्देश, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक निर्बंधित था। वर्तमान में, संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ विभेद से संबंधित शिकायतों और परिवारों की जांच-पड़ताल करने के लिए भी सशक्त है।

वर्ष 1992 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने *इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* के मामले (एआईआर 1993, एससी 477) में भारत सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने तथा अधिक सम्मिलित किए जाने और कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों के अनुरोधों को ग्रहण करने, उनकी परीक्षा करने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय गठित करने का निदेश दिया था। उक्त निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम अप्रैल, 1993 में अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम के अधीन 14 अगस्त, 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य, सूचियों में किसी पिछड़ी जाति के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के लिए अनुरोधों की परीक्षा करने तक तथा ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों को सुनने तक और केंद्रीय सरकार को ऐसी सलाह, जो वह उचित समझे, देने तक सीमित है। अब, पिछड़े वर्गों के हितों की और अधिक प्रभावी रूप में सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक प्रास्थिति के साथ राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी 2014-15 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि अनुच्छेद 338 के खंड (10) के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिकायतें, निपटाए जाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दी जानी चाहिए।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए भारत के संविधान के संशोधन का प्रस्ताव है, अर्थात्:—

(क) नया अनुच्छेद 338ख अंतःस्थापित करना, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा सके, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे। उक्त आयोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की शिकायतों को सुनेगा, जिस कार्य का निर्वहन अब तक अनुच्छेद 338 के खंड (10) के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किया गया है; और

(ख) नया अनुच्छेद 342क अंतःस्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का होना समझा जाएगा।

विधेयक का आशय पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 का आशय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के बराबर संवैधानिक दर्जा देने का है।

अधिनियम की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 338 के खंड (10) में संशोधन किया गया। ताकि अनुसूचित जातियों से संबंधित उपबंधों के दायरे से 'अन्य पिछड़ा वर्गों' को हटाया जा सके। इस संशोधन से पूर्व, अनुसूचित जातियों के संदर्भ का अर्थ यह लगाया जाता था कि उनका संदर्भ 'अन्य पिछड़ा वर्गों' से है, जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है।

अधिनियम की धारा 3 में अनुच्छेद 338ख अंतःस्थापित किया गया जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन सी बी सी) के गठन का उपबंध है। इस संशोधन से पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए एक सांविधिक आयोग था। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में यह उपबंध है कि आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि कितनी होगी। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत **वारंट** द्वारा की जाएगी। खंड (5) में आयोग के कर्तव्यों का उपबंध है जिसमें इस संविधान के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित होने के बारे में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, एसईबीसी के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाग

लेना और परामर्श देना, राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शामिल है और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा जैसा कि उक्त अनुच्छेद के खंड (6) आदि के अधीन उपबंधित है। खंड (8) में आयोग की शक्तियों का उपबंध है और इसमें उल्लेख है कि आयोग के पास किसी भी मामले की जांच करते समय, किसी मुकदमे का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। इसके अतिरिक्त, खंड (9) में उल्लेख है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार एसईबीसी को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अधिनियम में अनुच्छेद 342क को भी अंतःस्थापित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाएगा।

अनुच्छेद 342क (2) संसद को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची से किसी भी वर्ग को शामिल करने या बाहर करने का विधि द्वारा अधिकार देता है।

अधिनियम की धारा 5 द्वारा अनुच्छेद 366 में खंड (26ग) को अंतःस्थापित कर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया।

संशोधन का पाठ

संविधान (एक सौ दोवां संशोधन)

अधिनियम, 2018

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[11 अगस्त, 2018]

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ दोवां) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अनुच्छेद 338
का संशोधन।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) में, "ऐसे पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

नए अनुच्छेद
338ख का
अंतःस्थापन।

3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

राष्ट्रीय पिछड़ा
वर्ग आयोग।

"338ख. (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:—

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने चाहिए; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा किए गए उपबंधों के अध्याधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हो, सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियम अवधारित करें।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।"।

4. संविधान के अनुच्छेद 342 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

नए अनुच्छेद 342क का अंतःस्थापन।

"342क. (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होने के रूप में समझे जाएंगे।

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग।

(2) संसद् विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी किसी अधिसूचना में पश्चात्पूर्वी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"।

5. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुच्छेद 366 का संशोधन।

(26ग) "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन पिछड़ा वर्ग होना समझा गया है;"।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019⁶⁰⁵

विधायी इतिहास

संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019, जब 8 जनवरी 2019 को लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया था, तो उसका नाम संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019⁶⁰⁶ था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना था। इस विधेयक को लोक सभा ने 8 जनवरी 2019⁶⁰⁷ को और राज्य सभा ने 9 जनवरी 2019⁶⁰⁸ को पारित कर दिया था।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

वर्तमान में, नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, ऐसे व्यक्तियों से, जो आर्थिक रूप से अधिक सुविधा प्राप्त हैं, प्रतिस्पर्धा करने में अपनी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने से अधिकांशतः वर्जित रहे हैं। अनुच्छेद 15 के खंड (4) और खंड (5) तथा अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अधीन विद्यमान आरक्षण के फायदे उन्हें साधारणतया तब तक उपलब्ध नहीं होते हैं, जब तक कि वे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के विनिर्दिष्ट मानदंड को पूरा नहीं करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 46 में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह आदेश है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) अंतःस्थापित किया गया था, जो राज्य को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े

605. 2019 का विधेयक संख्यांक; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत द्वारा 8 जनवरी 2019 को लोक सभा में संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया गया; वाद- विवाद लोक सभा 8 जनवरी 2019; राज्य सभा 9 जनवरी 2019; राष्ट्रपति की अनुमति: 12 जनवरी 2019; राजपत्र अधिसूचना की तिथि 12 जनवरी 2019।

606. लोक सभा वाद-विवाद, 8 जनवरी 2019, पृष्ठ-----

607. वही, 8 जनवरी 2019, पृष्ठ-----

608. राज्य सभा वाद-विवाद, 9 जनवरी 2019, पृष्ठ-----

किन्हीं भी वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए समर्थ बनाता है। इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 16 का खंड (4) राज्य को नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने के लिए समर्थ बनाता है।

तथापि, नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग आरक्षण का फायदा लेने के पात्र नहीं थे। अनुच्छेद 46 के निदेश को पूरा करने की दृष्टि से तथा सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और राज्य की सेवाओं में रोजगार में सहभागिता का उचित अवसर प्राप्त हो, भारत के संविधान का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करने का और राज्य के अधीन सेवाओं में आरंभिक नियुक्ति के पदों पर उनके लिए आरक्षण का भी उपबंध करता है।

विधेयक का आशय पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में एक नया खंड (6) अंतःस्थापित किया गया है जो यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 15(6) (2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए अनुच्छेद 30 के खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के अतिरिक्त राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश के लिए 10% कोटा प्रदान करता है, जो आरक्षण के मामले में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त होगा तथा प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा।

अनुच्छेद 15 (6) में संलग्न स्पष्टीकरण में उल्लेख है कि "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" ऐसे होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 3 में संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (6) अंतःस्थापित किया गया है, जो वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त सरकार में पदों पर नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस के लिए दस प्रतिशत आरक्षण और प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम दस प्रतिशत पदों के अध्यधीन दस प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करता है।

संशोधन का पाठ

संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन)

अधिनियम, 2019

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[12 जनवरी, 2019]

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ
तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 15
का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) के पश्चात्
निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के
उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात, राज्य
को-

(क) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न
नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के
लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी; और
(ख) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न
नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के
लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी,
जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके
अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक
शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं,
चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने
वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान

आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा।

स्पष्टीकरण— इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

3. संविधान के अनुच्छेद 16 में, खंड (5) के पश्चात् अनुच्छेद 16 निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— का संशोधन।

"(6) इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को खंड (4) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन, आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

संशोधन के पश्चात् न्यायिक निर्णय:

जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1540 मामले में 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायालय का मानना था कि वर्तमान आरक्षणों के अतिरिक्त नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण, 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक के लिए बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह सीमा स्वयं अनम्य नहीं है और किसी भी मामले में केवल संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 (4) से संबंधित आरक्षण पर लागू होती है।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019⁶⁰⁹

विधायी इतिहास

संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019, जब 9 दिसंबर 2019 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, तब उसका नाम संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019⁶¹⁰ था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करना था। यह विधेयक लोक सभा द्वारा 10 दिसंबर 2019⁶¹¹ को और राज्य सभा द्वारा 12 दिसंबर 2019⁶¹² को पारित किया गया था।

विधेयक के उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 334 यह अधिकथित करता है कि लोक सभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और नाम-निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि इन उपबंधों का और विस्तार नहीं किया गया तो ये 25 जनवरी, 2020 को प्रभावी नहीं रहेंगे।

यद्यपि, गत 70 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने पर्याप्त प्रगति की है, वे कारण जिनसे स्थानों के पूर्वोक्त आरक्षण के संबंध में उपबंध करने के लिए संविधानसभा ने विचार किया था, अभी भी विद्यमान हैं। अतः, संविधान के निर्माताओं द्वारा यथापरिकल्पित

609. 2019 का विधेयक संख्यांक 371; विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोक सभा में 9 दिसंबर 2019 को संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया गया; वाद-विवाद लोक सभा 9 और 10 दिसंबर 2019; राज्य सभा 12 दिसंबर 2019; राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित; राष्ट्रपति की अनुमति, 21 जनवरी 2020; गजट अधिसूचना की तिथि: 22 जनवरी 2020।

610. लोक सभा वाद- विवाद, 9 दिसंबर 2019, पृष्ठ 104-106।

611. वही 10 दिसंबर 2019, पृष्ठ 140-347।

612. राज्य सभा वाद- विवाद 12 दिसंबर 2019, पृष्ठ 436-531।

समावेशी स्वरूप को बनाए रखने की दृष्टि से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को अन्य दस वर्षों के लिए अर्थात् 25 जनवरी, 2030 तक जारी रखने का प्रस्ताव है।

विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम की धारा 2 खंड (क) अनुच्छेद 334 के सीमांत शीर्षक को "सीटों का आरक्षण और निश्चित अवधि के बाद विशेष प्रतिनिधित्व को समाप्त करना" के रूप में प्रतिस्थापित करता है।

आगे धारा 2 (ख) लोक सभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को 10 वर्ष की अवधि अर्थात् 70 वर्ष के स्थान पर 80 वर्ष के लिए और बढ़ा देती है।

संशोधन का पाठ संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019

भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम

[21 जनवरी, 2020]

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह 25 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगा।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में,-

अनुच्छेद 334
का संशोधन।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा
जाएगा, अर्थात्:-

"स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय
अवधि के पश्चात् न रहना";

(ख) खंड (क) और खंड (ख) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में
"सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) के संबंध में अस्सी
वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021⁶¹³

विधायी इतिहास

9 अगस्त 2021 को जब लोक सभा में संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021⁶¹⁴ पुरःस्थापित किया गया था, तो इसका शीर्षक संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 338ख, 324क और 366 में संशोधन करना था। उक्त विधेयक, लोक सभा द्वारा 10 अगस्त, 2021⁶¹⁵ को और राज्य सभा द्वारा 11 अगस्त, 2021⁶¹⁶ को पारित किया गया था।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संविधान में तीन नए अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 342क, अनुच्छेद 366(26ग) और अनुच्छेद 338ख अंतःस्थापित किए गए हैं। यतः अनुच्छेद 338ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, अनुच्छेद 342क सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (सामान्यतः अन्य पिछड़े वर्गों के तौर पर ज्ञात) की केंद्रीय सूची से संबंधित है तथा अनुच्छेद 366(26ग) ने सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया है।

संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित करते समय विधायी आशय यह था कि यह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की केंद्रीय सूची से संबंधित है। इसमें इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्ष 1993 में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों

613. 2021 का विधेयक संख्यांक 124; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 के रूप में 9 अगस्त 2021 को लोक सभा में पुरःस्थापित; वाद-विवाद लोक सभा में 9 और 10 अगस्त 2021; राज्य सभा में 11 अगस्त 2021; राष्ट्रपति की अनुमति: 18 अगस्त, 2021; राजपत्र अधिसूचना की तिथि 19 अगस्त 2021।

614. लो.स. वा.वि., 9 अगस्त 2021 पृ. 820-822।

615. वही. 10 अगस्त 2021 पृ. 820-822।

616. रा.स. वा.वि., 11 अगस्त 2021 पृ. 18-151।

(एसईबीसी) की केंद्रीय सूची की घोषणा से भी पूर्व, कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची/संघ राज्यक्षेत्र सूची है। इसी को संसद् में स्पष्ट किया गया कि राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की स्वयं की पृथक् राज्य सूची/संघ राज्यक्षेत्र सूची बनाए रखना जारी रखेंगे। पिछड़े वर्गों की ऐसी राज्य सूची या संघ राज्यक्षेत्र सूची में सम्मिलित जातियां या समुदाय सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की केंद्रीय सूची में सम्मिलित जातियों या समुदायों से भिन्न हो सकते हैं।

यद्यपि, वर्ष 1993 से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की पृथक् सूचियां सदैव विद्यमान थीं, तथापि संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के पश्चात् एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या संविधान के उक्त संशोधनों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पृथक् सूची तैयार करने और बनाए रखने के राज्य के अधिकार को वापस लेते हुए प्रत्येक राज्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) को विनिर्दिष्ट करते हुए एसईबीसी की एकल केंद्रीय सूची तैयार करने का अधिदेश था।

यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करने के लिए कि राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र के पास सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्यक्षेत्र सूची तैयार करने और उसे बनाए रखने का अधिकार है तथा इस देश की संघीय संरचना बनाए रखने के दृष्टिकोण से, संविधान के अनुच्छेद 342क का संशोधन करने तथा अनुच्छेद 338ख और अनुच्छेद 366 में पारिणामिक संशोधन करने की आवश्यकता है।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंध

अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338ख के खंड (9) में एक परंतुक जोड़कर संशोधन किया गया, जिसमें यह उपबंध किया गया कि उक्त खंड की कोई बात अनुच्छेद 342क के खंड(3) के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगी।

अधिनियम की धारा 3 में उपबंध है कि अनुच्छेद 342क के खंड(1) में, "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए," शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए," शब्द रखे जाएंगे।

धारा 3(ख) में आगे उपबंध है कि खंड(2) के पश्चात् अनुच्छेद 342क का एक स्पष्टीकरण और खंड(3) अन्तःस्थापित किया जाएगा। स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि खंड (1) और खंड (2) के प्रयोजनों के लिए "केंद्रीय सूची" अभिव्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि

से पिछड़े वर्गों की तैयार की गई और रखी गई सूची अभिप्रेत है। अनुच्छेद 342क (3) में उपबंध है कि खंड (1) और खंड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी।

धारा 4 में उपबंध है कि अनुच्छेद 366 में खंड 26ग अन्तःस्थापित किया जाएगा जो "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग" शब्द को परिभाषित करता है, जिन्हें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन ऐसा समझा गया है।

संशोधन का पाठ

संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन)

अधिनियम, 2021

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[18 अगस्त, 2021]

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 338ख के खंड (9) में, अनुच्छेद 338ख का संशोधन।
निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस खंड की कोई बात अनुच्छेद 342क के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगी।”।

3. संविधान के अनुच्छेद 342क में,-

अनुच्छेद 342क का संशोधन।

(क) खंड (1) में, “सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए,” शब्दों के स्थान पर, “केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के प्रयोजनों के लिए,” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘स्पष्टीकरण’— खंड (1) और खंड (2) के प्रयोजनों के लिए “केंद्रीय सूची” अभिव्यक्ति से केंद्रीय सरकार द्वारा

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की तैयार की गई और रखी गई सूची अभिप्रेत है।

(3) खंड (1) और खंड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकेगा और रख सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकेंगी।'

अनुच्छेद 366 का संशोधन।

4. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(26ग) "सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों" से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन ऐसा समझा गया है।'



वाद-विवाद का लिंक

संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023⁶¹⁷

विधायी इतिहास

संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 को 19 सितंबर 2023⁶¹⁸ को लोक सभा में संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 के रूप में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक का आशय संविधान के अनुच्छेद 239कक, 330, 332 और 334 में संशोधन करना था। विधेयक को लोक सभा द्वारा 20 सितंबर 2023⁶¹⁹ को पारित किया गया था। लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 21 सितंबर 2023⁶²⁰ को विचार किया गया और पारित किया गया। सदनों द्वारा यथापारित विधेयक को 28 सितंबर 2023 को संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के रूप में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने के पश्चात्, राष्ट्र ने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनने के ध्येय के साथ अमृतकाल में अपनी यात्रा आरंभ की है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की भावना के साथ समाज के सभी वर्गों का योगदान अपेक्षित है। इस ध्येय को प्राप्त करने में महिलाओं, जो जनसंख्या का आधा भाग हैं, की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सरकार ने, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के माध्यम से "नारी शक्ति" को आगे लाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में काफी सुधार हुआ है और शिक्षा और स्वास्थ्य तक समान पहुंच उपलब्ध हुई है।

617. 2023 का विधेयक संख्यांक 124: इसे विधि और न्याय मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 19 सितंबर, 2023 को लोक सभा में संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 के रूप में पुरःस्थापित किया गया; इस पर 19 और 20 सितंबर 2023 को लोक सभा में चर्चा हुई; और 21 सितंबर 2023 को राज्य सभा में चर्चा हुई; इसे राष्ट्रपति की अनुमति 28 सितंबर 2023 को मिली; राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि- 28 सितंबर, 2023।

618. लोक सभा वाद-विवाद, 19 सितंबर 2023, पृष्ठ. 21-27।

619. पूर्वोक्त, 20 सितंबर 2023।

620. राज्य सभा वाद-विवाद, 21 सितंबर 2023।

सरकार ने, विशेषकर महिलाओं के लिए ईज ऑफ लिविंग पर भी विभिन्न पहलों के माध्यम से बल दिया है, जिसके अंतर्गत उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अधीन शौचालयों तक पहुंच, मुद्रा योजना आदि के माध्यम से वित्तीय समावेशन शामिल है। यद्यपि, महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता होगी क्योंकि वे एक विभिन्न दृष्टिकोण लाती हैं और विधायी चर्चाओं की गुणवत्ता को समृद्ध करती हैं और बेहतर निर्णय लेने में योगदान देती हैं।

हालांकि महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिका निकायों में तो पर्याप्त रूप से भाग लेती हैं, लेकिन राज्य विधानमंडलों के साथ-साथ संसद में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का उपबंध करने की मांग भी काफी समय से लंबित है। लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण किए जाने के अनेक प्रयास हुए हैं। ऐसा अंतिम प्रयास वर्ष 2010 में तब किया गया था जब राज्य सभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था किंतु इसे लोक सभा में पारित नहीं किया जा सका।

लोक प्रतिनिधियों के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सांविधानिक संशोधन करने के लिए एक नए विधान को पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया, जिससे लोक सभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में कुल स्थानों में से यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई सीटों का उपबंध महिलाओं के लिए किया जा सके।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

अधिनियम की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 239-कक में नए खंड अंतःस्थापित किये गए हैं। अनुच्छेद 239-कक (खक) द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का उपबंध किया गया है। उक्त अनुच्छेद के खंड (खख) में उपबंध है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। उक्त अनुच्छेद के खंड (खग) में उपबंध है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान (अनुसूचित जातियों की महिलाओं सहित), ऐसी रीति में, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

अधिनियम की धारा 3 अनुच्छेद 330-क को अंतःस्थापित करती है। उक्त अनुच्छेद के खंड (1) में लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध है। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उपबंध है कि अनुच्छेद 330 (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। उक्त अनुच्छेद के खंड (3) में उपबंध है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे

जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

अधिनियम की धारा 4 अनुच्छेद 332-क को अंतःस्थापित करती है। उक्त अनुच्छेद के खंड (1) में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध है। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उपबंध है कि अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। उक्त अनुच्छेद के खंड (3) में उपबंध है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक-तिहाई स्थान (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

अधिनियम की धारा 5 अनुच्छेद 334क को अंतःस्थापित करती है। अनुच्छेद 334क में उपबंध है कि स्थानों का चक्रानुक्रम परिसीमन कार्य के पश्चात् किया जाएगा। आगे यह और उपबंध है कि अधिनियम प्रारंभ होने के पश्चात् से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा।

अनुच्छेद 334क के खंड (2) में उपबंध है कि अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तारीख तक, जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।

अधिनियम की धारा 6 में उपबंध है कि अधिनियम लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में यथास्थिति उक्त अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान किसी आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा।

संशोधन का पाठ

संविधान (एक सौ छठवां संशोधन)

अधिनियम, 2023

**भारत के संविधान का और संशोधन करने
के लिए अधिनियम**

[28 सितंबर, 2023]

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान के अनुच्छेद 239कक के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- अनुच्छेद 239कक का संशोधन।

“(खक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(खख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(खग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित हैं), ऐसी रीति में, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करें, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।”।

3. संविधान के अनुच्छेद 330 के पश्चात्, निम्नलिखित नए अनुच्छेद
अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 330क का
अंतःस्थापन।

“330क. (1) लोक सभा में महिलाओं के लिए स्थान लोक सभा में
आरक्षित किए जाएंगे। महिलाओं के
लिए स्थानों का
आरक्षण।

(2) अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) लोक सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।”

4. संविधान के अनुच्छेद 332 के पश्चात्, निम्नलिखित नए अनुच्छेद
अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 332क का
अंतःस्थापन।

“332क. (1) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। राज्यों की
विधान सभाओं
में महिलाओं के

(2) अनुच्छेद 332 के खंड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। लिए स्थानों का
आरक्षण।

(3) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।”

5. संविधान के अनुच्छेद 334 के पश्चात्, निम्नलिखित नए अनुच्छेद
अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 334क का
अंतःस्थापन।

महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना।

“334क. (1) इस भाग या भाग 8 के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित संविधान के उपबंध, संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात् पहली जनगणना के सुसंगत आकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात् प्रभावी होंगे तथा संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।

(2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क और अनुच्छेद 332क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का, उस तारीख तक, जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे, आरक्षित रहना जारी रहेगा।

(3) लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम प्रत्येक पश्चात्पूर्व परिसीमन कार्य के पश्चात् उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद विधि द्वारा अवधारित करे।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात, लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि उस समय विद्यमान लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है।”

संशोधन का लोक सभा, किसी राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा में आरक्षण को प्रभावित न करना।

6. संविधान (एक सौ छठवां संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में किए गए संशोधन, लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा में उक्त अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेंगे, जब तक, यथास्थिति, लोक सभा, किसी राज्य की विधानसभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है।

अनुबंध

**पारित किए गए/निराकृत किये गये/व्यपगत हुए/वापस लिए गए/अस्वीकृत हुए/
पुरःस्थापित नहीं किए गए/लंबित संविधान संशोधन विधेयकों की
स्थिति दर्शाने वाला सारणीबद्ध विवरण**

(एक से एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन विधेयक तक)

क्रमांक	संविधान (संशोधन) विधेयक (यथा- पुरःस्थापित) की संख्या	संविधान (संशोधन) विधेयक (यथापारित) की संख्या	निराकृत किए गए/ व्यपगत हुए/वापस लिए गए/अस्वीकृत हुए/लंबित/ पुरःस्थापित नहीं किए गए विधेयकों की स्थिति
1	2	3	4
1.	संविधान (पहला संशोधन) विधेयक, 1951	संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951	-
2.	संविधान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1952	संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1952	-
3.	संविधान (तीसरा संशोधन) विधेयक, 1954	संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1954	-
4.	संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक, 1954	संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955	-
5.	संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक, 1955	-	पहली लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ ।
6.	संविधान (छठा संशोधन) विधेयक, 1955	-	सरकार द्वारा एक समेकित विधेयक, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के परिप्रेक्ष्य में अपरिहार्य हो गया था, लाए जाने हेतु सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
7.	संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक, 1955	-	अस्वीकृत हुआ, क्योंकि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने हेतु लोक सभा में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका ।

1	2	3	4
8.	संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, 1955	संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955	-
9.	संविधान (नौवां संशोधन) विधेयक, 1956	संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956	-
10.	संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, 1956	संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956	-
11.	संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक, 1959	संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960	-
12.	संविधान (नौवां संशोधन) विधेयक, 1960	संविधान (नौवां संशोधन) अधिनियम, 1960	-
13.	संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, 1961	संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961	-
14.	संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 1961	संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961	-
15.	संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, 1962	संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 1962	-
16.	संविधान (तेरहवां संशोधन) विधेयक, 1962	संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962	
17.	संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, 1962	संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962	
18.	संविधान (पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 1962	संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963	
19.	संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, 1963	संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963	
20.	संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 1963	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव संविधान के उपबंधों के अनुसार आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हुआ था।
21.	संविधान (अठारहवां संशोधन) विधेयक, 1964	-	तृतीय लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया
22.	संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 1964	संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1964	-

1	2	3	4
23.	संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 1966	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव संविधान के उपबंधों के अनुसार आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हुआ था।
24.	संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक, 1966	संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966	-
25.	संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966	संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966	-
26.	संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक, 1966	संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966	-
27.	संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967	संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967	-
28.	संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1968	-	विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
29.	संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969	संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969	-
30.	संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक, 1969	संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969	-
31.	संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1970	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव संविधान के उपबंधों के अनुसार आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हुआ था।
32.	संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971	संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971	-
33.	संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971	संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971	-
34.	संविधान (छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 1971	संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971	-
35.	संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 1971	संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971	-

1	2	3	4
36.	संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 1971	-	विधेयकों के रजिस्टर से हटा दिया गया क्योंकि इसके उपबंध संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 में शामिल कर लिए गए थे।
37.	संविधान (उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 1972	-	पांचवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।
38.	संविधान (तीसवां संशोधन) विधेयक, 1972	संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972	-
39.	संविधान (इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 1972	संविधान (अट्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972	-
40.	संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1972	संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972	-
41.	संविधान (इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973	संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973	-
42.	संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1973	-	पांचवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।
43.	संविधान (तैंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1973	संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973	-
44.	संविधान (चौत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974	संविधान (चौत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974	-
45.	संविधान (पैंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1974	संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974	-
46.	संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974	संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974	-
47.	संविधान (सैंतीसवां संशोधन) विधेयक, 1975	संविधान (सैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975	-
48.	संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, 1975	संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975	-
49.	संविधान (उनतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1975	संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975	-
50.	संविधान (चालीसवां संशोधन) विधेयक, 1975	संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975	-

1	2	3	4
51.	संविधान (इकतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1975	-	पांचवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।
52.	संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976	संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976	-
53.	संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976	संविधान (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976	-
54.	संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976	संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976	-
55.	संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977	-	छठी लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।
56.	संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977	संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977	-
57.	संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978	संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978	-
58.	संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव लोक सभा में आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हुआ था।
59.	संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978	-	छठी लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।
60.	संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978	-	विधेयक को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध होने के कारण वापस ले लिया गया।
61.	संविधान (उनचासवां संशोधन) विधेयक, 1979	-	छठी लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।
62.	संविधान (पचासवां संशोधन) विधेयक, 1979	-	छठी लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।
63.	संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1980	संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980	-
64.	संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक, 1982	संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982	-

1	2	3	4
65.	संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1982	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव नियम 157 और संविधान के उपबंधों के अनुसार लोक सभा में पारित नहीं हुआ।
66.	संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) विधेयक, 1983	संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984	-
67.	संविधान (उनचासवां संशोधन) विधेयक, 1983	-	पुरःस्थापित नहीं किया गया।
68.	संविधान (पचासवां संशोधन) विधेयक, 1984	संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984	-
69.	संविधान (इक्यावनवां संशोधन) विधेयक, 1984	संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984	-
70.	संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक, 1984	संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984	-
71.	संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1984	संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984	-
72.	संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक, 1985	संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985	-
73.	संविधान (तिरपनवां संशोधन) विधेयक, 1986	संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986	-
74.	संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986	संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986	-
75.	संविधान (पचपनवां संशोधन) विधेयक, 1986	संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986	-
76.	संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक, 1987	संविधान (अठ्ठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987	-
77.	संविधान (सत्तावनवां संशोधन) विधेयक, 1987	संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987	-
78.	संविधान (अठ्ठावनवां संशोधन) विधेयक, 1987	संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987	-

1	2	3	4
79.	संविधान (उनसठवां संशोधन) विधेयक, 1988	संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988	-
80.	संविधान (साठवां संशोधन) विधेयक, 1988	संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988	-
81.	संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक, 1988	-	राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। लंबित।
82.	संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988	संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988	-
83.	संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989	संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989	-
84.	संविधान (तिरसठवां संशोधन) विधेयक, 1989	-	व्यपगत हुआ। लोक सभा द्वारा यथापारित तथा राज्य सभा में लंबित विधेयक आठवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया।
85.	संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक, 1989	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव राज्य सभा में संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हुआ था।
86.	संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1989	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव राज्य सभा में संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक बहुमत से पारित नहीं हुआ।
87.	संविधान (तिरसठवां संशोधन) विधेयक, 1989	संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989	-

1	2	3	4
88.	संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक, 1989	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचारार्थ प्रस्ताव नियम 157 तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार पारित नहीं हुआ।
89.	संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990	संविधान (चौसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990	-
90.	संविधान (छियासठवां संशोधन) विधेयक, 1990	संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990	-
91.	संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1990	-	नौवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
92.	संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1990	संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990	-
93.	संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990	-	नौवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
94.	संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990	-	सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
95.	संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990	-	सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
96.	संविधान (बहत्तरहवां संशोधन) विधेयक, 1990	-	नौवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
97.	संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990	-	नौवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
98.	संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990	-	नौवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
99.	संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990	-	अस्वीकृत हुआ क्योंकि लोक सभा में विधेयक पर विचारार्थ प्रस्ताव नियम 157 तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार पारित नहीं हुआ।
100.	संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990	संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990	-

1	2	3	4
101.	संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991	संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	-
102.	संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991	संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	-
103.	संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991	संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991	-
104.	संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991	संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991	-
105.	संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992	संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	-
106.	संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992	संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	-
107.	संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992	संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994	-
108.	संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992	संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992	-
109.	संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1992	-	राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। लम्बित।
110.	संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993	-	दसवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
111.	संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1994	संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995	-
112.	संविधान (बयासीवां संशोधन) विधेयक, 1994	-	पुरःस्थापित नहीं किया गया।
113.	संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1994	-	पुरःस्थापित नहीं किया गया।
114.	संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1994	-	दसवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
115.	संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1994	संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994	-
116.	संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1995	संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995	-
117.	संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1996	-	ग्यारहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।

1	2	3	4
118.	संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996	-	ग्यारहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
119.	संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997	-	मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों और विधि आयोग की रिपोर्ट के आलोक में एक नया विधेयक लाने के उद्देश्य से इस विधेयक को वापस ले लिया गया।
120.	संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1998	-	बारहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
121.	संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1998	-	बारहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
122.	संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999	संविधान (उनासीवां संशोधन) अधिनियम, 1999	-
123.	संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1999	-	तेरहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
124.	संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1999	संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000	-
125.	संविधान (सत्तासीवां संशोधन) विधेयक, 1999	-	राज्य सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।
126.	संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999	संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000	-
127.	संविधान (नवासीवां संशोधन) विधेयक, 2000	संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000	-
128.	संविधान (नब्बेवां संशोधन) विधेयक, 2000	संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000	-
129.	संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000	संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001	-
130.	संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001	संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001	-
131.	संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001	संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002	-

1	2	3	4
132.	संविधान (चौरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2002	संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003	-
133.	संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003	संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003	-
134.	संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003	संविधान (सत्तासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003	-
135.	संविधान (सतानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003	संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003	-
136.	संविधान (अठानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003	-	तेरहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
137.	संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003	संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003	-
138.	संविधान (सौवां संशोधन) विधेयक, 2003	संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003	-
139.	संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) विधेयक, 2003	-	तेरहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
140.	संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) विधेयक, 2003	-	तेरहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
141.	संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) विधेयक, 2005	संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005	-
142.	संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) विधेयक, 2006	संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006	-
143.	संविधान (एक सौ छहवां संशोधन) विधेयक, 2006	-	लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। लंबित।
144.	संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007	-	लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया। लंबित।
145.	संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009	संविधान (पचानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2009	-
146.	संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010	संविधान (छयानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011	-
147.	संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009	संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011	-
148.	संविधान (एक सौ अठारहवां संशोधन) विधेयक, 2012	संविधान (अट्टानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2012	-

1	2	3	4
149.	संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014	संविधान (निन्थानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014	-
150.	संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013	संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015	-
151.	संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014	संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016	-
152.	संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017	संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2018	-
153.	संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019	संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019	-
154.	संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019	संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019	-
155.	संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021	संविधान (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021	-
156.	संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019	-	विधेयक राज्य सभा में लंबित है।
157.	संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013	-	विधेयक पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
158.	संविधान (एक सौ सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 2012	-	विधेयक पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
159.	संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011	-	विधेयक पर 27.12.2011 को लोक सभा द्वारा विचार किया गया लेकिन अपेक्षित बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सका।
160.	संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011	-	विधेयक पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
161.	संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010	-	विधेयक पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।

1	2	3	4
162.	संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009	-	विधेयक पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
163.	संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009	-	विधेयक पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
164.	संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008	-	विधेयक पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
165.	संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007	-	विधेयक चौदहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
166.	संविधान (एक सौ छहवां संशोधन) विधेयक, 2006	-	विधेयक चौदहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
167.	संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) विधेयक, 2004	-	विधेयक चौदहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
168.	संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) विधेयक, 2003	-	विधेयक तेरहवीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुआ।
169.	संविधान (एक सौ अट्ठाइसवां संशोधन) विधेयक, 2023	संविधान (एक सौ छहवां संशोधन) अधिनियम, 2023	-